आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

गौरवमयी 47 वर्ष



वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
IRCON INTERNATIONAL LIMITED
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

विषय सूची

कॉर्पोरेट विवरण

इरकॉन विहंगावलोकन	2
हमारा सेवा प्रोफाइल	3
अध्यक्ष का संबोधन	6
निदेशक मंडल	10
वरिष्ठ अधिकारी	14
घरेलु परियोजना	16
विदेशी परियोजना	18
हमारे पुरस्कार एवं मान्यताएं	19
वित्त वर्ष 2023 के दौरान सीएसआर गतिविधियां	20
प्रमुख निष्पादन सूचकांक (स्टेंडअलोन)	22
वित्तीय हाइलाईट (स्टेंडअलोन)	23

प्रबंधन रिपोर्ट

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	24
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	47
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	77
व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट	110
सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	138
सचिविय लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं प्रबंधन के उत्तरों	142
फॉर्म संख्या - एओसी-2	145

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	150
तुलन पत्र	165
लाभ और हानि विवरण	167
रोकड़ प्रवाह विवरण	168
इक्विटी परिवर्तन विवरण	170
वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 1 से 49	171
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	255

समेकित वित्तीय विवरण

सहायक कंपनियों/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताए (फॉर्म एओसी-1)	258
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	261
तुलन पत्र	272
लाभ और हानि विवरण	274
रोकड़ प्रवाह विवरण	276
इक्विटी परिवर्तन विवरण	278
वित्तीय विवरणों के नोट - नोट सं 1 से 50	279
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	369

हमारे पथ प्रदर्शक

संकल्पना

एक ऐसे निर्माण संगठन के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान निर्मित हुई है जिसकी तुलना अवसंरचना सेक्टर में निर्माण क्रियाकलापों एवं सेवाओं के समग्र विस्तार क्रम के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संगठन से की जा सकती है।

लक्ष्य

हमारा लक्ष्य कम्पनी को ऐसी स्थिति में स्थापित करना है जिससे यह भारत एवं विज़्व के बदलते हुए आर्थिक परिवेश में अवसंरचना विकास की निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद एवं सेवाओं की समय पर एवं सर्वोत्तम इंजीनियरिंग व्यवहारों के अनुरूप पूर्ति करके विश्व में अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं।

मूल्य

- रचनात्मक अभिमुखता
- टीम वर्क
- निष्पादन उत्कृष्टता
- कार्य एवं संव्यवहार में सत्यनिष्ठा
- उत्तरदेयता एवं जवाबदेही



कॉरपोरेट कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय
सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017
दूरभाष: 91–11–26530266
फैक्स: 91–11–26522000/26854000
ई–मेल: info@ircon.org
वेबसाइट: www.ircon.org
सीआईएन: L45203DL1976GOI008171

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सुश्री रितु अरोड़ा

कंपनी मुख्य वित्त अधिकारी एवं मुख्य निवेश सम्पर्क अधिकारी
श्री बी. मुगुंथन

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

लागत लेखापरीक्षक
मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक
मैसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव

बैंकर
इंडियन ओवरसीज बैंक, एचडीएफसी बैंक,
भारतीय स्टेट बैंक एक्सिस बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक

रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट
अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड
205–208, अनारकली परिसर, झंडेवालान एक्टेंशन, नई दिल्ली–110055
वेबसाइट : www.alankit.com
ई–मेल: info@alankit.com
टोल फ्री नं.: 011-42541234/23541234

शेयर सूचीबद्ध
बीएसई लिमिटेड (बीएसई)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)

डिपोजिटरी
नेशनल सिक्योरिटीस डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)

स्क्रिप्ट कोड
बीएसई : 541956
एनएसई: IRCON

आईएसआईएन नम्बर
INE962Y01021

31 मार्च 2023 को

पूरी की गई परियोजनाएँ

35195

करोड़ रुपए

अब तक का सर्वाधिक टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2023

10,262

करोड़ रुपए

घरेलू

401

विदेशी (25 देशों में)

128

निष्पादित कार्य

रेलवे ट्रैक

5470 टीकेएम

सड़कें और राजमार्ग

6660 किमी

सुरंग

150 किमी

रेलवे विद्युतीकरण

8772 आरकेएम

भवन

1.56 मि. वर्ग मी.

आरओबी

159

इरकॉन विहंगावलोकन

इरकॉन, **एक मिनी-रत्न श्रेणी-I अनुसूची 'क' का सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम** है जो त्वरित रूप से एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी के रूप में विकसित हो रही है, जिसे अवसंरचनात्मक क्षेत्र विशेषज्ञता प्राप्त है।

हमारा प्रमाणन

गुणवत्ता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधान प्रणालियों के लिए मान्यता प्राप्त आईएसओ प्रमाणित कंपनी।

क्रेडिट रेटिंग:

केयर एएए: स्टेबल/केयर ए1+
इरकॉन की दीर्घकालिक बैंक सुविधा हेतु

रैंकिंग (2022)

यूएसए ईएनआर निर्माण कंपनी

235वां स्थान

फॉर्च्युन इंडिया 500

226वां स्थान

बीएस 1000 राजस्व (2023)

164वां स्थान

हमारा सेवा प्रोफाइल

इंजीनियरिंग प्रापण एवं निर्माण





परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श (पीपीपी)

सार्वजनिक निजी भागीदारी





रियल इस्टेट

इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी)

इरकॉन ने समय के साथ अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक की सभी सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। वित्तपोषण की विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न ग्राहकों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में कार्य करने के व्यापक अनुभव के साथ, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और दूरसंचार के क्षेत्र में इन-हाउस डिजाइन क्षमता के कारण हमारी कंपनी ईपीसी परियोजनाओं को प्राप्त करने की बेहतर स्थिति में हैं। इरकॉन ने अपने कार्य व्यवस्था में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और पद्धतियों को अपनाया है जो इरकॉन की एक अद्वितीय शक्ति के रूप में है।

इरकॉन के पास, जटिल परियोजनाओं को स्वयं पूरा करने के लिए निर्माण उपकरण और मशीनें हैं। ईपीसी मोड के तहत परियोजनाओं को डिजाइन अनुकूलन और मूल्यसंवर्धन इंजीनियरिंग के माधयम से इरकॉन द्वारा कुशलतापूर्वक निष्पादित किया जाता है।

प्रमुख वस्तुओं के लिए केंद्रीकृत खरीद प्रणाली प्रतिस्पर्धी दरें उपलब्ध कराती है। ऐसी परियोजनाएँ जहाँ 50-60 प्रतिशत की खरीद इन-हाउस ही की जाती है, वहां परियोजना का शेष भाग पारदर्शी प्रणाली के माधयम से नियुक्त उप-ठेकेदारों के माधयम से निष्पादित किया जाता है और ऐसी परियोजना को संधारणीय पद्धतियों का अनुपालन करते हुए निष्पादित किया जाता है। परियोजनाओं को निष्पादित करते समय पर्यावरण और बड़े पैमाने पर समुदाय के संबंधा में उचित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जाता है। मजबूत आईटी सक्षम अनुबंध प्रबंधन टूल के साथ परियोजना वितरण अधिकतम दक्षता के साथ सुनिश्चित किया जाता है और लागत और मदों के मूल्य-वृद्धि से बचा जाता है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

हम टोल, वार्षिक व्यवस्था और मिश्रित वार्षिक व्यवस्था के आधाार पर डीएएफओटी पैटर्न के तहत, राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के साथ संयुक्त उद्यम मॉडल के माध्यम से रेलवे क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं की श्रेणी में प्रमुख सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन करने और इन्हें समय पर पूरा करने के लिए, हमारे पास हमारी वित्तीय क्षमता के साथ-साथ अनुभवी डिजाइनरों, तकनीकी कर्मियों और कौशल परियोजना प्रबंधन पेशेवरों की एक अच्छी टीम है।

परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श (पीएमसी)

हम परियोजनाओं के पूरे आयाम (स्पेक्ट्रम) में, योजना बनाने से लेकर कमीशनिंग तक व्यापक पीएमसी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये पीएमसी सेवाएं हमारे द्वारा या हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी "इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (इरकोनीएसएल)" के माध्यम से रेलवे साइडिंग, राजमार्ग, रेलवे और सड़क ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए प्रदान की जाती हैं। हमारे पास अवसंरचना के क्षेत्र में पीएमसी कार्यों को निष्पादित करने के लिए परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन और अनुबंध प्रबंधन पेशेवर की एक समर्पित टीम उपलब्ध है।

रियल एस्टेट (आरई)

हम कार्यालय रियल्टी स्थानों के विकास, निर्माण और पट्टे पर देने और वाणिज्यिक रियल एस्टेट के विकास का कार्य करते हैं।

विविध वैश्विक अवसंरचना पीएसयू

“ इरकॉन, विकट स्थानों पर परियोजनाओं सहित उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को निष्पादित करने में अपनी विशेषज्ञता के साथ, क्षेत्रीय और साथ ही भौगोलिक कवरेज दोनों के मामले में विविध अवसंरचना निर्माता के रूप में सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है ”

सेवित औद्योगिक क्षेत्र

- रेलवे (अवधारणा से कमिशनिंग तक)
- राजमार्ग
- फ्लाइओवर और पुल
- भवन
- विमान हैंगर
- सौर उर्जा
- वाणिज्यिक, औद्योगिक व आवासीय
- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास
- विद्युतीय एवं यांत्रिकी
- ओएचई उप-स्टेशन
- सुरंग
- रनवे एवं हैंगर

प्रमुख निष्पादित कार्य

रेलवे निष्पादित कार्य

सिग्नलिंग और दूरसंचार

3782 आरकेएम

350+ स्टेशन

आरओबी

159

सुरंग

150 किमी

मेट्रो

348 टीकेएम

सड़क एवं राजमार्ग

अन्य सड़कें (विदेशी परियोजनाओं सहित)

4516 किमी

राष्ट्रीय राजमार्ग

958 किमी

राज्य राजमार्ग

1186 किमी



भवन



1.56 मि. वर्ग मी

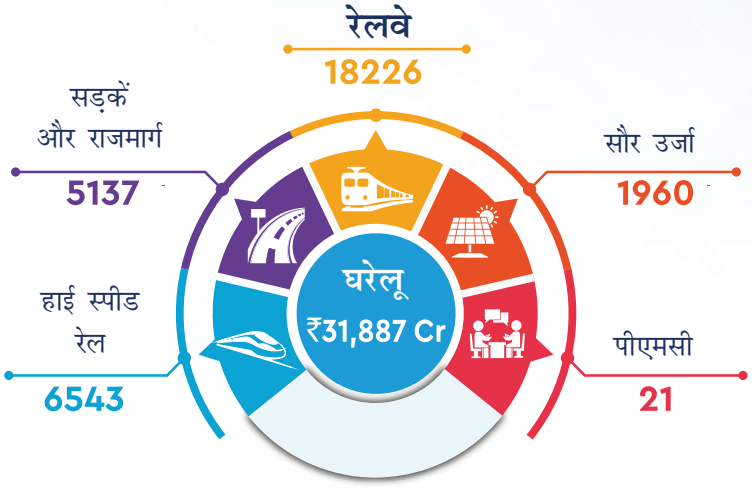
विश्वसनीय व्यवसाय सुदृढता

31 मार्च, 2023 को

रूपए करोड़ में

परियोजना स्थिति - आर्डर बुक (35,195 करोड़ रूपए)

घरेलू : 31,887 करोड़ रूपए



विदेशी: (3308 करोड़ रूपए)



भौगोलिक पथचिह्न





अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आपकी कंपनी की 47वीं वार्षिक रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, जो हमारे लिए प्रभावशाली कार्यनिष्पादन का एक और वर्ष रहा है। यह बहुत गर्व की बात है कि आपकी कंपनी ने, समग्र रूप से अच्छा निष्पादन किया है। स्टैंडअलोन आधार पर, आपकी कंपनी ने 42.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 10262 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 7181 करोड रूपए) का सर्वकालिक उच्च कुल टर्नओवर प्राप्त किया है। समेकित आधार पर भी, कुल टर्नओवर ने इरकॉन के इतिहास में 41.71 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और यह इस वर्ष 10750 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 7586 करोड रूपए) रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि विशिष्ट रूप से एक रेलवे निर्माण कंपनी के रूप में अपना परिचालन आरंभ करने वाली आपकी कंपनी ने पिछले 47 वर्षों में विविध अवसंरचना क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त की है और विश्व स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। कंपनी के पोर्टफोलियों में विश्वभर के 25 देशों में 128 पूर्ण परियोजनाएं और भारत में 400 से अधिक परियोजनाएं हैं।

भारत और विदेशों में प्राप्त की गई संविदाएं

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त की गई परियोजनाओं में भारतीय ऋण सहायता के तहत श्रीलंका में महो जंक्शन (सहित) से अनुराधापुरा (रहित) तक सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली की डिजाइन, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और प्रमाणन, गेरे पेल्मा सेक्टर–III कोयला खदान की खदान लीज सीमा से सटे रेलवे स्टेशन के साथ रेलवे साइडिंग की स्थापना सिग्नलिंग एवं दूरसंचार प्रणाली के लिए पीएमसी सेवाएं, और तालचेर में जगन्नाथ क्षेत्र के अनंत ओसीपी के लिए प्रस्तावित 02 आरएलएस (20 एमटीवाई) हेतु रेल अवसंरचना का विकास कार्य शामिल हैं। इरकॉन को केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में नए औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) के रूप में नियुक्त किया गया है।

आपकी कंपनी के पोर्टफोलियो में 50 से अधिक परियोजनाएँ हैं, जिनमें बांग्लादेश, अल्जीरिया, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में 5 अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ शामिल हैं। हम स्वस्थ लाभ मार्जिन प्राप्त करने के लिए घरेलू स्तर पर उद्योग क्षेत्रों में नई परियोजनाओं में सक्रिय रूप से निरंतर भाग ले रहे हैं। कंपनी, सक्रिय रूप से विदेशी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाएं और बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाएं शामिल हैं।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय विशिष्टताएं:

स्टेंडएलोन आधार पर, अब तक का सर्वाधिक कुल टर्नओवर प्राप्त करने के अतिरिक्त, हमने वित्त वर्ष 2022–23 में 9921 करोड़ रूपए का उच्चतम परिचालन टर्नओवर भी रिकार्ड किया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष यह 69106 करोड़ रूपए था, जोकि 43.57 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी)

पिछले वित्तीय वर्ष में 610 करोड़ रूपए की तुलना में 883 करोड रूपए रहा, जिससे 44.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कर पश्चात लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 2022–23 में 777 करोड़ रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 544 करोड़ की तुलना में 42.83 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। आपकी कंपनी की निवल संपत्ति वित्त वर्ष 2022–23 में 12.05 प्रतिशत बढ़कर 5178 करोड़ रूपए हो गई है, जबकि यह वित्त वर्ष 2022–23 में 4621 करोड़ रूपए थी।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, रेलवे क्षेत्र ने हमारे परिचालन कारोबार में लगभग 94 प्रतिशत योगदान दिया और राजमार्ग/अन्य क्षेत्र से परिचालन कारोबार लगभग 6 प्रतिशत था।

समेकित आधार पर, कंपनी का प्रभावशाली वित्तीय निष्पादन, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान परिचालन टर्नओवर में 40.49 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जो 10368 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 7380 करोड़ रूपए) तक पहुंच गया है। हमने पिछले वर्ष के 592 करोड रूपए की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 में 765 करोड रूपए का समेकित शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

इसके अलावा, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई योग्यता या टिप्पणी नहीं दी है और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ''शून्य'' टिप्पणी प्रस्तुत की है।

दिनांक 30.06.2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम:

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही (स्टैंडअलोन) के लिए टर्नओवर और लाभप्रदता वर्ष 2023 की पहली तिमाही की तुलना में काफी बेहतर हुई है। इस तिमाही के लिए कुल टर्नओवर 1956.95 करोड़ रूपए से 37.62 प्रतिशत बढ़कर 2693.21 करोड़ रूपए हो गया है। परिचालन टर्नओवर पिछले वर्ष के 1897.20 करोड़ की तुलना में 38.40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2625.64 करोड़ रूपए हो गया है और कर पश्चात लाभ (पीएटी) 123.13 करोड रूपए 31.29 प्रतिशत बढ़कर 161.66 करोड़ रूपए हो गया है।

लाभांश:

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 2 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 1.80 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित और वितरित किया है। अंतरिम लाभांश के अलावा, आपकी कंपनी ने प्रति शेयर 1.20 रुपये का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इसके साथ वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कुल लाभांश भुगतान, इक्विटी शेयर पूंजी पर 150 प्रतिशत होगा, जो कुल समग्र रूप से 282.15 करोड़ रूपए (लगभग) होगा, जो वित्त वर्ष 2022–23 के कर–पश्चात लाभ का 36.31 प्रतिशत और 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की कुल संपत्ति का 5.45 प्रतिशत है।

प्रस्तावित अंतिम लाभांश की घोषणा और भुगतान के बाद, वित्त वर्ष 2022–23 तक शेयरधारकों को भुगतान किया जाने वाला संचयी लाभांश 2657 करोड़ रूपए होगा।

शेयर पूंजी:

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, प्रदत्त शेयर पूंजी 188.10 करोड़ रूपए है। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक प्रमोटर अर्थात भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 73.18 प्रतिशत था। आपकी कंपनी, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकता का अनुपालन कर रही है।

इरकॉन समूह की कंपनियां

फिलहाल, इरकॉन समूह में ग्यारह सहायक कंपनियां और सात संयुक्त उद्यम कंपनियां शामिल हैं, जिनका विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अपनी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में 423.39 करोड़ रूपए का निवेश किया है और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सावधि ऋण सुविधा का लाभ उठाने के उद्देश्य से, इरकॉन ने राजमार्ग क्षेत्र की अपनी पांच सहायक कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, इरकॉन द्वारा अपनी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों को किए गए निवेश, दिए गए ऋण और दी गई गारंटी के अन्य विवरण, वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट का भाग हैं।

रेटिंग और प्रशस्तियां

रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संदर्भ में, आपकी कंपनी को वर्ष 2021–22 के लिए 'बहुत अच्छा' रेटिंग प्रदान की गई है।

यूएसए के इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड (ईएनआर) के वर्ष 2022 संस्करण के अनुसार, इरकॉन शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों के साथ–साथ शीर्ष 250 वैश्विक निर्माण ठेकेदारों की सूची में स्थान प्राप्त करने वाली वाला एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी है। इसके अलावा, मार्च 2023 में जारी बिजनेस स्टैंडर्ड बीएस 1000 वार्षिक पत्रिका में, इरकॉन को वर्ष 2022 में कुल राजस्व के मामले में 164वां स्थान दिया गया है और ''निर्माण और बुनियादी ढांचे'' के तहत, इस क्षेत्र में कार्यनिष्पादन के मामले में 7वां स्थान दिया गया है। फॉर्च्यून इंडिया 500 की सूची में भी इरकॉन 2022 में 226वें स्थान पर है।

वर्ष–दर–वर्ष पुरस्कार जीतने का सिलसिला जारी रखते हुए, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, इरकॉन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीनटेक पर्यावरण, ईएनआर – कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड ग्लोबल अवार्ड, और डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू और सरकारी शिखर सम्मेलन – आत्मनिर्भर भारत पहल, पुरस्कार प्राप्त किया हैं।

कॉर्पोरेट शासन

हम पूरी तरह से जानते हैं कि दीर्घकालिक विकास और स्थिरता के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के ठोस सिद्धांत आवश्यक हैं और हम इन सिद्धांतों के दायरे में कार्य कर रहे हैं। उत्तरदायी व्यवसाय के प्रति

अपनी प्रतिबद्धता को साकार करने में, हम एक सुदृढ कॉर्पोरेट प्रशासन नीति और आचार संहिता को अपनाकर नैतिक व्यवसाय संचालन और सर्वोत्तम पद्धतियों के उच्चतम मानकों का पालन कर रहे हैं। आपकी कंपनी, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, कंपनी अधिनियम 2013, और डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2010 और अन्य लागू नियामक आवश्यकताओं में निहित प्रावधानों का अनुपालन कर रही है।

सेबी विनियमन और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन पर एक प्रमाण पत्र निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन में, स्व–मूल्यांकन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त की है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी)

हमारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) फ्रेमवर्क, इरकॉन के साथ–साथ इसकी सहायक कंपनियों में कंपनी संचालन के सभी पहलुओं पर लागू किया गया है। हमारी कॉर्पोरेट नीतियों का लक्ष्य स्थिर, विवेकपूर्ण और सतत विकास प्राप्त करना है। हम जिम्मेदार व्यवसाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नैतिक व्यावसायिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं।

हम जिन समुदायों में काम करते हैं, उन पर सकारात्मक प्रभाव डालने का निरंतर प्रयास करते हैं। एक कॉर्पोरेट कंपनी के रूप में हमने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर 10.12 करोड़ रूपए खर्च किए हैं, जबकि आवंटित बजट 10.10 करोड़ रूपए था। डीपीई द्वारा घोषित वार्षिक थीम – ''स्वास्थ्य और पोषण'' पर ध्यान केंद्रित करते हुए और अपने सीएसआर के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देने के लिए कंपनी की सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों में शामिल हैं, जम्मू और कश्मीर के जिलों में ग्रामीण लोगों के बीच सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करना और और 66 चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना, स्कूली बच्चों में दृष्टि दोष का पता लगाने के लिए राजस्थान के आकांक्षी जिले जैसलमेर में एक विजन सेंटर की स्थापना करना, जिससे उचित देखभाल और उपचार के माध्यम से नेत्र रोग को बढने से रोका जा सके। मेसर्स बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान (बीएसजीएसएस) द्वारा खोरा कॉलोनी, गाजियाबाद जिला, उत्तर प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करना। हमने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में 1.53 करोड़ रूपए का योगदान भी दिया है।

मानव संसाधन, हमारी सर्वोत्तम संपत्ति

कंपनी की नीतियों को कर्मचारियों के ज्ञान, क्षमता, कौशल और उत्पादकता को लगातार उन्नत करने के नवीनतम तरीकों को अपनाने के लिए डिजाइन किया गया है। संगठन के भीतर एक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने के लिए कर्मचारियों को उनके कैरियर की प्रगति, कल्याण और विकास पर जोर देते हुए भागीदारों के रूप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कंपनी का मानना है कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित, सक्षम और प्रतिबद्ध कर्मचारियों को बनाए रखना और हमारे कार्यबल का विस्तार करना, जो नए विचारों, नीतियों और प्रक्रियाओं की शुरूआत कर सकते हैं, अंततः कंपनी की दक्षता में सुधार करने में मदद करेंगे। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक हमारे मानव संसाधन की कुल संख्या 1341 थी, जिसमें 257 नए कर्मचारी शामिल थे।

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्तिकरण

प्रौद्योगिकी उन्नति के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता के स्तर में सुधार की प्रक्रिया में, इरकॉन कंपनी उपक्रम संसाधन योजना (ईआरपी) के रूप में एस4–हाना प्रणाली में स्वयं को अद्यतम करने की प्रक्रिया में है। वर्ष के दौरान, कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल, वित्त और एचसीएम मॉड्यूल पूरे संगठन के लिए प्रक्रियाधीन हैं और पांच पायलट स्थानों में इसकी पूर्ण कार्यात्मकता के लिए लाइव किया जा रहा है। सेप एस/4 हाना का उपयोग पहले से ही वित्त, नियंत्रण और मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों में व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इससे कंपनी को व्यापक सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता प्राप्त हुई है और तेजी से निर्णय लेने में मदद मिली है। यह रिपोर्टिंग टूल सेप, वास्तविक समय डेटा प्राप्त करता है और कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने में मदद करता है। एसएपी प्रणाली के, कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल, वित्त और एचसीएम मॉड्यूल पूरे संगठन के लिए शुरू किए गए हैं और पांच पायलट स्थानों को पूर्ण कार्यक्षमता के लिए लाइव किया जा रहा है। कागज रहित कार्यालय की दिशा में कंपनी की अन्य पहलों में संगठन के भीतर आधिकारिक दस्तावेजों के अनुमोदन और संचलन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से ई–ऑफिस प्रणाली, सार्वजनिक खरीद में पूर्ण पारदर्शिता की पेशकश करने वाले एनआईसी–जीईपीएनआईसी की सरकारी ई–प्रापण प्रणाली, और आधिकारिक ई–मेल आईडी से सिस्को वीसी और गूगल मीट पर समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा को प्रोत्साहित किया गया है, जिसने परियोजनाओं की समीक्षा, बोर्ड की बैठकों, इसकी समितियों और सामान्य बैठकों के लिए निर्बाध प्रक्रिया को संभव बनाया है।

भविष्य का दृष्टिकोण

अवसंरचना अन्य उद्योगों और भारत के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए, सरकार खुले एफडीआई मानदंडों, अवसंरचना क्षेत्र के लिए बड़े बजट आवंटन, स्मार्ट सिटी

> **''इरकॉन अपनी विशेषज्ञता और वित्तीय सुदृढता, दोनों क्षेत्रों में बाजार में अपनी लाभप्रद स्थिति का लाभ उठाने की मंशा रखता है। कई भारतीय राज्यों में स्थापित पदचिन्ह का लाभ उठाते हुए, इरकॉन अपनी व्यापक व्यापार विस्तार नीति के भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रचालन का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है''।**

मिशन आदि जैसी केंद्रित नीतियों के माध्यम से अवसंरचना और निर्माण सेवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत, भारत में अवसंरचना पर 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश बजट है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर 24 प्रतिशत, सड़कों और राजमार्गों पर 18 प्रतिशत, शहरी अवसंरचना पर 17 प्रतिशत और रेलवे पर 12 प्रतिशत शामिल है। 6.1 बिलियन डॉलर की कुल पूंजी लागत पर 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित किए जाएंगे, जो माल ढुलाई के 50 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा करेंगे।

भारत में लॉजिस्टिक लागत, सकल घरेलू उत्पाद का 13 प्रतिशत है, जबकि शेष विश्व में यह 8 प्रतिशत है, जिससे भारतीय निर्यात के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया है। सरकार लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के मौजूदा 13 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रही है। भारत सरकार ने परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करने और भारत में लॉजिस्टिक के विकास की गति को बढ़ाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान आरंभ किया है।

बजट 2023 में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये (29 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है। इसके अलावा, बजट 2023–24 में सड़कों और राजमार्गों के लिए आवंटन बढ़ाकर 2.7 लाख करोड रुपये कर दिया गया है। सरकार वर्ष 2025 तक 2 लाख किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास की दिशा में कार्य कर रही है।

रेलवे परियोजनाओं में सिद्ध विशेषज्ञता के साथ परिवहन अवसंरचना में उद्योग अग्रिणियों में से एक के रूप में इरकॉन की लंबे समय से प्रतिष्ठा स्थापित है। उद्योग में अपनी इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने और निरंतर लाभ मार्जिन प्राप्त करने के लिए, हम अपनी विशेषज्ञता और वित्तीय सुदृढता, दोनों के संदर्भ में बाजार में अपनी लाभप्रद स्थिति का लाभ उठाने की मंशा रखते हैं। भारतीय बाजार में अपनी सुदृढ उपस्थिति के साथ, इरकॉन का उद्देश्य, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत देश के अनछुए क्षेत्रों को कवर करने का है। इरकॉन का मानना है कि इससे भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के साथ उसके पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद मिलेगी और अवसंरचना के क्षेत्र में उसकी स्थिति और मजबूत होगी।

हमारे नीतिक उद्देश्यों में रेलवे, राजमार्ग, सुरंग और पुल जैसे प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में सक्रिय रूप से हमारी भागीदारी को बढ़ाकर घरेलू क्षेत्र के भीतर हमारी बाजार उपस्थिति को बढ़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, हम हाई–स्पीड रेल परियोजनाओं, एनसीआरटीसी परियोजना, पीपीपी मॉडल पर एनएचएआई परियोजनाओं, नवीनीकरण बिजली परियोजना, भारतीय रेलवे उद्यमों के लिए पीएमसी उपक्रमों आदि क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कई भारतीय राज्यों में अपने स्थापित पदचिन्ह का लाभ उठाते हुए, हम देशभर में अपने प्रचालन का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इन क्षेत्रों में अपनी विकास यात्रा को जारी रखेंगे।

हमें विश्वास है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न अवसंरचना ढांचागत उपाय, हमें अपने भविष्य के विकास को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। हमारा मानना है कि हम अपनी मजबूत तकनीकी क्षमताओं और सुदृढ वित्तीय स्थिति के कारण इन कार्यविधियों के तहत परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। हम अपनी ताकत के क्षेत्र में अवसरों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार और रेल एवं रोडवेज में पीपीपी मोड के अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे।

आभारोक्ति

मैं, इरकॉन में सहयोग और विश्वास के लिए सभी पूर्ववर्ती और वर्तमान बोर्ड सदस्यों, हमारे शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों का सहृदय आभार प्रकट करता हूं। निदेशक मंडल की ओर से, मैं इस अवसर पर कंपनी के सभी पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों के अथक प्रयासों के लिए अपना आभार और सराहना प्रस्तुत करता हूँ। कंपनी रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, विदेश, वित्त, वाणिज्य, शहरी विकास जैसे विभिन्न मंत्रालयों के साथ–साथ अन्य मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन के लिए आभारी है। हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, कंपनी के बैंकरों, सांविधिक, शाखा, लागत, सचिवीय और आंतरिक लेखापरीक्षकों, विदेश में भारतीय दूतावासों और मिशनों, विदेशी मिशनों और भारत में दूतावास, एक्जिम बैंक, ईसीजीसी लिमिटेड, आप्रवासन संरक्षक, पासपोर्ट प्राधिकरण, और भारत और विदेशों में हमारे सम्मानित ग्राहक से प्राप्त समर्थन के लिए भी आभारी हैं, क्योंकि उनके सक्रिय समर्थन के बिना, कंपनी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती। हम हर स्तर पर कंपनी के सभी समर्पित कर्मचारियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। उनके अटूट प्रयासों, समर्पण, ईमानदारी और प्रतिबद्धता ने कंपनी के अब तक के उच्चतम कार्यनिष्पादन को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

शुभकामनाओं सहित,

ह0/–

(बृजेश कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एल/ए) एवं सीईओ

(डीआईएनः 10092756)

दिनांक : 11 अगस्त, 2023

स्थान : नई दिल्ली



निदेशक मंडल

''हमारी सफलता, सुदृढ़ प्रतिबद्धता, हमारे बोर्ड से निरंतर मार्गदर्शन और हमारे समर्पित कार्मिकों के अथक प्रयासों का परिणाम है''

श्री बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ

श्री बृजेश कुमार गुप्ता कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। उनके पास माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एमआईटीएस, ग्वालियर से सिविल इंजीनियर में बैचलर डिग्री बीई सिविल और आईआईटी दिल्ली से एप्लाइड मैकेनिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री (एम.टेक) है।

वह 1985 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसई) से है। वह इंडियन इंस्टीट्यूट परमानेंट वे इंजीनियर्स (आईआईपीडब्ल्यूई) नई दिल्ली के सदस्य भी है। उन्होंने अक्टूबर 2018 में कागी मेलॉन यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग यूएसए में रणनीतिक प्रबंधन कार्यक्रम और जुलाई 2017 में एसडीए बोकोनी बिजनेस स्कूल, मिलान, इटली द्वारा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है।

वह वर्तमान में रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य (सिविल इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास रेलवे में 37 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है, विशेषकर रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन और प्रबंधन में। उन्होंने रेलवे में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (कॉन्स्ट), (उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर और पूर्वी तट रेलवे, भुवनेश्वर), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर), मंडल रेलवे प्रबंधक, (मध्य रेलवे नागपुर), जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पदों पर काम किया।

उन्हें सीएओ/सी/उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के रूप में काम करते हुए 2020–21 और 2021–22 के लिए लगातार रेल मंत्री के सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन शील्ड के प्रतिष्ठित पुरस्कार और 2013– 14 और 2014–15 में मुख्य सुरक्षा अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के रूप में काम करते हुए जोनल सेफ्टी शील्ड का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। मंडल रेल प्रबंधक के रूप में उनके दो वर्षों के कार्यकाल के दौरान, दोनों वर्षों में नागपुर मंडल को मध्य रेलवे में सर्वश्रेष्ठ मंडल के रूप में चुना गया था। इसके अलावा, उन्हें मुख्य अभियंता/निर्माण/जोधपुर के रूप में काम करते हुए 1994–95 में रिकॉर्ड समय में जोधपुर–जैसलमेर (300 किलोमीटर) खंड के गेज परिवर्तन को पूरा करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए टीम के सदस्य के रूप में रेल मंत्रालय स्तर पर सम्मानित किया गया।



श्रीमती रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)

श्रीमती रागिनी आडवाणी (डीआईएनः 09575213), हमारी कंपनी की निदेशक (वित्त) हैं। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एकाउंटेंट हैं, जिन्हें वित्त के क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वह चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी दोनों परीक्षाओं में रैंक होल्डर हैं।

इरकॉन में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने तेल और गैस क्षेत्र की तकनीकी परामर्शदाता सीपीएसई, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल), में महाप्रबंधक (एफएंडए) के रूप में काम किया है और वह लेखांकन की प्रभारी थीं तथा उन्होंने सीएजी/सांविधिक लेखापरीक्षकों, सभी विपणन प्रस्तावों की सहमति और विपणन वित्त, बिलिंग और संबंधित मामलों, बजट और एमआईएस और व्यवसाय विकास प्रस्ताव के क्षेत्र में कार्य किया है। वह 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष कार्यालय के भाग के रूप में भी कार्यरत रहीं और उन्होंने ईआईएल में लगभग एक वर्ष के लिए कंपनी सचिवालय विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था।

उनके पूर्व अनुभवों में एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल) और केपीएमजी शामिल हैं। उनके पास कॉर्पोरेट वित्त में समृद्ध और विविध अनुभव है, जिसमें मूल्यांकन, विलय / डिमर्जर और अधिग्रहण, वित्तीय पुनर्गठन, ट्रेजरी प्रबंधन, ऋण वित्तपोषण की व्यवस्था, कॉर्पोरेट योजना और बजट, वाणिज्यिक बिलिंग और ई–नीलामी के माध्यम से कोयले की खरीद, नियमित एमआईएस, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ संव्यवहार, टैरिफ ऑर्डर को अंतिम रूप देने के लिए सीईआरसी के साथ संव्यवहार करना और लंबी अवधि के पीपीए पर हस्ताक्षर करना शामिल है। वह वित्त मामलों के संबंध में ईआईएल के इन–हाउस वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रमों की विषय वस्तु विशेषज्ञ/संरक्षक भी रही हैं। वह 19 अप्रैल 2022 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।



श्री पराग वर्मा
निदेशक (कार्य)

श्री पराग वर्मा (डीआईएनः 05272169), ने वर्ष 1991 में इरकॉन में कार्यभार ग्रहण किया। श्री वर्मा ने इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है और उनके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर कार्य करने का 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उनकी मुख्य ताकत परियोजना की योजना, अनुमान और संकल्पना और परियोजनाओं की संरचना और उसके निष्पादन में निहित है।

उनके पास विशेष परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मूल संगठन हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना करने का भी अनुभव है। उन्होंने भारत में पीपीपी मॉडल पर स्टेशन विकास कार्यक्रम की पूरी अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पीपीपी मॉडल पर भारतीय रेल पर स्टेशन विकास की पहली परियोजना को निष्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया है। निदेशक (कार्य) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, वह कार्यालक निदेशक (अवसंरचना) थे, और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में राजमार्ग, भवन और रियल एस्टेट और व्यवसाय विकास संबंधी कार्यों का निष्पादन कर रहे थे। वह न केवल ईपीसी, मद दर, पीपीपी मॉडल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को प्राप्त करके कंपनी की स्वस्थ ऑर्डर बुक बनाए रखने के लिए उत्तरदायी थे, बल्कि इन सभी को निष्पादित करने के लिए भी उत्तरदायी थे। उनके मार्गदर्शन में, बीडी दल ने खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नए ऑर्डर का उच्चतम मूल्य प्राप्त किया है। हाई स्पीड रेलवे, गिट्टी रहित स्लैब ट्रैक और राजमार्ग सुरंग, बड़े पुलों के नए क्षेत्रों में कार्य इरकॉन द्वार प्राप्त किया गया है।



श्री आनन्द कुमार सिंह
निदेशक (परियोजना)

श्री आनंद कुमार सिंह (डीआईएन 07918656), आई.आई.टी., दिल्ली से सिविल इंजीनियर हैं और इन्होंने एमडीआई, गुरूग्राम से एम.बी.ए. (वित्त) की डिग्री प्राप्त की है। इन्होंने जनवरी 1990 में रेल मंत्रालय में आईआरएसई अधिकारी के रूप में अपनी यात्रा आरंभ की और उनके पास प्रमुख रेलवे अवसंरचना (25 वर्ष से अधिक) और राजमार्ग अवसंरचना (8 वर्ष से अधिक) के विकास के क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

श्री सिंह ने पहले 2016–2019 तक एनएचएआई बोर्ड में सदस्य (परियोजना) के रूप में एनएचएआई के निदेशक के पद पर 3 वर्षों तक कार्य किया। श्री सिंह का अनुभव प्रारंभिक योजना से लेकर अंतिम चरण तक निष्पादन करने का है, जिसमें परियोजना योजना, व्यवहार्यता मूल्यांकन, निवेश नीति, वित्तपोषण, बोली पुरस्कार, निर्माण, परियोजना परामर्श, अनुबंध प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, ओ एंड एम, आदि से लेकर मुद्रीकरण के साथ अंत तक के सभी पहलू शामिल हैं।

परियोजना कार्यान्वयन विशेषज्ञता में, नई लाइनों, दोहरीकरण, सुरंगों, ऊंचे गलियारों, अत्याधुनिक पुलों, राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, तटीय राजमार्गों, लॉजेस्टिक्स, विद्युत प्रणालियों की स्थापना आदि के निर्माण को समय–सीमा से पहले पूरा करना शामिल है।

श्री सिंह ने परियोजना कार्यान्वयन की सभी प्रचलित विधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जैसे मद दर ईपीसी, एफआईडीआईसी, ईपीसी (टर्न–की), पीपीपी, ओएमटी, एचएएम, टीओटी मॉडल और उनकी उपलब्धियों में परिसंपत्ति मुद्रीकरण, आईएनवीआईटी, विनिवेश, धन जुटाना, अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं का विपणन और विदेशी निवेश आकर्षित करना शामिल है। श्री सिंह ने नए ईपीसी (टर्न–की) मॉडल करार (एमसीए) को आरंभ करने, पीपीपी के कठिन युग के बाद पीपीपी में सुधार और एचएएम और टीओटी विनिवेश के नई परियोजना मॉडल में अग्रणी भूमिका निभाई है।

श्री सिंह ने एक अनुबंध प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में नेतृत्व किया है और बड़ी संख्या में विवाद समाधान, तकनीकी और संविदात्मक व्याख्या समितियों और निपटान सलाहकारों का नेतृत्व किया है, ताकि लीक से हटकर सोच और नवीन हस्तक्षेपों के माध्यम से बड़ी संख्या में लंबित परियोजनाओं को बचाया जा सके। उन्होंने कई अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासन, आईटी और कानूनी क्षेत्रों का भी नेतृत्व किया है। श्री सिंह समावेशी नेतृत्व के माध्यम से मूल्य सृजन और सभी हितधारकों और निवेशकों के लिए तालमेल बनाने में विश्वास करते हैं।



श्री धनंजय सिंह
सरकारी नामिति
(अंशकालीन) सरकारी) निदेशक

श्री धनंजय सिंह (डीआईएनः 08955500), को लखनऊ विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त हैं।

वे वर्तमान में कार्यकारी निदेशक (कार्य), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान कार्यभार से पूर्व, उन्होंने निदेशक (कार्य) (रेलवे बोर्ड) वरिष्ठ मंडल अभियंता (उत्तर रेलवे) सहित विभिन्न कार्य पदों पर रेलवे बोर्ड में कार्य किया है। वह मुंबई रेल विकास निगम में उप मुख्य परियोजना प्रबंधक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे। वह दिनांक 10 नवंबर 2020 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।



श्री अजय कुमार चौहान
स्वतंत्र (अंशकालीन)
गैर सरकारी) निदेशक

श्री अजय कुमार चौहान (डीआईएन : 09394953), ने ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, सिडनी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री (1994–1996), दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत से एम.फिल (औद्योगिक मनोविज्ञान) (1981–1983), दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत से एम.ए. (मनोविज्ञान), जिसमें उन्होंने विशिष्टता प्राप्त की (1979–1981), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, भारत से मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान और इतिहास में बी.ए. (ऑनर्स) की शिक्षा प्राप्त की है। वह 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं और इन्होंने आयकर विभाग में सभी कार्यात्मक विभागों में महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। इन्होंने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक का पद पर भी कार्य किया है।

इन्हें बिजनेस स्कूल (सिडनी विश्वविद्यालय) में सराहनीय निष्पादन के लिए उन्हें एशियाई विकास बैंक (एडीबी), फिलीपींस से बिजनेस स्कूल छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रमंडल विनिमय कार्यक्रम के तहत ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में विदेशी प्रतिनियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नामित किया गया था।

विदेशी प्रतिनियुक्ति के अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने एडवांस डिपेंडेंट, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, सिडनी विश्वविद्यालय में व्यापार रणनीति पाठ्यक्रम, ऑन–ऑफिशियल ऑस्ट्रेलिया के भाग के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र परियोजनाएं को निष्पादित किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, पेनफोल्ड वाइन पीएलसी में रेल व्यवसाय की उभरती हुई कॉर्पोरेट संरचना, बाजार विस्तार की नीतियाँ शामिल हैं। उन्होंने विभिन्न विषयों पर लेख लिखे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में करदाताओं पर कर निहितार्थ पर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अध्ययन, पर्यटन उद्योग समस्याएं, आयकर इक्विटीय ऑस्ट्रेलियाई वास्तविकता उजागर और ऑस्ट्रेलियन टैक्स रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च स्टडी 1996 पर शोध पत्र लिखें हैं। वे दिनांक 11 नवंबर, 2021 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।



श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता
स्वतंत्र (अंशकालीन)
गैर सरकारी) निदेशक

श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता (डीआईएन : 09398271) पटना विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। उन्हें प्रबंधन, बिक्री और विपणन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है। वह व्यवसाय और कृषि में सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वह एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने वर्ष 2015 से 2018 की अवधि के लिए नेहरू युवा केंद्र में राज्य सलाहकार के रूप में कार्य किया है और वर्ष 2010 से 2013 की अवधि के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति में जिला सलाहकार के रूप में कार्य किया है। वह जिला कार्यक्रम क्रियावन समिति 2007 (20 कार्यक्रम) के सदस्य भी रहे हैं। वह 16 नवंबर, 2021 से इरकॉन के बोर्ड में कार्यरत हैं ।



श्रीमती रंजना उपाध्याय
स्वतंत्र (अंशकालीन)
गैर सरकारी) निदेशक

श्रीमती रंजना उपाध्याय (डीआईएन : 07787711) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश से पत्रकारिता में स्नातक और पत्रकारिता में परास्नातक हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

वह हिंदुस्तान टाइम्स (2002–2004) की लेखिका रही हैं, सिटी न्यूज, चित्रकूट की संपादक और समाचार वाचक (2003–2007) रही हैं। इसके अलावा, वह दृष्टि, नेत्रहीन लोगों के लिए एक एनजीओ और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के जीवन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक गैर–सरकारी संगठन, भारत कल्याण मंच की सक्रिय सदस्य हैं। वह 16 नवंबर, 2021 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।



डॉ कार्तिक चंदूलाल भद्रा
स्वतंत्र (अंशकालीन)
गैर सरकारी) निदेशक

डॉ कार्तिक चंदूलाल भद्रा (डीआईएन : 09453387), एमबीबीएस, डीसीएच हैं। वर्ष 1991 से गुजरात के वलसाड में कालराव चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ हैं।

वह दक्षिण गुजरात के एक प्रतिष्ठित बाल रोग विशेषज्ञ हैं और उनके पास अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक अस्पताल है, जहाँ वे पिछले 29 वर्षों से चिकित्सा प्रेक्टिस कर रहे हैं और समुदाय की सेवा कर रहे हैं। वे वलसाड के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और लगातार पांच वर्षों तक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वलसाड के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह एक परोपकारी व्यक्ति हैं, जो समाज की सेवा करने और समुदाय को मजबूत करने में विश्वास करते हैं जैसा कि उनकी कई पहलों द्वारा प्रदर्शित होता है। वह सक्रिय रूप से 10 से अधिक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। वह विद्याभारती से संबद्ध स्कूल 'श्री सरस्वती शिशु मंदिर' के उपाध्यक्ष ट्रस्टी हैं, जहां निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के 800 से अधिक छात्र, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। उन्होंने उड़ान (उन्नत देश–आदर्श नागरिक) फाउंडेशन की स्थापना की है – एक अनूठा जागरूकता कार्यक्रम, जिसका प्रबंधन और संचालन उनके और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों की उनकी देशभक्ति टीम द्वारा किया जाता है। वह दिनांक 31 दिसंबर, 2021 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।

वरिष्ठ अधिकारी



श्री योगेश कुमार मिश्रा
कार्यपालक निदेशक / अवसंरचना



डॉ सुभाष चंद
कार्यपालक निदेशक / विद्युत



श्री बी. मुगुंथन
कार्यपालक निदेशक / वित्त



श्री पवन कुमार
कार्यपालक निदेशक / कार्य



श्री सुरेंद्र सिंह
कार्यपालक निदेशक / विशेष कार्य



श्री नवीन बाबू
कार्यपालक निदेशक / जम्मू और कश्मीर

वरिष्ठ अधिकारी



श्री देवेंद्र कुमार शर्मा
परियोजना निदेशक / वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे



श्री प्रमोद कुमार सिंह
परियोजना निदेशक / पटना



श्री मोहिंदर सिंह
परियोजना निदेशक / सिवोक रंगपो



श्री सीतेश कुमार सिंह
परियोजना निदेशक / डीएफसीसी



श्री वी.के. जयशंकर
परियोजना निदेशक / अल्जीरिया

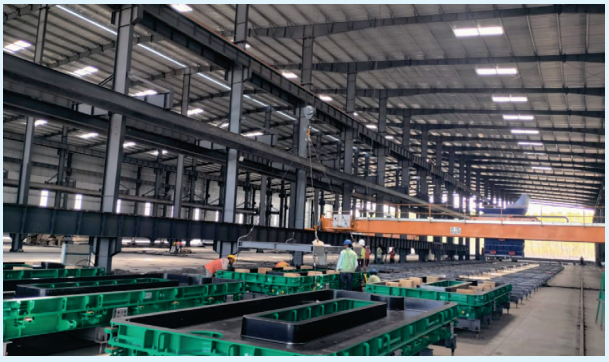
घरेलू परियोजनाएं



पुल सं. 04 पर ओडब्ल्यूजी का संस्थापन – सिवोक रंगपो रेलवे लाइन परियोजना



उद्यमपुर श्रीनगर बारामुला रेल लिंक परियोजना में अप्रिंचला यार्ड



ट्रैक स्लैब विनिर्माण कारखाना (टीएसएमएफ) – मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना



कटनी ग्रेड सेपरेटर परियोजना



सिवोक रंगपो रेलवे लाइन परियोजना में ब्रिज पी पी1 पाइल कैप कास्टिंग कार्य प्रगति पर



हाजीपुर बछवाड़ा दोहरीकरण परियोजना



वेल फाउंडेशन निर्माण कार्य प्रगति पर – रामपुर डुमरा ताल राजेन्द्रपुल परियोजना



बेहाला इंडोर स्पोर्टस स्टेडियम, कोलकाता

घरेलू परियोजनाएं



नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना



कम्पोजिट गर्डर – कटनी सिंगरौली रेल दोहरीकरण परियोजना



आरई पैकेज–2, बदरपुर–जिरिबम



रिले कक्ष व्यवस्था – मुरादाबाद एस एंड टी परियोजना



वडोदरा किम एक्सप्रेसवे परियोजना



नागरकाटा एसएसपी – आरई एनएफआर पैकेज 7, अलीपुरद्वार



सिवोक रंगपो रेलवे लाइन परियोजना में सुरंग टी–9 का आरंभ



उद्यमपुर श्रीनगर बारामुला रेल लिंक परियोजना में सुरंग टी–14 का आरंभ

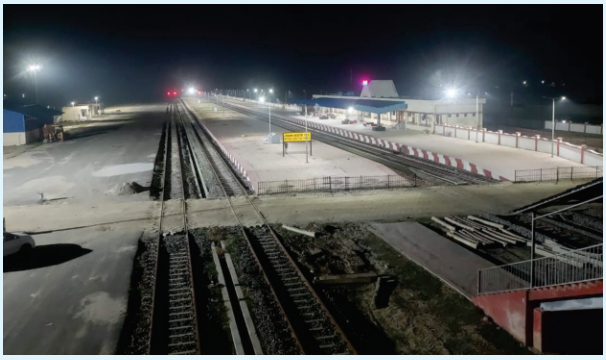
विदेशी परियोजनाएं



अल्जीरिया में रेलिज़ेन स्टेशन बिल्डिंग



रामबाउ रेलवे स्टेशन, मलेशिया



नेपाल कस्टम यार्ड – जोगबनी बिराटनगर परियोजना



अनुराधापुर – ओमानथई, श्रीलंका के बीच सम्पूर्ण ट्रैक कार्य



गेमास स्टेशन, मलेशिया में ओएलई पी–वे और लोको कार्यशालाएँ



खुलना मोंगला, बांग्लादेश



कार्गो यार्ड मोंगला, बांग्लादेश में गिट्टी रहित ट्रैक



सम्पन्न डबल ट्रैक के उपर आरओबी का निर्माण कार्य, अल्ज़ीरिया

लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए, कई प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा पुरस्कारों से सम्मानित



डी एंड बी पीएसयू समिट अवार्ड, 2022



ग्रीनटेक इन्वार्यनमेंट अवार्ड, 2022



ईएनआर – कंस्ट्रक्शन वर्ड ग्लोबल अवार्ड 2022

वित्त वर्ष 2023 के दौरान सीएसआर गतिविधियां

स्वास्थ्य



जम्मू और कश्मीर में चिकित्सा शिविर का आयोजन



आरोग्य फाउंडेशन के साथ सीएसआर गतिविधि के तहत दवाओं का वितरण



मैसर्स पीसीबी ट्रस्ट द्वारा जैसलमेर में बच्चों के लिए नेत्र जांच शिविरों का आयोजन

समाजिक



जम्मू और कश्मीर के बारामुला जिले में कन्याओं के लिए रक्षा प्रशिक्षण का आयोजन

शिक्षा



एनसीआर में सीमांत बच्चों के स्कूलों में निःशुल्क परिवहन सुविधाएं



एकल विद्यालय द्वारा त्रिपुरा में ग्रामीणों को शिक्षा

"हमारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन ढांचा, हमारे व्यावसायिक कार्यों में एकीकृत है। हम लगातार उन समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, जिनमें हम स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कार्य करते हैं।"

वित्तीय वर्ष 2014 से
वित्तीय वर्ष 2023 तक कुल सीएसआर खर्च

+ ₹ 77 Cr

रूपए करोड़ में

स्वच्छ भारत
(सेनिटेशन सहित)
11.22

कला, संस्कृति एवं खेलकूद
1.68

स्वच्छ गंगा
5.05

ग्रामीण विकास
2.41

स्वास्थ्य और पोषण
12.34

पीएम केयर्स निधि
22.67

शिक्षा एवं कौशल विकास
12.28

अन्य
4.18

वन एवं पर्यावरण
4.20

प्रशासनिक एवं अन्य लागत
1.32

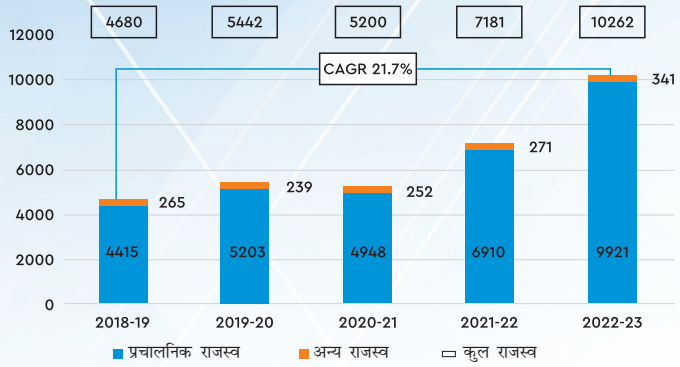
वित्तीय वर्ष 2023 में सीएसआर खर्च

+ ₹ 10.12 करोड़

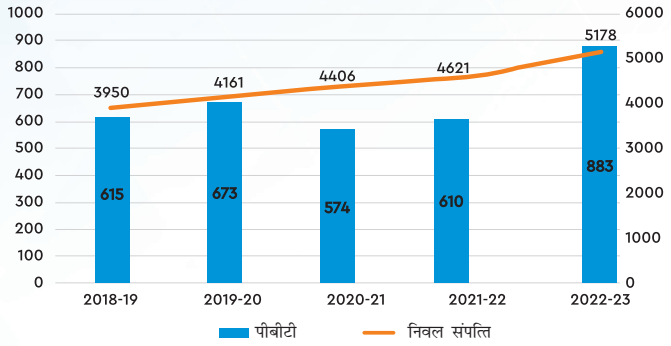
प्रमुख निष्पादन सूचकांक (स्टेंडअलोन)

₹ करोड़ में

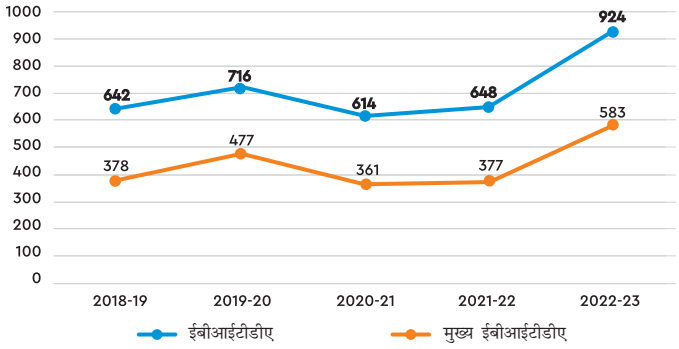
कुल राजस्व/प्रचालनिक राजस्व :



कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और निवल संपत्ति



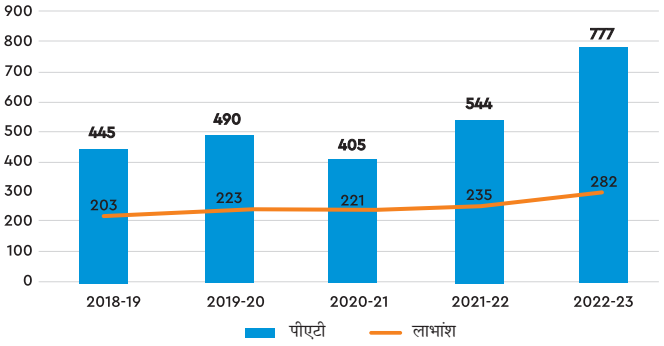
ईबीआईटीडीए/मुख्य ईबीआईटीडीए



ईबीआईटीडीए = कर पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यह्रास और परिशोधन

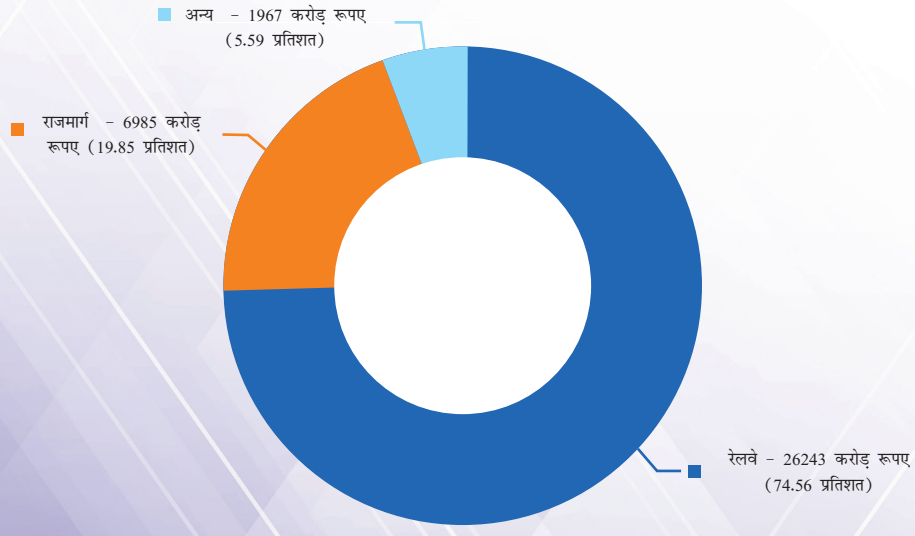
मुख्य ईबीआईटीडीए = कर पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यह्रास और परिशोधन – अन्य आय

कर पश्चात लाभ (पीएटी)/लाभांश



आर्डर बुक

35,195 करोड़ रूपए



वित्तीय हाइलाइट (स्टैंडएलोन)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	इंड एएस								आईजीएएपी	
		2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1	प्रचालनों से राजस्व	**9,921**	**6,910**	**4,948**	**5,202**	**4,415**	**3,896**	**2,995**	**2,419**	**2,864**	**4,057**
2	अन्य आय	340	271	253	240	264	227	260	442	258	250
3	कुल आय	10,262	7,181	5,200	5,442	4,679	4,123	3,254	2,861	3,122	4,307
4	वित्तीय लागत और मूल्यहास व परिशोधन पूर्व व्यय	9,338	6,534	4,587	4,726	4,037	3,512	2,718	2,187	2,258	2,985
5	वित्तीय लागत	3	10	15	27	16	65	61	43	9	38
6	मूल्यह्रास व परिशोधन	38	27	25	16	12	13	18	28	10	34
7	ब्याज, कर और मूल्यह्रास से पूर्व आमदनी (ईबीआईटीडीए)	924	647	614	716	642	611	611	673	863	1,321
8	ब्याज और कर से पूर्व आमदनी (ईबीआईटी)	886	620	589	700	631	598	593	645	853	1,287
9	कर पूर्व लाभ	**883**	**610**	**574**	**673**	**615**	**533**	**532**	**602**	**844**	**1,249**
10	कर पश्चात लाभ	**777**	**544**	**405**	**490**	**445**	**391**	**369**	**395**	**579**	**907**
11	वर्ष के लिए लाभाश	282	235	221	223	203	192	192	168	182	182
12	शेयर पूंजी	188.10	188.10	94.05	94.05	94.05	94.05	98.98	19.80	19.80	19.80
13	प्रयुक्त पूंजी	5,178	4,621	4,406	6,007	6,510	6,952	3,829	3,667	3,354	2,993
14	निवल संपत्ति	**5,178**	**4,621**	**4,406**	**4,161**	**3,950**	**3,752**	**3,829**	**3,667**	**3,354**	**2,993**
15	पीबीटी मार्जिन (%) (पीबीटी/कुल आय)	8.61	8.49	11.04	12.37	13.14	12.93	16.35	21.04	27.05	29.00
16	पीएटी मार्जिन (%) (पीएटी/कुल आय)	7.57	7.58	7.78	9.00	9.51	9.48	11.34	13.81	18.56	21.06
17	निवल संपत्ति पर प्रतिफल (%) (पीएटी/निवल संपत्ति)	15.00	11.77	9.18	11.77	11.27	10.42	9.64	10.77	17.28	30.30
18	प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल (%) (ईबीआईटी/प्रयुक्त पूंजी)	17.11	13.42	13.36	11.66	9.69	8.60	15.48	17.59	25.44	43.02
19	कर्मचारियों की संख्या (संख्या)	1,341	1,278	1,295	1,369	1,576	1,622	1,496	1,499	1,472	1,579
20	प्रति कर्मचारी आय ;कुल आय/कर्मचारी संख्याद्ध	7.65	5.62	4.02	3.98	2.97	2.54	2.18	1.91	2.12	2.73

* वर्ष 2021 के दौरान, कंपनी ने आईआरएफसी से ऋण और आरएलडीए से वसूलीयोग्य राशि का निपटान कर दिया है। तदनुसार, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्णित किया गया है।



प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। हाल के वर्षों में अवसंरचना का क्षेत्र, भारत सरकार के लिए एक प्रमुख ध्यान आकर्षित करने वाला क्षेत्र बन गया है। देश के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अवसंरचना के महत्व को पहचानते हुए, सरकार ने देश भर में अवसंरचना में सुधार और विस्तार के लिए कई पहल शुरू की हैं और विभिन्न परियोजनाएं आरंभ की हैं।

तेजी से शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के साथ, शहरों को यातायात व्यस्तता, अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और सीमित सम्पर्कता से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों के समाधान के लिए, सरकार ने सड़कों, राजमार्गों, रेलवे, हवाईअड्डों और शहरी परिवहन प्रणालियों सहित परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है।

सरकार का लक्ष्य लोगों और वस्तुओं की गतिशीलता को बढ़ाना, यात्रा के समय और लागत को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। कुशल परिवहन नेटवर्क, कृषि और विनिर्माण केंद्रों को बाजारों से जोड़ने, माल की सुचारू आवाजाही को सक्षम करने, सामग्री की बर्बादी को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारतमाला परियोजना, सागरमाला, स्मार्ट सिटीज मिशन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और कवच जैसी सरकार की पहल बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने में सहायक रही हैं।

समग्र रूप से देखा जाए तो, बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का जोर और भारत में निर्माण बाजार की अनुमानित वृद्धि विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रतिबद्धता को उजागर करती है जो देश की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगी।

वैश्विक आर्थिक सिंहावलोकन

कोविड–19 वैश्विक महामारी फैलने के तीन वर्ष बाद, राजकोषीय नीति सामान्य स्थिति में वापस आ रही है। वर्ष 2020 में एक साथ असाधारण सहायता प्रदान करने के बाद, उच्च मुद्रास्फीति और महामारी से संबंधित व्यय उपायों की समाप्ति के बीच वर्ष 2022 में लगभग तीन–चौथाई देशों में मौद्रिक और राजकोषीय नीति सख्त हो गई है। यह बदलाव अत्यधिक अस्थिर वातावरण में हुआ है। जैसे ही वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं राजकोषीय क्षेत्र में निरंतर तनावपूर्ण कोविड–19 संबंधी मंदी से तेजी से उबरी है, सरकारों करे जीवनयापन की लागत संबंधी संकट, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और वित्तीय क्षेत्र में अस्थिरता का सामना करना पड़ा है।

चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय स्थिति जटिल बनी हुई है, और यह महत्वपूर्ण है कि अनिश्चित आर्थिक माहौल और तेजी से बदलती वित्तीय स्थितियों का प्रतिउत्तर देते हुए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां मूल्य और वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए स्थिति को गहनता से संरेखित किया जाए। वर्ष 2023 में, समग्र राजकोषीय घाटा औसतन सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि सरकारों को पिछली मुद्रास्फीति को प्राप्त कराने के लिए वेतन और पेंशन पर खर्च सहित सार्वजनिक खर्च बढ़ाने के लिए उच्च ब्याज बिल और दबाव का सामना करना पड़ता है। यदि मुद्रास्फीति अपेक्षा से अधिक स्थिर सिद्ध होती है, तो इसके लिए लंबे समय तक सख्त नीतियों की आवश्यकता होगी। प्रणालीगत वित्तीय तनाव के परिदृश्य में, नैतिक जोखिम को कम करते हुए, समाधान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और इसकी लागत को कम करने के लिए राजकोषीय नीति में तेजी से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो सकती है।

मध्यम अवधि में, राजकोषीय घाटा, अगले कुछ वर्षों में महामारी–पूर्व स्तर से ऊपर रहने का अनुमान है। राजकोषीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण अनिश्चितता के अधीन है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था कई झटकों से उबर रही है। बहुत कुछ दीर्घकालिक (संभावित) आर्थिक विकास की गति और वैश्विक ब्याज दरों की भविष्य की दिशा पर निर्भर करेगा।

पिछले वर्ष कई उच्च स्तरीय रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद, पिछले छह महीनों में वस्तुओं की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। विश्व बैंक वस्तु मूल्य सूचकांक में जून 2022 में अपने ऐतिहासिक शिखर से 32 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कि कोविड–19 महामारी शुरू होने के बाद से सबसे तेज गिरावट है।

आधार धातु मूल्य सूचकांक, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले के स्तर से नीचे गिर गया। इस आक्रमण के बाद इसमें तेजी आई, लेकिन चीनी धातु की धीमी मांग (प्रमुख धातुओं की वैश्विक खपत का लगभग आधा हिस्सा) और मौद्रिक नीति में सख्ती के बीच व्यापक आधार पर इसमें गिरावट देखी गई है। हाल के बैंकिंग संकट, कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट का जोखिम प्रस्तुत करता है। आधार धातु मूल्य सूचकांक के वर्ष 2023 में 3.5 प्रतिशत बढ़ने और फिर वर्ष 2024 में 2.6 प्रतिशत घटने का अनुमान है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक (अप्रैल 2023) में अनुमान लगाया है कि वर्ष 2024 में 3.0 प्रतिशत तक की मामूली वृद्धि से पूर्व वैश्विक विकास दर 2.8 प्रतिशत के निचले स्तर पर जाएगी। वैश्विक मुद्रास्फीति में आरंभिक अनुमान की तुलना में अधिक कमी आएगी, जो वर्ष 2022 में 8.7 प्रतिशत से वर्ष 7.0 प्रतिशत और 2024 में 4.9 प्रतिशत हो जाएगी। मंदी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से यूरो क्षेत्र और यूनाइटेड किंगडम में केंद्रित है, जहां विकास (चौथी तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही भी) दर क्रमशः 0.7 प्रतिशत और (0.4%) तक गिरने की उम्मीद है और तत्पश्चात यह इस वर्ष 1.8 प्रतिशत और 2024 में 2.0 प्रतिशत तक बढेगी। पिछली दो तिमाहियों के लिए आउटपुट और मुद्रास्फीति अनुमान दोनों को ऊपर की ओर संशोधित किया गया है, जो अपेक्षा से अधिक मजबूत मांग पर आधारित है, जिसके आगे या अधिक समय तक कड़े उपायों के लिए लिए मौद्रिक नीति को सख्त करने की आवश्यकता हो सकती है।

वर्ष 2023 के आरंभ में संभावित संकेत कि विश्व अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति में कमी और स्थिर विकास के साथ नरम स्थिति प्राप्त की जहा सकती है, अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति और प्राप्त वित्तीय क्षेत्र की उथल–पुथल के बीच कम हो गई है। हालाँकि मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, क्योंकि केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और भोजन और ऊर्जा की कीमतें कम हो गई हैं, अंतर्निहित मूल्य दबाव अस्थिर साबित हो रहा है, जबकि कई अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बाजार में मंदी हैं।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण



यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और अधिक संक्रामक कोविड–19 वेरिएंट के फैलने के एक वर्ष से अधिक समय बाद, कई अर्थव्यवस्थाएं अभी भी अस्थिरता का सामना कर रही हैं। वैश्विक वित्तीय स्थितियों में आई अस्थिरता से भी सुधार में बाधा आ रही है। परिणामस्वरूप, बढ़ती बेरोजगारी के बीच, 2023 में कई अर्थव्यवस्थाओं में आय में धीमी वृद्धि का अनुभव होने की संभावना है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद, मूल्य स्थिरता में लंबा समय लग सकता है। मध्यम अवधि में, विकास की संभावनाएँ अब दशकों की तुलनात्मक दृष्टि से कम लगती हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था

उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति के बने रहने, कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में बैंकिंग प्रणाली में अव्यवस्था, अस्थिर वित्तीय स्थितियों और लंबी भू–राजनीतिक शत्रुता के बीच वैश्विक आर्थिक गतिविधि लचीली बनी हुई है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति (अप्रैल 2023) के अनुसार, वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में आर्थिक गतिविधि लचीली रही। जनवरी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आठ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन जनवरी में 8.9 प्रतिशत और फरवरी में 6.0 प्रतिशत की तेजी से बढ़ा, जो औद्योगिक गतिविधि की ताकत का संकेत है। सेवा क्षेत्र में, घरेलू हवाई यात्री यातायात, बंदरगाह माल यातायात, ई–वे बिल और टोल संग्रह में चौथी तिमाही में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई, जबकि रेलवे माल यातायात में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। क्रय प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) ने मार्च 2023 में विनिर्माण और सेवाओं दोनों में निरंतर विस्तार की ओर संकेत किया। मार्च 2023 में आयोजित आरबीआई के व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण 2023–24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का औसत पूर्वानुमान 6.0 प्रतिशत रहने की संभावना है।

दिनांक 31 मई, 2023 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम अनुमान के अनुसार, 2022–23 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 2021–22 में 9.1 प्रतिशत की तुलना में 7.2 प्रतिशत थी। 2022–23 की चौथी तिमाही में स्थिर (2011–12) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 43.62 लाख करोड़ रुपये है, जबकि 2021–22 की चौथी तिमाही में यह 41.12 लाख करोड़ रुपये था, जो 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2022–23 की चौथी तिमाही में मौजूदा कीमतों पर जीडीपी 71.82 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि 2021–22 की चौथी तिमाही में यह 65.05 लाख करोड़ रुपये है, जो 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2022 के अंत में 532.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 578.45 बिलियन यूएसडी हो गया। आंशिक संदर्भ में विदेशी मुद्रा भंडार (मूल्यांकन प्रभाव सहित) अप्रैल–दिसंबर 2022 के दौरान 44.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर कम हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 56.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई थी।

अग्रणी मार्ग

भारत में निर्माण उद्योग 2025 तक 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत, भारत में बुनियादी ढांचे पर 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश बजट है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर 24 प्रतिशत, सड़कों और राजमार्गों पर 18 प्रतिशत शहरी बुनियादी ढांचे पर 17 प्रतिशत और रेलवे पर 12 प्रतिशत शामिल है। 6.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल पूंजी लागत पर 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित किए जाएंगे, जो माल ढुलाई के 50 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा करेंगे।

बजट 2023–24 में बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी निवेश परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रूपए (122 बिलियन अमरीकी डॉलर) किया जा रहा है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशित होगा।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

भारत सरकार ने निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, विशेष रूप से सड़कों और राजमार्गों, हवाई अड्डों, औद्योगिक पार्कों और उच्च शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्रों में विभिन्न प्रारूप पेश किए हैं। ''हरित ऊर्जा परियोजना'' ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय रेलवे को पर्यावरण अनुकूल बनाने की एक पहल है। फरवरी 2023 में, पीएम गति शक्ति पहल के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद और अंकाई के बीच लाइनों के दोहरीकरण से संबंधित तीन रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक (अप्रैल 2023) में अनुमान लगाया है कि 2023 में भारतीय जीडीपी वृद्धि 5.9 प्रतिशत और 2024 में 6.3 प्रतिशित होगी, जो क्रमशः वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2.8 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत से अधिक है।

उद्योग अवलोकन

अवसंरचना क्षेत्र, अन्य उद्योगों और भारत के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए, सरकार खुले एफडीआई मानदंडों, बुनियादी ढांचे क्षेत्र के लिए बड़े बजट आवंटन, स्मार्ट सिटी मिशन आदि जैसी केंद्रित नीतियों के माध्यम से बुनियादी ढांचे और निर्माण सेवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रधान मंत्री महोदय ने परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करने के लिए गति



शक्ति मास्टर प्लान आरंभ किया है, जो भारत में बुनियादी ढांचे के विकास की गति बढ़ाएं। भारत 21वीं सदी के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का 13 प्रतिशत है, जबकि बाकी दुनिया में यह 8 प्रतिशत है, जिससे भारतीय निर्यात के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया है। सरकार लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के मौजूदा 13 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रही है।

वर्ष 2040 तक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 965.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के निवेश की आवश्यकता होगी। सड़कों या पुलों के निर्माण और शहर और क्षेत्रीय स्तर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

भारतीय रेलवे ने 2030 तक ''भविष्य के लिए तैयार'' रेलवे प्रणाली बनाने के लिए राष्ट्रीय रेलवे योजना (एनआरपी) तैयार की है। भारतीय रेलवे ने एनआरपी 2021–2051 के तहत 13.18 लाख करोड़ रूपए के रोलिंग स्टॉक को छोड़कर 25.02 लाख करोड़ रूपए के पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया है। एनआरपी का उद्देश्य माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने के लिए परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीति पहल दोनों के आधार पर नीति तैयार करना है। एनआरपी में नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान की गई है।

निर्यात को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2028 तक लॉजिस्टिक की लागत को राष्ट्रीय औसत से नीचे लाने के उद्देश्य से, सरकार ने रेलवे लाइनों के दोहरीकरण, उनके चौड़ीकरण, समर्पित जैसी कुछ मेगा परियोजनाओं के साथ बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड रूपए के निवेश की योजना बनाई है। मुंबई से दिल्ली और अमृतसर से कोलकाता तक माल ढुलाई गलियारे के अलावा 11 अन्य औद्योगिक गलियारे।

बजट 2023 में, 2023–24 के लिए रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रूपए का पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया है। यह अब तक का उच्चतम परिव्यय 2013–14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए अंतिम और प्रथम मील सम्पर्कता के लिए एक सौ महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है। बजट में, 2023–24 के लिए सड़कों और राजमार्गों के लिए आवंटन बढ़ाकर 2.7 लाख करोड़ रूपए कर दिया गया है। सरकार 2025 तक 2 लाख किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास की दिशा में काम कर रही है।

रेलवे क्षेत्र

बजट 2023 में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रूपए (29 बिलियन अमरीकी डॉलर) का पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है। भारतीय रेलवे रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक नए सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की भी खोज कर रहा है। इस मॉडल के तहत, निवेशकों को कुल परियोजना लागत का 40 प्रतिशत तक व्यवहार्यता–अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के रूप में प्राप्त होगा और उन्हें प्लेटफार्मों और ट्रैक के ऊपर की जगह का व्यावसायिक



उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। हाइब्रिड पीपीपी मॉडल के तहत, निजी निवेशक द्वारा आवश्यक वीजीएफ समर्थन की मात्रा के आधार पर बोलियां चुनी जाएंगी। निजी डेवलपर को वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए हवाई क्षेत्र विकसित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें कार्यालय स्थान के पट्टे, मनोरंजन और अन्य सुविधाओं का विकास, आतिथ्य सेवाएं, मॉल और यहां तक कि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं भी शामिल हैं।

सरकार ने 2047 तक 100 शहरों में 5,000 किमी मेट्रो रेल नेटवर्क की घोषणा की है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का उद्देश्य पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों पर बिक्री आउटलेट के प्रावधान के माध्यम से कौशल विकास के तहत बढ़ी हुई आजीविका के अवसर प्रदान करना है। स्टेशन पुनर्विकास परियोजना से यात्री अनुभव को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। समग्र ढांचागत विकास में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, एनआईपी ने 2024–25 तक भारतीय रेलवे में 11.43 लाख करोड़ रूपए के निवेश की परिकल्पना की है।

सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए स्वदेशी तकनीक कवच के तहत 2,000 किलोमीटर का नेटवर्क लाया जाएगा। स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद के लिए ''एक स्टेशन–एक उत्पाद'' अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा।

भारतीय रेलवे ने 1000 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र और लगभग 200 मेगावाट के पवन संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इसमें से लगभग 204.82 मेगावाट (101.42 मेगावाट सौर और 103.4 मेगावाट पवन ऊर्जा) नवीकरणीय ऊर्जा पहले ही स्थापित की जा चुकी है।

सड़क क्षेत्र

भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जो 6.3 मिलियन किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। देश में 64.5 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं का परिवहन सड़कों के माध्यम से किया जाता है, जबकि कुल यात्री यातायात का 90 प्रतिशत आवागमन के लिए सड़क नेटवर्क का उपयोग किया जाता है।

ऐतिहासिक रूप से, परिवहन क्षेत्र में सरकार द्वारा निवेश किया गया है। हालाँकि, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए व्यापक नीति दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। लागू कानूनों और विनियमन के अधीन, सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। सरकार ने 2020–25 के दौरान भारत के उत्तर–पूर्व क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे के लिए 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का अनुमान लगाया है।

भारत सरकार ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान आरंभ किया है, जो देश में रोजगार के अपार अवसर पैदा करने वाले बुनियादी ढांचे के समग्र और एकीकृत विकास में मदद करेगा। योजना का उद्देश्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है जो 16 मंत्रालयों को एकीकृत योजना और परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन पर सहयोग करने में सक्षम बनाएगा। यह योजना रेलवे, सड़क और राजमार्ग और अन्य समान विभागों को भी एक साथ लाएगी और इसका कार्यान्वयन, जियो–सैटेलाइट इमेजिंग और बिग डेटा, भूमि और लॉजिस्टिक्स की मदद से किया जाएगा। भारत के गति शक्ति कार्यक्रम ने 81 उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की एक सूची को समेकित किया है, जिनमें से सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सर्वोच्च प्राथमिकता थीं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक तेज अनुमोदन प्रक्रिया है जिसे गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है और अनुमोदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जा सकता है।

भारतमाला परियोजना चरण–I के तहत 5.35 ट्रिलियन रूपए (74.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के अनुमानित परिव्यय के साथ कुल 24,800 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। एनएचएआई, केवल उन परियोजनाओं पर विचार करेगा, जिनके लिए भारतमाला परियोजना योजना के तहत 3 ट्रिलियन रूपए (42.92 बिलियन अमरीकी डॉलर) की न्यूनतम भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। भारतमाला परियोजना के तहत कुल 65,000 किलोमीटर सड़कों



और राजमार्गों का निर्माण किया जाना है। 2023–24 में, एनएचएआई को 1.62 लाख करोड़ रूपए (20 बिलियन अमरीकी डॉलर) आवंटित किया गया है, जो सभी बजटीय सहायता है।

सरकार पड़ोसी देशों के साथ वाहनों की आवाजाही की व्यवस्था करने के अलावा, देश में सड़क परिवहन के विनियमन से संबंधित व्यापक नीतियों के निर्माण के लिए भी प्रतिबद्ध है। देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार करना सड़क परिवहन विभाग की सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में से एक है। माल और यात्रियों की अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए देश की मुख्य सड़कें का निर्माण किया गया है, जो देश की लंबाई और चौड़ाई को पार करते हुए राष्ट्रीय और राज्य की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों और रेल जंक्शनों को जोड़ते हैं और सीमा सड़कों और विदेशी राजमार्गों से जुड़ते हैं।

बजट 2023–24 में, भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.7 लाख करोड़ रूपए (33 बिलियन अमरीकी डॉलर) आवंटित किया है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2019–25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत 111 लाख करोड़ रूपए(13.14 बिलियन अमरीकी डॉलर) आवंटित किया है। वित्त वर्ष 2019–25 में सड़क क्षेत्र में 18 प्रतिशत पूंजीगत व्यय होने की उम्मीद है। दिसंबर 2022 में, एनएचएआई ने लगातार बढ़ते बजटीय समर्थन को पूरा करने के लिए विदेशी और भारतीय संस्थागत निवेशकों से 10,200 करोड़ रूपए (1.23 बिलियन डॉलर) जुटाए है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक 23 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का भी है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र

विशाल जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण भारत की आवश्यक ऊर्जा आवश्यकताओं की तुलना में भारत के पास पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कम हैं। हालाँकि, भारत सौर ऊर्जा की विशाल क्षमता का दोहन कर सकता है क्योंकि इसे वर्ष के अधिकांश समय धूप मिलती है। इसमें पनबिजली क्षेत्र में भी व्यापक संभावनाएं हैं, जिसकी खोज विभिन्न राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर में की जा रही है।

फरवरी 2023 तक, बड़े जलविद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संयुक्त स्थापित क्षमता 174.53 गीगावॉट है। जी–20 देशों में, भारत एकमात्र देश है जो पेरिस समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है। आईसीआरए को वित्त वर्ष 2012 में 12.5 गीगावॉट और



वित्त वर्ष 2013 में 16 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि की उम्मीद है। भारत ने दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन गहनता को 45 प्रतिशत से कम करने, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत स्थापित करने और 2070 तक शुद्ध–शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। गैर–हाइड्रो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि वित्त वर्ष 2013 के पहले तीन महीनों के लिए 4.2 गीगावॉट रही, जबकि वित्त वर्ष 2012 के पहले तीन महीनों के लिए यह 2.6 गीगावॉट थी।

2025–2030 में भारत में सौर और पवन परियोजनाओं से बिजली उत्पादन थर्मल बिजली उत्पादन के सापेक्ष लागत–प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश वित्त वर्ष 2012 में रिकॉर्ड 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2011 की तुलना में 125 प्रतिशत की वृद्धि है।

दिनांक 9 नवंबर, 2022 को वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, सुश्री निर्मला सीतारमण ने भारत के अंतिम सॉवरेन ग्रीन बांड ढांचे को मंजूरी दी। इस मंजूरी से पेरिस समझौते के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य और मजबूत होंगे, जिससे हरित परियोजनाओं के लिए विदेशी और घरेलू पूंजी को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी।

देश की 2030 तक 450 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने की योजना है, जिसमें 280 गीगावॉट (60 प्रतिशत से अधिक) सौर ऊर्जा से होने की उम्मीद है। 450 गीगावॉट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक 221 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के अवसर प्रदान करेगा।

बजट 2023–24 में, हरित विकास की पहचान ''सप्तऋषि'' (सात प्राथमिकताओं) में एक पहल के रूप में की गई है। बजट 2022–23 में सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करने के साथ–साथ ग्रिड–स्केल बैटरी सिस्टम सहित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई। सरकार ने उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना के लिए 19,500 करोड़ रूपए (2.57 बिलियन अमरीकी डॉलर) आवंटित किए। केंद्रीय बजट 2022–23 में, भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई), जो वर्तमान में संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है, के लिए आवंटन 1,000 करोड़ रूपए (132 मिलियन अमरीकी डॉलर) था।

भारत की उदार विदेशी निवेश नीति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देती है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2040 तक भारत की बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 49 प्रतिशत होगा।

कंपनी का विहंगावलोकन

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन/कंपनी) एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है जिसकी विशेषज्ञता प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में है और इन क्षेत्रों में रेलवे, राजमार्ग, पुल, फ्लाइओवर, सुरंग, विमान अनुरक्षण हैंगर, रनवे, ईएचवी उपस्टेशन, विद्युत एवं यांत्रिक कार्य, वाणिज्यिक और अवसंरचनात्मक गतिविधियां शामिल हैं। इरकॉन विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए नियत टर्नकी आधार पर तथा

मद दर आधार पर ईपीसी सेवाएं प्रदान करता है। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से कोयला निकासी को बढ़ावा देने के लिए इरकॉन कोयला मंत्रालय के तहत अन्य सीपीएसई के साथ संयुक्त उद्यम में कोयला कनेक्टिविटी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इसके अलावा, इरकॉन कंपनी की दीर्घकालीन परिसंपत्ति बनाने के लिए वित्तीय क्षमता का लाभ उठाकर निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) मोड और हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर परियोजनाओं को निष्पादित करता है।

आपकी कंपनी की टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्रक निर्माण कम्पनियों में परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में एक निरंतर लंबी प्रतिष्ठा विद्यमान है। इरकॉन अपने कार्यनिष्पादन की दृष्टि से अपनी गुणवत्ता, प्रतिबद्धता और निरंतरता के लिए जानी जाती है।

पिछले 47 वर्षों में, इरकॉन ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक स्थानों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करते हुए सक्रिय रूप से विविधीकरण की नीति अपनाई है। हालांकि इरकॉन ने हाल ही में सौर ऊर्जा विकास के क्षेत्र में कदम रखा है, लेकिन इसका प्राथमिक फोकस और मुख्य ताकत हमेशा रेलवे क्षेत्र में सुदृढता में रही है।

कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिरता और सफलता को उजागर करते हुए सरकार को लगातार लाभांश का भुगतान किया है और सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ निर्माण कंपनियों में से एक है जिसने देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

पिछले कुछ वर्षों में, इरकॉन ने अल्जीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, लाइबेरिया, मलेशिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तुर्की, यूके और जाम्बिया जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। अब तक, कंपनी ने दुनिया भर के 25 देशों में 128 से अधिक परियोजनाएं और भारत में 400 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं। कंपनी को घरेलू बाजार में दुर्गम इलाकों और अशांत क्षेत्रों में काम करने में विशेषज्ञता प्राप्त है। इसके अलावा, यह प्रतिष्ठित राष्ट्र–निर्माण परियोजनाओं में सक्रिय भागीदार है।

जबकि इरकॉन की भारत के कई राज्यों में उपस्थिति है, यह अपने व्यवसाय विकास मॉडल के हिस्से के रूप में देश भर में अपने घरेलू परिचालन का और विस्तार करने का इरादा रखता है।

वैधानिक स्थिति तथा स्वायत्ता

इरकॉन, सरकार से एक पृथक वैधानिक निकाय है, जिसे वैधिक, कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है और एक स्वतंत्र वाणिज्यिक उद्यम के रूप में निगमित कानूनों के अंतर्गत प्रचालन कर रही है, सरकार से किसी प्रकार की बजटीय या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती है और न ही यह सरकार पर आश्रित एजेंसी है। बहरहाल, रेल मंत्रालय तथाभारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारतसरकार सभीसरकारी कंपनियों के संबंध में संसद के प्रतिजवाबदेही के भागके रूप में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रणाली के माध्यम से इसकी मानीटरिंग करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के रूप में कंपनी की कार्यप्रणाली को विनियमित करने तथा कुछ समरूपता लाने के लिए सरकार समय–समय पर दिशानिर्देश जारी कर सकती है।

आपकी कंपनी के प्रमोटर अर्थात भारत के राष्ट्रपति के पास दिनांक 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 73.18 प्रतिशत भाग है। भारत सरकार ने सितंबर 2018 में इनीशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के माध्यम से 10.53 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का विनिवेश किया है। इसके अलावा, मार्च 2021 में भारत सरकार द्वारा 16 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के विनिवेश के लिए ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के बाद, कंपनी प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए में निर्दिष्ट आवश्यकताए के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (एमपीएस) का अनुपालन कर रही थी।

यूएसए के इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड (ईएनआर) के 2022 संस्करण के अनुसार, इरकॉन शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय संविदाकारों और 250 ग्लोबल निर्माण संविदाकारों की सूची में स्थान प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय सार्वजनिक उपक्रम है। इसके अलावा, मार्च 2023 में जारी बिजनेस स्टैंडर्ड बीएस 1000 वार्षिक पत्रिका में, इरकॉन को कुल राजस्व में 2022 में 164वां स्थान प्राप्त हुआ है, और 'निर्माण और अवसंरचना' क्षेत्र के तहत इस क्षेत्र में कार्यनिष्पादन के मामले में 7वें स्थान प्राप्त हुआ है। इरकॉन को फार्चुन इंडिया 500 की सूची में वर्ष 2022 में 226वां स्थान प्राप्त हुआ है।

व्यावसायिक इकाइयाँ / प्रभाग

इरकॉन की प्रमुख व्यावसायिक इकाइयाँ/प्रभाग इस प्रकार हैं:

1. सिविल इंजीनियरिंग विभाग

इरकॉन ने स्वयं को देश में एक प्रमुख निर्माण संगठन के रूप में स्थापित किया है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग विभाग कंपनी की रीढ़ के रूप में कार्य करता है और इसके राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पन्न करता है। यह विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बड़े पैमाने पर समग्र परियोजनाओं के सफल निष्पादन में नेतृत्व प्रदान करता है। इरकॉन को सौंपी गई कई परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए इस विभाग का इनपुट और नेतृत्व आवश्यक है।



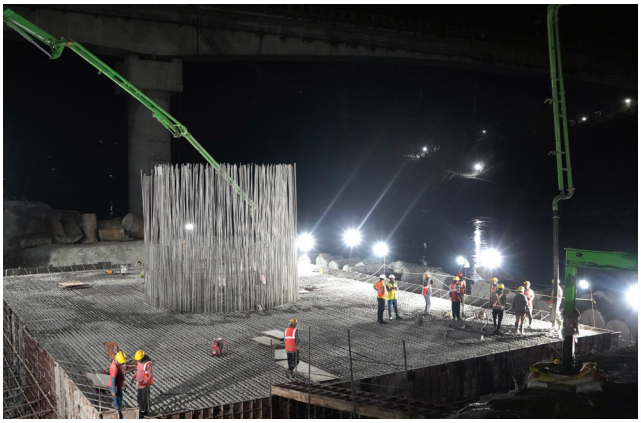
प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

इस विभाग का नेतृत्व एक अत्यधिक अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधन दल द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रसिद्ध इंजीनियरिंग और बिजनेस स्कूलों के पेशेवर शामिल हैं। उन्हें प्रेरित और कुशल सिविल इंजीनियरों के एक बड़े समूह का सहयोग प्राप्त होता है, जिन्होंने आईआईटी और



एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से स्नातक किया है। 31 मार्च, 2023 तक, विभाग में लगभग 690 सिविल इंजीनियर हैं, कुल स्टाफ संख्या का 50 प्रतिशत है।

इरकॉन समय पर और लागत प्रभावी सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए परियोजना निष्पादन में नवीनतम तकनीक को शामिल करने के लिए



प्रतिबद्ध है। अपने उच्च योग्य और अनुभवी कार्यबल के साथ, कंपनी ने निर्माण उद्योग में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसका रेलवे, राजमार्ग, पुल, फ्लाईओवर, हवाई अड्डे, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवन, सुरंग, जल उपचार संयंत्र, आवासीय क्वार्टर और अन्य सहित विभिन्न निर्माण क्षेत्रों में विकास और विस्तार का एक प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड है। इरकॉन के सिविल इंजीनियर प्रिमावेरा, टीआईएलओएस और एमएस प्रोजेक्ट जैसे उन्नत परियोजना प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करके भारत और विदेश दोनों में दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने में सिद्ध हैं। उन्हें नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों में भी प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें जीपीएस सर्वेक्षण, ड्रोन के साथ हवाई लिडार सर्वेक्षण और कुल स्टेशन सर्वेक्षण शामिल हैं।

विभाग ने इराक में हाई–स्पीड रेलवे लाइन, बांग्लादेश में जमुना ब्रिज रेल लिंक–।।, मलेशिया में सेरेम्बन और गेमास के बीच डबल ट्रैक परियोजना, रेलवे के उन्नयन जैसी परियोजनाओं को पूरा करने में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए कई बड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में लाइनें, जम्मू–कश्मीर में काजीगुंड–बारामूला नई बीजी रेलवे लाइन का पूरा होना और जम्मू–कश्मीर में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग, 11.2 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल सुरंग का पूरा होना। इरकॉन जम्मू–कश्मीर राज्य के घाटी क्षेत्र में रेल नेटवर्क को जोड़ने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है।

विभाग ने एनएटीएम जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके हिमालय में सुरंग बनाने में विशेषज्ञता विकसित की है। 200 से अधिक प्रशिक्षित सुरंग इंजीनियरों और हिमालय के चुनौतीपूर्ण भूविज्ञान में 100 किमी से अधिक सुरंग खनन को सफलतापूर्वक पूरा करने में यह बहुत गर्व का विषय है। एक और महत्वपूर्ण सुरंग, यूएसबीआरएल परियोजना पर 12.75 किमी लंबी सुरंग पूरी होने वाली है, जो देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग होगी।

अनुभवी सिविल इंजीनियरों के अपने व्यापक समूह और निचले हिमालय के चुनौतीपूर्ण भूविज्ञान (जैसे कि जम्मू–कश्मीर राज्य में यूएसबीआरएल और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सिवोक रंगपो) के माध्यम से सुरंग बनाने में अपनी उपलब्धियों के साथ, इरकॉन भारत में सुरंग बनाने के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है।

2. डिजाइन और विकास विभाग

इरकॉन का डिजाइन और विकास प्रकोष्ठ (डीडीसी) प्रासंगिक सीओडीएएल प्रावधानों, मूल्य इंजीनियरिंग, विभिन्न बड़ी स्तर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं और अन्य सिविल इंजीनियरिंग की बोली के लिए मात्राओं के आकलन के अनुसार सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत आंतरिक सिविल डिजाइन और समीक्षा डिजाइन विकसित करने के लिए समर्पित है, जो इरकॉन की अधिकांश परियोजनाओं का समाधान है। कुशल सीएडी इंजीनियरों के सहयोग हेतु, बेंटले ओपन रेल/ओपन रोड्स (संरेखण डिजाइन के लिए), एसटीएएडी प्रो और एमआईडीएएसे (स्ट्रक्चरल डिजाइन और ब्रिज डिजाइन के लिए), आईआईटीपीएवीई और केजीपीबीएसीके (फुटपाथ और ओवरले डिजाइन), एसएलआईडीई (मिट्टी के ढलान स्थिरता विश्लेषण के लिए) जैसे परिष्कृत डिजाइन सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं।



प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण



इन–हाउस डिजाइन टीम को एलाइनमेंट डिजाइन, ब्रिज डिजाइन, आरसीसी/स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन, बिल्डिंग डिजाइन, हाईवे पेवमेंट डिजाइन, जियो टेक्निकल समाधान और हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन आदि में व्यापक अनुभव प्राप्त है। इन–हाउस डिजाइन टीम के पास, भारत के शीर्ष रैंकिंग इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे आईआईटी, एनआईटी और अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों से स्नातक डिग्री प्राप्त अनुभवी सिविल इंजीनियर से युक्त विशेष समूह है। आवश्यकता पड़ने पर टीम को सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और सिग्नलिंग जैसे अन्य विभागों का भी व्यापक सहयोग प्राप्त होता है।

डीडीसी के माध्यम से, इरकॉन निम्नलिखित कोड/मानक समितियों में सदस्य है और इनके साथ ज्ञान साझा करता है और कोड विकसित/संशोधित करने में अपना योगदान देता है:

- आईएस कोडल समिति सीईडी54 : कंक्रीट सुदृढीकरण अनुभागीय समिति: प्री–स्ट्रेसिंग स्टील सहित कंक्रीट के लिए सुदृढीकरण के क्षेत्र में मानकीकरण।
- ब्रिज गर्डर्स का मानकीकरण: इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित लंबी अवधि के स्टील आधारित सड़क पुलों का अभिकलपन।

इरकॉन डिजाइन टीम, विभिन्न घरेलू परियोजनाओं के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के डिजाइन को अंतिम रूप देने में बड़े पैमाने पर शामिल रही है। मोकामा वायाडक्ट परियोजना, महानदी कोयला रेल लिंक्ड परियोजना, शालीमार और संतरागाछी परियोजना में आरओबी, शिवपीर–कठौतिया रेल लाइन परियोजना, अगरतला–अखौरा (भारत भाग) रेलवे वायाडक्ट परियोजना, छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल परियोजना गेवरा–पेंड्रा खंड, सिवोक रंगपो रेलवे लाइन परियोजना, श्रीलंका में महो–ओमनथाई रेलवे लाइन परियोजना, गुड़गांव–रेवाड़ी राजमार्ग परियोजना, डीएफसीसीआईएल सीटीपी–12, सीईआरएल धरमजयगढ़–खरसिया खंड जिसमें स्पर लाइन और फीडर लाइन शामिल है। पहले की गई कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएँ जिनमें डीडी सेल डिजाइन समाधान प्रदान करने में शामिल रहा है – दीघा घाट पर बिहार में गंगा नदी पर 2–स्तरीय सड़क सह रेलवे पुल, बीकानेर–फलौदी सड़क परियोजना, आरएपीडीआरपी, जम्मू के भवन निर्माण, श्रीलंका का उत्तरी प्रांत में रेलवे लिंक, जयनगर बर्दीबास रेलवे परियोजना (भारत और नेपाल) के रेलवे पुल, मलेशिया में सेरेम्बन–जेमास विद्युतीकृत डबल ट्रैक रेलवे परियोजना (एसजीईडीटी), मोजाम्बिक में बीरा रेल परियोजना जिसमें जम्बेजी नदी पर डोना एना ब्रिज शामिल है।

टीम ने विभिन्न प्रमुख रेल/सड़क परियोजनाओं के लिए बोली लगाते समय मात्रा अनुमान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में एनएच की 4–लेनिंग, मालदीव हार्बर परियोजना, 4.5 किमी लंबी सुधमहादेव–द्रंगा सुरंग और चेनानी सुधमहादेव–गोहा सडक भाग पर इसकी पहुंच सड़कें, सिंथन पास के समीप 10.00 किलोमीटर की लंबाई वाली वेलू सुरंग और गोहा–खेलानी–खानाबल सड़क भाग पर इसकी पहुंच सड़कें, एचआरआईडीसी सी–4, सी23 परियोजना, हाई–स्पीड रेल परियोजना सी–4, सी–5, सी–6 और सी–7 पैकेज, गुड़गांव–रेवाड़ी राजमार्ग परियोजना, डीएफसीसीआईएल सीटीपी 1, 2, 3, 3ए, 11, 12 पैकेज, वडोदरा–किम एक्सप्रेसवे पैकेज–II, कर्नाटक में देवांगेरे–हावेरी, शिवपुरी–गुना राजमार्ग परियोजना, संयुक्त अरब अमीरात में एतिहाद रेल, बांग्लादेश, मालदीव, ईरान, इथियोपिया, ओमान आदि में विभिन्न परियोजनाएं।

3. विद्युत विभाग

रेलवे क्षेत्र में अग्रणी टर्नकी परियोजना निष्पादनकर्ता कंपनी के रूप में, कंपनी का रेलवे विद्युतीकरण विंग, एंड–टू–एंड समाधान में परियोजना को सहयोग प्रदान करता है। विद्युत विभाग 25 केवी रेलवे विद्युतीकरण कार्यों, 400 केवी तक वोल्टेज वर्गों के एचटी ग्रिड और ट्रैक्शन सब–स्टेशन, ईएचटी ट्रांसमिशन लाइन, ईएचवी केबलिंग कार्य, मेगा औद्योगिक संयंत्रों और लोको शेडों के औद्योगिक विद्युतीकरण, बिजली आपूर्ति वितरण नेटवर्क में विशेषज्ञता प्रदान करता है। शहर, मेट्रो रेलवे (एसी और डीसी सिस्टम) और हवाई अड्डे, सुरंग की बिजली आपूर्ति और वेंटिलेशन प्रणाली, मेट्रो रेलवे में बिजली आपूर्ति उप–स्टेशनों सहित विद्युतीकरण और नवीकरणीय सौर ऊर्जा कार्य निष्पादित करता है।

इरकॉन ने 1980 में दिल्ली–रिंग–रेलवे की अपनी पहली प्रमुख रेलवे विद्युतीकरण परियोजना शुरू की और 1982 में आयोजित एशियाई खेलों में यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सेवाएं प्रदान कीं। इसके बाद, 4 दशकों की अपनी यात्रा में, कंपनी ने 8000 टीकेएम से अधिक कार्य निष्पादित किए हैं। भारत और विदेशों में रेलवे विद्युतीकरण का काम किया और स्वयं को बाजार में अग्रणी के रूप में स्थापित किया।

इरकॉन ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय में भी प्रवेश किया है और नई तकनीक मोनोक्रिस्टलाइन पैसिवेटेड एमिटर और रियर सेल (पीईआरसी) ट्रैकर के साथ बाय–फेशियल सोलर फोटो वोल्टाइक (एसपीवी) मॉड्यूल और रेलवे को प्रति वर्ष लगभग 1076 मिलियन यूनिट की आपूर्ति करेगा, जो इसके माध्यम से ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण–।। (सरकारी उत्पादक योजना) के तहत 500 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना'' को क्रियान्वित कर रहा है।

इरकॉन ने भारत और विदेश में 400 केवी तक सब–स्टेशन के कई

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण



एच.टी.कार्य निष्पादित किए हैं। डीएमआरसी के तीनों चरणों में अधिकांश सब–स्टेशन कार्य इरकॉन द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। इरकॉन ने 220 केवी तक गैस इंसुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) और ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं को निष्पादित करने की क्षमता भी प्राप्त कर ली है।

लंबी रेल सुरंग में सुरंग वेंटिलेशन और इसकी बिजली आपूर्ति अत्यधिक तकनीकी और चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसे पीर–पंजाल रेल सुरंग, जम्मू–कश्मीर (11.2 किमी टी80 – एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग) में इरकॉन द्वारा वेंटिलेशन और सुरक्षा (इलेक्ट्रो मैकेनिकल) कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया था, जिसमें सुरंग के लिए इरकॉन द्वारा सफल कमीशनिंग की गई थी। इसके अलावा, चल रहे कार्यों में कश्मीर घाटी को भारत से जोड़ने वाली रेलवे सुरंगों टी77/74आर, टी49/50, टी48, टी14, टी15 में लगभग 54 किमी के इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य शामिल हैं। पूर्ण टर्नकी ईएंडएम कार्य में इलेक्ट्रिकल कार्य (पूर्ण एचटी और एलटी कार्य), टनल वेंटिलेशन सिस्टम (टीवीएस), फायर फाइटिंग सिस्टम, ऑपरेशनल मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम (एससीएडीए) के लिए डिजाइन, योजना, परियोजना प्रबंधन, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव सुविधा शामिल है। इसके अलावा, सिक्किम को भारत से जोड़ने वाली रेलवे सुरंगों टी1 से टी14 में लगभग 38.6 किमी का इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य भी योजना चरण में है।

इरकॉन के पास उच्च ऊंचाई (एमएसएल से 1650 मीटर ऊपर) पर भी रेलवे विद्युतीकरण कार्य निष्पादित करने का अनुभव है, जिसे भारतीय रेलवे में पहली बार बारामूला से बनिहाल के बीच जम्मू–कश्मीर में यूएसबीआरएल परियोजना के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें सुरंग टी80 हेतु लचीली ओवरहेड कैटेनरी प्रणाली भी शामिल है। इसके अलावा, इरकॉन जम्मू–कश्मीर में लगभग 38 किमी रिजिड ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम (आरओसीएस) कार्य भी निष्पादित कर रहा है, जिसे भारतीय रेलवे में पहली बार लागू किया जा रहा है।

इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में कंपनी के अनुभव और विशेषज्ञता के साथ, इसने भारत के पहले सेमी–हाई स्पीड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के एक नए क्षेत्र में भी प्रवेश किया है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के लिए दिल्ली–मेरठ खंड में विद्युत कार्य निष्पादित कर रहा है। एनसीआरटीसी के दिल्ली–मेरठ खंड के लिए 220 केवी की 10 किलोमीटर बिजली पारेषण लाइन, 33 केवी की 34 किलोमीटर और 25 केवी की 1.2 किलोमीटर केबल बिछाने का काम किया गया है, साथ ही गाजियाबाद और मुरादनगर में 220/33/25 केवी के 02 रिसीविंग सब–स्टेशन (आरएसएस) को ऊर्जीकृत किया गया है। गाजियाबाद, गुलधर, साहिबाबाद, दुहाई स्टेशन और दुहाई डिपो में 33/0.415 केवी के 05 सहायक उप–स्टेशन (एएसएस) स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ 17 किलोमीटर के ओवरहेड उपकरण (ओएचई) को भी दुहाई डिपो सहित साहिबाबाद–दुहाई से चालू किया गया है।

रेल मंत्रालय (भारत सरकार) के प्रतिष्ठित ''मिशन रेलवे विद्युतीकरण'' के लिए, इरकॉन विभिन्न रेलवे विद्युतीकरण कार्यों में 2900 से अधिक आरकेएम और 32 सब–स्टेशन कार्य निष्पादित कर रहा है, जिसमें 900 से अधिक आरकेएम और 06 नंबर ट्रैक्शन सब– स्टेशन (टीएसएस) चालू कर दिए गए हैं।

4. मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग

मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग कुशल, अनुभवी और साथ ही युवा, गतिशील और ऊर्जावान मैकेनिकल इंजीनियरों की एक टीम है। इस टीम के पास इष्टतम उपयोग द्वारा कुशल और किफायती तरीकों से उत्पादन/ आउट–टर्न बढ़ाने के उद्देश्य से मौजूदा इकाइयों को पुनः इंजीनियरिंग करने के अलावा नई रोलिंग स्टॉक उत्पादन इकाई, कार्यशाला या डीजल शेड को डिजाइन, स्थापित और चालू करने, घरेलू और विदेशी बाजार से अंतिम उपयोग वाले ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्य निष्पादित करने की व्यापक क्षमता है। यह टीम, रोलिंग परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव को संभालने में भी सक्षम है।

हमारी टीम दुनिया भर में भौतिक संसाधनों को जुटाने के साथ–साथ एमएस परियोजनाओं, सिक्स सिग्मा, प्रिमावेरा आदि जैसे नवीनतम परियोजना प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करके ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार सीमित लक्ष्य के साथ भी परियोजनाओं को समय पर वितरित करती है।



प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

हाल ही में, इरकॉन को एनएचएसआरसीएल से एक प्रतिष्ठित हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट यानी एमएएचएसआर –टी2 परियोजना मिला है। यह हाई स्पीड रेल परियोजना, सरकार भारत की द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसे शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के जापानी सलाहकार के विशेषज्ञ मार्गदर्शन मं निष्पादित किया जा रहा है। जापानी सलाहकार द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार ट्रैक और ट्रैक से संबंधित कार्यों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सभी ट्रैक मशीनरी या तो जापानी मशीनरी हैं या ट्रैक से संबंधित कार्यों के लिए जापानी इंजीनियरों/निर्माताओं द्वारा विकसित मशीनें हैं। इरकॉन, मैकेनिकल टीम ने ट्रैक मशीनों के तकनीकी डिजाइन और विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकता पर भारतीय निर्माताओं का मार्गदर्शन करके मेक–इन–इंडिया कार्यक्रम के तहत इन महत्वपूर्ण मशीनरी को इन–हाउस विकसित किया है। इस प्रयास में, इरकॉन ने न केवल जापानी डिजाइन के अनुरूप भारतीय निर्माताओं को विकसित किया है, बल्कि जापान से इन मशीनों को खरीदने के बजाय भारत में निर्मित इन ट्रैक मशीनरी को प्राप्त करके इरकॉन की एक महत्वपूर्ण लागत भी बचाई है। इनमें से कुछ ट्रैक मशीनरी रेल फीडर कम ड्रॉअर कार, ट्रैक मोटर कार, ट्रॉली/वैगन और फ्लैश बट वेल्डिंग मशीनें हैं। इन मशीनों को विशेष रूप से जापानी तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही विकसित किया गया है।

इस विभाग ने न केवल रिकॉर्ड समय में और लक्ष्यों को पीछे छोडते हुए, राय–बरेली में आधुनिक और अत्याधुनिक स्टेनलेस स्टील कोच उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डीजल शेडों को भी उन्नत किया है ताकि यह एक साथ डीजल का घर बना सके।

राय–बरेली में कोच उत्पादन सुविधा एक इंजीनियरिंग चमत्कार है और यह एक एकीकृत इकाई है जिसमें रोल्ड स्टील शीट जैसे बुनियादी कच्चे माल से तैयार कोच बनाने की सभी सुविधाएं हैं। इस सुविधा में कोच/शेल फैब्रिकेशन लाइन, रोबोटाइज्ड वेल्डिंग से सुसज्जित बोगी फैब्रिकेशन शॉप, फर्निशिंग, फिनिशिंग शॉप, व्हील शॉप, अत्याधुनिक पेंट शॉप के साथ–साथ सभी सहायक प्रणालियाँ जैसे सामग्री ऑटो स्टोरेज और पुनर्प्राप्ति प्रणाली आदि शामिल हैं। इस क्षेत्र में 3 मेगावाट के सबसे बड़े सौर पार्क सहित पावर सबस्टेशन, कार्यरत कर्मियों के साथ–साथ शीर्ष प्रबंधन के लिए आवासीय कॉलोनी, 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, क्रिकेट स्टेडियम, एथलेटिक ट्रैक, एफआईएच प्रमाणित हॉकी स्टेडियम और 18 होल गोल्फ कोर्स के अलावा अन्य सुविधाएं शामिल हैं। यह इस इकाई को आत्मनिर्भर इकाई बनाता है।

लोकोमोटिव, माल वैगनों और यात्री कारों के निर्यात के साथ–साथ लोकोमोटिव, ट्रैक मशीनों को पट्टे पर देना और उनका रखरखाव करना विभाग की अन्य प्रमुख क्षमताएं हैं। इस प्रकार हमारे मैकेनिकल विभाग के पास रोलिंग स्टॉक परिसंपत्ति प्रबंधन के सभी डोमेन क्षेत्रों में विशेषज्ञता है, अर्थात सुविधाओं के निर्माण से लेकर परिसंपत्तियों के रखरखाव के साथ–साथ मौजूदा सुविधाओं की बिजनेस प्रोसेस री–इंजीनियरिंग तक सब शामिल हैं। यह अनुभव न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी विभिन्न सरकारी और/या बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसियों और अन्य संगठनों के लिए बड़ी परियोजनाओं को लागू करके प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, विभाग द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में शामिल हैं – बोंडामुंडा (एसईआर) के एक्सचेंज यार्ड में डिटैचमेंट फ्री रेक परीक्षा सुविधाएं, रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला में व्हील शॉप की स्थापना, डीजल लोको शेड, विशाखापत्तनम का विस्तार, रॉयल रेलवे, कंबोडिया को 10 (दस) इकाइयों वाईडीएम4 (मीटर गेज) लोकोमोटिव की आपूर्ति, श्रीलंकाई रेलवे, श्रीलंका को को–को बोगियों के साथ 6 (छह) इकाइयों, 2300 एचपी एसी/डीसी (ब्रॉड गेज) लोकोमोटिव की आपूर्ति, केटीएमबी, मलेशिया को डीजल लोको की लीजिंग और रखरखाव, जहां दो दशक से अधिक की अवधि के लिए रोलिंग परिसंपत्तियों की 85 प्रतिशत से अधिक उपलब्धता प्राप्त की गई है, यह रोलिंग परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए इरकॉन की असाधारण क्षमता को दर्शाता है।

5. सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग

वर्ष 1976 में अपनी स्थापना के बाद से, इरकॉन भारत और विदेशों में रेलवे के लिए टर्नकी सिग्नल और टेलीकॉम (एस एंड टी) समाधान प्रदान कर रहा है, इरकॉन को विभिन्न देशों में उनके स्थानीय कोड, मैनुअल और मानकों के अनुसार सिग्नलिंग और टेलीकॉम (एस एंड टी) परियोजनाओं को निष्पादित करने का अद्वितीय गौरव प्राप्त है। इन–हाउस डिजाइन, निर्माण और परियोजना प्रबंधन क्षमताओं के साथ, सभी परियोजनाएं सहमत समयसीमा पर संतोषजनक ढंग से पूरी की गई हैं।

इरकॉन रिले इंटरलॉकिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई), ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी), सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल (सीटीसी) सिस्टम, इंटीग्रेटेड टनल कम्युनिकेशन सिस्टम (आईटीसी) तक कई अत्याधुनिक एस एंड टी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। वर्ष 2022–23 में, इरकॉन ने दोहरीकरण, नई लाइन, आरई संशोधन, प्रतिस्थापन कार्यों के भाग के रूप में भारतीय रेलवे के 60 स्टेशनों पर सिग्नलिंग कार्य शुरू किया है। इरकॉन दूरसंचार कार्यों के निष्पादन में प्रौद्योगिकी के मामले में सबसे आगे रहा है और उसने श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया और भारत में सिंक्रोनस डिजिटल पदानुक्रम (एसडीएच), मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) प्रौद्योगिकियों की दूरसंचार परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। इरकॉन ने आईपी–ईपीएबीएक्स, आईपी–सीसीटीवी, पीए प्रणाली और एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली (आईपीआईएस) कार्यों को भी निष्पादित किया है।



प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

6. व्यवसाय विकास विभाग

इरकॉन के व्यवसाय विकास विभाग के पास ऑर्डर को प्रेरित करने, बोली नीतियों का विकास और मूल्यांकन करने के साथ–साथ तेजी से प्रतिस्पर्धी माहौल में कंपनी के भविष्य के व्यवसाय को उत्पन्ने और पोषित करने तथा नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने के लिए एक समर्पित टीम है।

पिछले वर्षों में, इरकॉन के व्यवसाय विकास विभाग ने रेलवे, राजमार्ग, सुरंग, मेट्रो, सौर, विद्युत और यांत्रिक, सिग्नलिंग और दूरसंचार, भवन आदि में प्रतिस्पर्धा और नामांकन दोनों आधार पर परियोजनाएं प्राप्त की हैं। रेलवे बोर्ड ने अपनी नीति बदल दी है और अब काम खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तदनुसार, इरकॉन अपने व्यवसाय विकास विभाग के माध्यम से निजी पक्षों सहित अन्य पक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और विभिन्न रेलवे की निविदाओं में भाग लेता है और प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर काम प्राप्त करता है।

वर्ष 2022–23 में, इरकॉन के व्यवसाय विकास विभाग ने 4 परियोजनाएं प्राप्त की हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में दो नए औद्योगिक एस्टेट का विकास, 121.75 करोड़ रूपए की भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत श्रीलंका में महो जंक्शन (शामिल) से अनुराधापुरा (छोड़कर) तक सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली का कार्य गारे पेल्मा सेक्टर–III कोयला खदान की खदान लीज सीमा से सटे रेलवे स्टेशन के साथ साइडिंग का कार्य, जिसकी कीमत 75 करोड़ रूपए है और 14. 21 करोड़ रूपए की लागत पर तालचेर में संशोधित मार्ग पर एमसीएल, जगन्नाथ क्षेत्र के अनंता ओसीपी के लिए प्रस्तावित 02 आरएलएस (20 एमटीवाई) रेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाएं शामिल हैं।

विभाग नए व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने और कंपनी की कॉर्पोरेट योजना तैयार करने और समीक्षा करने के लिए नीतिक एमओयू और गठबंधन बनाने की प्रक्रिया में भी लगा हुआ है।

विभाग बांग्लादेश, मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों जैसे देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सक्रीय रूप से आगे बढ़ा रहा है जो इरकॉन के भविष्य के विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

7. संपदा प्रबंधन विभाग

पिछले कुछ वर्षों में, बुनियादी ढांचे के संपूर्ण आयाम में विविधीकरण से लेकर आपकी कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति भी एक निर्माण कंपनी से एक परियोजना विकास और संचालन कंपनी में बदल गई है, जिसमें अन्य गतिविधियों के साथ–साथ रियल एस्टेट और वाणिज्यिक संचालन भी शामिल है।

मध्यम और लंबी अवधि में रियल एस्टेट व्यवसाय, जैसे भूखंडों का विकास, भवनों का निर्माण, अचल संपत्तियों को पट्टे पर देना और/या बेचना और संपत्तियों से संबंधित अन्य मामले जैसे कर और कानूनी मामले में विकास के उद्देश्य से, इरकॉन ने संपदा प्रबंधन विभाग की स्थापना की है। यह विभाग इरकॉन की मौजूदा रियल एस्टेट का प्रबंधन करने और संपत्ति कर मामलों सहित रियल एस्टेट विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित और गठित किया गया है।

रियल एस्टेट परियोजनाओं में, इरकॉन ने भारत में कई वाणिज्यिक भवनों, संस्थागत भवनों, रेलवे स्टेशनों और टाउनशिप आदि का निर्माण किया है जैसे नवी मुंबई में सिडको के लिए बहुमंजिला वाणिज्यिक परिसर, भोपाल में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल, आइजवाल में पशु चिकित्सा विज्ञान पशुपालन कॉलेज परिसर रक्षा मंत्रालय के लिए झाँसी, भोपाल और इलाहाबाद में तीन प्रमुख आवासीय टाउनशिप, पूसा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सीआईएफई, मुंबई, वाशी रेलवे स्टेशन, मल्टी–फंक्शनल कॉम्प्लेक्स (एमएफसी), कपूरथला और रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री से जुड़ी परियोजनाएं, आदि। इरकॉन ने अपना स्वयं का कॉर्पोरेट कार्यालय विकसित किया है जो एक आधुनिक और स्मार्ट कार्यालय है जिसमें ग्रीन बिल्डिंग के सभी तत्व शामिल हैं।

रियल एस्टेट सेक्टर में वृद्धि को देखते हुए, इरकॉन ने वाणिज्यिक विकास के लिए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, नोएडा और गुरुग्राम आदि जैसे महानगरीय शहरों में रियल एस्टेट संपत्तियों और परिसंपत्तियों का एक बड़ा पोर्टफोलियो जमा किया है। आपकी कंपनी ने नोएडा में 90 वर्षों के लिए लीजहोल्ड के आधार पर वाणिज्यिक और कार्यालय उपयोग के लिए निर्मित विभिन्न क्षेत्रों में 8 भूखंडों का अधिग्रहण किया था और 22,023 वर्ग मीटर को सफलतापूर्वक पट्टे पर दिया है। कंपनी



प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

ने सेक्टर 32, गुरुग्राम, हरियाणा में भी संपत्ति विकसित की है और यह संपत्ति भारत में ट्रेडमार्क अधिकरणों में ''इरकॉन इंटरनेशनल टॉवर' के रूप में पंजीकृत है। लगभग 2079 वर्ग मीटर इस संपत्ति का कारपेट एरिया सरकारी एजेंसियों को पट्टे पर दे दिया गया है और शेष उपलब्ध जगह पट्टे पर देने की प्रक्रिया चल रही है। कार्यालय स्थानों के अलावा, इरकॉन इंटरनेशनल टॉवर, सेक्टर–32, गुरुग्राम में अत्याधुनिक 250 सीटों वाला सभागार और आवास सुविधा के साथ नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र है।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी की अब तक की सबसे अधिक कुल आय अर्थात 10262 करोड़ रूपए प्राप्त की गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 7181 करोड़ रूपए थी, और यह 42.90 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। कंपनी की कुल आय का 96.68 प्रतिशत से अधिक अर्थात 9921 करोड़ रूपए परिचालन क्षेत्र से दर्ज किया गया है, जो वित्त वर्ष 2022 के 6910 करोड़ रूपए के परिचालन कारोबार की तुलना में 43.57 प्रतिशत अधिक है। परिचालन की कुल राशि में से, 4.15 प्रतिशत अर्थात 411.84 करोड़ रूपए अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात लाभ (पीएटी) में क्रमशः 44.75 प्रतिशत और 42.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह क्रमशः 883 करोड़ रूपए और 777 करोड़ रूपए हो गया है।

आगामी वार्षिक आम बैठक में अंतरिम लाभांश के अलावा, शेयरधारकों द्वारा विचार और घोषणा के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के लिए घोषित और भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश और प्रस्तावित अंतिम लाभांश का विवरण ''वित्तीय विशेषताओं'' के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लिखित है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण (अर्थात, प्रमुख वित्तीय अनुपातों में वित्त वर्ष 2021–22 की तुलना में 25 प्रतिशत या अधिक का परिवर्तन) और उसके विस्तृत स्पष्टीकरण वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण (अर्थात प्रमुख वित्तीय अनुपातों में वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 25 प्रतिशत या अधिक का परिवर्तन) और उनके विस्तृत स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं :

क्र. सं	अनुपात का नाम	सूत्र	इकाई	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022	प्रतिशत परिवर्तन	25 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन का कारण
1.	देनदार टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री/औसत व्यापार प्राप्य	समय आधार पर	12.58	11.39	10.45	-
2.	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागत/ औसत सूची	समय आधार पर	37.73	32.02	17.86	-
3.	वर्तमान अनुपात	चालू संपत्तियां चालू दायित्व	समय आधार पर	1.49	1.40	5.96	-
4.	ऋण इक्विटी अनुपात	ऋण/कुल शेयरधारकों की इक्विटी	प्रतिशत	0.00	0.00	0.00	-
5.	परिचालन लाभ मार्जिन	(पीबीआईटी–अन्य आय) / टर्नओवर	प्रतिशत	5.50	4.96	10.88	-
6.	निवल लाभ सीमा	शुद्ध लाभ / कुल आय	प्रतिशत	7.57	7.58	-0.13	-
7.	निवल संपत्ति पर प्रतिफल	शुद्ध लाभ / औसत शुद्ध मूल्य	प्रतिशत	15.88	12.07	31.66	यह परिवर्तन मुख्य रूप से चालू वर्ष में उत्पन्न वृद्धिशील आय के कारण निवल मूल्य में वृद्धि की तुलना में अधिक है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित) तैयार करते समय लेखांकन मानकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, और वित्तीय जानकारी की रिपोर्टिंग में कोई विचलन नहीं किया गया है।

यह परिवर्तन मुख्य रूप से चालू वर्ष में उत्पन्न वृद्धिशील आय के कारण निवल मूल्य में वृद्धि की तुलना में अधिक है।

प्रचालपनिक निश्पादन

क्षेत्रीय निश्पादन

वित वर्ष 2022–23 के दौरान, इरकॉन द्वारा अर्जित राजस्व का लगभग 93.87 प्रतिशत रेलवे क्षेत्र द्वारा योगदान दिया जाता है। इरकॉन के लिए मुख्य फोकस व्यवसाय क्षेत्र रेलवे है, हालांकि, कंपनी राजमार्ग व्यवसाय पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जो लगभग 5.88 प्रतिशत राजस्व उत्पन्न करता है और शेष अन्य क्षेत्रों जैसे विद्युत और भवन निर्माण कार्यों से उत्पन्न होता है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

सेक्टर–वार निष्पादन :

(रूपए करोड़ में)

सेक्टर	वित वर्ष 2023		वित वर्ष 2022		वित वर्ष 2021	
	परिचालन आय	%	परिचालन आय	%	परिचालन आय	%
रेलवे	9313.47	93.87	6387.72	92.44	4215.21	85.05
राजमार्ग	583.23	5.88	496.92	7.19	718.56	14.50
अन्य	24.50	0.25	25.51	0.37	22.16	0.45
योग	**9921.20**	**100**	**6910.15**	**100**	**4955.93**	**100**

सेगमेंट–वार निष्पादन :

(रूपए करोड़ में)

सेक्टर	वित वर्ष 2023		वित वर्ष 2022		वित वर्ष 2021	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेश	411.84	4.15	480.43	6.95	582.13	11.75
घरेलू	9509.36	95.85	6429.72	93.05	4373.80	88.25
योग	**9921.2**	**100**	**6910.15**	**100**	**4955.93**	**100**

ऑर्डर बुक स्थिति

रेल मंत्रालय ने पहले रेलवे पीएसयू को नामांकन के आधार पर कार्य देने की अपनी नीति में बदलाव किया था, रेलवे के कार्य रेलवे पीएसयू के बीच बोली प्रक्रिया द्वारा दिए जा रहे थे। बाद में, अक्टूबर 2021 में, रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा की इस नीति को रद्द कर दिया है और रेलवे कार्यों को देने के लिए खुली निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक इरकॉन की ऑर्डर बुक 35195 करोड़ रूपए (लगभग) थी, जिसमें रेलवे क्षेत्र में 26243 करोड़ रूपए मूल्य के कार्य और राजमार्ग क्षेत्र में 6985 करोड़ रूपए मूल्य के कार्य शामिल थे।

कुल ऑर्डर बुक में से, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त कार्य का मूल्य 18470 करोड रूपए और नामांकन के आधार पर प्राप्त कार्य का मूल्य 16725 करोड़ रूपए है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने भारत में 02 परियोजनाएं पूरी कीं, जिनका विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लिखित है।

कोविड–19 पर प्रतिक्रिया

कोरोना वायरस (कोविड–19) ने सबसे बड़ा वैश्विक संकट उत्पन्न किया है, जिसने दुनिया भर की स्वास्थ्य प्रणालियों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को संकट में डाल दिया है। इसने उन प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को प्रभावित करना जारी रखा है, जहां हम कार्य करते हैं और विश्व के लगभग सभी देश संक्रमण की दूसरी लहर से प्रभावित हुए हैं।

कंपनी, सरकार द्वारा कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रही है, कंपनी के सभी कार्यालयों/परियोजनाओं पर सैनिटाइजर उपलब्ध हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना आदि का भी पालन किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की मदद करने के लिए कई उपाय शुरू किए, जिनमें कोविड देखभाल केंद्र, टीकाकरण केंद्र स्थापित करना और उन्हें चिकित्सा देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना शामिल है।

कोविड–19 महामारी का वास्तविक प्रभाव उससे भिन्न हो सकता है, जिसका अनुमान लगाया गया है, क्योंकि भारत और विश्व स्तर पर कोविड–19 की स्थिति विकसित हो रही है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

स्वोट विश्लेषण

भाक्तियां

1. मजबूत ऑर्डर बुक :

थ्दनांक 31.03.2023 तक कंपनी के पास 35,000 करोड़ रूपए से अधिक की निष्पादन योग्य ऑर्डर बुक बकाया है। यह ऑर्डर बुक 3–4 वर्षों से अधिक की राजस्व दृश्यता देती है, जो व्यवसाय की बड़ी स्थिरता को दर्शाती है।

2. कर्ज मुक्त कंपनी :

इरकॉन तकनीकी रूप से कर्ज मुक्त कंपनी है। दिनांक 31.03.2023 तक इस पर 615 करोड़ रूपए का उधार था, जो वास्तव में एक पास–थ्रू प्रविष्टि थी और देय ब्याज सहित रेल मंत्रालय के पास अंतिम देनदारी

थी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद पूरी राशि चुका दी गई है और अब कंपनी स्टैंडअलोन आधार पर ऋण मुक्त कंपनी है।

3. मजबूत नकदी स्थिति :

दिनांक 31.03.2023 तक इरकॉन के पास 4785 करोड़ रूपए की नकदी और बैंक शेष है, जिसमें से लगभग 18 प्रतिशत उसकी अपनी नकदी है। कंपनी की नकदी और बैंक शेष, कुल संपत्ति का लगभग 35 प्रतिशत है, जो बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बहुत दुर्लभ है।

4. अनुभवी जनशक्ति :

तकनीकी जनशक्ति अपने–अपने क्षेत्र में अत्यधिक कुशल और अनुभवी है। कंपनी का शीर्ष और मध्य प्रबंधन मुख्य रूप से रेल मंत्रालय से है और परियोजना निष्पादन में विशेषज्ञता रखता है।

5. विविध व्यवसाय क्षेत्र :

कंपनी रेलवे, राजमार्ग, इलेक्ट्रिकल, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसे विविध क्षेत्रों में कार्य कर रही है। व्यवसाय में यह विविधता उद्योग जोखिम और व्यवसाय चक्रीय जोखिम को कम करती है।

6. व्यापक भौगोलिक उपस्थिति:

इरकॉन की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक उपस्थिति है। वर्तमान में, कंपनी भारत में 20 राज्यों में काम कर रही है और इसकी उपस्थिति अल्जीरिया, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश में है।

7. वन स्टॉप सॉल्यूशन (सी2सी) :

कंपनी अपने ग्राहकों को वन–स्टॉप समाधान प्रदान करती है। यह अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक परियोजनाएं चलाता है।

8. कार्य का निष्पादन :

कंपनी आम तौर पर अपने स्वयं के अनुभवी जनशक्ति के साथ और कंपनी के पास उपलब्ध संयंत्र और मशीनरी के साथ कार्यों को निष्पादित करती है।

कमियां

1. पीएसयू होने की अंतर्निहित बाधा:

सरकारी कंपनी होने के नाते इसे कई दिशानिर्देशों का पालन करना पड़ता है, जो निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए नहीं हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियाँ अधिक लचीली होती हैं और कम कठोर प्रक्रियाओं के कारण तेजी से निर्णय लेती हैं।

2. भौगोलिक उपस्थिति के कारण भू–राजनीतिक जोखिम का खतरा:

इरकॉन पांच अन्य देशों में कार्य कर रहा है, जिससे उसे उस देश की भू–राजनीतिक स्थितियों से अवगत होने का मौका मिलता है। इसके अलावा, यह उन देशों के साथ राजनयिक संबंधों के संपर्क में भी आता है, जहां यह परियोजनाएं प्रचालित हो रही हैं।

अवसर

1. अवसंरचना पर सरकार का जोर:

सरकार अवसंरचना के विकास और विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। अवसंरचना के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अवसंरचना क्षेत्र के प्रमुख पक्षों में से एक होने के कारण, हमारे लिए इस क्षेत्र में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं।

2. अक्षय ऊर्जा पर सरकार का जोर:

हाल के समय में, हमने ऊर्जा क्षेत्र में कमी देखी है। सरकार हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही है और विभिन्न योजनाएं लेकर आ रही है। इरकॉन ने अपनी सहायक कंपनी के निगमन के साथ अपने व्यवसाय को हरित ऊर्जा के बढ़ते क्षेत्र में विविधता प्रदान की है। अक्षय ऊर्जा पर सरकार का जोर इरकॉन को अपार अवसर देता है।

3. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी):

सरकार ने नागरिकों को विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2019–25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) शुरू की है। भारत में परिवहन क्षेत्र के 5.9 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यह भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन जाएगा। एनआईपी के तहत 9 क्षेत्रों में 4676 अवसर उपलब्ध हैं।

4. राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) :

भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक ''भविष्य के लिए तैयार'' रेलवे प्रणाली बनाने के लिए राष्ट्रीय रेलवे योजना तैयार की है। एनआरपी का उद्देश्य माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने के लिए परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीति पहल दोनों के आधार पर नीति तैयार करना है। सरकार ने नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हाई–स्पीड कॉरिडोर की पहचान की है। सरकार के पास एनआरपी 2021–2051 के तहत 13.18 लाख करोड़ रूपए के रोलिंग स्टॉक को छोड़कर 25.02 लाख करोड़ रूपए की पूंजीगत योजना है।

जोखिम

1. नामांकन के आधार पर कार्य आवंटन संबंधी सरकारी नीति को वापस लेना :

इससे पहले, कंपनी रेल मंत्रालय से नामांकन के आधार पर ऑर्डर भी हासिल कर रही थी। हालाँकि, हाल ही में सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया है और अब इरकॉन को ऑर्डर सुरक्षित करने के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ–साथ निजी कंपनियों से भी प्रतिस्पर्धा करनी होगी। हालाँकि, कंपनी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कई परियोजनाओं को हासिल कर रही है।

2. वस्तुओं की कीमतों में उच्च अस्थिरता :

भू–राजनीतिक कारणों और रूस और यूक्रेन में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने के कारण, हमने तेल, लौह और अलौह धातुओं, सीमेंट आदि जैसी वस्तुओं की कीमतों में उच्च अस्थिरता और तेज वृद्धि देखी है, जो अल्पावधि से मध्यम अवधि में कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकती है। हालाँकि, कंपनी मूल्य में उतार–चढ़ाव को कम करने के लिए अनुबंध समझौते में मूल्य वृद्धि खंड को शामिल करने जैसे आवश्यक कदम उठाती है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

3. वैश्विक मंदी की आशंका :

हाल के समय में, मुद्रास्फीति बढ़ रही है और कुछ देशों में यह कई दशकों के उच्चतम स्तर पर है। ऊंची महंगाई से निपटने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक आक्रामक कदम उठा रहे हैं। इस मुद्रास्फीति के माहौल में, वैश्विक मंदी का खतरा है, जिसका बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालाँकि, आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप और यूके में वैश्विक मंदी के बावजूद, भारत के विकास दर बढ़ने की उम्मीद है। हालाँकि, इरकॉन अधिक अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसकी अधिकांश परियोजनाएँ भारत में क्रियान्वित हो रही हैं।

4. छोटे पक्षों के कारण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि :

क्षेत्रीय स्तर के छोटे पक्षों की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। इसने उद्योग में अत्यधिक मूल्य प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया, जिससे कंपनी पर मार्जिन दबाव बढ़ सकता है। हालाँकि, छोटे पक्ष, आम तौर पर छोटे आकार की परियोजनाओं को निष्पादित करते हैं, जबकि टनलिंग, हाई स्पीड, मेट्रो आदि के विशिष्ट क्षेत्र में इरकॉन की विशेषज्ञता को देखते हुए, यह ईपीसी अनुबंधों को निष्पादित करता है, इस प्रकार, कंपनी के कार्यनिष्पादन पर कम से कम प्रभाव पड़ सकता है।

भविष्य का दृष्टिकोण

रेलवे परियोजनाओं में सिद्ध विशेषज्ञता के साथ परिवहन बुनियादी ढांचे में उद्योग के अग्रणी कंपनियों में से एक के रूप में इरकॉन की लंबे समय से प्रतिष्ठा रही है। उद्योग में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने और बेहतर लाभ मार्जिन प्राप्त करने के लिए, हम अपनी विशेषज्ञता और वित्तीय ताकत दोनों के संदर्भ में बाजार में अपनी लाभप्रद स्थिति का लाभ उठाने की मंशा रखते हैं। जैसे–जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम विकास के नए इंजनों के माध्यम से उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने की अपनी नीति पर निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। हम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में परियोजनाओं के साथ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि इन परियोजनाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्वस्थ लाभ मार्जिन को प्राप्त किया जा सके। हालाँकि, हम रेलवे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं, पोर्टफोलियो विविधीकरण के माध्यम से हमारा लक्ष्य विशिष्ट क्षेत्रों या परियोजनाओं में जोखिमों से बचाव करना और विशेष उद्योग क्षेत्रों और सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार एकाग्रता के परिणामस्वरूप होने वाली बाजार विविधताओं से कंपनी की रक्षा करना है।

हमें विश्वास है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न बुनियादी ढांचागत पहल हमें अपने भविष्य के विकास को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। हमारा मानना है कि हम अपनी मजबूत तकनीकी क्षमताओं और मजबूत वित्तीय स्थिति के कारण इन तरीकों के तहत परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। अच्छे अनुभव और ठोस प्रदर्शन के साथ, हम अपने व्यवसाय में लगातार वृद्धि देखने की उम्मीद करते हैं, हमारे द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि और इन परियोजनाओं से लाभप्रदता मार्जिन में सुधार होगा, जिसके लिए हमारी नीतियाँ इस प्रकार हैं:

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार: इरकॉन सक्रीय रूप से सेक्टोर एवं भौगोलिक कवरेज, दोनों, के साथ विविधता अवसरंचना कम्पनी बनने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। कंपनी ने परिवहन इंजीनियरिंग, सिविल और औद्योगिक निर्माण, और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में अपने अवसंरचना कार्य विशेषज्ञता में विविधता का समावेश करके किए है। वर्तमान में, कंपनी बीस राज्यों में घरेलू स्तर पर और पांच देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। भारत में अपनी व्यापक उपस्थिति के साथ, यह अपने व्यवसाय मॉडल के लिए पर्याप्त अवसरों की खोज करके घरेलू स्तर पर अपने परिचालनों को और अधिक विस्तारित करने का मंशा रखता है। अपनी भौगोलिक कवरेज का विस्तार करने और देश के भीतर नए क्षेत्रों में भूमिका बढ़ने से, इरकॉन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिक परियोजनाओं को लेने में सक्षम होगा और अवसंरचना के क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। इसके अलावा, जबकि यह रेलवे क्षेत्र में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, पोर्टफोलियो विविधीकरण के माध्यम से, इसे विशिष्ट क्षेत्रों या परियोजनाओं में जोखिम के खिलाफ बचाव करने की संभावना है, और विशेष रूप से उद्योग क्षेत्रों और / या सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार एकाग्रता से उत्पन्न बाजार विविधताओं से स्वयं का बचाव कर सकता है। । बढ़ते अनुभव और सफलता के साथ, कंपनी को उम्मीद है कि निर्माण उद्योग में सर्वश्रेष्ठ या उससे बेहतर विस्तार की दर के साथ अपने व्यवसाय में लगातार वृद्धि देखी जा सकती है।

इसके अलावा, कंपनी का लक्ष्य उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने की अपनी रणनीति को जारी रखते हुए घरेलू परियोजनाओं की तुलना में अच्छे लाभ मार्जिन वाली परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अधिक ऑर्डर प्राप्त करना है।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विविधीकरण: इरकॉन व्यवसाय विविधीकरण के लिए नए उभरते क्षेत्रों की खोज कर रहा है। अपनी विविधीकरण नीति के भाग के रूप में, कंपनी ने संयुक्त उद्यम भागीदार के साथ 500 मेगाहर्ट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र पर सरकार के जोर के साथ, इस क्षेत्र में अपार अवसर हैं और कंपनी को इस क्षेत्र में अच्छा निष्पादन करने की बहुत उम्मीद है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र नियमित राजस्व सुनिश्चित करेगा और इसकी लाभप्रदता को भी मजबूत करेगा।

राजस्व उत्पति के पीपीपी माध्यम: इरकॉन धीरे–धीरे केवल अपनी परियोजनाओं के माध्यम से आय अर्जित करने के स्थान पर नियमित रूप से अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवी) के माध्यम से राजस्व और लाभ उत्पन्न करने की प्रक्रिया कर रहा है। मौजूदा परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के निरंतर संचालन के कारण इरकॉन की सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में संधारणीय आधार पर राजस्व और लाभ उत्पन्न करने की संभावनाएं व्याप्त हैं। कंपनी का लक्ष्य बीओटी, डीबीएफओटी, ईपीसी और अन्य परियोजना विकास कार्य करने के अपने एवं अपनी सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के माध्यम से करने के साथ एक निर्माण कम्पनी के स्थान पर एक विविधता सम्पन्न पोर्टफोलियों वाली कम्पनी का स्वरूप धारण करना है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

नई परियोजनाओं के लिए सक्रिय रूप से ध्यान केन्द्रण : इरकॉन की व्यावसायिक वृद्धि को मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली बड़ी परियोजनाओं में अधिक कार्य सक्रियता से सम्बद्ध किया जाता है। टर्नकी आधार पर रेलवे की परियोजनाओं के निष्पादन में कंपनी की लंबे समय से चली आ रही प्रतिष्ठा और विशेषज्ञता के साथ, इसके व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा परियोजनाओं द्वारा संचालित है, जो सीधे सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इरकॉन का लक्ष्य अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति अपनी लाभकारी स्थिति को भुनाकर अपनी प्रवीणता और वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास द्वारा संचालित बड़ी–उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को शुरू करना है। भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों से कंपनी के लिए विकास की गति को जारी रखने में मदद मिलेगी। कंपनी, ईपीसी और पीपीपी निष्पादन मोड के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है।

कंपनी अन्य प्रमुख निजी कम्पनियों के साथ घरेलू और विदेशी बाजारों में रणनीतिक गठजोड़ तैयार करने और व्यापार के अवसरों के अपने कार्यों का और विस्तार करने के लिए आक्रामक तरीके से बोलियों में भाग लेने का भी प्रयास करती है।

अनुकूल वित्तीय जोखिम प्रोफाइलः इरकॉन का वित्तीय प्रोफाइल बेहतर लाभप्रदता मार्जिन और अपने परिचालनों में योगदान देने वाले सुगम रोकड़ प्रवाह की स्थिति को इंगित करता है। कंपनी की मंशा है कि अपनी सकारात्मक पूंजी संरचना को बनाए रखा जाए ताकि टर्नओवर और लाभप्रदता को बढाया जा सके।

सरकार द्वारा किए गए सेक्टरल प्रयासः वर्षों से, भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न मैक्रो–स्तरीय और क्षेत्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। अवसंरचना क्षेत्र, विशेषकर रेलवे क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले कुछ वर्षों के केंद्रीय बजट में भी अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है और रेलवे और सड़क क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय के लिए एक बड़ी राशि आरक्षित है। हाल के वर्षों में, सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और हमने इस क्षेत्र में काफी पूंजीगत व्यय देखा है। अवसंरचना क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार के बढ़ते प्रयासों के साथ, इरकॉन अपने व्यवसाय के लिए कई अवसर प्राप्त करने में सक्षम रहा है। कंपनी का लक्ष्य अपने स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड का लाभ उठाकर और परिवहन इंजीनियरिंग, नागरिक और औद्योगिक निर्माण और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में अपनी अवसंरचनात्मक विविधता प्रदान करके इन अवसरों को भुनाना है।

प्रतिभा पूल को आकर्षित करना एवं धारण करनाः इरकॉन अपने प्रतिभाशाली कर्मचारियों के महत्व और कंपनी की सफलता में उनकी भूमिका को पहचानता है। यह आधुनिक निर्माण उपकरणों को संचालित करने, इसकी जटिल निर्माण परियोजनाओं पर विभिन्न कार्यों को पूरा करने और मांग के अनुकूल समय पर अपने ग्राहकों को गुणवत्ता प्रदान करने के लिए उन पर निर्भर है। एक कुशल मानव संसाधन प्रणाली के साथ, इरकॉन अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह नियमित रूप से कार्य सम्बद्ध कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कार्यबल को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन का लक्ष्य अपनी महिला कर्मचारियों को एक सहज और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। इन प्रयासों के अलावा, इरकॉन का इरादा अपेक्षाकृत कर्मचारी संघर्षण दर को कम रखना है और अपने भविष्य के विस्तार के लिए अपने अधिक कुशल कर्मचारियों को बनाए रखना है। यह बेहतर समग्र लाभ पैकेज और सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी वातावरण प्रदान करके किया जाता है।

नीतिगत समझौता ज्ञापन और गठबंधन

आपकी कंपनी समय–समय पर नए व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए विभिन्न नीतिगत समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करती है। वित्त वर्ष 2022–23 में, इरकॉन ने पड़ोसी देश में प्रस्तावित हार्बर के लिए बोली लगाने के लिए **कोचीन पोर्ट अथॉरिटी** के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया। कोचीन पोर्ट अथॉरिटी बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत एक निगमित निकाय है।

परियोजना मॉडलः ईपीसी, डीबीएफओटी, एचएएम और वार्षिकी के आधार पर राजमार्ग क्षेत्र में कई उच्च–मूल्य की परियोजनाएँ संभावित हैं। इरकॉन ने बीओटी, डीबीएफओटी और एचएएम आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एसपीवी के रूप में चार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना की है और भारत के तीन राज्यों में कोयला कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए गठित संयुक्त उद्यम कंपनियों में रणनीतिक हिस्सेदारी की है। कंपनी ईपीसी, एचएएम और वार्षिकी आधार सहित कई परियोजना निष्पादन मॉडल के तहत टर्नकी परियोजनाओं का संचालन करने के लिए तैयार है।

प्रौद्योगिकी उन्नयनः कंपनी ने उन्नत प्रौद्योगिकी और निर्माण पद्धति को अपनाया है जिससे प्रतियोगियों पर बढ़त सुनिश्चित हो पाती है। इससे परिचालन क्षमता और बेहतर बनती है, विश्वसनीयता स्थापित होती है, ऑर्डर बुक वैल्यू बढ़ती है और ग्राहकों की संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा, इरकॉन का लक्ष्य अपने कर्मचारियों को प्रचलित प्रौद्योगिकियों से परिचित होने के लिए प्रशिक्षित करने और ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं का अंवेषण करना है जिनमें नवीनतम तकनीक की आवश्यकता है।

एक नए व्यवसाय क्षेत्र में प्रवेश करने की दृष्टि से, इरकॉन ने नावों/जहाजों की मरम्मत सुविधाओं के साथ–साथ डॉकिंग/बर्थिंग सुविधाओं को पूरा करने के लिए एकीकृत सुविधा के लिए भारत के पड़ोसी देश में प्रस्तावित बंदरगाह के विकास के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लिया है। इन सुविधाओं में व्यापक स्तर पर, अन्य उपयोगिता सुविधाओं सहित एक बर्थिंग घाट (300 मीटर), लगभग 1700 मीटर का ब्रेक वॉटर, ट्रांसफर–बे के साथ 500 टी क्षमता का स्लिपवे, मरम्मत कार्य संबंधी कारखाना, प्रशासनिक भवन/समुद्री स्कूल, भंडारण शेड, हेलीपैड, अधिकारियों के लिए आवासीय ब्लॉक, चिकित्सा निरीक्षण कक्ष, खेल सुविधाएं आदि शामिल हैं।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

जोखिम प्रबंधन

इरकॉन स्वीकार करता है कि निर्माण क्षेत्र में कार्य करने से कंपनी को अंतर्निहित अनिश्चितताओं और जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र की अस्थिरताख् विभिन्न बाहरी और आंतरिक जोखिमों को उत्पन्न करती है, जो वित्तीय और गैर–वित्तीय दोनों परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। जोखिम प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व को पहचानते हुए, इरकॉन ने एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा स्थापित किया है।

इरकॉन के पास वर्ष 2007 से एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली है, जिसकी जोखिम प्रबंधन नीति (आरएमपी) शुरू में वर्ष 2013 में तैयार की गई थी। समय के साथ, बदलते व्यावसायिक परिवेश और नियामक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए आरएमपी में संशोधन किया गया है। आरएमपी के नवीनतम संशोधन को दिसंबर 2021 में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य पूरे संगठन में उच्च स्तर की जोखिम जागरूकता को बढ़ावा देना, व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और एक स्थायी जोखिम–जागरूक संस्कृति विकसित करना था।

ईआरएम ढांचे और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार, इरकॉन ने एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की स्थापना की है। यह समिति अन्य जिम्मेदारियों के अलावा जोखिम तत्वों और शमन योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बोर्ड को रिपोर्ट करती है।

आरएमसी के प्राथमिक कार्यों में प्रमुख जोखिम उठाने वाली गतिविधियों की पहचान करना, सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं की तुलना में जोखिम क्षमता में अंतराल का आकलन करना, वर्तमान व्यावसायिक प्रक्रियाओं में कमियों की पहचान करना जो संभावित खतरों को उजागर कर सकते हैं, जोखिम मूल्यांकन नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा करना शामिल है। रैपिड एक्शन ग्रुप (आरएजी), सुधार के लिए दिशानिर्देश प्रदान कर रहा है, और संभावित जोखिमों के लिए इरकॉन की तैयारी सुनिश्चित कर रहा है। आरएमसी, आरएमपी को तैयार करने और उसकी समीक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें कंपनी के लिए विशिष्ट आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान करने के लिए रूपरेखा, जोखिम शमन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के लिए उपाय विकसित करना और कार्यान्वयन की निगरानी करना शामिल है।

जोखिम प्रबंधन नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, इरकॉन ने व्यावसायिक समूहों और आंतरिक लेखापरीक्षा टीमों के साथ–साथ कार्यकारी निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक स्तर पर एक रैपिड एक्शन ग्रुप की स्थापना की है। जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं और जोखिम प्रबंधन पर रिपोर्ट सहित एमआईएस रिपोर्ट प्रारूप, ईआरएम ढांचे के अनुसार विकसित किए गए हैं। रैपिड एक्शन ग्रुप की रिपोर्ट, समीक्षा के लिए आरएमसी को सौंपी जाती है। संगठनात्मक जोखिम अवलोकन हेतु अद्यतन जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरूप, महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान, निगरानी, समीक्षा, शमन योजनाएं और सुधारात्मक कार्रवाइयां, अब एक ऑनलाइन वेब–आधारित जोखिम प्रबंधन आईटी टूल के माध्यम से की जाती हैं, जिसकी समीक्षा आरएमसी द्वारा आरएजी के माध्यम से की जाती है।

भारतीय संदर्भ में, इरकॉन को परियोजना निष्पादन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे भार–मुक्त भूमि की अनुपलब्धता और ड्राइंग और अनुमान के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में देरी। ये कारक, समय और लागत बढ़ने का जोखिम पैदा करते हैं, जिसकी क्षतिपूर्ति प्रायः, ग्राहक को नहीं करानी पडती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को परियोजना राजस्व पूर्वानुमान में अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे विभिन्न कारकों के कारण भिन्न हो सकते हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी उपयुक्तता

प्रचालन तथा वित्तीय आंतरिक नियंत्रण की एक सुव्यवस्थित अभिकल्पित तथा निरंतर सुदृढ प्रणाली से कंपनी के निदेशक मंडल तथा प्रबंधन को अपने संसाधनों को सुरक्षित रखने, विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टों को प्रस्तुत करने, तथा नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। प्रभावपूण आंतरिक नियंत्रण महत्वपूर्ण त्रुटियों और अनियमितताओं की संभावना को कम करता है और इनके प्रस्तुत होने पर समय पर इनके संसूचना में सहायता करती है। इरकॉन के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा विद्यमान है, जो इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है ताकि प्रचालनों की कुशलता को बढाया जा सके और लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी ने व्यवसाय को सुलभ बनाने के लिए प्राधिकार के ईष्टतम प्रयायोजन के लिए नीतियों और दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और अधिक सुदृढ बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी)

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इन नियंत्रणों को इस प्रकार अभिकल्पित किया गया है ताकि उचित लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके, तथा कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजियों और त्रुटियों का निवारण एवं संसूचन, वित्तीय और प्रचालनिक सूचना की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के संबंध में आश्वासन उपलब्ध कराया जा सके।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समय–समय पर समीक्षा की जाती है, और बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। प्रबंधन कंपनी के वित्त और उसके संचालन की उचित समझ के लिए आवश्यक सभी वित्तीय और बजटीय जानकारी का प्रकटन करता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा

कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा, एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए अनुभवी पेशेवरों और बाहरी ऑडिट फर्मों द्वारा किया जाता है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति प्रत्येक परियोजना के टर्नओवर और पूर्णता के प्रतिशत से जुड़ी होती है।

कंपनी का अपना विकसित और स्वीकृत आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा है जो आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे को निर्धारित करता है और निविदा और संबद्ध मामलों, परियोजना निष्पादन, सामग्री की खरीद, संयंत्र और मशीनरी, उप–अनुबंध, वैधानिक अनुपालन आदि सहित समग्र वित्तीय लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करता है। आंतरिक नियंत्रण और लेख परीक्षा प्रणाली की समय–समय पर प्रबंधन के साथ–साथ लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है, इसके बाद सुधारात्मक कार्रवाई, जब भी आवश्यक हो, निरंतर सुधार के एक भाग के रूप में की जाती है।

इसके अतिरिक्त, इरकॉन के पास एक संगठनात्मक चार्ट और सत्ता के प्रत्यायोजन की एक प्रणाली है जिसे समय पर अद्यतन किया गया है। इसके अलावा, एक संरचित धोखाधड़ी रोकथाम, पता लगाने और नियंत्रण नीति (एफपीडीसी नीति) के साथ–साथ निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति ई–शिकायतों को विश्वास में करने की सुविधा के साथ है।

गुणवत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण मानक

इरकॉन गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी है। कंपनी ने आईएसओ 9001:2015 के अनुसार एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है। इसने आईएसओ 14001:2015 के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली भी लागू की है।

गुणवत्ता

इरकॉन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण न को अपनाने वाला एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) को वर्ष 1996 से सफलतापूर्वक बनाए रखा गया है और इसमें लगातार सुधार किया गया है जबसे कंपनी को पहली बार टीयूवी एसयूडी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईएसओः 9002–1994 के लिए प्रमाणित किया गया था। हमने प्रमाणन जारी रखा है और गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के नवीनतम संस्करण, अर्थात आईएसओः 9001 – 2015 (हर तीन साल की समाप्ति के बाद आवधिक पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा द्वारा) के अनुसार प्रणाली को बनाए रखा है। नवीनतम पुनः प्रमाणन संपरीक्षा सितंबर, 2022 में आयोजित की गई थी, जिसके तहत कंपनी को टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तीन साल की और अवधि के लिए, अर्थात मार्च 2026 तक फिर से प्रमाणित किया गया है।

कोविड–19 प्रभावों को नियंत्रित करन के लिए, इरकॉन ने कोविड–19 की रोकथाम के लिए नवीनतम तकनीकों और डिजिटल समाधानों को अपनाया और अपने ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को सुनिश्चित करके गुणवत्ता केंद्रित संगठन के रूप में उभरा है।

कोविड–19 महामारी के मद्देनजर, कंपनी ने क्राउन एंकर रिएक्शन मेथड, ईवी2 टेस्ट प्रक्रियाओं और प्रकटन, लागत का उपयोग करके लोड टेस्ट जैसे विषयों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म (अर्थात गूगल मीट मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, आदि), हाई राइस रिटेनिंग वॉल का संरक्षण, जियोसिंथेटिक्स का अनुप्रयोग, लेजर स्कैन का उपयोग करके डिजिटल प्रबंधन तकनीक लागू करना, जियो कंपोजिट सीमेंटिटियस मैट बीआईएम सॉल्यूशंस, वॉटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस और संगठन की मुख्य क्षमता अर्थात रेलवे, राजमार्ग, सुरंग निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं में प्रचलित कई तकनीकी और तकनीकी समाधानए आदि को अपनाकर तकनीकी ज्ञान साझा करने की पहल जारी रखी है। और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं।

इसके अलावा, संगठन के भीतर प्रत्येक कर्मचारी की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए बेहतर सुपुर्दगी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना पेशेवरों के साथ गुणवत्ता परिषद बैठक आयोजित की गई हैं। कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमारे परियोजना स्थलों पर आरएसीआई मैट्रिक्स को निर्धारित और कार्यान्वित किया गया है। सामग्री परीक्षण योजना और प्रारूपों के साथ परियोजना प्रक्रिया नियमावली (पीपीएम) का मानकीकरण कंपनी की आंतरिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ताकि ज्ञान साझा करने और परियोजनाओं को परियोजना स्तर पर आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में मदद मिल सके। परियोजनाओं की जटिल और विविध प्रकृति के बावजूद, गुणवत्ता प्रक्रियाओं के मानकीकरण के लिए इरकॉन की पहल संगठनात्मक ढांचे के भीतर पूर्ण एकीकरण प्राप्त करने की दिशा में अग्रणी मार्ग प्रदान करता है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए गुणवत्ता अधिकारियों को उनकी संबंधित परियोजनाओं पर क्यूएमएस की निगरानी के लिए नामित करती है, और इसे कार्यनिष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया गया है।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कॉर्पोरेट गुणवत्ता परिषद और परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठक कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना स्थल पर त्रैमासिक रूप से आयोजित की जा रही है। गुणवत्ता उद्देश्यों को कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना दोनों स्तरों पर मापा जाता है और समीक्षा की जा रही है। परियोजना और कॉर्पोरेट कार्यालय के समन्वय से सभी आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट, और गुणवत्ता आश्वासन ऑडिट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किए गए हैं। इन लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट न केवल लेखापरीक्षा के दौरान सामने आई गैर–अनुरूपताओं का विवरण प्रदान करती है बल्कि परियोजना की मुख्य विशेषताएं, प्रगति, सकारात्मक बिंदु, यदि कोई हो, और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को भी प्रकट करती है।

सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

कंपनी ने एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की और अक्टूबर, 2011 में आईएसओ 45001:2004 के लिए प्रमाणित किया गया। आईएसओ 45001:2018 के लिए नवीनतम निगरानी ऑडिट अगस्त 2022 में आयोजित किया गया था, जिसके तहत कंपनी

को अगले दो वर्षों, अर्थात दिसंबर, 2024 तक के लिए फिर से प्रमाणित किया गया है।

कोविड–19 महामारी के दौरान, कंपनी सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निवारक उपायो/ दिशानिर्देशों का पालन करती है। थर्मल स्कैनर, आरोग्यसेतु ऐप, स्वचालित सैनिटाइजेशन मशीन, पेपर डिसइंफेक्शन मशीन आदि जैसे निगरानी उपकरणों को लागू करके कार्यस्थल में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए तेजी से पहल की गई है। कंपनी ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए अपने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए एक सतर्क टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए एसएचई अधिकारियों को उनकी संबंधित परियोजनाओं में वैधानिक कानूनों के अनुपालन की निगरानी के लिए नामित करती है, और इसे कंपनी के अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया जाता है ताकि ठेकेदार द्वारा एसएचई प्रबंधन मानकों को लागू किया जा सके। काम से बाहर।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)

आपकी कंपनी ने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) स्थापित की है और इसे अक्तूबर, 2011 में आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित किया गया है। आईएसओ 14001:2015 के लिए अद्यतन पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा नवंबर, 2022 में किया गया है, जिसके द्वारा अगले तीन वर्षों अर्थात फरवरी, 2026 तक कंपनी को पुनःप्रमाणित किया गया है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अधिकारियों को ईएमएस और उनके संबंधित परियोजनाओं पर पर्यावरण कानूनों के अनुपालन की निगरानी के लिए नामित करती है, और ठेकेदार द्वारा पर्यावरण प्रबंधन मानकों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया गया है। पर्यावरणीय जाँच सभी परियोजनाओं द्वारा विकसित और प्रचालिपत की गई है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण सहिष्णु उपकरणों जैसे सौर पैनलों को भी विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में संस्थापित किया गया है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल की रीसाइकलिंग की जाती है, और इसे हॉर्टिकल्चर कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण नोएडा, गुडगांव में भी किया जा रहा है।

विद्युत और जल के संरक्षण को लिए निगमित कार्यालय में एलईडी लाइट, सेंसर लाइट और सेंसर नलों का प्रयोग किया जा रहा है। कंपनी के विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में विभिन्न पर्यावरण सहिष्णु कदम उठाए जा रहे हैं जैस, मिट्टी की ईंटों के स्थान पर फ्लाई ऐश की इंटों का प्रयोग, वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था, सेंसर नियंत्रित क्रोमियम प्लेट फिटिंग, नवीनतम प्रकार के फेसेड ग्लास (भवनों में ग्लास) का प्रयोग, ताकि भवन को धारणीय बनाया जा सके।

पर्यावरण अनुकूल संगठन होने के नाते, इरकॉन अपने हितधारकों के बीच पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतियोगिताओं और बैनरों के प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों (यानी विश्व पर्यावरण दिवस) में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

इरकॉन को अगस्त, 2022 में पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मानव संसाधन

इरकॉन इस तथ्य को स्वीकार करता है कि इसके कर्मचारी इसकी सफलता के प्राथमिक स्तंभ हैं और संगठन के मूल्यों और संस्कृति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों में प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल और दक्षताएं है, अपने मानव संसाधनों के विकास में निवेश करके, अपने संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका कार्यबल आवश्यक ज्ञान और विशेषज्ञता से सुसज्जित रहे, मानव संसाधन विकास में इरकॉन के प्रयास उद्योग मानकों के अनुरूप हैं। कंपनी कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने पर बहुत महत्व देती है और इसे बनाए रखने की दिशा में लगातार कार्यरत है। इरकॉन एक प्रेरक और संतोषजनक माहौल बनाने का प्रयास करता है, जहां कर्मचारियों को कंपनी के विकास और सफलता में बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कंपनी अपने अत्यधिक प्रेरित और सक्षम मानव संसाधन और उसके योगदान पर गर्व करती है। दिनांक 31 मार्च, 2023 को हमारी कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या 1341 थी, जिसमें 933 नियमित कर्मचारी, 35 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर, 302 संविदा पर, 67 सलाहकार/परामर्शदाता और 04 निश्चित कार्यकाल के आधार पर नियुक्त हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान नियोजन छोड़ने की दर पिछले वर्ष के 6.84 प्रतिशत की तुलना में 9.06 प्रतिशत रही।

कर्मचारी उत्पादकता

पिछले 5 वर्षों में कर्मचारी उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी की कुल आय 10262 करोड़ रूपए है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए प्रति कर्मचारी कुल आय 7.65 करोड़ रूपए रही, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 में यह 5.62 करोड़ रूपए थी।

भर्ती

अपने व्यवसाय में, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए, कंपनी सभी स्तरों पर शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें अपने साथ जोड़े रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें नए स्नातक इंजीनियरों, पेशेवरों और प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती शामिल है। कंपनी अन्य सरकारी विभागों और रेलवे से प्रतिनियुक्ति या आमेलन के माध्यम से, साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कार्य पर रखने और तीसरे पक्ष की पेरोल सेवाओं का उपयोग करके, खुले बाजार से अनुभवी कर्मियों को लेकर इस उद्देश्य की पूर्ति करती है। कंपनी अ.जा, अ.ज.जा, अ.पिव, अल्पसंख्यकों और महिलाओं सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के कर्मचारियों की उन्नति के लिए समान अवसर और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम

भर्ती प्रथाओं का पालन करती है। ये नीतियां प्रबंधन की समावेशी और दूरदर्शी मानसिकता को दर्शाती हैं, जिसमें ''समान अवसर नियोक्ता'' होने पर जोर दिया गया है। कंपनी अपनी भर्ती नीतियों की लगातार समीक्षा करती है और उन्हें अपने व्यापक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए परिष्कृत करती है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, 69 कर्मचारियों को पूर्णकालिक आधार पर भर्ती किया गया था, जबकि 188 को सेवा अनुबंध सहित अनुबंध के आधार पर भर्ती किया गया था, समावेशी रोजगार की नीति के रूप में, शामिल किए गए लोगों में से 119 अ.जा/अ.ज.जा/अ.पिव/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं। कंपनी ने 14 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल करने के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी लागू किया है। खुले बाजार से भर्ती के अलावा आईसीएआई और आईसीएमएआई जैसे प्रमुख संस्थानों से कैंपस भर्ती भी की जाती थी।

प्रतिनियुक्ति

प्रशिक्षित और अनुभवी जनशक्ति की निरंतर आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से परियोजना की आवश्यकताओं को देखते हुए, अनुभवी और प्रशिक्षित जनशक्ति को भारतीय रेलवे और अन्य सरकारी विभागों से एक निश्चित कार्यकाल के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर शामिल किया जाता है। वर्ष के दौरान, 9 कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर शामिल किया गया, जिससे प्रतिनियुक्ति पर कुल कार्मिक संख्या 35 हो गई है।

प्रशिक्षण एवं विकास

इरकॉन सभी स्तरों पर कर्मचारियों के योग्यता पूल के निर्माण के उद्देश्य से सक्षमता–आधारित सरचना के निर्माण की ओर अग्रसर है। सक्षमता मैपिंग के परिणामस्वरूपें, वरिष्ठ और मध्यम स्तर के प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं। इसके आधार पर, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान की जाती है और अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण और विकास को एक उच्च फोकस क्षेत्र के रूप में देखते हुए, कर्मचारियों को अनुबंध प्रबंधन, मध्यस्थता, परियोजना प्रबंधन, प्रबंधकीय प्रभावशीलता, वार्ता, व्यवसाय विकास और रणनीति, जोखिम प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न डोमेन में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 816 मानव–दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें लगभग 437 कर्मचारियों को शामिल किया गया, जिसमें जेम पोर्टल और ई–प्रोक्योरमेंट के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, परियोजना गुणवत्ता परिषद, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, आरटीआई अधिनियम पर कार्यशाला, सार्वजनिक खरीद और आपूर्ति श्रृंखला में स्मार्ट अनुबंध के उपयोग पर सम्मेलन, आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम और कई अन्य व्यवहारिक, तकनीकी, गैर–तकनीकी आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएँ शामिल हैं। इसलिए, हमारी मानव पूंजी को मजबूत करना हमारे कार्यों का मूल आधार है। इरकॉन कर्मचारियों को उनके करियर में बढ़ने में मदद करने के लिए कई पहल करता है। कनिष्ठ कर्मचारियों के लिए परामर्श और कौशल विकास कार्यक्रम और वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए विशेष नेतृत्व विकास कार्यक्रम जैसी प्रगतिशील नीतियां कार्यस्थल को अधिक कर्मचारी–अनुकूल बनाने की दिशा में आगे बढ़ी हैं।

कैरिअर प्रोग्रेशन

कंपनी की प्रचार नीति, सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है और समय के साथ यह प्रणाली प्रभावी सिद्ध हुई है। यह प्रणाली, सुनिश्चित करती है कि योग्य कर्मचारियों के पास करियर में उन्नति के पर्याप्त अवसर हों और उन्हें उत्तराधिकार योजना की सुविधा प्राप्त हो। पदोन्नतियां, योग्यता, उपयुक्तता, प्रदर्शन और पेशेवर उपलब्धियों पर आधारित होती हैं, जो संगठन की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। वर्ष 2021 की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) में कार्यपालक श्रेणी में कुल 135 पदोन्नतियाँ प्रदान की गईं, जबकि गैर–कार्यकारी श्रेणी में 09 पदोन्नतियाँ प्रदान की गईं हैं।

निष्पादन प्रबंधन प्रणाली

कंपनी ने एक आईटी–सक्षम कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली लागू की है जो कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) प्रणाली से जुड़ी है। यह पीआरपी प्रणाली कंपनी के कार्यनिष्पादन, टीम के कार्यनिष्पादन और कंपनी के वार्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत योगदान सहित कर्मचारी कार्यनिष्पादन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावी ढंग से समायोजित करती है। टीम के कार्यनिष्पादन पर बल देने से, सहयोगात्मक और एकजुट कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलता है, जहां कर्मचारियों को टीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहक्रियात्मक रूप से एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह दृष्टिकोण कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्यों, जैसे न्यूनतम वेतन और अन्य लाभों को बनाए रखने की सुविधा प्रदान करता है।

इसके अलावा, कंपनी ने कर्मचारी कल्याण में सहयोग करने के लिए अपनी नीतियों में अतिरिक्त लाभ शामिल किए हैं। इनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान शामिल हैं, जैसे नियमित चिकित्सा जांच और लंबे समय तक इलाज के खर्चों की प्रतिपूर्ति। एलोपैथिक, होम्योपैथिक डॉक्टरों और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों की उपलब्धता भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, मनोरंजक गतिविधियाँ जैसे जिम सुविधाएं और वेंडिंग मशीनों के माध्यम से निःशुल्क चाय/कॉफी का प्रावधान, कर्मचारी संतुष्टि और योग्यता मान्यता में योगदान देता है।

सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग

व्यवसाय की निरंतरता बनाए रखने और कर्मचारियों को घर से काम करने में सक्षम बनाने के लिए, आईटी विभाग ने डिजिटल प्रारूप में रिकॉर्ड रखने और दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए ई–ऑफिस को लागू करने के लिए एक पहल की है। कर्मचारी रिकॉर्ड, छुट्टी रिकॉर्ड, प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस), वार्षिक संपत्ति रिटर्न, कर्मचारी केक कार्य, आदि जैसे मानव संसाधन कार्यों को एक ई–प्रारूप में रखा गया है, जिससे कागज का उपयोग कम हो जाता है, पारदर्शिता और दक्षता आती है, और गुणवत्ता में सुधार होता है। कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल और विभिन्न सोशल मीडिया मोड के माध्यम से कर्मचारियों को नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचित किया जाता है।

प्रेरणा, पुरस्कार और मान्यता

असाधारण प्रदर्शन को पहचानने के लिए, कर्मचारियों को समय–समय पर पुरस्कार और मान्यता प्रदान की जाती है। एक वित्तीय वर्ष में

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

असाधारण प्रदर्शन करने वाले मेधावी कर्मचारी को सीएमडी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा, कर्मचारियों को वर्ष के दौरान उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए विभिन्न व्यक्तिगत और समूह पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

कर्मचारी कल्याण

नियोजन के दौरान, कर्मचारियों को व्यापक स्तर पर परिलब्धियां, भत्ते और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें मौद्रिक और गैर–मौद्रिक दोनों प्रकार के लाभ शामिल होते हैं। इनमें परिवहन सहायता, आवास विकल्प, पट्टे पर आवास, रियायती भोजन और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। कंपनी का मुख्य उद्देश्य, अपने कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है और इस प्रकार, इसने उनके समग्र कल्याण में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं।

मातृत्व और दत्तक ग्रहण अवकाश, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति नकद पुरस्कार के भुगतान जैसे वैधानिक लाभों के अलावा, कंपनी कई कर्मचारी सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है। इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण, अग्रिम, बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए मकान पट्टा नीति और लंबी बीमारियों या लाइलाज बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सहायता शामिल है। कर्मचारियों के बीच सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने और सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने के लिए समय–समय पर उपहार, जैसे सेवानिवृत्ति उपहार, विवाह उपहार, जन्मदिन उपहार, दिवाली उपहार और वार्षिक दिवस उपहार दिए जाते हैं।

कंपनी उदार सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना शामिल है, जो प्रतिधारण व्यवस्था के रूप में काम करती है और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। कर्मचारी या आश्रित की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार का खर्च प्रदान किया जाता है, और कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुग्रह भुगतान किया जाता है। अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कंपनी ने कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज लिया है, जिसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसियाँ, टर्म प्लान और बचत–लिंक्ड बीमा योजना शामिल हैं। यह अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति में कर्मचारियों की सहायता के लिए 24x7 हेल्पलाइन सेवा स्थापित की गई है। आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर समर्पित मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं।

महिला विकास

कंपनी ने महिला कर्मचारियों के विकास और उनकी उन्नति के लिए समान अवसर और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को लागू किया है। इनसे संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए लैंगिक मुद्दों, यौन उत्पीड़न और अनुकूल कार्य परिस्थितियों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महिला कर्मचारियों को लिंग पूर्वाग्रह के बिना समान अवसर को बढ़ावा देते हुए बैठकों, परियोजना कार्य और समितियों में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रबंधन हमेशा उन पद्धतियों को अपनाने में सबसे आगे रहा है, जो एक ऐसा वातावरण तैयार करती हैं जहां महिलाएं सशक्त, आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम महसूस करती हैं। महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) के लिए समिति की स्थापना की गई है। इस समिति का लक्ष्य, सहायक संरचना प्रदान करना और यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले का समाधान करना है।

शिकायत निवारण

कर्मचारियों की शिकायतों का तत्काल समाधान करने के लिए कंपनी में निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद है, जिसमें कर्मचारी निवारण के लिए उचित प्राधिकारी को अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से रेल मंत्रालय को ऑनलाइन शिकायतें की जा सकती हैं।

व्हिसल ब्लोअर नीति

इरकॉन का एक अलग और सु–संरचित सतर्कता विभाग है, जो कर्मचारियों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या कंपनी के साथ व्यापार करने वालों से संबंधित धोखाधड़ी या संदिग्ध कदाचार से निपटने के लिए कार्य करता है। इसके अलावा, अनैतिक गतिविधियों की निगरानी और उन पर नियंत्रण लगाने के लिए व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति भी लागू है।

भारत सरकार की पहलों के लिए योगदान

कंपनी हमेशा भारत सरकार की पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन करती रही है जैसे कि स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्टार्ट–अप इंडिया, मेक इन इंडिया, जिसमें एमएसएमई, डिजिटल इंडिया, सरकार के अनुरूप अपने व्यवसाय या शासन उद्देश्यों को तैयार करके सौर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना शामिल है।

एमएसएमई को बढ़ावा देना

एक सीपीएसई होने के नाते, कंपनी की खरीद नीति और पद्वितियां सीवीसी दिशानिर्देशों सहित सरकारी नीतियों और प्रथाओं द्वारा निर्देशित होती हैं। ये पारदर्शी खरीद तंत्र पर आधारित हैं, जो स्थानीय और छोटे उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को भी बढ़ावा देता है। इरकॉन एमएसई से सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर रहा है। तदनुसार, उन छोटे उत्पादकों को खरीद वरीयता दी जाती है जो कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य बैंड के भीतर अपनी कीमत उद्धृत करते हैं। कंपनी ने भारतीय बोलीदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया भी अपनाई है। इसके अलावा, एमएसई के बीच अधिक जागरूकता लाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कंपनी द्वारा एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, खरीद नीति के अनुपालन में एमएसई से कंपनी ने सामग्री, स्टोर और सेवा के लिए 102.39 करोड़ रूपए (एमएसई के दायरे से बाहर की वस्तुओं की खरीद को छोड़कर) के व्यय की तुलना में एमएसई विक्रेताओं से 44.52 करोड़ रूपए मूल्य की वस्तुओं की खरीद की है, जिससे 43.48 प्रतिशत खरीद लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। कंपनी ने दिनांक 16 दिसंबर, 2022 को कॉर्पोरेट कार्यालय, दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर का विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया है।

कंपनी सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से खरीद पर सरकार के दिशानिर्देशों का बड़े पैमाने पर अनुपालन कर रही है और भारत सरकार के ''मेक इन इंडिया'' निर्देशों को बढ़ावा देने के लिए निविदाओं में भी प्रावधान किए गए हैं। सार्वजनिक खरीद (भारत में निर्माण को प्राथमिकता), आदेश 2017 के अनुपालन में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली का उपयोग करते हुए, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 200 करोड़ रूपए मूल्य तक की निविदाएं आमंत्रित की गईं।

चेतावनी विवरण

कंपनी के उद्देश्यों, पूर्वानुमानों, अनुमानों, संभावनाओं का वर्णन करने वाले प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए विवरण कंपनी के प्रबंधन के मतानुसार लागू नियमों और विनियमों के भीतर अग्रणी विवरण हो सकते हैं। ऐसे विवरण भावी घटनाओं के संबंध में कंपनी के वर्तमान दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं और यह जोखिमों और अनिश्चितताओं के मद्देनजर हो सकते हैं। कई कारक इस रिपोर्ट के पूर्वानुमान से सामग्रीगत रूप से भिन्न परिणाम प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें, अन्यों के साथ–साथ शामिल हैं, कंपनी के प्रचालन के क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सामान्य आर्थिक और व्यवसायिक परिस्थितियां, व्यवसाय नीति में परिवर्तन, ब्याज की दरों मुद्रास्फीति, मुद्रा अवनति, विदेशी मुद्रा दरों तथा उद्योग में प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन, सरकारी विनियमों, कर नियमों तथा अन्य सांविधिक और अन्य आकस्मिक कारकों में परिवर्तन। कंपनी किसी भावी विवरणों के सार्वजनिक उद्यतन के किसी दायित्व को स्वीकार नहीं करती है, वह चाहे नई सूचना, भावी घटना या अन्यथा हो।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह0/–

(बृजेश कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएनः 10092756)

दिनांक : 11 अगस्त, 2023

स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की 47वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में गर्व महसूस हो रहा है। यह रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय कार्यनिष्पादन। कंपनी के कार्यनिष्पादन का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है, जिसमें वित्तीय परिणामों का सारांश और संबंधित प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं।

वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडएलोन			समेकित		
	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2021–22	प्रतिशत परिवर्तन	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2021–22	प्रतिशत परिवर्तन
कुल आय / टर्नओवर	10262	7181	42.90	10750	7586	41.71
कुल प्रचालन आय / टर्नओवर	9921	6910	43.57	10368	7380	40.49
ईबीआईडीए	924	641	44.15	1117	846	32.03
कर पूर्व लाभ	883	610	44.75	891	689	29.32
कर पश्चात लाभ	777	544	42.83	765	592	29.22
निवल सम्पत्ति	5178	4621	12.05	5225	4667	11.96
विनियोजनः						
लाभांश (अंतिम और अंतरिम)*	282.15	235.13	20.00	-	-	-
प्रति शेयर आमदनी (रूपए में) (प्रति 2 रूपए का अंकित मूल्य)	8.26	5.79	42.66	8.14	6.3	29.21

टिप्पणियाः इसमें प्रस्तावित अंतिम लाभांश शामिल है [आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम)] में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन।

वित्तीय विशिष्टताएं

हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 10,262 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे अधिक कुल आय अर्जित हासिल की है, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 में यह 7,181 करोड़ रुपए थी, जो लगभग 42.90 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के परिचालन कारोबार में 43.57 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2021–22 के 6,910 करोड़ रुपए की तुलना में 9,921 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस वृद्धि का श्रेय सुदृढ ऑर्डर बुक और परियोजनाओं के कुशल निष्पादन को दिया जा सकता है।

लाभप्रदता के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 883 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2021–22 के 610 करोड़ रुपए की तुलना में 44.75 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। इसी तरह, कर पश्चात लाभ (पीएटी) में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2022–23 में 777 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2021–22 में 544 करोड़ रुपए से 42.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

आपकी कंपनी का नेट वर्थ, वित्त वर्ष 2021–22 में 4,621 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022–23 में 5,178 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31 मार्च, 2023 तक प्रति शेयर आय 8.26 रुपए प्रति शेयर थी, जबकि 2 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य पर दिनांक 31 मार्च, 2022 तक यह 5.79 रुपए प्रति शेयर थी।

लाभांश

कंपनी का प्राथमिक ध्यान शेयरधारक मूल्य संवधन करना है। कंपनी का अपनी स्थापना के बाद से ही लाभांश भुगतान का लगातार अचछा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वित्त वर्ष 2022–23 में, निदेशक मंडल ने 2 रुपए अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 1.80 रुपए का

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

अंतरिम लाभांश घोषित और वितरित किया है। इसकी राशि लगभग 169.29 करोड़ रुपए (188.10 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी के 9 प्रतिशत पर परिकलित) थी। अंतरिम लाभांश, दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर घोषित किया गया था। इसके अलावा, बोर्ड ने 2/– रुपए के अंकित मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर 1.20 रुपए के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो समग्र रूप से 112.86 करोड़ (188.10 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी का 60 प्रतिशत) है। यह अंतिम लाभांश आगामी एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और यह वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के लाभ पर आधारित है।

इन लाभांशों को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कुल लाभांश लगभग 282.15 करोड़ रुपए (188.10 करोड़ रुपए की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 150 प्रतिशत) होगा। यह वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कर–पश्चात लाभ का 36.31 प्रतिशत और दिनांक 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के निवल मूल्य का 5.45 प्रतिशत है। प्रस्तावित अंतिम लाभांश के अनुमोदन और भुगतान किए जाने पर, वित्त वर्ष 2022–23 तक शेयरधारकों को भुगतान किये जाने वाला संचयी लाभांश 2,656.62 करोड़ रुपए होंगे।

लाभांश की घोषणा, लाभांश वितरण नीति के अनुरूप है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम) के विनियम 43क, संशोधित, और ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के पूंजी पुनर्गठन'' पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 188.10 करोड़ रुपए थी, जिसमें 2/– रुपए अंकित मूल्य के 94,05,15,740 इक्विटी शेयर शामिल थे। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, कंपनी के प्रमोटर अर्थात भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 73.18 प्रतिशत थी। इरकॉन प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए में निर्दिष्ट न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

थ्दनांक 31 मार्च, 2023 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के बाजार मूल्य के आधार पर, इसे शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में रखा गया है। दिनांक 31 मार्च 2023 को आपकी कंपनी का बाजार पूंजीकरण 5266.89 करोड़ रुपए था।

शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन

31 मार्च, 2023 को केवल 5407 शेयरों और दिनांक 30 जून, 2023 को 2407 भौतिक रूप में शेयरों को छोड़कर सभी शेयर डीमटेरियलाइज्ड रूप में रखे गए हैं और शेयरों के डीमटीरियलाइजेशन का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

प्रतिधारित आय में अंतरण

282.15 करोड़ रुपए के कुल लाभांश को ध्यान में रखने के पश्चात, दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यथावत रखी गई आय का विनियोजन 494.85 करोड़ रुपए था।

पूंजीगत व्यय और तरलता

वर्ष के दौरान, कंपनी ने एकल आधार पर, घरेलू और विदेशी परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजनाओं पर 448.96 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है जिसमें एक भवन के निर्माण के लिए 10.56 करोड़ रुपए, संयंत्र और मशीनरी प्राप्त करने के लिए 9.52 करोड़ रुपए, अन्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए 5.49 करोड़ रुपए और रुएसपीवी में निवेश के लिए 423.39 करोड़ रुपए शामिल हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की तरलता स्थिति 4785.32 करोड़ रुपए पर मजबूत बनी हुई है, जिसमें 2168.41 करोड़ रुपए नकद और नकद समकक्ष, तथा 2616.91 करोड़ रुपए अन्य बैंक शेष शामिल हैं। 4785.32 करोड़ रुपए में से, ग्राहक/परियोजना निधि की राशि 3942.09 करोड़ रुपए शामिल हैं।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों की इक्विटी/अर्ध–इक्विटी में 423.39 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो दिनांक 31 मार्च, 2023 तक 1912.4 करोड़ रुपए था।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी ने अब तक कुल मिलाकर 19080 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 में 521.26 करोड़ रुपए की तुलना में 432.99 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय 406.83 करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान यह 467.10 करोड़ रुपए था। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2022–23 में शुद्ध विदेशी मुद्रा आय 26.16 करोड़ रुपए होगी।

इरकॉन समूह का प्रदर्शन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, समेकित आधार पर इरकॉन ने अपनी सहायक कंपनियों ('समूह') के साथ 10750 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष : 7586 करोड़ रुपए) का अब तक का सबसे अधिक कुल कारोबार दर्ज किया है। समूह ने परिचालन कारोबार में 40.49 प्रतिशत की लंबी छलांग लगाकर, 10368 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 7380 करोड़ रुपए) दर्ज किया है। समूह ने 891 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 689 करोड़ रुपए) का कर पूर्व समेकित लाभ और 765 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष : 592 करोड़ रुपए) का कर पश्चात लाभ अर्जित किया, दोनों मदों में क्रमशः 29.31 प्रतिशत और 29.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

समूह का ईबीआईटीडीए, 1117 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष : 846 करोड़ रुपए) था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 32.03 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शात है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, वित्तीय प्रदर्शन के संदर्भ में, कंपनी ने रेल मंत्रालय द्वारा डीपीई दिशानिर्देश के आधार पर समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्धारित 8875 करोड़ रुपए (समेकित आधार पर) के टर्नओवर लक्ष्य मानदंड को प्राप्त और पार कर लिया है।

कोविड–19 का प्रभाव

कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में होने वाले भौतिक परिवर्तनों की लगातार निगरानी कर रही है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की मदद के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जिनमें कोविड देखभाल केंद्र, टीकाकरण केंद्र स्थापित करना और उन्हें चिकित्सा देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। कंपनी ने महामारी से निपटने के लिए सभी निवारक उपायों को लागू करने की दिशा में भी कई उपाय किए हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए 1.53 करोड़ रुपए का योगदान दिया था।

वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

रिपोर्ट की तारीख तक, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान और उसके बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं है।

वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित)

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 24 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2022–23 (स्टैंडअलोन और समेकित) के लिए वित्तीय विवरण को स्वीकृति प्रदान की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने (क) अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों नामतः इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉनआईएसएल), इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉनपीबीटीएल), इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल), इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल), इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल), इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल), इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएएसईएल), इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉनएलआरएचएल), इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनबीएमईएल), और इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल) और सहायक कंपनी इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (आईआरपीएल) के लिए लाइन–बाय–लाइन विधि के अनुसार, के लिए निर्धारित विधि की समान तर्ज पर, और (ख) सात संयुक्त उद्यम कंपनियों नामतः इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल), भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) (गोइंग कंसर्न के आधार पर नहीं), छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल), छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल), झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल), महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) और बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) के लिए इक्विटी पद्धति के अनुसार अपने समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अनिगमित संयुक्त उद्यमों के खातों को शामिल किया गया है।

रेल मंत्रालय के दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के पत्र के अनुसार, आईआरएसडीसी के व्यवसाय को बंद करने और व्यवसाय/परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने/सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। तदनुसार, समापन गतिविधियों के भाग के रूप में, आईआरएसडीसी की सभी संपत्तियां और देनदारियां (इसकी सहायक कंपनियों अर्थात गांधी नगर रेलवे और शहरी विकास निगम (जीएआरयूडी) और सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईटीसीओ) में निवेश के अलावा), रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए)/रेल मंत्रालय को मंदी बिक्री के आधार पर अंतरित किया जाएगा, जो कि आईआरएसडीसी की बीओडी बैठक में अनुमोदित पारस्परिक सहमति के अनुसार कटऑफ तिथि पर बही मूल्य से कम नहीं होगा। वित्त वर्ष 2021–22 में आरंभ की गई, समापन संबंधी गतिविधियां अभी पूरी नहीं हुई हैं। इन गतिविधियों के पूरा होने और संपत्तियों और देनदारियों को आरएलडीए/रेल मंत्रालय को सौंपने पर परिसमापन प्रक्रिया शुरू होगी। आईआरएसडीसी का वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किया गया है। कंपनी को अपने निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि आईआरएसडीसी की रिपोर्ट की गई निवल परिसंपत्ति में कंपनी की भागेदारी 58.50 करोड़ रुपए है, अर्थात 52 करोड़ रुपए की हमारी भागेदारी की तुलना में 225 करोड़ रुपए का 26 प्रतिशत है।

कंपनी वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अपने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित) और अपनी ग्यारह सहायक कंपनियों (इरकॉन आईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल, इरकॉन वीकेईएल, इरकॉन जीआरएचएल, इरकॉन एएसईएल, इरकॉन एलआरएचएल, इरकॉन बीएमईएल, इरकॉन एचबीएल और आईआरपीएल) के वित्तीय विवरण अपनी वेबसाइट (www.ircon.org) पर उपलब्ध कराएगी।

इसके अलावा, फॉर्म एओसी–1 में ग्यारह सहायक कंपनियों और सात संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक विवरण, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

कोविड–19 महामारी और एजीएम की सूचना, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित वित्तीय विवरणों की भौतिक प्रतियां भेजने से जुड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय **(एमसीए)** और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(सेबी)** ने दिशानिर्देश जारी किए हैं. तदनुसार, ऐसे विवरण और दस्तावेज विशेष रूप से उन सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं, जिन्होंने कंपनी के साथ या डिपॉजिटरी प्रतिभागी/डिपॉजिटरी के साथ–साथ अन्य पात्र व्यक्तियों के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत किया है। निगमित कार्य मंत्रालय और सेबी द्वारा क्रमशः दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और दिनांक 5 जनवरी, 2023 को जारी परिपत्रों के अनुसार, ये छूट 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है।

इन छूटों को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित की जाएगी, जिन्होंने पहले से ही संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत कर लिए हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड **(बीएसई)** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **(एनएसई)** को भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडीए) रिपोर्ट, जैसा कि एलओडीआर विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों की अनुसूची–V के साथ पढ़े जाने

वाले विनियम 34 द्वारा अनिवार्य है, को इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में शामिल किया गया है। इसे एतदद्वारा संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है और यह इस रिपोर्ट के अभिन्न अंग के रूप में शामिल है। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग विश्लेषण, भविष्य के दृष्टिकोण, कंपनी अवलोकन, कानूनी स्थिति और स्वायत्तता, व्यापार प्रभागों/इकाइयों, वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निष्पादित परियोजनाओं, आगामी सहित विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा प्रदान करती है। परियोजनाएं, विषेशताएं, कार्यक्षेत्र और अवसर, प्रमुख समस्याएं, व्यावसायिक नीतिगतं, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और मानव संसाधनों में महत्वपूर्ण गतिविधियां का ब्यौरा उपलब्ध कराता है।

बाह्य पर्यावरण समष्टि आर्थिक स्थितियाँ

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक (अप्रैल 2023) में, वर्ष 2023 में 2.8 प्रतिशत की वैश्विक वृद्धि का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया है, जो वर्ष 2024 में आंशिक सुधार के साथ 3.0 प्रतिशत होगा। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ने वैश्विक औसत से अधिक होने की संभावना है, और 2023 में इसके 5.9 प्रतिशत और 2024 में 6.3 प्रतिशत बढ़ने की आशा है। मंदी, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, जैसे यूरो क्षेत्र और यूनाइटेड किंगडम में केंद्रित है।

वस्तुओं की कम कीमतों के कारण वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2022 में 8.7 प्रतिशत से घटकर 2023 में 7.0 प्रतिशत हो जाएगी, लेकिन अंतर्निहित (मुख्य) मुद्रास्फीति में और अधिक गिरावट आने की संभावना है। अधिकांश मामलों में वर्ष 2025 से पहले मुद्रास्फीति के लक्ष्य पर लौटने की संभावना नहीं है। एक बार जब मुद्रास्फीति की दरें लक्ष्य पर वापस आ जाएंगी, तो गहरे संरचनात्मक चालक संभवतः ब्याज दरों को उनके पूर्व–महामारी के स्तर तक कम कर देंगे।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आरबीआई द्वारा अनुमानित, भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, उसकी मौद्रिक नीति (अप्रैल 2023) में 6.5 प्रतिशत है। हालाँकि, निकट भविष्य में विकास के स्तर पर मुख्य चिंता कमजोर बाहरी मांग की स्थिति के कारण होने वाला दबाव है, और भारतीय कृषि पर किसी भी प्रतिकूल मौसम की स्थिति का प्रभाव विकास प्रक्षेपवर्क के लिए अतिरिक्त नकारात्मक जोखिम प्रदान करता है।

अवसंरचनात्मक और निर्माण उद्योग – सरकारी पहल और उद्योग दृष्टिकोण

अवसंरचना, अन्य उद्योगों और भारत के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए, सरकार खुले एफडीआई मानदंडों, अवसंरचना क्षेत्र के लिए बड़े बजट आवंटन, स्मार्ट सिटी मिशन आदि जैसी केंद्रित नीतियों के माध्यम से बुनियादी ढांचे और निर्माण सेवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रधान मंत्री महोदय ने भारत में परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करने और बुनियादी ढांचे के विकास की गति बढ़ा के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान आरंभ किया है।

भारत में निर्माण उद्योग के, वर्ष 2025 तक 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत, भारत में बुनियादी ढांचे पर 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर , नवीकरणीय ऊर्जा पर 24 प्रतिशत, सड़कों और राजमार्गों पर 18 प्रतिशत, शहरी बुनियादी ढांचे पर 17 प्रतिशत और रेलवे पर 12 प्रतिशत का निवेश बजट निर्धारित है। 6.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल पूंजी लागत पर 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित करने पर सरकार का जोर है, जो माल ढुलाई के 50 प्रतिशत को पूरा करेगा और देश में बुनियादी ढांचे के विकास को और बढ़ावा देगा।

भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक भारत के लिए ''भविष्य के लिए तैयार'' रेलवे प्रणाली बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) 2030 तैयार की है। एनआरपी का उद्देश्य रेलवे की मॉडल हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीति पहल दोनों के आधार पर रणनीति तैयार करना है। इस योजना का उद्देश्य, माल ढुलाई में 45 प्रतिशत तक मांग से पहले क्षमता बनाना है, जो बदले में वर्ष 2050 तक मांग में भविष्य की वृद्धि को भी पूरा करेगा और माल ढुलाई में रेलवे की मॉडल हिस्सेदारी को 45 प्रतिशत तक बढ़ाएगा और इसे बनाए रखना जारी रखेगा।

सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 शहरों में 5,000 किमी मेट्रो रेल नेटवर्क की घोषणा की। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का उद्देश्य पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों पर बिक्री आउटलेट के प्रावधान के माध्यम से कौशल विकास के माध्यम से सवंर्धित आजीविका के अवसर प्रदान करना है। स्टेशन पुनर्विकास परियोजना से यात्री अनुभव को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। समग्र ढांचागत विकास में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, एनआईपी ने वित्त वर्ष 2024–25 तक भारतीय रेलवे में 11.43 लाख करोड़ रूपए (138 बिलियन अमरीकी डॉलर) के निवेश की परिकल्पना की है।

निर्यात को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, वर्ष 2028 तक लॉजिस्टिक्स लागत को राष्ट्रीय औसत से नीचे लाने के उद्देश्य से, सरकार ने रेलवे लाइनों के दोहरीकरण, उनके चौड़ीकरण, मुंबई से दिल्ली और अमृतसर से कोलकाता तक समर्पित माल ढुलाई गलियारे के अलावा 11 अन्य औद्योगिक गलियारे जैसी कुछ बड़ी परियोजनाओं के साथ बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है।

विजन 2024 की परिकल्पना वर्ष 2024 तक 2024 मीट्रिक टन माल लदान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई है। सरकार वर्ष 2025 तक 2 लाख किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास की दिशा में काम कर रही है। भारतीय रेलवे की वर्ष 2022–23 तक, 1000 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र और लगभग 200 मेगावाट के पवन संयंत्रों की स्थापना करने की योजना बनाई है। इसमें से लगभग 204. 82 मेगावाट (101.42 मेगावाट सौर और 103.4 मेगावाट पवन ऊर्जा) नवीकरणीय ऊर्जा पहले ही स्थापित की जा चुकी है।

बजट 2023–24 में बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी निवेश परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए (122 बिलियन अमेरिकी

डॉलर) किया जा रहा है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का एक नेटवर्क विकसित करने की योजना है, जिसमें कुल लगभग 46,000 करोड़ रुपए (5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश होगा, जो एक बार चालू होने पर लगभग 700 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालने में सक्षम होगा। इसमें से 15 प्राथमिकता वाले स्थानों पर एमएमएलपी लगभग 22,000 करोड़ रुपए (2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के कुल निवेश के साथ विकसित किए जाएंगे।

रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए (29 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है और वर्ष 2013–14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। अंतिम और पहले मील सम्पर्कता के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए सम्पर्क की पहचान की गई है और 75,000 करोड़ रुपए (9 बिलियन अमरीकी डॉलर), के निवेश के साथ इसे प्राथमिकता पर लिया जाएगा, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए (1.8 बिलियन अमरीकी डॉलर) निजी स्रोतों से हैं। क्षेत्रीय हवाई सम्पर्कता में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाइ अड्डों, हेलीपोर्टों, वॉटर एयरोड्रमों और अग्रिम लैंडिंग ग्राउंडों को पुनःप्रचालित किया जाएगा।

भारतमाला परियोजना चरण–। के तहत 5.35 ट्रिलियन रुपए (74.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के अनुमानित परिव्यय के साथ कुल 24,800 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। एनएचएआई केवल उन परियोजनाओं पर विचार करेगा, जिनके लिए भारतमाला परियोजना योजना के तहत 3 ट्रिलियन रुपए (42.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की न्यूनतम भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। भारतमाला परियोजना के तहत कुल 65,000 किलोमीटर सड़कों और राजमार्गों का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2023–24 में, एनएचएआई को 1.62 लाख करोड़ रुपए (20 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किए गए हैं, और यह सम्पूर्ण राशि बजटीय सहायता के रूप में है।

बजट 2023–24 में, भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.7 लाख करोड़ रुपए (33 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किए हैं। वित्त वर्ष 2019–25 में सड़क क्षेत्र में 18 प्रतिशत पूंजीगत व्यय होने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 23 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का भी है।

इन बजट आवंटनों का उद्देश्य मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, नई परियोजनाओं का निर्माण करना और देश भर में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना है।

ऑर्डर बुक

कंपनी जिस उद्योग से संबंधित है, वहां ऑर्डर बुक को भविष्य के प्रदर्शन का संकेतक माना जाता है क्योंकि यह अनुमानित भविष्य के राजस्व के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों को सेवाएं प्रदान करती है और प्रतिस्पर्धी बोली के साथ–साथ रेल मंत्रालय द्वारा नामांकन के माध्यम से ऑर्डर प्राप्त करती है। रेल मंत्रालय ने पीएसयू को परियोजनाएं आवंटित करने की अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, और पात्र पीएसयू के बीच प्रतिस्पर्धी बोली की प्रणाली को समाप्त कर दिया है, और रेलवे कार्यों के निष्पादन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली शुरू की है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक ऑर्डर बुक 35195 करोड़ रुपए, जबकि 31 मार्च, 2022 तक यह 43758 करोड़ रुपए थी। प्रमुख नए ऑर्डर रेलवे विद्युतीकरण, राजमार्ग परियोजना, मेट्रो ट्रैक कार्य, कारखानों, हवाई अड्डे और नवीकरणीय ऊर्जा से हैं और इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठित हाई स्पीड रेलवे परियोजना में सिविल और ट्रैक कार्य भी शामिल हैं। दिनांक 30 जून, 2023 को ऑर्डर बुक 32,486 करोड़ रुपए थी।

घरेलू परियोजनाएँ

निगमन के बाद से, कंपनी ने विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में विविधता प्राप्त की है और अब रेलवे और राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में एक स्थापित कंपनी है। इसके अलावा, इसने कई अन्य क्षेत्रों जैसे बिजली पारेषण लाइनें, उप–स्टेशन औद्योगिक परिसर, पुल और फ्लाईओवर, सुरंगें, विद्युत और यांत्रिक कार्य, सिग्नलिंग और दूरसंचार, उत्पादन इकाइयां, स्टेशन भवन, मल्टी–फंक्शन कॉम्प्लेक्स, वाणिज्यिक, आवासीय परिसर और हवाईअड्डे और निर्माण में विविधता प्राप्त की है। विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना पोर्टफोलियो के विविधीकरण ने कंपनी को अपने निर्माण व्यवसाय को जोखिम से मुक्त करने और किसी भी क्षेत्र या प्रकार की परियोजना पर हमारी निर्भरता को कम करने में मदद की है।

आगामी भविष्य में, इरकॉन भारत में हाई–स्पीड रेल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), भारतीय रेलवे और अन्य महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेगा।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी को भारत में परियोजनाएं अवार्ड की गई हैं, जैसे गेरे पेल्मा सेक्टर–III कोयला खदान की खदान लीज सीमा से सटे रेलवे स्टेशन के साथ–साथ रेलवे साइडिंग की स्थापना, सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली के लिए पीएमसी सेवाएं, और प्रस्तावित 02 रेल अवसंरचना और तालचेर में जगन्नाथ क्षेत्र के अनंत ओसीपी के लिए आरएलएस (20 एमटीवाई) का विकास । इरकॉन को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में नए औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) के साथ भी जोड़ा गया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित दो परियोजनाओं को पूर्ण परियोजनाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इरकॉन ने 400 से अधिक घरेलू परियोजनाओं को पूरा कर लिया है।

- हाइब्रिड वार्षिकी मोड (चरण IA–पैकेज–II) पर एनएचडीपी चरण –VI के तहत गुजरात राज्य में किलोमीटर 323.000 से 355.000 (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का सानपा से पादरा खंड) तक आठ लेन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे का निर्माण। ।
- ईसीआर – विद्युतीकरण परियोजना (72 किमी) के साथ हाजीपुर – बछवाड़ा के बीच दोहरीकरण, जिसमें सभी सेवा और आवासीय भवनों, सकफ्रलेटिंग एरिया, पार्किंग, प्लेटफॉर्म, सबवे, आश्रयों और इलेक्ट्रिकल, सिग्नल दूरसंचार कार्य एवं अन्य कोई कार्यों सहित सभी स्टेशनों के अन्य संबद्ध संरचनाओं की योजना,

डिजाइन और निर्माण कार्य शामिल हैं।

चालू परियोजनाएं :

भारत में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की सूची परिशिष्ट–क में दी गई है।

वित्त वर्ष 22–23 में, आपकी कंपनी का मुख्य ध्येय अत्यंत आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में समग्र इष्टतम योगदान के लिए कार्यनिष्पादन, तेज डिलीवरी, कडी समयसीमा को पूरा करना है। यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री महोदय और माननीय रेल मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान भारत में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की कुछ उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं :

1. जम्मू–कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना (यूएसबीआरएल) (उत्तरी रेलवे द्वारा दिया गया प्रदान लागत प्लस अनुबंध, जिसकी संशोधित अनुमानित लागत 13557.47 करोड़ रुपए है) : वित्त वर्ष 2022–23 में 23.4 किलोमीटर सुरंग लाइनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है और कटरा से बनिहाल के बीच के खंड में कुल 94.162 किमी लंबाई मुख्य सुरंग (एमटी) + एस्केप टनल (ईटी) और क्रॉस पैसेज (सीपी) शामिल है, पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, 13.18 किमी एमटी और 32.34 किमी ईटी की सफलता भी प्राप्त की गई। परियोजना ने लगभग 2899.40 करोड़ रुपए की अपनी अब तक की उच्चतम व्यय बुकिंग भी प्राप्त कर ली है। परियोजना का कार्यान्वयन उन्नत चरण में है और इसे वित्त वर्ष 2023–24 में चालू करने का लक्ष्य है।

2. सिवोक रंगपो नई बीजी रेल लाइन परियोजना (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा दिया गया लागत प्लस अनुबंध, जिसकी संशोधित अनुमानित लागत 8248 करोड़ रुपए है) रू वित्त वर्ष 2022–23 में कुल सुरंग खनन और लाइनिंग क्रमशः 11.60 किमी और 2.28 किमी पूरी हुई। छह सुरंगों में खनन पूरा हो चुका है। सुरंग टी–5 की दूसरी सफलता दिनांक 18.06.2022 को प्राप्त की गई, सुरंग टी–9 की तीसरी सफलता 19.10.2022 को, सुरंग टी–2 (896 मीटर) की चौथी सफलता 23.11.2022 को, सुरंग टी–12 की पांचवीं सफलता 24.12.2022 को (1404 मीटर), 23. 01.2023 को सुरंग टी–11 (3232 मीटर) की छठी सफलता और इस परियोजना की सबसे लंबी एडिट सुरंग अर्थात 19 फरवरी 2023 को सुरंग टी–10 की एडिट–1 (1144 मीटर) प्राप्त की गई है। सभी 14 सुरंगों, 13 प्रमुख पुलों और 4 यार्डों में कार्य प्रगति पर है। परियोजना की कुल प्रगति 50 प्रतिशत है। यह परियोजना भविष्य में गंगटोक और उसके बाद भारत–चीन सीमा (नाथुला पास) तक सम्पर्कता के साथ रणनीतिक महत्व की है और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट (वैतरणा – पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चरण–2 का सचिन खंड), सिविल, भवन और ट्रैक निर्माण कार्य पैकेज –सीटीपी–12 : डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) द्वारा दिया गया ईपीसी अनुबंध : संशोधित कार्य की अनुमानित लागत 3353 करोड़ रुपए होगी। सचिन–घोलवड खंड पर 186 मार्ग किमी में से 110 रूट किमी पर काम पूरा हो चुका है और ट्रायल रन किया जा चुका है। घोलवड–वैतरणा खंड में शेष कार्य अच्छी प्रगति पर हैं।

4. रामपुर डुमरा–ताल–राजेंद्रपुल (पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दी गई लागत प्लस परियोजना, जिसकी संशोधित अनुमानित लागत 1701 करोड़ रुपए है) : इस परियोजना में 17 स्पैन के साथ 1874 मीटर की कुल लंबाई वाले मुख्य पुल का डिजाइन और निर्माण, 3.2 किमी का रेल वायाडक्ट, 2 आरओबी, 3 आरओआर, एक आरयूबी, लगभग 11.3 किमी का तटबंध, 8 छोटे पुल और ट्रैक लिंकिंग कार्यों सहित विद्युतीकरण का कार्य शामिल है। 18 वेलें में से 15 की ढलाई और 11 की सिंकिंग, एक एबटमेंट और सात पियर कैप की ढलाई हो चुकी है। 6 ओपन वेब गर्डर को भी लॉन्च किया गया है। बाढ़ सुरक्षा कार्यों सहित उत्तर की ओर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और नदी के दक्षिण की ओर 28.36 लाख घन मीटर के दायरे की तुलना में 25.98 लाख घन मीटर मिट्टी का काम पूरा हो चुका है। आठ छोटे पुलों में से सात, एक आरयूबी और दो आरओबी के लिए उपसंरचना कार्य भी पूरी हो गया है। सभी 3 आरओआर पर पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है और पाइल कैप कास्टिंग का काम प्रगति पर है (50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है)। महत्वपूर्ण पुलों, आरओबी और आरओआर के लिए सभी संरचनात्मक स्टील की खरीद की गई। 3.6 किलोमीटर लंबी वाया डक्ट का काम भी अच्छी प्रगति पर है और अब तक 1000 पाइलों में से 927 पाइलों, 61 पीयर कैप और 101 पियर शाफ़्ट में से 12 पियर शाफ्ट का कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्य सुव्यवस्थित रूप से प्रगति पर है।

5. कटनी–सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना (पश्चिमी मध्य रेलवे द्वारा दी गई लागत प्लस परियोजना, जिसकी संशोधित अनुमानित लागत 2445 करोड़ रुपए है) : वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 78.29 किलोमीटर खंड चालू किए गए थे। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 49.21 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। सीआरएस (रेलवे सुरक्षा निरीक्षण आयुक्त) ने दिनांक 27.06.2023 को महरोई–विजयसोटा के 19.13 किलोमीटर खंड का निरीक्षण किया है। 30.11 किलोमीटर का एक और खंड दिसंबर 2023 में और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 7.51 किलोमीटर का कार्य योजनाबद्ध है। 257 किलोमीटर में से कुल 180.5 किलोमीटर अब तक चालू किया जा चुका है।

6. कटनी–सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना (रेलवे विद्युतीकरण कार्य) : वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कटनी–सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना में रेलवे विद्युतीकरण कार्य 78 आरकेएम है। दोहरीकरण सहित कुल 180.5 किलोमीटर विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है।

7. किऊल–गया दोहरीकरण परियोजना (पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दी गई लागत प्लस परियोजना, जिसकी संशोधित अनुमानित लागत 1200 करोड़ रुपए है) : वजीरगंज–तिलैया खंड (18.01 किलोमीटर) का सीआरएस निरीक्षण (रेलवे सुरक्षा निरीक्षण आयुक्त) दिनांक 02.09.2022 को किया गया था और

इस खंड को 100 किमी प्रति घंटे की अनुमेय गति पर चालू किया गया था, और, पूरे लखीसराय–शेखपुरा खंड (25.32 किमी) को दिनांक 21.02.2023 को 100 किमी प्रति घंटे की गति के साथ चालू किया गया था। अब तक कुल 61.48 किमी चालू हो चुका है। शेष 61.64 किलोमीटर की योजना वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बनाई गई है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, काशीचक यार्ड का 1.405 किलोमीटर दिनांक 31.05. 2023 को चालू हो गया है।

8. घोलसपुर, बेहाला स्टेडियम, पूर्वी रेलवे कोलकाता में खेल परिसर (80.82 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान) : बेहाला में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय मानक पूर्णतः वातानुकूलित बहुउद्देश्यीय इनडोर स्टेडियम का उद्घाटन दिनांक 30 मई 2022 को किया गया था।

9. एनसीआरटीसी परियोजना (संशोधित अनुमानित लागत 723 करोड़ रुपए) : इरकॉन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एनसीआरटीसी के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्रतिष्ठित एडीबी (एशियाई विकास बैंक) द्वारा वित्तपोषित ओएचई और बिजली आपूर्ति कार्य प्राप्त किया है। यह 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन गति और 160 किमी प्रति घंटे की संचालन गति प्राप्त करने के लिए भारत में पहली सेमी–हाई–स्पीड रैपिड रेल परियोजना के रूप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- 3000 किलोग्राम टेंशन का स्प्रिंग टाइप एटीडी, इंसुलेटेड ओवरलैप पर ग्लास फाइबर टेंशन इंसुलेटर, रिट्रैक्टेबल कैटेनरी सिस्टम लागू की गई, जिसका उपयोग भारत में पहली बार 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन गति के लिए किया गया है।
- 220 केवी, 33 केवी और 25 केवी गैस इंसुलेटेड सब–स्टेशनों (जीआईएस) की कमीशनिंग, जो आकार में कॉम्पैक्ट, रखरखाव में कम और जगह की आवश्यकता को कम करते हैं।
- रिकॉर्ड समय में 17 आरकेएम की दूरी तय करने वाले दुहाई डिपो सहित साहिबाबाद से दुहाई तक परियोजना के प्राथमिकता वाले खंड के ओवरहेड उपकरण (ओएचई) को चालू करना।
- दिनांक 5 जनवरी, 2023 को ट्रायल रन शुरू करके परिणाम।
- 220 केवी रिसीविंग के 2 सब स्टेशन (गाजियाबाद आरएसएस और मुराद नगर आरएसएस), जीएसएस से आरएसएस तक 220 केवी ईएचवी केबलिंग और 33 केवी 5 सहायक उप स्टेशन (एएसएस)।
- आईजीबीसी की उच्चतम रेटिंग प्राप्त करने के अनुपालन में आरएसएस स्थानों पर सिविल कार्य निष्पादित किए गए हैं।
- एनसीआरटीसी परियोजना के लिए आईएसओ 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 14001 : 2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन प्राप्त किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ

वित्त वर्ष 2022–23 में, कुल राजस्व में अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का योगदान 411.84 करोड़ रुपए था, जो परिचालन कारोबार का 4.15 प्रतिशत था। यह वित्त वर्ष 2021–22 के 480.43 करोड़ रुपए की तुलना में है, जो प्रचालनिक टर्नओवर का 6.95 प्रतिशत को दर्शाता है। पीबीआईटी के संबंध में, विदेशी परियोजनाओं से योगदान 100.41 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 51.03 करोड़ रुपए की तुलना में 96.67 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

कंपनी, विदेशों में नई परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रही है, और बांग्लादेश, अल्जीरिया, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में इसकी एक–एक परियोजना चल रही है। अपने व्यवसाय और भौगोलिक फोकस में विविधता जारी रखते हुए, कंपनी व्यवसाय की मात्रा और लाभ मार्जिन को अधिकतम करने के लिए परियोजनाओं की विस्तृत श्रृंखला को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है। भारतीय एग्जिम बैंक की लाइन ऑफ क्रेडिट/अन्य परियोजना निर्यात वित्तपोषण व्यवस्था और बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के तहत विदेशी परियोजनाओं को सुरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत, श्रीलंका में महो जंक्शन (सहित) से अनुराधापुरा (छोड़कर) तक सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली की डिजाइन, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और प्रमाणन की खरीद का ऑर्डर प्राप्त किया है।

चालू परियोजनाएं

कंपनी विदेशों में निम्नलिखित परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है:

1. बांग्लादेश

(क) खुलना–मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना

कंपनी ने बांग्लादेश रेलवे के लिए खुलना–मोंगला पोर्ट रेल लाइन के निर्माण के लिए बांग्लादेश में 147.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 911 करोड़ रुपए के बराबर) और 185. 73 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत पर वीओ–2 की मंजूरी के बाद, एक परियोजना हासिल की है। परियोजना में तटबंध, ट्रैक का निर्माण, सभी सिविल कार्य, बड़े और छोटे पुल (रूपशा ब्रिज को छोड़कर), पुलियों का निर्माण और पैकेज–डब्ल्यूडी 1 के प्रति ईएमपी का कार्यान्वयन शामिल है। वर्ष 2021 में कार्य का अतिरिक्त कार्यक्षेत्र जोड़ा गया है। पूरा होने की समयसीमा, सितंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है, और साथ ही 5 प्रमुख पुलों और 16 पुलियाओं के जीर्णोद्धार सहित कार्य का अतिरिक्त कार्यभार भी बढ़ाया गया है और वेरिएशन वीओ–3 के लिए अनुमोदन लंबित है।

(ख) अगरतला (भारत)–अखौरा परियोजना (बांग्लादेश भाग)

कंपनी ने अगरतला (भारत) –अखौरा (बांग्लादेश) तक नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए तकनीकी सलाहकार सेवाएं (टीएएस) और बांग्लादेश भाग में निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

हैं। परियोजना के लिए निर्माण ठेकेदार को बांग्लादेश रेलवे द्वारा नियुक्त किया गया है और अनुबंध मूल्य 240.9 करोड़ बीडीटी (लगभग 209.47 करोड़ रुपए के बराबर) है। निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि ठेकेदार द्वारा दिनांक 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई थी, हालांकि लोको का ट्रायल रन दिनांक 22.08.2023 तक करने की योजना है। परियोजना की कुल प्रगति लगभग 88.24 प्रतिशत है।

2. **एलजीरिया**

इस परियोजना को रेलवे निवेश की योजना और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय एजेंसी, परिवहन मंत्रालय, अल्जीरिया सरकार, एएनईएसआरआईएफ द्वारा 1,628 करोड़ अल्जीरियाई दिनार (लगभग 1,003 करोड़ रुपए के बराबर) के मूल्य पर नवंबर, 2012 को पूरा होने की तारीख के साथ अवार्ड किया गया था। इस परियोजना में दूसरी लाइन का निर्माण और मौजूदा लाइन का उन्नयन शामिल है, जिसमें अल्जीरियाई रेलवे के अल्जीयर्स–ओरन खंड में ओएड स्ली से येलेल तक 10 किमी का मोड़ शामिल है। डबल लाइन के निर्माण के लिए अतिरिक्त कार्यों सहित अनुबंध का मूल्य संशोधित करके 3,268 करोड़ अल्जीरियाई दीनार (लगभग 2,342 करोड़ रुपए के बराबर) कर दिया गया है।

कार्य के संशोधित दायरे के अनुसार, परियोजना के दिसंबर 2023 में पूरी होने की संभावना है।

एएनईएसआरआईएफ की नकदी प्रवाह समस्याओं, जिससे प्रगति में बाधा आ रही है, के बावजूद 82 किमी नई ट्रैक लाइन का काम चालू कर दिया गया है, विशेष रूप से उप–ठेकेदारों को दिए गए संरचनात्मक कार्यों में। मौजूदा लाइन पर काम भी शुरू हो गया है और मौजूदा लाइन के 74 किमी में से 71.5 किमी का कुल विस्तार, 7 में से 6 स्टेशन भवन सौंपने के लिए तैयार हैं, और 8 प्रमुख पुल भी निर्धारित समय पर पूरे हो गए हैं। ग्राहक ने निर्बाध भुगतान का आश्वासन दिया है, जिससे काम की प्रगति में सुधार होगा और दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

3. **श्रीलंका**

(क) भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत महो ओमनथाई से रेलवे लाइन का उन्नयन – ट्रैक पुनर्वास और सहायक कार्य।

श्रीलंका में, कंपनी ने भारतीय क्रेडिट लाइन – ट्रैक पुनर्वास और सहायक कार्यों के तहत महो ओमानथाई से रेलवे लाइन के उन्नयन के लिए एक परियोजना प्राप्त की है। यह परियोजना श्रीलंका सरकार के परिवहन और नागर विमानन मंत्रालय के तहत श्रीलंकाई रेलवे द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 91.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 637.22 करोड़ रुपए के बराबर) के मूल्य पर प्रदान की गई है।

कार्य का दायरा, 5 महीने और 6 महीने के ट्रैफिक ब्लॉक के तहत दो चरणों में महो–ओमानथाई से लगभग 128 किमी लंबाई के मौजूदा सिंगल लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक का पुनर्वास है। यह परियोजना दिनांक 29 अप्रैल 2019 को 36 महीने की पूर्णता अवधि (अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तारीख से आरंभ अर्थात 29 नवंबर, 2019 से) के साथ प्रदान की गई थी। इस परियोजना को भारतीय क्रेडिट लाइन के अनुसार एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है। अनुबंध के अनुसार परियोजना के पूरा होने की तारीख 28 नवंबर, 2022 है। कोविड–19 महामारी प्रतिबंध और उसके बाद श्रीलंका में आर्थिक और ईंधन संकट के कारण परियोजना में देरी हो रही है।

अनुराधापुरा और वावुनिया (48.5 किमी) से मेगा ट्रैफिक ब्लॉक का पहला चरण जुलाई, 2023 में शुरू किया गया है।

इसके अलावा, महो से अनुराधापुरा (65 किमी) तक के शेष खंड के पुनर्वास के लिए दूसरे चरण का ट्रैफिक ब्लॉक दिए जाने पर चर्चा चल रही है और अभी तक निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। परियोजना के पूरा होने की संभावित तिथि 30 जून, 2024 होगी। परियोजना की समग्र प्रगति लगभग 62 प्रतिशत है।

ख. भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत महो जंक्शन (सहित) से अनुराधापुरा (छोड़कर) तक सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली हेतु डिजाइन का प्रापण, संस्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और प्रमाणनः

आपकी कंपनी ने भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत महो जंक्शन (सहित) से अनुराधापुरा (छोड़कर) तक सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली की डिजाइन के प्रापण, संस्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और प्रमाणन की एक परियोजना भी प्राप्त की गई है।

यह परियोजना, दिनांक 04 दिसंबर, 2022 को श्रीलंका सरकार के परिवहन और नागर विमानन मंत्रालय के तहत श्रीलंकाई रेलवे द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 14.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 121.25 करोड़ रुपए के बराबर) के मूल्य पर प्रदान की गई थी। समापन की अवधि मोबिलाइजेशन अग्रिम की प्राप्ति की तारीख से 12 महीने है।

इस परियोजना को भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है। श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक स्थितियों के कारण, अनुबंध समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। ऐसे में यह परियोजना अभी तक शुरू नहीं हो सकी है।

4. **नेपाल**

नेपाल में, कंपनी निम्नलिखित दो परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है :

(क) भारत–नेपाल सीमा पर जोगबनी (भारत) – विराटनगर (नेपाल) के बीच बीजी लाइन का निर्माण

इस परियोजना में बथनाहा (भारत), सीएच 0.00 किलोमीटर से बिराटनगर (नेपाल) सीएच किमी 18.60 तक नई बीजी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। भारतीय भाग में प्रस्तावित संरेखण (5.45 किमी) उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के कटिहार डिवीजन के तहत बिहार राज्य के अररिया जिले में और नेपाल की ओर (13.15 किमी) मोरंग जिले में पड़ता है।

401.65 करोड़ रुपए के अनुबंध का संशोधित मूल्य, विदेश मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन है।

बथनाहा (भारत) सीएच 0.00 से नेपाल कस्टम यार्ड (नेपाल) सीएच. 6.70 किमी का खंड पूरा हो गया है और चालू होने के लिए तैयार है। शेष भाग में कार्य प्रगति पर है। स्थानीय भूमि स्वामियों द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधाओं के कारण प्रगति बाधित हो रही है।

परियोजना की कुल प्रगति लगभग 86 प्रतिशत है।

(ख) नेपाल सीमा पर बरदीबास तक विस्तार सहिता जयनगर (भारत) – बिजलपुरा (नेपाल) भारत के गेज परिवर्तन द्वारा बीजी लाइन का निर्माण

इस परियोजना में बरदीबास, सीएच किमी 68.72 तक विस्तार सहित जयनगर (भारत) सीएच 0.00 कि.मी से बिजलपुरा (नेपाल) कि.मी. 52.336 तक एक नई बीजी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। भारतीय भाग में प्रस्तावित संरेखण (2.975 किमी) बिहार राज्य के मधुबनी जिले में और नेपाल की ओर (65.745 किमी) महोत्तरी जिले में पड़ता है।

783.83 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान विदेश मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन है।

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की ओर से दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 को जयनगर (किमी. 0.00) से कुर्था (किमी. 34.90) तक नवनिर्मित सीमा पार रेल खंड (खंड–1), नेपाल सरकार को सौंप दिया है, जिसका उद्घाटन दिनांक 02 अप्रैल, 2022 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से किया गया था। 34.9 किलोमीटर जयनगर (भारत) – कुर्था (नेपाल) खंड का पहला चरण, 68.72 किलोमीटर जयनगर– का हिस्सा है। बिजलपुरा–बरदीबास रेल लिंक भारत सरकार की एनपीआर 8.77 बिलियन की अनुदान सहायता के तहत बनाया जा रहा है।

किमी 34.900 से किमी 52.34 तक, खंड–2, कुर्था– बिजलपुरा भी पूरा हो चुका है। खंड–3 में किमी 52.34 से किमी 68.72 तक बिजलपुरा–बरदीबास की भूमि अभी तक नेपाल सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई है। परियोजना की कुल प्रगति लगभग 73 प्रतिशत है।

5. म्यांमार

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने कलादान मल्टी–मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमएमटीटी परियोजना) के तहत पलेटवा (म्यांमार) से जोरिनपुई (मिजोरम) (कलादान सडक परियोजना) तक सड़क निर्माण के शेष कार्य के लिए विदेश मंत्रालय से, ईपीसी मोड पर 1780 करोड़ रुपए की एकमुश्त लागत पर म्यांमार में एक परियोजना प्राप्त की है। इस परियोजना के साथ, उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोलने और मिजोरम को जोरिनपुई में म्यांमार के चिन राज्य से जोड़ने का मंशा है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर दिनांक 07 मार्च, 2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं और परियोजना को समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 40 महीने के भीतर पूरा किया जाना है।

वर्तमान में, 50 किमी की दूरी में, पलेटवा छोर (म्यांमार) से 40 किमी और जोरिनपुई छोर (भारत–म्यांमार सीमा) से 10 किमी में काम शुरू हो गया है। शेष 50.90 किलोमीटर हिस्से में काम, अक्टूबर 2023 के बाद शुरू होने की उम्मीद है, जब मानसून का मौसम समाप्त हो जाएगा।

रियल एस्टेट क्षेत्र

रियल एस्टेट सेक्टर में व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इरकॉन ने इस सेक्टर को विविधीकरण के क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना है। आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक और कार्यालय उपयोग के लिए नोएडा में 90 वर्षों के लिए लीजहोल्ड के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में 8 भूखंडों का अधिग्रहण किया था और 22,023 वर्ग मीटर को सफलतापूर्वक पट्टे पर दिया है। कंपनी ने सेक्टर 32, गुरुग्राम, हरियाणा में भी संपत्ति विकसित की है और यह संपत्ति भारतीय ट्रेडमार्क प्राधिकरण के साथ इरकॉन इंटरनेशनल टॉवर के रूप में पंजीकृत है। लगभग 2079 वर्ग. मीटर कारपेट एरिया की इस संपत्ति का सरकारी एजेंसियों को पट्टे पर दे दिया गया है और शेष उपलब्ध स्थान को पट्टे पर देने की प्रक्रिया चल रही है।

सेक्टर–43, नोएडा, उत्तर प्रदेश में इरकॉन रिटेल मॉल और सेक्टर–48, नोएडा, उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक–सह–कार्यालय भवन को पूरी तरह से पट्टे पर दे दिया गया है।

कंपनी ने दिनांक 26 मार्च, 2018 को बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र को अपफ्रंट लीज प्रीमियम के भुगतान पर 99 वर्षों के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के साथ 4.3 (चार अंक तीन) हेक्टेयर भूमि पार्सल पर वाणिज्यिक विकास के लिए इरकॉन को लीजहोल्ड अधिकारों के हस्तांतरण के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया था। । चूंकि एमओयू समाप्त हो गया है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) और आरएलडीए/रेल मंत्रालय के बीच समझौते को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है, इसलिए भूमि, आरएलडीए को वापस कर दी गई है और प्लॉट के वाणिज्यिक विकास के लिए परामर्श अनुबंध को आरएलडीए को भी नवीकृत किया गया है।

कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम कंपनियाँ और सहयोगी कंपनियाँ

इरकॉन की ग्यारह सहायक कंपनियों और सात संयुक्त उद्यम कंपनियों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ–साथ उनकी वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन को को परिशिष्ट–ख पर उपलब्ध कराया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए महत्वपूर्ण सहायक कंपनी और एलओडीआर विनियमों के विनियमन 24ए के निर्धारण पर कंपनी की नीति के अनुसार, कोई भी सहायक कंपनी 'महत्वपूर्ण सहायक कंपनी' नहीं है अर्थात जिसकी कुल आय या शुद्ध संपत्ति है पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2022 में इरकॉन की समेकित आय या निवल मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

राष्ट्रपति के निदेशों का अनुपालन

आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए समय–समय पर जारी किए गए अध्यक्षीय निर्देश जैसे कि आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति, रोजगार में अजा/अजजा रोस्टर, वेतनमान 2017 में संशोधन आदि का अनुपालन किया गया है।

राजभाषा

कंपनी कार्यालय में हिंदी के व्यापक उपयोग के लिए विभिन्न उपाय और उत्साहजनक पहल कर रही है। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया हैं:

क. सभी कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को पूरी तरह से हिंदी में काम करने की शपथ।

ख. कॉर्पोरेट कार्यालय में तिमाही आधार पर राजभाषा संगोष्ठि का संचालन किया जा रहा है।

ग. विभिन्न विभागों द्वारा रोटेशनल आधार पर योगदान के रूप में एक विचार और एक शब्द, जन्मदिन की शुभकामनाएं, प्रसिद्ध कवियों की कविता आदि को स्वागत कक्ष में हिंदी में प्रदर्शित किया जा रहा है।

घ. रिसप्शन क्षेत्र में हिन्दी भाषा में दिन का विचार और एक शब्द को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे रोटेशन आधार पर रोजाना विभागों द्वारा प्रदान किया जाता है।

हिंदी में काम करने में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए हर तीसरे महीने में कॉर्पोरेट विभाग में किसी एक विभाग के साथ हिंदी विभाग द्वारा एक बैठक आयोजित की जाती है। इसके अलावा, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित त्रैमासिक बैठकें और यूनिकोड प्रणाली और कार्यालयीन भाषा के प्रभावी उपयोग के लिए त्रैमासिक कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फोन के लिए द्विभाषी सुविधा शुरू की गई है। कर्मचारियों द्वारा उपयोग के लिए द्विभाषी प्रारूप को इरकॉन की आंतरिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, इरकॉन ने हमारी वेबसाइट पर अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और राज्य स्तरीय लोक सूचना अधिकारियों के नामों सहित अद्यतन जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। हमने विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त प्रश्नों का तुरंत उत्तर दिया है। ये प्रश्न मुख्य रूप से सेवा मामलों, भर्तियों, वित्त, अनुबंध, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) और परियोजनाओं से संबंधित थे। आरटीआई मामलों का विवरण नियमित रूप से तिमाही और वार्षिक आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इसकी एक प्रति सूचना हेतु रेल मंत्रालय को भी भेजी जाती है।

वर्ष 2022–23 के दौरान 204 आवेदन एवं 38 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं तथा वर्ष के प्रारंभ में 01 आवेदन स्वीकार्य समय सीमा के भीतर निस्तारण हेतु प्रक्रियाधीन था (अर्थात वर्ष के दौरान कुल 205 आवेदन एवं 38 अपीलें)। जिनमें से 193 आवेदन (1 आवेदन के प्रारम्भिक शेष सहित) एवं 38 प्रथम अपीलों का निस्तारण किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2023 तक 12 आवेदन एवं 02 अपीलें स्वीकार्य समय–सीमा में निस्तारण हेतु प्रक्रियाधीन थीं।

एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीतियों के कार्यान्वयन का अनुपालन और मेक इन इंडिया को प्राथमिकता।

कंपनी ने जून 2012 से एक व्यापक खरीद प्राथमिकता नीति लागू की है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा–11 के तहत अधिसूचित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुरूप है। इरकॉन अपनी खरीद के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) और सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल का उपयोग करता है, जो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी वैधानिक निकाय के साथ पंजीकृत एमएसई फर्मों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

कंपनी ने हमेशा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को अपनी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है और प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें बढ़ावा भी दिया है। इस दिशा में हमारे निरंतर प्रयास से छोटे स्थानीय पक्षों की भागीदारी में सुधार हुआ है और परिचालन स्थानों के आसपास समुदायों का सामाजिक–आर्थिक विकास हुआ है।

इरकॉन ने एमएसई नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं। निविदा दस्तावेजों की लागत में छूट और बयाना राशि जमा करने तथा नीति के तहत निर्धारित खरीद प्राथमिकता के लाभों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए निविदाओं में शामिल किया गया है।

कंपनी, जेम के माध्यम से खरीद पर सरकार के दिशानिर्देशों का व्यापक स्तर पर पालन कर रही है और भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' निर्देशों को बढ़ावा देने के लिए निविदाओं में भी प्रावधान किए गए हैं। सार्वजनिक खरीद (भारत में निर्माण को प्राथमिकता), आदेश 2017 के अनुपालन में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली का उपयोग करते हुए वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 200 करोड़ रुपए तक के मूल्य की निविदाएं आमंत्रित की गईं हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने सामग्री, स्टोर और सेवा के लिए 102.39 करोड़ रुपए (एमएसई के दायरे से बाहर की वस्तुओं की खरीद को छोड़कर) के व्यय के की तुलना में एमएसई विक्रेताओं से 44.52 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं की खरीद की है, जिससे खरीद नीति के अनुपालन में एमएसई से 43.48 प्रतिशत खरीद की उपलब्धि प्राप्त हुई है। कंपनी ने दिनांक 16 दिसंबर, 2022 को कॉर्पोरेट कार्यालय, दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर का विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुपालन में, कंपनी, दिनांक 25 जनवरी, 2018,ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग

सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर शामिल हो गई है ताकि एमएसई की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण को उनकी प्राप्तियों में छूट देकर और नियत तारीख से पहले उनके भुगतान की वसूली की सुविधा प्रदान कर सके। इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक एमएसई विक्रेताओं के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तों में एक खंड शामिल किया गया है।

मानव संसाधन विकास

इरकॉन मानता है कि उसके कर्मचारी उसकी सफलता के मूल आधार हैं और संगठन के मूल्यों और संस्कृति की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगठन का दृढ़ विश्वास है कि उसकी उपलब्धियाँ उसके कार्यबल के संरेखण और प्रदर्शन के साथ–साथ सकारात्मक कार्य वातावरण बनाए रखने पर निर्भर करती हैं। यह एक सहयोगात्मक, समावेशी और प्रदर्शन–संचालित वातावरण स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो सीखने, विकास और समग्र कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देता है।

इरकॉन का मानव संसाधन (एचआर) दर्शन, कर्मचारियों को सशक्त बनाने और उनका पोषण करने, उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की अनुमति देने, नवीन विचारों को प्रोत्साहित करने और प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार प्रदान करने के परिवेश में स्थापित है। कंपनी की कार्य संस्कृति खुलेपन और गतिशीलता की विशेषता है, जो कर्मचारियों को शीर्ष प्रबंधन के पूर्ण समर्थन के साथ अपनी भूमिकाओं में पहल करने के लिए सशक्त बनाती है।

इरकॉन में, मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) दल, सक्षम लोगों को भर्ती करने, उन्हें कंपनी में बनाए रखने और विकसित करने के लिए समर्पित है। वे लगातार एक इष्टतम कार्य वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं जो समावेशी, खुला, विविध हो और सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर प्रदान करता हो। कंपनी ने संगठनात्मक सफलता के लिए आवश्यक दक्षताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी मानव संसाधन रणनीति, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ जोड़ दिया है। यह रणनीति कर्मचारियों के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है, जो कंपनी की भावी आवश्यकताओं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच अंतर को कम करती है।

इरकॉन एक प्रदर्शन–उन्मुख संस्कृति बनाए रखता है, जहां प्रत्येक कर्मचारी के योगदान को मापा जाता है और उचित रूप से मान्यता दी जाती है। कंपनी ने एक मजबूत प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) लागू की है जो सभी स्तरों पर योग्यता को पुरस्कृत करने और स्वीकार करने के कंपनी के दर्शन के अनुरूप है। यह प्रणाली, कंपनी के प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया में एकीकृत, एक संरचित दृष्टिकोण के माध्यम से अधिकारियों के पेशेवर विकास को सार्थक बनाती है। इरकॉन अपने अत्यधिक प्रेरित और सक्षम मानव संसाधनों पर गर्व करता है और उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है।

जनशक्ति ताकत

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक इरकॉन की कुल जनशक्ति 1341 (पिछले वर्ष 1278) थी, जिसमें 933 नियमित कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पर 35 कर्मचारी, अनुबंध आधार पर 369 (सेवा अनुबंध सहित) और 04 निश्चित कार्यकाल के आधार पर शामिल थे। कंपनी के कुल 1341 कर्मचारियों में से 1284 भारतीय परियोजनाओं पर और 57 अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं पर तैनात हैं। 1341 कर्मचारियों में से 900 तकनीकी और व्यावसायिक रूप से योग्य हैं। 31 मार्च, 2023 तक कुल 65 महिला कर्मचारी थीं।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए प्रति कर्मचारी कुल आय 7.65 करोड़ रु. है जबकि वित्त वर्ष 2021–22 में यह राशि 5.62 करोड़ रुपए थी।

वर्ष के दौरान, नए नियुक्त कुल कार्मिक 266 थे, जिनमें 69 नियमित कर्मचारी, 9 प्रतिनियुक्ति पर और 188 अनुबंध आधार (सेवा अनुबंध सहित) पर नियुक्त कर्मचारी शामिल थे।

रोजगार में आरक्षण

कंपनी अनुसूचित जाति(अ.जा)/अनुसूचित जनजाति(अ.ज.जा)/अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व) तथा दिव्यांग जनों की श्रेणियों के उम्मीदवारों को रोजगार में आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार की नीतियों और निदेशों के क्रियान्वयन से संबंधित विषय में भारत सरकार की नीतियों और निदेशों के क्रियान्वयन को सर्वाधिक महत्व देती है। दिनांक 31 मार्च 2023 को कंपनी में कुल 521 अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व तथा दिव्यांगजनों कर्मचारी हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, 66 कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त किया गया था, जिनमें से 29 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अलग–अलग श्रेणियों के हैं। इसी प्रकार संविदा पदों पर 164 कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिनमें से 84 अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व और दिव्यांग वर्ग के हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 437 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 171 अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व तथा दिव्यांगजन वर्ग के हैं। इन कर्मचारी श्रेणियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने संपर्क अधिकारी नियुक्त किए हैं।

कंपनी की अवसंरचना दिव्यांगजन कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार सुनिर्मित है।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

इरकॉन कर्मचारियों के विकास और केरियर प्रोग्रेशन पर व्यापक बल देता है। वर्षभर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। प्रतिष्ठित तथा विख्यात संस्थानों/ एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेशेवर कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का इरकॉन की व्यावसायिक आवश्यकता की तर्ज पर ध्यानपूर्वक पहचान की गई और ऐसे कार्यक्रमों में उपयुक्त अधिकारियों को नामित किया गया था।

आपकी कंपनी कार्यात्मक तथा सामान्य प्रबंधन क्षेत्रों, संविदा एवं मध्यस्थता, नेतृत्व, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुगम कौशलों के क्षेत्र

में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। जहां कहीं आवश्यक हुआ, बाहरी फैकल्टी को आमंत्रित किया जाता है और कार्मिकों को कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों आदि में भेजा जाता है। कर्मचारी विकास सदैव कम्पनी की प्राथमिकता रही है और समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण और विकास योजनाओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल 816 श्रम दिवस के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों आदि के माध्यम से इरकॉन के कार्मिकों को बाहरी संस्थानों तथा इन–हाऊस प्रशिक्षण, आदि प्रदान किया गया है।

कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों के कल्याण के लिए कंपनी के पास पर्याप्त और मजबूत योजनाएँ हैं। इनमें छूट सुविधा से युक्त कैंटीन सुविधा, स्वास्थ्य कवर, चिकित्सा योजना, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना, सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन योजना, नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य जांच, भत्ते, आवासीय आवास के लिए स्व–पट्टे, कर्मचारियों के वार्डों को शैक्षिक छात्रवृत्ति, आदि शामिल हैं। व्यावसायिक डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमुश्त शैक्षिक अनुदान, कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को शैक्षिक पुरस्कार, मृत कर्मचारियों के वार्डों को शैक्षिक सहायता, बेटियों की शादी के लिए सहायता और गैर–कार्यकारी श्रेणियों में कर्मचारियों की आश्रित बहनें, सुविधा कॉरपोरेट कार्यालय में मुफ्त होम्योपैथी और एलोपैथी परामर्श, और डालमिया और स्टर्लिंग रिसॉर्ट्स के माध्यम से कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए रियायती दरों पर सुविधाओं का सहारा लेना।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार खुलासा

आपकी कंपनी, अपनी महिला कर्मचारियों के लिए सहायक और सुरक्षित कार्य वातावरण के सृजन के लिए समर्पित है। कंपनी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक व्यापक नीति लागू की है, जो नियमित कर्मचारियों, प्रतिनियुक्ति, अस्थायी कर्मचारियों, तदर्थ कर्मचारियों, अनुबंध श्रमिकों, दैनिक वेतन–भोगी श्रमिकों, एजेंसियों या ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित व्यक्ति सहित सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। यह नीति, इसके विवरण के साथ, कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसके अलावा, यह नीति इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों तक फैली हुई है, जो विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में बनाई गई हैं।

आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य आंतरिक समिति (आईसी) के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया है। आंतरिक समिति में कंपनी के चार अधिकारियों सहित पांच सदस्य और एनजीओ से एक बाहरी सदस्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यौन उत्पीड़न के निषेध से संबंधित प्रावधानों को इरकॉन के आचरण, अनुशासनात्मक और अपील नियमों में शामिल किया गया है। वर्ष की शुरुआत में कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी। वर्ष के दौरान, यौन उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई और इसे निर्धारित समय–सीमा के भीतर उचित रूप से निपटाया गया है। वर्ष के अंत तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता

आपकी कंपनी, अपने परिचालन क्षेत्रों में सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए व्यापक रूप से प्रतिबद्ध है। हम अपने हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए एक स्थायी समाज के विकास में योगदान देने का प्रयास करते हैं। पूरे वर्षों में, इरकॉन ने विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) क्षेत्रों की पहचान की है और उन कार्यों और पहलों को लागू किया है जिनका समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमारी सीएसआर गतिविधियाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खेल, संस्कृति और विरासत, ग्रामीण परिवर्तन और पीएम केयर्स फंड में योगदान सहित कई क्षेत्रों को शामिल करती हैं।

हमारे सीएसआर प्रयासों को निर्देशित करने के लिए, हमारी कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप हमारे पास कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति (सीएसआर नीति) है। यह नीति दिशानिर्देश और कार्यतंत्र निर्धारित करती है जिनका कंपनी को सीएसआर परियोजनाओं को पूरा करते समय पालन करना चाहिए। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा दिनांक 10 दिसंबर, 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के साथ–साथ 12 मई, 2021 को किए गए अपडेट के अनुसार, सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) को उनकी सीएसआर गतिविधियों के लिए थीम–आधारित दृष्टिकोण का पालन करना आवश्यक है। कंपनी अपने वार्षिक सीएसआर बजट का न्यूनतम 60 प्रतिशत विषयगत कार्यक्रमों के लिए आवंटित करती है और अपनी सीएसआर पहल में आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, सीपीएसई की सीएसआर गतिविधियों के लिए डीपीई द्वारा चुना गया सामान्य विषय ''स्वास्थ्य और पोषण'' है। इन दिशानिर्देशों का पालन करके और चुने गए विषय को अपनाकर, हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और अपने समुदायों के कल्याण में योगदान देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

पिछले वर्ष के दौरान, हमारी कंपनी ने लक्षित लाभार्थियों के लिए अधिकतम प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से सीएसआर गतिविधियों की कल्पना और कार्यान्वयन हेतु एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया था। ये पहल प्रतिष्ठित कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से की गईं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में, सीएसआर गतिविधियों पर वास्तविक व्यय 10.12 करोड़ रुपए था, जो आवंटित बजट 10.10 करोड़ रुपए से अधिक था। इस बजट के भीतर, एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्पित किया गया था, जिसमें पीएम केयर फंड में 1.53 करोड़ रुपए का योगदान भी शामिल था।

सीएसआर नीति, जो सीएसआर गतिविधियों के संचालन के लिए व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है, हमारी कंपनी की वेबसाइटः www.ircon.org पर उपलब्ध है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और संशोधित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुपालन में सीएसआर और

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

स्थिरता गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ जोड़ी गई है, जो इसका एक अभिन्न अंग है।

गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

इरकॉन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन को अपनाने वाला एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्रक संगठन है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) को वर्ष 1996 से सफलतापूर्वक स्थापित रखा गया है और इसमें लगातार सुधार किया गया है, जब कंपनी को पहली बार टीयूवी एसयूडी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईएसओ 9002 : 1994 के लिए प्रमाणित किया गया था। इरकॉन ने प्रमाणीकरण जारी रखा है और गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के नवीनतम संस्करण, यानी आईएसओ 9001:2015 (हर तीन वर्ष की समाप्ति के बाद आवधिक पुनः प्रमाणन ऑडिट द्वारा) के अनुसार प्रणाली को विद्यमान रखा है। नवीनतम पुनः प्रमाणन ऑडिट सितंबर, 2022 में आयोजित किया गया था, जिसके तहत कंपनी को टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अगले तीन वर्षों की अवधि, अर्थात मार्च 2026 तक के लिए पुन : प्रमाणित किया गया है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

कंपनी ने एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की और अक्टूबर, 2011 में आईएसओ 45001:2004 के लिए प्रमाणित किया गया। आईएसओ 45001:2018 के लिए नवीनतम निगरानी ऑडिट अगस्त 2022 में आयोजित किया गया था, जिसके तहत कंपनी को अगले दो वर्षों अर्थात दिसंबर, 2024 तक के लिए फिर से प्रमाणित किया गया है। ,

पर्यावरण प्रबंधन

कंपनी ने एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) स्थापित की और अक्टूबर 2011 में इसे आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित किया गया है। आईएसओ 14001:2015 के लिए नवीनतम पुनः प्रमाणन ऑडिट, नवंबर 2022 में आयोजित किया गया था, जिसके तहत कंपनी को अगले तीन वर्षों अर्थात फरवरी 2026 तक के लिए फिर से प्रमाणित किया गया है। ,

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और उन्नयन

इरकॉन पारंपरिक स्रोतों की सीमित प्रकृति और ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के महत्व के प्रति सचेत है। कंपनी अपने कार्यालय परिसर और विभिन्न परियोजनाओं में ऊर्जा कुशल उपकरणों के उपयोग पर लगातार जोर दे रही है ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में, इरकॉन ने पिछले वर्षों के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

क) इरकॉन ने कॉर्पोरेट कार्यालय में कुल 90 किलोवाट का रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है, जो ऊर्जा संरक्षण और हरित ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण में योगदान करने के लिए एक प्रमुख कदम है। सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित कुल ऊर्जा 44,853 यूनिट केडब्ल्यूएच है, जो बीएसईएस से ली गई ऊर्जा का 3.1 प्रतिशत है। इरकॉन ने अपने गुड़गांव कार्यालय भवन में कुल 75 किलोवाट का रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट भी स्थापित किया है।

ख) पावर फैक्टर में सुधार के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय भवन में कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं, जो विद्युत ऊर्जा की खपत को और कम करता है।

ग) ऊर्जा–कुशल एलईडी लैंप द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय भवन की आंतरिक रोशनी से भी सामान्य रोशनी की तुलना में प्रति वर्ष लगभग 3,00,000 किलोवाट यूनिट ऊर्जा की बचत होती है।

घ) 10.7 एमवीएआर क्षमता के इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर (आईजीबीटी) तकनीक के स्वचालित/ डायनेमिक रिएक्टिव पावर फैक्टर (एपीएफ) सुधार/ मुआवजा पैनल डिजाइन किए गए हैं और आरएसएस ऊर्जा संरक्षण के लिए एनसीआरटीसी परियोजना अर्थात दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए रिसीविंग सबस्टेशन (आरएसएस) पर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, आरएसएस कंट्रोल रूम भवन का निर्माण भी ऊर्जा संरक्षण के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) मानकों की उच्चतम रेटिंग के साथ किया गया है।

ड.) इरकॉन ने ऊर्जा संरक्षण के लिए एलईडी लाइटें भी लगाई हैं, जो विभिन्न परियोजनाओं, जैसे बंडामुंडा में लोको शेड, मथुरा–कासगंज–कल्याणपुर आरई परियोजना में स्टाफ क्वार्टर, कटनी–सिंगरौली आरई परियोजना, यूएसबीआरएल ईएंडएम टनल प्रोजेक्ट में स्थापित करने की योजना, आदि में ऊर्जा की खपत को 50 प्रतिशत तक कम कर देती हैं।

च) पावर फैक्टर में सुधार के लिए यूएसबीआरएल आरई परियोजना के लिए बारामूला, काजीगुंड और बडगाम टीएसएस (जेएंडके) और कटनी–सिंगरौली परियोजना के 04 ट्रैक्शन सब–स्टेशन (टीएसएस) में 2400 केवीएआर क्षमता के कैपेसिटर बैंक भी स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, इज्जतनगर मंडल के मुरादाबाद–काशीपुर आरई परियोजना के लालकुआं और काशीपुर टीएसएस में 5500 केवीएआर क्षमता के कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेनों के संचालन के बाद कैपेसिटर बैंक स्थापित करने पर दैनिक आधार पर 34,750 यूनिट से अधिक बिजली संरक्षित की जाएगी। इसके अलावा, टनल सबस्टेशनों के लिए जेट पंखों के कारण प्रतिक्रियाशील बिजली उत्पादन को विनियमित करने के लिए कुल 16 एमवीएआर कैपेसिटर बैंक स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा की खपत कम होगी।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम :

कंपनी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में निम्नलिखित का उपयोग कर रही है:

क) इरकॉन कॉर्पोरेट कार्यालय, गुरुग्राम भवन और इसके परियोजना

कार्यालयों में ग्रीन भवन निर्माण के समान सुविधाएँ भी प्रदान कर रहा है, जिससे पानी, सामग्री, अपशिष्ट, ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन पर पर्यावरणीय प्रभाव कम हो जाएगा। इरकॉन ने विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में सौर पैनल स्थापित किए हैं, और बिजली बचाने के लिए कॉर्पोरेट और अन्य कार्यालयों में एलईडी लाइट, सेंसर लाइट और सेंसर नल का भी उपयोग किया जा रहा है।

ख) इरकॉन ने संगलदान (जम्मू–कश्मीर) में अपने कार्यालय परिसर के लिए 110 केवीपी की क्षमता के साथ सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक पैनल भी स्थापित किए हैं।

ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश :

इरकॉन ने 4.2 करोड़ रुपए कॉरपोरेट कार्यालय में मौजूदा हीटिंग, वेंटिलेशन और वातानुकूलन (एचवीएसी) प्रणाली को नई तकनीक वाले उर्जा कुशल इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग सिस्टम से बदलने के लिए, निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे ऊर्जा की खपत 20–30 प्रतिशत कम हो जाएगी।

इसके अलावा, आर–22 के पुराने रेफ्रिजरेंट को नई तकनीक वाले रेफ्रिजरेंट आर–410ए से बदला जाएगा जो पर्यावरण के अनुकूल है और संधारणीय विकास में सहायक कार्बन उत्सर्जन को कम करता है।

प्रौद्योगिकी समावेशन और उन्नयन प्रौद्योगिकी समावेशन की दिशा में किए गए प्रयास :

प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में, कंपनी ने वर्ष 2019 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, सीटीपी–12 (डीएफसी प्रोजेक्ट) परियोजना के लिए एक नई ट्रैक निर्माण (एनटीसी) मशीन खरीदी थी, जिसे डीएफसी में ट्रैक बिछाने में उत्पादकता, सुरक्षा, दक्षता और गुणवत्ता में सुधार के लिए सफलतापूर्वक चालू किया गया है।

आपकी कंपनी ने दिनांक 24 दिसंबर, 2021 को मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे (एमएएचएसआर) परियोजना के निर्माण के लिए एक परियोजना प्राप्त की है, जिसे भारत में निर्माण की योजना बनाई गई पहली हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क के रूप में नामित किया गया है। इस नेटवर्क के लिए शिंकानसेन बुलेट ट्रेन की जापानी प्रणाली को उसकी सुरक्षा, प्रदर्शन और विश्वसनीयता रिकॉर्ड के लिए चुना गया है। परियोजना को प्राप्त करने के बाद, इरकॉन ने वापी और सूरत रेलवे स्टेशनों के बीच 237 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए शिंकानसेन तकनीक पर आधारित हाई–स्पीड ट्रैक निर्माण के विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। यह शिंकानसेन ट्रैक 350 किमी प्रति घंटे की अधिकतम स्वीकार्य गति से बुलेट ट्रेन चलाने में सक्षम होगा। कंपनी ने ''मेक इन इंडिया'' योजना के तहत रेल वेल्डिंग मशीन खरीदी है और इसे चालू करने की प्रक्रिया में है। शिंकानसेन तकनीक भारत में रेलवे के मेट्रो नेटवर्क में बनाए जा रहे पारंपरिक गिट्टी–रहित ट्रैक के स्थान पर आरसीसी ट्रैक बेड, जे ट्रैक स्लैब, सीमेंट डामर ग्राउट, विशेष फिटिंग और जेआईएस रेल का उपयोग करेगी।

सृजित लाभ जैसे उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन

एनटीसी मशीन के प्रचालन साथ, समान स्लीपर स्पेसिंग और न्यूनतम मैनुअल इंटरफेस के साथ 260 मीटर लंबा रेल पैनल बिछाया जा सकता है। यह ट्रैक बिछाने की बेहतर गुणवत्ता और प्रति दिन 1.5 किमी पूरा होने के साथ ट्रैक बिछाने की तेज प्रगति सुनिश्चित करता है।

आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) – लागू नहीं।

अनुसंधान और विकास

कंपनी किसी भी शुद्ध अनुसंधान परियोजना का केवल कार्य ही नहीं करती है, अपितु तकनीकी क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के लिए आवश्यक गुणवत्ता के साथ, लागत प्रभावी तरीके से परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए नए तरीके विकसित करने के लिए सलाहकारों और फर्मों की मदद भी लेती है।

सूचना प्रौद्योगिकी और ईआरपी

कंपनी का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग डेटा नेटवर्क, कंपनी–व्यापी सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन, आईटी हार्डवेयर उपकरणों की खरीद के साथ–साथ राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली (एचटीएमएस), टोल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) के कार्यान्वयन सहित कई सेवाएं प्रदान करता है और रियायतकर्ताओं के रूप में इरकॉन और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा शुरू और संचालित प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं के लिए वेट–इन–मोशन प्रणाली लागू कर रहा है। आईटी न केवल एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है बल्कि इरकॉन के भीतर उत्पादकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इरकॉन ने हाल ही में वित्त, नियंत्रण और मानव संसाधन प्रबंधन के संचालन के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में एसएपी एस/4 हाना में अपग्रेड किया है। इससे कंपनी को व्यापक सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता प्राप्त हुई है और तेजी से निर्णय लेने में मदद मिली है। एसएपी बिजनेस ऑब्जेक्ट्स (एसएपी बीओ) एसएपी का एक विश्लेषणात्मक उत्पाद है, जिसे मांग आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग को स्वचालित करने के लिए एसएपी कार्यान्वयन में जोड़ा गया था। यह रिपोर्टिंग टूल सेप से वास्तविक समय डेटा प्राप्त करता है और कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने में मदद करता है। एसएपी के कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल, वित्त और एचसीएम मॉड्यूल पूरे संगठन के लिए शुरू किए गए हैं और पांच पायलट स्थानों को पूर्ण कार्यक्षमता के लिए लाइव किया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण सेप एस4 उंड हाना से तैयार किए गए थे और अप्रैल 2022 से कर्मचारियों के वेतन को भी इसके पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है। कार्यान्वयन के बाद पूरी तरह कार्यात्मक एसएपी एस4–हाना इरकॉन की शुरू से अंत तक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को कवर करेगा। एस4–हाना ईआरपी सॉफ्टवेयर के सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को उच्च उपलब्धता वाले वातावरण में सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मीटी पैनल वाले डेटासेंटर पर रेलटेल क्लाउड पर होस्ट किया गया है, जहां नियमित सेवाओं में व्यवधान के बिना क्षमता वृद्धि की संभावनाएं हैं।

सभी घरेलू और विदेशी परियोजनाओं के लिए इरकॉन में ई–ऑफिस

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रणाली लागू की गई है। यह फाइलों, नोट शीटों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों की मंजूरी और आवाजाही के लिए भारत सरकार की कागज रहित कार्यालय पहल की दिशा में एक कदम है। यह हानि रहित और न मिटने योग्य डेटा सुविधा और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण सुविधाओं के साथ भौतिक फाइल प्रणाली का पूर्ण प्रतिस्थापन है।

एस4–हाना के साथ–साथ ई–ऑफिस का कार्यान्वयन, दोनों प्रणालियों के संयोजन सै होगा, और इसने इरकॉन को पूरे संगठन में लगभग कागज रहित आवश्यकता के साथ आगे बढ़ने में मदद की है।

अत्याधुनिक एआई आधारित ऑनलाइन मीटिंग पर आधारित समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का व्यापक रूप से परियोजना कार्यालयों, प्रशिक्षण, पदोन्नति साक्षात्कार और अनुबंध प्रबंधन मुद्दों आदि के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। साइबर और सोशल इंजीनियरिंग हमले आजकल संगठनों की सूचना सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हैं। . इरकॉन ने इस क्षेत्र में प्रयास किये हैं और एक साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार की है। साइबर हमले की घटनाओं को रिकॉर्ड और आगे के मार्गदर्शन के लिए सीईआरटी एंड आईएन को सूचित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि उद्योग की प्रक्रियाओं और मानदंडों के अनुसार उचित साइबर सुरक्षा ऑडिट किया जाए।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों और सर्वोत्तम पद्धतियों का पालन करने, दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य बढ़ाने और अल्पसंख्यक अधिकारों को बनाए रखने में उनके महत्व को पहचानने पर बहुत जोर देती है। यह कंपनी के संचालन, प्रदर्शन, नेतृत्व और शासन के संबंध में समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करना, एक मौलिक दायित्व मानता है।

मई 2010 में जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एलओडीआर विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के विनियम–34 के अनुपालन में, उपरोक्त एलओडीआर विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुपालन प्रमाणपत्रों के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट संलग्न है और यह इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

31 मार्च, 2023 तक, कंपनी में दस निदेशक हैं, जिनमें से चार पूर्णकालिक निदेशक हैं ख्अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्य) और निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त प्रभार),, दो सरकारी नामित निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक।

कंपनी ने वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए रेल मंत्रालय से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध किया है। स्वतंत्र निदेशकों के पद पर दो रिक्तियां थीं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–203 के अनुसार, निदेशक मंडल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और सभी पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) घोषित किया था। कंपनी के सबसे वरिष्ठ वित्त अधिकारी को मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और केएमपी के रूप में नामित किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

दिनांक 31 मार्च, 2023 को कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक (कार्यात्मक) निदेशक थे – श्री योगेश कुमार मिश्रा (डीआईएन : 07654014), अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ, श्रीमती रागिनी आडवाणी, (डिन:09575213), निदेशक (वित्त), श्री पराग वर्मा, (डिन:05272169) निदेशक (कार्य), श्री संदीप जैन (डिन:09435375) निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त प्रभार), अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक अर्थात श्री बृजेश कुमार गुप्ता (डिन:10092756) और श्री धनंजय सिंह (डिन:08955500), सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक होने के रूप में, श्री अजय कुमार चौहान (डिन:09394953), श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता (डिन:09398271), श्रीमती रंजना उपाध्याय (डिन: 07787711) (महिला स्वतंत्र निदेशक) और डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र (डिन:09453387)। सीईओ और पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा, दिनांक 31 मार्च, 2023 को अन्य केएमपी में कार्यपालक श्री बी मुगुंथन निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ और सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 की समाप्ति के दौरान और उसके बाद निदेशकों और केएमपी की नियुक्तियाँ और समाप्ति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2022–23 की समाप्ति के बाद, रेलवे बोर्ड के दिनांक 29 अप्रैल, 2023 के पत्र के अनुसार, दिनांक 29 अप्रैल, 2023 से प्रभावी श्री योगेश कुमार मिश्रा (डिनः 07654014) ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का प्रभार छोड़ दिया और श्री बृजेश कुमार गुप्ता (डिनः 10092756) ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। कंपनी की आगामी एजीएम में श्री गुप्ता को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियमित करने का प्रस्ताव है।

कार्यात्मक निदेशकों के पद में परिवर्तन

श्रीमती रागिनी आडवाणी (डिनः 09575213) को दिनांक 19 अप्रैल, 2022 से कंपनी के निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था, और दिनांक 29 जून, 2022 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से निदेशक (वित्त) के रूप में नियमित किया गया।

श्री पराग वर्मा (डिन:05272169) को दिनांक 21 सितंबर, 2022 से कंपनी के निदेशक (कार्य) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से निदेशक (कार्य) के रूप में नियमित किया गया।

श्री श्याम लाल गुप्ता (डिन:07598920) सेवानिवृत्ति के कारण 31 दिसंबर, 2022 को निदेशक (परियोजना) के पद से कार्यमुक्त हो गए हैं। श्री संदीप जैन, आईआरएसई, कार्यकारी निदेशक योजना (सिविल और पीएसयू) – रेलवे बोर्ड को दिनांक 01.10.2019 से निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त निदेशक) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा

गया है। दिनांक 12 जनवरी, 2023 और 07 जुलाई, 2023 को निदेशक (परियोजना) के पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति पर कार्यभार छोड़ने के कारण निदेशक (परियोजना) (अतिरिक्त प्रभार) के पद से पदमुक्त हो गए हैं।

श्री आनंद कुमार सिंह (डिनः 07918656), आईआरएसई को पीईएसबी द्वारा चयन पर निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में 07 जुलाई, 2023 को नियुक्त किया गया है। कंपनी की आगामी एजीएम में श्री सिंह को कंपनी के निदेशक (परियोजना) के रूप में नियमित करने का प्रस्ताव है।

रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य (राजस्व) श्री मोहित सिन्हा (डिनः 00843548) ने कंपनी के निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 19 अप्रैल 2022 को छोड दिया है।

अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक/सरकारी नामित निदेशक के पद में परिवर्तन :

श्री बृजेश कुमार गुप्ता (डिनः10092756), अतिरिक्त सदस्य (सीई), रेलवे बोर्ड को दिनांक 29 मार्च, 2023 को कंपनी के अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्होंने 29 अप्रैल, 2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।

श्री राजेश अर्गल, पूर्व अतिरिक्त सदस्य (योजना), रेलवे बोर्ड दिनांक 31 जुलाई, 2022 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने परे कंपनी के अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) के पद से पदमुक्त हो गए हैं।

श्री राम प्रकाश, अतिरिक्त सदस्य (योजना) (एल/ए) (डिनः09746225) को 23 सितंबर, 2022 को कंपनी के अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 14 दिसंबर, 2022 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से नियमित किया गया और 31 जनवरी, 2023 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर वह निदेशक पद से पदमुक्त हो गए हैं।

स्वतंत्र निदेशकों का नियमितीकरण:

श्री अजय कुमार चौहान, श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता, श्रीमती रंजना उपाध्याय (महिला स्वतंत्र निदेशक) और डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्रा, जिन्हें वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था, को दिनांक 29 जून, 2022 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियमित किया गया।

केएमपी में परिवर्तन :

श्री बी. मुगुंथन, कार्यकारी निदेशक (वित्त), को दिनांक 26 अप्रैल 2022 को सीएफओ और केएमपी के रूप में नियुक्त किया गया।

वार्षिक रिपोर्ट का भाग के रूप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में निदेशकों द्वारा नियुक्ति/पद छोड़ने का पूरा विवरण और अन्य संबंधित विवरण प्रदान किए जाते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी को सभी स्वतंत्र निदेशकों से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सूचीकरण विनियम के विनियम 16(1)(ख) और 25(8) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है। निदेशक मंडल ने घोषणाओं को नोट कर लिया है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने मानेसर, हरियाणा (आईआईसीए) में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के लिए डेटा बैंक के निर्माण और अनुरक्षण के संबंध में अक्टूबर 2019 में अधिसूचना जारी की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150(1) के तहत, आईआईसीए, स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऑनलाइन प्रवीणता स्व–मूल्यांकन आयोजित करता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपने नाम आईआईसीए के डेटा बैंक में पंजीकृत करवाए हैं।

डाक मतपत्र के माध्यम से निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के प्रत्येक निदेशक को कंपनी की आम बैठक में नियुक्त किया जाना होता है। इसके अलावा, एलओडीआर विनियमों के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की समयावधि के भीतर ली जाए। हालाँकि, सीपीएसई को अनुमति है कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए।

निदेशकों की रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–152 के अनुसार, रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों पर लागू नहीं होंगे। इसे देखते हुए, सभी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों के अलावा) को रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति पर विचार किया जाता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती रागिनी आडवाणी, निदेशक (वित्त) कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी हैं और पात्र होने के नाते, स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं।

आगामी एजीएम में पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति चाहने वाले ऐसे निदेशक का विवरण, कंपनी की आगामी एजीएम आयोजित करने वाले नोटिस में शामिल है।

बोर्ड एवं समिति की बैठकें

बोर्ड बैठकः

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड की आठ (8) बैठकें अर्थात 26 अप्रैल, 2022, 27 मई, 2022, 22 जुलाई, 2022, 08 अगस्त, 2022, सितम्बर 23, 2022, 11 नवंबर, 2022, 31 दिसंबर, 2022 और 08 फरवरी, 2023 को आयोजित की गईं। सभी बैठकों के लिए एलओडीआर विनियमों के संदर्भ में आवश्यक कोरम मौजूद था। बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देश और एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड की सभी बैठकें (एक को छोड़कर) नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भौतिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की गईं। देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास की संभावना वाले स्थानों पर सीपीएसई की बोर्ड बैठक/रणनीतिक बैठक आयोजित करने के लिए डीपीई के निर्देश के अनुपालन में शिलांग, मेघालय में एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी।

समिति की बैठकें:

आपकी कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित समितियाँ हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
3. हितधारक संबंध समिति
4. जोखिम प्रबंधन समिति
5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता समिति
6. परियोजना प्रगति समीक्षा समिति

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड की ऑडिट समिति की आठ (8) बार बैठक हुई, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की पांच (5) बार बैठक हुई, हितधारकों की संबंध समिति की एक (1) बार बैठक हुई, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें हुईं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता समिति की छह (6) बैठकें हुईं, और परियोजना प्रगति समीक्षा समिति की एक (1) बैठक हुई।

संविधान का विवरण, समितियों के संदर्भ शर्तों और समितियों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान की जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

एलओडीआर विनियमों के विनियमन–25(3), कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और दिनांक 20 मार्च 2013 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के अनुपालन में, स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक, अन्य बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति के बिना दिनांक 16 मार्च 2023 को आयोजित की गई (जो मार्च 17, 2023 को जारी रही)।

नए निदेशकों का चयन और बोर्ड सदस्यता मानदंड

इरकॉन के एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इसके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय, रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। निदेशकों की प्रमुख योग्यता, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषताओं को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

मूल्यांकन

इरकॉन रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सरकारी कंपनी है। सभी निदेशकों के चयन की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और सभी निदेशकों की नियुक्ति इस प्रक्रिया द्वारा ही की जाती है। क्रियात्मक निदेशकों सहित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक उपक्रम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा किया जाता है और लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा क्रियात्मक निदेशकों सहित सीएमडी के मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित है। क्रियात्मक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के आकलन हेतु मूल्यांकन फ्रेमवर्क के प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

क. रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कंपनी का कार्यनिष्पादन। संबंधित निदेशक के लिए निर्धारित लक्ष्य के संबंध में कार्यनिष्पादन।

ख. संबंधित क्रियात्मक निदेशकों द्वारा स्वःमूल्यांकन सहित मूल्यांकन और तत्पश्चात सीएमडी द्वारा आकलन, और इसके पश्चात रेलवे बोर्ड (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा अंतिम मूल्यांकन।

ग. सीएमडी के संबंध में मूल्यांकन में स्वःमूल्यांकन और रेल मंत्रालय द्वारा अंतिम मूल्यांकन शामिल है।

सरकारी नामिति निदेशकों के संबंध में, उनका मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए उनका मूल्यांकन भी रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए पारिश्रमिक नीति

एक सरकारी कंपनी के रूप में, इरकॉन अपने कार्यात्मक निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करता है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(4) के अनुसार, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और कर्मचारियों के लिए अपनी पारिश्रमिक नीति की मुख्य विशेषताओं को एचआरएम और कैरियर अनुभाग के तहत अपनी वेबसाइट (www.ircon.org) पर रखा है।

कंपनी की पारिश्रमिक नीति, साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाओं और नीतियों की समीक्षा और सिफारिश, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होने से पहले नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की जाती है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के तहत, सूचीबद्ध कंपनियों को बोर्ड की रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक के विशिष्ट विवरण का खुलासा करना आवश्यक है। हालाँकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, इरकॉन सहित सरकारी कंपनियों को इस प्रावधान का पालन करने से छूट दी गई है।

इसलिए, ऐसे विवरण इरकॉन की बोर्ड रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं। हालाँकि, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का खुलासा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किया गया है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सुदृढ वित्तीय नियंत्रण लागू किया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। नियंत्रणों को सटीक लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव को सुनिश्चित करने, कंपनी की नीतियों के अनुपालन में व्यवसाय संचालन के व्यवस्थित संचालन को बढ़ावा देने, कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी और त्रुटियों को रोकने और उनका पता लगाने और वित्तीय और परिचालन जानकारी की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है, की समय–समय पर समीक्षा की जाती है, और उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में अधिक जानकारी प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में देखी जा सकती है।

इनसाइडर ट्रेडिंग के निवारण हेतु आंतरिक आचार सहिंता

आपकी कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए उचित प्रकटीकरण के लिए एक आचार संहिता को अपनाया है, ताकि नामित व्यक्तियों और उनके तत्काल रिश्तेदारों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित, मॉनीटर और रिपोर्ट किया जा सके, तथा सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के उचित प्रकटन के लिए पद्वतियों और प्रक्रियाओं हेतु संचिता निर्धारित की जा सके। इस आचार संहिता का उद्देश्य है कि कंपनी के भीतर का कोई व्यक्ति, यूपीएसआई की पहुंच और अधिकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं करेंगे या लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता नहीं करेंगे, जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार आंतरिक जानकारी का निर्माण करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर निवेश खंड में में कोड और नीतियों के तहत अपलोड की गई है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पास एक विस्तृत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा है, जिसमें जोखिम की पहचान और उसके शमन के लिए जोखिम प्रबंधन नीति शामिल है।

एलओडीआर विनियमों के अनुसार, कंपनी के पास एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2023 तक अध्यक्ष के रूप में निदेशक (कार्य), निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजनाएं), और स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्रा शामिल थे।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में प्रदान किया गया है और जोखिम प्रबंधन समिति को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

व्हीसल ब्लोअर (सचेतक) नीति/सतर्क तंत्रव्यवस्था एवं सतर्कता क्रियाकलाप

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के पास अलग–अलग सतर्कता विभाग है जो कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाता या कंपनी के साथ व्यापार करने वाले किसी अन्य दल के कर्मचारियों / प्रतिनिधियों के साथ धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी के मामले देखते है। सचेतक एवं जालसाजियों से रोकथाम एवं निवारण नीतियां निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी के पास कर्मचारियों और निदेशकों के लिए आवश्यक सतर्कता तंत्र है, जो अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति का उल्लंघन, अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी के दुरूपयोग करने के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए हैं । यदि कोई इस नीति के तहत कोई सूचना देता है तो शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से प्रतिशोध या प्रतिशोध (भेदभाव, प्रतिशोध, उत्पीड़न या प्रतिशोध सहित) के किसी भी रूप में पीड़ित होने का जोखिम नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इरकॉन या लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

सतर्कता से संबंधित मामलों में सतर्कता विभाग शीर्ष प्रबंधन के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में है।

विभाग निविदाओं और अनुबंधों की निवारक जांच, कार्यों के निष्पादन और अन्य कार्यों के साथ–साथ शिकायतों की जांच के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, विभाग ने उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं पर 01 औचक निरीक्षण और 06 आवधिक निरीक्षण किए हैं। औचक और आवधिक निरीक्षण के अलावा विभाग ने कॉर्पोरेट कार्यालय से जारी निविदाओं पर 04 निवारक निरीक्षण किए हैं। मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (केंद्रीय सतर्कता आयोग की तकनीकी शाखा) ने भी 01 परियोजना की व्यापक जांच की है।

विभिन्न प्राधिकरणों (जैसे सीवीसी/रेलवे बोर्ड सतर्कता विभाग, सीबीआई, प्रधान मंत्री कार्यालय, आदि) द्वारा अधिकारियों और प्रक्रियाओं आदि के खिलाफ उठाई गई और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की उनके तार्किक निष्कर्ष तक जांच की गई।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, विभाग को कुल 12 शिकायतें प्राप्त हुए हैं। कुल 11 शिकायतों का निपटारा किया गया है जिनमें पछले वर्षों की शिकायतें शामिल हैं। शिकायतों की प्रकृति में निविदा के दौरान अनियमितताएं, अनुबंध का निष्पादन, गुमनाम और छद्म नाम और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। साथ ही मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ) द्वारा उठाए गए पैरा को समाप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए। इसके अलावा, कर्मचारियों की अचल संपत्ति रिटर्न की जांच, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, बहस, प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से नियमों/प्रक्रियाओं/निष्पादन में सामान्य अनियमितताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, इस विभाग की प्रमुख गतिविधियां रही हैं।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

बेहतर पारदर्शिता के लिए 'प्रौद्योगिकी का उत्थान' की दिशा में एक कदम के रूप में, ऑनलाइन सेवाएं वर्षों से कुशलतापूर्वक चल रही हैं, जैसे 2012–13 से अचल संपत्ति रिटर्न जमा करनाय इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से 1 अप्रैल 2014 से ऑनलाइन सतर्कता मंजूरीय और दिसंबर 2012 से सतर्कता शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इसके अलावा, कार्य के सभी मूल्यों के लिए पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए संगठन में दिनांक 1 जुलाई 2013 से व्यापक तरीके से ई–प्रोक्योरमेंट शुरू किया जा चुका है।

इरकॉन ने सभी भारतीय परियोजनाओं पर 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक के अनुमानित मूल्य के कार्यों और आपूर्ति के लिए निविदाओं/अनुबंध के लिए दिनांक 24 जून 2014 को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा अनुशंसित इंटीग्रिटी पैक्ट (आईपी) को अपनाया है। इंटीग्रिटी पैक्ट को सभी कार्यों के लिए मॉडल ई–प्रोक्योरमेंट दस्तावेजों की शर्तों में एक अनिवार्य दस्तावेज बनाया गया है। इरकॉन ने इस इंटीग्रिटी पैक्ट को लागू किया है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा विकसित एक उपकरण है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी या सरकारी विभागों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच सभी गतिविधियों और लेनदेन को निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से व्यवस्थित किया जाता है।

इंटीग्रिटी पैक्ट के प्रावधान और केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार, बोलीदाताओं से शिकायतें और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डॉ. टी.एम. भसीन, पूर्व. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को पहले एसओपी के अनुसार 18 नवंबर, 2020 को एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया गया है और श्री बिमल जुल्का, सेवानिवृत्त आईएएस, को 30 नवंबर, 2021 को संशोधित एसओपी के अनुसार दूसरे आईईएम के रूप में नियुक्त किया गया है।

सतर्कता विभाग, व्यावसायिक अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए कदम उठाकर संगठन के कामकाज में निष्पक्ष, निडर और पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

संबंधित पक्ष लेनदेन

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 177 और 188 और एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, जहां भी लागू हो, संबंधित पक्ष लेनदेन की पूर्व स्वीकृति, ऑडिट समिति/बोर्ड से ली जाती है। व्यवसाय के सामान्य क्रम में एक ओर इरकॉन या उसकी किसी सहायक कंपनी और दूसरी ओर इरकॉन या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष के बीच विभिन्न संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए वार्षिक आधार पर ऑडिट समिति की पूर्व सर्वव्यापी स्वीकृति भी प्राप्त की जाती है। एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक अनुबंध/समझौते/लेन–देन के लिए मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। दी गई सर्वग्राही मंजूरी के अनुसरण में किए गए लेनदेन, यदि कोई हों, को तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 और एलओडीआर विनियमों की आवश्यकता के अनुपालन में ऑम्निबस अनुमोदन के अंतर्गत आने वाले लेनदेन के अलावा, अन्य विशिष्ट संबंधित पक्ष लेनदेन की स्वीकृति भी ऑडिट समिति/बोर्ड से प्राप्त की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में, "कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए कुछ आर्म–लैंथ लेनदेन सहित अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण का खुलासा" फॉर्म एओसी –2 में प्रकट किए गए हैं और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

कंपनी की संबंधित प्यर्क्ष लेनदेन नीति को वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड द्वारा संशोधित और अनुमोदित किया गया है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर निवेशक खंड के तहत अपलोड किया गया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:–

i. वित्तीय लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक वित्तीय लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।

ii. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वित्त–वर्ष 2022–23 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके

iii. परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

iv. वित्तीय लेखे–सुनाम–प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया गया है।

v. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्वीकार किया गया था और वे कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, तथा

vi. सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गईं थीं और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त थीं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहीं थीं।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

सेबी के दिनांक 05 मई, 2021 के परिपत्र के तहत निर्धारित प्रारूप में एलओडीआर विनियमों के विनियमन 34 के प्रावधानों के अनुपालन में ''व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट'' (बीआरएसआर), इस रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से इरकॉन द्वारा की गई पहलों का वर्णन किया गया है।

एमओयू रेटिंग/पुरस्कार

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, रेल मंत्रालय और इरकॉन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए चयनित मापदंडों और लक्ष्यों को रेखांकित करते

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

हुए वार्षिक रूप से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश करते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर वर्ष के अंत में कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। एमओयू मापदंडों और वित्तीय वर्ष 2021–22 में कंपनी के प्रदर्शन के अनुसार इसे ''बहुत अच्छा'' की रेटिंग मिली है। अनुमान है कि कंपनी वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त करेगी।

इरकॉन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान अब तक प्राप्त किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और प्रशंसाएं नीचे उल्लिखित हैं:

- पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार
- ईएनआर – कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड ग्लोबल अवार्ड
- डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू और सरकारी शिखर सम्मेलन – आत्मनिर्भर भारत पहल

लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने निम्नलिखित विदेशी परियोजनाओं को छोड़कर, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए मेसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 002871एन) को कंपनी के एकल वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। जिन परियोजनाओं के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में निम्नलिखित की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है :

अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक	
मेसर्स ऐट मिमौन रफीक	अल्जीरिया परियोजना
मैसर्स एदिरिसिंघे एंड कंपनी	श्रीलंका परियोजना
मेसर्स तोहा खान जमान एंड कंपनी	बांग्लादेश परियोजना

लागत लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी के लागत रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। निदेशक मंडल ने लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए मेसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार, (फर्म पंजीकरण संख्या 000022) को कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और एलओडीआर विनियमों के विनियमन 24ए के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा हेतु सचिवीय लेखापरीक्षक मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण संख्या एस2015यूपी440500) को नियुक्त किया है।

आंतरिक लेखाकार

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए भारतीय परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है :

क्र. सं	क्षेत्र/ऑडिट सर्कल	आंतरिक लेखापरीक्षक
1	कॉर्पोरेट कार्यालय क्षेत्र (विदेशी परियोजना अर्थात अल्जीरिया परियोजना सहित)	मैसर्स ए.एम.ए.ए. एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट
2	उत्तरी क्षेत्र	मैसर्स ए.एम.ए.ए. एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट
3	पूर्वी क्षेत्र (विदेशी परियोजनाओं जैसे म्यांमार सडक परियोजना, खुलना मोंगला बांग्लादेश, इशरुदी दर्शन बांग्लादेश एस एंड टी, और भैरब रेलवे ब्रिज (जेवी) परियोजना, बांग्लादेश)	मैसर्स सेन एंड राय, चार्टर्ड अकाउंटेंट
4	मुंबई क्षेत्र (विदेशी परियोजना अर्थात रेलवे लाइन, महो से ओमनथाई, श्रीलंका का उन्नयन सहित)	मैसर्स जे. सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट
5	पटना क्षेत्र	मैसर्स गुप्ता सचदेवा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट
6	जम्मू और कश्मीर क्षेत्र	मैसर्स बवेजा और कौल, चार्टर्ड अकाउंटेंट

ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

इरकॉन द्वारा अवसंरचना निर्माण के कार्य किए जाते हैं तथा इसे कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VI के साथ पठनीय धारा 186(11)(क) के संबंध में धारा 186 {धारा 186 की उप–धारा (1) के अलावा} के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है।

कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के संबंध में वर्ष 2022–23 के दौरान किए गए निवेश, दिए गए ऋण एवं दी गई गारंटियों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट का भाग है।

जमा

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं।

अन्य प्रकटीकरण

वार्षिक विवरणों से उद्धृत

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के साथ पठनीय धारा 134(3)(क) के अनुसरण में कम्पनी की वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति निवेशक खंड के अंतर्गत कम्पनी की वेबसाइट www.ircon.org पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ)

कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत निर्मित्त नियमों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है। आईईपीएफ प्राधिकरण से संव्यवहार तथा उससे संबंधित अनुपालन के लिए कम्पनी सचिव नोडल अधिकारी हैं।

आईईपीएफ में स्थानांतरण के लिए कोई राशि देय नहीं है, और 31 मार्च 2023 को अदावित लाभांश का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हे, और इसे कॉर्पोरेट प्रशासन की रिपोर्ट में भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, डीमैट सस्पेंस अकाउंट / दावा न किए गए सस्पेंस अकाउंट /दावा न किए गए लाभांश का विवरण लागू नहीं है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में इसका प्रकटीकरण कर दिया गया है।

साचिवीय मानक

वर्ष के दौरान, कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन कम्पनी द्वारा किया गया है।

विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा टिब्यूनलों द्वारा पारित ऐसे आदेश जिनसे कम्पनी की गोइंग कंसर्न तथा कम्पनी के परिचालनों को भविष्य में प्रभावित हो सकती है

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के भविष्य की गोइंग कंसर्न स्थिति और इसके परिचालनों को प्रभावित करने वाले कोई आदेश विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित नहीं किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति के साथ–साथ वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या लंबित किसी भी कार्रवाई का विवरण।

आपकी कंपनी के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कोई कार्रवाई शुरू/लंबित नहीं है, जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

व्यवसाय की प्रकृति में बदलाव

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ।

लाभांश वितरण नीति

सूचीकरण विनियमों के विनियम 43ए के उपबंधों और "केन्द्रीय लोक उद्यमों की पूंजी पुन–संरचना" के संबंध में निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लाभांश वितरण नीति का निर्माण एवं अंगीकरण किया गया है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://ircon.org/images/file/cosecy/Dividend%20Distribution%20Policy.pdf पर उपलब्ध है।

साचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट और उसपर प्रबंधन का उत्तर

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अंतर्गत फार्म एमआर–3 में अपेक्षित साचिवीय लेखापरीक्षक की "साचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट" इस रिपोर्ट का भाग है।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हता पर प्रबंधन का उत्तर और निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन इस रिपोर्ट का भाग है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण दोनों) वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग–अलग संलग्न हैं। दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए मैसर्स एचडीएयजी एंड एसोसिएट्स, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई अर्हता, और प्रतिकूल टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई है।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां संलग्न हैं।

आभार अभिव्यक्ति

कंपनी के निदेशक रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, विदेश मंत्रालय, वित्त, वाणिज्य, शहरी विकास और अन्य मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के मंत्रालयों से प्राप्त सहायता और सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकरें, सांविधिक, शाखा, सचिवीय और आंतरिक लेखा परीक्षकों, कंपनी के बैंकरों, भारतीय दूतावासों और विदेश मिशनों और भारत में विदेशी मिशनों और दूतावासों, एक्जिम बैंक, निर्यात ऋण और गारंटी निगम के कार्यालयय आप्रवास संरक्षक पासपोर्ट प्राधिकरण, और भारत और विदेश, दोनों, में हमारे सम्मानित ग्राहक सक्रिय समर्थन के बिना समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की उपलब्धियों का प्राप्त होना संभव नहीं था, के प्रति भी आभार अभिव्यक्त करते हैं ।

हम कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए उनके अथक प्रयासों, समर्पण, और कंपनी के प्रदर्शन और लाभप्रदता में सुधार के उद्देश्य से सभी स्तरों पर अपनाई गई सत्यनिष्ठा की सराहना करते हैं।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षर

(बृजेश कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एल/ए) एवं सीईओ

(डीआईएन : 10092756)

दिनांक : 11 अगस्त 2023

स्थानः नई दिल्ली

परिशिष्ट–क

भारत में प्रमुख चालू परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संशोधित संविदा मूल्य (₹ करोड़ में)
	रेलवे	
1.	उत्तरी रेलवे के लिए कटरा–काजीगुंड खंड (इरकॉन भाग), उद्यमपुर श्रीनगर बारामुला रेल सम्पर्क परियोजना	13,557
2.	उत्तर फ्रंटियर रेलवे के लिए सिवोक–रंगपो नई रेल लाइन परियोजना	8,248
3.	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) के लिए मुम्बई अहमदाबाद उच्च गति रेल परियोजना, पैकेज एमएएचएआर–टी–2	5,143
4.	छत्तीसगढ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में गेवरा रोड से पेडंरा रोड के बीच ईस्ट–वेस्ट गलियारे के व्यवहार्यता अध्ययन के परिणामस्वरूप लगभग 135 किमी गेवरा रोड से पेंडरा रोड के बीच पूर्वी–पश्चिम गलियारे के कॉरिडार–III का निर्माण कार्य।	4,970
5.	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के लिए छत्तीसगढ राज्य में खरसिया से धरमजयगढ के बीच पूर्वी गलियारे के कॉरीडोर–1 तथा स्पर लाइन का निर्माण	3,055
	सीईआरएल (सीईआरएल–II) के लिए धरमजयगढ से कोबरा (उरगा) के बीच नई बीजी विद्युतीकृत रेल लाइन का निर्माण।	1,686
6.	डेडिकेटिड फंटियर कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के लिए समर्पित मालशड़ा गलियारा परियोजना, सीटीपी–12 के वैतर्णी–सचिन खंड का अभिकल्प तथा सिविल निर्माण, भवन तथा रेलपथ निर्माण कार्य।	3,353
7.	पश्चिम मध्य रेलवे के लिए कटनी–सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना।	2,445
8.	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) के लिए मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (पैकेज संख्या एमएएचएसआर सी–7) के निर्माण परियोजना के लिए गुजरात राज्य में एमएएचएसआर किमी 489.467 और एमएएचएसआर कि.मी के बीच अहमदाबाद स्टेशन, साबरमती स्टेशन, पुल और पुल, क्रॉसिंग ब्रिज (स्टील ट्रस गर्डर्स के निर्माण और परिवहन को छोड़कर) और संबद्व कार्यों को शामिल करते हुए डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे हेतु अभिकल्प, निर्माण एकमुश्त मूल्य आधार पर परीक्षण और कमीशनिंग सहित सिविल और भवन निर्माण कार्यों का डिजाइन और निर्माण कार्य।	1,714
9.	बस्तर रेल प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएली) द्वारा रेल सम्पर्कता परियोजनाओं का निष्पादन	1,466
10.	आरडीयूएम–टीएएल–आरजेओ (रामपुर डुमरा–ताल–राजेंद्रपुल गंगा ब्रिज सहित दोहरीकरण) पूर्व मध्य रेलवे के लिए दोहरीकरण परियोजनाएं	1,701
11.	पश्चिम मध्य रेलवे के लिए कटनी ग्रेड सेपरेटर/बाई पास लाइन (21.50 किमी) परियोजना।	1,248
12.	पूर्व मध्य रेलवे के लिए किऊल–गया दोहरीकरण परियोजनाएं	1,200
13.	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल कोयला सम्पर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य।	1,799

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संशोधित संविदा मूल्य (₹ करोड़ में)
14.	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल संपर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य।	1,700
15.	उत्तर फ्रंटियर रेलवे के लिए अकोरा– अगरतला रेल सम्पर्क परियोजना (भारतीय भाग का निर्माण)।	865
	सड़क	
1.	भारतीय प्राधिकरण (एनएचएआई) के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भारतमाला परियोजना (चरण–II–पैकेज–XVII) के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 69.800 से किमी 79.783 (भोज से मोरबे खंड–वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का स्पर) तक आठ लेन एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण	1,436
2.	एनएचएआई के लिए भारतमाला परियोजना (चरण–II पैकेज– XIV) के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 3.000 से किमी 20.200 (शिरसद से अकोली सेक्शन–वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के स्पर) तक आठ लेन एक्सेस–नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण	1,124
3.	एनएचएआई के लिए हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर पंजाब राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत लुधियाना बाईपास के साथ खरड़ के स्पर सहित, मानेवाल (लुधियाना) के पास एनई–5 गाँव के साथ जंक्शन से भियोरा गाँव (रूपनगर) के पास एनएच–205 के साथ जंक्शन तक, ग्रीनफील्ड लुधियाना–रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच–205के, का चार/छह लेन निर्माण कार्य, जिसमें पैकेज –3 (डिजाइन अध्याय 66.440 से डिजाइन सीएच. 90.500 और स्पर से खार डिजाइन सीएच 0.000 से डिजाइन सीच 19.200, कुल लंबाई 43.26 किमी),	1,107
4.	एनएचएआई के लिए हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर हरियाणा राज्य में रा.रा–352 डब्ल्यू के गुड़गांव–पटौदी–रेवाड़ी खंड को फीडर रूट के रूप में अपग्रेड करने का कार्य	900
5.	एनएचएआई के लिए हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर उत्तराखंड राज्य में किमी. 0+ 000 (एनएच–58 के किमी 188+100) से किमी 15+100 (एनएच 74 का किमी 5+100) हरिद्वार बाईपास पैकेज–1 का उन्नयन एवं चार लेन निर्माण कार्य	861
	अन्य	
1.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण–।। (सरकारी निर्माता योजना) के तहत भारत में 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना (खंड–।।।)	1,960
2.	एनसीआरटीसी के लिए एनसीआरटीसी (लॉट–पी19 एल1 और लॉट–पी19 एल2) के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए दुहाई (ईपीई) से मोदीपुरम [मोदीपुरम डिपो सहित] दो परियोजनाओं अर्थात रिसीविंग सब स्टेशनों की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग [25 केवी एसी ट्रैक्शन सह 33 केवी सहायक मुख्य उप स्टेशनों सहित], अतिरिक्त उच्च वोल्टेज और उच्च वोल्टेज केबलिंग, 25 केवी ओवरहेड उपकरण (एफओसीएस/ आरओसीएस), सहायक बिजली आपूर्ति [एनसीआरटीसी तक सहायक सब स्टेशन], और वाया डक्ट और सुरंग के संबद्ध कार्य।	318 405
3.	उत्तर सीमांत रेलवे के लिए बदरपुर–जिरीबाम, कटखल–भैरबी और बड़ापुर–करीमगंग–सबरूम सहित करीमगांग–मैशासन, अगरतला–अकौरा और बरईग्राम–दुल्लाबाचेरा के लिए रेलवे विद्युतीकरण कार्य।	659

परिशिष्ट –ख

क. सहायक कंपनियां:

1. इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लि. (इरकॉन आईएसएल)

इरकॉन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) का गठन 30 सितम्बर, 2009 को किया गया था और इसने 10 नवम्बर, 2009 को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इरकॉन आईएसएल के मुख्य उद्देश्य हैं, भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख–सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य परिसरों हेतु अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में तथा रियल इस्टेट तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी कामों का निष्पादन करना है तथा हायर पर्चेस, सभी प्रकार की चल तथा अचल परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने तथा सामाजिक कल्याण आदि उपायों सहित सभी प्रकार की सेवाएं व अनुरक्षण व सहायता सहित सभी प्रकार की इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श उपलब्ध कराना।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, इरकॉनआईएसएल ने 05 नई परियोजनाएं प्राप्त की है अर्थात (i) छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड से नवनिर्मित कोरीछापर से धरमजयगढ़ खंड और घरगोड़ा से भालूमुडा खंड में परियोजना परिसंपत्तियों का रखरखाव, (ii) दक्षिण दिल्ली नगर निगम के लिए वाणिज्यिक परिसर के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग सुविधा के रूप में मादीपुर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में सामुदायिक केंद्र में स्थित एसडीएमसी के तहत भूमि पार्सल का विकास और मुद्रीकरण, (iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए सुविधा प्रबंधन सेवाएँ और भवन संबंधी सेवाओं का वार्षिक संचालन सह व्यापक रखरखाव, (iv) नवोदय विद्यालय समिति के लिए हैदराबाद, जयपुर, शिलांग और पुणे क्षेत्रों में जेएनवी और अन्य भवनों के निर्माण और रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) कार्यों के लिए पीएमसी सेवाएं प्रदान करना और (v) नवोदय विद्यालय समिति के लिए जेएनवी साबरकांठा (गुजरात) में चरण–ख कार्य का निर्माण।

वर्ष 2022–23 के दौरान, उपयफ्क्त नई परियोजनाओं के साथ–साथ निम्नलिखित मौजूदा परियोजाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

i. दुधोला, पलवल हरियाणा में हरियाणा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसवी) के निर्माण हेतु पीएमसी।

ii. प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड़, नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी भवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अत्याधुनिक भवन के लिए पीएमसी।

iii. भारतीय भू–पोत (एलपीएआई) प्राधिकरण चार (4) भू–पोतों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरेक आवास (1. अटारी–पंजाब, 2. जोगबनी–बिहार, 3.पेट्रापोले–वेस्ट बंगाल, 4.दवके–मेघालय) के निर्माण हेतु पीएमसी कार्य पूरा हो गया है और ग्राहक को सौंप दिया गया है।

iv. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) के लिए (क) कडाकोला, मैसूरु डिला, कर्नाटक (ख) पारादीप (औडीशा), (ग) भावपुर, कानपुर (उ.प्र.) तथा (घ) दहेज (गुजरात) में मल्टीमॉडल लॉजेस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण हेतु पीएमसी। दहेज परियोजना पूरी हो गई है और ग्राहक को सौंप दी गई है।

v. दो स्थलों पर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) का निर्माण, एक साबरकंठा (गुजरात) तथा दूसरा अगर माल्वा (मध्य प्रदेश) हेतु पीएमसी। अंतिम बिल प्रक्रियाधीन है।

vi. राष्ट्रीय ताप उर्जा निगम, उच्चाहार, उ.प्र में स्टेज –1 के एमजीआर प्रणाली (2X210एमएमवी) के पीआरसी स्लीपर्स को सीएसटी–9 स्लीपर्स से प्रतिस्थापन करने के लिए पीएमसी।

vii. नागपुर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकादमी में अवसंरचना के निर्माण के लिए पीएमसी।

viii. एमएमएलपी पारादीप पोर्ट, उड़ीसा में इफको के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण हेतु सलाहकार के रूप में नियुक्ति और इस कार्य को कॉनकॉर द्वारा प्रदान किया गया है।

ix. छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड के लिए नवनिर्मित बीजी खंड खरसिया–कोरिछापर के ट्रैक, सिविल इंजीनियरिंग, ओएचई और एस7टी परिसंपत्तियों का अनुरक्षण कार्य।

x. अहमदाबाद (आर एंड बी) डिवीजन के लिए गुजरात राज्य में अहमदाबाद बोटाद रेलवे लाइन पर एलसी नंबर 114बी के स्थान पर आरओबी के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण परामर्श।

xi. महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए मध्य रेलवे के तहत महाराष्ट्र में एलसी फाटकों के बदले विभिन्न स्थानों पर ''सड़क ऊपरिपुलों (आरओबी) के निर्माण के लिए बेयरिंग के निर्माण और स्थापना सहित रेलवे हिस्से के भीतर एसेंबली के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कार्यों के लिए निरीक्षण एजेंसी की नियुक्ति और स्टील सुपरस्ट्रक्चर का शुभारंभ।

xii. ग्रेटर मुंबई नगर निगम के लिए जी/एस वार्ड में महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास डॉ. ई.मोसेस रोड और केशवराव खड़े मार्ग पर दो आरओबी के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण परामर्श कार्य,

xiii. उत्तर पूर्व रेलवे के लिए उत्तराखंड राज्य में टनकपुर से बागेश्वर (लगभग 154.58 किमी) तक नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस),

xiv. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए मणिपुर में इम्फाल–मोरेह नई बीजी सिंगल लाइन परियोजना (कुल लगभग लंबाई 110 किमी) के संबंध में उपग्रह या एलआईडीएआर इमेजरी

से उत्पन्न डिजिटल टेरेन/एलीवेशन मॉडल (डीटीएम/डीईएम/डीएसएम) का उपयोग करते हुए, जमीन पर संरेखण का स्टेकिंग, भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय मानचित्रण आदि। परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट और वित्तीय मॉडल ग्राहक को प्रस्तुत कर दिया गया है।

xv. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए एसडीएमसी के तहत भूमि पार्सल/संपत्तियों के विकास और मुद्रीकरण के लिए परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में सूचीबद्ध करना।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, दहेज, गुजरात में कॉनकोर के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का निर्माण अगस्त 2022 में पूरा हो गया है। जेएनवी साबरकांठा (गुजरात) में चरण–क के कार्यों का निर्माण दिनांक 30 नवंबर, 2022 को पूरा हो गया है और जेएनवी आगर मालवा (एमपी) में चरण–क कार्यों का निर्माण दिनांक 30 मार्च, 2023 को पूरा हो गया है।

2. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

इरकॉन पीबीटीएल इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका निगमन 30 सितंबर 2014 को स्पेशल परपज वीकल के रूप में हुआ है और इसने दिनांक 14 नवंबर 2014 को व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। इरकॉन पीबीटीएल का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्ग–15 पर मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड में 4.200 किमी से 55.250 किमी को चार लेन का बनाना तथा 55.250 किमी से 163.500 किमी तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन करने के लिए उसका चौड़ीकरण व सुदृढीकरण कार्य निष्पादित करना है। इरकॉनपीबीटीएल ने 7 नवंबर 2014 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि निर्धारित तिथि से 26 वर्ष है, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹844.08 करोड़ है।

राजस्थासन में बीकानेर जिले के सालासर और नोखरा और जोधपुर जिले के खीरवा में स्थित सभी तीन टोल प्लाजा पर टोल संचालन शुरू करने के लिए क्रमशः 156.650 किमी और 2.52 किमी की सड़क की लंबाई का अनंतिम प्रमाण पत्र दिनांक 15.02.2019 और 04.11.2020 को जारी किया गया है। 159.200 किमी की संपूर्ण परियोजना लंबाई के लिए टोल शुल्क एकत्र किया जा रहा है।

आरंभ में जनशक्ति आपूर्ति के आधार पर टोल संग्रह एजेंसी को तैनात करके राजस्व एकत्र किया गया था, हालांकि, रिसाव से बचने और एसपीवी को निश्चित राजस्व सुनिश्चित करने के लिए जून 2021 से राजस्व संग्रह नीलामी के आधार पर किया जा रहा है।

3. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)

इरकॉन एसजीटीएल दिनांक 12 मई 2015 को विशेष कार्य व्यवस्था के रूप में निगमित इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसने दिनांक 27 मई 2015 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। इरकॉन एसजीटीएल का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य में एनएचपीडी के चरण–पअ के अंतर्गत अभिकल्प, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) आधार पर निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) (टाले) पैटर्न पर किमी 236.00 से किमी 332.1 तक राष्ट्रीय राजमार्ग–3 के शिवपुरी–गुना खंड को चार लेन का बनाना तथा इससे संबंधित अन्य अनुषंगी कार्यों को पूरा करना है।

इरकॉन एसजीटीएल ने 15 जून 2015 को रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। नियुक्ति तिथि से परियोजना की रियायत अवधि 20 वर्ष है और शिवपुरी गुना परियोजना को निष्पादित करने की कुल परियोजना लागत 872.11 करोड़ रुपए है। यह परियोजना दो चरणों यथा चरण–। तथा चरण–।। पर निष्पादित की जा रही है।

चरण–। का संचालन और रखरखाव और राजस्व संग्रह दिनांक 7 जून, 2018 से शुरू किया गया है और इस 85.31 किलोमीटर लंबाई के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र दिनांक 27 सितंबर, 2018 को एनएचएआई द्वारा जारी किया गया था। 12.39 किलोमीटर की परियोजना के चरण–II का निर्माण सड़क की लंबाई पूरी हो चुकी है और दिनांक 17.12.2022 और 01.06.2023 को क्रमशः 10.400 किमी और 1.99 किमी का पीसीओडी प्राप्त किया गया था। तदनुसार, वाणिज्यिक संचालन के तहत संशोधित टोल शुल्क के साथ दोनों चरणों के 97.700 किलोमीटर के पूरे खंड के लिए राजस्व एकत्र किया जा रहा है।

इरकॉनएसजीटीएल ने एसबीआई से 501 करोड़ रुपए की राशि का ऋण लिया है और दिनांक 31 मार्च, 2023 तक बकाया राशि 493.06 करोड़ रुपए है।

4. इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)

''इरकॉन देवानगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)'' नामक इरकॉन की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमित दिनांक 11 मई 2017 को कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–4) के देवानगेरे–हवेरी खंड पर किमी 260.00 से किमी 338.923 खंड सहित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–4) को छह लेन का बनाने और रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचडीपी, चरण–V के अंतर्गत इसके अभिकल्प, निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन और अंतरण आधार पर विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन का कार्य करने के लिए किया गया था।

इरकॉनडीएचएचएल ने दिनांक 19 जून, 2017 को एनएचएआई के साथ रियायती समझौता (सीए) किया है। परियोजना की रियायती अवधि में नियत तिथि अर्थात 24 जनवरी, 2018 से 912 दिन (30 महीने) की निर्माण अवधि और संचालन और रखरखाव की अवधि अनंतिम समापन/पूर्णता से प्रारंभ होने वाले 15 वर्षों की अवधि शामिल है। कुल बोली परियोजना लागत 1177 करोड़ रुपए जमा निर्माण और संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के दौरान लागत वृद्धि के प्रति वर्ष 10.00 करोड़ रु. शामिल हैं। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली की शर्तों

के अनुसार ही इरकॉन को निर्माण भाग के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है।

परियोजना राजमार्ग के 78.923 किमी में से 71.738 किमी के लिए अनंतिम समापन प्रमाणपत्र (पीसीसी) स्वतंत्र अभियंता (आईई) द्वारा दिनांक 28.05.2021 से जारी किया गया था और शेष कार्य 18 माह के निष्पादन लक्ष्य के भीतर अर्थात 31.10.2024 तक पूरा किया जाना है। इसके अलावा, कुल 180.39 करोड़ रुपए (जीएसटी को छोड़कर) की राशि ओएंडएम लागत के भुगतान के साथ–साथ सीए की शर्तों के अनुसार चार वार्षिकियों के लिए एनएचएआई से पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।

इरकॉनडीएचएचएल ने परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 502.76 करोड़ रुपए का सावधि ऋण लिया है और दिनांक 31 मार्च, 2023 तक बकाया ऋण 325.29 करोड़ रुपए है।

5. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेएल)

इरकॉन वीकेईएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे 16 मई, 2018 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर हाइब्रिड वार्षिकी मोड (चरण–Iए–पैकेज–II) पर एनएचडीपी चरण–VI के तहत गुजरात राज्य में (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के संपा से पादरा खंड तंक) किमी 323.00 से किमी 355.00 में आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रेसवे के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के व्यवसाय को करना है।

इरकॉन वीकेईएल ने दिनांक 25 मई, 2018 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में निर्धारित तिथि से 730 दिन अर्थात 31 जनवरी, 2019 और सीओडी से शुरू होने वाली 15 साल की संचालन अवधि सहित कुल लागत 1865 करोड़ रूपए है, जिसमें कुल बोली परियोजना लागत, 8.16 करोड़ रूपए प्रति वर्ष के ओ एंड एम लागत शामिल नहीं है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली के संदर्भ में, इरकॉन को ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। इरकॉनवीकेईएल ने परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) से 724.12 करोड़ रुपए का सावधि ऋण लिया है और दिनांक 31 मार्च, 2023 तक बकाया ऋण 655.16 करोड़ रुपए है।

एनएचएआई ने दिनांक 25.08.2022 से अनंतिम समापन प्रमाणपत्र जारी किया है और पीसीओडी की उपलब्धि के बाद, परियोजना का संचालन और रखरखाव चरण 26.08.2022 से शुरू किया गया है। इसके अलावा, एनएचएआई ने मार्च, 2023 में ओएंडएम कार्यों की पहली किस्त के भुगतान के साथ पहला वार्षिक भुगतान जारी किया है।

6. इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल)

इरकॉनजीआरएचएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया है, और 06 जनवरी, 2021 को व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इरकॉनजीआरएचएल का मुख्य उद्देश्यएनएचएआई के साथ रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार, हरियाणा राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर एक फीडर रूट के रूप में एनएच–352डब्ल्यू किमी 0.00 से किमी 43. 87 (डिजाइन लंबाई 46.11 किमी) तक''गुड़गांव–पटौदी–रेवाड़ी खंड का उन्नयन''कराना है।

इरकॉनजीआरएचएल ने 20 जनवरी, 2021 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में निर्धारित तिथि से 730 दिनों की निर्माण अवधि अर्थात 24 नवंबर, 2021 (एनएचएआई द्वारा निर्धारित) और सीओडी से शुरू होने वाली 15 साल की संचालन अवधि के साथ कुल बोली परियोजना लागत 900 करोड़ रूपए है, जिसमें 2.47 करोड़ रूपए की ओ एंड एम लागत शामिल नहीं है। परियोजना निष्पादन चरण में है और दिनांक 31.06.2024 तक पूरी होने की संभावना है।

इरकॉनजीआरएचएल ने परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से 309.68 करोड़ रुपए का सावधि ऋण लिया है।

7. इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएएसईएल)

इरकॉनएएसईएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, है जिसे दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया था, और इसने दिनांक 31 दिसंबर, 2021 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इरकॉनएएसईएल, का मुख्य उद्देश्य ''एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई भारतमाला परियोजना (चरण–II–पैकेज XIV) के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 3.000 से किमी 20.200 (शिरसद से अकोली सेक्शन–वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का अकोली सेक्शन–स्पर) तक आठ लेन पहुंच–नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य निष्पादित करना है।

इरकॉनएएसईएल, ने 27 जनवरी, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में निर्धारित तिथि से 548 दिनों की निर्माण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से शुरू होने वाली 15 साल की संचालन अवधि शामिल है। बोली परियोजना की कुल लागत 1124 करोड़ रूपए है, जिसमें प्रति वर्ष 3.0 करोड़ रूपए शामिल हैं। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली के संदर्भ में इरकॉन को ईपीसी संविदाकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

इरकॉनएएसईएल, द्वारा वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया गया है और एनाएचएआई ने दिनांक 10.11.2022 से नियत तिथि घोषित की है। परियोजना निष्पादन चरण में है और दिनांक 11.05.2024 तक पूरी होने की संभावना है।

इरकॉनएएसईएल ने परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से 686.37 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। 31 मार्च 2023 को बकाया ऋण ₹30.70 करोड़ है।

8. इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉनएलआरएचएल)

इरकॉन एलआरएचएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे 24 दिसंबर, 2021 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया था, और इसने 31 दिसंबर, 2021 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। इरकॉनएलआरएचएल का मुख्य उद्देश्य 'एनएचएआई के साथ रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार पंजाब राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत लुधियाना बाईपास के साथ स्पर से खरार तक हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम): पैकेज– 3 (डिजाइन सीएच. 66.440 से डिजाइन सीएच. 90.500 और स्पर से खार डिजाइन सीएच. 0.000 से डिजाइन सीएच. 19.200, कुल लंबाई 43.26 किमी के लिए, मानेवाल (लुधियाना) के पास एनई–5 गाँव के साथ जंक्शन से भियोरा गाँव (रूपनगर) के पास रा.रा 205 के साथ जंक्शन, तक ग्रीनफील्ड लुधियाना – रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या रा.रा–205के का चार/छह लेन का निर्माण कार्य निष्पादित करना हे।

इरकॉन एलआरएचएल ने 25 मार्च, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 730 दिनों की निर्माण अवधि (एनएचएआई द्वारा निर्धारित) और सीओडी से शुरू होने वाली 15 साल की संचालन अवधि सहित कुल बोली परियोजना लागत 1107 करोड़ रूपए है, जिसमें प्रति वर्ष 3.0 करोड़ रूपए के ओ एंड एम की लागत शामिल है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली के संदर्भ में इरकॉन को ईपीसी संविदाकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

वित्तीय समापन हो चुका है और एनएचएआई ने दिनांक 16.02. 2023 से नियत तिथि घोषित कर दी है। परियोजना निष्पादन चरण में है और फरवरी, 2025 तक पूरा होने की संभावना है।

इरकॉनएलआरएचएल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 570.82 करोड़ रुपए का सावधि ऋण लिया है।

9. इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनबीएमईएल)

इरकॉनबीएमईएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे 6 जनवरी, 2022 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया था, और इसने 13 जनवरी, 2022 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इरकॉनबीएमईएल का मुख्य उद्देश्य ''एनएचएआई के साथ रियायत समझौता की शर्तों के अनुसार भारतमाला परियोजना (चरण–II – पैकेज– XVII) के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 69.800 से किमी 79.783 (भोज से मोरबे सेक्शन – वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का स्पर) तक आठ लेन के एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को निष्पादित करना है''।

इरकॉनबीएमईएल ने 18 फरवरी, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 910 दिनों की निर्माण अवधि (एनएचएआई द्वारा निर्धारित) और सीओडी से शुरू होने वाली 15 साल की संचालन अवधि शामिल है। ओ एंड एम लागत को छोड़कर, कुल बोली परियोजना लागत 1436 करोड़ रूपए है। वित्तीय समापन हो चुका है और एनएचएआई ने दिनांक 19.01.2023 से नियत तिथि घोषित कर दी है। परियोजना निष्पादन चरण में है और जुलाई, 2025 तक पूरी होने की संभावना है।

इरकॉनबीएमईएल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 823.39 करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है, हालांकि आज तक स्वीकृत सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया है।

10. इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल)

इरकॉनएचबीएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे 13 जनवरी, 2022 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया था, और इसने 19 जनवरी, 2022 को व्यवसाय के प्रारंभ होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इरकॉनएचबीएल का मुख्य उद्देश्य ''भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) पर उत्तराखंड राज्य में किमी 0+000 (एनएच–58 का 188+100 किमी) से 15 + 100 किमी (एनएच 74 का 5 + 100 किमी) तक हरिद्वार बाईपास पैकेज–1 का उन्नयन और चार लेन का निर्माण कार्य निष्पादित करना है।

इरकॉनएचबीएल ने 8 मार्च, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 730 दिनों की निर्माण अवधि (एनएचएआई द्वारा निर्धारित) और सीओडी से शुरू होने वाली 15 साल की संचालन अवधि सहित कुल बोली परियोजना लागत 861 करोड़ रूपए है, जिसमें प्रति वर्ष 2.0 करोड़ रूपए की ओ एंड एम लागत शामिल नहीं है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली के संदर्भ में इरकॉन को ईपीसी संविदाकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

वित्तीय समापन हो चुका है और एनएचएआई ने दिनांक 31.10. 2022 से नियत तिथि घोषित कर दी है। परियोजना निष्पादन चरण में है और अक्टूबर, 2024 तक पूरा होने की संभावना है।

इरकॉनएचबीएल ने परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक से 447.61 करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है।

11. इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (आईआरपीएल)

आईआपीएल, इरकॉन की एक सहायक कंपनी, जिसे 13 जनवरी, 2022 को निगमित किया गया है और इसने 24 फरवरी, 2022 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। आईआपीएल को इरकॉन द्वारा इक्विटी और अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड (अयाना) की क्रमशः 76:24 के अनुपात में भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) और विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया है। आईआपीएल का मुख्य उद्देश्य ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण–II (सरकारी निर्माता योजना) के भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (आईआरइडीए) (''परियोजना'') द्वारा प्रस्तुत की गई है 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र

की स्थापना''करना है। इरकॉन और अयाना ने 13 दिसंबर, 2021 को शेयर अंशदान और शेयरधारण करार (एसएसएचए) में प्रवेश किया है।

यह परियोजना, आईआरईडीए द्वारा इरकॉन को प्रदान की गई थी और इसे आईआरपीएल द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। कुल परियोजना लागत 2578.99 करोड़ रूपए है। परियोजना के लिए अंतिम व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) राशि 44,94,000 रूपए प्रति मेगावाट है, जिसकी गणना कुल मिलाकर 224.70 करोड़ रूपए की गई है, जिसे आईआरईडीए द्वारा दो चरणों में जारी किया जाएगा अर्थात (क) बोलीदाता (इरकॉन) द्वारा ईपीसी ठेकेदार को अनुबंध देने पर 50 प्रतिशत (इन–हाउस ईपीसी डिवीजन सहित),

जिसके लिए 16 दिसंबर 2022 को केईसी इंटरनेशनल के साथ ईपीसी अनुबंध निष्पादित किया गया है और (ख) शेष 50 प्रतिशत परियोजना की पूरी क्षमता के सफल रूप से आरंभ होने पर। वीजीएफ की पहली किश्त जारी करने के लिए सभी सहायक दस्तावेज दिनांक 20 दिसंबर 2022 को आईआरईडीए को जमा कर दिए गए हैं।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है और वर्ष की समाप्ति के बाद, आईआरपीएल ने भूमि अधिग्रहण के लिए विभिन्न पक्षों के साथ अनुबंध निष्पादित किया है। स्थल मोबिलाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है और जियोटेक जांच, जल विज्ञान अध्ययन, स्थलाकृति सर्वेक्षण, परीक्षण पाइलिंग जैसे अध्ययन भी चल रहे हैं। अन्य गतिविधियाँ जैसे इंजीनियरिंग, बिजली ट्रांसफार्मर की खरीद, ट्रैकर एमएमएस, इन्वर्टर, पूलिंग सबस्टेशन के लिए वस्तुओं की खरीद की गई है और अन्य वस्तुओं की खरीद की प्रक्रिया चल रही है।

क. संयुक्त उद्यम कंपनियां:

1. इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)

आईएसटीपीएल एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (आईआरसीओएन) और सोमा एंटरप्राइज लिमिटेड (एसओएमए) द्वारा प्रवर्तित किया गया है, को एक निजी क्षेत्र की कंपनी केक रूप में दिनांक 19 अप्रैल, 2005 को निगमित किया गया था। इसमें समान इक्विटी भागीदारी है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य में निर्माण, प्रचालन और अंतरण आधार पर किमी 261+720 से किमी 379+878 तक मौजूदा दो लेन की सड़क के सुधार, प्रचालन और अनुरक्षण, जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण करने और राष्ट्रीय राजमार्ग–3 पर चार लेन विभाजित कैरिजवे को चौड़ा करने के कार्य को निष्पादित करना है। इसके बाद वर्ष 2017–18 में, सोमा एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने 6,38,69,999 शेयर अपनी सहयोगी कंपनी, सोमा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) को हस्तांतरित कर दिए और सोमा एंटरप्राइज लिमिटेड के पास 1 (एक) शेयर है।

यह परियोजना 2010–11 में पूरी हुई थी और अप्रैल, 2010 से कंपनी 118.158 किलोमीटर की पूरी परियोजना से टोल एकत्र कर रही है। 21 वर्ष की रियायत अवधि दिनांक 31.03.2026 को पूरी होनो वाली है।

2. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)

आईआरएसडीसी, इरकॉन और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका निगमन दिनांक 12 अप्रैल 2012 को किया गया था। आईआरडीएससी ने 09 मई 2012 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। आईआरएसडीसी का मुख्य उद्देश्य भारत में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर मानक स्थापित करने हेतु मौजूदा स्टेशन भवनों, प्लेटफार्म स्थलों, परिपत्रण क्षेत्रों आदि के पुनर्विकास सहित नए निर्माण/नवीकरण कार्यों द्वारा यात्री सुविधाओं के स्तर में स्तरोन्नयन करना है ताकि उनके मानकों में सुधार और बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त किया जा सके। आईआरएसडीसी को रेलवे की भूमि/वायुक्षेत्र के वाणिज्यिक विकास का शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। वित्त वर्ष 2017–18 में, आईआरएसडी की 1 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी इरकॉन द्वारा आरएलडीए को हस्तांतरित कर दी गई, और यह इरकॉन और आरएलडीए की 50:50 जेवी कंपनी बन गई। वित्त वर्ष 2021–22 में, राइट्स को तीसरे रणनीतिक भागीदार / शेयरधारक के रूप में पेश किया गया था, और तब से, आरएलडीए, इरकॉन और राइट्स द्वारा आयोजित इक्विटी शेयरधारिता क्रमशः 50:26:24 के अनुपात में है। संशोधित शेयरधारकों के समझौते को 21 मई, 2020 को शेयरधारकों के बीच निष्पादित किया गया था।

रेल मंत्रालय ने अपने 18 अक्टूबर, 2021 के पत्र के द्वारा 'सैद्धांतिक रूप से' आईआरएसडीसी को बंद करने और उसके लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को शुरू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, आईआरएसडीसी द्वारा पांच स्टेशनों का सुविधा प्रबंधन सौंपने की कार्रवाई की गई है। पुणे, आनंद विहार, चंडीगढ़, सिकंदराबाद और बैंगलोर को संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को सौंपना और अन्य गतिविधियों को आरएलडीए को सौंपना भी शुरू कर दिया गया है। प्रक्रिया की निगरानी और आईआरएसडीसी की बंद करने की प्रक्रिया में सहायता के लिए तकनीकी और कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए लेनदेन सलाहकार (मैसर्स आईडीबीआई कैप्स) नियुक्त किए गए हैं। आईआरएसडीसी की संविदात्मक/अन्य देनदारियों को संबोधित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समापन गतिविधि के रूप में, परियोजना बंद करने के निर्णय के कारण, आईआरएसडीसी की सभी संपत्तियां और देनदारियां इसकी सहायक कंपनियों जैसे गांधी नगर रेलवे और शहरी विकास निगम (जीएआरयूडी) और सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईटीसीओ) में निवेश के अलावा), को रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए)/रेल मंत्रालपय को मंदी बिक्री के आधार पर हस्तांतरित किया जाना है, जो कि आईआरएसडीसी की बीओडी बैठक में अनुमोदित पारस्परिक सहमति के अनुसार कटऑफ तिथि पर बहि मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। वित्त वर्ष 2021–22 में शुरू की गई समापन संबंधी गतिविधियां अभी पूरी नहीं हुई हैं। परिसमापन प्रक्रिया इन गतिविधियों के पूरा होने और संपत्तियों और देनदारियों को आरएलडीए/रेल मंत्रालय को सौंपने पर शुरू होगी। आईआरएसडीसी का वित्तीय विवरण

परिसमापन के आधार पर तैयार किया गया है। कंपनी को अपने निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार की हानि की आशंका नहीं है क्योंकि आईआरएसडीसी की रिपोर्ट की गई निवल संपत्ति में कंपनी की हिस्सेदारी 58.50 करोड़ रुपए अर्थात 225 करोड़ रूपए का 26 प्रतिशत है।

3. छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)

सीईआरएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), इरकॉन और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) (छत्तीसगढ़ सरकार के नामित) द्वारा क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ दिनांक 12 मार्च 2013 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। सीईआरएल ने 07 मई, 2013 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। सीईआरएल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला सम्पर्कता कॉरिडोर अर्थात ईस्ट कॉरिडोर (लंबाई 180 किमी) का विकास करना है। इस परियोजना को पीपीपी परियोजनाओं के लिए निर्माण, आरंभ, प्रचालन ओर अंतरण (बीओओटी) मॉडल के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। एसईसीएल, इरकॉन और सीएसआईडी के बीच शेयरधारक समझौता 11 सितंबर 2014 को निष्पादित किया गया था।

इस परियोजना को आगे दो चरणों में विभाजित किया गया है:

(क) सीईआरएल चरण–। – यह चरण खरसिया से धर्मजयगढ़ तक फैला हुआ है, जिसमें घरघोड़ा से डोंगा महुआ तक स्पर लाइन शामिल है। सीईआरएल चरण–। के लिए रियायत समझौते पर 12 जून, 2015 को रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। सीईआरएल–। का वित्तीय समापन 24 नवंबर, 2017 को प्राप्त किया गया है।

विभिन्न खंडों पर निम्नानुसार परिचालन आरंभ किया गया है :

1. सीईआरएल चरण–। का खरसिया से कोरीछापर (डीएन लाइन : 0–42.569 किमी) दिनांक 12 अक्टूबर, 2019 को चालू किया गया है।
2. सीईआरएल चरण–। का कोरिछापर से धरमजयगढ़ (डीएन लाइन : 42.569 किमी – 73.519 किमी) दिनांक 22 जून, 2021 को चालू किया गया है।
3. एसईसीआर ने 23.02.2022 को सीईआरएल चरण–। के घरघोड़ा से भालूमुड़ा (सीएसबी किमी 34.090 – 13.873 किमी) का आरंभ किए जाने को अधिकृत किया है। इस खंड को दिनांक 07.03.2022 को व्यावसायिक रूप से अधिसूचित किया गया है।
4. छल फेडर लाइन सीएसबी किमी 16.548 (फीडर लाइन के लिए सीएच 0) – सीईआरएल सीमा, सीईआरएल चरण–। की किमी 8.429 (एफ/सीएचएचएएल) 23 जुलाई, 2022 को चालू की गई है।
5. सीईआरएल चरण–। का खरसिया से कोरीछापर (यूपी लाइन : 0–42.569 किमी) दिनांक 12 सितंबर, 2022 को चालू किया गया है।
6. सीईआरएल चरण–। का बरौद फीडर लाइन सीएसबी किमी 42.569 (बड़ौद फीडर लाइन के लिए सीएच 0) – सीईआरएल सीमा, किमी 4.139 को दिनांक 16 मार्च, 2023 को चालू किया गया है।
7. सीईआरएल चरण–। परियोजना की सीओडी, दिनांक 23 जुलाई, 2022 है।

(ख) सीईआरएल चरण–II – यह धर्मजयगढ़ से कोरबा तक फैला हुआ है। सीईआरएल चरण–II के जीएसटी निहितार्थ के साथ एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को 12 जून, 2018 को पांच साल के संचालन के लिए 62.5 किमी की प्रभार्य दूरी पर 60 प्रतिशत के बढ़े हुए माइलेज के साथ क्षेत्रीय रेल द्वारा अनुमोदित किया गया है। सीईआरएल चरण–।। के लिए रियायत समझौता पर दिनांक 15 मार्च, 2022 को रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। सीईआरएल द्वारा सीईआरएल के चरण–II के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों से 1349 करोड़ रूपए की सावधि ऋण सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है और वित्तीय समापन का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय समापन के बाद 03 वर्षों के भीतर सीईआरएल चरण–II के लिए काम पूरा करने का लक्ष्य रख गया है।

4. छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)

सीईडब्ल्यूआरएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), इरकॉन और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) (छत्तीसगढ़ सरकार का एक नामित) द्वारा क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी, जिसे दिनांक 25 मार्च, 2013 को निगमित किया गया है। सीईडब्ल्यूआरएल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला सम्पर्कता कॉरिडोर अर्थात ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर (लंबाई 135 किलोमीटर) का विकास करना है। सीईडब्ल्यूआरएल ने दिनांक 07 मई, 2013 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। परियोजना की रियायत अवधि 3 वर्ष और 6 महीने की निर्माण अवधि सहित नियत तिथि से 30 वर्ष है। एसईसीएल, इरकॉन और सीएसआईडीसी के बीच शेयरधारक समझौता दिनांक 09 अप्रैल, 2021 को निष्पादित किया गया था।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को रेलवे ने अपने क्षेत्रीय रेलवे के माध्यम से अनुमोदित किया था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दिनांक 15 जून, 2017 को रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पांच वर्षों के लिए 135 किमी की प्रभार्य दूरी पर 40 प्रतिशत के बढ़े हुए माइलेज के साथ दिनांक 01 जुलाई, 2018 को सीईडब्ल्यूआरएल और रेल मंत्रालय के बीच रियायत समझौता किया गया था। सीईडब्ल्यूआरएल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) द्वारा बैंक लीड के कंसोर्टियम से 3976 करोड़ रूपए की राशि के लिए ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया और 04 सितंबर, 2020 को वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया गया है। है। लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए, शुरू होने की तारीख तक ऋण की सेवा के लिए संचालन की तारीख, आदि के लिए ऋण की आवश्यकता के अनुसार, इरकॉन ने कुल इक्विटी आवश्यकता का 26 प्रतिशत

का इक्विटी योगदान हेतु प्रायोजक सहायता शपत प्रस्तुत किया है। मख्य लाइन के लिए पूरी भूमि का अधिग्रहण किया गया है और लगभग 2200 करोड़ रूपए मूल्य के सिविल कार्यों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और काम प्रगति पर है। कार्य पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि दिसम्बर 2024 है।

5. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)

एमसीआरएल, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), इरकॉन और ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (ओआईडीसीएल) (ओडिशा सरकार का एक नामित) द्वारा क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में 31 अगस्त, 2015 को इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी को निगमित किया गया था। एमसीआरएल का मुख्य उद्देश्य पहचान की गई रेल कॉरिडोर परियोजनाओं का निर्माण, निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है, जो ओडिशा राज्य में खदानों से कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

एमसीआरएल ने दिनांक 19 अप्रैल, 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और कार्यान्वयन के लिए अंगुल–बलराम–पुतागड़िया–झारपाड़ा–तेंतुलोई नए रेल कॉरिडोर (68 किमी) की पहचान की गई है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को जनवरी 2018 में ईस्ट कोस्ट रेलवे, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने दिनांक 11 जून, 2018 को परियोजना की पूरी लंबाई के लिए 60 प्रतिशत की बढ़ी हुई माइलेज को मंजूरी दी है। इस परियोजना को रेल मंत्रालय द्वारा 23 अक्टूबर 2018 को एक विशेष रेलवे परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया है। एमसीआरएल और रेल मंत्रालय के बीच रियायत समझौते को 02 दिसंबर, 2021 को क्रियान्वित किया गया है।

अंगुल–बलराम खंड (14 किमी) दिनांक 10.11.2022 को चालू किया गया। चरण–II (54 किलोमीटर) के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सावधि ऋण की मंजूरी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

6. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

जेसीआरएल, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), इरकॉन और झारखंड सरकार (जीओजे) की इक्विटी भागीदारी के साथ क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में एक संयुक्त उद्यम कंपनी, को 31 अगस्त, 2015 को निगमित किया गया था। जेसीआरएल का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में खदानों से कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर परियोजनाओं की संरचनाा, निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है।

जेसीआरएल ने दिनांक 28 मार्च, 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रेल मंत्रालय ने शिवपुर–कठौटिया नई बीजी विद्युतीकृत रेल लाइन परियोजना को जेसीआरएल को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। परियोजना श्रृंखला कठौतिया (0.000) से शिवपुर (49.085) तक कुल 49.085 किलोमीटर तक शुरू होती है। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी गई है। रेल मंत्रालय ने दिनांक सी.ओ.डी की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए 49.085 किलोमीटर की प्रभार्य दूरी पर 60 प्रतिशत के बढ़े हुए माइलेज को मंजूरी दी है। जेसीआरएल और रेल मंत्रालय के बीच दिनांक 4 दिसंबर, 2018 को रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

जेसीआरएल ने दिनांक 05 मई, 2022 को वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है। कंपनी ने पीएनबी के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से 1259.75 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा का लाभ उठाया है और 125.12 करोड़ रुपए की पहली संवितरण मार्च 2023 में प्राप्त हुई थी।

भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है, चरण–। में वन मंजूरी प्राप्त करने के बाद एनपीवी, सीए और डब्ल्यूएमपी राशि जमा करने के पष्चात वन भूमि पर काम करने की अनुमति भी प्राप्त कर ली गई है। परियोजना पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है और परियोजना के पूरा होने की अपेक्षित तिथि दिनांक 04 जून, 2025 है। दिनांक 31.03.2023 तक परियोजना की कुल सीडब्ल्यूआईपी 1799.64 करोड़ की कुल परियोजना लागत की तुलना में 429.67 करोड़ है।

7. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)

बीआरपीएल, एनएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी), इरकॉन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) (छत्तीसगढ़ सरकार के नामित) द्वारा शुरू में इक्विटी भागीदारी के साथ 43:26:21:10, क्रमशः के अनुपात में एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका निगमन दिनांक 05 मई, 2016 को किया गया था। बीआरपीएल के लिए शेयरधारकों समझौते पर दिनांक 20 जनवरी, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। बीआरपीएल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में रावघाट से जगदलपुर (नारायणपुर, कोंडागांव के माध्यम से) की नई रेल लाइन की संरचना, निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है। संशोधित शेयरधारकों का समझौता 25 मई, 2018 को दर्ज किया गया था, जिसमें एनएमडीसी, इरकॉन, सेल और सीएमडीसी के शेयरधारिता पैटर्न को क्रमशः 52:26:12:10 संशोधित किया गया था।

बीआरपीएल ने दिनांक 19 जुलाई, 2017 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अक्टूबर 2017 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) यथा क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अनुमोदित किया गया है। रेल मंत्रालय ने दिनांक 12 जून, 2018 को परियोजना की पूरी लंबाई के लिए 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई माइलेज को मंजूरी दी है। बीआरपीएल और रेल मंत्रालय के बीच रियायत समझौते को 27 सितंबर, 2018 को निष्पादित किया गया है। परियोजना का वित्तीय समापन प्रक्रियाधीन है। वन भूमि सहित भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटन, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न फॉर्म एओसी–1 में किया गया है।

*****

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

यह रिपोर्ट, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर) विनियम, 2015), कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लिए दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। रिपोर्ट में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन या कंपनी) में कॉरपोरेट शासन प्राणाली और प्रक्रियाओं का विवरण है।

इरकॉन एक 'मिनी रत्न श्रेणी–।' कंपनी है, जिसे दिनांक 28 सितंबर, 2018 को सूचीबद्ध किया गया है और इसने कॉर्पोरेट शासन का एक मजबूत ढांचा स्थापित किया है।

कॉर्पोरेट शासन, हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने और सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों, कानूनों का अनुपालन और नैतिक मानकों का अनुप्रयोग है।

हमारा मानना है कि कॉरपोरेट शासन, सभी हितधारकों के साथ उनके मूल्य को अधिकतम करने की प्रतिबद्धता के साथ मूल्यवान संबंध और विश्वास बनाए रखने से संबंधित है। अच्छी कॉर्पोरेट शासन प्रथाओं का पालन करने की हमारी प्रतिबद्धता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, विवेक, दल कार्य, व्यावसायिकता और जवाबदेही पर आधारित है। यह सर्वोत्तम मानकों का पालन करने और हमारे हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

1. शासन संहिता पर कंपनी के दर्शन का विवरण

इरकॉन, सुदृढ कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में विश्वास करता है, और इसके आवश्यक स्वरूप को, पारदर्शिता, विश्वास और अखंडता, निष्पादन अभिविन्यास, जिम्मेदारी, जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक जवाबदेही और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के उच्च मानक द्वारा आकार दिया गया है। यह हमेशा संगठन में सर्वोत्तम नीतियों, प्रथाओं, संरचनाओं और नैतिकता की रूपरेखा बनाने में विश्वास करता है। कॉरपोरेट शासन, वास्तव में हमने द्वारा कई वर्षों से किए गए व्यवसाय का एक अभिन्न अंग रहा है। इरकॉन दल, कॉर्पोरेट मूल्यों पर बल देता है और उन्हें नियमित रूप से उनके आचरण में आत्मसात करती है।

कंपनी के कॉरपोरेट शासन की संहिता ''कंपनी की गतिविधि के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ पेशेवर, लाभदायक, पारदर्शी और जवाबदेह बनना है।''

निदेशक मंडल द्वारा औपचारिक रूप से अपनाए गए कंपनी के प्रमुख मूल्य हैं:

क. रचनात्मक दृष्टिकोण

ख. एक टीम के रूप में काम करना

ग. प्रदर्शन में उत्कृष्टता

घ. काम और व्यवहार में ईमानदारी

ड. जिम्मेदार और जवाबदेह होना

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल, इरकॉन का सर्वोच्च शासन निकाय है। निदेशक मंडल में कंपनी को नीतिगत मार्गदर्शन और दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए उद्योग और संबंधित क्षेत्रों में समृद्ध ज्ञान और अनुभव रखने वाले विविध क्षेत्रों के पेशेवर शामिल हैं। इरकॉन में, हम मानते हैं कि कंपनी का बोर्ड, शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीर्घकालिक दृष्टि और नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए स्वयं नेतृत्व की संस्कृति बनाता है। बोर्ड के कार्य कंपनी के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप हैं। कंपनी ने बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों के लिए दिशानिर्देशों और एक स्थापित ढांचे को परिभाषित किया है। ये दिशानिर्देश बोर्ड और समितियों की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को एक सूचित और कुशल तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, इरकॉन एक 'सरकारी कंपनी' है, क्योंकि कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 73.18 प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार के पास है, और निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार, प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात, रेल मंत्रालय) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी के पास कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यपालक/निदेशकों और गैर–कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संयोजन था। हालाँकि, बोर्ड की संरचना सेबी एलओडीआर आवश्यकताओं के अनुरूप

नहीं थी, क्योंकि कंपनी के अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक होता है, इसलिए निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए, हालाँकि दिनांक 31 मार्च, 2023 को 6 में से, कंपनी के पास केवल 4 स्वतंत्र निदेशक हैं। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, स्वतंत्र निदेशकों के दो पद खाली हैं और इरकॉन के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है।

2.1 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पद सहित निदेशकों की श्रेणी और नाम

श्रेणी, नाम और पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति या पदमुक्त (वर्ष के दौरान, यदि कोई हो)
पूर्णकालीन (क्रियात्मक) निदेशक–कार्यपालक		
श्री योगेश कुमार मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ@	07654014	–
श्रीमती रागिनी आडवाणी निदेशक (वित्त)	09575213	दिनांक 19.04.2022 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।
श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य)	05272169	दिनांक 21.09.2022 से निदेशक (कार्य) के रूप में नियुक्त किया गया।
श्री संदीप जैन निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त प्रभार) #	09435375	दिनांक 12.01.2023 से निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया।
श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं)	07598920	दिनांक 31.12.2022 से निदेशक (परियोजना) के पद से पदमुक्त हुए।
श्री मोहित सिन्हा निदेशक (वित्त)*	00843548	दिनांक 19.04.2022 से निदेशक (वित्त) के पद से पदमुक्त हुए।
सरकारी नामिति (अंशकालीन) निदेशक– गैर कार्यपालक		
श्री बृजेश कुमार गुप्ता$	10092756	दिनांक 29.03.2023 से नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
श्री धनंजय सिंह	08955500	–
श्री राजेश अर्गल	09171980	दिनांक 31.07.2022 से नामांकित निदेशक के पद से पदमुक्त हुए।
श्री राम प्रकाश	09746225	दिनांक 23.09.2022 से नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 31.01.2023 से नामांकित निदेशक के पद से पदमुक्त हुए
स्वतंत्र निदेशक (अंशकालीन–गैर सरकारी) निदेशक– गैर कार्यपालक		
श्री अजय कुमार चौहान	09394953	–
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	09398271	–
श्रीमती रंजना उपाध्याय	07787711	–
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	09453387	–

@ श्री योगेश कुमार मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ – इरकॉन, ने 29 अप्रैल, 2023, को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और सीईओ का पद छोड़ दिया। इसलिए वह कंपनी के सीएमडी और सीईओ नहीं रहे। वह 21 सितंबर, 2022 तक निदेशक (कार्य) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

श्री संदीप जैन, आईआरएसई, कार्यपालक निदेशक योजना (सिविल और पीएसयू) – रेलवे बोर्ड को दिनांक 12 जनवरी 2023 से निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और निदेशक (परियोजना) के पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति के उपरांत वे दिनाक 07 जुलाई 2023 से निदेशक (परियोजना) (अतिरिक्त प्रभार) के पद से पदमुक्त हो गए हैं।

* आनंद कुमार सिंह (डीआईएन : 07918656), आईआरएसई को पीईएसबी द्वारा चयन पर 07 जुलाई 2023 से निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है।

* श्री मोहित सिन्हा, आईआरएएस, अतिरिक्त सदस्य (राजस्व), रेलवे बोर्ड को दिनांक 3 दिसंबर 2021 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

$ श्री बृजेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सदस्य (सीई), रेलवे बोर्ड और सरकारी नामित (अंशकालिक आधिकारिक) निदेशक, इरकॉन ने दिनांक 29 अप्रैल 2023 से रेल मंत्रालय के अगले आदेश तक अपने कर्तव्यों के अलावा, इरकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।

2.2 दिनांक 31 मार्च 2022 को बोर्ड की संरचना, निदेशकों की श्रेणी, अन्य कंपनियों में निदेशक पद का ब्यौरा और बोर्ड समिति (समितियों) में सदस्यता/अध्यक्ष पद का ब्यौराः

क्र. सं	निदेशकों का नाम व श्रेणी	अन्य कंपनियों में निदेशक पद की संख्या	अन्य कंपनियों में बोर्ड समिति (समितियों) की संख्या जिनमें वह सदस्य/अध्यक्ष हैं[2]	धारित शेयरों की संख्या
पूर्णकालीन (कार्याकारी) निदेशक – कार्यपालक				
1	श्री योगेश कुमार मिश्रा	.	–	3,000
2	श्रीमती रागिनी अडवाणी	**अंशकालिक (नामांकित) निदेशक :** 1. छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड 2. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड 3. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड 4. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड 5. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	–	–
3	श्री पराग वर्मा	1. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड – अध्यक्ष **अंशकालिक (नामांकित) निदेशक :** 2. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड 3. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड 4. इरकॉन गुड़गांव रेवारी हाईवे लिमिटेड 5. इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड 6. इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड 7. छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड 8. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड 9. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड – लेखापरीक्षा समिति – अध्यक्ष	10,500
4	श्री संदीप जैन	**अंशकालिक (नामांकित) निदेशक :** 1. राइट्स लिमिटेड (सूचीबद्ध कंपनी) 2. झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 3. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	राइट्स लिमिटेड –स्टेकधारक संबंध समिति –सदस्य	–
सरकार द्वारा नामित (अंशकालिक (आधिकारिक)–गैर–कार्यपालक				
5	श्री बृजेश कुमार गुप्ता	–	–	–

क्र. सं	निदेशकों का नाम व श्रेणी	अन्य कंपनियों में निदेशक पद की संख्या	अन्य कंपनियों में बोर्ड समिति (समितियों) की संख्या जिनमें वह सदस्य/अध्यक्ष हैं[2]	धारित शेयरों की संख्या
6	श्री धनंजय सिंह	**सरकार द्वारा नामित निदेशक :** रेल विकास निगम लिमिटेड – सूचीबद्ध कंपनी 2. पीपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3. केरल रेल विकास निगम लिमिटेड 4. कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रेल विकास निगम लिमिटेड – हितधारक संबंध समिति – सदस्य कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड – लेखापरीक्षा समिति – सदस्य	–
स्वतंत्र (अंशकालीन (गैर–सरकारी) निदेशक– गैर कार्यपालक				
7.	श्री अजय कुमार चौहान	शून्य	शून्य	शून्य
8.	श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	शून्य	शून्य	शून्य
9.	श्रीमती रंजना उपाध्याय	शून्य	शून्य	शून्य
10.	डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	शून्य	शून्य	शून्य

फुटनोट :

1. धारित निदेशकों की संख्या में विदेशकी कंपनियां और अनुच्छेद–8 कंपनियां, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।
2. केवल लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य पर ही विचार किया गया है। कंपनी का कोई भी सदस्य दस से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या उन सभी कंपनियों में पांच (5) से अधिक समितियों में अध्यक्ष के पद पर कार्य नहीं कर रहा है, जिनमें वह निदेशक है।
3. कोई भी निदेशक एक समय पर बीस (20) से अधिक कंपनियों/10 से अधिक पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशक के पद पर नहीं है।
4. कोई भी निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्ध निकाय में निदेशक के पद पर नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्ध निकायों में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नहीं है।
5. कोई भी पूर्णकालीन निदेशक/प्रबंधक निदेशक किसी सूचीबद्ध कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नहीं है।
6. निदेशकों के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है। श्री धनन्जय सिंह और श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता, नामिति निदेशक (अंशकालीन सरकारी), रेल मंत्रालय के अधिकारी हैं, और इस प्रकार प्रमोटर से संबंधित है किन्तु उनके बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है।

2.3 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकें और वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की आठ बैठकें हुईं। बोर्ड की संख्या और बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है। बोर्ड की कोई भी बैठक 120 दिनों से अधिक के अंतराल के साथ आयोजित नहीं की गई थी।

बैठक की तिथि	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
26.04.2022	9	8
27.05.2022	9	9
22.07.2022	9	9
08.08.2022	8	8

बैठक की तिथि	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
23.09.2022	10	10
11.11.2022	10	9
31.12.2022	10	10
08.02.2023	9	8

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति संबंधी ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है:

निदेशक का नाम	बैठक की तिथि								कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बोर्ड बैठकें	बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थिति हुए	बोर्ड बैठक में उपस्थिति का प्रतिशत	क्या 16ण्09ण्2022 को आयोजित अंतिम एजीएम के उपस्थित हुए
	26.04.2022	27.05.2022	22.07.2022	08.08.2022	23.09.2022	11.11.2022	31.12.2022	08.02.2023				
श्री योगेश कुमार मिश्रा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8	100	✓
श्रीमती रागिनी अडवाणी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8	100	✓
श्री पराग वर्मा	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	4	4	100	लागू नहीं
श्री संदीप जैन	–	–	–	–	–	–	–	✓	1	1	100	लागू नहीं
श्री श्याम लाल गुप्ता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	7	7	100	✓
श्री मोहित सिन्हा	–	–	–	–	–	–	–	–	-	-	-	लागू नहीं
श्री बृजेश कुमार गुप्ता	–	–	–	–	–	–	–	–	-	-	-	लागू नहीं
श्री धनंजय सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	8	6	75	✓
श्री राजेश अर्गल	×	✓	✓	–	–	–	–	–	3	2	67	लागू नहीं
श्री राम प्रकाश	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	3	3	100	लागू नहीं
श्री अजय कुमार चौहान	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8	100	✓
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8	100	✓
श्रीमती रंजना उपाध्याय	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8	100	✓
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8	100	✓

2.4. बोर्ड के सदस्य का मानदंड

इरकॉन एक इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है, और बोर्ड द्वारा आवश्यक प्रमुख योग्यता सिविल इंजीनियरिंग, वित्त, प्रौद्योगिकी, विपणन और वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में हैं।

रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के अधीन, इरकॉन के निदेशकों की प्रमुख योग्यता, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषताओं को तालिका में सारबद्ध किया गया है। निदेशकों की वांछित योग्यता, विशेषज्ञता, कौशल आदि डीपीई/लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) और/या संबंधित मंत्रालय द्वारा संशोधनों/परिवर्धनों/परिवर्तनों के अधीन हैं और स्वतंत्र निदेशकों की योग्यताएं भी डीपीई द्वारा जांच के अध्यधीन हैं।

निदेशकों द्वारा अपेक्षित अपेक्षित कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता तालिका में शामिल हैं:

क्र. सं	निदेशक का प्रकार	अपेक्षित विशेषज्ञता/कौशल
1.	पूर्णकालीन (कार्यात्मक) निदेशक –कार्यपालक	
	i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**अनिवार्यः** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ कम से कम स्नातक की डिग्री और प्रतिष्ठित बड़े संगठन में वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन का पर्याप्त अनुभव। **वांछनीय :** सिविल इंजीनियरिंग/तकनीकी/एमबीए में डिग्री अर्हता तथा वित्त/विपणन/परियोजनाओं का ज्ञान। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का अनुभव, विशेष रूप से रेल उद्योग में रेल परियोजनाओं, संगठनात्मक नियोजन की तकनीकों तथा श्रमशक्ति विकास का अनुभव।
	ii) निदेशक (परियोजना)	**अनिवार्यः** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक। रेलवे के क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी/प्रचालनक/परियोजना प्रबंधन अनुभव। **वांछनीय :** एमबीए/तकनीकी अर्हता प्राप्त।
	iii) निदेशक (कार्य)	**अनिवार्यः** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक। सड़क/राजमार्ग सहित अवसंरचना परियोजनाओं के क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी/प्रचालनक/परियोजना प्रबंधन अनुभव। **वांछनीय :** एमबीए/तकनीकी अर्हता प्राप्त को प्राथमिकता।
	iv) निदेशक (वित्त)	**अनिवार्यः** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट या कॉस्ट एकाउंटेंट या पूर्णकालीन एमबीए/पीजीडीएम (वित्त में विशेषज्ञता सहित) पाठ्यक्रम के साथ प्रतिष्ठित संगठन में वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव (ii) उपयुक्त स्तर पर संगठित समूह क लेखा सेवा के अधिकारी को उपयफ्रक्त क्रम. (i) में प्रस्तुत न्यूनतम अर्हता से छूट प्राप्त होगी। (iii) पर्याप्त एंव संगत अनुभव वाले केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सशक्त बल/अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को उपयुक्त क्रम. (i) में प्रस्तुत न्यूनतम अर्हता से छूट प्राप्त होगी। निगमित वित्त प्रबंधन तथा लेखांकन सहित लागत लेखांकन, बजट नियंत्रण, संस्थागत वित्त, कार्यशील पूंजी प्रबंधन आदि क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर का पर्याप्त अनुभव।
2.	**सरकारी नामिति (अंशकालीन सरकारी निदेशक)–गैर कार्यपालक** (2 निदेशक)	जैसा कि भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा निर्धारित किया गया है।
3.	**3. स्वतंत्र निदेशक (अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक)–गैर कार्यपालक** (6 निदेशक)	जैसा कि भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के पास पीईएसबी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अपेक्षित कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताएं हैं।

उद्योग क्षेत्र और अन्य प्रबंधकीय कौशल को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, इरकॉन के निदेशकों के पास निम्नलिखित विशेषज्ञता और कौशल हैं :

निदेशक का नाम	विशेषज्ञता और कौशल का क्षेत्र							
	औद्योगिक ज्ञान और विशेषज्ञता	वित्तीय प्रबंधक	कॉर्पोरेट योजना एवं प्रबंधन नीति	नेतृत्व	तकनीकी तार्किक ज्ञान	बोर्ड प्रैक्टिस और गवर्नेंस	व्यवसाय विकास	वैश्विक आउटलुक
कार्यात्मक निदेशक :								
श्री योगेश कुमार मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती रागिनी अडवाणी निदेशक (वित्त)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री संदीप जैन निदेशक (परियोजना)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
सरकारी नामिति निदेशक:								
श्री बृजेश कुमार गुप्ता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री धनंजय सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
स्वतंत्र निदेशक								
श्री अजय कुमार चौहान	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती रंजना उपाध्याय	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓

निदेशकों के अनुभव और कौशल कंपनी के वेबसाइट यथा www.ircon.org. पर उपलब्ध हैं।

2.5 निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना:

प्रबंधन द्वारा बोर्ड को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना की मात्र और गुणवत्ता समय–समय पर यथा संशोधित सेबी एल.ओ.डी. आर विनियम में निर्धारित अपेक्षा से अधिक है। निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

क. कंपनी के तिमाही/अर्धवार्षिक तथा वार्षिक वित्तीय परिणाम।

ख. लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड बैठकों तथा अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

ग कंपनी की सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त।

घ पूंजीगत और राजस्व बजट तथा कोई अन्य अद्यतन।

ड. संबंधित पक्ष संव्यवहार।

च बट्टे खाते और अशोध्य ऋण।

छ. निवेश, सहायक कंपनियों और परिसंपत्तियों की सामग्रीगत प्रकृति की बिक्री।

ज. प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उपक्रमों का गठन, नीतिगत गठबंधन आदि।

झ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन।

ट. कंपनी द्वारा विभिन्न कानूनों का अनुपालन।

ठ. प्राप्त प्रमुख आर्डर तथा अप्राप्त बोलियां।

ड. कंपनी में निदेशकों द्वारा हितलाभों का प्रकटन।

ढ. बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई।

ण. सेबी एलओडीआर विनियम के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत अनुपालन/रिपोर्टें।

त. सूचनार्थ, अनुमोदनार्थ और समीक्षा हेतु बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली अन्य सभी सूचनाएं।

2.6 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान नियुक्त /पुनर्नियुक्त नए निदेशक:

क. श्रीमती रागिनी आडवाणी खडिन : 09575213, – (19 अप्रैल, 2022 से) :

सुश्री रागिनी आडवाणी, अर्हता के आधार पर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, जिन्हें वित्त के क्षेत्र में अर्हता–पूर्व 25 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। वह चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी दोनों परीक्षाओं में रैंक धारक हैं। इरकॉन में शामिल होने से पहले, सुश्री आडवाणी ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के साथ महाप्रबंधक (एफ एंड ए) के पद पर कार्य किया है, जो तेल और गैस क्षेत्र में एक तकनीकी परामर्शदाता सीपीएसई है और वह इस कंपनी में लेखांकन के प्रभारी थीं तथा इन्होंने सी एंड एजी / वैधानिक लेखापरीक्षकों, सभी विपणन प्रस्ताव और विपणन वित्त, बिलिंग को अनुमोदन प्रदान करने और संबंधित मामले, बजट और एमआईएस और व्यवसाय विकास प्रस्ताव के क्षेत्र में कार्य किया था। वह 2 वर्षों तक अध्यक्ष कार्यालय का भी हिस्सा रहीं और ईआईएल में लगभग एक वर्ष तक कंपनी सचिवालय विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। उनका पिछला अनुभव एनटीपीसी, सेल, पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल) और केपीएमजी के साथ रहा था। उनके पास कॉर्पोरेट फाइनेंस में समृद्ध और विविध अनुभव है, जिसमें मूल्यांकन, विलय / डिमर्जर और अधिग्रहण, वित्तीय पुनर्गठन, ट्रेजरी प्रबंधन, ऋण वित्तपोषण की व्यवस्था, कॉर्पोरेट योजना और बजट, वाणिज्यिक बिलिंग और ई–नीलामी के माध्यम से कोयले की खरीद, नियमित एमआईएस, सीएजी संबंधी कार्य, टैरिफ आदेशों को अंतिम रूप देने और दीर्घकालिक पीपीए पर हस्ताक्षर करने के लिए सीईआरसी के साथ कार्य करना शामिल हैं। श्रीमती आडवाणी वित्त मामलों के संबंध में ईआईएल के इन–हाउस वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए विषय विशेषज्ञ/संरक्षक भी रही हैं।

ख. श्री पराग वर्मा (डिनः 05272169) (21 सितंबर, 2022 से):

श्री पराग वर्मा वर्ष 1991 में इरकॉन में शामिल हुए। श्री वर्मा इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर हैं और उनके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर कार्य करने का 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उनकी मुख्य विशेषताए, परियोजना की योजना, अनुमान और संकल्पना और परियोजनाओं की संरचना और उसके निष्पादन में निहित है। उनके पास विशेष परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मूल संगठन हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना करने का अनुभव है। उन्होंने भारत में पीपीपी मॉडल पर स्टेशन विकास कार्यक्रम की पूरी अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पीपीपी मॉडल पर भारतीय रेलवे पर स्टेशन विकास की पहली परियोजना को पुरस्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया है। अपनी वर्तमान भूमिका में वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राजमार्ग, भवन और रियल एस्टेट और व्यवसाय विकास के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वह न केवल ईपीसी, आइटम रेट, पीपीपी मॉडल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राप्त करके कंपनी की स्वस्थ ऑर्डर बुक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि उनके निष्पादन के लिए भी जिम्मेदार है। उनके मार्गदर्शन में बीडी टीम ने खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नए ऑर्डर का उच्चतम मूल्य प्राप्त किया है। हाई स्पीड रेलवे, गिट्टी रहित स्लैब ट्रैक और राजमार्ग सुरंग बड़े पुलों के नए क्षेत्रों में इरकॉन द्वारा कार्य प्राप्त किया गया है।

ग. श्री संदीप जैन (डिनः 09435375) – (12 जनवरी, 2023 से):

श्री संदीप जैन ने एनआईटी, जयपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।

वह 1992 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसई) से संबंधित हैं और उन्होंने एईएन, डीईएन, सीनियर डीईएन, डिप्टी मुख्य अभियंता/ट्रैक आपूर्ति, वरिष्ठ डीईएन/समन्वय, उप मुख्य अभियंता (निर्माण), सीजीएम/आईआरसीओएन जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उनके पास रेलवे रखरखाव, निर्माण परियोजनाओं और प्रशासन के क्षेत्र का 29 वर्षों से अधिक का समृद्ध और व्यापक अनुभव है। वर्तमान में, वह अक्टूबर, 2021 से रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक योजना (सिविल और पीएसयू) के रूप में कार्यरत हैं।

घ. श्री बृजेश कुमार गुप्ता (डिन : 10092756) (29 मार्च, 2023 से):

श्री बृजेश कुमार गुप्ता कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। उन्होंने माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एमआईटीएस), ग्वालियर से सिविल इंजीनियर (बी.ई.–सिविल) में स्नातक की डिग्री और आईआईटी, दिल्ली से एप्लाइड मैकेनिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री (एम.टेक) प्राप्त की है।

वह 1985 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसई) से हैं। वह इंडियन इंस्टीट्यूट परमानेंट वे इंजीनियर्स (आईआईपीडब्ल्यूई), नई दिल्ली के सदस्य भी हैं। उन्होंने अक्टूबर 2018 में कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी, पिट्सबर्ग, यूएसए में रणनीतिक प्रबंधन कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और जुलाई, 2017 में एसडीए बोकोनी बिजनेस स्कूल, मिलान, इटली में नेतृत्व कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

वह वर्तमान में रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य (सिविल इंजीनियर) के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास रेलवे में 37 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है, विशेष रूप से रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन और प्रबंधन

में। उन्होंने रेलवे में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), ख्उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर और पूर्वी तट रेलवे, भुवनेश्वर,, मुख्य सुरक्षा अधिकारी [पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर], मंडल रेलवे प्रबंधक, मध्य रेलवे, नागपुर, जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

उन्हें सीएओ/सी/उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के रूप में कार्य करते हुए, वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए लगातार रेल मंत्री के सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन शील्ड और वर्ष 2013–14 और 2014–15 में मुख्य संरक्षा अधिकारी, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के रूप में कार्य करते हुए जोनल सेफ्टी शील्ड के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मंडल रेल प्रबंधक के रूप में उनके दो वर्षों के कार्यकाल के दौरान, दोनों वर्षों में नागपुर मंडल को मध्य रेलवे में सर्वश्रेष्ठ मंडल के रूप में चुना गया था। इसके अलावा, उन्हें उप मुख्य अभियंता/निर्माण/जोधपुर के रूप में कार्य करते हुए 1994–95 में जोधपुर–जैसलमेर (300 किलोमीटर) खंड के गेज परिवर्तन को रिकॉर्ड समय में पूरा करने कें उत्कृष्ट कार्य के लिए दल के सदस्य के रूप में रेल मंत्रालय स्तर पर सम्मानित किया गया।

ड. **श्री राम प्रकाश [डिन : 09746225] – (23 सितंबर, 2022 से 31 जनवरी, 2023 तक) :**

59 वर्षीय श्री राम प्रकाश ने वर्ष 1984 में आईआईटी रूड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री प्राप्त की है। वह आईआरएसईई 1984 बैच के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुए।

इरकॉन में कार्यभार ग्रहण करते समय वह रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य के रूप में कार्यरत थे। उनके पास इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (ईएमयू) के संचालन, रखरखाव, डिजाइन और विनिर्माण में व्यापक अनुभव है। अपनी 36 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने रेलवे में विभिन्न महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया। रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य के रूप में शामिल होने से पहले, उन्होंने एडीआरएम (अतिरिक्त मंडल रेलवे प्रबंधक)/सियालदह, मुख्य इलेक्ट्रिक लोको इंजीनियर/पूर्वी रेलवे, मुख्य विद्युत इंजीनियर/निर्माण/ईआर, मुख्य सुरक्षा अधिकारी/ईआर, प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर/सीएलडब्ल्यू (चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस), प्रधान कार्यकारी निदेशक/ट्रैक्शन इंस्टालेशन/आरडीएसओ (अनुसंधान डिजाइन मानक संगठन) के रूप में कार्य किया है।

उन्होंने 26 वर्षों तक प्रादेशिक सेना में भी सेवा की है। वह 969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे।

उप मुख्य विद्युत अभियंता/कांचरापाड़ा के रूप में कार्य करते हुए, उन्हें वर्ष 1998 में कांचरापाड़ा कार्यशाला/ईआर में रिकॉर्ड आउट–टर्न के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता/सीएलडब्ल्यू के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान सीएलडब्ल्यू सर्वोच्च इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण इकाई बन गई और वर्ष 2018–19 में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उच्चतम उत्पादन के लिए सीएलडब्ल्यू का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया।

सभी मौजूदा निदेशकों की विस्तृत प्रोफाइल वेबसाइट www.ircon.org पर देखी जा सकती है।

2.7 स्वतंत्र निदेशकों के त्यागपत्र, यदि कोई हो के कारणों का ब्यौराः

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने त्यागपत्र या कार्यकाल समापन से पूर्व पद को रिक्त नहीं किया है।

2.8 बोर्ड की स्वतंत्रता

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशक घोषणा करते हैं कि वे समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के मापदंड को पूरा करते हैं।

2.9 बोर्ड सदस्यों के लिए परिचय कार्यक्रम/प्रशिक्षण

कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका उद्देश्य निदेशकों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करना तथा निदेशकों द्वारा प्राप्त ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है। उन्हें कंपनी से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें कंपनी का प्रोफाइल, समझौता ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, समझौता ज्ञापन लक्ष्य तथा उपलब्धियां, सीवीसी द्वारा नैतिकता और शासान–परिदृश्य पर लेख, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, निगमित शासन तथा सीएसआर और धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देश, बोर्ड की सभी समितियों के संदर्भ शर्तें, सेबी एलओडीआर, डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 आदि के अंतर्गत निदेशकों के कार्यों तथा दायित्वों, और अनर्हता आदि के प्रावधान शामिल हैं।

कंपनी स्वतंत्र निदेशकों को विभिन्न कार्यक्रमों और प्रस्तुतीकरणों के माध्यम से कंपनी की गतिविधियों तथा कार्यप्रणाली तथा कंपनी में उनकी भूमिका, अधिकारों और उत्तरदायित्वों, उद्योग की प्रकृति जिसमें आपकी कंपनी प्रचालन कर रही है, कंपनी का व्यवसाय मॉडल आदि। ऐसे परिचय कार्यक्रमों का ब्यौरा इरकॉन की वेबसाइट पर वेबलिंकः https://ircon.org/images/DETAILS_OF_FAMILIARIZATION_PROGRAMMES_1.pdf पर उपलब्ध है।

3. बोर्ड समितियां

सेबी एलओडीआर के विनियम 17, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों और

अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन में निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

(i) लेखापरीक्षा समिति
(ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति
(iii) जोखिम प्रबंधन समिति
(iv) शेयरधारक संबंध समिति
(v) निगमित सामाजिक उत्तदायित्व और धारणीयता समिति
(vi) परियोजना प्रगति समीक्षा समिति

कंपनी सचिव और इन समितियों के संबंधित अध्यक्षों के परामर्श से बोर्ड के अध्क्ष इन समितियों की बैठकों की आवृत्ति का निर्धारण करते हैं। समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

1. संरचना, बैठक और उपस्थिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, गणपूर्ति, संदर्भ शर्तें, कार्यक्षेत्र आदि कंपनी (बोर्ड की बैठकों और उनकी शक्ति) नियम, 2014 के नियम 6 तथा 7, सेबी एलओडीआर के विनियम 18 तथा 24(2) और डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों, 2010 समय समय पर यथा संशोधित, के अध्याय 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार थी:

01.04.2022 से 31.07.2022	01.08.2022 से 31.03.2023
अध्यक्ष	
श्री अजय कुमार चौहान स्वतंत्र निदेशक	श्री अजय कुमार चौहान स्वतंत्र निदेशक
सदस्य	
श्री राजेश अर्गल सरकार. नामांकित निदेशक	श्रीमती रंजना उपाध्याय स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती रंजना उपाध्याय स्वतंत्र निदेशक	श्री धनंजय सिंह सरकार नामांकित निदेशक
–	श्री कार्तिक चंदूलाल भद्र स्वतंत्र निदेशक (01.11.2022 से 30.11.2022 तक)

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, ऑडिट समिति की आठ (8) बार बैठक हुई। लेखापरीक्षा समिति द्वारा चर्चा/अनुमोदित मदों में अन्य बातों के साथ–साथ त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम/विवरण, पूंजीगत बजट, सहायक कंपनियो/संयुक्त उद्यमों में निवेश, संबंधित पार्टी लेनदेन, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, लेखांकन नीति में परिवर्तन, लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा सेबी पीआईटी के तहत रिपोर्ट, मध्यस्थता और मुकदमेबाजी मामलों की समीक्षा, सी एंड एजी पैरा आदि शामिल हैं। ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठक की तिथि								कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
	26.04.2022	26.05.2022 और 27.05.2022	22.07.2022	28.07.2022	08.08.2022	23.09.2022	11.11.2022	08.02.2023		
श्री अजय कुमार चौहान	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	8	7
श्री धनंजय सिंह	–	–	–	–	✓	✓	×	×	4	2
श्री राजेश अर्गल	×	✓	✓	✓	–	–	–	–	4	3
श्रीमती रंजना उपाध्याय	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र (सहयोजित सदस्य)	–	–	–	–	–	–	✓	–	1	1

शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनांक 16 सितंबर 2022 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री अजहय कुमार चौहान उपस्थित थे।

लेखापरीक्षा समिति की उपयफ्क्त बैठकों में समिति के सचिव के रूप में कंपनी सचिव, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा, सीजीएम (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षक, वैधानिक लेखापरीक्षक और लागत लेखापरीक्षक, और विशेष आमंत्रित के रूप में कार्यात्मक प्रमुखों को भी उनकी आवश्यकता के आधार पर आमंत्रित किया गया था और उन्होंने लेखापरीक्षा समिति को आवश्यक इनपुट प्रदान किए। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया।

2. संदर्भ शर्तें :

बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें सेबी एलओडीआर के विनियम 18 तथा 24(2) तथा सेबी (आंतरिम व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 9क(4) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 तथा समय–समय पर यथासंशोधित डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशा के अध्याय 4 की अपेक्षिओं के अनुरूप हैं। प्रमुख संदर्भ शर्तें निम्नानुसार हैं:

क. वित्तीय विवरण

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना और इसकी वित्तीय सूचना को प्रकट करना ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, तथा विश्वसनीय हैं।
2. निम्नलिखित विशिष्ट संदर्भ सहित बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा उनकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा:
   (i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ग) की शर्तों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित विषय।
   (ii) लेखांकन नीतियों और विधियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इन परिवर्तनों के कारण।
   (iii) प्रबंधन द्वारा विवेक का प्रयोग करके अनुमानों के निर्माण में शामिल होने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
   (iv) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   (v) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।
   (vi) पक्ष संबंधी किसी लेनदेन का प्रकटन; और
   (vii) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं/आशोधित विकल्प।
   (viii) प्रबंधन विचारविमर्श का समीक्षा और वित्तीय परिस्थितियों व प्रचालनों के परिणामों का विश्लेषण।
3. तिमाही वित्तीय परिणामों और उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ इसकी समीक्षा।
4. सेबी एलओडीआर के विनियम 32(1) तथा (7) की शर्तों के अनुसार इश्यु (पब्लिक इश्यु, राइट्स इश्यु, प्रेफरेंशियल इश्यु आदि) के माध्यम से एकत्र निधियों के प्रयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/प्रोस्पेक्स/नोटिस में उल्लिखित प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए निधियों के उपयोग का विवरण तथा परिवर्तन (परिवर्तनों) के विवरणों की समीक्षा करने के लिए पब्लिक इश्यु या राइट इश्यु से एकत्र निधि के उपयोग की मानीटरिंग करने वाली मॉनीटरिंग एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रबंधन के साथ समीक्षा तथा इस मुद्दे पर कदम उठाने के लिए बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें करना।

ख. लेखापरीक्षा और आंतरिम नियंत्रण:

5. कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए बोर्ड की सिफारिश।
6. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए उन्हें भुगतान का अनुमोदन।
7. आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, निरसन तथा पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा।
8. सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रबंधन, निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता, लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता की समीक्षा और मॉनीटरिंग तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निष्पादन और प्रभावपूणता की समीक्षा।
9. लेखापरीक्षा आरंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा तथा किसी चिंता के विषय को निर्धारित करने के लिए लेखापरीक्षा पूर्व चर्चा।
10. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों/आंतरिम नियंत्रण खामियों के पत्रों की समीक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के संबंध में आवधिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों/आंतरित लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
11. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कार्मिकों की व्यवस्था तथा विभाग के प्रमुख की वरियता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज तथा आंतरिम लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा।
12. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
13. आंतरिम वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

14. आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों द्वारा ऐसे मामलों पर किसी आंतरिक अन्वेषण के निष्कर्षों की समीक्षा जिसमें, सामग्रीगत प्रकृति का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में जालसाजी या अनियमितता या विफलता की आशंका हो।

ग. संबंधित पक्ष संव्यवहारः

15. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के संव्यवहारों का अनुमोदन या उनमें किसी प्रकार के अनुवर्ती आशोधनों, तथा कंपनी की संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति के अनुसार यथापेक्षित अन्य अनुमोदन।

घ. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा/सीओपीयूः

16. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा तथा संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई अनवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

ड. सहायक कंपनियांः

17. 100 करोड़ रुपए से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति आकार के 10 प्रतिशत, मौजूदा ऋणों/अग्रिमों/निवेशों सहित जो काई भी कम हो, की राजसहायता में धारक कंपनी द्वारा ऋणों तथा/या अग्रिमों /निवेश की समीक्षा।

18. वित्तीय विवरणों की समीक्षा और विशेष रूप से गैरसूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश में।

च. अन्यः

19. अंतर निगमित ऋणों और निवेशों की संवीक्षा, तथा

20. उपक्रमों या कंपनियों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहांकहीं आवश्यक हो।

21. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न किए जाने के मामले में), ऋणदाताओं को भुगतान में व्यापक चूक के कारणों की जांच करना।

22. व्हीसल ब्लोवर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना तथा व्हीसल ब्लोवरों का संरक्षण।

23. यह सत्यापित करने के लिए कि आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, सेबी पीआईटी विनियामें के प्रावधानों के संबंध में अनुमालन की समीक्षा वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात।

24. लेखापरीक्षा समिति को अपनी संदर्भ शर्तों के भीतर किसी भी गतिविधि की जांच करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए किसी कर्मचारी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, बाहरी विधि या किसी पेशेवर की सलाह (निदेशक मंडल के अनुमोदन के मद्देनजर) ले सकते हैं और कंपनी के रिकार्डों में समाविष्ट सूचना पर पूरा पहुंच होगा तथा संगत विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति प्राप्त कर सकते हैं।

25. समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार, तथा कंपनी अधिनियम–2013, या डीपीई दिशानिर्देशों या सेबी एलओडीआर या किसी अन्य सेबी नियम तथा विनियम के अंतर्गत यथापेक्षित कोई अन्य कार्य।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

1. संरचना, बैठक और उपस्थिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना, संदर्भ शर्तें, गणपूर्ति, कार्यक्षेत्र आदि, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर, तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों की तर्ज पर है।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान समिति की संरचना इस प्रकार थीः

01.04.2022 से 31.07.2022	01.08.2022 से 31.03.2023
अध्यक्ष	
श्री अजय कुमार चौहान स्वतंत्र निदेशक	श्री अजय कुमार चौहान स्वतंत्र निदेशक
सदस्य	
श्री राजेश अरगल सरकार नामित निदेशक	श्री धनंजय सिंह सरकार नामित निदेशक
श्री दिपेन्द्र कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	श्री दिपेन्द्र कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, समिति की सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की पांच बार बैठक हुई। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आयोजित समिति की बैठकों की संख्या और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया हैः

निदेशक का नाम	बैठक की तारीख					कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बोर्ड बैठकें	बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थित हुए
	26.04.2022	19.05.2022	13.06.2022	28.10.2022	07.02.2023		
श्री अजय कुमार चौहान	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
श्री धनंजय सिंह	–	–	–	✓	✓	2	2
श्री राजेश अरगल	×	✓	✓	–	–	3	2
श्री दिपेन्द्र कुमार गुप्ता	✓	✓	✓	✓	✓	5	5

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष श्री अजय कुमार चौहान शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 16 सितंबर, 2022 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

2. **संदर्भ शर्तें :**

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की संदर्भ शर्तों में सेबी एलओडीआर, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–178 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों शामिल हैं जिन्हें समय–समय पर संशोधित किया जाता है (निदेशकों से संबंधित मामलों को छोड़कर क्योंकि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत तथा इरकॉन के संबोधित दिनांक 2 अप्रैल 2018 के सेबी के पत्र के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को इससे छूट प्राप्त है)।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्यक्षेत्र/संदर्भ शर्तों संक्षिप्त में इस प्रकार हैं:

क. डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित सीमा के भीतर कार्यपालकों और गैर–यूनियनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल/निष्पादन संबंधी वेतन तथा इसके संवितरण की नीत्का निर्धारण व अनुमोदन करना।

ख. डीपीई तथा अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के चयन और उन्हें हटाने की नीति की समीक्षा करना और मंडल के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।

ग. निर्धारित मापदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों को चिह्नित करना और उनकी नियुक्ति या हटाए जाने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

घ. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक, किसी भी रूप में, से संबंधित नीति के संबंध में निदेशक मंडल को सिफारिश देना।

ड. कोई अन्य कार्य जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 या डीपीई दिशानिर्देशों या सेबी एलओडीआर द्वारा शामिल किया जाए।

स्पष्टीकरण: वरिष्ठ प्रबंधन से तात्पर्य कंपनी के उन अधिकारियों/कार्मिकों से है, जो इसके प्रमुख प्रबंधन के सदस्य है और इसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालीन निदेशक/प्रबंधक (सीईओ/प्रबंधक सहित यदि वह बोर्ड का भाग नहीं है) से एक स्तर नीचे के सभी सदस्य शामिल नहीं हैं और विशिष्ट रूप से इसमें कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)(बोर्ड स्तर से नीचे) और कार्यकारी प्रमुख शामिल हैं।

3. **बोर्ड सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन :**

निगमित कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से सरकारी कंपनी को छूट प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को अधिसूचित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रावधान है कि औपचारित वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण के संबंध में खंड–134(3)(पी) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, यदि निदेशकों का मूल्यांकन अपनी स्वयं की विधि प्रक्रिया द्वारा कंपनी के प्रशासनिक प्रशर वाले मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उपयफ्क्त छूटों की तर्ज पर नियुक्ति, निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में खंड 178 के उपखंड–(2), (3) तथा (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पद लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की अनुसूची–IV में दिनांक 5 जुलाई 2017 की एमसीए की अधिसूचना के तहत संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा गैर–स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष की स्वतंत्र निदेशकशें द्वारा निष्पादन मूल्यांकन की अपेक्षा और बोर्ड द्वारा स्वंतत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन, यदि संबंधित विभाग या मंत्रालयों ने इन अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट किया हो, की अपेक्षा के अनुपालन से सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है।

इस संबंध में, लोक उपक्रम विभाग (डीपीई), ने पहले ही सभी क्रियात्मक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु तंत्र निर्धारित किया है। क्रियात्मक निदेशकों का निष्पादन

रेल मंत्रालय मूल्यांकन वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की प्रणाली के माध्यम से किया जाता है इसके अलावा, कंपनी का प्रदर्शन मूल्यांकन रेल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है, और उक्त मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को क्रमबद्ध किया गया है और यह व्यक्तियों और टीम के प्रदर्शन मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग है। आंतरिक समझौता ज्ञापन में वित्तीय, गैर–वित्तीय और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन आदि सहित विभिन्न पैरामीटर शामिल हैं।

सरकारी नामिति निदेशकों के मामले में, उनका मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चूंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, इनका मूल्यांकन रेल मंत्रालय द्वारा और अंतत् डीपीई द्वारा किया जाता है।

3.3 स्टेकधारक संबंध समिति

स्टेकधारक संबंध समिति की संरचना, संदर्भ शर्तें, गणपूर्ति, कार्यक्षेत्र आदि, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर, तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों की तर्ज पर है।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान स्टेकधारक संबंध समिति की संरचना इस प्रकार थी:

01.04.2022 से 27.05.2022	27.05.2022 से 31.03.2023
अध्यक्ष	
श्री धनंजय सिंह सरकारी नामिती निदेशक	श्री धनंजय सिंह सरकारी नामिती निदेशक
सदस्य	
श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं)	श्री रागिनी आडवाणी, निदेशक (वित्त)
श्री अजय कुमार चौहान स्वतंत्र निदेशक	श्री कार्तिक चंदूलाल भद्र, स्वतंत्रत निदेशक

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, हितधारक संबंध समिति की एक (1) बैठक, दिनांक 06 मार्च, 2023 को आयोजित की गई जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष श्री धनंजय सिंह शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 16 सितंबर, 2022 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

1. संदर्भ शर्तें :

स्टेकधारक संबंध समिति की संदर्भ शर्तों में सेबी एलओडीआर, के विनियम 20 सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 में विनिर्दिष्ट निम्नानुसार क्षेत्र शामिल हैं:

(क) शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं को देखना।

(ख) शेयरों के अंतरण/प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने तथा घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने तथा साधारण बैठक आदि संबंधी शिकायतों सहित कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करना तथा उनका निवारण करना।

(ग) शेयरधारकों द्वारा वोटिंग अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

(घ) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा।

(ड.) अदावित लाभांशों की मात्रा को कम करने और शेयरधारकों द्वारा लाभांष वारंटों/वार्षिक रिपोर्टों/सांविधिक नोटिसों की समय पर प्राप्ति को सुनिश्चित करना।

(च) कोई अन्य कार्य जिसे कंपनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों या सेबी एलओडीआर द्वारा यथापेक्षित हो या अन्य मुद्दे जो समय–समय पर स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा यथा आवश्यक हों।

2. अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम:

सेबी एलओडीआर की शर्तों के अनुसार कंपनी की अनुपालन अधिकारी सुश्री रितु अरोड़ा कंपनी सचिव हैं।

3. शेयरधारकों की शिकायतों का ब्यौरा

कंपनी के साथ–साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ने निवेशकों की शिकायतों पर शीघ्रता से ध्यान दिया है। वर्ष के

आरंभ में, अर्थात 01 अप्रैल, 2022 तक, कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी और वर्ष 2022–23 के दौरान शेयरधारकों से कुल 10 प्रश्न/शिकायतें प्राप्त हुईं। सभी प्रश्नों/शिकायतों का समाधान शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार किया गया था। इनका विवरण निम्नानुसार है :

शिकायत की प्रकृति	लंबित शिकायतें (01.04.2022 को)	प्राप्त	समाधान किया गया	लंबित
सेबी	0	0	0	0
बीएसई	0	4	4	0
एनएसई	0	5	5	0
एनएसडीएल/सीडीएसएल	0	0	0	0
अन्य	0	1	1	0
कुल	**0**	**10**	**10**	**0**

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी एलओडीआर के अनुसार, कंपनी में जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) गठित करने की आवश्यकता, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से लागू हो गई है। हालांकि, कंपनी में वर्ष 2014 से पहले से ही बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति है।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और कार्यक्षेत्र, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार है।

1. संरचना

कंपनी में एक जोखिम प्रबंधन समिति है, जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन बोर्ड सदस्य शामिल हैं। शीर्ष स्तर के प्रबंधन और व्यवसाय इकाई प्रमुख (परियोजना प्रमुख) से युक्त, एक त्वरित कार्रवाई समूह भी मौजूद है और समूह का उद्देश्य व्यापार प्रक्रिया में निहित प्रमुख जोखिमों को कम करना और उत्पादकता और दक्षता बनाए रखना है।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान आरएमसी की संरचना इस प्रकार थी:

01.04.2022 से 27.05.2022	27.05.2022 से 31.12.2022	01.01.2023 से 11.01.2023	12.01.2023 से 31.03.2023
अध्यक्ष			
श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य)	श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य)
सदस्य			
श्री राजेश अर्गल सरकारी नामांकित निदेशक	श्री रागिनी आडवाणी, निदेशक (वित्त)	श्री रागिनी आडवाणी, निदेशक (वित्त)	श्री रागिनी आडवाणी, निदेशक (वित्त)
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	श्री कार्तिक चंदूलाल भद्र, स्वतंत्रत निदेशक	श्री कार्तिक चंदूलाल भद्र, स्वतंत्र निदेशक .	श्री कार्तिक चंदूलाल भद्र, स्वतंत्र निदेशक
-	श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य) (11.11.2022 से सदस्य)	-	श्री संदीप जैन, निदेशक (परियोजना)

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें आयोजित की गई। आरएमसी की आयोजित बैठकों की संख्या और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख		कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
	30.08.2022	15.11.2022		
श्री पराग वर्मा	–	✓	1	1
श्री श्याम लाल गुप्ता	✓	✓	2	2
श्री रागिनी आडवाणी	✓	✓	2	2
श्री संदीप जैन	–	–	0	0
श्री राजेश अर्गल	–	–	0	0
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	–	–	0	0
श्री कार्तिक चंदूलाल भद्र	✓	✓	2	2

1. संदर्भ शर्तें :

जोखिम प्रबंधन समिति के संदर्भ शर्तों में शामिल हैं–

क) प्रमुख जोखिम वहन करने वाली गतिविधियों की पहचान।

ख) सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं की तुलना में जोखिम क्षमता के संबंध में अंतराल का वर्गीकरणः गौण, महत्वपूर्ण या अधिक महत्वपूर्ण, प्रमुख का पर्याप्त।

ग) किसी भी संभावित खतरे के लिए मौजूदा व्यापार प्रक्रिया में अंतराल की पहचान करना।

घ) जोखिम मूल्यांकन नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना।

ड.) व्यवसाय संचालन प्रक्रियाओं के प्रारूपण/संशोधन और उनके अभिलेखन से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करना।

च) त्वरित कार्य समूह द्वारा संकलित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा और सुधार के लिए दिशानिर्देश देना और परिचालन क्षमताओं पर त्वरित कार्य समूह की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देना, और संभावित व्यवसाय के लिए इरकॉन की तैयारी।

छ) विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या किसी अन्य सहित, सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए ढांचे सहित विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना, जैसा कि समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय और व्यापार निरंतरता योजना।

ज) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उचित कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं।

झ) निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित रखना।

ट) मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा करना, जिन्हें कार्यालय आदेश जारी करके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

ठ) जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना।

ड) समय–समय पर जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा करना, कम से कम दो साल में एक बार, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है।

ढ) अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करना जैसे बोर्ड द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार, जहां ऐसी समितियों की गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप होता है।

ण) किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना और यदि आवश्यक हो तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

3.5 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय समिति (सीएसआर समिति)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता समिति (सीएसआर समिति) के संबंध में संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और अन्य मामले, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 और उसके तहत लागू नियमों और सीएसआर और संधारणीय, 2014 पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार हैं।

1. संरचना, बैठक और उपस्थिति

जब कभी निदेशकों में परिवर्तन होता है तो समिति का पुनर्गठन किया जाता है। वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार है

01.04.2022 से 31.07.2022	01.08.2022 से 31.12.2022	01.01.2023 से 31.03.2023
अध्यक्ष		
श्रीमती रंजना उपाध्याय स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती रंजना उपाध्याय स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती रंजना उपाध्याय स्वतंत्र निदेशक
सदस्य		
श्री राजेश अर्गल सरकारी नामांकित निदेशक	श्री धनन्जय सिंह सरकारी नामिति निदेशक	श्री धनन्जय सिंह सरकारी नामिति निदेशक
श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य)

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।

सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों का ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है और कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत है।

2. बैठकें और उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, समिति की छः (6) बार बैठक हुई। सीएसआर और संधारणीय समिति की बैठक की संख्या और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	बैठक की तारीख						कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
	26.05.2022	08.08.2022	31.08.2022	01.11.2022	08.12.2022	30.12.2022		
श्रीमती रंजना उपाध्याय	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
श्री पराग वर्मा	–	–	–	–	–	–	0	0
श्री श्याम लाल गुप्ता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
श्री धनन्जय सिंह	–	✓	×	✓	×	×	5	2
श्री राजेश अरगल	✓	–	–	–	–	–	1	1

3. संदर्भ शर्तें :

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता समिति की शर्तों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं:

क. कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता कार्यसूची को वांछित दिशा प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीतियों और ऋणनीतियों को तैयार करने में बोर्ड को सहयोग प्रदान करना।

ख. महाप्रबंधक स्तर या ऊपर के स्तर के नोडल अधिकारियों और अधिकारियों के दल की नियुक्ति करना,जो दिशानिर्देशों की शर्तों में उपयुक्त समझे जाएं।

ग. कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति की तर्ज पर और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, निगमित सामाजिक उत्तरदयित्व गतिविधियों को पहचानना तथा इसे बोर्ड के अनुमोदन/संशोधन के लिए प्रस्तुत करना; और

घ. न केवल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की तुरंत पहचान करने के लिए, बल्कि जब भी आवश्यकता हो, उचित स्तर और बोर्ड से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए कार्यविधि विकसित करना, चिन्हित गतिविधियों को आगे बढ़ाने और सुव्यवस्थित तरीके से समय पर उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु ।

3.6 परियोजना प्रगति समीक्षा समितिः

कंपनी की परियोजनाओं के सुगम निष्पादन के लिए प्रगतिरत परियोजनाओं (पीएमसी परियोजनाओं को छोड़कर) की भौतिक प्रगति से सख्ती से संबंधित भौतिक प्रगति और संबद्ध गतिविधियों की समीक्षा करने और सुचारू रूप से संभावित बाधाओं को दूर करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा परियोजना प्रगति समीक्षा समिति का गठन किया गया था। पीआरसी

1. **संरचना, बैठकें और उपस्थितिः**

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार थीः

01.04.2022 से 31.07.2022	01.08.2022 से 21.09.2022	21.09.2022 से 31.12.2022	01.01.2023 से 11.01.2023	12.01.2023 से 31.03.2023
धन्यवाद				
श्री धनंजय सिंह सरकार नामित निदेशक	श्री धनंजय सिंह सरकार नामित निदेशक	श्री धनंजय सिंह सरकार नामित निदेशक	श्री धनंजय सिंह सरकार नामित निदेशक	श्री धनंजय सिंह सरकार नामित निदेशक
सदस्य				
श्री योगेश कुमार मिश्रा सीएमडी एवं निदेशक (कार्य) (अतिरिक्त प्रभार) या	श्री योगेश कुमार मिश्रा सीएमडी एवं निदेशक (कार्य) (अतिरिक्त प्रभार) या	श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य) या	श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य)	श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य) या
श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं) (उनके संबंधित परियोजनाओं के लिए)	श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं) (उनके संबंधित परियोजनाओं के लिए)	श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं) (उनके संबंधित परियोजनाओं के लिए)		श्री संदीप जैन निदेशक (परियोजनाएं) (उनके संबंधित परियोजनाओं के लिए)
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक
श्री धनंजय सिंह सरकार नामित निदेशक	–	–	–	–

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।

2. **बैठकें और उपस्थितिः**

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान समिति की एक बार बैठक हुई। पीआरसी की बैठक और उपस्थिति विवरण का विवरण नीचे दिया गया हैः

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बुल बैठकें	बैठक में उपस्थिति की संख्या
	09.12.2022		
श्री धनंजय सिंह	✓	1	1
श्री राजेश अर्गल	–	0	0
श्री योगेश कुमार मिश्रा	–	0	0
श्री पराग वर्मा	✓	1	1
श्री संदीप जैन	–	0	0
श्री श्याम लाल गुप्ता	✓	1	1
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	✓	1	1

3.7 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–IV के अनुसार, लागू सीमा तक सेबी एलओडीआर और दिनांक 28 दिसंबर 2012 के डीपीई– कार्यालय ज्ञापन (20 जून 2013 के डीपीई–ओएम द्वारा संशोधित) के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, दिनांक 16 और 17 मार्च, 2023 को स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक हुई थी। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर विधिवत विचार किया गया और कंपनी द्वारा इन पर उचित कार्रवाई की गई है।

3.8 निदेशकों का पारिश्रमिक:

सरकारी कंपनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा पूर्व–निर्धारित औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों तथा सरकार द्वारा जारी की गई उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

बोर्ड में नामांकित अंशकालिक आधिकारिक (गैर–कार्यकारी) निदेशक, निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं और वे सरकारी अधिकारियों के रूप में भारत सरकार से केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान के तहत अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

स्वतंत्र (गैर–कार्यकारी) निदेशकों को बोर्ड और उसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए 30,000/– रुपए और बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 20,000/– रुपए का भुगतान किया गया था।

क. वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है :

(रूपए में)

क्र. सं	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम एवं पदनाम			
		श्री योगेश कुमार मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ	श्रीमती रागिनी आडवाणी, निदेशक (वित्त)*	श्री पराग वर्मा, निदेशक (कार्य)$	श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना) #
1	सकल वेतन				
क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	46,14,886	39,86,563	26,61,579	42,00,324
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	9,30,915	–	–	1,04,727
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	–	–	–	–
2	भंडार विकल्प	–	–	–	–
3	उद्यम इक्विटी	–	–	–	–
4	आयोग	–	–	–	–
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें :	–	–	–	–
	– कार्यनिष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन	15,49,098	–	–	2,17,351
	– सेवानिवृत्ति लाभ	7,53,471	5,60,504	3,17,018	51,62,867
	कुल	78,48,370	45,47,067	29,78,597	96,85,269

*दिनांक 19.04.2022 से प्रभावीय

$दिनांक 21.09.2022 से प्रभावीय और

दिनांक 31.12.2022 तक

ख. वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों (अंशकालिक गैर–आधिकारिक) निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण :

(रूपए में)

स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक (गैर–आधिकारिक निदेशक) का नाम	बैठक शुल्क		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री अजय कुमार चौहान	2,40,000	2,40,000	4,80,000
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	2,40,000	1,20,000	3,60,000
श्रीमती रंजना उपाध्याय	2,40,000	2,80,000	5,20,000
डॉ कार्तिक चंदूलाल भद्र	2,40,000	80,000	3,20,000

3.9 वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण (31 मार्च, 2023 तक)

क्र. सं	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	श्री अंकुश गुप्ता	कार्यपालक निदेशक
2.	श्री बी. मुगुंथन	कार्यपालक निदेशक एवं सीएफओ
3.	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	कार्यपालक निदेशक
4.	श्री नवीन बाबू	कार्यपालक निदेशक
5.	श्री पवन कुमार	कार्यपालक निदेशक
6.	श्री सुभाष चंद	कार्यपालक निदेशक
7.	श्री सुरेंद्र सिंह	कार्यपालक निदेशक
8.	श्री जयशंकर वी.के.	परियोजना निदेशक
9.	श्री मोहिंदर सिंह	परियोजना निदेशक
10.	श्री प्रमोद कुमार सिंह	परियोजना निदेशक
11.	श्री सीतेश कुमार सिंह	परियोजना निदेशक
12.	श्री सुरेंद्र सिंह	सीवीओ
13.	श्री अभिजीत कुमार सिन्हा	मुख्य महाप्रबंधक
14.	श्री देबज्योति कुमार	मुख्य महाप्रबंधक
15.	श्री मनोज कुमार	मुख्य महाप्रबंधक
16.	श्री नीरज गुप्ता	मुख्य महाप्रबंधक
17.	श्री पी वी श्रीकांत	मुख्य महाप्रबंधक
18.	सुश्री रितु अरोड़ा	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

4. वार्षिक साधारण बैठक

4.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक तथा असाधारण आम बैठकों का विवरण इस प्रकार हैः

वित्तीय वर्ष	बैठक की तिथि	समय	स्थल / स्थान
2021–22 (46वीं एजीएम)	16 सितंबर 2022	1230 बजे	वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से (पंजीकृत कार्यालय को बैठक स्थल माना गया)
2020–21 (45वीं एजीएम)	24 सितंबर 2021	1230 बजे	वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से (पंजीकृत कार्यालय को बैठक स्थल माना गया)
2019–20 (44वीं एजीएम)	29 सितंबर 2020	1130 बजे	वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से (पंजीकृत कार्यालय को बैठक स्थल माना गया)

पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों में पारित विशेष संकल्पों का ब्यौराः शून्य

4.2 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित विशेष संकल्प

वित्त वर्ष 2022–23 में डाक मतपत्र के माध्यम से चार विशेष प्रस्ताव पारित किये गये। विवरण इस प्रकार है

क्र. सं	तरीख	विशेष सकल्प	विवरण
1	29 जून, 2022	विशेष संकल्प	श्री अजय कुमार चौहान की स्वतंत्र (अंशकालिक गैर–सरकारी) निदेशक के रूप में नियुक्ति
2	29 जून, 2022	विशेष संकल्प	श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता की स्वतंत्र (अंशकालिक गैर–आधिकारिक) निदेशक के रूप में नियुक्ति
3	29 जून, 2022	विशेष संकल्प	श्रीमती रंजना उपाध्याय की स्वतंत्र (अंशकालिक गैर–आधिकारिक) निदेशक के रूप में नियुक्ति
4	29 जून, 2022	विशेष संकल्प	डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र की स्वतंत्र .(अंशकालिक गैर–सरकारी) निदेशक के रूप में नियुक्ति

इसके अलावा, दिनांक 01 जनवरी, 2022 से सेबी एलओडीआर में संशोधन के अनुसार, निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जानी है या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की समय अवधि के भीतर, जो भी पहले हो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन विशेष प्रस्तावों के माध्यम से होना चाहिए। हालाँकि, दिनांक 17 जनवरी, 2023 से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक के रूप में श्री अजय कुमार चौहान, श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता, श्रीमती रंजना उपाध्याय और डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्रा की नियुक्ति के लिए विशेष संकल्प सदस्यों द्वारा संचालन और अनुमोदन किया गया।

ये डाक मतपत्र समय–समय पर रेल मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली की प्रक्रिया का पालन करके आयोजित किए गए थे और श्री सचिन अग्रवाल (मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और कंपनी सचिव सुश्री रितु अरोड़ा ने उपरोक्त पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के लिए मतदान परिणामों की घोषणा की थी।

4.3 पोस्टल बैलेट के माध्यम से आयोजित किए जाने हेतु प्रस्तावित विशेष संकल्प

पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प प्रस्तावित नहीं है।

5. सम्प्रेषण के माध्यम

कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, साधारण बैठकों तथा वेबसाइट के माध्यम से अपने प्रकटनों द्वारा सम्पेषण करती है। कंपनी के संबंध में सूचना, नवीनतम अद्यतन तथा घोषणाओं को इरकॉन की वेबसाइट www.ircon.org पर देखा जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं शामिल हैं:

- तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- तिमाही शेयरधारक पैटर्न।
- तिमाही निगमित शासन रिपोर्ट।
- विश्लेषकों द्वारा सम्मेलनों का ट्रांसक्रिप्ट।
- समय–समय पर स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सूचनाएं।
- कंपनी के आधिकारिक समाचार, अन्य प्रेस कवरेज, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के लिए प्रस्तुतीकरण।
- कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी तथा आरटीए का ई–मेल आईडी वेबसाइट में ''इन्वेस्टर रिलेशन'' इन्वेस्टर कॉन्टेक्ट शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है, जिसे विशिष्ट रूप से निवेशकों को अपनी शिकायतें पंजीकृत करने के लिए बनाया गया है।

कंपनी विश्लेषकों की ब्रिफिंग के संयोजन के माध्यम से तथा व्यक्तिगत चर्चाओं के द्वारा संस्थागत शेयरधारकों के साथ सम्प्रेषण करती है और समय–समय पर निवेशक सम्मेलनों में भी भाग लेती है। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात कॉन्फरेंस कॉलों के माध्यम से वित्तीय परिणामों पर चर्चा की जाती है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, तिमाही, छमाही एवं वार्षिक परिणाम प्रकाशित किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

तिमाही	समाचारपत्र
प्र.1 दिनांक 30.06.2022 को समाप्त पहली तिमाही और नौ महीने	फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी)
प्र.2 दिनांक 30.09.2022 को समाप्त दूसरी तिमाही और अर्धवार्षिक	फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी)
प्र.3 दिनांक 31.12.2022 को समाप्त तीसरी तिमाही और नवां महीना	फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी)
प्र.4 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त चौथी तिमाही और समाप्त वर्ष	फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी)

6. सामान्य शेयरधारक सूचना

6.1 चालू वर्ष की वार्षिक साधारण बैठक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

दिन तथा तिथि : मंगलवार, 12 सितंबर, 2023

समय : 12:30 अपराह्न (आईएसटी)

स्थान : कंपनी का पंजीकृत कार्यालीय, सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017

वार्षिक आम बैठक की सूचना : हमारी कंपनी, कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, अपने संचालन और सेवाओं में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी रेल मंत्रालय द्वारा की गई ''हरित पहल'' का समर्थन करती है, जो शेयरधारकों को डिपॉजिटरी प्रतिभागियों / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ पंजीकृत उनके ई–मेल पते पर दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को सक्षम बनाती है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना, सभी सदस्यों को निर्धारित तरीके से या लागू कानूनों में निर्धारित तरीके से भेजी जा रही है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 को कंपनी की वेबसाइटों (''निवेशक संबंध'' खंड के तहत) www.ircon.org और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है। यह नोटिस, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

6.2. वित्तीय वर्ष

कंपनी का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च है।

6.3 बुक क्लोजर

कंपनी के सदस्यों और शेयर अंतरण बहियों का रजिस्टर बृहस्पतिवार, 06 सितंबर, 2023 से मंगलवार 12 सितंबर, 2023 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेगा।

6.4. लाभांश का भुगतान

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 112.86 करोड़ रुपए की राशि के प्रति 2 रुपए फेस मूल्य के प्रति शेयर 1.20 रुपए (188.10 करोड़ रुपए के प्रदत्त शेयर पूंजी का 60 प्रतिशत) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने दिनांक 08 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में 2/– रुपए अंकित मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर हेतु 1.80 रुपए की दर से अंतरिम लाभांश की घोषणा की, जो कुल मिलाकर लगभग 169.29 करोड़ रुपए है अर्थात 188.10 करोड़ रुपए की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 90 प्रतिशत) और इसका भुगतान दिनांक 28 फरवरी, 2023 को किया गया था।

इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान बुधवार, 27 सितंबर, 2023 से उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम भौतिक शेयरों के संबंध में कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में और शेयरों के ''लाभार्थी मालिकों'' को डिमटेरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में दिखाई देंगे, जिनके नाम मंगलवार, 05 सितंबर, 2023 को व्यावसायिक समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत लाभकारी स्वामित्व के विवरण में दिखाई देते हैं।

6.5 लाभांश इतिहास

पिछले दस वर्षों के दौरान इरकॉन द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का ब्यौरा निम्नानुसार सारबद्ध है:

वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (रु. करोड़ में)	प्रदत्त लाभांश की कुल राशि (रु. करोड़ में)	बोर्ड बैठक*/एजीएम की तिथि जिसमें लाभांश की घोषणा की गई थी	अंतरित/अंतिम	लाभांश के भुगतान की तिथि
2013-2014	19.796	182.12 (92 प्रति शेयर)	31.01.2014*	अंतरिम	25.02.2014
			25.09.2014	अंतिम	17.10.2014
2014-2015	19.796	182.12 (92 प्रति शेयर)	28.01.2015*	अंतरिम	24.02.2015
			22.12.2015	अंतिम	18.01.2016
2015-2016	19.796	168.26 (85 प्रति शेयर)	19.02.2016*	अंतरिम	14.03.2016
			28.09.2016	अंतिम	21.10.2016
2016-2017	19.796+79.184#	79.06	05.01.2017*	अंतरिम	14.02.2017
	19.796+79.184#	16.10	23.03.2017*	अतिरिक्त अंतरिम	27.03.2017
	19.796+79.184#	97.25	28.09.2017	अंतिम	24.10.2017
2017-2018	94.05	192.40 (₹20.46 प्रति शेयर)	20.03.2018*	अंतरिम	28.03.2018
			14.09.2018	अंतिम	10.10.2018
2018-2019	94.05	202.64 (₹21.54 प्रति शेयर)	07.02.2019*	अंतरिम	26.02.2019
			03.09.2019	अंतिम	18.09.2019
2019-2020	94.05	126.50 (₹13.45 प्रति शेयर)	11.02.2020*	अंतरिम	02.03.2020
	94.05	96.87 (₹2.06 प्रति शेयर)$	29.09.2020	अंतिम	14.10.2020
2020-2021	94.05	61.13** (₹1.30 प्रति शेयर)	15.02.2021*	अंतरिम	03.03.2021
	188.10***	159.89** (₹1.70 प्रति शेयर)	24.09.2021	अंतिम	12.10.2021

वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (रु. करोड़ में)	प्रदत्त लाभांश की कुल राशि (रु. करोड़ में)	बोर्ड बैठक*/एजीएम की तिथि जिसमें लाभांश की घोषणा की गई थी	अंतरित/अंतिम	लाभांश के भुगतान की तिथि
2021-2022	188.10	42.33** (₹0.45 प्रति शेयर)	12.08.2021*	प्रथम अंतरिम लाभांश	06.09.2021
	188.10	65.84** (₹0.70 प्रति शेयर)	12.11.2021*	दूसरा अंतरिम लाभांश	07.12.2021
	188.10	65.84** (₹0.70 प्रति शेयर)	14.02.2022*	तीसरा अंतरिम लाभांश	08.03.2022
	188.10	61.13** (₹0.65 प्रति शेयर)	16.09.2022	अंतिम लाभांश	04.10.2022
2022-23	188.10	169.29 (₹ 1.80 प्रति शेयर)	08.02.2023*	अंतरिम	28.02.2023
	188.10	₹112.86 (₹ 1.20 प्रति शेयर)	12.09.2023 (शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन)	अंतिम लाभांश	27.09.2023 से आगे

** बोर्ड बैठक की तिथि जिसमें अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई थी।*

***2 रुपए के फेसमूल्य पर।*

****1:1के अनुपात में बोनस इश्यु के परिणामस्वरूप, दिनांक 23.05.2021 से प्रदत्त पूंजी 94.05 करोड़ रूपए से बढ कर 188.10 करोड़ रूपए हो गई है।*

#अंतरिम, अतिरिक्त अंतरिम तथा अंतिम लाभांश का भुगतान 79.184 करोड़ रुपए के बोनस शेयर पूंजी (दिनांक 05.01.2017 को आवंटित बोनस शेयरों पर आनुपातिक रूप से 70 दिनों के लिए) पर किया गया था।

$अंतरिम लाभांश प्रति 10 रुपए के फेस मूल्य पर 13.45 रुपए प्रतिशेयर की दर से भुगतान किया गया था और अंतिम लाभांश प्रति 2 रुपए के फेस मूल्य पर 2.06 रुपए प्रति शेयर की दर से भुगतान किया गया था।

6.6 लाभांश वितरण नीतिः

कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लाभांश वितरण निति विद्यमान है। इस नीति का उद्देश्य व्यापक स्तर पर उन मापदंडों (बाहरी और आंतरिम कारक) को निर्धारित करना है, जिनपर लाभांश की घोषणा के समय विचार किया जाएगा और परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर/नहीं कर सकते हैं और प्रतिधारित आमदनी का उपयोग किस प्रकार किया जाए। इस नीति को बे कंपनी की वेबसाइट पर https://ircon.org/ images/file/cosecy/Dividend%20Distribution%20Policy.pdf. पर डाला गया है।

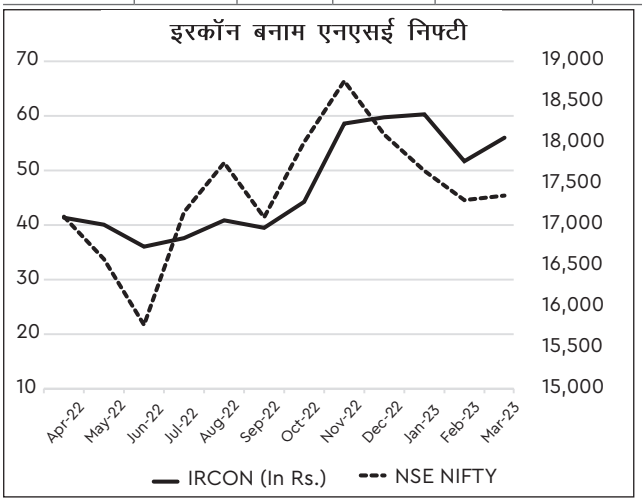
6.7 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरणः

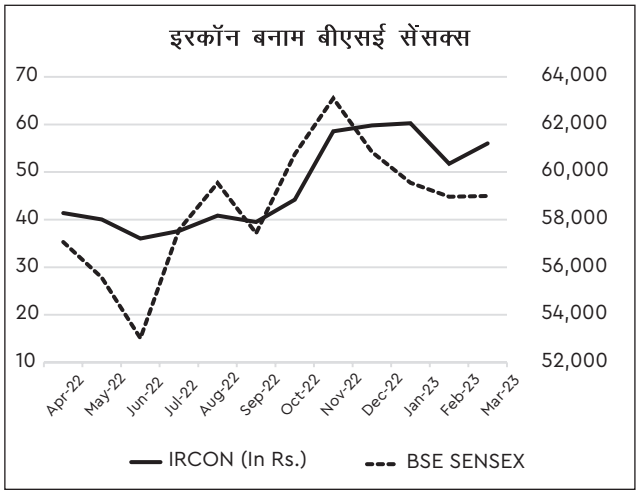
कंपनी दिनांक 28.09.2018 को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड को किया गया है। कंपनी का आईएसआईएन INE962Y01021 है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	बीएसई लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, प्लाट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला काम्पलैक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई–400 051	फिरोज जीजीशेए टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001
स्क्रिप्ट कोड : IRCON	स्क्रिप्ट कोडः 541956

6.8 वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए इरकॉन के शेयरों का बाजार मूल्य आंकड़े

माह	एनएसई				बीएसई				सूचकांक	
	उच्चतम	निम्नतम	समापन	मात्रा	उच्चतम	निम्नतम	समापन	मात्रा	बीएसई सेंसेक्स	एनएसई निफ्टी
	(रुपए में)			(करोड़ रुपए में शेयरों की संख्या)	(रुपए में)			(करोड़ रुपए में शेयरों की संख्या)		
अप्रैल–22	44.15	39.80	41.35	2,15,86,393	44.10	39.80	41.40	37,68,608	17,102.55	57,060.87
मई–22	41.50	38.05	40.05	1,26,59,091	41.50	38.00	40.05	20,79,256	16,584.55	55,566.41
जून–22	40.75	34.80	36.05	1,13,42,076	40.85	34.80	36.05	15,64,780	15,780.25	53,018.94
जुलाई–22	38.20	35.80	37.60	73,79,761	38.15	35.80	37.60	9,33,810	17,158.25	57,570.25
अगस्त–22	41.75	37.55	40.85	2,42,07,246	41.75	37.55	40.85	28,01,925	17,759.30	59,537.07
सितम्बर–22	43.50	38.60	39.50	3,41,66,668	43.50	38.60	39.50	36,42,889	17,094.35	57,426.92
अक्टूबर–22	45.45	39.20	44.25	5,19,97,376	45.45	39.10	44.20	57,50,795	18,012.20	60,746.59
नवंबर–22	64.65	43.75	58.60	39,90,89,527	64.55	43.75	58.55	3,22,55,749	18,758.35	63,099.65
दिसंबर–22	66.75	48.75	59.75	30,36,75,798	66.80	48.80	59.80	2,98,59,092	18,105.30	60,840.74
जनवरी –23	64.20	54.20	60.30	15,92,20,288	64.20	54.20	60.25	1,60,87,073	17,662.15	59,549.90
फरवरी –23	62.40	50.10	51.70	8,44,48,172	62.45	50.15	51.75	75,63,417	17,303.95	58,962.12
मार्च–23	56.45	51.50	56.00	6,96,05,396	56.30	51.51	56.00	77,06,571	17,359.75	58,991.52





6.9 कंपनी की प्रतिभूतियां वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान ट्रेडिंग से निलंबित नहीं की गई हैं।

6.10 शेयरों का रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान शेयरों के लिए रजिस्ट्रार औरा अंतरण एजेंट निम्नानुसार थेः

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली–110055
दूरभाष नं.: 011–42541234
फैक्स नंबरः 011–23552001
ईमेलः rta@alankit.com
वेबसाइटः www.alankit.com

6.11 शेयरों का अंतरण

वर्ष 2022–23 के दौरान, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, भौतिक और डीमैट शेयरों के लिए कंपनी का आरटीए हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों के साथ कंपनी का डिपॉजिटरी इंटरफेस भी है। निदेशक मंडल ने शेयरों के रिमेटिरियलाइजेशन/विभाजन/दोहरीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर शेयर प्रमाणपत्र जारी करने और इन प्रमाणपत्रों पर अध्याक्षर/फेसिमिल हस्ताक्षर करने और सामान्य मोहर लगाने के लिए किसी एक पूर्णकालीन निदेशक तथा कंपनी सचिव (या कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में कोई दो पूर्णकालीन निदेशक) को प्राधिकृत किया है।

दिनांक 8 जून 2018 के सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2018/24 की तर्ज पर, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि दिनांक 01.04.2019 से प्रतिभूतियों/शेयरों के अंतरण को प्रभावी बनाने के अनुरोध पर तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी, जबतक वे प्रतिभूतिया डीमेट रूप में न हों, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां प्रतिभूतियों/शेयरों का ट्रांसमिशन या ट्रांस्पोजिशन शामिल हो। इसके अलावा, सेबी ने अपने दिनांक 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र सं सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी– आरटीएएमबी/सीआईआर/2022/8 के तहत यह अनिवार्य किया है कि डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने, दावा न किए गए उचंत खाते से दावा, प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण/विनिमय, पृष्ठांकन, उपखंड/शेयर प्रमाणपत्र का विघटन, प्रतिभूतियों का समेकन, पारेषण और स्थानान्तरण, केवल अभौतिक रूप में जारी किया जाएगा और कोई भौतिक शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

इस संदर्भ में, 01 अप्रैल, 2019 से शेयरधारकों को केवल अभौतिक रूप में शेयरों को रखने के लिए सूचित करने हेतु कंपनी की वेबसाइट पर नोटिस जारी किए गए हैं और ऊपर बताए अनुसार सेवा अनुरोध, शेयर केवल डीमैटीरियलाइज्ड मोड में जारी किए जाएंगे और 25 जनवरी 2022 से कोई भी भौतिक शेयर जारी नहीं किया जाएगा।

सेबी के 24 फरवरी, 2022 के परिपत्र के साथ पठित दिनांक 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियां प्रतिभूतियों को केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में जारी करेंगी और समर्थन, उप–विभाजन, ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन आदि जैसे सेवा अनुरोधों को डीमटेरियलाइज्ड रूप में संसाधित करती है। फॉर्म आईएसआर–4 (भौतिक शेयरधारकों के लिए) कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

सेबी ने दिनांक 16 मार्च, 2023 को अपने परिपत्र के माध्यम से, सभी सूचीबद्ध कंपनियों को भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन और संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर रिकॉर्ड करने का आदेश दिया है। कंपनी ने उपर्युक्त सेबी परिपत्र के संबंध में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने आरटीए के माध्यम से पत्र भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को जमा करें।

सेबी एलओडीआर के विनियम 7(3) के तहत अपेक्षित वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र, कंपनी के अनुपालन अधिकारी और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होकर स्टॉक एक्सचेंज में जमा कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान, इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के लिए कोई अनुरोध/आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

सेबी एलओडीआर के विनियम 40(9) के अनुसरण में, अर्धवार्षिक आधार पर इस पुष्टि पर प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र कि सभी प्रमाणपत्रों को अंतरणों, उप–डिविजन, समेकन, नवीकरण विनिमय या पृष्ठांकन के कॉलों/आवंटन राशियों के लिए लॉजमेंट की तिथि से तीस दिन के भीतर जारी कर दिए गए हैं और इन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत कर दिया गया है। हालांकि वर्ष 2022–23 के दौरान शेयर के अंतरण, सब–डिविजन, समेकन, नवीकरण, कॉलों/आवंटन राशियों के विनिमय या पृष्ठांकन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

6.12 31 मार्च 2023 को शेयरधारण का संवितरण

क. 31 मार्च 2023 को होल्डिंग के आकार के अनुसार शेयरों का संवितरण :

धारित इक्विटी शेयर/शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
1 - 500	258454	85.30	33902506	3.60
501 - 1000	22255	7.34	18288864	1.94
1001 - 2000	11023	3.64	17432117	1.85
2001 - 3000	3689	1.22	9529333	1.01
3001 - 4000	1819	0.60	6671344	0.71
4001 - 5000	1783	0.59	8435571	0.90
5001 - 10000	2289	0.76	17508776	1.86
10001 - 20000	915	0.30	13693162	1.46
20001 और ऊपर दिए गए	780	0.26	815054067	86.67
TOTAL:	**303007**	**100.00**	**940515740**	**100.00**

ख. 31 मार्च 2023 को शेयरधारण पैटर्न :

श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
प्रमोटर शेयरधारित		
भारत के राष्ट्रपति	68,83,01,650	73.18
उपकुल (1)	**68,83,01,650**	**73.18**
गैर प्रमोटर शेयरधारित		
म्युचुवल फंड	32,86,853	0.35
वित्तीय संस्थान/बैंक	2,40,000	0.03
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	3,75,27,979	3.99
निगमित निकाय	3,30,70,169	3.52
बीमा कंपनियां	1,40,06,700	1.49
रेसिडेंट व्यक्ति	14,81,80,725	15.76
अप्रवासी भारतीय (अप्रवासी अनिवासी सहित)	67,31,781	0.72
अन्य (विदेशी नागरिक, निदेशक और उनके रिश्तेदार, समाशोधन सदस्य, एचयूएफ, एनबीएफसी, ट्रस्ट आदि)	91,69,883	0.96
उपकुल (2)	**25,22,14,090**	**26.82**
कुल (1+2)	**94,05,15,740**	**100.00**

* इसमें ऐसे निकाय कॉरपोरेट शामिल हैं जिनकी केंद्र/राज्य सरकार प्रवर्तक हैं।

ग. कंपनी के शेयरों की 1 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारकः

श्रेणी और शेयरधारकों का नाम	31 मार्च 2023 को	
	वोटिंग प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या
प्रमोटर और प्रमोटर समूह		
भारत के राष्ट्रपति	73.18	68,83,01,650
गैर–प्रमोटर (निकाय निगम)		
–	–	–

6.13 शेयरों और लिक्विडिटी का डीमेटीरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमेटिरियलाइज रूप में हैं और दोनों ही डिपोजिटिरीस यथा एनएसडीएल तथा सीडीएसएल में स्वीकृत हैं।

पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त कंपनी की शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का विनियोजन निर्धारित समयसीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों में जमा करा दिया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को डीमेटिरियलाइस्ड तथा भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या निम्नानुसार हैः

श्रेणी	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
डीमेट		
एनएसडीएल के साथ	85,54,10,618	90.95
सीडीएसएल के साथ	8,50,99,715	9.05
भौतिक	5,407	नगण्य
कुल	**94,05,15,740**	**100**

6.14 बकाया जीडीआर/एडीआरः

दिनांक 31 मार्च 2023 को कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट/परिवर्तनीय अभिलेख बकायां नहीं है।

6.15 कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी विनिमय जोखिम या हैजिंग गतिविधियांः

विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने से विदेशी विनिमय जोखिम बना रहता है और मुद्रा के विनिमय से पूर्व विनिमय दर में प्रतिकूल रूप से परिवर्तन होने का जोखिम रहता है। विदेशी विनिमय जोखिम को न्यूनतम करने या समाप्त करने के लिए, इन विनिमय दर उच्चावचनों की निरंतर निगरानी की जाती है और उपयुक्त समय में सरप्लस निधि को विनिमयित/भारत में वापस लाया जाता है। तथापि, यहां कोई विनिमय उच्चावचन जोखिम शामिल नहीं हैं क्योंकि आवक और जावक दोनों एक ही विदेशी मुद्रा में हैं। इससे चालू विदेशी उच्चावचन जोखिम के प्रति स्वतः हैजिंग उपलब्ध हो जाती है।

6.16 संयंत्र अवस्थिति/प्रचालनिक इकाइयां

कंपनी का मुख्यालय साकेत, नई दिल्ली में है और भारतवर्ष में अपने व्यवसायिक प्रचालनों को सहयोग प्रदान करने और इनके प्रबंधन के लिए 65 परियोजना कार्यालय तथा 04 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

इसके अतिरिक्त, विदेश में श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, अल्जीरिया और म्यामार में 05 प्रमुख विदेशी परियोजना कार्यालय हैं, जहां व्यावसायिक गतिविधियों को निष्पादित किया जाता है।

प्रचालन इकाइयों/कार्यालयों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.17 पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्राचार का पता निम्न है

(इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल निगमित शासन मामलों के संबंध में) :

सुश्री रितु अरोड़ा

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110007

टेलीफोन : 91–11–26530456,

फैक्स : 91–11–26522000/26854000

ई–मेल : cosecy@investors@ircon.org

वेबसाईटः www.ircon.org

6.18 कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंगों की सूची

रेटिंग एजेंसी द्वारा विभिन्न ऋण उपकरणों के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को प्रदान की गई क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार है:

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न ऋण माध्यमों के लिए प्रदान की गई क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार है:

माध्यम: दीर्घकालीन/अल्पकालन बैंक सुविधाएं

रेटिंग एजेंसी: केयर

रेटिंग : केयर एएए, स्टेबल/केयर ए1+ (ट्रिपल ए; आउटलुक; स्थिर /ए वन प्लस)

आउटलुक : स्थिर

7. प्रकटन

7.1 संबंधित पक्ष संव्यवहार

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में प्रकटनों को छोड़कर महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहार, विशिष्ट संव्यवहारों या कंपनी व निदेशकों, प्रबंधन, सहायक कंपनियों या संबंधितयों के बीच संबंध नहीं है, और यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–134 के अंतर्गत अपेक्षित शर्तों में बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अनुसार है।

व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में संबंधित पक्ष के साथ संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर है और इससे संबंधित प्रकटन कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा फॉर्म एओसी–2), सेबी एलओडीआर की अपेक्षाओं के अनुसार तथा संगत लेखांकन मानकों (कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट में) की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

कंपनी ने अधिनियम और सूचीकरण विनियमों के आधार पर संबंधित पक्ष संव्यवहारों के लिए सामग्रीगत रुकावटों से निपटने और कंपनी व इसके संबंधित पक्षों के बीच संव्यवहारों से निपटने की विधि हेतु संबंधित पक्ष संव्यवहार (आरपीटी) नीति निर्धारित की है।

यह आरटीपी नीति लिंक: https://ircon.org/images/file/cosecy/03062022_ Final_RPT_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

7.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश से संबंधित किसी विषय पर किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए गैर अनुपालन/दंड या प्रतिबंध।

यहां किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन का कोई मामला नहीं है और ना ही सरकार द्वारा जारी पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या दिशानिर्देश के संबंध में कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

7.3 आचार सहिंता

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तथा कम्पनी के लिए समग्र रूप से आधारभूत मूल्य विद्यमान हैं । ये संहिता और आधारभूत मूल्य 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी हैं तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org में शामिल किया गया है।

वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा **अनुबंध–1** पर उपलब्ध है।

7.4 आंतरिक ट्रेडिंग के निवारण के लिए उचित प्रकटन हेतु आचार सहिंत

सेबी पीआईटी के अनुसरण में, इरकॉन के बोर्ड ने इरकॉन की प्रतिभूतियों के साथ संव्यवहार में आंतरिक ट्रेडिंग के निवारण के लिए आचार संहिता को अनुमोदित किया है ताकि कंपनी के आंतरिक लोग कंपनी के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार वह आंतरिक सूचना बन जाती है, पर पहुंच प्राप्त करके किसी प्रकार का लाभ प्राप्त न कर सकें या किसी अन्य को किसी प्रकार का लाभ प्रदान न करा सकें।

7.5 विसल ब्लोवर नीति

कंपनी व्यवसाय, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानक को स्वीकार करके नैतिकतापूर्ण और विधिक रूप से कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और स्टेकधारकों सहित अपने सभी स्टेकधारकों के साथ अपना व्यवसाय और कार्य के संचालन में विश्वास रखती है।

कंपनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति वाली विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के लिए ऐसा तंत्र विद्यमान है जिसके द्वारा वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या आशंकित जालसाजी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना को लीक करने की घटनाओं से संबंधित मामलों को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस नीति में उन कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान विद्यमान हैं, जिन्होंने इस तंत्र को अपनाया है। इस नीति के अंतर्गत शिकायतें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को संबोधित की जाएंगी या आपवादिक मामलों में यथा ई–9 ग्रेड के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें, या जहां शिकायतकर्ता को उत्पीड़न का डर हो, वहां लेखापरीक्षा समिति को शिकायत भेजी जा सकती है। बोर्ड स्तर के कार्यपालक के विरुद्ध शिकायतों को आगे की कार्रवाई हेतु रेल मंत्रालय के सतर्कता निदेशालय, भारत सरकार को भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति की पहुंच से इनकार नहीं किया गया है।

7.6 सेबी एलओडीआर का अनुपालन

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी पूरे वर्ष के दौरान अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के कारणए निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में गैर–अनुपालक है।

चूंकि, निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय (रेल मंत्रालय)

द्वारा की जाती है, कंपनी की इसमें कोई भूमिका नहीं है और कंपनी ने` बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है।

7.7 वेब लिंक जहां सामग्रीगत सहायक कंपनियों के प्रकटन का निर्धारण होता है:

https://www.ircon.org/images/file/cosecy/Policy%20on%20Material%20Subsidiaries.pdf

वर्तमान में कंपनी की निम्नलिखित पांच पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां है।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां :

(क) इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)

(ख) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

(ग) इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)

(घ) इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)

(ड.) इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल)

(च) इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन जीआरएचएल)

(छ) इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉनएलआरएचएल)

(ज) इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएकेईएल)

(झ) इरकॉन भोज–मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनबीएमईएल)

(ट) इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल)

सहायक कंपनी :

(ठ) इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (इरकॉनआरपीएल) (76% शेयरधारिता)

महत्वपूर्ण सहायक कंपनी : वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, कंपनी की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं थी।

7.8 वर्ष के दौरान, फ्रेफरेंशियल आवंटन या पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से कोई निधि एकत्र नहीं की गई है।

7.9 सांविधिक लेखापरीक्षक शुल्क:

उसमें सांविधिक लेखापरीक्षक को समेकित आधार पर कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रदत्त समग्र सेवा हेतु कुल शुल्क शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को समेकित आधार पर किए गए भुगतानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	शुल्क का विवरण	राशि
1	लेखापरीक्षा शुल्क	0.41
2	माइग्रेशन डॉटा लेखापरीक्षा शुल्क	-
3	कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.12
4	तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.24
5	प्रमाणपत्र शुल्क	0.03
6	यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट व्यय:	
	क) यात्रा व्यय	-
	ख) आउट ऑफ पॉकेट व्यय	0.03
	कुल	0.83

*इरकॉन और उसकी सहायक कंपनियों में से प्रत्येक के पास भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा नियुक्त अलग–अलग वैधानिक लेखापरीक्षक हैं।

7.10 निदेशकों की अनर्हता के लिए प्रमाणपत्र

प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्ति होने या बने रहने के लिए बोर्ड/कंपनी कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित या अनर्हक नहीं किया गया है, **अनुबंध–2** पर संलग्न है।

7.11 वर्ष 2022–23 के लिए महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन:

वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1	1	–

7.12 सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा ''फर्मों / कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम का प्रकटीकरण, जिसमें निदेशक का हित है, नाम और राशि सहित'' :

कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियों ने उन फर्मों/कंपनियों को, जिनमें निदेशकों की रुचि है, कर्ज के रूप में कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है, सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम कंपनियों को छोडकर।

7.13 डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के साथ अनुपालन का ब्यौरा

कंपनी ने सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक निर्धारित समय के भीतर रेल मंत्रालय और डीपीई को विनिर्दिष्ट प्रारूप में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

वर्ष 2021–22 के दौरान डीपीए निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई ने इरकॉन को ''उत्कृष्टता'' ग्रेड प्रदान किया है।

डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व–मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन ने वर्ष 2022–23 के लिए 100 में से 100 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

7.14 पिछले तीन वर्षों के लिए राष्ट्रपति के निदेशः

सेबी एलओडीआर और वित्त मंत्रालय की दिनांक 03.08.2018 की अधिसूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए, भारत सरकार ने 03 मार्च 2021 और 04 मार्च 2021 को स्टॉक विनिमय तंत्र के माध्यम से बिक्री की पेशकश के तहत कंपनी की 16 प्रतिशत भुगतान की गई शेयर पूंजी (अर्थात, 7,52,41,260 इक्विटी शेयर) का विनिवेश किया है।

7.15 लेखा बहियों के नामे किए गए व्यय की मदें, व्यवसाय के प्रयोजन में नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसायिक प्रयोजनों से इतर व्यय की किसी भी मद को लेखों की लेखा बहियों में नामे नहीं किया गया है।

7.16 व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और निदेशक मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पक्र (इस रिपोर्ट के पैरा–3.8 में दिए गए विवरण तथा वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट सं 33 (ख) में भी प्रकटित) के अनुसार पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

7.17 वित्तीय व्ययों की तुलना में कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय का ब्यौरा तथा वृद्धि के कारण।

वित्तीय व्यय तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अन्य व्यय (प्रशासनिक) एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है

विवरण	वि.व 2022–23	वि.व 2021–22
प्रशासनिक व्यय (प्रशासनिक) (करोड़ रुपए में)	43.60	52.11
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रशर (करोड़ रुपए में)	2.36	2.91
कुल व्यय (करोड़ रुपए में)	9378.44	6570.94
प्रशासनिक व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत में)	0.46	0.79
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में)	0.03	0.04

7.18 सेबी एलओडीआर के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46 के उप विनियम (2) के खंड (ख) से (ट) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, केवल सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट या इस रिपोर्ट में यथा प्रकटित को छोडकर।

7.19 डीमेट उचंत खाते/अदावित उचंत खाते के संबंध में प्रकटनः

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी के पास डीमेट उचंत खाते या अदावित उचंत खाते में कोई शेयर नहीं हैं।

7.20 अदावित लाभांश

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण के लिए कोई राशि देय नहीं है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31 मार्च 2023 को दावा न किए गए लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट की इस लिंक पर उपलब्ध हैः निवेशक संबंध>>नोटिस और अन्य घोषणाएं>> लाभांश।

7.21 समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना

बोर्ड की समितियों की सिफारिशों पर मुद्दों पर निर्णय लेते समय बोर्ड द्वारा विचार किया गया है।

7.22 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए बाध्यकारी प्रकार के कुछ समझौतों का प्रकटीकरण

कंपनी को शेयरधारकों, प्रमोटरों, प्रमोटर समूह संस्थाओं, संबंधित पक्षों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, कंपनी के कर्मचारियों या इसकी सहायक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए गए समझौतों (इस तरह के समझौतों के किसी भी रद्दीकरण, संशोधन या परिवर्तन सहित) कंपनी को आपस में या कंपनी के साथ या किसी तीसरे पक्ष के साथ, अकेले या संयुक्त रूप से संबद्ध करें, जो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिसका उद्देश्य और प्रभाव कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना या कोई प्रतिबंध लगाना या बनाना है, के संबंध में जानकारी नहीं है। कंपनी पर दायित्व, चाहे कंपनी ऐसे समझौतों में एक पक्ष है या नहीं।

8. लेखापरीक्षा अर्हताएं

लेखापरीक्षा अर्हताओं के लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर सनदी लेखाकार मैसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ लें। लेखापरीक्षा रिपोर्ट गैर–आशोधित है।

9. विभेदकारी अपेक्षाएं:

9.1 **बोर्डः** कंपनी के प्रमुख एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं।

9.2 **शेयरधारक अधिकारः** 30 सितंबर 2022 को समाप्त अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को दिनांक 12.11.2022 को फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस तथा जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित किया गया था और इन्हें कंपनी की वेबसाई पर भी डाला गया था। तथापि, शेयरधारकों को पृथक अर्धवार्षिक

रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। महत्वपूर्ण घटनाओं और स्टाक एक्सचेंजों की सूचनाओं को कंपनी की वेबसाईट में प्रकट किया गया है।

10. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी एलओडीआर के विनियम 17(8) के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इसे इस रिपोर्ट के अनुबंध–3 में संलग्न किया गया है।

11. अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2022–23 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में उजगार किए गए आंकड़ों के सबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है। कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के अनुबंध–4 पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

हस्ताक्षर
(बृजेश कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (एल/ए) एवं सीईओ
(डीआईएनः 10092756)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 11 अगस्त 2023

अनुबंध– 1

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, बृजेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबन्धन दल द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी की आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अभिपुष्टि की गई है।

हस्ताक्षर
(बृजेश कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ
(डीआईएनः 10092756)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 16.04.2023

अनुबंध–2

निदेशकों के गैर–अनर्हता का प्रमाणपत्र

(भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियसम 34(3)
तथा अनुसूची–V पैरा ग खंड (10)(i) के अनुसारण में

सेवामें,

सदस्य,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

हमने **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**, जिनका **सीआईएन L45203DL1976GOI008171** है और पंजीकृत कार्यालय **प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017** (जिसे यहां आगे कंपनी कहा जाएगा) में है, के निदेशकों से प्राप्त संगत रजिस्टरों, रिकार्डों, फॉर्मों, रिटर्नों तथा प्रकटनों की जांच की है, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसूची–V, पैरा–ग, खंड (10)(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी किए जाने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है।

हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और आवश्यक समझे गए सत्यापनों (पोर्टल www.mca.gov.in) में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन), के अनुसार तथा कंपनी व इनके अधिकारियों द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं हम **31 मार्च 2023** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे वर्णित अनुसार कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, निगमित कार्य मंत्रालय, या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा विवर्जित या अनर्हक नहीं किया गया हैं।

क्र.सं	निदेशक का नाम	डिन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि	कार्युक्ति की तिथि
1.	श्री बृजेश कुमार गुप्ता	10092756	29/03/2023	-
2.	श्री योगेश कुमार मिश्रा	07654014	28/12/2018	-
3.	श्री पराग वर्मा	05272169	21/09/2022	-
4.	श्रीमती रागिनी अडवाणी	09575213	19/04/2022	-
5.	श्री संदीप जैन	09435375	12/01/2023	-
6.	श्री धनंजय सिंह	08955500	10/11/2020	-
7.	श्री अजय कुमार चौहान	09394953	11/11/2021	-
8.	श्रीमती रंजना उपाध्याय	07787711	16/11/2021	-
9.	श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	09398271	16/11/2021	-
10.	डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	09453387	31/12/2021	-
11.	श्री राजेश अर्गल	09171980	13/05/2021	31/07/2022
12.	श्री मोहित सिन्हा	00843548	03/12/2021	19/04/2022
13.	श्री श्याम लाल गुप्ता	07598920	01/11/2019	31/12/2022
14.	श्री राम प्रकाश	09746225	23/09/2022	31/01/2023

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे इस सत्यापन के आधार पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही उसे कुशलता या प्रभावपूणता का आश्वासन है कि जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह0/–
सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रोप्राइटर)
एफसीएसः 1807 सीपी सं.: 14984
पीआर : 610/2019
एफआरएनः S2015UP440500
यूडीआईएनः F001807E000465820

स्थानः नोएडा
दिनांक : 07 जून 2023

अनुबंध–3

प्रमाणपत्र

सेवामें,
निदेशक मंडल,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली–110017

दिनांक : 23.05.2023

हमने वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय विवरणों और रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसारः

क) (1) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक तथ्य को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं है।

(2) ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमनों के अनुपालन में है।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

(ग) हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आतंरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के सबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(घ) हमने लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित इंगित कर दिया हैः

(1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में परिवर्तन

(2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और

(3) हमारी जानकारी में किसी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह0/–
(बी. मुगुंथन)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
(बृजेश कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ
अतिरिक्त प्रभार
(डीआईएनः 10092756)

अनुबंध–4

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कॉरपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र

सेवामें,

सदस्य,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

1. हमने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (ख) से (V) तथा अनुसूची–V, पैरा–ग और घ खंड में निर्धारित अनुसार तथा मई 2010 में केन्द्रीय लोक उपक्रमों के लिए जारी निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार **31 मार्च 2023** को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड** (कंपनी) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालनल की जांच की है।

2. निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। इस उत्तरदायित्व में शामिल है आंतरिक नियंत्रण का अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण तथा सूचीबद्धता विनियमों और निगमित शासान पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।

3. हमारा उत्तरदायित्व सूचीबद्धता विनियमों और निगमित शासान पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा स्वीकार की गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन की जांच तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की ना तो संपरीक्षा है ओर ना ही मत अभिव्यक्ति है।

4. संगत रिकार्डो की हमारी जांच के आधार पर तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सूचीबद्धता विनियम के विनियम विनियसम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (ख) से (झ) तक तथा अनुसूची V पैरा ग तथा घ के खंड में निर्धारित अनुसार तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान निगमित शासन पर लाके उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित के मद्देनजर है:

बोर्ड की संरचना के संबंध में, कंपनी के निदेशक मंडल के आधे सदस्य, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(ख) और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही उसे कुशलता या प्रभावपूणता का आश्वासन है कि जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह0/–
सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रोप्राइटर)
एफसीएसः 1807 सीपी सं.: 14984
पीआर : 610/2019
एफआरएनः S2015UP440500
यूडीआईएनः F001807E000465732

स्थानः नोएडा
दिनांक : 07 जून 2023

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

खंड–क

सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1.	सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएना)	L45203DL1976GOI008171
2.	सूचीबद्ध इकाई का नाम	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	28.04.1976
4.	पंजीकृत कार्यालय पता	सी–4, जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली – 110017
5.	कॉर्पोरेट पता	सी–4, जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली – 110017
6.	ईमेल	investors@ircon.org
7.	टेलीफोन	011-26530266
8.	वेबसाइट	www.ircon.org
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2022-23
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	1) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 2) बीएसई लिमिटेड
11.	प्रदत्त पूंजी	1,881,031,480 रुपए
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	डॉ. सुभाष चंद कार्यपालक निदेशक / इलैक्ट्रिकल 011-26530245 subhash.chand@ircon.org
13.	**रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटन स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (अर्थात केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, को साथ लिया गया है)** इस रिपोर्ट के तहत किए गए प्रकटन समेकित आधार पर (सभी सहायक कंपनियों सहित) हैं। हालाँकि, इस रिपोर्ट में जहां कहीं भी निदेशक मंडल और केएमपी का विवरण है, वह स्टैंडअलोन आधार पर है।	

II. उत्पाद / सेवाएं

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90 प्रतिशत भाग) :

क्र.सं	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इक्विटी के टर्नओवर का प्रतिशत
1.	निर्माण	सड़क, रेलवे और उपयोगिता परियोजनाएँ	97%

15. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद / सेवाएँ (इकाई के कारोबार का 90 प्रतिशत भाग):

क्र.सं	उत्पाद / सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर अंशदान प्रतिशत
1.	रेलवे एवं रेल पुलों का निर्माण एवं रखरखाव	42102	91%
2.	मोटरमार्गों, गलियों, सड़कों, अन्य वाहन और पैदल मार्गों, राजमार्गों, पुलों, सुरंगों और सबवे का निर्माण और रखरखाव	42101	6%

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

III. प्रचालन

16. स्थलों की संख्या, जहां इकाई के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं :

क्र.सं	स्थल	संयंत्रों की संख्या	कार्यालय की संख्या	कुल
1.	राष्ट्रीय	लागू नहीं	64	64
2.	अंतरराष्ट्रीय	लागू नहीं	6	6

17. निकाय द्वारा सेवित बाजार रू

क. स्थलों की संख्या

स्थल	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	20 (1 यूटी)
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	5

ख. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है?

4.01%

ग. ग्राहकों के प्रकार पर संक्षिप्त जानकारी

अपनी स्थापना के बाद से, इरकॉन ने परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण में संयोजित भूमिका अदा की है। इरकॉन ने कई अग्रणी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है, जिससे भारत की आर्थिक विकास में योगदान हुआ है और इसकी वैश्विक स्थिति में वृद्धि हुई है। इरकॉन की अधिकांश परियोजनाएं सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिनमें रेल मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शामिल हैं। घरेलू परियोजनाओं के लिए भारत सरकार, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और दिल्ली मेट्रो रेल निगम आदि शामिल हैं। इसी तरह, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं विदेशी सरकारी प्राधिकरणों, जैसे बांग्लादेश रेलवे, श्रीलंका रेलवे, अल्जीरियाई रेलवे, परिवहन मंत्रालय, मलेशिया और विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती हैं। इरकॉन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में महत्वपूर्ण और उच्च–मूल्य वाली परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए इन प्राधिकरणों द्वारा शुरू की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

ग्राहकों की संतुष्टि और उच्च गुणवत्ता वाले परिणामों की समय पर सुपुर्दगी के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए, इरकॉन ने विविध ग्राहकों के लिए कुल 400 से अधिक घरेलू परियोजनाओं और 128 अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उत्कृष्टता के प्रति यह विशिष्ट समर्पण इरकॉन के परिचालन की आधारशिला रही है।

IV. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांगों सहित)

क्र.सं	विवरण	कुल (क)	पुरूष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
	कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	932	881	94.52%	51	5.47%
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ड.)	412	398	96.60	14	3.39%
3.	**कुल कर्मचारी (घ+ ड.)**	**1344**	**1279**	**95.16%**	**65**	**4.83%**
	श्रमिक					
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ)					
6.	**कुल कर्मचारी (च + छ)**					

ख दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक

क्र.सं	विवरण	कुल (क)	पुरूष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
	दिव्यांग कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	6	6	100%	–	–
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ड.)	0	0	–	–	–
3.	**कुल कर्मचारी (घ + ड.)**	6	6	100%	–	–
	दिव्यांग श्रमिक					
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ)					
6.	**कुल कर्मचारी (च + छ)**					

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व

विवरण*	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	: (ख/क)
निदेशक मंडल	10	2	20%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	2	1	50%

**कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के अंतर्गत आते हैं। निदेशक जो निदेशक मंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं।*

20. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर

विवरण	2022.23 में टर्नओवर दर			2021.22 में टर्नओवर दर			2020.21 में टर्नओवर दर		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	8.78%	13.79%	9.06%	7.43%	2.83%	6.84%	8.13%	3.24%	7.85%
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं								

V. होल्डिंग, सहायक कंपनियां और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

21. होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी /कंपनियों/संयुक्त उद्यम का नाम (क)	क्या होल्डिंग/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां नहीं)
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हाँ
2	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हाँ

क्र. सं.	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी /कंपनियों/संयुक्त उद्यम का नाम (क)	क्या होल्डिंग/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां नहीं)
3	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हाँ
4	इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हाँ
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हाँ
6	इरकॉन गुड़गांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हाँ
7	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हाँ
8	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हाँ
9	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हाँ
10	इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हाँ
11	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनी	76%	हाँ
12	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26%	लागू नहीं
13	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26%	लागू नहीं
14	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26%	लागू नहीं
15	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26%	लागू नहीं
16	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26%	लागू नहीं
17	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26%	लागू नहीं
18	इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50%	लागू नहीं

VI. सीएसआर का विवरण

22. **(i) क्या सीएसआर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है : (हां/नहीं) : जी हां, सीएसआर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड पर लागू है।**

		वित्त वर्ष 2022–23
(ii)	टर्नओवर (रुपए में)	102,616,206,033
(iii)	कुल संपत्ति (रुपए में)	51,784,784,486

VII. पारदर्शिता और प्रकटन अनुपालन

23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/कमियां

स्टेकधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	क्या शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)	वित वर्ष 2022–23			वित वर्ष 2021–22		
		वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निवारण हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निवारण हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	जी हां। https://pgportal.gov.in/cpgoffice/	32	4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों का समाधान/निस्तारण निर्धारित समय के अंदर किया जाए	30	8	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों का समाधान/निस्तारण निर्धारित समय के अंदर किया गया है
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	.	–	–	.	–	–	.
शेयरधारकों	जी हां। https://www.scores.gov.in/scores/Welcome.html	10	0	.	508	0	.
कर्मचारी एवं श्रमिक	जी हां। https://pgportal.gov.in/cpgoffice/	6	1	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों का समाधान/निस्तारण निर्धारित समय के अंदर किया जाए	3	3	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों का समाधान/निस्तारण निर्धारित समय के अंदर किया गया है
ग्राहकों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	.	शून्य	शून्य	.
मूल्य श्रृंखला भागीदार	जी हां। https://samadhaan.msme.gov.in/MyMsme/MSEFC/MSEFC_Welcome.aspx	2	2	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों का समाधान/निस्तारण निर्धारित समय के अंदर किया जाए	7	4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों का समाधान/निस्तारण निर्धारित समय के अंदर किया गया है
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें	.	–	–	.	–	–	.

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

24. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, का वर्णन निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	बताएं कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचाने के लिए तर्क	जेखिम के मामले में आमेलन या भामन के प्रति दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव)
1.	जलवायु परिवर्तन और कार्रवाई	जेखिम	चरम मौसम की घटनाएं, समुद्र के स्तर में वृद्धि और बदलते नियम रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा करते हैं, जिससे परिचालन में व्यवधान, वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। लचीलेपन के लिए बुनियादी ढांचे को अपनाना, सख्त पर्यावरणीय नीतियों को पूरा करना और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को संबोधित करना अनिवार्य बन गया है। हितधारकों का दबाव और दीर्घकालिक व्यवहार्यता संबंधी चिंताएँ भी जलवायु संबंधी जोखिमों को प्रभावी ढंग से स्वीकार करने और प्रबंधित करने की आवश्यकता को प्रेरित करती हैं	ऊर्जा अंकेक्षण को शामिल करना और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना	नकारात्मक प्रभाव
2.	जल प्रबंधक	जोखिम/ अवसर	हम पानी की कमी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, विनियामक अनुपालन और पर्यावरणीय समस्याओं से उत्पन्न चुनौतियों को पहचानते हैं। पानी के कुशल उपयोग पर जोर देने से न केवल लागत कम होती है बल्कि पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है। जल–संबंधित नियमों का पालन करने से सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है और किसी भी संभावित दंड या परियोजना में देरी से बचा जा सकता है।	वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग और पुनः उपयोग को शामिल करना।	सकारात्मक/ नकारात्मक प्रभाव
3.	अपशिष्ट प्रबंधक	जोखिम/ अवसर	हम उचित निपटान, पुनर्चक्रण और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने सहित अपशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के महत्व को स्वीकार करते हैं। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों को लागू करना न केवल स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है, बल्कि हमारे द्वारा संचालित समुदायों के भीतर एक सकारात्मक छवि में भी योगदान देता है। अपशिष्ट नियमों का अनुपालन न करने से व्यवधान और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम हो सकते हैं, जो अपशिष्ट प्रबंधन दिशानिर्देशों के पालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अपशिष्ट प्रबंधन को एक अवसर के रूप में अपनाने से हमें नवीन समाधान तलाशने, अपशिष्ट उत्पादन को कम करने और हमारे सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने में सहायता मिलती है।	नियमित अभिलेख रखने के साथ एक कुशल अपशिष्ट संग्रहण और निपटान तंत्र को शामिल करना।	सकारात्मक/ नकारात्मक प्रभाव

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	बताएं कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचाने के लिए तर्क	जेखिम के मामले में आमेलन या भामन के प्रति दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव)
4.	पर्यावरण प्रबंधन एवं अनुपालन	जोखिम	हम गैर–अनुपालन से जुड़े संभावित जोखिमों को स्वीकार करते हैं, जिनमें नियामक दंड, परियोजना में देरी और प्रतिष्ठा को नुकसान शामिल है। पर्यावरण अनुपालन को प्राथमिकता देकर, हम जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने से न केवल जोखिम कम होते हैं बल्कि हितधारकों और समुदायों के साथ हमारे संबंध भी मजबूत होते हैं। अनुपालन मानकों को पूरा करने के लिए सक्रिय उपायों से परियोजना के सुचारू निष्पादन और परिचालन निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है।	आवश्यकता पड़ने पर सभी नियमावलियों का अनुपालन सुनिश्चित करना और उनमें किए गए संबंधित परिवर्तनों के साथ अद्यतन रखना	नकारात्मक प्रभाव
5.	संधारणीय निर्माण और प्रौद्ययोगिकी सृजनात्मकता	अवसर	पर्यावरण–अनुकूल पद्धतियों को अपनाने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहक आकर्षित होते हैं और हमारा पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने से बाजार में दक्षता, संसाधन उपयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है	जब भी लागू हो आवर्धन, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण की नीतियों को शामिल करें और इस कमी को पूरा करने के लिए कुशल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें।	सकारात्मक
6.	संधारणीय आपूर्ति श्रृंखला	जोखिम/ अवसर	इरकॉन के लिए, संधारणीय आपूर्ति श्रृंखला जोखिम और अवसर दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और अनुपालन न करने वाले आपूर्तिकर्ता, हमारे संचालन और प्रतिष्ठा के लिए जोखिम पैदा करते हैं। हालाँकि, संधारणीय पद्धतियों को अपनाने से हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को बढ़ाने, समान विचारधारा वाले ग्राहकों और निवेशकों को आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और अधिक जिम्मेदार उद्योग में योगदान करने के अवसर मिलते हैं।	वस्तुओं की सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खरीद को सुनिश्चित करें	सकारात्मक/ नकारात्मक प्रभाव
7.	स्वास्थ्य और सुरक्षा	जोखिम/ अवसर	इरकॉन के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, जोखिम और अवसर, दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पहलुओं की उपेक्षा से दुर्घटनाएं, कानूनी देनदारियां, देरी और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। हालाँकि, स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने से सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलता है, दुर्घटनाओं में कमी आती है, कुशल श्रमिकों को आकर्षित किया जाता है और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित होता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा में सक्रिय निवेश हमारे संगठन की दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता में योगदान देता है।	सुरक्षा मूललिपि के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना और आवश्यकता पड़ने पर आईएसओ45001 को अद्यतन करना।	सकारात्मक/ नकारात्मक प्रभाव

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	बताएं कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचाने के लिए तर्क	जेखिम के मामले में आमेलन या भामन के प्रति दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव)
8.	मानवाधिकार, विविधता और समावेशन	जोखिम/ अवसर	यदि उचित ध्यान नहीं दिया गया तो मानवाधिकार, विविधता और समावेशन के विषय, इरकॉन के लिए संभावित जोखिम प्रस्तुत कर कर सकते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करने में विफलता से प्रतिष्ठा को नुकसान, कानूनी विवाद, उत्पादकता में कमी और हितधारकों के साथ तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं। मानवाधिकारों, विविधता और समावेशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने से सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलता है, शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित किया जाता है, नवाचार को बढ़ाया जाता है और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। इन विचारों को हमारे मूल मूल्यों और संचालन में एकीकृत करने से अधिक लचीले और टिकाऊ संगठन में योगदान होता है, जो हमारी दीर्घकालिक सफलता पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।	इस प्रणाली में मानवाधिकार प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को शामिल करना। संगठन के भीतर मानवाधिकार मुद्दों के संबंध में मूल्यांकन में सुधार पर काम करना।	नकारात्मक प्रभाव
9.	कर्मचारी सहभागिता और कल्याण	अवसर	कर्मचारियों की सहभागिता और कल्याण इरकॉन के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं। इन पहलुओं को प्राथमिकता देने से एक प्रेरित और प्रतिबद्ध कार्यबल तैयार होता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता, दक्षता और समग्र सफलता में वृद्धि होती है। कर्मचारियों की भलाई में सहायता करने से एक सकारात्मक कार्य वातावरण उत्पन्न होता है, टर्नओवर बढता है, और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, जिससे प्रदर्शन और सुरक्षा में सुधार होता है।	-	सकारात्मक प्रभाव
10.	समुदायिक विकास	जोखिम/ अवसर	स्थानीय समुदायों के साथ जुड़कर और उनमें निवेश करके, हम मजबूत संबंध बना सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं और सद्भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। सामुदायिक जरूरतों और समस्याओं को संबोधित करने के लिए परियोजनाओं को तैयार करने से एक जिम्मेदार और समुदाय–सहिष्णु संगठन के रूप में इरकॉन की प्रतिष्ठा मजबूत होती है। सामुदायिक विकास पहल से सामाजिक–आर्थिक विकास, सुचारू परियोजना निष्पादन और स्थानीय हितधारकों से समर्थन में वृद्धि होती है।	-	सकारात्मक प्रभाव
11.	डाटा गोपनीयता और सायबर सुरक्षा	अवसर	संवेदनशील डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करने से एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है और ग्राहकों और हितधारकों के बीच विश्वास पैदा होता है। नियमों का		

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	बताएं कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचाने के लिए तर्क	जेखिम के मामले में आमेलन या भामन के प्रति दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव)
			अनुपालन करने से कानूनी जोखिम कम हो जाते हैं और परिचालन दक्षता में सुधार होता है। डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को अवसर के रूप में अपनाने से हमें नवप्रवर्तन करने, प्रतिस्पर्धी बने रहने और प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन क्षेत्रों में निवेश करना सुरक्षा और विश्वसनीयता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो उद्योग में हमारी दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता में योगदान देता है।	-	सकारात्मक प्रभाव
12.	जोखिम प्रबंधन	जोखिम/ अवसर	जोखिम प्रबंधन इरकॉन के लिए जोखिम और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। अपर्याप्त पद्धतियों से परियोजना में देरी, लागत में वृद्धि और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। हालाँकि, सक्रिय और प्रभावी जोखिम प्रबंधन से खतरों को कम किया जा सकता है, अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है, निर्णय लेने में सुधार होता है और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। हमारे संगठन की दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।	यह सुनिश्चित करना कि जोखिम पंजीकरण नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है	सकारात्मक/ नकारात्मक प्रभाव
13.	व्यावसायिक नैतिकता, जवाबदेही और पारदर्शिता	अवसर	नैतिक पद्धतियों को अपनाने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, हितधारकों के साथ विश्वास बढ़ता है, और सामाजिक रूप से जागरूक ग्राहक और निवेशक आकर्षित होते हैं। जवाबदेह और पारदर्शी होने से सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलता है, जोखिम प्रबंधन में सुधार होता है और नियमों का अनुपालन होता है। हितधारक उन संगठनों को महत्व देते हैं, जो इन सिद्धांतों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे दीर्घकालिक संबंध और संभावित व्यावसायिक अवसर मिलते हैं।	-	सकारात्मक प्रभाव
14.	आपदा प्रबंधन	जोखिम/ अवसर	आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित आपात स्थितियों के संभावित प्रभाव के कारण इरकॉन के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम निवारण तंत्र है। अपर्याप्त तैयारी से परियोजना में देरी, वित्तीय हानि और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। इस जोखिम को समाप्त करने में लचीलेपन और आकस्मिक योजना में निवेश करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, निकासी योजनाएं विकसित करना और नियमित अभ्यास करना शामिल है। सक्रिय आपदा प्रबंधन संरक्षा	संगठनात्मक एसओपी के अलावा आपदा प्रबंधन नीति को शामिल करना	नकारात्मक प्रभाव

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	बताएं कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचाने के लिए तर्क	जेखिम के मामले में आमेलन या भामन के प्रति दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव)
			सुनिश्चित करता है, संपत्तियों की सुरक्षा करता है, और परिचालन निरंतरता बनाए रखता है, सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्ध ता को प्रदर्शित करता है, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, और हमारे संगठन में हितधारकों का विश्वास पैदा करता है।		
15	निगमित शासन	अवसर	कॉर्पोरेट प्रशासन, दक्षता बढ़ाकर, हितधारकों के साथ विश्वास कायम करके, अनुपालन सुनिश्चित करके और जवाबदेही और नैतिक व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देकर, दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता में योगदान देकर इरकॉन के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है।	–	नकारात्मक प्रभाव

खंड–ख

प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी के सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए बनाई गई संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

क्र. सं.		प्रकटन प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
		नीति और प्रबंधन प्रकियाएं									
1.	क.	क्या आपकी इकाई की नीति/सिद्धांत एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती है। (हां नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
	ख.	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
	ग.	यदि उपलब्ध हो तो नीतियों का वेब लिंक	https://rb.gy/c552c								
2.		क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हां नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
3.		क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं
4.		आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणपत्र/लेबल/मानकों (उदाहरण के लिए फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस/आईएसओ/बी) का नाम और प्रत्येक सिद्धांत से मैप किया गया	–	–	आईएसओ :45001 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली	–	–	आईएसओ :14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियां	–	–	–

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	प्रकटन प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
5.	परिभाषित समयसीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और उद्देश्य, यदि कोई हो	इरकॉन, एनजीआरबीसी सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य निर्धारित करेगा। कंपनी ने ऊर्जा, सामुदायिक विकास और पर्यावरण स्थिरता के क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय लक्ष्यों/योजनाओं के अनुरूप प्रयास किये हैं। हम एनजीआरबीसी सिद्धांत के अनुसार खुद को संरेखित करने के लिए आने वाले वर्ष में विभिन्न आईएसओ मानकों को लागू करेंगे, इससे हमें प्रतिबद्धता में सहायता मिलेगी									
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और के विरुद्ध इकाई का प्रदर्शन	सतत विकास लक्ष्यों और एनजीआरबीसी सिद्धांतों के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में। आईएसओ को अगले वर्ष में लागू किया जाएगारू 1. आईएसओ 26000 – सामाजिक उत्तरदायित्व 2. आईएसओ 20400 – सतत खरीद 3. आईएसओ 37001 – रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली								
	शासन, नेतृत्व और निगरानी									
7.	व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का प्रकटन, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है)	एक संगठन के रूप में इरकॉन सतत विकास द्वारा संचालित दीर्घकालिक विकास के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा में विश्वास रखता है। हमारे सिद्धांत नैतिक व्यावसायिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाते हैं। ईएसजी के प्रति हमारा दृष्टिकोण, गंभीर समस्याओं के बावजूद, पारदर्शी शासन प्रणालियों को प्राथमिकता देने, कर्मचारियों की भलाई में निवेश करने, उच्च क्षमता की गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को वितरित करने और हमारे कार्यस्थलों में समावेशिता और विविधता का माहौल सुनिश्चित करने की प्रतिबद्ध ता पर जोर देता है। आगे देखते हुए, हम अपनी कंपनी के भविष्य को लेकर आशावादी हैं। कॉर्पोरेट प्रशासन और ईएसजी सिद्धांतों के प्रति हमारा दृढ़ समर्पण एक जिम्मेदार और दूरदर्शी संगठन के रूप में हमारे निरंतर विकास, लचीलेपन और प्रतिष्ठा के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। अपने मूल्यों को कार्यों के साथ जोड़कर, हमें विश्वास है कि हम व्यापार और इसमें शामिल सभी हितधारकों के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य में अपने योगदान, दोनों में सफलता प्राप्त करना जारी रखेंगे।									
8.	व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (नीति) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	निदेशक (कार्य) – श्री पराग वर्मा नोडल अधिकारी – का.नि (इलेक्ट्रिकल) – डॉ. सुभाष चंद								
9.	क्या इकाई के पास स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें	हां, इरकॉन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता समिति के माध्यम से स्थिरता के मुद्दों पर अपने निर्णय लेने को शामिल करता है। 31.03.2023 तक समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं: 1. श्रीमती रंजना उपाध्याय, अध्यक्षय 2. श्री. धनंजय सिंह, सदस्य 3. श्री पराग वर्मा, सदस्य								

10. कंपनी द्वारा नगर निगम आरबीसी की समीक्षा का विवरण :

बताया गया कि किस निदेशक/बोर्ड समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी

समीक्षा का विषय	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के विरूद्ध निष्पादन एवं अनुवर्ती कार्रवाई	जी हां, समिति/बोर्ड द्वारा								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)

समीक्षा का विषय	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के विरूद्ध निष्पादन एवं अनुवर्ती कार्रवाई	जब कभी अपेक्षित हो								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार	जबकभी अपेक्षित हो								

11. क्या इकाई ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/अवलोकन कराया है? (हां नहीं)।

यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
जी हां, विजन 360 मेनेजमेंट कंसल्टिंग द्वारा									

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत किसी पॉलिसी में शामिल नहीं हैं, तो कारण बताया जाना चाहिए :

प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
इकाई अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)	लागू नहीं								
इकाई उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं)									
इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय याध्मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हाँ/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

खंड ग

सिद्धांतवार निश्पादन

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके निश्पादन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को आवश्यक और नेतृत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण किए जाने की संभावना है। नेतृत्व संकेतकों का प्रकटीकरण स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1 : व्यवसायों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से ईमानदारी के साथ आचरण और शासन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष में किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज

सेगमेंट	आयोजित किये गये कुल संख्या प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	4	1. आईपीडब्ल्यूई की अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी संगोष्ठी 2. ओरिएंटेशन कार्यक्रम (2 प्रशिक्षण कार्यक्रम) 3. बेहतर बोर्ड बनाने पर मास्टर क्लास	60%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	6	1. यौन उत्पीड़न की रोकथाम 2. बजट 3. मानकों सहित कंपनी कानून	50%

सेगमेंट	आयोजित किये गये कुल संख्या प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	4	1. लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण 2. यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर प्रशिक्षण 3. आईएसओ एव एसएचई पर प्रशिक्षण	4.61%
कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान की गई जुर्माना/दंड/शुल्क/अवार्ड/शमन शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है।

(नोट : इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी)

	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रुपए में)	मामले का सार	क्या कोई अपील दायर की गई है? (हां / नहीं)
मौद्रिक					
दंड/जुर्माना		शून्य			
समझौता					
समझौता शुल्क					
गैर–मौद्रिक					
कैद		शून्य			
दंड					

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में वरियता दी गई अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई

मामले का ब्यौरा	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम
लागू नहीं	

4. क्या इकाई के पास भ्रष्टाचार–रोधी या रिश्वत–रोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब–लिंक प्रदान करें।

जी हां, इरकॉन, केंद्रीय सतर्कता नियमावली का अनुपालन करता है, जो एक व्यापक मार्गदर्शिका है, तथो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से निपटने के लिए सिद्धांत, प्रक्रियाएं और सर्वोत्तम प्रथाएं प्रदान करती है। यह इरकॉन के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो भ्रष्टाचार को रोकने, जांच करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के उपायों की रूपरेखा तैयार करता है। यह नियमावली पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही पर जोर देती है, और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को लागू करने पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह खरीद और वित्तीय प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के जोखिमों का समाधान करती है। नियमावली का पालन करके, इरकॉन का लक्ष्य एक मजबूत भ्रष्टाचार–विरोधी ढांचा स्थापित करना, सार्वजनिक विश्वास का निर्माण करना और संगठन के भीतर अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा, कंपनी के पास किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी से निपटने के लिए, धोखाधड़ी रोकथाम और जांच नीति भी है, जिसमें इरकॉन के कर्मचारियों के साथ–साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या किसी भी बाहरी एजेंसी/एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इरकॉन के साथ व्यवसाय का प्रकार और कर्मचारियों के लिए संगठन के भीतर, किसी भी नैतिक मुद्दे को उठाने के लिए एक व्हिसिल–ब्लोअर नीति विद्यमान है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन और पूर्णकालिक निदेशकों के लिए एक आचार संहिता स्थापित की है।

इरकॉन, एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, सेबी विनियमों, कंपनी अधिनियम 2013, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों और भारत सरकार की अन्य लागू नीतियों के तहत अनिवार्य नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही नीतियों के साथ स्वयं को संचालित और नियंत्रित करता है। ये सभी नीतियां कंपनी और उसके कर्मचारियों को शामिल करती हैं और प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से इसकी सहायक कंपनियों तक विस्तारित होती हैं। संयुक्त उद्यम कंपनियों के अपने सिद्धांत और प्रक्रियाएं होती हैं, जो व्यापक स्तर पर सरकार की नीतियों के अनुरूप होती हैं।

वेब लिंक : CVM – http://cvc.nic.in/cvc_instruct.htm

धोखाधड़ी की रोकथाम और जांच नीति : https://ircon.org/images/file/cosecy/FPDC%20Policy%20CMD.pdf

Whistle व्हीसल ब्लोवर नीति : https://ircon.org/images/file/cosecy/Whistle-Blower-Policy.pdf

5. ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।

	वि.व 2022-23 (चालू वित्त वर्ष)	वि.व 2021-22 (पिछला वित्त वर्ष)
निदेशक	शून्य	शून्य
के.एम.पी		
कर्मचारी		
श्रमिर्क		

6. हित के टकराव के संबंध में शिकायतों का ब्यौरा :

	वि.व 2022.23 (चालू वित्त वर्ष)		वि.व 2021.22 (पिछला वित्त वर्ष)	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या				

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

सिद्धांत 2 : व्यवसायों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की सुपुर्दगी ऐसे तरीके से होनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

1. इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत

	वि.व 2022-23	वि.व 2021-22	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आर एंड डी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पूंजीगत व्यय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. क. क्या इकाई के पास संधारणीय सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां नहीं)

नहीं

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किये गये थे?

लागू नहीं

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई–कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के आयु अंत में पुन : उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

क) प्लास्टिक कचरा	लागू नहीं
ख) ई–अपशिष्ट	लागू नहीं
ग) खतरनाक अपशिष्ट	लागू नहीं
घ) अन्य अपशिष्ट	लागू नहीं

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम प्रदान करें।

लागू नहीं

सिद्धांत 3 : व्यवसायों को अपनी मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी कार्मिकों सहित सभी लोगों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण :

क.श्रेणी	भागिल किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृक लाभ		डे–केयर सुविधाएं	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)	सं. (घ)	% (घ/क)	सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ख)	% (ख/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरूष	881	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	881	100%	शून्य	शून्य
महिला	51	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	51	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
कुल	932	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	51	5.47%	881	94.52%	शून्य	शून्य
स्थायी कर्मचारियों से अन्य											
पुरूष	398	398	100%	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	14	14	100%	शून्य	शून्य	14	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	412	412	100%	शून्य	शून्य	14	3.39%	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा

क.श्रेणी	भागिल किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृक लाभ		डे–केयर सुविधाएं	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)	सं. (घ)	% (घ/क)	सं. (ड.)	% (ड./घ)	सं. (च)	% (च/घ)
स्थायी कर्मचारी											
पुरूष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											
स्थायी कर्मचारियों से अन्य											
पुरूष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण:

लाभ	वि.व 2022-23			वि.व 2021-22		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में शामिल श्रमिकों की संख्या	कटौती और प्राधिकरण में जमा राशि (हां/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में शामिल श्रमिकों की संख्या	कटौती और प्राधिकरण में जमा राशि (हां/नहीं/लागू नहीं)
भविष्य निधि	100%	लागू नहीं	हां	100%	लागू नहीं	हां
उपदान	100%	लागू नहीं	हां	100%	लागू नहीं	हां
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य	.	.	.	.	.	.

3. कार्यस्थलों हेतु पहुंच

क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार निकाय के परिसर/कार्यालय, विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सहिष्णु हैं? यदि नहीं, तो क्या निकाय द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया जा रहा है?

इरकॉन द्वारा अपने कार्यालय परिसर को इस प्रकार डिजाइन किया गया है, कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए पहुंच और समावेशिता को बढ़ाया जा सके। कंपनी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सुविधाएँ लागू की हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय उल्लेखनीय हैं :

1. सेंसर से सुसज्जित स्वचालित दरवाजे : इरकॉन ने सेंसर स्वचालित दरवाजे स्थापित किए हैं, जिससे गतिशीलता चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए आसान पहुंच की सुविधा मिलती है। ये दरवाजे किसी व्यक्ति की उपस्थिति से स्वचालित रूप से खुलते हैं, जिससे सुविधा और सुचारू प्रवेश सुनिश्चित होता है।
2. लिफ्ट सुविधाएं : वर्टिकल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, इरकॉन ने लिफ्ट स्थापित की हैं जो पहुंच मानकों का पालन करती हैं। ये लिफ्ट सीमित गतिशीलता वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को कार्यालय भवन की विभिन्न मंजिलों तक आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाती हैं, जिससे आवाजाही में आसानी और सुविधा को बढ़ाया जा सके
3. व्हीलचेयर का प्रावधान : इरकॉन द्वारा गतिशीलता चुनौतियों वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए व्हीलचेयर प्रदान की जाती हैं। ये व्हीलचेयर कार्यालय परिसर के भीतर उपलब्ध हैं और इनका उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें कार्यस्थल पर आराम से घूमने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। यह प्रावधान समावेशिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि गतिशीलता सीमाओं वाले कर्मचारी कार्यालय के माहौल को आसानी से आवागमन कर सकें। कर्मचारी की आवश्यकताओं के अनुसार परिसर में संपर्क का प्रावधान किया गया है।

4. **क्या निकाय के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति विद्यमान है? यदि हां, तो इस नीति के लिए एक वेब–लिंक प्रदान करें।**

जी हां, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार इरकॉन के पास एक विशिष्ट समान अवसर नीति विद्यमान है।

नीति यह सुनिश्चित करती है कि सभी कर्मचारियों को, उनकी जाति, लिंग, आयु, विकलांगता, धर्म, या किसी अन्य संरक्षित विशेषता की ध्यान में रखे बिना, रोजगार के अवसरों, लाभों और उन्नति तक समान पहुंच प्राप्त है। यह नीति भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, मुआवजा और कार्यमुक्ति सहित रोजगार के सभी पहलुओं में किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न या पूर्वाग्रह को प्रतिबंधित करती है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप नीति में विकलांग कर्मचारियों के लिए आवास शामिल है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें नौकरी के अवसरों तक समान पहुंच और उनकी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक सहयोग मिले।

इसके अलावा, यह नीति, संगठन के भीतर विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के किसी भी मामले को संबोधित करने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र को शामिल करती है।

वैब लिंक . https://ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=606&lang=en

5. **पैतृत्व अवकाश के पश्चात स्थायी कर्मचारियों का कार्य पर वापस आना और प्रतिधारण दरें।**

लिंग	अस्थायी कर्मचारी		स्थायी कर्मचारी	
	कार्य पर वापस आने की दर	प्रतिधारण दर	कार्य पर वापस आने की दर	प्रतिधारण दर
पुरूष	100%	100%	0	0
महिला	100%	100%	0	0
कुल	**100%**	**100%**	**0**	**0**

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें। हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)

स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी से अन्य	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	जी हाँ, संगठन, कर्मचारी शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए सीपीजीआरएएमएस का उपयोग करता है। सीपीजीआरएएमएस, जिसे केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी समाधान के माध्यम से कार्यव्यवस्था को सुचारू करना है। इस संबंध में, हमारा संगठन, इरकॉन, कर्मचारियों की शिकायतों का तत्काल समाधान करने और उनकी स्थिति और प्रगति को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। प्रत्येक शिकायत की संबंधित विभाग द्वारा गहन समीक्षा की जाती है, और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।
स्थायी कर्मचारी से अन्य	जी हाँ, संगठन कर्मचारी शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए सीपीजीआरएएमएस का उपयोग करता है। सीपीजीआरएएमएस, जिसे केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी समाधान के माध्यम से कार्यव्यवस्था को सुचारू करना है। इस संबंध में, हमारा संगठन, इरकॉन, कर्मचारियों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने और उनकी स्थिति और प्रगति को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। प्रत्येक शिकायत की संबंधित विभाग द्वारा गहन समीक्षा की जाती है, और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता

श्रेणी	वि.व 2022-23			वि.व 2021-22		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक (क).	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक, जो संघ या यूनियन के भाग हैं (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक (ग)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक, जो संघ या यूनियन के भाग हैं (घ)	प्रतिशत (ग/घ)
कुल स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं					
पुरूष						
महिला						
कुल स्थायी कर्मचारी						
पुरूष						
महिला						

8. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा

श्रेणी	वि.व 2022-23					वि.व 2021-22				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)		सं. (ड.)	% (ड./घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
पुरूष	1279	18	1.40%	35	2.73%	1211	147	12.13%	–	–
महिला	65	0	–	2	3.07%	67	37	55.22%	–	–
कुल	**1344**	**18**	**1.33%**	**37**	**2.75%**	**1278**	**184**	**14.39%**	**–**	**–**
श्रमिक										
पुरूष	लागू नहीं									
महिला										
कुल										

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण :

श्रेणी	वि.व. 2022-23			वि.व. 2021-22		
	कुल (क)	सं. (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	सं. (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
पुरूष	1279	881	68.88%	1211	901	74.40%
महिला	65	51	78.46%	67	53	79.10%
कुल	**1344**	**932**	**69.34%**	**1278**	**954**	**74.64%**
श्रमिक						
पुरूष	लागू नहीं					
महिला						
कुल						

10. स्वास्थ और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :

क. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज?

जी हां, इरकॉन ने आईएसओ 45001–2018 के अनुसार एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएच एंड एस) प्रबंधन प्रणाली स्थापित और कार्यान्वित की है। संगठन ने पूरे संगठन में आवश्यक प्रक्रियाओं और उनके अनुप्रयोग को निर्धारित किया है। इसमें प्रत्येक प्रक्रिया के इनपुट और आउटपुट की पहचान करना, साथ ही उनके संबंधों को चित्रित करने के लिए एक अंतर–संबंध मैट्रिक्स बनाना शामिल है। प्रक्रियाओं का क्रम और अंतःक्रिया निर्धारित की गई है, और प्रभावी संचालन और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निगरानी, मापन और प्रदर्शन संकेतक सहित मानदंड और कार्यविधि को लागू किया गया है प्रक्रियाओं के लिए संसाधन आवंटित और उपलब्ध कराए गए हैं, और तदनुसार जिम्मेदारियाँ और प्राधिकार सौंपे गए हैं। जोखिमों और अवसरों पर ध्यान दिया गया है, और प्रक्रियाओं का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और उनके इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए उनमें सुधार किया जाता है। इरकॉन प्रक्रिया संचालन का समर्थन करने के लिए दस्तावेजी जानकारी रखता है और नियोजित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज बनाए रखता है।

ख. कार्य–संबंधी जोखिमों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

इरकॉन ने अपने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मैनुअल के माध्यम से पहलुओं/खतरों की पहचान और मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की है, जिसमें उनके महत्व के आधार पर एक मूल्यांकन तंत्र शामिल है। परियोजना निष्पादन के प्रारंभिक चरण के दौरान, प्रमुख खतरों की पहचान की जाती है, उन्हें सारणीबद्ध किया जाता है और निर्माण टीम को इसकी सूचना दी जाती है। प्रारंभिक समीक्षा और समूह जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सभी पहलुओं और ओएच एंड एस खतरों की व्यापक सूची की समय–समय पर समीक्षा और अद्यतन की जाती है। निर्माण और खतरनाक सामग्रियों के भंडारण, प्रबंधन और निपटान, संयंत्र और मशीनरी गतिविधियों, निर्माण गतिविधियों और संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं और बुनियादी ढांचे की सुविधाओं सहित कई कारकों पर ध्यान दिया जाता है। ओएच एंड एस जोखिम मूल्यांकन के लिए, कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले पहलुओं, जैसे भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की पहचान की जाती है। मूल्यांकन को रेट करने के लिए संभाव्यता और गंभीरता कारकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें संभाव्यता के लिए ''सदैव'' से ''कभी नहीं'' और गंभीरता के लिए ''अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु के साथ स्थायी/आंशिक विकलांगता'' से लेकर ''कोई हानि नहीं'' तक का पैमाना होता है। जोखिम रेटिंग संभाव्यता और गंभीरता कारकों को एक साथ गुणा करके निर्धारित की जाती है। यदि जोखिम रेटिंग 3 या अधिक है, तो इसे असहनीय माना जाता है, और नियंत्रण उपायों को विकसित और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। ओएच एंड एस जोखिम स्तर को विशिष्ट मानदंडों के आधार पर अत्यधिक, उच्च, मध्यम, निम्न और तुच्छ के रूप में परिभाषित किया गया है।

ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित जोखिमों की रिपोर्ट करने और स्वयं को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

जी हां, किसी घटना या दुर्घटना के बाद, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभारी व्यक्ति (पीएचध्एसओ) उस घटना/दुर्घटना के कारण निर्धारित करने के लिए उप–ठेकेदार के सुरक्षा अधिकारी और अन्य साइट कर्मचारियों के साथ मिलकर जांच शुरू करेगा और उचित उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव दें। घटना/दुर्घटना रिपोर्ट फॉर्म पूरा किया जाएगा, और पीएच/एसओ द्वारा किए जाने वाले आवश्यक कदमों की पहचान की जाएगी। इसके अलावा, सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठक के दौरान इसे साझा भी करेंगे।

घ. क्या इकाई के कर्मचारियों/ श्रमिकों को गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं? (हां/नहीं)

जी हाँ, इरकॉन यह सुनिश्चित करता है कि उसके कर्मचारियों को गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हों। कंपनी स्थायी और गैर–स्थायी दोनों कर्मचारियों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है, जिसमें आउटडोर और इनडोर उपचार प्रतिपूर्ति, चिकित्सा अग्रिमों के लिए मंजूरी, एम्बुलेंस शुल्क और अन्य संपूर्ण स्वास्थ्य जांच लाभ शामिल हैं। इसके अलावा, इरकॉन के पास एक चिकित्सा ट्रस्ट है, जो विभिन्न परिस्थितियों में कर्मचारियों को सहायता प्रदान करता है।

11. सुरक्षा संबधी घटनाओं का ब्यौरा

सुरक्षा घटना/संख्या	वर्ग	वि.व. 2022-23	वि.व. 2021-22
घटित समय की चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख–व्यक्ति काम किए गए घंटे)	श्रमिक	शून्य	शून्य
	कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें	श्रमिक	शून्य	शून्य
	कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं
मरने वालों की संख्या	श्रमिक	शून्य	शून्य
	कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं
उच्च परिणाम कार्य–संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर)	श्रमिक	शून्य	शून्य
	कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं

*इरकॉन के पे–रोल पर कोई श्रमिक नहीं है, हमारे पास केवल ठेकेदारों के माध्यम से तैनात श्रमिक हैं।

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इरकॉन कई उपाय करता है। कंपनी विभिन्न परिदृश्यों के लिए सुरक्षा अभ्यास सहित नियमित खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन करती है। कर्मचारियों और श्रमिकों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए परियोजना स्थलों पर कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इसमें सुरक्षा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का कार्यान्वयन और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। कर्मियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए निर्धारित अंतराल पर नियमित प्री–मेडिकल जांच की जाती है। औद्योगिक सुरक्षा पदानुक्रम के सिद्धांतों का पालन करते हुए, परियोजना जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। पदानुक्रम में उन्मूलन, प्रतिस्थापन, इंजीनियरिंग नियंत्रण और प्रशासनिक नियंत्रण के चरण शामिल हैं। जब भी संभव हो सबसे पहले खतरों को समाप्त किया जाता है, उसके बाद खतरनाक तत्वों को सुरक्षित विकल्पों से प्रतिस्थापित किया जाता है। सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग नियंत्रण लागू किए जाते हैं, जबकि प्रशासनिक नियंत्रण जोखिमों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश स्थापित करते हैं। अंत में, जब आवश्यक हो, कर्मचारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित पीपीई प्रदान किया जाता है। इस सुरक्षा पदानुक्रम के निरंतर अनुप्रयोग के माध्यम से, परियोजना संभावित खतरों की पहचान करने और उनका समाधान करने का प्रयास करती है, जिससे पूरे परियोजना स्थल पर सुरक्षा और जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित विशयों पर की गई शिकायतों की संख्या

	वि.व. 2022-23			वि.व. 2021-22		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के दौरान लंबित संकल्प	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के दौरान लंबित संकल्प	टिप्पणियां
कार्य परिस्थितियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. वर्ष हेतु आकलन

आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत, जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)।	
कार्य परिस्थितियां	90%
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	90%

15. सुरक्षा–संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही, किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

सुरक्षा संबंधी घटनाओं के समाधान के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है:

क) परियोजना स्थल पर पाइल के प्रत्येक लाइनर ड्राइविंग के आसपास स्टेजिंग को अपनाना और कार्यान्वयन करना – जिसके परिणामस्वरूप पाइलिंग कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक की कोई दुर्घटना नहीं होगी।

ख) पाइल लोड टेस्ट ''क्राउन एंकर रिएक्शन मेथड'' का उपयोग करनो, जो पाइल परीक्षण के निष्पादन के दौरान निकट चूक की संभावना को कम करता है।

ग) ढलान स्थिरीकरण और सुरक्षा श्रमिकों और मशीनरी की आवाजाही के दौरान निष्पादन क्षेत्र को सुरक्षित और अधिक स्थिर बनाती है। इससे मृत्यु की संभावना को कम करने और कार्यशील समय को सुरक्षित बनाने में मदद मिलती है।

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

इरकॉन के लिए प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। प्रारंभ में, इसमें उद्योग के भीतर इरकॉन के उद्देश्य और भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल है। इसके बाद, आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों की पहचान उनके संबंधित हितों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एक सूचीबद्ध ईपीसी ठेकेदार के रूप में, कई प्रमुख हितधारक समूह हैं, जिन पर विचार किया जाता है, इनमें निवेशक और शेयरधारक, कर्मचारी और श्रमिक, ग्राहक या नियोक्ता, विक्रेता, उप–ठेकेदार, सलाहकार, समुदाय और अंतिम उपयोगकर्ता शामिल हैं। ग्राहक/नियोक्ताओं का चयन, आम तौर पर कंपनी के व्यावसायिक हितों पर आधारित होता है। परियोजना आवश्यकताओं और अनुबंध शर्तों के अनुसार विक्रेताओं, उप–ठेकेदारों और सलाहकारों की पहचान और उनका चयन किया जाता है। बुनियादी ढांचे की सुविधा के अंतिम उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी आम तौर पर ग्राहक/नियोक्ता की होती है, जब तक कि अनुबंध प्रावधान ईपीसी ठेकेदार की भागीदारी की अनुमति नहीं देते। निवेशक, शेयरधारक, कर्मचारी और श्रमिक इकाई के अभिन्न अंग हैं।

इरकॉन, हितधारकों को सफलतापूर्वक समझ सकता है और उनके साथ जुड़ सकता है, उनकी जरूरतों और समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है, और हितधारक जुड़ाव प्रक्रिया के माध्यम से सकारात्मक संबंध विकसित कर सकता है। इस तरह का नीतिगत दृष्टिकोण इरकॉन को परियोजना निष्पादन को अनुकूलित करने, ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने, सरकारी एजेंसियों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करने और अपने शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के लिए मूल्य उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है, जिससे समग्र रूप से परिणामों में सुधार होता है।

2. **आपकी इकाई के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति का उल्लेख करें**

स्टेकधारक समूह	क्या कमजोर और सीमांत स्तर पर रहने वाले समूहों के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	नियुक्ति की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य – कृपया विनिर्दिष्ट करें)	ऐसी सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और समस्याओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
शेयरधारक	नहीं	– वार्षिक रिपोर्ट – प्रेस विज्ञप्तियां और शेयरधारक बैठकें – निवेशकों की बैठक – स्टॉक एक्सचेंज सूचनाएं – ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, डाक सेवाएं और वेबसाइट।	वार्षिक, आवधिक, त्रैमासिक	शेयरधारकों की संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित है मुख्य विषय: i) वित्तीय प्रदर्शन ii) लाभांश का भुगतान iii) व्यावसायिक प्रदर्शन iv) कॉर्पोरेट प्रशासन
कर्मचारी	नहीं	– आंतरिक मानव संसाधन संचार, वेब पोर्टल, परिपत्र और कार्यालय आदेश – मीटिंग, ईमेल, कॉल, नोटिस बोर्ड – प्रशिक्षण और मूल्यांकन – सांस्कृतिक कार्यक्रम	एक नियमित आधार पर	मुख्य विषय : i) सूचना ii) कार्यक्रम, iii) प्रशिक्षण, iv) व्यावसायिक गतिविधियाँ
विक्रेता/ठेकेदार	नहीं	– बैठकें – खरीद पोर्टल – ईमेल	जब भी आवश्यकता हो	.
ग्राहकों	नहीं	– बैठकें – खरीद पोर्टल – ईमेल	आवश्यकता आधारित	व्यावसायिक गतिविधियाँ
समुदाय	हां	– ऑनसाइट सामुदायिक बैठकें – स्थानीय अभियान	आवश्यकता आधारित	लेखापरीक्षा, और फीडबैक

मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी एवं श्रमिक जो मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है

श्रेणी	वि.व. 2022-23			वि.व. 2021-22		
	कुल (क)	कर्मचारियों की संख्या /शामिल किए गए श्रमिक (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	कर्मचारियों की संख्या /शामिल किए गए श्रमिक (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
स्थायी कर्मचारी	932	107	11.48%	954	–	–
स्थायी कर्मचारी से अन्य	412	2	0.49%	324	–	–
कुल कर्मचारी	1344	109	8.11%	1278	–	–
श्रमिक						
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं					
स्थायी श्रमिक से अन्य						
कुल श्रमिक						

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान किए गए न्यूनतमक पारिश्रमिक का ब्यौरा

श्रेणी	वि.व. 2022-23					वि.व. 2021-22				
	कुल (क)	न्यूनतम पारिश्रमिक के समान		न्यूनतम पारिश्रमिक से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम पारिश्रमिक के समान		न्यूनतम पारिश्रमिक से अधिक	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)		सं. (ड.)	% (ड./घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
स्थायी										
पुरूष	881	–	–	881	100%	901	–	–	901	100%
महिला	51	–	–	51	100%	53	–	–	53	100%
स्थायी से अन्य										
पुरूष	412	–	–	412	100%	306	–	–	306	100%
महिला	14	–	–	14	100%	12	–	–	12	100%
श्रमिक										
स्थायी										
पुरूष	लागू नहीं									
महिला										
स्थायी से अन्य										
पुरूष	लागू नहीं									
महिला										

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का ब्यौरा (रुपए करोड़ में)

	पुरूष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)*	2	54,23,954	1	39,86,563
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक'	1	38,14,925	1	31,80,154
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	860	15,54,485	48	15,66,923
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* औसत गणना प्रयोजन के लिए, स्वतंत्र निदेशकों के पारिश्रमिक (यानी बैठने की फीस) को बाहर रखा गया है।

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

टिप्पणियाँ :

1. केएमपी में सीएस और सीएफओ (कार्यपालक निदेशक/वित्त) शामिल हैं।
2. बीओडी में दिनांक 31.03.2023 तक केवल सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं।
3. माध्यिका की परिभाषा : गणित में, माध्यिका को संख्याओं की क्रमबद्ध सूची के मध्य मान के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसलिए कर्मचारी के वेतन को आरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है और माध्य वेतन राशि की गणना की जाती है।

4. क्या आपके पास व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हां नहीं)

हां

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

इरकॉन मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित कर्मचारी शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए सीपीजीआरएएमएस का उपयोग करता है। सीपीजीआरएएम, जिसे केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी समाधान के माध्यम से शासन को बढ़ाना है। इस संबंध में, हमारा संगठन, इरकॉन, हितधारकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने और उनकी स्थिति और प्रगति को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। प्रत्येक शिकायत की संबंधित विभाग द्वारा गहन समीक्षा की जाती है, और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या

	वि.व. 2022-23			वि.व. 2021-22		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	1	शून्य	–	शून्य	शून्य	–
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	–
बाल श्रम	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	–
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	–
वेतन			–			–
मानवाधिकार संबंधी अन्य मुद्दे टिप्पणियां	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	–

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतों के प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ताओं के लिए प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए, कई तंत्रों को नियोजित किया जा सकता है। इनमें शिकायतकर्ताओं की पहचान और विवरण की सख्त गोपनीयता सुनिश्चित करना, उन्हें प्रतिशोध से बचाने के लिए मजबूत गैर–प्रतिशोध नीतियों को लागू करना, गुमनाम रिपोर्टिंग के लिए व्हिसलब्लोअर सुरक्षा उपाय स्थापित करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई और शिकायतकर्ताओं के लिए समर्थन जैसे पर्याप्त उपाय प्रदान करना शामिल है। चल रहे प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की पेशकश करना, बाहरी रिपोर्टिंग तंत्र को लागू करना और नियमित समीक्षा और मूल्यांकन करना। इन तंत्रों को लागू करके, इरकॉन व्यक्तियों के लिए शिकायतों की रिपोर्ट करने, मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ताओं के लिए प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाता है।

8. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का भाग हैं? (हां नहीं)

हां

9.

वर्ष के लिए मूल्यांकन	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	.
जबरन/अनैच्छिक श्रम	.
यौन उत्पीड़न	.
कार्यस्थल पर भेदभाव	.
वेतन	.
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	.

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कोई नहीं

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण की सुरक्षा और बहाली के लिए सम्मान और प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल्स या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण

मापदंड	वि.व. 2022–23	वि.व. 2021–22
कुल बिजली खपत (ए)	122,325.84 GJ	108,981.29 GJ
कुल ईंधन खपत (बी)	463,566.00 GJ	364,454.55 GJ
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)	6744.25 GJ	6,744.25 GJ
कुल ऊर्जा खपत (एबी़सी)	592,636.09 GJ	480180.09 GJ
प्रति रुपए टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर रुपए में)	0.00002	0.00003
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है	-	-

नोट : कृप्या उल्लेख करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/अवलोकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

जी नहीं, कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया है।

2. क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं)। यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

जी नहीं, कंपनी के पास पीएटी योजना के तहत डीसी के रूप में पहचानी गई कोई साइट नहीं है।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटनों का विवरण प्रदान करें

मापदंड	वि.व. 2022–23	वि.व. 2021–22
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	112886	112800
(ii) भूजल	112887	112850
(iii) तीसरे पक्ष का पानी	16489	16450
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	शून्य	शून्य
(v) अन्य	शून्य	शून्य
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	**242262**	**242100**
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	181294	181188
प्रति रुपए टर्नओवर में जल की तीव्रता (पानी की खपत/टर्नओवर)	0.000002	0.000001

मापदंड	वि.व. 2022–23	वि.व. 2021–22
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है	.	.

नोट : बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

जी नहीं, कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया गया है।

4. **क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें**

नहीं

5. **कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें**

मापदंड	कृपया इकाई स्पष्ट करें	वि. व. 2022–23	वि. व. 2021–22
एनओएक्स	–	लागू नहीं	लागू नहीं
एसओएक्स	–	लागू नहीं	लागू नहीं
कणिका तत्व (पीएम)	–	.	.
लगातार जैविक प्रदूषक (पीओपी)	–	लागू नहीं	लागू नहीं
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	–	लागू नहीं	लागू नहीं
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	–	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	–	–	–

नोट : कृप्या उल्लेख करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/अवलोकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

जी नहीं, कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया है।

6. **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 वर्क) और इसके गहनता का विवरण प्रदान करें।**

मापदंड	कृपया इकाई स्पष्ट करें	वि. व. 2022–23	वि. व. 2021–22
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विभाजन)	सीओ2 समतुल्य का मीट्रिक टन	34,183.30	28,035.47
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विभाजन)	सी ओ2 समतुल्य का मीट्रिक टन	24,295.27	21,644.89
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रति रुपए टर्नओवर	–	0.0000005	0.0000006
कुल दायरा 1 और दायरा 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है	–	–	–

नोट : उल्लेख करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

जी नहीं, कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया गया है।

7. **क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।**

जी नहीं, इरकॉन के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना नहीं है।

8. **इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें।**

मापदंड	वि. व. 2022–23	वि. व. 2021–22
सृजित कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक कचरा (क)*	–	–
ई–कचरा (ख)*	–	–
जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	–	–
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (घ)	0.811	0.85

मापदंड	वि. व. 2022–23	वि. व. 2021–22
बैटरी अपशिष्ट (ड.)	1.168	0.005
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	–	–
अन्य खतरनाक अपशिष्ट (छ). कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो।	–	–
अन्य खतरनाक अपशिष्ट (छ). कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। उत्पन्न अन्य गैर–खतरनाक अपशिष्ट (ज)। कृपया उल्लेख करें, यदि कोई। (संरचना के अनुसार विभाजन अर्थात प्रासंगिक सामग्री के आधार पर सेक्टर के लिए)		
कागज, कार्डबोर्ड अपशिष्ट	1.656	1.808
प्लाई की लकड़ी	0.671	0.503
कुल (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ+ज)	**4.31**	**3.17**

उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनःउपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)

अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	-	-
(ii) पुनःउपयोग किया गया	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	-	-
कुल		

उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)

अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	–	–
(ii) पुनःउपयोग किया गया	4.31	3.17
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	–	–
कुल	4.31	3.17

**प्लास्टिक कचरा और ई–कचरा प्रमाणित विक्रेताओं को दिया जाता है, वर्तमान और पिछले वर्ष के उत्पादन का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, इसका रिकॉर्ड आगामी रिपोर्टिंग अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।*

नोट : उल्लेख करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

जी नहीं, कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया है।

9. **आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।**

इरकॉन उन पद्धतियों को शामिल करने का प्रयास करता है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव, इष्टतम संसाधन उपयोग और रीसाइक्लिंग, जहां भी लागू हो, सुनिश्चित करती हैं। अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियां, अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण पहल, खतरनाक कचरे के उचित प्रबंधन और निपटान पर आधारित होती हैं। हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय में पूरी तरह कार्यात्मक जल उपचार संयंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रणाली से निकलने वाले पानी का पर्याप्त उपचार किया जाए। निरंतर सुधार और नियमों का अनुपालन दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है, जो स्थिरता और सुरक्षा के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

10. **यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र इत्यादि) में/इनके आस–पास संचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता होती है।**

प्रचालन/कार्यालय का स्थल	प्रचालनों का प्रकार	क्या पर्यावरणीय स्वीकृति/अनुमति की शर्तों का पालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है
लागू नहीं		

11. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण :

परियोजना का नाम और संक्षिप्त ब्यौरा	ईआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हां/नहीं)	संगत वैब लिंक
लागू नहीं					

12. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दशानिर्देशों का अनुपालन करती है, जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण प्रदान करें।

उस कानून/विनियम/दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया	गैर अनुपालन का ब्यौरा प्रस्तुत करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अदालतों जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा किया गया कोई जुर्मानाध्जुर्माना्कार्रवाई	उपचारक कार्रवाई, यदि कोई हो
लागू नहीं			

सिद्धांत 7: व्यवसायों को, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल किया जाता है, तो उन्हें जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार और उद्योग चौंबरों/संघों के साथ संबद्धताओं की संख्या – 7

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चौंबरों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जो संस्था सदस्य/संबद्ध है:

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग चौंबरों/संघों का नाम व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) उत्तरी क्षेत्र	राष्ट्रीय
2	राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (एनएआरईडीसीओ)	राष्ट्रीय
3	पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)	राष्ट्रीय
4	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय
5	भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी)	राष्ट्रीय
6	निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी)	राष्ट्रीय
7	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईआईसी)	राष्ट्रीय

2. नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त ब्यौरा	की गई निवारक कार्रवाई
शून्य		

सिद्धांत 8 : व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण :

परियोजना का नाम और संक्षिप्त ब्यौरा	ईआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हां/नहीं)	संगत वैब लिंक
लागू नहीं					

2. उन परियोजनाओं पर जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है :

परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या (पीएएफ)	आर एंड आर द्वारा शामिल पीएएफ का प्रतिशत	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपए में)
लागू नहीं					

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें

सीपीजीआरएएमएस, जिसे केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी समाधान के माध्यम से शासन को बढ़ाना है। इस संबंध में, हमारा संगठन, इरकॉन, सामुदायिक शिकायतों को तुरंत संबोधित करने और उनकी स्थिति और प्रगति को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। प्रत्येक शिकायत की संबंधित विभाग द्वारा गहन समीक्षा की जाती है, और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं। हम जनता के साथ जुड़ने के अवसर को महत्व देते हैं और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से कुशल और उत्तरदायी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

विवरण	वि. व. 2022.23	वि. व. 2021.22
प्रत्यक्ष रूप से एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त	43.48%	66.92%
सीधे जिले के भीतर और पड़ोसी जिले से प्राप्त किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं

* केवल इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए डेटा सोर्सिंग

सिद्धांत 9 : व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें

लागू नहीं

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/ सेवाओं का टर्नओवर, जिसके बारे में निम्नलिखित जानकारी होती है :

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	शून्य
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	शून्य
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	शून्य

3. उपभोक्ता शिकायतों की संख्या

	वि. व. 2022-23			वि. व. 2021-22		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां
डाटा प्राइवेसी	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
विज्ञापन देना	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
साइबर सुरक्षा	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

	वि. व. 2022-23			वि. व. 2021-22		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत मं लंबित संकल्प	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत मं लंबित संकल्प	टिप्पणियां
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	–
अनुचित व्यापार आचरण	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	–
अन्य	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	–

4. सुरक्षा के मुद्दों के कारण उत्पादों की वापसी की घटनाओं का ब्यौरा

	संख्या	वापसी के कारण
स्वैच्छिक वापसी	शून्य	लागू नहीं
बलपूर्वक वापसी	शून्य	लागू नहीं

5. क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब–लिंक प्रदान करें।

जी हां, इरकॉन के पास साइबर संकट के प्रबंधन के लिए व्यापक ढांचा विद्यमान है। यह योजना संबंधित नीतियों, कार्यों और जिम्मेदारियों के साथ–साथ साइबर घटनाओं की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख करती है। इसका उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण साइबर घटनाओं के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी करना, पहचानना, सूचनाओं का आदान–प्रदान करना, प्रतिक्रिया देना और उनका निवारण करना है जो संभावित रूप से महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। यह योजना साइबर सुरक्षा घटनाओं और उल्लंघनों से निपटने के लिए एक समन्वित और संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर देती है।

इस योजना की नींव सीईआरटी–इन एमईआईटीवाई, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई, जिसे ''साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना'' से लिया गया है। यह साइबर सुरक्षा की गतिशील प्रकृति को स्वीकार करता है, जिसमें तकनीकी प्रगति नई कमजोरियों को सामने लाती है, जिससे प्रतिक्रिया रणनीतियों के लिए समय–समय पर अपडेट की आवश्यकता होती है। आदर्श रूप से, ये अद्यतन वार्षिक आधार पर होने चाहिए। साइबर संकट की प्रकृति और आकस्मिकताओं से संबंधित खंड विशिष्ट प्रकार के खतरों और संकटों की पहचान करता है जो विशिष्ट उद्देश्यों को लक्षित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य इरकॉन के भीतर महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों और सेवाओं पर इन संकटों के प्रभाव का आकलन करना है, अंततः उपयुक्त प्रतिक्रिया और शमन उपायों का निर्धारण करना है।

इस योजना में इरकॉन के भीतर कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और परियोजना कार्यालयों सहित विभिन्न संगठनात्मक इकाइयाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें वित्त और लेखा, मानव संसाधन प्रबंधन, व्यवसाय विकास, संयंत्र रखरखाव, अनुबंध प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन जैसे प्रमुख व्यावसायिक कार्य शामिल हैं।

वेब लिंकः https://ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=606&lang=en

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें, ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता, उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति, उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई।

शून्य

शुभकामनाओं सहित,

ह0/–

(बृजेश कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एल/ए) एवं सीईओ

(डीआईएन : 10092756)

दिनांक : 11 अगस्त, 2023

स्थान : नई दिल्ली

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति (सीएसआर नीति), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियमों के अनुसार विकसित की गई है। इरकॉन की सीएसआर नीति इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की वेबसाइट पर देखी जा सकती है : https://www.ircon.org/images/file/cosecy/CSR_Policy_Nov_2022_with_Annexures.pdf.

सीएसआर का उद्देश्य सीएसआर को कंपनी के कामकाज का एक महत्वपूर्ण तत्व बनाना है, जिससे समाज की पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। सीएसआर नीति के उद्देश्यों के अनुसार, सभी सीएसआर गतिविधियों को अधिनियम की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में परियोजना/कार्यक्रम मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है। अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों में से सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं का चयन करते समय, उन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है जो राष्ट्रीय विकास कार्यसूची में सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय हैं, जैसे सभी के लिए सुरक्षित पेयजल, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालय का प्रावधान, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा आदि। सीएसआर नीति का मुख्य केन्द्र सतत विकास और समावेशी विकास पर है, और समाज के वंचित, सीमांत, उपेक्षित और कमजोर वर्ग, महिलाओं/लड़कियों, शारीरिक रूप से विकलांगों आदि की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाओं का चयन इरकॉन द्वारा डीपीई या रेल मंत्रालय द्वारा घोषित वार्षिक विषय, यदि कोई हो, के आधार पर किया जाता है और सीएसआर गतिविधियों के स्थान का चयन करने में ''स्थानीय क्षेत्र'' को प्राथमिकता भी दी जाती है। कंपनी हितधारकों की राय और मूल्यांकन प्रक्रिया को शामिल करते हुए प्राकृतिक आपदाओं आदि सहित समुदाय की जरूरतों और अत्यावश्यकताओं के आधार पर राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों और सकारात्मक कार्रवाई के साथ, अपने भूगोल से परे सीएसआर पहल शुरू करने या समर्थन करने पर भी विचार करती है।

बोर्ड की सीएसआर समिति कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) स्तर से प्राप्त सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा करती है और उन्हें मंजूरी देती है। इरकॉन कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों/विशेष बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर रहा है, जिनके पास सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सीएसआर पंजीकरण संख्या है। इसके अलावा क्षेत्र स्तर की समितियों (पीआईयू) की भागीदारी के अतिरिक्त सीएसआर परियोजनाओं का, स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से गहन निगरानी, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया और प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि के क्षेत्र में की गई कुछ प्रमुख सीएसआर पहल नीचे दी गई हैं :

- ग्रामीणों में कल्याण की भावना लाने के लिए सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने हेतु जम्मू और कश्मीर के जिलों में स्वास्थ्य जागरूकता और 66 चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के 15 से अधिक डॉक्टरों और 100 पैरा मेडिकल स्टाफ और स्वयंसेवकों ने 66 गांवों में 66 चिकित्सा शिविर आयोजित किए और 6600 (लगभग) ग्रामीणों को लाभान्वित किया। इन शिविरों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सामान्य चिकित्सा जांच, बीपी, रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी के साथ–साथ सामान्य बीमारियों का इलाज और दवाओं का वितरण शामिल था।
- स्कूली बच्चों में दृष्टि दोष का पता लगाने के लिए राजस्थान के आकांक्षी जिले जैसलमेर में एक विजन सेंटर की स्थापना की गई, जिससे उचित देखभाल और उपचार के माध्यम से नेत्र रोग को रोका जा सके। इस परियोजना में जैसलमेर जिले के 15000 स्कूली बच्चों की आंखों की जांच शामिल थी ताकि छोटे बच्चों में अपवर्तक त्रुटि का समय पर पता लगाया जा सके और पहचाने गए छात्रों को चश्मे का प्रावधान किया जा सके।
- खोरा कॉलोनी, जिला में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में मेसर्स बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान (बीएसजीएसएस) द्वारा एजेंसी ने साधना एन्क्लेव स्थित प्रशिक्षण केंद्र, संडे मार्केट मेन रोड, खोरा कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में कुल 639 महिलाओं को कटिंग एंड टेलरिंग, ब्यूटी कल्चर, कंप्यूटर ऑपरेशन और इंग्लिश स्पीकिंग का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया है।

इरकॉन भविष्य में भी अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से लाभार्थियों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए सामाजिक परिवर्तन लाता रहेगा। सभी परियोजनाएं सीएसआर की सच्ची भावना से कार्यान्वित की जाती हैं और कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII/डीपीई दिशानिर्देश और इरकॉन की सीएसआर नीति के अनुसार हैं।

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

2. सीएसआर एवं स्थिरता समिति की संरचनाः

जब कभी निदेशों में परिवर्तन होता है तो समिति की पुन–संरचना की जाती हैा वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार थी–

01.04.2022 से 31.07.2022	01.08.2022 से 31.12.2022	01.01.2023 से 31.03.2023
अध्यक्ष		
श्रीमती रंजना उपाध्याय, स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती रंजना उपाध्याय, स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती रंजना उपाध्याय, स्वतंत्र निदेशक
सदस्य		
श्री राजेश अर्गल सरकारी नामित (अंशकालिक सरकारी निदेशक)*	श्री धनंजय सिंह, सरकारी नामित (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	श्री धनंजय सिंह सरकारी नामित (अंशकालिक सरकारी निदेशक)
श्रीश्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	श्रीश्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)**	श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य)

*निदेशक 31.07.2022 तक

**निदेशक (परियोजना) दिनांक 31.12.2022 तक।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, समिति की छह बार बैठक 26 मई, 2022, 8 अगस्त, 2022, 31 अगस्त, 2022, 1 नवंबर, 2022, 8 दिसंबर, 2022 और 30 दिसंबर, 2022 को हुई। हैं : –

सदस्य का नाम	बैठक की तिथि						कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	बैठक में उपस्थिति की संख्या
	26.05.2022	08.08.2022	31.08.2022	01.11.2022	08.12.2022	30.12.2022		
श्रीमती रंजना उपाध्याय	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
श्री राजेश अर्गल	✓	–	–	–	–	–	1	1
श्री धनजंय सिंह	–	✓	x	✓	x	x	5	2
श्री श्याम लाल गुप्ता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
श्री पराग वर्मा	–	–	–	–	–	–	0	0

3. वेब–लिंक प्रदान किए गए हैं, जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है।

वेब लिंक इस प्रकार है :–

क) सीएसआर समिति : https://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=604&lang=en

ख) सीएसआर नीति https://www.ircon.org/images/file/cosecy/CSR_Policy_Nov_2022_with_Annexures.pdf

ग) सीएसआर परियोजनाएं : https://www.ircon.org/images/file/cosecy/Q-4_for_FY_2022-23.pdf

2. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब–लिंक के साथ निष्पादन सारांश प्रदान करें।

इस वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान की गई कोई भी सीएसआर गतिविधि 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक नहीं थी जिसके लिए प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता है।

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

5. (क) कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 135(5) : 504.77करोड़ रुपए

(ख) खंड 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : 10.10 करोड़ रुपए

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से अधिशेष : शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य

(ड.) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (क. ख – स) : 10.10 करोड़ रुपए

6. (रुपए करोड़ में)

(क) सीएसआर परियोजनाओं (चालू परियोजनाओं और चालू परियोजनाओं के अलावा दोनों) पर खर्च की गई राशि।	9.85
(ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि :	0.27
(ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो :	शून्य
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(क)(ख)(ग)] :	10.12

(ड.) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि (रुपए में)	खर्च न की गई राशि (रुपए में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
10.10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(च) सेट–ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो।

क्र.सं	विवरण	राशि (करोड़ रुपए में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	10.10
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	10.12
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	0.02
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0.00
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(ii)–(iv)]	0.00

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण :

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है: हाँ ✓ नहीं ✗

9. यदि हां, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें :– 9 सृजित संपत्तियां।
वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खर्च की गई राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें : अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

10. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं : लागू नहीं।

ह/–
श्री बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
(डीआईएन 10092756)

ह/–
श्री पराग वर्मा
निदेशक (कार्य) एवं सदस्य,
सीएसआर एवं स्थिरता समिति
(डीआईएन 05272169)

ह/–
श्रीमती रंजना उपाध्याय
अध्यक्ष,
सीएसआर एवं स्थिरता समिति
(डीआईएन 07787711)

दिनांक : 08 अगस्त 2023
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक – 1

वित्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति का विवरण।

क्र. सं	संपत्ति या संपत्ति का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति के पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	सृजन की तिथि	व्यय की गई राशि (लाख रुपए में)	पंजीकृत स्वामी की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	त्रिपुरा में बहुउद्देश्यीय हॉल (300 क्षमता) का निर्माण	799004			लागू नहीं	हेडगेवार स्मारक समिति, सेवाधाम	हेडगेवार स्मारक समिति, सेवा धाम, पश्चिम त्रिपुरा
2	नोएडा में शैक्षणिक संस्थानों तक निर्बाध आवागमन सुलभ बनाने वाली स्कूल बस की खरीद के लिए सहायता। यह सेवा मेसर्स साईकृपा द्वारा निःशुल्क है, और छात्रों से कोई परिवहन शुल्क नहीं लिया जाता है क्योंकि ये सभी बच्चे सुविधाविहीन हैं।	201301	31.03.23	20.00	CSR00001904	साईकृपा	साईकृपा, बाल कुटीर, जेड– 133 / 134, सेक्टर–12, नोएडा
3	सिवोक रंगपो परियोजना द्वारा एसडीएसी परिसर (एसडीएम रंगपो कार्यालय परिसर) में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	737136	31.03.23	4.78	लागू नहीं	एसडीएम कार्यालय पूर्वी सिक्किम	एसडीएम कार्यालय पूर्वी सिक्किम
4	यूएसबीआरएल परियोजना द्वारा रामबन जिले में 20 सोलर लाइटों की स्थापना	182146	31.03.23	6.50	लागू नहीं	बनकूट और चापनारी गांव बनिहाल तहसील, जिला रामबन	बनकूट और चापनारी गांव बनिहाल तहसील, जिला रामबन
5	सिवोक रंगपो परियोजना द्वारा पूर्वी सिक्किम के बोर्डांग गोक्ट स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूल शौचालयों का निर्माण और स्कूल परिसर की बाड़ लगाना।	737136	31.03.23	10.71	लागू नहीं	बोर्डांग गोक्ट स्कूल, पूर्वी सिक्किम	बोर्डांग गोक्ट स्कूल, पूर्वी सिक्किम
6	सिवोक रंगपो परियोजना द्वारा सिक्किम में जिला आपदा नियंत्रण कक्ष आदि को बहुउपयोगी वाहन उपलब्ध कराना	737101	31.03.23	10.67	लागू नहीं	आपदा प्रबंधन नियंत्रण, सिक्किम	आपदा प्रबंधन नियंत्रण, सिक्किम
7	मेसर्स वात्सल्य द्वारा सैनिटरी नैपकिन इकाइयों की स्थापना और स्कूली लड़कियों और समुदायों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाना।	193101	31.03.23	19.00	CSR00007982	बारामूला जिले का गुथियार गांव	बारामूला जिले का गुथियार गांव
8	मंडल रेलवे अस्पताल, भोपाल को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना और कटनी परियोजना द्वारा इसे कार्यान्वित किया गया	462010	31.03.23	54.90	लागू नहीं	मंडल रेलवे अस्पताल, भोपाल	मंडल रेलवे अस्पताल, भोपाल
9	रेलवे अस्पताल हावड़ा, पश्चिम बंगाल के लिए लेप्रोस्कोपी सर्जरी सेट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। मंडल रेल प्रबंधक, हावड़ा द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और कलकत्ता कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किया गया।	711101	31.03.23	27.50	लागू नहीं	मंडल रेलवे अस्पताल, हावड़ा	मंडल रेलवे अस्पताल, हावड़ा
कुल				**198.65**			

फार्म सं. एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सीआईएनः L45203DL1976GOI008171
प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली–110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा), जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में है, द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप–नियम

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम (लागू स्तर तक)

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम (''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यपाक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 2015

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरा दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2021 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)।**

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्ती प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2021 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)।**

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है।

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2021 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है), और**

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)।

(vi) कंपनी के प्रबंधन द्वारा सूचित और प्रमाणित अनुसार, अन्य कानून विशिष्ट रूप से उनके क्षेत्र/उद्योग के आधार पर लागू हैंः

(क) भवन और अन्य निमार्ण कर्मचारी (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियम) केन्द्रीय नियम, 1998

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003

लागू वित्तीय नियमों, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों के संबंध में कंपनी द्वारा अनुपालन की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि इसकी सांविधिक लेखांकन लेखापरीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा की गई है।

हमने निम्नलिखित के अनुपालन की भी जांच की है।

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. दिनांक 14 मई 2010 के कार्यलय ज्ञापन सं. 18(8)/2005–जीएम के तहत लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन दिशानिर्देश।

iii. निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 27 मई 2016 के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 5/2/2016–नीति में निर्धारित अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम की पूंजीगत पुनर्संरचना पर दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है, निम्नलिखित अवलाकनों में अध्याधीन –

कंपनी के निदेशक मंडल के आधे सदस्य, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(ख) और बोर्ड की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत अपेक्षित अनुसार स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

हम आगे यह सूचित करते हैं कि –

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल के आधे सदस्य, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) और निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत यथापेक्षित स्वतंत्र निदेशक नहीं था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।
2. कंपनी को बीएसई और एनएसई से जून, सितंबर, दिसंबर 2022 और मार्च, 2023.को समाप्त तिमाहियों के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(बी) से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर दंड लगाने का नोटिस मिला है।
3. इरकॉन ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया है कि, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम–17 का अनुपालन न किया जाना, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण था और इसलिए, उन्हें दंड के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। सूचीबद्ध इकाई ने अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए इरकॉन के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात रेल मंत्रालय) से समय–समय पर अनुरोध किया है।

   बोर्ड बैठकों की अनुसूची के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिऐ जाते हैं, बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट सभी निदेशकों को बैठक से कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठके से पूर्व कार्यसूची मदों पर और अधिक सूचना या स्पष्टीकरणों को प्राप्त करने और बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी को संभव बनाने के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

   निर्णय अपेक्षित बहुमत के साथ लिए जाते हैं और असंतुष्ट सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज और रिकार्ड किया जाता है।

   हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा और विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों और निदेशक मंडल द्वारा इन्हें बैठकों में रिकॉर्ड किए जाने के आधार पर, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप है पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान :

- कंपनी ने दिनांक 28 फरवरी, 2023 को 2/– रुपए के अंकित मूल्य पर 1.80/–रुपए प्रति इक्विटी शेयर (प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 90 प्रतिशत) का अंतरिम लाभांश दिया है।
- बोर्ड ने दिनांक 24 मई, 2023 को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए प्रत्येक 2/–रुपए (प्रदत्त शेयर पूंजी का 60 प्रतिशत) के अंकित मूल्य पर 1.20/–रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
ह0/–
सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रोप्राइटर)
एफसीएस:1807 सीपी सं.:14984
पीआर: 610/2019
एफआरएन : S2015UP440500
यूडीआईएन : F001807E000465633

दिनांक: 07 जून, 2023
स्थान: नोएडा

नोट: इस रिपोर्ट को अनुबंध–क के रूप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सीआईएनः एल45203डीएल1976जीओआई008171
प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली–110017

अनुबंध–क

लेखापरीक्षा के आधार पर, हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन और रिकॉर्ड के रखरखाव पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा निर्धारित ऑडिटिंग मानकों सीएसएएस 1 से सीएसएएस 4 (''सीएसएएस'') के अनुसार किया। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि ऑडिटर वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं और योजनाओं का अनुपालन करे और लागू कानूनों के अनुपालन और रिकॉर्ड के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करे।

आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित ऑडिट की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत विवरण या भौतिक गैर–अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही ऑडिट ठीक से योजनाबद्ध हो और सीएसएएस के अनुसार किया गया हो। इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट, इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। औचक जांच आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रिकार्डो में सही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं की है और इसके लिए हमने सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूणता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)
ह0/–
सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रोप्राइटर)
एफसीएसः1807 सीपी सं.:14984
पीआरः 610/2019
एफआरएन : S2015UP440500
यूडीआईएनः F001807E000465633

दिनांकः 07 जून, 2023
स्थानः नोएडा

वर्ष 2022–23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में निहित टिप्पणियों के उत्तर

क्र. सं	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2022–23 में निहित टिप्पणियाँ	प्रबंधक का उत्तर
1.	कंपनी के निदेशक मंडल के आधे सदस्य, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(ख) और बोर्ड की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत अपेक्षित अनुसार स्वतंत्र निदेशक नहीं था।	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के प्रावधानों के अनुसार, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (आईआरसीओएन) एक सरकारी कंपनी है। कंपनी अधिनियम 2013 और इरकॉन संगम अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के बोर्ड में निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए, इरकॉन में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय, रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा नामित किए जाने तक, किसी भी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति में इरकॉन की कोई भूमिका नहीं होती है। कंपनी ने पहले ही बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है।

साभार

ह0/–
(बृजेश कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ अतिरिक्त प्रभार
(डीआईएनः 10092756)

दिनांकः 11 अगस्त, 2023
स्थानः नई दिल्ली

फार्म सं– एओसी–2

तीसरे पक्ष के प्रावधान के अंतर्गत निश्चित आर्म–लैंथ लेनदेनों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म सं. एओसी – 2

(कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम–8(2) के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(एच) के अनुसरण में)

1 संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : शून्य

सामग्री संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं (सभी महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण करार और संव्यवहार) : निम्नानुसार

क्र. सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो (रुपए करोड़ में)
1.	**इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	इरकॉन को इरकॉन एसजीटीएल द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में स्टेज–II पर किमी 236.000 से किमी 332.100 तक एनएच–46 के शिवपुरी–गुना, बी–पास खंड को चार लेन के निष्पादन के लिए ईपीसी समझौता प्रदान किया गया है।	**तिथिः** दिनांक 20.01.2021 का ईपीसी करार। **अवधिः** कार्य हेतु अवार्ड पत्र या साइट सौंपे जाने से 12 महीने की अवधि, जो कोई भी बाद में हो। इस अवधि को दिनांक 20 मई, 2022 तक बढ़ाया गया और इसे आगे बढाने की प्रक्रिया चल रही है।	**राशि** : वास्तविक लागत जमा मूल का 5 प्रतिशत	लागू नहीं	प्राप्त अग्रिम : शून्य अग्रिम का पुनर्भुगतान : 10.17 करोड़ रूपए
2.	**इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	इरकॉन को कर्नाटक राज्य में एनएच–48 के किमी 260+000 तक और 338+923 तक इरकॉन डीएचएचएल के लिए देवांगेरे हवेरी राजमार्ग परियोजना की इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण (एचपीसी) संविदा प्रदान की गई है!	**तिथिः** ईपीसी करार तिथि 04.01.2018. **अवधिः** इस कार्य की समापन अवधि, नियुक्ति तिथि या इरकॉन डीएचएचएल द्वारा भूमि सौंपे जाने की तिथि से 30 माह है। इसके अतिरिक्त, इसे इरकॉन के दिनांक 16.06.2021 के पत्र के तहत दिनांक 13.10.2024 तक बढा दिया गया है।	**राशिः** 916.93 करोड़ रुपए जमा जीएसटी	लागू नहीं	शून्य
3.	**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	इरकॉन को गुजरारत राज्य में 323+000 किमी से 355+000 किमी तक आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रेस–वे के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण (ईपीसी) संविदा प्रदान की गई है।	**तिथिः** दिनांक 09.11.2018 के शुद्धि पत्र–1 के तहत और दिनांक 10. 08.2019 के शुद्धिपत्र–2 को तहत यथा संशोधित दिनांक 03.01.2020 का ईपीसी पट्टा करार निष्पादित किया गया है। **अवधि** : समापन अवधि, नियुक्ति तिथि से 730 दिन है। इसे इरकॉन वीकेईएल के दिनांक 27.05.2022 के पत्र के तहत दिनांक 30.05.2022 तक बढाया गया और आगे समय समय पर इस अवधि को बढाया गया है।	**राशिः** 1377.73 करोड़ रुपए जमा जीएसटी।	लागू नहीं	शून्य

क्र. सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो (रुपए करोड़ में)
4.	**इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉन जीआरएचएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी।	इरकॉन को हरियाणा राज्य में फीडर मार्ग के रूप में एनएच–352डब्ल्यू (डिजाइन लंबाई 46.110 किमी) के गुड़गांव–पटौदी–रेवाड़ी खंड के उन्नयन के कार्य के लिए इरकॉन जीआरएचएल द्वारा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध प्रदान करना।	**तिथिः** दिनांक 30.06.2021 का ईपीसी करार और दिनांक 17.08.2022 का अनुपूरक करार सं.1 और दिनांक 30.03.2023 का अनुपूरक करार सं.2. **अवधिः** समापन अवधि का निर्धारण किसी भावी समय विस्तार सहित नियुक्ति तिथि से 730 दिन है।	**राशिः** 606.54 करोड़ रुपए जमा जीएसटी	लागू नहीं	14.06 करोड़ रूपए का अग्रिम प्राप्त हुआ। अग्रिम का पुनर्भुगतान – शून्य
5.	**इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लि. मिटेड (इरकॉन एएसईएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी।	इरकॉन को महाराष्ट्र राज्य में किमी 3.000 से किमी 20.200 तक वड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के शिरसाद से अकलोली खंड–एसपीयूआर तक आठ लेन एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध का कार्य आवंटित किया है।	**तिथि** : दिनांक 02.09.2022 का ईपीसी समझौता। **अवधि** : समापन अवधि का निर्धारण किसी भावी समय विस्तार सहित नियुक्ति तिथि से 548 दिन है।	**राशिः** 1060.23 करोड़ रूपए जमा जीएसटी	लागू नहीं	प्राप्त अग्रिम : 50 करोड़ रुपए अग्रिम भुगतान– शून्य
6.	**इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉन एलआरएचएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी।	इरकॉन को पंजाब राज्य में पैकेज– 3 (डिजाइन सीएच. 66+440 से डिजाइन सीएच. 90+500 और स्पर से खार डिजाइन सीएच. 0+000 से डिजाइन सीएच. 19+200, कुल लंबाई 43.26 किमी के लिए, मानेवाल (लुधियाना) के पास एनई–5 गाँव के साथ जंक्शन से भियोरा गाँव (रूपनगर) के पास रा.रा 205 के साथ जंक्शन, तक ग्रीनफील्ड लुधियाना – रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या रा.रा.–250K का चार / छह लेन का निर्माण कार्य हेतु इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण संविदा प्रदान की गई है।	**तिथि** : दिनांक 02.09.2022 का ईपीसी समझौता। **अवधि** : समापन अवधि का निर्धारण किसी भावी समय विस्तार सहित नियुक्ति तिथि से 730 दिन है।	**राशिः** 993.86 करोड़ रूपए जमा जीएसटी	लागू नहीं	शून्य
7.	**इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन बीएमईएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी।	इरकॉन को महाराष्ट्र राज्य में किमी 69.800 से किमी 79.783 तक वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के भोज से मोरबे सेक्शन – एसपीयूआर में आठ लेन एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध का आवंटन किया गया है।	**तिथि** : दिनांक 02.09.2022 का ईपीसी समझौता **अवधि** : समापन अवधि का निर्धारण किसी भावी समय विस्तार सहित नियुक्ति तिथि से 910 दिन है।	**राशि** : 1321.25 करोड़ रूपए जमा जीएसटी	लागू नहीं	शून्य

क्र. सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो (रुपए करोड़ में)
8.	**इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी।	इरकॉन को उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार बाईपास पैकेज–1 के किमी. 0+000 (एनएच–58 के किमी 188+100) से किमी 15+100 (एनएच 74 का 5+100 किमी) तक के उन्नयन और चार लेन के लिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध प्रदान करना।	**तिथिः** ईपीसी समझौता दिनांक 02.09.2022 **अवधि** : समापन अवधि का निर्धारण किसी भावी समय विस्तार सहित नियुक्ति तिथि से 730 दिन है।	**राशिः** 784.58 करोड़ रूपए जमा जीएसटी	लागू नहीं	प्राप्त अग्रिम : 24.78 करोड़ रुपए अग्रिम भुगतान– शून्य
9.	**छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)** संयुक्त उद्यम कंपनी	इरकॉन को सीईआरएल के लिए छत्तीसगढ में पूर्वी गलियारा रेल परियोजना का निष्पादन कार्य प्रदान किया गया है।	**तिथिः** दिनांक 18.01.2014 का परियोजना निष्पादन करार **अवधिः** रियायत करार की तर्ज पर रेल गलियारे के प्रचालनिक होने तक।	इरकॉन को शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति कार्य की वास्तविक लागत जमा संविदा के विशिष्ट प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नही	प्राप्त अग्रिम : 0.03 करोड़ रुपए अग्रिम भुगतान– 22.47 करोड़ रुपए
10	**छत्तीसगढ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यू आरएल)** संयुक्त उद्यम कंपनी	इरकॉन को सीईडब्ल्यूआरएल के लिए छत्तीसगढ में पूर्वी गलियारा रेल परियोजना का निष्पादन कार्य प्रदान किया गया।	**तिथिः** दिनांक 05.04.2014 का परियोजना निष्पादन करार **अवधिः** रियायत करार की तर्ज पर रेल गलियारे के प्रचालनिक होने तक।	इरकॉन को शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति कार्य की वास्तविक लागत जमा संविदा का विशिष्ट प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नही	प्राप्त अग्रिम : 104.15 करोड़ रुपए अग्रिम भुगतान– 31.82 करोड़ रुपए
11	**महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल),** संयुक्त उद्यम कंपनी	इरकॉन को एमसीआरएल द्वारा चिन्हित परियोजना लाइनों व साइडिंगों की व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन व निर्माण का कार्य प्रदान किया गया।	**तिथि** : दिनांक 19.04.2016 का परियोजना निष्पादन करार **अवधिः** सभी चयनित परियोजनाओं कें प्रचालन आरंभ तक।	इरकॉन को निर्माण के शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति एफआर व डीपीआर के लिए परियोजना लागत और संविदा के विशिष्ट प्रतिशत जमा वास्तविक परियोजना लागत के प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नही	प्राप्त अग्रिम : 4.63 करोड़ रुपए अग्रिम भुगतान– 2.41 करोड़ रुपए

क्र. सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो (रुपए करोड़ में)
12	**झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)** संयुक्त उद्यम कंपनी	इरकॉन को जेसीआरएल द्वारा चिह्नित परियोजना लाइनों व साइडिंगों की व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन व निर्माण का कार्य प्रदान किया गया।	**तिथिः** दिनांक 28.03.2016 का परियोजना निष्पादन करार **अवधिः** सभी चयनित परियोजनाओं कें प्रचालन आरंभ तकं।	इरकॉन को निर्माण के शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति एफआर व डीपीआर के लिए परियोजना लागत और संविदा के विशिष्ट प्रतिशत जमा वास्तविक परियोजना लागत के प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नही	प्राप्त अग्रिम : 74 करोड़ रुपए अग्रिम भुगतान– 54.80 करोड़ रुपए
13	**बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)** संयुक्त उद्यम कंपनी	इरकॉन को बीआरपीएल द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, अभिकल्प तैयार करने और चिह्नित परियोजना लाइनों और साइडिंगों के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया।	**तिथिः** परियोजना निष्पादन करार दिनांक 19.07.2017 **अवधि** : सभी चिह्नित परियोजना को आरंभ करने तक	इरकॉन को एफआर तथा डीपीआर के लिए परियोजना की लागत के प्रतिशत तथा कार्य की वास्तविक लागत जमा शिरोपरि कार्यों के प्रति संविदा संवर्धन का विशिष्ट प्रतिशत और निर्माण के लिए लाभ का भुगतान किया जाएगा।	लागू नहीं	शून्य

टिप्पणी :

1. उपरोक्त सभी लेनदेन को इरकॉन की ऑडिट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2. उपरोक्त लेन–देन के अलावा, लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित अन्य लेन–देन और व्यवस्थाएं, संबंधित पक्षों के साथ आर्म लैंथ आधार पर और व्यापार के सामान्य क्रम में दर्ज की गई हैं :
   (i) सेवाएं प्रदान करना या उनका लाभ उठाना – मशीनरी, जनशक्ति और अन्य संसाधनय कार्यालय स्थान का पट्टा, जनशक्ति की प्रतिनियुक्ति, प्रशासनिक जैसी सेवाएँ प्रदान करना या उनका लाभ उठाना, और सहायक / सहयोगी / जेवी कंपनियों से लागत के आधार पर प्रति लेनदेन 1 करोड़ रुपए मूल्य तक के सामान आदि की बिक्री और खरीद के लेनदेन, जिसके लिए लेखापरीक्षा समिति की सर्वग्राही मंजूरी दी गई थी।
3. उपरोक्त लेनदेन के अलावा, मध्यस्थता दावों के लिए आईएसटीपीएल से प्राप्त अग्रिमों के प्रति 45 करोड़ रुपए की राशि विद्यमान है।
4. सहायक कंपनियों और जेवी कंपनियों आदि को दिए गए ऋण, किए गए निवेश और उनके ऋण के संबंध में प्रदान की गई गारंटी। सदस्य, वित्तीय विवरणों का उल्लेख कर सकते हैं जो वित्तीय वर्ष के दौरान इंड एएस–24 के अनुसार संबंधित पर्क्ष प्रकटीकरण और इसके दौरान लेनदेन को भी निर्धारित करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
ह0 / –
(बृजेश कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एल / ए) एवं सीईओ
(डीआईएन : 10092756)

दिनांकः 11 अगस्त, 2023
स्थानः नई दिल्ली

स्टैंडएलोन
वित्तीय विवरण
2022-23

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं, जिसमें अल्जीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षाओं द्वारा लेखापीक्षा तिथि को समान वर्ष के लिए रिटर्न में शामिल किया गया है।

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और श्रीलंका (भारतीय भाग) में स्थित 3 (तीन) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। तथापि, हमने शाखाओं का दौरा नहीं किया है और लेखापरीक्षा के प्रयोजन से संगत सूचना हमें निगमित कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कम्पनी कार्यों के संदर्भ में कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, (''इंड एस'') के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संगत हैं तथा अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे इस तिथि को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं।

मत का आधार

हमने अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इंड एएस स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हम यह मानना है कि स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखापरीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए ''अन्य मामले'' पैराग्राम में संदर्भित हमारी रिपोर्ट के अनुरूप हमारे द्वारा और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय पर बल

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से संबंधित स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण पर निम्नलिखित नोटों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिस पर हमारे द्वारा जोर देने की आवश्यकता है।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित मौजूदा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में कुछ संशोधनों के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट सं.47 का संदर्भ लें। जैसा कि प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया है, कंपनी की लाभप्रदता पर ऐसे उपरोक्त संशोधनों के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

ख) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 8.1 के फुट नोट सं. (पपप) का संदर्भ लें, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में से एक, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) के वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किए गए हैं और कंपनी को आईआरएसडीसी में कंपनी द्वारा रखे गए निवेश के मूल्य में किसी हानि की कोई संभावना नहीं है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख मामले वो होते हैं जिनके प्रति चालू अवधि के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में हमारा व्यावसायिक निर्णय निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामले स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संदर्भ में पूर्ण रूप से विचार में लिया गया हैं तथा ऐसे मामलों के बारे में हम अपना मत अलग–अलग नहीं दे पा रहे हें। नीचे दी गई प्रस्तुति के अनुसार कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का हमने रिपोर्ट के माध्यम से सम्प्रेषण किए जाने के लिए निर्धारण किया है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
क) इंड एएस–115 ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' के संदर्भ में राजस्व मान्यता राजस्व पर लेखा मानक जो पांच चरणों के राजस्व मान्यता मॉडल को निर्धारित करता है। कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन करने के बाद समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करती है। राजस्व की मान्यता के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) और अन्य भुगतानों पर निष्पादन दायित्व के संतुष्टपूर्ण होने पर मूल्यांकन और निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी इनपुट पद्धति को लागू करके निष्पादन दायित्व का आकलन करती है। अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति से नहीं मापा जा सकता है, वहां आउटपुट पद्धति लागू होती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के निष्पादन को सदाशयी रूप से प्रदर्शित करती है। आर्डर को पूर्ण करते समय, संविदात्मक दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन आदेश या रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, कुल अनुमानित परियोजना लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो सकती है और इसलिए, अपेक्षित हानि की तत्काल पहचान की आवश्यकता होती है। इंड एएस–115 में संस्थाओं को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। भावी व्याख्या, कि हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में क्यों मानते हैं, इस प्रकार है: राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान, पहचाने गए निष्पादन दायित्वों के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, समय पर या समय के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्व लेखांकन मानक में प्रकटीकरण शामिल होता है, जिसमें अलग–अलग राजस्व के संबंध में जानकारी का मिलान शामिल होता है और अवधि जिसके दौरान शेष निष्पादन दायित्वों को तुलनपत्र की तारीख के बाद पूरा किया जाएगा। विवरण के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट–39 को देखें।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी की राजस्व मान्यता लेखा नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखा मानकों के अनुसार नीतियों के अनुपालन का आकलन करना शामिल था। पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित जानकारी की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। अनुबंधों के एक नमूने का चयन किया और विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान और निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है। हमने नमूना आधार पर प्रगतिरत कार्यों के शेष में शामिल लागतों की भी जांच की गई और अनुमानित लागत के साथ अनुबंधों के अनुसार शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों की तुलना करके उनकी वसूली का परीक्षण किया गया है। हमने इस बात पर विशेष ध्यान देने के साथ कि क्या अनुबंध में एकल निष्पादन दायित्व या एकाधिक निष्पादन दायित्व हैं और क्या निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या किसी समय पर संतुष्ट किया जा रहा है, राजस्व मान्यता पर वास्तविक प्रक्रियाओं का पालन किया है: • इन अनुबंधों में अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को पढ़ा गया, विश्लेषण किया गया और उनकी पहचान की गई। • इन निष्पादन दायित्वों की तुलना कंपनी द्वारा पहचानी गई और दर्ज की गई दायित्वों से की गई। • अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को आवंटित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने हेतु अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया गया। • जाँच की गई कि प्रदर्शन दायित्व समय की अवधि में या एक समय पर संतुष्ट हो रहा है या नहीं। • प्रकट किए गए राजस्व के औचित्य के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
आकस्मिक देयताएं आकस्मिक देयताएं : कंपनी के प्रति विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियां आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करने में प्रबंधन निर्णय की एक महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। (लेखांकन नीति सं. 2.2.16 के साथ पठित, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण ों का नोट संख्या–37 का संदर्भ लें)।	हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक गतिविधियों की समीक्षा करना। • सक्षम प्राधिकारियों के हाल के आदेशों की जांच करना और/या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त पत्राचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। • चर्चा के माध्यम से कंपनी के मतों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रहण, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित आउटफ्लो का निर्धारण करना।
सिस्टम परिवेश एवं आंतरिक नियंत्रण कंपनी के पास एसएपी प्रणाली विद्यमान है और केवल अएफआई–सीओ और पे–रोल माड्युल को ही क्रियान्वित किया गया है, और अन्य प्रणालियां जैसे इन्वेंटरी, एम.एम माडयुल आदि क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, एकीकरण सहायता के साथ एसएपी परियोजना सिस्टम माड्यूल (पीएस) की आवश्यकता परियोजना बीजकों को तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित है। कम्पनी की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पूर्णतः स्वचालित नहीं है तथा इसमें वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा रिपोर्टिंग के लिए मैनुअल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। आगे की व्याख्या हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में क्यों मानते हैं, इस प्रकार है: हमारी लेखापरीक्षा योजना और प्रक्रियाओं में विभिन्न रिपोर्टें भी शामिल हैं, जिन्हीं इस प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया जाता है और जिसके बिना तुलनपत्र के विभिन्न शीर्षों के डेटा एकत्र करना हमारे लिए कठिन है।	हमारे द्वारा अन्य अनेक प्रक्रियाओं के साथ साथ निम्नलिखित प्रक्रियाएं उपयोग में लाई गई हैं:– • प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश एवं प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर यह ज्ञात करने के लिए विचार विमर्श कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया गया है अथवा नहीं। • कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था से सम्बद्ध प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों के डिजाइन का परीक्षण। • हमारे द्वारा सिस्टम इंटरफेस पर कम्पनी के नियंत्रणों तथा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा अंतरण का परीक्षण भी किया गया है। • हमारे द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में संज्ञात्मक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग यह सुनिश्चय करने के लिए किया गया है कि क्या मैनुअल नियंत्रणों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, निगमित संचलन एवं शेयरधारकों की सूचना सहित प्रबंधन चर्चा, एवं विश्लेषणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल सूचना का समावेश किया जाता है परन्तु इसमें स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है।

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें दी गई सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रूप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आशय होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है।

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन एवं संचलन करने वाले प्रभारियों के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद–133, समय–समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह विवरणों के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अनुच्छेद–134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और स्टेंडएलोन एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है।

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विववरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन नीति (एसए) के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हमें व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान संशयात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। हम यह भी उल्लेख करते हैं कि:–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3)(प) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वस्तुतः स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरण, अलग–अलग अथवा सामुच्य, की वस्तुपरक जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इन वित्तीय विवरणों का औचित्य ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के कार्य क्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन; तथा (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए दुर्विववरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक मात्रा एवं गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षो और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

कार्पोरेट व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखा परीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

अन्य मामले

- हमने कंपनी के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल उन 3 (तीन) शाखाओं के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में विचारानुसार उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2023 को 515.86 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 577.99 करोड़ रुपए) की कुल परिसंपत्तियों तथा कुल राजस्व 393.77 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 444.69 करोड़ रुपए) और कर पूर्व लाभ 74.49 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 41.79 करोड़ रुपए) को प्रदर्शित करता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- वित्तीय विवरण में 0.08 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.09 करोड़ रुपए) का लाभ/(हानि), दो (2) एकीकृत संयुक्त परिचालन (अनिगमित) खातों में कंपनी की हिस्सेदारी शामिल है, जिनका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट की अन्य फर्मों द्वारा किया गया है और मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित दो (2) संयुक्त परिचालन खातों में कंपनी का हिस्सा 0.47 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.42 करोड़ रुपए) का लाभ/(हानि) शामिल है।

  अन्य मुद्दों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा–3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम अनुबंध–क के रूप में दे रहे हैं।
2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं

   (ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है और हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जहां हमने दौरा नहीं किया है।

   (ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनच्छेद–143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

   (घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ–हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (ड.) हमारे मतानुसार, उपयुक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2015 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

   (च) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर–463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा–164(2)के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख ''अनुबंध–ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ड.) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के कारण अधिनियम के अनुच्छेद–197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है –स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 37 का संदर्भ लें;

(ii) कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है–स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 19.2 में 'अपरिहार्य घाटों' का संदर्भ लें। कंपनी में काई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

(iv) क) प्रबंधन ने उल्लेख दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट संख्या 46 में प्रकटन किया गया है, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (मध्यस्थों) सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (अंतिम लाभार्थी) की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।

ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों में नोट संख्या 46 में प्रकटन किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभाथी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है।

ग) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

(v) जैसा कि स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2.2.15 में उल्लेख किया गया गया है:

क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–123 के अनुसार है और यह लाभांश के भुगतान के स्तर तक लागू होता है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश, अधिनियम की धारा–123 के अनुसार है।

ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। घोषित लाभांश, अधिनियम की धारा–123 के अनुसार उस सीमा तक है, जहां तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

3. लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3 (1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉगं) रिकॉर्ड करने की सुविधा है, कंपनी और उसकी शाखाओं पर 01 अप्रैल, 2023 से लागू है, और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
1.	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है। यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	कंपनी, भारत में स्थित अपनी सभी परियोजनाओं और अपनी विदेशी शाखाओं में भी एसएपी एस/4 हाना प्रणाली का उपयोग कर रही है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय बिलिंग को छोड़कर कोई भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई वित्तीय प्रभाव नहीं देखा गया था।
2.	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	जी, नहीं। कम्पनी के सम्मुख किसी विद्यमान ऋण अथवा उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना का कोई मामला नहीं है। हालांकि, कंपनी ने अपनी एक सहायक कंपनी, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) को ऋण दिया है। सहायक कंपनी के अनुरोध पर, कंपनी चालू वर्ष के लिए ब्याज को माफ कर दिया है। हालांकि, ने 18.73 करोड़ रुपए की राशि हेतु इंड एएस के अनुसार उचित मूल्यांकन आधार पर ब्याज को बुक किया है।
3.	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है।व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान केन्द्र/ राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है/प्राप्य नहीं है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 084072
यूडीआईएनः 23084072बीजीएसजेडब्ल्यूडी9026

दिनांकः 24 मई, 2023
स्थानः नई दिल्ली

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए 'अनुलग्नक–क'

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समतिथि रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की सामान्य लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि :

(प) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

क) क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है। ऐसे सत्यापनों में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, तुलनपत्र के तारीख को सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार और समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है), के शीर्षक/पट्टा विलेख संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत शामिल वित्तीय विवरण में प्रकटन कंपनी के नाम पर किए गए हैं। हालांकि, कुछ मामलों में जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते कंपनी के पक्ष में निष्पादित नहीं किए गए हैं, जैसा कि नोट संख्या 07 परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार के अतिरिक्त प्रकटीकरण में खुलासा किया गया है।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ड.) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ii) क) वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री (तृतीय पक्ष के पास रखे स्टॉक को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है। तीसरे पक्ष के पास पड़ी दरसूची के संबंध में, उनके द्वारा पर्याप्त रूप से पुष्टि की गई है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है। पुस्तक अभिलेखों के साथ भौतिक सत्यापन की तुलना करने पर सूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई है।

ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए, खंड 3(ii)(ख) का आदेश लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की हैं।

कंपनियों ने वर्ष के दौरान कंपनियों और अन्य पक्षों को गारंटी, स्वीकृत ऋण और ऋण की प्रकृति के अग्रिम प्रदान किए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी ने सीमित देयता भागीदारी फर्मों को वर्षों के दौरान ऋण की प्रकृति में गारंटी या ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

क) (क) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को निम्नानुसार ऋण दिया है:

(करोड़ रुपए में)

	गारंटी	ऋण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम
वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल राशि			
–सहायक कंपनियां*	3031.19	42.85	257.46
–संयुक्त उपक्रम*	327.60	–	116.11
तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया शेष			
–सहायक कंपनियां*	2807.17	315.33	525.99
–संयुक्त उपक्रम*	1361.36	–	181.71

'कंपनी अधिनियम के तहत*

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(ख) हमारे द्वारा की गई लेख परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अन्य पक्षों को ऋण की प्रकृति में अग्रिम निम्नानुसार प्रदान किया है:

(करोड़ रुपए में)

	ऋण की प्रकृति में अग्रिम– कर्मचारी अग्रिम
वर्ष के दौरान दी गई/ प्रदार की गई कुल राशि – अन्य पार्टियाँ	0.36
बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार बकाया बैलेंस – अन्य पार्टियाँ	1.32

ख) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश और प्रदान की गई गारंटी और वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम देने के नियम और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में, दिए गए ऋणों की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के मामले में, मूलधन के पुनर्भुगतान और रसीद की प्राप्ति, सामान्यत रूप से नियम के अनुसार की गई है, केवल इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) के मामले को छोडकर, जहां कंपनी ने दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए ब्याज माफ कर दिया है।

घ) कंपनी द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में, तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

ड.) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम, जो वर्ष के दौरान देय हो गया है, उसी पक्षों को दिए गए मौजूदा ऋणों की अधिक बकाया राशि को निपटाने के लिए नवीनीकृत या विस्तारित या नए ऋण दिए गए हैं।

च) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी पुनर्भुगतान की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना मांग पर चुकाने योग्य ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए खंड 3(पपप)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में कंपनी के, लागत रिकॉर्ड का रखरखाव, कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। हमने व्यापक स्तर पर अभिलेखों की समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और अभिलेख बनाए गए और अनुरक्षित रखे गए हैं । हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से अभिलेखों की कोई विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक हैं या पूर्ण हैं

(vii) क. कंपनी द्वारा सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय की राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास वर्ष के दौरान ही नियमित रूप से जमा कराया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इसके देय होनी की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए 31.03.2022 को कोई बकाया देय राशि नहीं है, बकाया शेष को छोड़कर।

ख) उप–खंड (क) में संदर्भित वैधानिक बकाया का विवरण, जो विवाद के कारण 31.03.2022 तक जमा नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों का नाम	बकायाँ राशि (करोड़ रुपए में)*	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
1	बिक्री कर	बिक्री कर–एजीआरपी	0.50	2007–08 से 2012–13	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
2	बिक्री कर	बिक्री कर –एजीआरपी	0.02	2008–09 से 2013–14	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
3	बिक्री कर	उ.प्र. व्यापार कर –यूपी01	3.89	2004–05 से 2007–08	आकलन प्राधिकारी
4	बिक्री कर	उ.प्र. व्यापार कर –यूपी01	0.16	2007–08	आकलन प्राधिकारी
5	बिक्री कर	उ.प्र. व्यापार कर –यूपी01	3.41	2007–08 से 2008–09	आकलन प्राधिकारी
6	बिक्री कर	उ.प्र. व्यापार कर –यूपी01	0.15	2007–08 से 2009–10	आकलन प्राधिकारी
7	बिक्री कर	उ.प्र.वेट अधिनियम–यूपी01	0.01	2010–11	उपायुक्त

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों का नाम	बकायाँ राशि (करोड़ रुपए में)*	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
8	बिक्री कर	बिक्री कर–बीई.08	0.26	2007–08 से 2009–10	अपर आयुक्त अपील नोएडा
9	बिक्री कर	बिक्री कर–बीई–08 प्रवेश कर	0.00	2014–15	अपर आयुक्त अपील नोएडा
10	बिक्री कर	यूपीटीटी–यूपी –05	1.31	2006–07 से 2007–08	अधिकरण झांसी शाखा
11	बिक्री कर	यूटीपीपी:यूपी–05	0.01	2005–06	उच्च न्यायालय इलाहबाद
12	बिक्री कर	यूपी वेट–यूपी–05	3.27	2007–08 से 2009–10	अधिकरण झांसी शाखा
13	बिक्री कर	बिक्रीकर 2020–11 जीईडी,	0.05	2010–11	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मरगांव
14	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर के लिए उत्पन्न मांग	0.08	1982–83 और 1989–90	अपील प्राधिकारी, झांसी
15	बिक्री कर	बिक्रीकर जीईडी, गोवा	0.50	2011–12 से 2014–15	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मरगांव
16	बिक्री कर	प्रस्तुत मांग	1.19	2006–07	वेट अधिकरण, चंडीगढ़
17	सेवा कर	सेवा कर मांग	0.55	2015–16 से 2017–18	सीईएसटीएटी इलाहाबाद
18	सेवा कर	सेवा कर मांग	0.56	2015–16	उप/सहायक आयुक्त जयपुर
19	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 1948	यूपी बिक्री कर – खंड 3	1.24	2005–06 और 2006–07	अधिकरण में अपील लंबित है
20	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	यूपी वेट (नियमित) खंड 28(2)	0.12	2015–16 से 2017–18	मूल्यांकन आदेश प्राप्त हो गया है। अपील की जाएगी।
21	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	यूपी वेट (नियमित) खंड 28(2)	0.03	2016–17	मूल्यांकन आदेश प्राप्त हो गया है। अपील की जाएगी।
22	महाराष्ट्र जीएसटी अधिनियम, 2017	जीएसटी अधिनियम, 2017, धारा 73 के अंतर्गत मांग	0.44	2018–19	मूल्यांकन आदेश प्राप्त हो गया है। अपील की जाएगी।
23	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 1948	यूपी प्रवेश कर – जी टी नगर	0.05	2002–03 और 2003–04	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
24	जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	18.71	1999–00 से 2005–06	जम्मू और कश्मीर न्यायालय, जम्मू तथा उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील) श्रीनगर
25	बिक्री कर–एमआरओ	बिक्री कर –एमआरओ	3.51	1995–96 और 1996–97	मुम्बई उच्च न्यायालय
26	बिक्री कर–एमआरओ	बिक्री कर –एमआरओ	3.97	2010–11, 2011–12	सेवा कर कार्यालय, मुंबई
27	पश्चिम बंगाल राज्य बिक्री कर अधिनियम 1994	बिक्री कर	0.26	1998–99	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (अपील) बिक्री कर, वेस्ट बंगाल
28	पश्चिम बंगाल वेट अधिनियम, 2003	वेट	1.80	2004–05, 2016–17 और 2017–18	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, कॉलेज सेंट चार्ज कोलकाता
29	सेवाकर	सेवाकर (बेहाला)	0.87	2015–16 से 2016–17	संयुक्त/अपर आयुक्त कोलकाता
30	सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	12.91	2010–11 से 2014–15	सीईएसटीएटी
31	सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	5.60	2009–10 से 2013–14	सीईएसटीएटी
32	सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	2.06	2016–17 से 2017–18	सीईएसटीएटी

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों का नाम	बकायाँ राशि (करोड़ रुपए में)*	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
33	बिहार वेट अधिनियम	वेट टीडीएस	5.98	2005–06 और 2006–07	बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सर्किल पटना
34	बिहार वेट अधिनियम	वेट	0.003	2010–11	बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सर्किल पटना
35	बिहार वेट अधिनियम	वेट	29.02	2012–13	बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सर्किल पटना
36	सेवाकर	सेवाकर जगदलपुर	2.84	2016–17 से 2017–18	केन्द्रीय आयुक्त और सीमाशुल्क अपील, छत्तीसगढ के समक्ष अपील दायर
37	बिहार वेट अधिनियम	बिहार वेट	33.46	2013–14	उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर
38	बिहार वेट अधिनियम	बिहार वेट	25.54	2014–15	उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर
39	सेवाकर	सेवाकर	2.16	2015–16	सीईएसटीएटी, कोलकाता
40	बिहार वेट अधिनियम 2005	धारा 31 के अंतर्गत नियमित मूल्यांकन	0.92	2015–16	मूल्यांकन आदेश प्राप्त हो गया है। अपील की जाएगी।
41	सीमा शुल्क अधिनियम, 1944	ब्रेकेट/केंटिलीवर एसेंबली पर सीमाशुल्क	0.66	1998–99	सीईएसटीएटी, (अपील विभाग)
42	एफडीटीआर, 1992	डीजीएफटी जुर्माना लगाना	2.89	1990–91 और 192–93	दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील
43	यूपी वेट अधिनियम	बिक्री कर हेतु मांग	1.19	2010–11	डीसी/बिक्रीकर/आरबीएल को उपयुक्त मामले के पुनःआकलन हेतु दिनांक 01.03.2019 को मामले पर अपर आयुक्त गेड–2 ने रिमांड किया है
44	यूपी वेट अधिनियम	बिक्री कर हेतु मांग	0.14	2011–12	डीसी/बिक्रीकर/आरबीएल को उपयुक्त मामले के पुनःआकलन हेतु दिनांक 28.03.20 को मामले पर अपर आयुक्त गेड–2 ने रिमांड किया है
45	यूपी वेट अधिनियम	बिक्री कर हेतु मांग	38.41	2012–13 से 2016–17	अपर आयुक्त गेड–2 (अपील) लखनऊ
46	यूपी वेट अधिनियम 2008	यूपी वेट (नियमित) खंड 28(2)	6.81	2017–18	अपर आयुक्त गेड–2 (अपील) लखनऊ
47	बिहार वैट अधिनियम 2005	धारा 31 के तहत नियमित मूल्यांकन	19.63	2016–17	आकलन आदेश प्राप्त हो गया है। अपील को प्राथमिकता दी जाएगी
48	बिहार जीएसटी अधिनियम, 2017	धारा 73(9) के तहत मांग आदेश	3.83	2017–18	आकलन आदेश प्राप्त हो गया है। अपील को प्राथमिकता दी जाएगी
49	आयकर	आकलन मांग	0.88	वि.व. 2018–19 और 2019–20	आईटीएटी

*जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है और हमारे द्वारा भरोसा किया गया है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर पूर्व में रिकार्ड न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं की गई है, जिसे कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो।

(ix) क) कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक रूप से चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इसके पास वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

घ) कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ड.) कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश का खंड 3 (ix) (च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(x) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान इनीशियल पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में केंद्रीय सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

ग) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, जैसा कि निधि नियम, 2014 में निर्दिष्ट है। इस प्रकार, आदेश के पैरा 3 (xii)(क)(ख) और (ग) के तहत आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणों में विवरण का प्रकटन किया गया है।

(xiv) क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने लेखापरीक्षा की अवधि के लिए अब तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं

(xvi) क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (क) और 3(xvi) (ख) लागू नहीं हैं।

ख) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3(xvi)(ग) लागू नहीं है।

ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार समूह के भाग के रूप में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है), इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi) (घ) पर रिपोर्ट करने के अपेक्षा यहां लागू नहीं है। की आवश्यकता है।

(xvii) कंपनी को चालू और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। इसलिए, आदेश का खंड 3 (xviii) लागू नहीं होता है।

(xix) वित्तीय परिसंपत्तियों के वित्तीय अनुपात, उनकी आयु, उनकी वसूली की संभावित तिथि तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, अन्य संलग्न वित्तीय विवरणों और निदेषक मंडल और प्रबंधन की योजना के संबंध में हमारे ज्ञान के आधार पर और अनुमानों के पक्ष में साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास करना पड़े कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख को अपनी मौजूदा देयताओं को तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं है, को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निष्पादित कर दिया है।

(xx) क) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरण की आवश्यकता वाली चालू परियोजनाओं के अलावा, अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xx)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) चालू परियोजनाओं के संबंध में कोई अव्ययित राशि नहीं है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में स्थानांतरित करना अपेक्षित हो। इसलिए, आदेश के खंड 3(xx)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 084072
यूडीआईएनः 23084072बीजीएसजेडब्ल्यूडी9026

दिनांकः 24 मई, 2023
स्थानः नई दिल्ली

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुबंध–ख''।

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड–143 के उप खंड–3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2023 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड–143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपस्थित है और दिनांक 31 मार्च 2023 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं जो भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियिंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की लपेखपरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मपदंड का आधारित है। तथापि, आंतरिक नियंत्रण का हमारी लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2023 को चिह्नित निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में और अधिक सुदृढ बनाने की आवश्यकता हैः

क. कंपनी के पास एक एकीकृत ईआरपी प्रणाली है, जिसका उपयोग इसकी पूरी क्षमता से नहीं किया गया था। इसके अलावा, सेप परियोजना प्रणाली माड्युल (पीएस) को एकीकरण सहायता के साथ परियोजना इन्वाइस के सृजन की आवश्यकता होती है।

ख. कुछ इकाइयों में इन्वेटरी रिकार्डों का अनुरक्षण मानवीय रूप में किया जा रहा है और सेप में इन्वेटरी नियमावली पर विचार किया जा रहा है।

उपर्युक्त विषयों पर हमारा मत शोधनीय नहीं हे।

अन्य मुद्दे

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो शाखाओं/क्षेत्र से संबंधित है, की पर्याप्तता और प्रचालन कुशलता पर अधिनियम के खंड–143(3)(प) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट हमारे लेखापरीक्षकों की अनुवर्ती रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और यह सामग्रीगत खामी कंपनी के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे मद को प्रभावित नहीं करती है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 084072
यूडीआईएनः 23084072बीजीएसजेडब्ल्यूडी9026

दिनांकः 24 मई, 2023
स्थानः नई दिल्ली

स्टेंडएलोन तुलन पत्र

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
I.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	3	178.65	188.29
	(ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	4	–	–
	(ग) निवेश संपत्ति	5	552.31	555.18
	(घ अमूर्त परिसंपत्तियां	6	8.69	0.44
	(ड.) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	6	2.59	9.79
	(च) प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां	7	4.40	4.43
	(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां	8		
	(i) निवेश	8.1	2,037.60	1,714.19
	(ii) ऋण	8.2	315.84	283.47
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8.3	22.82	17.90
	(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियां/निवल	9	114.60	84.15
	(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	10	91.34	30.00
	कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		**3,328.84**	**2,887.84**
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) दरसूचियां	11	206.44	272.26
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां	12		
	(i) निवेश	12.1	99.99	50.00
	(ii) व्यापार प्राप्य	12.2	868.73	709.16
	(iii) रोकड और रोकड समतुल्य	12.3	2,168.41	1,206.20
	(iv) अन्य बैंक शेष	12.4	2,616.91	4,133.77
	(v) ऋण	12.5	30.14	31.65
	(vi) अन्य	12.6	1,603.70	1,223.55
	(ग) चालू कर परिसंपत्तियां /निवल	13	154.86	56.26
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	14	2,598.38	2,156.52
			10,347.56	9,839.37
	बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां	15	0.01	0.27
	कुल चालू परिसंपत्तियां		**10,347.57**	**9,839.64**
	कुल परिसंपत्तियां		**13,676.41**	**12,727.48**
II.	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	क **इक्विटी शेयर पूंजी**	16	188.10	188.10
	ख **अन्य इक्विटी**	17	4,990.38	4,432.86
	कुल इक्विटी		**5,178.48**	**4,620.96**

स्टेंडएलोन तुलन पत्र

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर चालू देयताएं**			
	क वित्तीय देयताएं	18		
	(i) ऋण	18.1	–	–
	(ii) पट्टा देयताएं	18.2	0.42	0.15
	(ii) व्यापार प्राप्य	18.3		
	– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों की कुल बकाया देय राशियां		–	–
	– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय राशियां		–	–
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18.4	653.00	505.68
	ख प्रावधान	19	119.69	79.70
	ग अन्य गैर चालू देयताएं	20	759.24	502.79
	कुल गैर चालू देयताएं		**1,532.35**	**1,088.32**
(ii)	**चालू देयताएं**			
	क वित्तीय देयताएं	21		
	(i) ऋण	21.1	–	–
	(ii) पट्टा देयताएं	21.2	0.09	0.01
	(i) व्यापार प्राप्य	21.3		
	– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों की कुल बकाया देय राशियां		9.24	3.21
	– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय राशियां		802.17	1,007.12
	(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	21.4	2,690.76	2,587.27
	ख अन्य चालू देयताएं	22	3,233.78	3,196.02
	ग प्रावधान	19	201.05	211.04
	घ चालू कर देयताएं/निवल	23	28.49	13.53
	कुल चालू देयताएं		**6,965.58**	**7,018.20**
	कुल इक्विटी और देयताएं		**13676.41**	**12,727.48**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	2		
IV.	वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट	1 – 49		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
एम. नं. 084072

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डिन–09575213

ह0/–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डिन–10092756

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई 2023

स्टेंडएलोन लाभ और हानि विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	राजस्व:			
	प्रचालनों से राजस्व	24	9,921.20	6,910.15
II.	अन्य आय	25	340.43	270.85
III.	**कुल आय (I + II)**		**10,261.63**	**7,181.00**
IV.	**व्यय:**			
	प्रयुक्त सामग्री और भंडारण	26 (i)	392.08	512.13
	डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि)/कमी	26 (ii)	45.60	(165.26)
	परियोजना व्यय	26 (iii)	8,591.93	5,892.51
	कर्मचारी लाभ व्यय	27	264.70	248.59
	वित्त लागतें	28	2.80	3.37
	मूल्यह्रास परिशोधन एवं घाटा	29	37.73	27.49
	अन्य व्यय	26 (iii)	43.60	52.11
	कुल आय (IV)		**9,378.44**	**6,570.94**
V.	आपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ(III-IV)		883.19	610.06
VI.	आपवादिक मदें		–	–
VII.	कर पूर्व लाभ (v+vi)		883.19	610.06
VIII.	कर व्यय :			
	(1) चालू कर	9		
	– अवधि हेतु		215.33	159.87
	– पूर्ववती वर्षों हेतु (निवल)		(78.53)	(92.53)
	(2) आस्थगित कर (निवल)		(30.44)	(1.60)
	कुल कर व्यय		**106.36**	**65.74**
IX	**निरंतर प्रचालनों से वर्ष हेतु लाभ (VII-VIII)**		**776.83**	**544.32**
X	**अन्य वृहत आय**	30		
	क) (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		1.95	(0.80)
	(ii) मदों संबंधी आयकर, जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकत नही किया जाएगा		(0.49)	0.20
	ख) (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		12.90	6.21
	(ii) लाभ या हानि में पुनःवगीकृत किए जाने वाले मदों संबंधी आय कर		(3.25)	(1.56)
			11.11	**4.05**
XI	**वर्ष के लिए कुल वृहत आय (IX+X) (वर्ष क लिए लाभ और अन्य वृहत आय, कर का निवल)**		**787.94**	**548.37**
XII	प्रति इक्विटी शेयर आमदनी:			
	(निरंतर प्रचालन हेतु)			
	(1) मूल	35	8.26	5.79
	(2) विलयित		8.26	5.79
	प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य		2.00	2.00
XIII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	2		
XIV	वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट	1 – 49		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
एम. नं. 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई 2023

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डिन–09575213

ह0/–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डिन–10092756

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्टेंडएलोन रोकड प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		**883.19**	**610.06**
समायोजनः			
वित्तीय लिखत के निष्पादन पर ब्याज (निवल)		(18.64)	(15.45)
वित्तीय लिखत का परिशोधन (निवल)		(0.14)	(0.82)
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति		37.73	27.49
परिसंपतियों (निवल) की बिक्री पर हानि		(2.45)	(1.00)
म्यूचुवल फंड की बिक्री पर लाभ		(0.32)	(1.15)
वित्तीय लागत		2.35	2.91
ब्याज आय		(191.45)	(154.79)
संयुक्त उपक्रम कंपनी से प्राप्त लाभांश		(69.00)	(41.00)
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समतुल्य के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		(3.72)	14.09
चालू व गैर चालू परिसिंपत्तियों व देयताओं से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**637.55**	**440.34**
समायोजनः			
व्यापार प्राप्यों में (कमी)/वृद्धि		(159.57)	(204.53)
दरसूची में (कमी)/वृद्धि		65.82	(154.66)
कर्ज व अन्य संपत्तियों व वित्तीय संपत्तियों में (कमी)/वृद्धि		(816.18)	(466.39)
व्यापार प्राप्यों में (कमी)/वृद्धि		(198.91)	272.44
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		402.79	1,470.96
	(2)	**(706.05)**	**917.82**
प्रचालन से सृजित नकद	**(1+2)**	**(68.50)**	**1,358.16**
प्रदत्त आय कर		(51.40)	(6.99)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़	**(क)**	**(119.90)**	**1,351.17**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों की खरीद		(12.76)	(4.51)
अमूर्त परिसंपत्त्यिों का अधिग्रहण और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		(1.90)	(0.42)
निवेश परिसंपत्तियों का क्रय/धनराशि		(9.54)	(0.07)
परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपरकणों और अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		2.44	1.34
म्यूचुल फंडों की खरीद		81.56	1,246.59
म्यूचुल फंडों की बिक्री		(81.24)	(1,245.44)
सहायक कंपनियों को कर्ज		(61.75)	3.56
सहायक कंपनियों से कर्ज का पुनर्भुगतान		31.00	1,160.50
प्राप्त ब्याज		170.64	145.12
संयुक्त उद्यम कंपनियों से प्राप्त लाभांश		69.00	41.00
सहायक कंपनियों और संयक्त उद्यम कंपनियों में निवेश		(423.42)	(278.63)
बांडों का रिडंप्शन		50.00	16.31
रोकड और रोकड समतुल्यों के अलावा बैंक शेष		1,495.68	(1,201.69)
निवेश गतिविधियों से निवल नकद	**(ख)**	**1309.71**	**(116.34)**
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पट्टा देयताओं का भगतान		(0.01)	(0.01)
प्रदत्त वित्तीय लागत		(0.89)	(2.91)
प्रदत्त अंतिम लाभांश		(61.13)	(159.89)
प्रदत्त अंतरिम लाभांश		(169.29)	(174.00)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(x)**	**(231.32)**	**(336.81)**
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)	3.72	(14.09)
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध कमी	**(क+ख +ग+घ)**	**962.21**	**883.93**

स्टेंडएलोन रोकड प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड में)

विवरण		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक) (संदर्भ नोट 2, 3 और 4)	(ड.)	**1,206.20**	**322.27**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) (संदर्भ नोट 2, 3 और 4)	(च)	**2,168.41**	**1,206.20**
नगदी तथा नगदी समतुल्य में वृद्धि / (कमी)	(च. - ड.)	**962.21**	**883.93**

नोट :

1. उपर्युक्त रोकड़ प्रवाह को रोकड़ प्रवाह विवरण पर इंड–एएस 7 के भारतीय लेखांकन मानका में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।
2. रोकड और रोकड समतुल्यों का समायोजन तथा रोकड एवं रोकड समतूल्यों के घटाकों को उपर्युक्त स्टेंडएलोन रोकड व्रवाह विवरण में शामिल किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
उपलब्ध रोकड	0.09	0.06
पारगमन में राशि	13.61	-
बैंकों में शेष:		
–चालू खाता	380.90	863.83
–फ्लेक्सी खाता	173.35	241.42
- 3 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां	1,600.46	100.89
तुलन पत्र और स्टेंडएलोन रोकड प्रवाह विवरण के अनुसार कुल रोकड और रोकड समतुल्य	**2,168.41**	**1,206.20**

3. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न तुलनपत्र में आरंभिक और समापन शेष के बीच समायोजन (₹ करोड़ में)

विवरण	पट्टा देयताएं
1 अप्रैल 2021 को	**0.16**
क. वर्ष के दौरान रोकड प्रवाह	(0.01)
ख. गैर रोकड परिवर्तनों के कारण :	
पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत	0.01
31 मार्च 2022 को	**0.16**
क. वर्ष के दौरान रोकड प्रवाह	(0.01)
ख. गैर रोकड परिवर्तनों के कारण :	
पट्टा देयता में संवर्धन	0.34
पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत	0.02
31 मार्च 2023 को	**0.51**

4. पूर्व वर्षों के आंकडों को पुनःसमूहित / पुनःवर्गीकृत और पुनःवर्णित किया गया है, जहां लागू हुआ।
5. निर्धारित और प्रतिबंधित शेषों को नोट सं. 12.3 तथा 12.4 में दर्शाया गया है।
6. प्रकोष्ठ के आंकडे रोकड के आउटफ्लों को दर्शाते हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0 / –
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
एम. नं. 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई 2023

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0 / –
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डिन–09575213

ह0 / –
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0 / –
बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डिन–10092756

ह0 / –
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्टेंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल 2021 को शेष	94.05
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	94.05
31 मार्च 2022 को शेष	188.10
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	–
31 मार्च 2023 को शेष	188.10

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनियां	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2021 को शेष	**3,333.71**	**978.87**	**4.93**	**(5.08)**	**4,312.43**
वर्ष के लिए लाभ	–	544.32	–	–	544.32
अन्य वृहत आय					**–**
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	–	(0.60)	–	–	(0.60)
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर	–	–	–	4.65	4.65
अवधि के लिए कुल वृहत आय	**–**	**543.72**	**–**	**4.65**	**548.37**
प्रदत्त लाभांश	–	(333.89)	–	–	(333.89)
बोनस इश्यु	–	(94.05)	–	–	(94.05)
31 मार्च 2022 को शेष	**3,333.71**	**1,094.65**	**4.93**	**(0.43)**	**4,432.86**

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनियां	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2022 को शेष	**3,333.71**	**1,094.65**	**4.93**	**(0.43)**	**4,432.86**
वर्ष के लिए लाभ	–	776.83	–	–	776.83
अन्य वृहत आय					**–**
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	–	1.46	–	–	1.46
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर	–		–	9.65	9.65
अवधि के लिए कुल वृहत आय	**–**	**778.29**	**–**	**9.65**	**787.94**
प्रदत्त लाभांश	–	(230.42)	–	–	(230.42)
31 मार्च 2023 को शेष	**3,333.71**	**1,642.52**	**4.93**	**9.22**	**4,990.38**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
एम. नं. 084072

स्थानः नई दिल्ली
~~गुरुवार~~ 27 ~~मई~~ 2023

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डिन–09575213

ह0/–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डिन–10092756

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

1 निगमित सूचना

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड टर्नकी आधार एवं अन्य आधार पर रेल परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त, मुख्यतः अवसंरचना परियोजनाओं पर कार्य करने वाली भारतीय मूल (सीआईएन : एल45203डीएल1976जीओआई008171) की सार्वजनिक क्षेत्र की एक निर्माण कम्पनी है तथा इसका निगमन भारत में लागू कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है। रेल निर्माण कंपनी के रूप में अपना व्यवसाय आरंभ करने के पश्चात, इसने सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन तथा संवितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मैट्रो रेल के क्षेत्रों में शनैः शनैः अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। यह कंपनी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित; अनुसूची ''क'' की सार्वजनिक क्षेत्र की एक मिनि रत्न श्रेणी–। कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है तथा इसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बीएसई में सूचीबद्ध हैं।

कम्पनी द्वारा प्रतिपादन की जाने वाली एवं कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़ों की प्रस्तुति, प्रति शेयर डेटा एवं किए गए अन्यथा उल्लेख के अलावा, दो दशमलव तक राउंड ऑफ करके करोड़ में की गई है।

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 24 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम–3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची 3) की अनुसूची–3 के भाग–2, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप :

वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप नीचे प्रस्तुत किया गया है। इन लेखांकन नीतियों का उपयोग लेखांकन विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधि के लिए समान रूप से किया गया है।

2.2.1 चालू एवं गैर–चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर बेची जानी संभावित है।
- रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, बशर्ते, विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए उपस्थित नहीं है।

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह महीनों के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

परिचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन

लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को अप्रत्यक्ष निर्माण लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, उस सीमा तक व्यय सीधे निर्माण से संबंधित होता है या उसके लिए प्रासंगिक होता है।

ड.) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है। उपयोज्यता काल का मूल्यांकन, तकनीकी मूल्यांकन, संपत्ति के इन वर्गों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, संपत्ति से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर संपत्ति का अनुमानित उपयोग के आधार पर किया गया है। अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II की तुलना में तकनीकी मूल्यांकन अनुमानित उपयोगी जीवन का प्रकटन खातों की टिप्पणियों में किया गया है।

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रुपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रुपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.2.4 निवेश परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है। निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास

निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानि,यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है।

अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्य ह्रास क्रय/निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

कम्पनी अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.5 अमूर्त परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों,यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन/घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से/निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

स्वीकृति समाप्ति

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व–कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या

संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.2.7 सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों के उपकरणों में निवेश

सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों के इक्विटी उपकरणों में किया गया निवेश इंड एएस 27 ''अलग वित्तीय विवरण'' में किया गया है। जब किसी निवेश की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूलीयोग्य राशि से अधिक होती है तो उसके अनुमान वसूलीयोग्यता के अनुसार लगाए जाते हैं तथा स्थाई होने के मामले में लाभ एवं हानि विवरण में ह्रास के प्रावधान किए जाते हैं। ऐसे निवेश का निपटान करने पर निवल निपटान प्राप्ति एवं वहन राशि के मध्य के अंतर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

संयुक्त परिचालनों में हित

संयुक्त परिचालक के रूप में कम्पनी द्वारा संयुक्त परिचालनों, संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत अन्य पक्षकारों के साथ संयुक्त रूप से धारित/वहन की गई परिसम्पतियों/देयताओं के अंशभाग के हितों को संज्ञान में लिया जाता है। ऐसे संयुक्त परिचालनों में किए गए कार्यों की बिक्री से प्राप्त राजस्व अंश भाग की स्वीकृति की जाती है। व्ययों की स्वीकृति संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत अन्य पक्षकारों के साथ संयुक्त रूप से किए गए व्ययों के अंशभाग के अनुसार की जाती है।

2.2.8 मालसूचियां

क) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ख) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

ग) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

घ) नो कास्ट प्लस संविदा, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

ङ) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.2.9 राजस्व स्वीकृति

कम्पनी अपने परिचालन निर्माण उद्योग में करती है तथा इसके द्वारा अर्जित किया जाने वाला राजस्व मुख्यतः इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति एवं निर्माण कार्यों से प्राप्त होता है। ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदाओं में रेलवे के निर्माण कार्य, सड़क एवं राजमार्ग के निर्माण, वाणिज्यिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण, विद्युतिकरण कार्य एवं अन्य कार्य हैं। ऐसे संविदाओं के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में जियोटैक्निकल जांच, टोपोग्राफिक्ल सर्वेक्षण, संसाधन योजना, विस्तृत योजना रिपोर्ट का निर्माण, निर्माण, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, सामग्रियों की आपूर्ति, सिस्टम पुनर्विकास, संस्थापन, परियोजना प्रबंधन, परिचालन एवं प्रबंधन इत्यादि (''जिसे एक साथ निर्माण संबंधी सेवाएं'' कहा जाता है) कार्य हैं। कम्पनी द्वारा ये निर्माण सेवाएं नियत दर, टर्नकी आधार एवं कास्ट प्लस आधार पर प्रदान की जाती हैं।

ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदा से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब माल एवं सेवाओं का अंतरण को उस राशि के प्रति प्राप्त हो जाता है जिसकी प्राप्ति की प्रत्याशा कम्पनी द्वारा ऐसे माल एवं सेवाओं के विनिमय के प्रति की गई है।

क) ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व

राजस्व का संव्यवहार के उस उचित मूल्य पर मापन करके किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के रूप में निर्धारित है तथा जिसमें तृतीय पक्षकारों की ओर से संग्रह की गई राशियां शामिल नहीं हैं तथा जिसका समायोजन परिवर्तनीय प्रतिफल के निमित्त किया जाता है। कम्पनी के संविदा की प्रकृति में मूल्यवर्धन एवं निर्णित हर्जाने सहित अनेक प्रकार के परिवर्तनीय प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। संव्यवहार मूल्य में किसी प्रकार के अनुवर्ती परिवर्तन को तदनुसार संविदा के प्रारंभ से समान आधार पर निष्पादन दायित्वों से संबद्ध कर लिया जाता है। कम्पनी द्वारा परिवर्तनीय प्रतिफल को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ऐसी संभावना हो कि स्वीकृत की गई

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

संचित राशि के राजस्व में व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कम्पनी यथोचित लेखा विधि के उपयोग से परिवर्तनीय प्रतिफल के प्रति स्वीकृत की जाने वाली राजस्व की राशि के अनुमान निर्धारित करती है। इसके परिणामस्वरूप संव्यवहार मूल्य परिवर्तन की अवधि के संबंध में किसी संतोषजनक निष्पादन के लिए निर्धारित राशियों की पुनःस्वीकृति राजस्व के रूप के रूप की जाती है अथवा राजस्व में कमी की जाती है।

संविदा संशोधनों का लेखांकन तब किया जाता है जब आवर्धन, विलोपन अथवा परिवर्तन के संबंध में संविदा के कार्यक्षेत्र अथवा संविदा मूल्य में अनुमोदन प्रदान किए गए हों। संविदाओं में संशोधनों का लेखांकन करने की क्रिया में यह मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या इसमें जोड़ी गई सेवाएं पृथक हैं अथवा नहीं हैं तथा क्या मूल्यन स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य पर किया गया है अथवा नहीं किया गया है। जोड़ी गई वे सेवाएं, जो पृथक नहीं हैं, का लेखांकन संचयी कैच अप आधार पर किया जाता है जबकि जो पृथक होती हैं, उनका लेखांकन उत्तरव्यापी प्रभाव से या तो संविदा के अंतर्गत किया जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्यन स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य के अनुसार है, अथवा यदि मूल्यन स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य के अनुसार नहीं है तो विद्यमान संविदा को समाप्त करके तथा नया संविदा करके किया जाता है।

निम्नलिखित मापदंड पूर्ण होने की स्थिति में ही कम्पनी द्वारा किसी निष्पादन दायित्व को पूर्ण कर लिया माना जाता है तथा समयानुकूल राजस्व स्वीकृति की जाती है:

- इकाई की निष्पादन क्रिया में प्रदान किए गए इकाई के निष्पादन ग्राहक को साथ साथ प्राप्त हुए हैं तथा उनके लाभों का उपयोग कर लिया गया है।
- इकाई द्वारा किए गए निष्पादन से किसी परिसम्पति (उदाहरणतः, कार्य प्रगति पर) का सृजन अथवा संवर्धन हुआ है तथा परिसम्पति के सृजन अथवा संवर्धन के साथ साथ ग्राहक को नियंत्रण प्राप्त हो गया है अथवा
- इकाई के निष्पादन से इकाई द्वारा किसी वैकल्पिक उपयोग के लिए किसी परिसम्पति का सृजन नहीं हुआ है तथा इकाई के पास निष्पादन पूरा किए जाने की तिथि तक के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

कम्पनी द्वारा समान प्रकार के निष्पादन दायित्वों के संबंध में निरंतर उपयोग में लाई जाने वाली राजस्व की स्वीकृति की विधि के लिए अनेक मापदंड स्थापित किए गए हैं। जहां परिणामों के अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाए जा सकते हैं वहां कम्पनी द्वारा इनपुट विधि के उपयोग से कार्य की प्रगति का मापन किया जाता है। इनपुट विधि के अंतर्गत राजस्व की स्वीकृति रिपोर्टिंग अवधि को पूर्णता के चरण के संदर्भ में की जाती है। पूर्णता के चरण का मापन निष्पादन दायित्व से संबद्ध अनुमानित लागत के योग पर तिथि के अनुसार किए गए वास्तविक लागत व्यय के आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

ऐसी संविदाओं के मामले में जहां निष्पादन दायित्व का मापन इनपुट विधि से नहीं हो सकता है वहां आउटपुट विधि का उपयोग किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के संबंध में कम्पनी द्वारा किए कार्य निष्पादन की उचित छवि प्रस्तुत करती है।

ख) संविदा शेष

- **संविदा परिसम्पतियां** : किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।
- **व्यापार प्राप्य** : प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।
- **संविदागत दायित्व** : संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताों की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

ग) अन्य प्रचालन आय

- प्रचालन पट्टे के अंतर्गत किराए पर दी गई मशीनरी से उत्पन्न किराया आय का लेखांकन पट्टा अवधियों में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है।
- अन्य प्रचालन आय में व्यापार की आनुषंगिक गतिविधियों से अर्जित आय की प्रस्तुति की गई है तथा इसकी स्वीकृति तब की गई है जब निष्पादन पूर्ण कर लिया गया है तथा संविदा शर्त के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो गया है।

घ) अन्य आय

- लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर की गई है।
- ब्याज आय की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से की गई है।
- विविध आय की स्वीकृति निष्पादन दायित्व पूरे कर लिए जाने तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होने पर की गई है।

2.2.10 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.11 कर

क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है । चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है, अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

2.2.12 विदेशी मुद्राएं

- **कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा**

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'') करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपए में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

- **संव्यवहार एवं भोश**

विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति

इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

- **विदेश परिचालन**

शाखाओं से संबंधित उन विदेश परिचालनों, जिनमें उपयोग की मुद्रा के प्रति कार्यात्मक मुद्रा में भिन्नता है, के संबंध में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के उद्देश्य से उपयोग की मुद्रा का प्रयोग किया गया है। कम्पनी की विदेश स्थित शाखाओं की परिसम्पतियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर–मौद्रिक दोनों) को रिपोर्टिंग तिथि के अंत में लागू विनिमय दर के उपयोग से परिवर्तित किया गया है। यदि विनिमय दरों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं तो आय एवं व्यय की मदों को अवधि के दौरान औसत विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है अन्यथा मामलों के लिए संव्यवहार की तिथि को प्रयुक्त विनिमय दर उपयोग में लाई गई है। उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं, यदि कोई हैं, की स्वीकृति अन्य व्यापक आय एवं इक्विटी इसका संचय विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व के रूप में किया गया है।

विदेशी परिचालनों का निपटान (परियोजना की बहियां बंद करने पर) होने पर परिचालन के संबंध में इक्विटी में संचित विनिमय भिन्नताओं का पुनःवर्गीकरण लाभ एवं हानि विवरण में किया गया है।

2.2.13 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

परिभाषित अंशदायी योजना : परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत कम्पनी नियत राशि का अंशदान एक अलग इकाई में करती है तथा इससे इसके प्रति आगे किसी राशि का भुगतान करने का कोई विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व नहीं होता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान करने से संबंधित योजनाओं के संबंध में, जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, लाभ एवं हानि विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

कम्पनी की एक परिभाषित अंशदायी कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना है जिसका व्यवस्थापन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन डिफाइन्ड कन्ट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन पेंशन स्कीम,2009) के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रस्ट के लिए किए जाने वाले अंशदान की स्वीकृति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरणों में की गई है जिस अवधि में ट्रस्ट के प्रति अंशदान देय होते हैं।

परिभाषित लाभ योजना : परिभाषित लाभ योजना एक सेवानिवृत्ति के पश्चात की लाभ योजना है जो कि परिभाषित अंशदायी योजनाओ से भिन्न है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसी लाभ के प्रति दायित्व कम्पनी के ही होते हैं। उपदान, भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए कम्पनी की देयताओं की रूपरेखा परिभाषित लाभ योजनाओं में दर्शाई गई है।

कम्पनी द्वारा उपदान का निधियन किया जाता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन एम्प्लाइज ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट) करती है। व्यय के रूप में स्वीकृत की गई अवधियों के लिए उपदान ट्रस्ट में किया जाने वाले अंशदान को लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन कंट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) को करती है जो निधियों का निवेश अनुमत्त सिक्योरिटिज में करता है। व्यय के रूप में स्वीकृत अवधियों के लिए निधि के अंशदान के व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी का दायित्व ऐसे नियत अंशदान करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि इसके सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर लाभ की प्राप्ति हो सके। कम्पनी की एक सेवानिवृति पष्चात चिकित्सा सुविधा योजना (पीआरएमएफ) भी है जिसका निधियन भी कम्पनी करती है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट) द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा ट्रस्ट में अवधियों के संबंध में स्वीकृत किया जाने वाले अंशदान को व्यय के रूप में लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कम्पनी के निवल दायित्वों का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में सरकारी सिक्योरिटिज की परिपक्वता अवधि, जो परिभाषित लाभ दायित्वों के भारित औसत परिपक्वता प्रोफाइल के समान है, में बाजार प्राप्ति पर आधारित डिस्काउंट दर के उपयोग से अनुमानित भावी नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य पर अलग से किया जाता है। निवल आधार पर दायित्वों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत सकल दायित्वों में से योजनागत परिसम्पतियों के उचित मूल्य को कम कर दिया जाता है।

आकलन का निष्पादन एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट के उपयोग से किया जाता है तथा सरकार की अधिसूचित ब्याज दरों पर पर्याप्त लाभ की उत्पति में ट्रस्ट के सक्षम न होने की स्थितियों के संबंध में संकेत दिए जाते हैं।

बीमांकक लाभ एवं हानियों सहित योजनागत परिसम्पतियों के प्राप्यों का पुनःमापन (परिभाषित लाभ देयता अथवा परिसम्पति के निवल पर निवल ब्याज की राशियों के अलावा) करके अन्य व्यापक आय में स्वीकृति की जाती है तथा इसे धारित आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा

यह लाभ एवं हानि विवरण में पुनःवर्गीकृत किए जाने के योग्य नहीं होती है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त परिभाषित लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है। परिभाषित लाभ योजना के किसी निपटान पर लाभ अथवा हानियों की स्वीकृति तब की जाती है जब निपटान किया जाता है। पूर्व सेवा लागत को व्यय के रूप में, योजनागत संशोधन अथवा संक्षेपण से पूर्व तथा जब कम्पनी धारित संबंधित अवसरंचना लागतों अथवा सेवा समाप्ति लाभों को स्वीकृति देती है, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कम्पनी द्वारा बारह माह के पश्चात अग्रेषित किए जाने वाले छुट्टी नकदीकरण एवं छुट्टी यात्रा रियायत को मापन के उद्देश्य से दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ माना गया है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में दायित्व की स्वीकृति का मापन अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से बीमांकन पर आधारित दायित्वों के वर्तमान मूल्य पर किया गया है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है।

2.2.14 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में नकदी, बैंकों में जमा नकदी एवं अल्पकालिक जमा जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो नकदी की ज्ञात राशियों के लिए तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम के अध्याधीन हैं।

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुल्यों में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार अप्रबंधित नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्हें कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

2.2.15 लाभांश

कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने वाले वार्षिक लाभ वितरण की देयता के रूप में स्वीकृति शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए की गई है। अंतरिम लाभांश के प्रति देयता के रूप में स्वीकृति निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त होने पर की जाती है। देय लाभांश एवं लाभांश वितरण के अनुवर्ती कर की स्वीकृति सीधे इक्विटी में की गई है।

2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली,जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

कम्पनी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रावधानों में अनुरक्षण, विघटन, डिजाइन गारंटी, विधिक मामले, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदा एवं अन्य शामिल हैं।

दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका

प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.17 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

क) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

i) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता क राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

ii) पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

iii) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

कम्पनी द्वारा पट्टा लेखांकन में किए समायोजन इंड एएस 116 के अनुसार किए गए हैं जो 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन इंड एएस116 की अपेक्षाओं के प्रभाव से किया गया है।

ख) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.2.18 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- **परिशोधन लागत पर नामे उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैं:

  क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

  ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- **एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

  क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

  ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण**

  एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

  एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **इक्विटी उपकरण**

  इंड एएस–109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरणएफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण–वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, ऋण प्रतिभूतियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल एप्रोच' का अनुसरण किया गया है:

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय/व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पतियों का भाग अथवा समान प्रकार की वित्तीय परिसम्पतियों के समूह का भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पतियों से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब वित्तीय परिसम्पतियां एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।

वहन राशि एवं प्रतिफल के रूप में प्राप्त / प्राप्य राशि के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

ख) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयताों में व्यापार एवं अन्य देयताएं,ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के एि पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ङ) वित्तीय अभिलेखों की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है, और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है, यदि परिसंपत्तियों की वसूली और देनदारियों के निपटान का इरादा है, तो मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य संविदात्मक कानूनी अधिकार है और निवल आधार पर निपटान करने की मंशा है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

2.2.19 उचित मूल्य मापन

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में।
- उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैः–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.20 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री/वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस 105 ''बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां'' के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन (1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश

परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.2.21 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.2.22 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिण ाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

संग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए गुंजाइश

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों की लागतों का निर्धारण बीमांकन मूल्यांकनों के उपयोग से किया जाता है। बीमांकक अनुमानों में विभिन्न अनुमान लगाए जाने की आवश्यकता होती है जो भविष्य में वास्तविक अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे निर्धारण में छूट दर, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर एवं भावी पेंशन वृद्धि शामिल होती है। मूल्यांकन की जटिलताओं में बढ़ोतरी तथा इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व ऐसे अनुमानों में परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदी हैं। सभी अनुमानों की समीक्षा रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

आकस्मिताएं

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी के फसाव वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो।

पट्टे – आवर्धित ऋण दर के अनुमान

कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी।

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

राजस्व स्वीकृति

कम्पनी की एक राजस्व मान्यता नीति है जिसके उपयोग से कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए कम्पनी द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदत्ता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

ये प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समीक्षाएं हैं और इन्हें चालू सर्वोततम अनुमानों को प्रदर्शित करन के लिए समायोजित किया जाता है।

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

3. सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	लीजहोल्ड भूमि	फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट– आवासीय	फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट–गैर आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कम्प्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	कारवां, केम्प और अस्थायी शेड	वाहन	कुल
फुट नोट								(i)	(ii)			
सकल वहन मूल्य (लागत पर)												
1 अप्रैल 2021 को	**42.69**	**36.89**	**6.36**	**63.02**	**169.20**	**1.74**	**6.81**	**4.48**	**4.75**	**2.86**	**2.83**	**341.63**
संवर्धन	–	–	–	–	1.35	1.04	0.68	0.37	1.20	0.15	–	4.79
निपटान /समायोजन	–	–	–	–	(0.28)	–	(0.35)	(0.10)	(0.11)	–	–	(0.84)
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों का अंतरण (iii)	–	(36.89)	–	(19.40)	–	–	–	–	–	–	–	(56.29)
विनिमय (लाभ) /हानि (iv)	–	–	–	0.19	0.35	0.01	(0.02)	0.03	0.01	–	0.06	0.63
31 मार्च 2022 को	**42.69**	**–**	**6.36**	**43.81**	**170.62**	**2.79**	**7.12**	**4.78**	**5.85**	**3.01**	**2.89**	**289.92**
संवर्धन	–	–	–	–	9.52	0.18	1.19	0.71	0.78	0.06	0.32	12.76
निपटान /समायोजन	–	–	–	–	–	–	(0.35)	(0.12)	(0.09)	–	(0.01)	(0.57)
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों का अंतरण (v)	–	–	0.19	–	–	–	–	–	–	–	–	0.19
विनिमय (लाभ) /हानि (iv)	–	–	–	0.29	4.01	0.05	0.03	0.08	0.06	0.05	0.24	4.81
31 मार्च 2023 को	**42.69**	**–**	**6.55**	**44.10**	**184.15**	**3.02**	**7.99**	**5.45**	**6.60**	**3.12**	**3.44**	**307.11**
मूल्यह्रास एवं हानि												
31 मार्च 2021 को	**–**	**–**	**3.64**	**18.69**	**51.07**	**0.62**	**4.45**	**2.81**	**1.76**	**2.54**	**1.43**	**87.00**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	–	–	0.10	2.99	10.87	0.17	1.00	0.51	0.49	0.12	0.30	16.55
निपटान /समायोजन	–	–	–	–	(0.10)	–	(0.27)	(0.07)	(0.05)	–	–	(0.49)
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति का अंतरण (iii)	–	–	–	(1.85)	–	–	–	–	–	–	–	(1.85)
विनिमय (लाभ) /हानि (iv)	–	–	–	0.09	0.30	–	(0.02)	0.01	–	–	0.03	0.42
31 मार्च 2022 को	**–**	**–**	**3.74**	**19.92**	**62.14**	**0.79**	**5.16**	**3.26**	**2.20**	**2.66**	**1.76**	**101.63**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	–	–	0.77	1.97	18.69	0.26	0.97	0.47	0.58	0.10	0.28	24.09
निपटान /समायोजन	–	–	–	–	–	–	(0.28)	(0.11)	(0.05)	–	–	(0.44)
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों का अंतरण (iii)	–	–	0.05	–	–	–	–	–	–	–	–	0.05
विनिमय (लाभ) /हानि (iv)	–	–	–	0.15	2.63	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.16	3.13
31 मार्च 2023 को	**–**	**–**	**4.56**	**22.04**	**83.46**	**1.07**	**5.88**	**3.68**	**2.77**	**2.80**	**2.20**	**128.46**
निवल बही मूल्य												
31 मार्च 2023 को	**42.69**	**–**	**1.99**	**22.06**	**100.69**	**1.95**	**2.11**	**1.77**	**3.83**	**0.32**	**1.24**	**178.65**
31 मार्च 2022 को	**42.69**	**–**	**2.62**	**23.89**	**108.48**	**2.00**	**1.96**	**1.52**	**3.65**	**0.35**	**1.13**	**188.29**

फुट नोट :–

(i) कार्यालय उपकरण में विद्युत उपकरण और एयर कंडीशनर शामिल हैं।

(ii) फर्नीचर और फिक्स्चर में फर्निशिंग शामिल है।

(iii) नोएडा सेक्टर–1 स्थित संपत्ति को पीपीई से निवेश संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(iv) अग्रेषण राशि में कार्यात्मक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में पीपीई अनुवाद के कारण विदेशी मुद्रा लाभध(हानि) शामिल है।

(v) फ्रीहोल्ड भवन – चेन्नई में आवासीय संयंत्र, संपत्ति और उपकरण को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति से हस्तांतरित

(vi) व्यवसाय विशिष्ट उपयोग, परिसंपत्तियों के उपभोग पैटर्न और समान परिसंपत्तियों के पिछले प्रदर्शन पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यांकन द्वारा समर्थित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

संपत्ति का वर्ग	अनुसूची–II के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्षों में)	तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अपनाया गया उपयोगी जीवन (वर्षों में)
भवन / फ्लैट आवासीय / गैर आवासीय *	60	8-60
संयंत्र और मशीनरी *	8-15	1-15
सर्वेक्षण उपकरण	10	10
कंप्यूटर	3-6	3-6
कार्यालय उपकरण	5-10	5-10
फर्निचर व फिक्सचर	10	10
कारवां, शिविर और अस्थायी शेड	3-5	3-5
वाहनों	8-10	8-10

* तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार संपत्ति के उपयोगी जीवन के निर्धारण के लिए संपत्ति के प्रत्येक महत्वपूर्ण घटक पर विचार किया गया है

4. प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2021 को	**0.27**
जमा (परिणामी व्यय)	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	(0.27)
31 मार्च 2022 को	**-**
जमा (परिणामी व्यय)	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-
31 मार्च 2023 को	**-**
निवल बही मूल्य	
31 मार्च 2023 को	**-**
31 मार्च 2022 को	**-**

31 मार्च 2023 और मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों की आयुकाल अनुसूची इस प्रकार है।

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2023 तक	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

(i) ऐसी कोई परियोजना नहीं है जहां गतिविधि को निलंबित कर दिया गया हो।

(ii) 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो अपनी लागत से अधिक हो गई है या पूरा होना अतिदेय है

5. निवेश परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरूग्राम			बंगलुरु	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भवन	
1 अप्रैल 2021 तक	**290.31**	**0.57**	**126.81**	**2.23**	**96.31**	**–**	**3.04**	**519.27**
जमा (आगामी के व्यय)*	–	–	–	–	0.07	–	–	0.07
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण से अंतरण {संदर्भ नोट – (i)}	36.89		19.40	–	–	–	–	56.29
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	–	–	–	–	(96.38)	96.38	–	–
31 मार्च 2022 तक	**327.20**	**0.57**	**146.21**	**2.23**	**–**	**96.38**	**3.04**	**575.63**
जमा (आगामी के व्यय)*	–	–	10.56	–	–	–	–	10.56
वर्ष के दौरान अस्वीकृति	–	–	–	–	–	(1.02)	–	(1.02)
31 मार्च 2023 तक	**327.20**	**0.57**	**156.77**	**2.23**	**–**	**95.36**	**3.04**	**585.17**
मूल्यह्रास और हानि								
1 अप्रैल 2021 को	**–**	**–**	**7.95**	**–**	**–**	**–**	**0.31**	**8.26**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	–	–	7.01	–	–	3.28	0.04	10.34
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण से अंतरण {संदर्भ नोट – (i)}			1.85					1.85
31 मार्च 2022 को	**–**	**–**	**16.81**	**–**	**–**	**3.28**	**0.36**	**20.45**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	–	–	7.92	–	–	3.55	0.94	12.41
31 मार्च 2023 तक	**–**	**–**	**24.73**	**–**	**–**	**6.83**	**1.30**	**32.86**
निवल ब्लाक								
31 मार्च 2023 को	**327.20**	**0.57**	**132.04**	**2.23**	**–**	**88.53**	**1.74**	**552.31**
31 मार्च 2022 को	**327.20**	**0.57**	**129.40**	**2.23**	**–**	**93.10**	**2.68**	**555.18**

निवेश संपत्ति की आय और व्यय के संबंध में जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त किराया आय	6.46	0.54
वर्ष के दौरान किराया आय को सृजित करने वाली निवेश परिसंपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित)	4.40	0.01
वर्ष के दौरान किराया आय को सृजित न करने वाली निवेश परिसंपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित)	–	–
मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से होने वाला लाभ	**2.06**	**0.53**
घटा: वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	(8.86)	(0.27)
अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से होने वाला लाभ	**(6.80)**	**0.26**

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

उचित मूल्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरूग्राम			बैंगलोर	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भवन	
1 अप्रैल 2021 को आरंभिक शेष	**217.32**	**-**	**116.79**	**118.48**	**87.37**		**7.87**	**547.83**
संवर्धन	-	-	-	-	0.07		-	0.07
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण से अंतरण {संदर्भ नोट -(i)}	25.02	-	16.59	-	-	87.44		41.61
वर्ष के दौरान पूंजीकृत					(87.37)	-		
उचित मूल्य अंतर	5.89	-	3.32	3.34	-	2.69	1.49	16.72
31 मार्च 2022 को समापन शेष	**248.23**	**-**	**136.70**	**121.82**	**-**	**90.13**	**9.36**	**606.23**
संवर्धन	-	-	-	-	-		-	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए उचित मूल्य अंतर	14.20	-	(15.26)	3.34	-	(4.91)	0.21	(2.42)
31 मार्च 2023 को समापन शेष	**262.43**	**-**	**121.44**	**125.16**	**-**	**85.22**	**9.57**	**603.82**
नोटः								
अधिग्रहित निवेश परिसंपत्ति						-		
वर्ष के लिए उचित मूल्य अंतर	14.20	-	(15.26)	3.34	-	(4.91)	0.21	(2.42)
स्वनिर्मित निवेश परिसंपत्ति	262.43	-	121.44	125.16	-	85.22	9.57	603.82
	262.43	-	121.44	125.16	-	85.22	9.57	603.82

(i) नोएडा सेक्टर–1 स्थित संपत्ति को पीपीई से निवेश संपत्ति में स्थानांतरित किया गया है।

(ii) ये मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित हैं, जैसा कि कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करते हुए परिभाषित किया गया है, जो उचित मूल्य लागत और आय/लागत/बाजार मूल्य दृष्टिकोण पर आधारित हैं। मूल्यांकनकर्ता द्वारा की गई धारणा के अनुसार, एकमुश्त लीज भुगतान ₹66.89 करोड़ नोएडा भूमि के एवज में विचार नहीं किया गया है एवं जीएसटी इनपुट ₹ 22.14 करोड़ जो कि नोएडा एवं गुरुग्राम के लिए, को प्रतिवेदन में नहीं लिया गया है।

(iii) उचित मूल्य माप को उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत किया गया है।

(iv) नोएडा में निवेश संपत्ति तीन स्थानों पर है, जिसकी लीज अवधि 90 वर्ष है, गुरुग्राम और बेंगलुरु में संपत्तियां केवल एक ही स्थान पर हैं, जो फ्रीहोल्ड हैं।

*संवर्धन का ब्यौरा (आगामी व्यय)	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
	नोएडा सेक्टर 48 में प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	गुरूग्राम में प्रगतिरत पूंजीगत कार्य
– कार्य व्यय	10.56	(0.20)
– परामर्श शुल्क	-	0.22
– वेतन एवं पारिश्रमिक	-	0.02
– बिजली, बिजली और पानी का शुल्क	-	0.03
कुल	**10.56**	**0.07**

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां (साफ्टवेयर)	अन्य अमूर्त संपत्तियां (साफ्टवेयर)
सकल ब्लॉक		
1 अप्रैल 2021 को	**9.79**	**2.13**
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	0.42
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	–	–
31 मार्च 2022 को	**9.79**	**2.55**
वर्ष के दौरान संवर्धन	1.89	9.10
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(9.09)	–
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	–	–
31 मार्च 2023 को	**2.59**	**11.65**
परिशोधन और हानि		
1 अप्रैल 2021 को		**1.88**
वर्ष के दौरान परिशोधन		0.23
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन		–
31 मार्च 2022 को		**2.11**
वर्ष के दौरान परिशोधन		0.85
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन		–
31 मार्च 2023 को अंतशेष		**2.96**
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2023 को	**2.59**	**8.69**
31 मार्च 2022 को	**9.79**	**0.44**

फुटनोट :

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के अंतर्गत एसएपी एस–4/हाना ईआरपी साफ्टवेयर अधिग्रहण हेतु पूंजीगत व्यय को दर्शाता है।

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की आयु संवर्धन अनुसूची इस प्रकार है।

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2023 तक					
प्रगतिरत परियोजनाएं	1.89	–	–	0.70	2.59
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	-
	1.89	**–**	**–**	**0.70**	**2.59**
31 मार्च, 2022 तक					
प्रगतिरत परियोजनाएं	–	–	9.79	–	9.79
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	-
	–	**–**	**9.79**	**–**	**9.79**

नीचे की परियोजनाओं के मामले में, पूर्णता अतिदेय है, स्वीकृत कुल लागत 26.16 करोड़ रुपए है और परियोजना के निम्नानुसारं पूरा होने की उम्मीद है

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर हैं				
सैप एस–4 हाना सैप/ईआरपी	3.50	5.26	5.70	–
परियोजना 2				
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

7. प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	भूमि (ii)	भवन (i)	वाहन	कुल
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल 2021 को	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	–	–	–
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–	–
31 मार्च 2022 को	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.35	–	–	0.35
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	(0.01)	–	(0.01)
31 मार्च 2023 को	**1.60**	**5.20**	**0.04**	**6.84**
मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल 2021 को	**0.11**	**1.55**	**0.04**	**1.70**
वर्ष के दौरान मूल्यहास	0.05	0.32	–	0.37
हानि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–	–
31 मार्च 2022 को	**0.16**	**1.87**	**0.04**	**2.07**
वर्ष के दौरान मूल्यहास	0.06	0.32	–	0.38
हानि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	(0.01)	–	(0.01)
31 मार्च 2023 को अंतशेष	**0.22**	**2.18**	**0.04**	**2.44**
निवल बही मूल्य				
31 मार्च 2023 को	**1.38**	**3.02**	**–**	**4.40**
31 मार्च 2022 को	**1.09**	**3.34**	**–**	**4.43**

फुटनोट :

i) इसमें सेन मार्टिन मार्ग, दिल्ली, पाली हिल, मुंबई और मेट्रो रेलवे सेवा भवन, कोलकाता 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

ii) कंपन द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.76 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

अचल संपत्तियों के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	संपत्ति मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	नाम पर धारित टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कंपनी के नाम पर धारित न होने के कारण (विवाद होने की स्थिति में कारण भी बताएं)
भवन आवासीय उपयोग का अधिकार – पट्टा परिसंपत्ति	पाली हिल, बांद्रा फ्लैट नंबर 401 मुंबई	0.21	पश्चिमी रेल	लागू नहीं	फ्लैटों का निर्माण रेलवे भूमि पर किया गया है और इस संबंध में जारी निर्देश के आधार पर संबंधित जोनल रेलवे द्वारा 30 वर्षों की अवधि के लिए इरकॉन को पट्टे पर दिया गया है।
भवन आवासीय उपयोग का अधिकार – पट्टा परिसंपत्ति	सेंट मार्टिन, नई दिल्ली में फ्लैट	2.26	उत्तरी रेलवे	लागू नहीं	
भवन गैर आवासीय उपयोग का अधिकार – पट्टा परिसंपत्ति	मेट्रो रेल सेवा भवन, कोलकाता	0.75	मेट्रो रेल कोलकाता	लागू नहीं	मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा रेलवे भूमि पर कार्यालय आवास का निर्माण किया गया है और इस संबंध में जारी निर्देश के अनुसार 30 वर्षों की अवधि के लिए इरकॉन को पट्टे पर दिया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

8. गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1 इक्विटी माध्यमों पर निवेश (पूर्णत प्रदत्त कोट न किए गए–लागत पर)		
क. सहायक कपनियां		
इरकॉन इफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 6,50,00,000)	65.00	65.00
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड – प्रत्येक 10 रुपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 16,50,00,000 (नोट (i) (ज) का संदर्भ लें)	230.62	230.79
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड – प्रत्येक 10 रुपए के 15,00,00,000 (31 मार्च 2022 : 15,00,00,000 (नोट (i) छ का संदर्भ ले)	150.19	150.19
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड – 1,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रति 10 रुपए (31 मार्च 2022 : 60,00,000) (नोट (i)क का संदर्भ ले)	205.98	179.42
इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड – प्रत्येक 10 रुपए के 17,30,00,000 (31 मार्च 2022: 17,30,00,000) (नोट (i)ग का संदर्भ ले)	187.69	187.69
इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड – 50,000 इक्विटी शेयर, प्रति 10 रुपए (31 मार्च 2022 : 50,000) (नोट (i)घ का संदर्भ ले)	71.40	18.40
इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड – 50000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रुपए (31 मार्च 2022 को 50000 इक्विटी शेयर शून्य) (नोट (i)(झ) का संदर्भ ले)	51.49	0.05
इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड – 50000 इक्विटी शेयर 10 रुपए प्रत्येक (31 मार्च 2022को इक्विटी शेयर शून्य) (नोट (i)ट का संदर्भ ले)	0.94	0.05
इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड – 50000 इक्विटी शेयर 10 रुपए प्रत्येक (31 मार्च 2022 को इक्विटी शेयर शून्य) (नोट (i)ठ का संदर्भ ले)	6.78	0.05
इरकॉन हरिद्वार बायपास लिमिटेड – 50000 इक्विटी शेयर 10 रुपए प्रत्येक (31 मार्च 2022 को इक्विटी शेयर शून्य) (नोट (i)ड का संदर्भ ले)	82.22	0.05
इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड – 3800000 इक्विटी शेयर 10 रुपए प्रत्येक (31 मार्च 2022 : शून्य इक्विटी शेयर) (नोट (i)च का संदर्भ लें)	41.80	5.20
कुल (क) – सहायक कपनियों में निवेश	**1,094.09**	**836.89**
ख. निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियां		
इरकॉन–सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल) प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 6,38,70,000 (संदर्भ नोट (ii))	64.15	64.15
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड 5,19,99,699 प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 5,19,99,699) (संदर्भ नोट (iii)	52.00	52.00
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 7,63,37,300 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 :7,63,37,300)	76.34	76.34
झारखंड सेंट्रल रेलवे प्रत्येक 10 रुपए के 2,62,56,438 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 2,62,56,438) (संदर्भ नोट (i) ख)	140.37	63.00
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 2,60,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 2,60,00,000) (संदर्भ नोट (i)(ण)	78.00	26.00
छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 19,78,55,700 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 19,78,55,700)(संदर्भ नोट (i)(ड.)	213.46	213.46

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 19,39,91,000 इक्विटी शेयर(31 मार्च 2022: 15,71,70,000)	193.99	157.17
कुल (ख) – संयुक्त उपक्रमों में निवेश	**818.31**	**652.12**
2. बांडों में निवेश (कोट किए गए, परिशोधित लागत पर)		
8.23 प्रतिशत इंडियन रेल फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 10,00 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त शून्य बांड (31 मार्च 2022 : 5,00,000 इकाइयां)	-	50.00
8.35 प्रतिशत इंडियन रेल फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त शून्य बांड (31 मार्च 2022 : 500 इकाइयां)	-	49.98
7.15 प्रतिशत इंडियन रेल फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 250 बांड (31 मार्च 2022 : 250 इकाइयां)	25.00	25.00
7.07 प्रतिशत इंडियन रेल फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 3,02,000 बांड (31 मार्च 2022 : 3,02,000 इकाइयां)	30.20	30.20
7.14 प्रतिशत एनएचएआई के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 1,99,989 बांड (31 मार्च 2022 : 1,99,989 इकाइयां)	20.00	20.00
7.02 प्रतिशत एनएचएआई के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2022 : 500 इकाइयां)	50.00	50.00
कुल 2–बांडों में निवेश (कोट किया गया)	**125.20**	**225.18**
कुल गैर–चालू निवेश (1+2)	**2,037.60**	**1,714.19**
कोट किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	**125.20**	**225.18**
कोट किए गए निवेशों का सकल बाजार मूल्य	**130.41**	**252.66**
कोट न किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य 1(क)+ख(2)	**1,912.40**	**1,489.01**
निवेशों के मूल्य में हानि की सकल राशि	**-**	**-**

(i) क. निदेशक मंडल ने डब्ल्यूओएस, इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे में 10.00 करोड़ रुपए तक सीमित इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने डब्ल्यूओएस, इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे में 195.74 करोड़ रुपए तक सीमित ब्याज मुक्त अग्रिम को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसका भुगतान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें, आईवीकेईएल द्वारा प्राप्त सावधि ऋण सुविधा के संबंध में और की ओर से इरकॉन ने बैंक ऑफ बडोदा को 0.24 करोड़ रुपए की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है।

(ख) निदेशक मंडल ने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के पक्ष में 114.11 करोड़ रुपए के परिवर्ती प्रतिभूतियों (31 मार्च 2022 को 50 करोड़ रुपए) को अनुमोदन प्रदान किया है।

ग) इरकॉन दावनगेरे हावेरी हाइवे लिमिटेड (आईडीएचएचएल) द्वारा ली गई सावधि ऋण सुविधा के संबंध में और पंजाब नेशनल बैंक को इरकॉन द्वारा जारी किए गए 0.83 करोड़ रुपए (दिनांक 31.03.2022 को 0.83 करोड़ रुपए) के लिए वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल ने आईडीएचएचएल को 13.86 करोड़ रूपए तक की सीमा में ब्याज मुक्त अग्रिम को स्वीकृति प्रदान की है, जिसका भुगतान किया गया है।

(घ) निदेशक मण्डल ने डब्ल्यूओएस इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाईवे लिमिटेड/आईजीआरएचएल को ब्याज मुक्त अग्रिम को मंजूरी दी है जो 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने आईजीआरएचएल के लिए 103.18 करोड़ रुपए से अधिक के ब्याज मुक्त अग्रिम को मंजूरी दी है, जिसमें से 71.35 करोड़ रुपए (31 मार्च 2022 को 18.35 करोड़ रुपए) का भुगतान किया गया है।

(ड.) निदेशक मण्डल ने ब्याज मुक्त अग्रिम को मंजूरी दी है जो रुपए से अधिक नहीं है। छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के लिए 15.60 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है

(च) बीओडी ने इरकॉन रिन्यूअल पावर लिमिटेड (आईआरपीएल) में इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को मंजूरी दे दी है, जो 3.80 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। इसके अलावा, निदेशक मण्डल ने आईजीआरएचएल में 108.03 करोड़ रुपए से अधिक के ब्याज मुक्त अग्रिम को मंजूरी दी है, जिसमें से 38.00 करोड़ रुपए (दिनांक 31.03.2022 को 1.40 करोड़ रुपए) का भुगतान किया जा चुका है।

(छ) इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल) द्वारा ली गई सावधि ऋण सुविधा के संबंध में स्टेट बैंक को इरकॉन द्वारा जारी की गई 0.19 करोड़ रुपए (दिनांक 31.03.2022 को 0.19 करोड़ रुपए) की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है।

(ज) कंपनी ने 12 अगस्त, 2021 के बोर्ड की मंजूरी द्वारा इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड को 01 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए दिए गए अपने ऋण पर ब्याज माफ कर दिया है और मूलधन के पुनर्भुगतान तक शेष ब्याज को स्थगित कर दिया है। उक्त छूट को इंड–एएस के प्रावधान के अनुसार कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में निवेश के रूप में माना गया है। तदनुसार 65.62 करोड़ रुपए (दिनांक 31.03.2022 को 65.79 करोड़ रुपए) उपरोक्त में शामिल किए गए हैं

(झ) निदेशक मंडल ने डब्ल्यूओएस, इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (आईएएसईएल) के लिए इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को मंजूरी दे दी है, जो 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, बीओडी ने आईएएसईएल के लिए 171.54 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें से 51.44 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और इसमें इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (आईएएसईएल) की ओर से और उसके द्वारा प्राप्त सावधि ऋण सुविधा के संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा को इरकॉन द्वारा जारी 106/– रुपए (दिनांक 31.03.2022 तक शून्य रुपए) की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है।

(ट) बीओडी ने डब्ल्यूओएस, इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (आईएलआरएचएल) के लिए इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को मंजूरी दे दी है, जो 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।
इसके अलावा, बीओडी ने आईएलआरएचएल के लिए 142.65 करोड़ रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें से 0.89 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2022 रुपए शून्य) का भुगतान किया गया है।

(ठ) बीओडी ने डब्ल्यूओएस, इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (आईबीएमईएल) के लिए इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को मंजूरी दे दी है, जो 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।
इसके अलावा, बीओडी ने आईबीएमईएल के लिए 205.80 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें से 6.73 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2022 शून्य रुपए) का भुगतान किया जा चुका है।

(ड) निदेशक मंडल ने रुपए के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दे दी है। महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के पक्ष में 52 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2022 रुपए शून्य) का भुगतान किया जा चुका है।

(ढ) उपरोक्त (i) क से ण तक के अनुसार ब्याज मुक्त ऋण केवल एसपीवी/जेवी के समापन या रियायत अवधि के अंत, जो भी बाद में हो, पर चुकाया जाएगा।

ii. इसमें आईएसटीपीएल की ओर से और उसके द्वारा ली गई सावधि ऋण सुविधा के संबंध में इरकॉन द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को 0.28 करोड़ रुपए जारी की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है। दिनांक 31.03.2023 को बकाया ऋण शून्य (31.03.2022 तक शून्य) है।

iii. रेल मंत्रालय (एमओआर) ने अपने पत्र संख्या 2011/एलएमबी/22/1/39 दिनांक 18.10.2021 के माध्यम से भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) को बंद करने और अपने व्यवसाय का आरएलडीए/रेल मंत्रालय को हस्तांतरण /हैंडओवर के लिए सैद्धांतिक निर्णय के बारे में सूचित किया था। तदनुसार, समापन गतिविधियों के भाग के रूप में, सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों (एसआईटीसीओ और गरुड़ में निवेश को छोड़कर) को पारस्परिक रूप से कटऑफ तिथि के अनुसार बही मूल्य से कम पर मंदी बिक्री के आधार पर आरएलडीए/एमओआर को हस्तांतरित किया जाना है। आईआरएसडीसी की दिनांक 07.11.2022 को आयोजित 59वीं बीओडी बैठक में अनुमोदित के अनुसार सहमति व्यक्त की गई। वित्त वर्ष 2021–22 में शुरू की गई, समापन संबंधी गतिविधियां अभी पूरी नहीं हुई हैं। परिसमापन प्रक्रिया इन गतिविधियों के पूरा होने और संपत्तियों और देनदारियों को आरएलडीए/रेल मंत्रालय को सौंपने पर शुरू होगी। आईआरएसडीसी का वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किया गया है। कंपनी को अपने निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार की हानि की उम्मीद नहीं है क्योंकि आईआरएसडीसी की रिपोर्ट की गई निवल संपत्ति में कंपनी की हिस्सेदारी 58.50 करोड़ रुपए है अर्थात 225 करोड़ रुपए का 26 प्रतिशत।

8.2 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क. वसूली योग्य : रक्षित		
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.03	0.07
ख. वसूली योग्य : अरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों से ऋणः		
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (संदर्भ नोट 1)	199.24	209.78
– इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेश्स वे लिमिटेड	68.96	34.48
– इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	47.13	38.76
(ii) अन्यः		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	0.48	0.38
कुल	**315.84**	**283.47**

फुट नोट :

i) कंपनी ने 12 अगस्त, 2021 के बोर्ड की मंजूरी के माध्यम से इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड को दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए दिए गए अपने ऋण पर ब्याज माफ कर दिया है। इंड एएस के प्रावधान के अनुसार कंपनी उक्त छूट को कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में निवेश के रूप में माना गया है। {टिप्पणी 8.1 (i) (ज) देखें}

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम, जहां भुगतान की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट किए बिना,

	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
उधारकर्ता का प्रकार	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत^	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत^
प्रवर्तकों को ऋण				
निदेशकों को ऋण		–	–	–
केएमपी को ऋण		–	–	–
संबंधित पक्षों को ऋण	315.33	99.84%	283.02	99.84%
कुल	**315.33**	**99.84%**	**283.02**	**99.84%**

* ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम का प्रतिनिधित्व करता है

^ ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है

8.3 गैर–चालू परिसंपत्तिया – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
वसूली योग्य : अरक्षित				
प्रतिभूति जमा राशि				
– सरकारी विभाग		0.01		0.01
– अन्य		0.05		0.05
संविदा परिसंपत्ति :				
–ग्राहकों से प्रतिधारण राशि	3.54		2.61	
–ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि	–	3.54	–	2.61
12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि (संदर्भ फुट नोट (i)		0.01		0.01
स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज)		0.24		0.22
संबंधित पक्षों को ऋण पर संचित ब्याज		3.96		–
अन्य				
– रेल भूमि विकास प्राधिकरण /आरएलडीए से वसूली योग्य संदर्भ फुटनोट (iii)	15.00		630.31	
घटाः भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण; संदर्भ फुट नोट (18.1)	–	15.00	(615.31)	15.00
कुल		**22.82**		**17.90**

#निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
स्टाफ ऋण और अग्रिमों सहित निदेशकों से दय राशि	–	–
कुल	**–**	**–**

फुट नोट :

(i) 0.01 करोड रूपए (31 मार्च 2022 : 0.01 करोड़ रुपए) के लिए एफडीआर सहित।

(ii) कंपनी ने भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण प्राप्त किया है (संदर्भ नोट 18.1) और पट्टा करार की शर्तों के अनुसार आगे जिसका भुगतान रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को किया गया है। आरएलडीए तथा कपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार ऋण से संबंधित मूल राशि तथा ब्याज की सभी किश्तें तथा किसी प्रकार की त्रुटि या आतरिक्त ब्याज, तथा अन्य लागतें, व्यय तथा प्रभार (या अन्यथा ऋण करार के अंतर्गत या अनुसरण में देय) का भुगतान आरएलडीए द्वारा कपनी को ऋण करार के अंतर्गत उनकी संबंधित देय तिथि से कम से कम पांच (5) दिन पूर्व ऐसे खाते में किया जाएगा जो कि आईआरएफसी द्वारा निर्धारित किया गया हो। रेल मंत्रालय से आरएलडीए को निधियों का समवर्ती संवितरण करने के लिए आरएलडीए और रेल मंत्रालय को वापसी सहमति से उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी।

इस वसूली योग्य राशि की निबंधन और शर्तें वहीं होंगी जैसी कि उक्त ऋण के मामले में हैं। कंपनी परियोजना स्थल के वाणिज्यिक विकास कार्य को करने के प्रयोजन के लिए तथा कपनी द्वारा चिह्नित विकासकर्ताओं को परियोजना स्थल को आगे उप–ठेके पर देने (सभी संबद्ध विकास अधिकारों सहित) के प्रयोजनों से मुक्त, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बोली प्रकियाओं के माध्यम से उपयुक्त विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) को नियुक्त करने के लिए पात्र है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

9. आस्थिगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

क) 31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आयकर व्यय के प्रमुख घटकः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1	**लाभ और हानि विवरण खंड**		
	चालू आयकरः		
	चालू आयकर प्रकार	215.33	159.87
	पिछले वर्ष के चालू कर संबंधी समायोजन	(78.53)	(92.53)
	आस्थगित करः		
	अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिक्रम से संबंधित	(30.44)	(1.60)
	लाभ एवं हानि खंड विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	**106.36**	**65.74**
2	**अन्य वृहत आय खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकरः		
	निर्धारित लाभें योजनाओं के पुनर्निर्धारण पर निवल हानि/(लाभ)	0.49	(0.20)
	विनिमय लाभ लाभ/हानि पर निवल हानि/(लाभ)	3.25	1.56
	ओसीआई खंड में रिपोर्टिड आयकर व्यय	**3.74**	**1.36**

ख) 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 के लिए कर व्ययों का पुनर्विनियोजन तथा लेखांकन लाभ गुणा भारतीय घरेलू कर दर :

(₹ करोड़ में)

क सं	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1	आयकर पूर्व लेखांकन लाभ	883.18	610.05
2	लेखांकन लाभ पर कर	222.28	153.54
3	कर समायोजन पर प्रभाव		
(i)	पिछले वर्ष के चालू आय कर संबंधी समायोजन	(78.53)	(92.40)
(ii)	पूर्ववर्ती अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	–	–
	–गैर करयोग्य मदें	(37.38)	(20.07)
	–कर अंतर		
	–अन्य	(20.40)	0.36
(iii)	कर से छूटप्राप्त आय पर कर	–	–
(iv)	कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौतीयोग्य व्यय		
	– अन्य राष्ट्र अतिरिक्त कर	17.11	20.82
	– अन्य गैर कटौतीयोग्य व्यय	7.01	4.85
(v)	विभिन्न अन्य पदों पर कर प्रभाव	–	–
		110.09	67.10
4	लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	110.09	67.10
5	प्रभावी कर दर	12.47%	11.00%

ग) तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देयताओं) के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	तुलनपत्र		लाभ एवं हानि विवरण	
		31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(20.25)	(18.72)	1.53	4.00
2	प्रावधान	82.31	73.78	(8.53)	(2.84)
3	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि ववरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	52.54	29.09	(23.44)	(2.75)
	निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**114.60**	**84.15**	**(30.44)**	**(1.59)**

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

घ) तुलन पत्र में निम्नानुसार प्रदर्शित :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	134.84	102.88
2	आस्थगित कर देयताएं	(20.24)	(18.73)
	आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**114.60**	**84.15**

ड.) निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) का समायोजन

31 मार्च 2023 को

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	1 अप्रैल 2022 को शेष/निवल	लाभ हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकार	31 मार्च 2023 को शेष/निवल
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(18.73)	(1.52)	–	(20.25)
2	प्रावधान	73.79	8.53	–	82.32
3	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	29.09	23.44	–	52.53
	निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**84.15**	**30.45**	**–**	**114.60**

31 मार्च 2022 को

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	1 अप्रैल 2021 को शेष/निवल	लाभ हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकार	31 मार्च 2022 को शेष/निवल
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(14.73)	(4.00)	–	(18.73)
2	प्रावधान	70.95	2.84	–	73.79
3	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि ववरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	26.34	2.75	–	29.09
	निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**82.56**	**1.59**	**–**	**84.15**

10. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वसूलीयोग्य : अरक्षित		
पूंजीगत अग्रिम से इतर अग्रिम		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	88.22	–
पर संचित ब्याज		
–ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	3.00	30.00
उचित मूल्य समायोजन	0.12	–
कुल	**91.34**	**30.00**

11. दरसूचियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कच्चा माल (लागत या एनआरपी पर मूल्यित, जो भी कम हो, या अन्यथा उल्लिखित हो)		
– हाथ में	17.30	18.42
– तीसरे पक्षों के पास	15.61	33.76
– पारगमन में	–	3.31
अन्य (स्क्रैप)	0.31	0.59
प्रगतिरत निर्माण कार्य/लागत पर मूल्यित	173.22	216.18
कुल	**206.44**	**272.26**

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

12. चालू परिसंपत्तियां – वित्तीय परिसंपत्तियां

12.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1. बांड में निवेश (कोट किए गए, परिशोधन लागत पर)		50.00
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी) के 7.21 प्रतिशत कर मुक्त बॉन्ड, प्रत्येक 10,00,000 रुपए की 500 इकाइयाँ (31 मार्च 2022 को 50 करोड)	–	–
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी) के 8.23 प्रतिशत कर मुक्त बॉन्ड, प्रत्येक 1000 रुपए की 5,00,000 इकाइयाँ (31 मार्च 2022 को शून्य इकाइयां)	50.00	–
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी) के 8.35 प्रतिशत कर मुक्त बॉन्ड, प्रत्येक 10,00,00 रुपए की 500 इकाइयाँ (31 मार्च 2022 को शून्य इकाइयां)	49.99	–
कुल	**99.00**	**50.00**
कोट किए गए निवेशों का कुल बही मूल्य	**99.99**	**50.00**
कोट किए गए निवेशों का कुल बाजार मूल्य	**109.93**	**55.23**
कोट न किए गए निवेशों का कुल बही मूल्य	**–**	**–**
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	**–**	**–**

12.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
रक्षित, वसूली योग्य	–	–
असुरक्षित, वसूली योग्य'	894.80	720.14
व्यापार प्राप्य, जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–
व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	7.14	19.59
	901.94	**739.73**
हानि भत्ता (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता)		
अरक्षित, वसूलपी योग्य	(26.07)	(10.98)
व्यापार प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–
व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	(7.14)	(19.59)
कुल	**868.73**	**709.16**

*संबंधित पार्टियों से प्राप्तियां 436.99 करोड़ रूपए (31 मार्च 2022 तक 258.10 करोड़ रुपए) शामिल हैं और नोट 33 (ग) 4.1 में इसका प्रकटन किया गया है

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु अनसूची

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	–	596.52	120.32	49.60	109.14	6.84	12.38	894.80
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण अशोध्य	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूली याग्य	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण अशोध्य	–	–	–	–	–	–	7.14	7.14
कुल	**–**	**596.52**	**120.32**	**49.60**	**109.14**	**6.84**	**19.53**	**901.94**
हानि भत्ता								(33.21)
कुल								**868.73**

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	–	405.34	147.04	117.62	13.19	19.69	17.26	720.14
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण अशोध्य	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूली याग्य	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण अशोध्य	–	–	–	–	–	–	19.59	19.59
कुल	**–**	**405.34**	**147.04**	**117.62**	**13.19**	**19.69**	**36.85**	**739.73**
हानि भत्ता								(30.57)
कुल								**709.16**

12.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
उपलब्ध रोकड़		0.09	0.06
पारगमन में प्रेषण		13.61	–
बैंक में शेष :			
–चालू खातों में		380.90	863.83
–फलैक्सी खातों में	(i) & (ii)	173.35	241.42
–तीन महीनों से कमी की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(i) & (ii)	1,600.46	100.89
कुल		**2,168.41**	**1,206.20**

12.4 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अन्य बैंक शेष			
3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशिया	(i) & (ii)	2,616.33	4,131.68
निर्धारित शेष			
सीएसआर बैंक खाता		0.17	0.18
लाभांश संवितरण खाता	(iii)	0.41	1.91
कुल		**2,616.91**	**4,133.77**

फुट नोट – नोट 12.3 और 12.4 के लिए

(i) ग्राहक कोष के 3130.67 करोड़ रुपए (31 मार्च 2022 को 3,291.29 करोड़ रुपए) शामिल है, जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है।

(ii) व्यापार के प्रति परियोजना निधि के 811.42 करोड़ रुपए देय शामिल है (31 मार्च 2022 को 1,010.33 करोड़ रुपए)।

(iii) अंतरिम लाभांश पर देय शून्य रूपए का टीडीएस (31 मार्च 2022 को 1,57 करोड़ रुपए) शामिल है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

12.5 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क. वसूलीयोग्य : रक्षित		
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.05	0.08
ख. वसूलीयोग्य : अरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों से ऋणः		
सहायक कंपनी		
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	29.32	30.88
(ii) अन्यः		
स्टाफ ऋण व अग्रिम*	0.77	0.69
कुल	**30.14**	**31.65**

संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिमः

उधारकर्ता का प्रकार	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि'	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत'	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि'	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत'
प्रमोटरों को ऋण				
निदेशकों को ऋण	–	-	–	–
केएमपी को ऋण	–	-	-	–
संबंधित पक्षों को ऋण	29.32	97.28%	30.88	97.57%
कुल	**29.32**	**97.28%**	**30.88**	**97.57%**

12.6 चालू परिसंपत्तियां–अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
वसूली योग्य : रक्षित					
प्रतिभूति जमा राशि					
– सरकारी विभाग			1.68		3.15
– अन्य			141.50		150.02
बयाना जमा राशि			0.54		1.45
12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता किन्तु 12 महीनों से कम शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा राशिया			25.48		4.30
संचित ब्याज					
– स्टाफ को अग्रिम	(i)		0.13		0.22
– संबंधित पक्षों को ऋण			10.87		10.06
– रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम		59.65		109.77	
घट : भरतीय रेल वित्त निगम से ऋण पर संचित ब्याज	(iv)	(51.89)	7.76	(103.81)	5.96
– बैंकों में जमा राशि			55.29		37.60
– बांड			15.55		17.21
संविदा परिसंपत्तिः					
– बिलयोग्य राजस्व/प्राप्य किन्तु अदेय	(ii) (क) और (ख)	361.47		250.19	
– प्रगतिरत निर्माण कार्य (वास्तविक मूल्य पर)	(ii) (ख)	482.03		208.47	
– ग्राहकों द्वारा आहरित राशि	(iii)	173.97		118.14	
ग्राहकों द्वारा आहरित धन	(iii)	229.48	1,246.95	338.63	915.43
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटनः					
''भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि.			–		–
301 इक्विटी शेयर–10 रुपए (31 मार्च 2022 : 301) (नोट सं 8.1)''					

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
अन्य वसूली योग्य					
(क) संबंधित वर्षों से (संयुक्त उपक्रम)					
– इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर			3.49		3.45
– मेट्रो टनलिंग ग्रुप			1.88		1.84
– भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड			0.09		1.03
– इरकॉन – एफकॉन जे वी			0.60		0.63
– छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड			0.29		0.22
– बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड			0.02		0.02
– महानदी कोयला रेल लिमिटेड			2.93		1.32
– झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड			0.07		0.10
– एक्सप्रेस फ्रेट कंसार्टियम			1.68		1.10
(ख) संबंधित पक्ष (सहायक कंपनियां)					
– इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड			0.24		0.03
– इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड			4.10		3.07
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड			0.43		0.44
– इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस लिमिटेड			0.01		0.31
– देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड			0.09		0.08
– इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड			0.03		0.07
– इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड			0.03		0.05
– इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाइवे लिमिटेड			0.07		–
– इरकॉन भोज मोर्ब हाइवे लिमिटेड			0.07		0.02
– इरकॉन हरिद्वार हाइवे लिमिटेड			0.07		–
– इरकॉन रिन्युवेबल एनर्जी लिमिटेड			0.04		–
(ग) रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूलीयोग्य		619.95		639.95	
घटाः भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड से ऋण	(iv)	(615.31)	4.64	(615.31)	24.64
(घ) ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावे			59.25		22.63
(ड) अग्रिम पट्टा किराया			0.12		0.13
(च) अन्य			17.71		16.97
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित					
प्रतिभूति जमा राशियां					
– सरकारी विभाग			0.01		0.12
– अन्य			0.13		0.17
बयाना जमा राशि			0.16		0.16
संविदा परिसंपत्ति					
– ग्राहकों के पास प्रतिधरण राशि			4.28		4.28
– ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि			2.67		2.67
इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड से प्राप्य			0.05		0.05
रेल भूमि विकास प्राधिकरण से प्राप्य			25.81		5.81
ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावा संदिग्ध			2.25		2.26
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि व्यवस्था			(35.36)		(15.52)
कुल			**1,603.70**		**1,223.55**

फुट नोट

i) किसी कपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए (31 मार्च 2022 को शून्य रुपए) है।

निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
स्टाफ ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि पर ब्याज	–	–
कुल	–	–

ii) (क) इसमें ग्राहकों द्वारा प्रमाणित 184.73 करोड़ रुपए (31 मार्च 2022 को 188.44 करोड़ रुपए) के कार्य शामिल हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को बिलयोग्य नहीं किया गया है। (ख) इसमें 271.14 करोड़ रुपए के संबंधित पक्षों से प्राप्य राशियां शामिल हैं (31 मार्च 2022 को 259.54 करोड़ रुपए) और इसे नोट सं. 33 (ग) 4.2 (क) में प्रकट किया गया है।

(iii) इसमें 43.76 करोड़ रुपए के संबंधित पक्षों से प्राप्य राशियां शामिल हैं (31 मार्च 2022 को 25.61 करोड़ रुपए) और इसे नोट रू 33 (ग) 4.2 (ख) में प्रकट किया गया है।

(iv) संदर्भ नोट सं. 8.3 (ii), 21.2 और 18.1(घ)।

13. चालू परिसंपत्तिया : चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
टीडीएस और अग्रिम कंर सहित प्रदत्त कर (कर हेतु प्रावधान का निवल प्रावधान)	154.86	56.26
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**154.86**	**56.26**

14. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वसूलीयोग्यः अरक्षित		
पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		
सामग्री और मशीन के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम	176.53	189.12
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को अग्रिम	1,255.05	1,111.65
निम्नलिखित से वसूलीयोग्य अग्रिम		
– बिक्री कर (टीडीएस सहित)	321.92	321.17
घटा : संरक्षणाधीन जमा राशि	(217.05)	(217.05)
– मूल्य संवर्धित कर	80.47	79.41
– वस्तु एवं सेवा कर	847.13	585.10
– सेवा कर इनपुट क्रेडिट	0.01	0.01
प्रतिभूति जमा	44.28	41.31
संचित ब्याज		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास जमाराशि	79.64	36.48
पूर्व प्रदत्त व्यय	10.40	9.32
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को ऋण	16.99	16.99
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	30.00	35.04
मूल्य संवर्धित कर	9.88	9.89
घटाः संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि व्यवस्था	(56.87)	(61.92)
कुल	**2,598.38**	**2,156.52**

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

15. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति	0.01	0.27
कुल : बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति	**0.01**	**0.27**

(i) आर्थिक दृष्टि से मरम्मत के परे और/या निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (वसूलीयोग्य मूल्य और बही मूल्य के निम्नतर पर):–

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान की विधि एवं संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों पर संभावित (हानि) / लाभ	सेगमेंट	31मार्च 2023 को		31मार्च 2022 को	
					सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी								
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (नोएडा वर्कशाप)	एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समया वर्ष 2023 के अंत तक	–	घरेलू : पीएमडी प्रभाग	–	–	0.78	0.04
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (डीएमआरसी सीई 6)	एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समय वर्ष 2024 के अंत तक	–	घरेलू	0.19	0.01	0.19	0.01
मलेशिया क्षेत्र	लोकोमोटिव – 2 नंबर (4 नंबर)	खुली निविदा	–	अंतरराष्ट्रीय	–	–	0.08	0.08
कार्यालय उपकरण								
मलेशिया क्षेत्र	कार्यालय उपकरणों की 28 वस्तुएं (शून्य), एयर कंडीशनर की 17 वस्तुएं (शून्य) और विद्युत उपकरणों की 68 वस्तुएं (शून्य)	खुली निविदा	–	अंतरराष्ट्रीय	–	–	0.03	–
सामान तथा जोड़ा गया उपकरण								
मलेशिया क्षेत्र	फर्नीचर के 79 वस्तुएं	सीमित निविदा	–	अंतरराष्ट्रीय	–	–	0.01	–
फ्रीहोल्ड बिल्डिंग–आवासीय								
दक्षिणी क्षेत्र {नोट देखें (iii)}	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग – चेन्नई में आवासीय	खुली निविदा	–	घरेलू	–	–	0.19	0.14
कुल			–		**0.19**	**0.01**	**1.28**	**0.27**

(ii) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे उसके वहन राशि और पुन वर्गीकरण पर बिक्री की लागत घटा उचित मूल्य पर मापा गया है। तदनुसार, शून्य रुपए (मार्च 2022 को शून्य रुपए) के लिए हानि का प्रावधान किया गया है।

(iii) इंड एएस 105 द्वारा निर्धारित मानदंडों पर वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, चेन्नई स्थित एक आवासीय भवन को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरित कर दिया गया है और ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान संपत्तियां'' अब पूरी नहीं हुई हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

16. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
200,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 2 रुपए		
(20,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 2 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2022 को)	400.00	400.00
	400.00	**400.00**
जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी		
94,05,15,740 इक्विटी शेयर प्रति 2 रुपए पूर्णत प्रदत्त		
(94,05,15,740 इक्विटी शेयर प्रत्येक 2 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2022 को) संदर्भ नोट सं 16(छ.)	188.10	188.10
	188.10	**188.10**

क) 5 प्रतिशत से अधिक के प्रदत्त इक्विटी शेयर के कपनी के शेयर धारकों का ब्यौरा

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार – संदर्भ नोट सं 16(ड.)	688,301,650	73.18%	688,301,650	73.18%

ख) प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों की संख्या

प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2023 को प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर			31 मार्च 2022 को प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर		
	शेयरों की संख्या	शेयरों का कुल प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन	शेयरों की संख्या	शेयरों का कुल प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार	688,301,650	73.18%	लागू नहीं	688,301,650	73.18%	लागू नहीं

ग) रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए बोनस के रुप में जारी इक्विटी शेयर, रोकड से इतर समझे जाने के लिए जारी शेयर और वापस लाए गए शेयरों का ब्यौरा :

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
	–	–	–	–	–	–
बोनस शेयर के रुप में जारी इक्विटी शेयर	–	470,257,870	–	–	–	–
इक्विटी शेयर बाय बैक	–	–	–	–	–	4,928,426
कुल	**–**	**470,257,870**	**–**	**–**	**–**	**4,928,426**

वर्ष 2017–18 निवेश एवं जन सम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) ने इरकॉन को निदेश दिया है कि वे समग्र प्रदत्त इक्विटी के 5 प्रतिशत तक शेयरों के बायबैक करे। कुल 49,41,818 शेयरों को बायबैक करने का प्रस्ताव है, जो कि इन शेयरों की बुक वैल्यु पर होगा। निदेशक मंडल ने 21.09.2017 की अपनी 236वीं बैठक में प्रति 10 रुपए के अपने पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बायबैक को अनुमोदन प्रदान किया है, जो कि मौजूदा शेयरधाराकों से 49,41,818 शेयरों से अधिक नहीं होंगे। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की समापन तिथि यथा 04.12.2017 को भारत सरकार द्वारा धारित 49,28,426 शेयरों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

घ) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/अधिकार :

(i) वोटिंग

कंपनी में केवल 2 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ii) दिवालियापन

कंपनी के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी।

(iii) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के मद्देनजर है।

ड.) वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ में
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	940,515,740	188.10	470,257,870	94.05
जमाः वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयर	–	–	470,257,870	94.05
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**940,515,740**	**188.10**	**940,515,740**	**188.10**

च) ''इरकॉन के निदेशक मंडल ने 5 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी 268वीं बैठक में 1:1 के अनुपात में 2/– रुपए के 47,02,57,870 पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। (अर्थात शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में 21 मई, 2021 के साथ प्रत्येक मौजूदा 1 (एक) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर जारी करना। एनएसई और बीएसई से अंतिम लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमोदन किया गया 31 मई, 2021 को प्राप्त हुआ। बोनस के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 188,10,31,480 रुपए है जो 94,05,15,740 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

17. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	प्रतिधारित आमदनी	1,642.52	1,094.65
	आरक्षित निधि	3,333.71	3,333.71
	पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि	4.93	4.93
	अन्य वृहत आय	9.22	(0.43)
	कुल	**4,990.38**	**4,432.86**
i)	**निम्नानुसार संचलन**		
	क. प्रतिधारित आमदनी		
	आरंभिक शेष	1,094.65	978.87
	लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक का अंतरण	776.83	544.32
	वर्ष के दौरान घोषित और प्रदत्त लाभांश	(61.13)	(159.89)
	अंतरिम लाभांश	(169.29)	(174.00)
	निर्धारित लाभ योजना का पुनःमापन (कर का निवल)	1.46	(0.60)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	बोनस शेयर इश्यु	–	(94.05)
	समापन शेष	**1,642.52**	**1,094.65**
	(ख) सामान्य आरक्षित निधि		
	आरंभिक शेष और अंतिम शेष	**3,333.71**	**3,333.71**
	(ग) पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि		
	आरंभिक शेष	**4.93**	**4.93**
	इक्विटी शेयरों के बायबैक हेतु अंतरण	–	–
	आरंभिक शेष और अंतिम शेष	**4.93**	**4.93**
	(घ) अन्य वृहत आय की मदें		
	आरंभिक शेष	**(0.43)**	**(5.08)**
	वर्ष के दारान विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	9.65	4.65
	अंतिम शेष	**9.22**	**(0.43)**
	सकल योग (क+ख+ग+घ)	**4,990.38**	**4,432.86**

ii) आरक्षित निधि की प्रकृति और प्रयोजन

(क) प्रतिधारित आमदनियां

प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के आवतरित लाभों को प्रस्तुत करती हैं।

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधियों को प्रदर्शित करता है, यह निगमित नियमों के अनुसार है, जहां लाभ के एक भाग को सामान्या आरक्षित निधि में नियोजित किया जाता है। कपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सामान्य आरक्षित निधि में किसी राशि को अंतरित करने का विशेषाधिकार कपनी का है।

(ग) पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि

कंपनी ने दिनांक 26 दिसंबर 2017 को शेयरों के बायबैक क पश्चात लाभों में से पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि का सृजन किया है।

(घ) अन्य वृहत आय की मदें

अन्य वृहत आय में विदेशी प्रचालनों पर अंतरित विनिमय अंतर के कारण शेष राशि का प्रदर्शित करता है।

(iii) लाभांश संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
घोषित / प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश :		
वित्तीय वर्ष 2021–22 को अंतिम लाभांश जिसे वर्ष 2022–23 में भुगतान किया गया 0.65 प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रदत्त 1.70 प्रति शेयर)	61.13	159.89
2022–23 के दौरान अंतरिम लाभांश : 1.80 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2021–22 :1.85 रुपए प्रति शेयर)	169.29	174.00
कुल	**230.42**	**333.89**

iv) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वीकार न किया गया लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 के लिए लाभांश : 1.20 रूपए प्रति शेयर (31 मार्च 2022 : 0.65 रूपए प्रति शेयर)	112.86	61.13
कुल	**112.86**	**61.13**

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

18. अन्य इक्विटी

18.1 गैर चालू वित्तीय देयताएं – कर्ज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2023 को		31मार्च 2022 को	
अरक्षित				
भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण (नीचे नोट का संदर्भ लें)	–		615.31	
घटा: रेल भूमि विकास प्राधिकरण से वसूली (आरएलडीए) (संदर्भ नोट सं. 8.3)	–	–	(615.31)	–
कुल		**–**		**–**

नोट :

क) अरक्षित ऋण के नियम और शर्तें

कंपनी ने 28 मार्च 2018 को भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) से 3200 करोड़ रुपए का ऋण लिया है, जिसका भुगतान पट्टा समझौते के रूप में रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को कर दिया गया है। आरएलडीए और कंपनी के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, मूलधन और ब्याज की सभी किश्तें, साथ ही कोई डिफॉल्ट या अतिरिक्त ब्याज, और अन्य लागत, खर्च और ऋण से जुड़े शुल्क (या अन्यथा देय या के तहत देय) ऋण समझौते के अनुसार), कंपनी को आरएलडीए द्वारा भुगतान किया जाएगा। ऋण राशि के मूलधन का पुनर्भुगतान दिनांक 15 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली 5 (पांच) समान किश्तों में की जाएगी। [नोट 8.3 (फुट नोट (ii)] देखें। ऐसे लेनदेन के लिए कंपनी अधिनियम का पालन किया गया है और लेनदेन हैं किसी भी लागू अधिनियम का उल्लंघन नहीं है।

ख) ब्याज दर :

(i) कपनी प्रतिवर्ष 8.77 प्रतिशत की दर पर समय समय पर ऋण अग्रिम और बकाया की मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करेगी (लागू ब्याज दर) (विशिष्ट रुप से ब्याज कर, सेवाकर तथा/या ऐसा कोई अन्य कर/उपकर/ड्यूटी)। लागू ऐसे कर/उपकर/ड्यूटी, यदि कोई हो, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों के आतरिक्त ऋणधारक द्वारा ऋणदाता को देय होगा (उसी रुप व समय में जैसा कि मूल तथा ब्याज के लिए है)।

(ii) लागू ब्याज दर ऋण अवधि की अवधि के लिए तय की जाएगी।

ग) समझौता ज्ञापन का समाप्त होना :

कतिपय निर्धारित घटनाओं के होने पर, समझौता ज्ञापन समाप्त हो जाएगा, तत्पश्चात इरकॉन को ऐसी निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जैसा कि आईआरएफसी, इरकॉन, आरएलडीए तथा रेल मंत्रालय के बीच सहमति हो। रेल मंत्रालय इस करार के समाप्त होने पर ऋण करार के अंतर्गत सम्पूर्ण बकाया राशि का पूर्व भुगतान के लिए पात्र होगा।

घ) आईआरएफसी से ऋण की भरपाई और आरएलडीए से वसूली योग्य

आरएलडीए और कंपनी के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (''एमओयू'') के पैरा 2.4 के अनुसार, मूलधन और ब्याज की सभी किश्तें, साथ ही कोई चूक या अतिरिक्त ब्याज, और ऋण से जुड़ी अन्य लागतें, खर्च और शुल्क (या अन्यथा ऋण समझौते के तहत या उसके अनुसार देय), कंपनी को आरएलडीए द्वारा भुगतान किया जाएगा।

कंपनी के पास आईआरएफसी के संबंध में ऋण देयता को निर्धारित करने और एमओयू के अनुसार आरएलडीए से वसूल करने का कानूनी रूप से लागू योग्य अधिकार है और साथ ही साथ आरएलडीए से प्राप्त आय के साथ आईआरएफसी से ऋण का निपटान करने की वित्तीय व्यवस्था है। तदनुसार, इंड एएस–32 के प्रावधान के अनुसार आरउलडीए से वसूली योग्य राशि और आईआरएफसी से ऋण की भरपाई की गई है और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है।

ड.) कंपनी के देय किसी ऋण के संबंध में चूक नहीं की है।

18.2 गैर चालू वित्तीय देयताएं – पट्टा देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2023 को	31मार्च 2022 को
पट्टा देयता	0.42	0.15
कुल	**0.42**	**0.15**

18.3 गैर चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	–	–
(ख) अन्य सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से इतर	–	–
(i) संविदा और आपूर्तिकर्ता	–	–
कुल	**–**	**–**

नोट :

(क) कंपनी अधिनियम 2013/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) में अपेक्षित प्रकटन को नोट 43 में उपलब्ध कराया गया है।

(ख) निबंधन और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के साथ अन्य शेषों का प्रकटन नोट 33 में किया गया है।

18.4 गैर चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
जमा राशि व प्रतिधारण राशि	652.85	505.51
वित्तीय गारंटी संविदा	0.15	0.17
कुल	**653.00**	**505.68**

19. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	19.1	119.33	105.70
अन्य प्रावधान	19.2	201.41	185.04
कुल		**320.74**	**290.74**
चालू		**201.05**	**211.04**
गैर चालू		**119.69**	**79.70**

19.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानः

(क) अवकाश नकदीकरण, निपटान भत्ते, सेवानिवृत्तिपूर्व लाभ, निष्पादन संबंधी वेतन एवं अवकाश यात्रा रियायत के प्रयोजन हेतु प्रावधान किए गए हैं।

(ख) इंड एएस–19 'कर्मचारी लाभों' के अनुसार प्रकटन हेतु नोट में प्रावधान किए गए हैं।

(ग) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान के के वहन मूल्य में संचल के लिए प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अवकाश वेतन*	सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	निष्पादन संबंधी वेतन	अवकाश यात्रा रियायत	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अशदान	कुल
31 मार्च 2022 को	**69.72**	**1.19**	**4.64**	**27.54**	**0.11**	**2.50**	**105.70**
चालू	9.22	0.16	4.64	27.54	0.01	2.50	44.07
गैर चालू	60.50	1.03	–	–	0.10	–	61.63
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	11.65	0.15	5.26	29.53	0.08	3.46	50.13
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	(12.38)	(0.04)	(4.64)	(16.96)	–	(1.03)	(35.05)
घटाः वर्ष के दौरान बट्टा खाता	(0.06)	–	–	–	–	(1.47)	(1.53)
बीमांकक लाभ/हानि	–	(0.16)	–		–	–	(0.16)
(विनिमय लाभ)/हानि	0.24	–	–	–	–	–	0.24
31 मार्च 2023 को	**69.17**	**1.14**	**5.26**	**40.11**	**0.19**	**3.46**	**119.33**
चालू	7.79	0.15	5.26	40.11	0.02	3.46	56.79
गैर चालू	61.38	0.99	–	–	0.17	–	62.54

* विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों के लिए 0.49 करोड़ रुपए शामिल हैं, जिसमें अवकाश वेतन प्रावधान वास्तविक आधार पर किया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

19.2 अन्य प्रावधान :

इंड एएस 37 के प्रावधानों और संचलनों की प्रकृति के संबंध में प्रकटन निम्नानुसार है:

(क) डिमोबिलाइजेशन प्रावधान

कंपनी ने विदेशी परियोजनाओं के संबंध में श्रमशक्ति और संयत्र एवं उपकरण के डिमोबिलाइजेशन के प्रति व्ययों के पूरा करने के लिए डिमोबिलाइजेशन प्रावधान किए हैं।

(ख) अनुरक्षण प्रावधान

लागत जमा संविदा में, अनुरक्षण के लिए प्रावधान किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य है।

मद दर तथा एकमुश्त टर्नकी संविदाओं में संविदागत दायित्वों, उपठेकेदार के दायित्वों, प्रचालनिक टर्नओवर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के दायित्व को कवर किया जाता है।

(ग) विधिक मामले

विधि मामलों के लिए प्रावधान दायित्व को प्रस्तुत करते हैं, जिनकी न्यायालयों, मध्यस्थता और अपील संबंधी मामलों के संबंध में सफल होने की संभावना होती है।

(घ) अन्य व्यय के लिए प्रावधान

अन्य व्यय हेतु प्रावधान अप्रत्यक्ष करों और अन्यों के संबंध में संभावित कर देयताओं को प्रदर्शित करते हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	डीमोबिलाइजेशन	अनुरक्षण	विविध संविदाएं	अभिकल्प गारंटी	विधिक मामले	अन्य व्यय	कुल
31 मार्च 2022 को	**13.03**	**33.23**	**–**	**–**	**59.39**	**79.39**	**185.04**
चालू	11.91	16.28	–	–	59.39	79.39	166.97
गैर चालू	1.12	16.95	–	–	–	–	18.07
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.63	11.10	35.62	–	9.83	0.50	57.68
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	(0.03)	(0.36)	(8.81)	–	–	(17.01)	(26.21)
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	–	(1.77)	–	–	–	(18.15)	(19.92)
(विनिमय लाभ)/हानि	1.08	2.41	–	–	–	1.01	4.50
रियायत को विखंडित करना	0.02	0.30	–	–	–	–	0.32
31 मार्च 2023 को	**14.73**	**44.91**	**26.81**	**–**	**69.22**	**45.74**	**201.41**
चालू	**12.77**	**16.53**	**–**	**–**	**69.22**	**45.74**	**144.26**
गैर चालू	**1.96**	**28.38**	**26.81**	**–**	**–**	**–**	**57.15**

20. अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क) संविदागत देयताएं		
ग्राहकों से अग्रिम	746.38	501.69
ख) अन्य		
अन्य	0.04	1.10
पट्टा समानीकरण देयता	12.82	–
कुल	**759.24**	**502.79**

नोट :

निबंधन और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के अन्य शेषों को नोट 33 में प्रकट किया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

21. चालू देयताएं – वित्तीय देयताएं

21.1 ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को
असुरक्षित				
दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वता :				
रेल भूमि विकास प्राधिकरण से दीर्घकालीन से ऋण	615.31		615.31	
घटाएं : रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य (i)	(615.31)	–	(615.31)	–
कुल		–		–

(i) नोट 12.6 (ग) और 18.1 (घ) देखें।

21.2 वर्तमान वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पट्टा देयता	0.09	0.01
कुल	0.09	0.01

नोट :

21.3 चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार देय राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(क) सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम	9.24	3.21
(ख) सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम से इतर		
(i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	798.20	1,006.93
(ii) संबंधित पक्ष	3.97	0.19
कुल	**811.41**	**1,010.33**

नोटः

क) कंपनी अधिनियम, 2013/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिरियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नोट 43 में किया गया है।

ख) निबंधन और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के अन्य शेषों को नोट 33 में प्रकट किया गया है।

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार देय आयु अनुसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल न किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक)	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	4.57	2.90	1.77	-	-	-	9.24
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	124.31	77.11	578.44	5.80	0.85	14.84	801.35
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि			-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि			0.05	0.04	0.14	0.59	0.82
कुल	**128.88**	**80.01**	**580.26**	**5.84**	**0.99**	**15.43**	**811.41**

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल न किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक)	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	2.91	0.24	0.06	-	-	-	3.21
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	753.53	29.89	201.53	3.22	1.09	15.50	1,004.76
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	0.03	-	0.04	0.14	0.21	1.94	2.36
कुल	**756.47**	**30.13**	**201.63**	**3.36**	**1.30**	**17.44**	**1,010.33**

21.4 चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण पर संचित ब्याज	51.89		103.81	
घटा : रेल भूमि विकास प्राधिकरण से अग्रिम (i)	(51.89)	–	(103.81)	–
देय उपदान		7.17		4.69
जमाराशि, प्रतिधारण राशि और रोकी गई राशि		1,595.39		1,167.67
वित्तीय गारंटी संविदा		0.02		0.15
ग्राहकों को देय राशि		590.03		916.14
ग्राहकों को देय लाभांश		1.12		1.12
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज		329.41		330.82
अन्य देय (कर्मचारी देय राशियों सहित)		167.63		166.67
कुल		**2,690.76**		**2,587.27**

(i) संदर्भ नोट 12.6 (ग) और 18.1 (घ)

22. अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क) संविदागत देयता		
ग्राहकों से अग्रिम	2,785.52	2,981.14
– घटा: संरक्षणाधीन जमा राशियां	(217.05)	(217.05)
अग्रिम संविदा प्राप्तियां	216.93	167.40
ख) अन्य		
सांविधिक देय राशियां* :	440.80	264.53
पट्टा समतुल्यन देयत	7.58	–
कुल	**3,233.78**	**3,196.02**

नोट :

क) सांविधिक देयों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सांविधिक देय राशियों के लिए देयताएं शामिल हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

23. चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर का निवल)	28.49	13.53
कुल	**28.49**	**13.53**

24. प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
संविदा राजस्व	9,894.87	6,873.42
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में कंपनी का भाग (गैरनिगमित)	0.58	0.62
मशीनरी किराया प्रभार	4.55	13.54
अन्य प्रचालनिक राजस्व	21.20	22.57
कुल	**9,921.20**	**6,910.15**

25. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज आय :				
कर मुक्त बांड पर ब्याज		19.53		21.96
आयकर प्रतिपूर्ति पर ब्याज		16.66		–
स्टॉफ अग्रिम पर ब्याज		0.07		0.07
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज*		8.77		54.13
अन्य अग्रिम/दावों पर ब्याज	78.10		64.62	
घटा : ग्राहकों को अंतरित अन्य ब्याज	(56.02)	22.08	(26.28)	38.34
वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज आय 1		18.74		15.45
सकल बैंक ब्याज	230.27		122.32	
घटा : ग्राहकों को अंतरित ब्याज	(67.12)	163.15	(43.62)	78.70
वित्तीय माध्यमों का परिशोधन		0.15		0.82
अन्य :				
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		2.49		1.07
म्युचुवल फंड की बिक्री से लाभ	0.32	–	2.18	
घटा – ग्राहकों को प्रदान म्युचुवल फंड की बिक्री पर लाभ	–	0.32	(1.03)	1.15
विविध आय 2	15.75		18.17	
घटा– पारित बीमा दावा	–	15.75	(0.01)	18.16
विनिमय उतार–चढ़ाव लाभ	227.49		–	
घटा : विनिमय उतार–चढ़ाव हानि	(223.77)	3.72	–	–
संयुक्त उपक्रमों से लाभांश		69.00		41.00
कुल		**340.43**		**270.85**

1. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के ऋण के उचित मूल्य के कारण 18.75 करोड़ रूपए (31.03.2022 को 15.44 करोड़ रुपए) शामिल हैं
2. जेसीई की अन्य आय में कंपनी के हिस्सा सहित 0.13 करोड़ रूपए (31.03.2022 को 0.15 करोड़ रूपए)

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

***संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याजः**

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों का विवरण	2022-23	2021-22
– छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	0.90	0.79
– इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड	-	37.72
– इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	3.68	2.09
– इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	4.19	13.53
	8.77	**54.13**

26. (i) प्रयुक्त सामग्री और भंडारण

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
आरंभिक शेष		52.77		67.10	
जमाः वर्ष के दौरान खरीद	(i)	372.53		497.80	
		425.30		564.90	
घटाः अंतिम शेष		(33.22)	392.08	(52.77)	512.13
कुल			**392.08**		**512.13**

(i) ₹**(1.04)** करोड रुपए (दिनांक 31 मार्च 2022 : ₹(0.15) करोड़ रुपए) के इंड एएस विनिमय लाभ /हानि सहित

26. (ii) प्रगतिरत कार्य में (वृद्धि)/कमी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
आरंभिक शेष	216.18		50.04	
जमाः विनिमय लाभ/(हानि) हेतु वर्ष के दौरान समायोजन	2.63		0.88	
	218.81		50.92	
घटाः अंतिम शेष	(173.22)	45.60	(216.18)	(165.26)
कुल		**45.60**		**(165.26)**

26. (iii) परियोजना और अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	फूट नोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्यगत व्यय		8,332.57	5,733.07	-	-
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		8.95	7.04	-	-
निरीक्षण, भू–तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		26.76	28.93	-	-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		13.55	9.47	-	-

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	फूट नोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
मशीनरी का किराया प्रभार		17.94	14.39	–	–
विनिमय उच्चावचन हानि		–	–	–	54.52
घटा : विनिमय उच्चावचन लाभ		–	–	–	(40.43)
निवल विनिमय उच्चावचन हानि		–	–	–	14.09
किराया–गैर आवासीय		5.00	4.30	0.40	0.30
दर एवं कर		66.05	20.71	0.58	0.62
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		13.85	11.91	2.18	1.15
मरम्मत और रखरखाव					
– भवन		0.60	0.20	0.54	0.27
– कार्यालय तथा अन्य		5.14	3.89	7.49	5.52
बिजली, विद्युत व जल प्रसार		4.41	4.65	1.89	1.74
बीमा		10.72	5.69	0.51	0.60
यात्रा और वाहन		12.65	7.86	2.14	1.26
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1.43	1.07	0.68	0.61
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		1.24	1.07	0.31	0.30
बैक प्रभार और कमीशन		7.08	6.79	0.33	0.23
विधिक और व्यावसायिक प्रसार		28.09	14.77	9.34	8.90
सुरक्षा सेवाएं		1.47	1.53	0.72	0.70
सूचीकरण व्यय		–	–	0.06	0.20
व्यवसाय संर्वधन		0.30	0.15	0.77	0.52
बट्टा खाता:					
– ऋण		0.81	0.43	–	–
– अग्रिम		–	1.70	–	–
– अन्य परिसंपत्तियां		–	–	–	–
परिसंपत्ति / भंडार की बिक्री से हानि		–	–	0.04	0.07
निदेशकों की फीस		–	–	0.17	0.08
चंदा		–	–	0.01	0.02
लेखापरीक्षकों की फीस	(iii)	–	–	0.68	0.67
विज्ञापन और प्रसार		–	–	2.25	1.94
प्रशिक्षण और भर्ती		–	–	0.31	0.39
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट–44 का संदर्भ लें)		–	–	10.12	10.52
विविध व्यय		4.18	3.34	2.08	1.40
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में कंपनी के व्यय का आनुपातिक भाग (गैरनिगमित)		0.16	0.26		
प्रावधान जमा –बट्टा खाता (नोट–19 का संदर्भ लें) व फुटनोट (i)		61.04	24.82	–	–
उपयोग किया गया प्रावधान (नोट–19 का संदर्भ लें) व फुटनोट (ii)		(32.06)	(15.53)	–	–
कुल		**8,591.93**	**5,892.51**	**43.60**	**52.11**

फुट नोट:

(i) संदिग्ध अग्रिम और ऋणों के प्रति अतिरिक्त बट्टा खाता प्राधानान 23.29 करोड़ रूपए। (वित्तीय वर्ष 2021–22 : 14.99 करोड़ रूपए) शामिल हैं।

(ii) संदिग्ध अग्रिमों के प्रति 5.85 करोड़ रूपए (वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 2.13 करोड़ रूपए)

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा फीस – चालू वर्ष	0.33	0.31
(ख) सेप डाटा माइग्रेशन लेखापरीक्षा फीस–चालू वर्ष	–	0.05
(ग) कर लेखापरीक्षा फीस–चालू वर्ष	0.10	0.09
घ) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.19	0.18
(ड.) प्रमाणन शुल्क	0.03	0.02
(च) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
– यात्रा व्यय	–	0.01
– आउट ऑफ पॉकेट व्यय	0.03	0.01
कुल	**0.68**	**0.67**

27. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		
		परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल	परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस	(i)	153.00	60.45	213.45	145.14	54.81	199.95
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		9.17	5.57	14.74	9.17	9.00	18.17
विदेशी सेवा अंशदान		–	2.09	2.09	0.87	0.74	1.61
सेवानिवृत्ति लाभ		18.57	13.58	32.15	17.28	9.38	26.66
कर्मचारी कल्याण		1.92	0.35	2.27	1.96	0.24	2.20
कुल		**182.66**	**82.04**	**264.70**	**174.42**	**74.17**	**248.59**

फुट नोट :

(i) 0.62 करोड़ रुपए के गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर आयकर शामिल हैं (31 मार्च 2022 को : 0.47 करोड़ रुपए)।

28. वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज व्यय	(i)	57.51		110.46	
घटा: रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम पर ब्याज		(56.03)	1.48	(110.02)	0.44
अन्य ऋण लागत					
– बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार			0.88		2.47
वित्तीय प्रलेखों के विभाजन पर ब्याज			0.10		–
पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत			0.02		0.01
वित्तीय प्रलेखों का परिशोधन			0.01		–
प्रावधानों पर छूटों का अप्रयोग			0.31		0.45
कुल			**2.80**		**3.37**

फुट नोट :

(i) 0.01 करोड़ रुपए के आयकर पर ब्याज शामिल हैं (31 मार्च 2022 को : 0.01 करोड़ रुपए)।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

29. मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	24.09	16.55
प्रयोग अधिकार –पट्टा परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	0.38	0.37
अमूर्त परिसंपत्तियां का परिशोधन	0.85	0.23
निवेश परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	12.41	10.34
कुल	**37.73**	**27.49**

30. अन्य वृहत आय (ओसीई) के घटक

इक्विटी में आरक्षित निधि के प्रत्येक प्रकार द्वारा ओसीआई में परिवर्तन से असहमति को निम्नानुसार दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
परिभाषित लाभ योजनाओं का लाभ/(हानि) का पुनःमापन	1.95	(0.80)
उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवगीकृत नहीं किया गया है	(0.49)	0.20
कुल	**1.46**	**(0.60)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	12.90	6.21
उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवगीकृत किया गया	(3.25)	(1.56)
कुल	**9.65**	**4.65**
सकल योग	**11.11**	**4.05**

नोट : 31

क. उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय माध्यम द्वारा श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं को इन वित्तीय विवरण में उचित मूल्य पर मापा जाता है और इन्हें उचित मूल्य क्रम में तीन स्तरों पर समूहित किया जाता है। इन तीन स्तरों को मापन के महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोक/योग्यता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो निम्नानुसार हैः

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजार में कोट किए गए मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर–1 के भीतर शामिल किए गए कोट किए गए मूल्यों के आतरिक्त इनपुट, जिनका परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के अनुसार) या अप्रत्यक्ष रुप से (यथा मूल्यों से निर्धारित)।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए गैर अवलोकनीय इनपुट

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क) 31 मार्च 2023 को श्रेणीयों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य			
	वहन मूल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड़ में निवेश	225.19	-	-	225.19
(ii) ऋण	345.98	-	-	345.98
(iii) अन्य – वित्तीय परिसंपत्तियां	1,626.52	-	-	1,626.52
कुल	**2,197.69**	**-**	**-**	**2,197.69**

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य			
	वहन मूल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	-	-	-	-
(ii) पट्टा देयता	0.51	-	-	0.51
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	3,343.76	-	-	3,343.76
कुल	**3,344.27**	**-**	**-**	**3,344.27**

ख) दिनांक 31 मार्च 2022 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय मध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य			
	वहन मूल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड़ में निवेश	275.18	-	-	275.18
(ii) ऋण	315.12	-	-	315.12
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,241.45	-	-	1,241.45
कुल	**1,831.75**	**-**	**-**	**1,831.75**

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य			
	वहन मूल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	–	–	–	–
(ii) पट्टा देयता	0.16	–	–	0.16
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	3,092.95	–	–	3,092.95
कुल	**3,093.11**	**–**	**–**	**3,093.11**

प्रबंधन मूल्यांकन करता है कि रोकड और रोकड समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू वित्तीय देयताएं इन माध्यमों की अल्पकालीन परिपक्वताओं केकारण अपने वहन मूल्यों के समीप बनी रहीं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य को उस मूल्य पर शामिल किया गया है जिस पर माध्यम को इच्छुक पक्षों के बीच चालू संव्यवहार में विनिमय किया जा सकता है। उचित मूल्यों को अनुमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विधियों और अनुमानों का प्रयोग किया गया था।

i) म्युचवल फंड इकाइयों में निवेशों का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित है जैसा कि तुलनपत्र तिथि को प्रकाशित विवरणों में इन म्युचवल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है। उनएवी उस मूल्य को दर्शाता है जिस पर जारीकर्ता म्युचवल फंड की भावी इकाइयों को जारी करेगा और मूल्य जिसपर निवेशकों से ऐसी इकाइयों को जारीकर्ता रिडीम करेगा।

ii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों मे निवेश को इक्विटी निवेशों के रूप में वर्गीकृत कियाजाता है जिन्हें एतिहासिक लागत पर लेखांकित किया जाता है। चूंकि इनका कार्यक्षेत्र निरीक्षण के प्रयोजन हेतु इंड एएस 109 से बाहर है, इसलिए इन्हें उपर्युक्त तालिका में प्रकट नहीं किया गया है।

**वित्तीय वर्ष 2022–23 तथा 2021–22 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 उचित मूल्य मापनों के बीच कोई अंतरण नहीं था।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयता व्यापार और अन्य देय राशियां हैं। कपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल हैं संबंधित पक्षों को ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियों जो प्रत्यक्ष रुप से इसके प्रचालनों से प्राप्त हुई हैं। कम्पनी म्युचुवल फंड और कर मुक्त बांड़ों में भी निवेश करती है। कम्पनी की गतिविधियों के कारण उसे कुछ वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम भी हो सकते हैं।

क. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिमों से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यम हैं व्यापार प्राप्य, बाजार देय तथा अन्य गैर–डैरिवेटिव वित्तीय माध्यम।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करतीं है और उसे व्यापक विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा रहता है (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान सामान्यत समान होते हैं) जो अमरीकी डॉलर, यूरो, येन, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, एमजेडएन, बीटीएन, जेडएआर, एनपीआर तथा एमवाईआर में विदेशी मुद्रा संव्यवहार होते हैं। कपनी को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिमों का स्वतः बचाव हो जाता है ।

दिनांक 31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 5 प्रतिशत की वृद्धि या कमी हमारे कर पूर लाभ पर क्रमशः 5.67 करोड़ रुपए तथा 16.98 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी का महत्वपूर्ण जोखिम निम्नानुसार हैः

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2023 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेपीवाए	एमएमके	जेडएआर	कुल
परिसंपत्तियां										
व्यापार प्राप्य	42.76	40.87	46.67	0.98	–	0.77	12.29	–	–	144.34
रोक़ड़ तथा बैंक शेष	46.08	161.30	1.44	2.80	2.37	0.91	113.97	25.88	0.01	354.76
ठेकेदारों का अग्रिम	34.96	–	0.19	4.03	–	–	32.91	–	–	72.09
अन्य परिसंपत्तियां	4.18	–	179.49	–	1.65	12.36	–	–	0.37	198.05
कुल	**127.98**	**202.17**	**227.79**	**7.81**	**4.02**	**14.04**	**159.17**	**25.88**	**0.38**	**769.24**
देयताएं										
व्यापार प्राप्य	13.56	34.46	22.80	9.59	11.34	–	–	2.52	–	94.27
ग्राहकों का अग्रिम	74.48	–	–	–	–	–	221.25	–	–	295.73
अन्य परिसंपत्तियां	4.82	2.67	252.23	–	2.96	0.63	–	2.50	–	265.81
कुल	**92.86**	**37.13**	**275.03**	**9.59**	**14.30**	**0.63**	**221.25**	**5.02**	**–**	**655.81**

31 मार्च 2022 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेपीवाए	एमएमके	जेडएआर	कुल
परिसंपत्तियां										
व्यापार प्राप्य	29.99	103.50	57.62	–	–	1.88	11.74	–	–	204.73
रोक़ड़ तथा बैंक शेष	10.71	93.16	26.51	3.28	21.90	2.34	–	–	0.06	157.96
ठेकेदारों का अग्रिम	2.46	–	0.16	4.63	–	–	–	–	–	7.25
अन्य परिसंपत्तियां	0.06	–	38.38	–	23.61	21.21	–	–	12.31	95.57
कुल	**43.22**	**196.66**	**122.67**	**7.91**	**45.51**	**25.43**	**11.74**	**–**	**12.37**	**465.51**
देयताएं										
व्यापार प्राप्य	6.98	48.53	6.55	7.64	16.58	0.13	–	–	0.74	87.15
ग्राहकों का अग्रिम	28.75	–	–	–	–	0.90	–	–	–	29.65
अन्य परिसंपत्तियां	3.06	4.35	–	–	0.28	1.35	–	–	–	9.04
कुल	**38.78**	**52.88**	**6.55**	**7.64**	**16.86**	**2.38**	**–**	**–**	**0.74**	**125.84**

ख) (ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज जोखिम बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। कपनी अपने ब्याज जोखिमों की व्यवस्था कपनी की नीतियों और जोखिम प्रयोजनों के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यमों में शामिल हैं कर मुक्त बांड तथा बैंक में जमा राशि। इन वित्तीय माध्यमों में ब्याज दर जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि वित्तीय माध्यमों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित होता है। इसक आतरिक्त, कपनी को ऋणों/कर्ज पर किसी प्रकार के ब्याज का जोखम नही है, क्योंकि इनके ब्याज की दर नियत है।

ख) ऋण जोखिम

कंपनी के ग्राहक प्रोफाइल में भारत तथा विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य स्वामित्व वाली कपनियां शामिल हैं। तदनुसार, समूह का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान तथा परियोजना के अंत में कतिपय प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। कुछ मामलों में प्रतिधारण को बैंक/निगमित गारंटियों के प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह के पास वसूली पर उचित ध्यान केन्द्रित करने के लिए संगठन के भीतर ही विभिन्न स्तरों पर ओवरड्यू ग्राहक प्राप्यों के लिए विस्तृत समीक्षा तंत्र विद्यमान है।

कंपनी को प्रस्तुत गारंटियों के लिए ऋण जोखिम का खतरा है। इस संबध में कंपनी का अधिकतम जोखिम, कंपनी द्वारा भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि है, यदि गारंटी को यदि वापस ले लिया जाता है (नोट–37) देखें। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उम्मीदों के आधार पर कंपनी विचार करती है कि करार के अंतर्गत देय भुगतान राशि की आवश्यकता न हो।

व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां

कपनी के ऋण जोखिम का खतरा मुख्य रुप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। व्यक्ति या देश जहां ग्राहक प्रचालन कर रहा है, वहां त्रुटि जोखिम सहित ग्राहक की जनसांख्यिकीय भी ऋण जोखिम को प्रभावित करती है।

ऋण जोखिम की संभावना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वित्तीय परिसंपत्ति जिसक लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलएफसीएल) परिदृश्य का प्रयोग किया गया है		
गैर चालू निवेश	2,037.60	1,714.19
गैर चालू ऋण	315.84	283.47
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	19.28	15.29
चालू निवेश	99.99	50.00
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	2,168.41	1,206.20
अन्य बैंक शेष	2,616.91	4,133.77
चलू ऋण	30.14	31.65
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	385.16	316.69
वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा भत्ते का मापन किया गया है		
व्यापार प्राप्य	901.94	739.73
संविदा परिसंपतियां	1,257.44	924.99

साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा घाटे में परिवर्तन का सार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक भत्ते	37.52	29.63
वर्ष के दौरान प्रावधान	3.46	17.57
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	(0.81)	(0.43)
राशि बट्टा खाता	–	(9.25)
समापन भत्ते	40.17	37.52

वर्ष के दौरान कपनी में 3.46 करोड़ रूपए (31 मार्च, 2022: 17.57 करोड़ रूपए) के घाटा भत्ता है।

जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलीईसीएली) परिदृश्य के प्रयोग द्वारा आंकलित घाटे में परिवर्तन का सार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक भत्ते	8.57	6.31
वर्ष के दौरान प्रावधान	20.00	2.26
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	(0.17)	–
राशि बट्टा खाता	–	–
(विनिमय लाभ)/हानि	–	–
समापन भत्ते	28.40	8.57

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राक्कलन तकनीकों या अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

वर्ष के दौरान कपनी में 20.00 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2022 : 2.26 करोड़ रुपए) के घाटा भत्ता है।

ग) चल निधि जोखिम

कंपनी पर्याप्त रोकड़ और बाजारयोग्य प्रतिभुतियों के अनुरक्षण और प्रतिबद्ध ऋण क्रमों की पर्याप्त राशि के माध्यम से निधियों पर पहुंच बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। कोष विभाग नियमित रुप से अनुमानों की तुलना में रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों की स्थिति की मॉनीटरिंग करते हैं। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता स्थितियों का आकलन और तुलन पत्र चल निधि अनुपात के अनुरक्षण पर विचार किया जाता है।

कंपनी की निवेश नीति और नीति तथा कार्ययोजना का मुख्य ध्यान पूंजी का संरक्षण और कपनी की चल निधि आवश्यकताओं को सहयोग

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

प्रदान करना है। कपनी का वरिष्ठ प्रबंधन कपनी की निवेश नीति और इसके निवेश उद्देश्यों की उपलब्धि की निगरानी करती है। कपनी विशिष्ट रुप से भारत सरकार के ऋण बांडों और म्युचुवल फंडों में ही निवेश करती है। नीति सामान्य रुप से निवेश ग्रेड की अपेक्षा करती है जिसका प्रमुख उद्देश्य मूल राशि घाटे के संभावित जोखिम को न्यूनतम करना है।

एनएचएआई बांड के ब्याज की दर नियत होती है इसप्रकार इनको बांड उत्पादन दरों में परिवर्तन द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा म्युचुवल फंड उच्च तरलता परिसंपत्तियां हैं, जिसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है तथा इसमें पुनर्निवेश होता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
उधार	–	–	–
व्यापार प्राप्य	811.41	–	–
पट्टा देयता	0.09	0.42	–
अन्य वित्तीय देयताएं	2,690.76	653.00	–

विवरण	31 मार्च 2023 को		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
उधार	–	–	–
व्यापार प्राप्य	1,010.33	–	–
पट्टा देयता	0.01	0.15	–
अन्य वित्तीय देयताएं	2,587.27	505.68	–

घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

जोखिम संकेन्द्रण तब उत्पन्न होते हैं जब जब अनेक प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों या समान भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएं ऐसी होती हैं जो आर्थिक, राजनैतिक या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा उनके संविदागत दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। संकेन्द्रण एक विशिष्ट उद्योग को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति कपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण से बचने के लिए कपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल किए जाते हैं ताकि विविध पोर्टफोलियो को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित कर सके। ऋण जोखिमों के चिह्नित संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्व के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
शीर्ष पांच परियोजनाओं से राजस्व	6,107.15	4,291.71
	6,107.15	4,291.71

ग. पूंजी प्रबंधन

अपनी पूंजी के प्रबंधन का कपनी का उक्तेश्य निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित और सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को जारी रखना है, ताकि कपनी अपने शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य स्टेकधारकों का लाभ दे सके। वर्तमान में कम्पनी के पास कोई कर्ज नहीं है। कंपनी ने निवेश के जन परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग/डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार लाभांश का भुगतान किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
प्रदत्त लाभांश	230.42	333.89
कुल	**230.42**	**333.89**

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 2 रुपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 1..20 रुपए के अंतिम लांभांश की संस्तुति की है, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। यह प्रति इक्विटी शेयर 2 रुपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 1.85 रुपए की दर पर प्रदत्त अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

इसके आतरिक्त, कपनी आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय संविदाओं की अपेक्षाओं के आलाक में समायोजनों के करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है।

32. कर्मचारी लाभ

इंड एएस 19 ''कर्मचारी लाभ'' के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार हैः

(क) निर्धारित अंशदान योजना : सामान्य ब्यौरा

पेंशन

कंपनी ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक समूह में 15 वर्ष की सेवा (अन्य सीपीएसई मे सेवा सहित) पूरी करने वाले आईडीए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2009 से इरकॉन सुनिश्चित अंशदायी अधिवर्षिता पेशन योजना, 2009 क्रियान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए 9.17 करोड़ रुपए (8.93 करोड़ रुपए) समूह के अंशदान भाग का भुगतान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2022–23 के दौरान लेखांकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के समापन के बाद, निदेशक मंडल ने 11 मई, 2023 को आयोजित अपनी 286वीं बैठक में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संचालित इरकॉन परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है।).

(ख) निर्धारित लाभ योजना : सामान्य ब्यौरा

भविष्य निधि

कंपनी, एक पृथक ट्रस्ट (इरकॉन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट) में पूर्व–निर्धारित दर पर निश्चित भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान करती है, जो अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है। ट्रस्ट द्वारा, ट्रस्ट के सदस्य के योगदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना होता है । ट्रस्ट को आयकर प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी का दायित्व है कि वह ट्रस्ट के निवेश के प्रतिफल और अधिसूचित ब्याज दर के आधार पर ब्याज भुगतान के बीच, यदि कोई कमी हो, तो उसे पूरा करे।

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने भविष्य निधि के लिए नियोक्ता के योगदान के लिए ट्रस्ट को 13.64 करोड़ रुपए (13.43 करोड़ रुपए) का अंशदान किया है।

उपदान

कंपनी ने कंपनी के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण उनके नियोजन की समाप्ति पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इरकॉन कर्मचारी समूह उपदान योजना लागू की है। इस उद्देश्य के लिए, इस योजना का प्रबंधन वर्ष 2015–16 में गठित एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और इसे आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। ट्रस्ट की निधि का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक 7.17 करोड़ (4.68 करोड़ रुपए) रुपए की देनदारी, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखा बहियों में लेखांकित की गई है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता लाभों पर डीपीई दिशा–निर्देशों के आधार पर चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000–01 के दौरान 12.00 करोड़ रुपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण समूह कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 5.26 करोड़ रुपए (4.64 करोड़ रुपए) का भी प्रावधान किया है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – सामान्य विवरण

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल हैं– गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2023 को लाभ हानि विवरण और तुलनपत्र में स्वीकृत विभिन्न कर्मचारी लाभों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:–

i) निम्न के दौरान निर्धारित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अवधि के आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व	**427.10**	**409.24**	**81.37**	**80.12**	**131.23**	**128.73**	**1.20**	**1.28**
चालू सेवा लागत	40.54	43.44	3.65	3.44	3.43	3.51	0.06	0.06
पूर्व सेवा लागत	–	–	4.97	–	–	–	–	–
ब्याज लागत	33.82	33.96	5.79	5.24	9.33	8.41	0.08	0.08
प्रदत्त लाभ	(47.55)	(60.08)	(3.62)	(8.58)	(4.30)	(5.30)	(0.04)	(0.10)
दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	(0.14)	0.54	(1.97)	1.15	(0.86)	(4.12)	(0.16)	(0.13)
अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**453.76**	**427.10**	**90.19**	**81.37**	**138.83**	**131.23**	**1.15**	**1.20**

ii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**424.56**	**409.82**	**76.68**	**75.39**	**110.29**	**104.47**	**–**	**–**
नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान	40.54	43.44	4.69	4.72	4.64	4.72	–	–
प्रदत्त लाभ	(47.55)	(60.08)	(3.62)	(8.58)	(4.30)	(5.30)	–	–
ब्याज लागत	32.75	31.39	5.57	5.45	6.95	6.40	–	–
ब्याज आय सहित योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	–	–	–	–	–	–	–	–
एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार	–	–	(0.30)	(0.31)	–	–	–	–
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**450.30**	**424.56**	**83.03**	**76.68**	**117.58**	**110.29**	**–**	**–**

iii) योजना परिसंपत्तियों और निर्धारित लाभ दायित्वों के उचित मूल्य का समायोजन (₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	450.30	424.56	83.03	76.68	117.58	110.29	–	–
निर्धारित लाभ दायित्व	453.76	427.10	90.19	81.37	138.83	131.23	1.15	1.20
तुलनपत्र में स्वीकृत राशि	**(3.46)**	**(2.54)**	**(7.16)**	**(4.69)**	**(21.25)**	**(20.94)**	**(1.15)**	**(1.20)**

iv) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
चालू सेवा लागत	13.67	12.42	3.65	3.44	3.43	3.52	0.06	0.06
पूर्व सेवा लागत	–	–	4.97	–	–	–	–	–
निवल ब्याज व्यय	–	–	0.33	0.31	1.49	1.59	0.08	0.08
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि	**13.67**	**12.42**	**8.95**	**3.75**	**4.92****	**5.11**	**0.15**	**0.15**

v) अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि रू

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
भौगोलिक अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन	–	–	–	–	–	–	–	–
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन	0.01	0.06	1.03	2.69	2.52	5.01	(0.02)	(0.05)
संभावित समायोजन	0.14	(0.59)	0.94	(3.85)	(1.66)	(0.89)	(0.14)	(0.09)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियो पर प्रतिफल	(1.06)	(2.58)	(0.18)	0.22	(0.89)	(0.44)	–	–
अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि	**(0.92)**	**(3.11)**	**1.79**	**(0.94)**	**(0.03)****	**3.68**	**(0.16)**	**(0.13)**

** सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ के संबंध में देयता को बीमांकक मूल्यांकन के रूप में प्रावधान नहीं किया गया है और इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए, बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार पीआरएमबी के संबंध में ओसीआई पर विचार नहीं किया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

vi) कुल योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य की योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	59.16%	59.67%	–	–	6.74%	9.52%	–	–
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	0.00%	–	–	–	43.96%	30.86%	–	–
केन्द्र राज्य गारंटित बांड	0.00%	–	–	–	5.99%	18.73%	–	–
उच्च गुणवत्ता निगमित बांड	37.09%	38.04%	–	–	14.30%	23.40%	–	–
पीएसयू बांड	0.00%	–	–	–	19.53%	7.35%	–	–
पीएसयू आधारित– ।।। टीयर– । बांड	0.00%	–	–	–	8.51%	8.25%	–	–
ऋण म्युचुवल फंड	0.24%	0.77%	–	–	0.29%	–	–	–
आईटीएफ / इंडैक्स / इक्विटी म्युचूवल फंड	3.25%	1.52%	–	–	0.67%	1.89%	–	–
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.26%	–	100.00%	100.00%	–	–	–	–
कुल	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**

vii) समूह की योजना के लिए पीएफ / उपदान / पीआरएमबी / सेवानिृत्ति भत्ता देयता के निर्धारण में प्रयुक्त प्रधान अनुमान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
रियायत दन	7.32%	7.11%	7.32%	7.11%	7.32%	7.11%	7.32%	7.11%
भावी वेतन वृद्धि	8.15%	8,10%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
मृत्यु दर	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)

viii) उपर दर्शाए **गए महत्वपूर्ण अनुमानों हेतु 31 मार्च को मात्रात्मक संवेदी विश्लेषण निम्नानसुार :**

(₹ करोड़ में)

उपदान योजना	पीएफ योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		उपदान योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		पीआरएमबी (डीबीओ पर प्रभाव)		सेवानिवृत्ति भत्ते (डीबीओ पर प्रभाव)	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**453.76**	**427.10**	**90.19**	**81.37**	**138.83**	**131.23**	**1.15**	**1.20**
रियायत दयर	7.32%	7.11%	7.32%	7.11%	7.32%	7.11%	7.32%	7.11%
0.50% की वृद्धि	(0.02)	(0.02)	(2.33)	(2.20)	(5.24)	(4.93)	(0.04)	(0.05)
0.50% की कमी	0.02	0.02	2.51	2.36	5.33	5.04	0.05	0.05
भावी वेतन वृद्धि	**8.15%**	**8.10%**	**7.50%**	**7.50%**	**7.50%**	**7.50%**	**7.50%**	**7.50%**
0.50% की वृद्धि	–	–	1.05	0.94	–	–	0.05	0.05
0.50% की कमी	–	–	(1.09)	(0.97)	–	–	(0.04)	(0.05)

ष्उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण का निर्धारण उस विधि से किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न उपर्युक्त प्रमुख अनुमानों में युक्तिसंगत परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभदायित्वों पर प्रभाव को दर्शाते हैं।

मृत्यु और आहरण के कारण संवेदनशीलता सामग्रीगत नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया जाता है।

मुद्रा स्फीति की दर, भुगतान में पेंशनों की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर तथा जीवन संभाव्यता के प्रति संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति के एकमुश्त लाभ के रूप में लागू नहीं है।

ix) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए निर्धारित लाभ योजना के संभिावित अंशदान 23.07 करोड़ रुपए है।

x) निर्धारित लाभ दायित्वों की परिक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

निर्धारित लाभ दायित्वों की अवधि(वर्ष)	भविष्य निधि	उपदान	सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ योजना	सेवानिवृत्ति भत्ते
1	128.21	26.84	5.32	0.15
2	118.08	9.05	14.58	0.15
3		9.99	7.24	0.15
4		5.68	4.26	0.09
5		5.71	4.05	0.08
6	207.46	4.24	2.92	0.06
6 से आगे		28.68	100.46	0.47
कुल	**453.75**	**90.19**	**138.84**	**1.14**

जोखिम विश्लेषण

कंपनी को अनेक निर्धारित लाभ योजना के जोखिमों की संभावना हैं। निर्धारित लाभ योजनाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिम और इन जोखिमों के प्रभावों के सबंध में प्रबंधन का अनुमान निम्नानुसार है:

(क) ब्याज जोखिम

योजना परिसंपत्ति पर ब्याज दर में कमी, योजना दायित्व में वृद्वि करेगी।

दीर्घायु जोखिम/जीवनकाल संभाव्यता

निर्धारित लाभ योजना दायित्वों का वर्तमान मूल्य का परिकलन नियोजना के दौरान और अंत दोनों में योजना भागीदारों की मृत्युदर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ द्वारा किया जाता है। योजना भागीदारों जीवनकाल संभाव्यता में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

वेतन वृद्धि जोखिम

निर्धारित लाभ योजना दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन योजना भागीदारों के भावी वेतनों के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

33. संबंधित पक्षों सव्यवहार

इंड एएस 24 ''संबंधित पक्ष प्रकटन'' के अनुपालन में प्रकटन निम्नानुसार है:

क) संबंधित पक्षों की सूची

(i) सहायक कंपनी

इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,
इरकॉन अकोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाइवे लिमिटेड
इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड
इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड

(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियां

इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(iii) गैर निगमित संयुक्त उपक्रम (संयुक्त प्रचालन)

संयुक्त प्रचालन	समाप्त संयुक्त प्रचालन	वित्तीय रूप से बंद संयुक्त प्रचालन
एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर	इरकॉन–कोब्रा–ईएलआईओपी
एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसार्टियम	मेट्रो टनलिंग समूह	इरकॉन–श्री भवानी बिल्डर
	इरकॉन एफकॉन	इरकॉन–एसएमजी प्रोजेक्ट जेवी
		इरकॉन–गन्नन डंक्ले
		इरकॉन–आरसीएसःपिलफिडरर
		इरकॉन–एसपीएससीपीएल
		रिकॉन

(iv) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक (केएमपी)

पूर्णकालीन निदेशक

नाम	पदनाम
श्री योगेश कुमार मिश्रा 1	सीएमडी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ;सीईओद्ध
श्रीमती रागिनी आडवाणी 2	निदेशक (वित्त)
श्री संदीप जैन 3	निदेशक (परियोजना)
श्री पराग वर्मा	निदेशक (कार्य) 21.09.2022 से

1. श्री योगेश कुमार मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ, इरकॉन ने दिनांक 29 अप्रैल, 2023 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का पदभार छोड़ दिया, इसलिए वह कंपनी के सीएमडी और सीईओ नहीं रहे।
   श्री बृजेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सदस्य (सीई), रेलवे बोर्ड और सरकारी नामित (अंशकालिक आधिकारिक) निदेशक, इरकॉन ने दिनांक 29 अप्रैल, 2023 को अपने दायित्वों के अलावा, रेल मंत्रालय के अगले आदेश तक के लिए इरकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।
2. श्रीमती रागिनी आडवाणी की निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति के उपरांत श्री मोहित सिन्हा ने दिनांक 19.04.2022 से निदेशक (वित्त) का पदभार छोड दिया है।
3. दिनांक 31.12.2022 को (सेवानिवृत्ति के कारण) श्री एस.एल. गुप्ता दिनांक निदेशक (परियोजना) के पद से पदमुक्त हो गए हैं और श्री संदीप जैन, आईआरएसई, कार्यकारी निदेशक योजना (सिविल और पीएसयू) – रेलवे बोर्ड को दिनांक 12.01.2023 से निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

कंपनी सचिव और मुख्य वित्त अधिकारी

नाम	पदनाम
सुश्री रितु अरोड़ा	कंपनी सचिव
श्री बी मंगुंथन	मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) 26.04.2022 से

अन्य निदेशक

सरकारी नामिति अंशकालीन (सरकारी) निदेशक

नाम	पदनाम
श्री धनंजय सिंह	सरकार द्वारा नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
श्री बृजेश कुमार गुप्ता	दिनांक 29.03.2023 से नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
श्री राजेश अर्गल	दिनांक 31.07.2022 से नामांकित निदेशक के पद से पदमुक्त हुए ।
श्री राम प्रकाश	23.09.2022 से नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और दिनांक 31.01.2023 से नामांकित निदेशक के पद से पदमुक्त हुए।
श्री अजय कुमार चौहान	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक
श्रीमती रंजना उपाध्याय	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक

(v) नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं

इरकॉन उपदान ट्रस्ट
इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
इरकॉन चिकित्सा न्यास
इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास

(vi) सरकार संबंधी न्यास

कंपनी, रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। कंपनी 31 मार्च, 2022 तक भारत के राष्ट्रपति के नाम पर 73.18 प्रतिशत इक्विटी शेयर धारण द्वारा भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियंत्रित है। इंड एएस–24 के पैरा–25 और 26 के अनुसार, ऐसी संस्थाएं जिन पर एक ही सरकार नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, वहां रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। इन पक्षों के साथ लेन–देन बाजार की शर्तों पर आर्म लेंथ के आधार पर किया जाता है। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है।

कंपनी के निम्नलिखित सरकार संबंधी न्यासों के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार हैं:

निकाय का नाम	संबंध
रेल मंत्रालय	नियंत्रण निकाय
रेल भूमि विकास प्राधिकरण	रेल मंत्रालयस के अधीन सांवधिक निकाय
भारतीय रेल वित्त निगम	रेल पीएसयू

ख) कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) निदेशकों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
1	अल्पकालीन नियोजन लाभ (i)	2.71	2.93
2	अन्य दीर्घकालीन नियोजन लाभ	0.75	0.66
3	बैठक शुल्क	0.17	0.08
	कुल	**3.62**	**3.67**

नोट:

(i) वित्तीय वर्ष 2022–23 के आंकड़ों में अनन्तिम आधार पर पिछले वर्षों के दौरान भुगतान किए गए 0.22 करोड़ रुपए का पीआरपी शामिल हैं (वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 0.30 करोड़ रुपए के पीआरपी प्रावधान सहित जिसका भुगतान अनन्तिम आधार पर वित्तीय 2019–20 के दौरान किया गया) शामिल हैं।

(ii) यह अनुमेय निदेशकों से वसूली की गई है, जिन्हें कंपनी के आवास और कार प्रदान की गई है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

अन्य पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
1	वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री				
1.1	संविदा राजस्व	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.23	0.28
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	7.86
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	27.92	19.88
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	(4.61)	21.74
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	236.61	402.60
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	144.12	18.21
		इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	63.45	–
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	23.03	–
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	22.81	–
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	64.23	–
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	128.94	199.36
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	497.18	298.94
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	92.14	40.00
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	144.02	9.66
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	(1.59)	–
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	6,891.15	4,539.71
1.2	किराया आय	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.67	0.68
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.03	0.03
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.03	0.02
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.03	0.03
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.03	0.03
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	0.04	0.04
		इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.03	0.00
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.03	0.00
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.03	0.00
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.03	0.00
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.03	0.00
		इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.04	0.04
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	0.08	0.08
2	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	6.85	2.61

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
3	प्रतिनियुक्ति कर्मचारी व्यय, किराय एवं अन्य विविध व्यय (आय) की प्रतिपूर्ति	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	3.73	3.33
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.62	0.87
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.88	0.96
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.30	0.22
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.67	0.81
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	0.53	0.09
		इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.10	0.06
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.17	0.00
		इरकॉन भोज मारबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.09	0.01
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.13	0.00
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.05	1.11
		इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.30	0.11
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.94	0.93
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	1.62	0.51
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.29	0.10
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.30	0.23
4	ब्याज आय				
4.1	ऋण पर ब्याज आय	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	18.73	15.44
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	37.72
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	3.68	2.09
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	4.19	13.53
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.90	0.79
4.2	अग्रिम पर ब्याज आय	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	56.03	110.02
4.3	बांड पर ब्याज आय	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	14.57	15.14
4.4	लाभांश आय	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	69.00	41.00
5	निवेश की बिक्री पर लाभांश/ब्याज				
5.1	लाभांश संवितरण	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	168.62	244.34
5.2	ब्याज व्यय	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	–	1.03
6	ब्याज व्यय				
6.1	अग्रिम पर ब्याज व्यय	इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.42	–
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	1.04	–
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	0.41

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
6.2	पारित ब्याज व्यय	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	119.89	67.38
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.07	0.03
6.3	ऋण पर ब्याज व्यय	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	56.03	110.02
7	इक्विटी शेयरों में निवेश	इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	3.95
		इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	0.05
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	0.05
		इरकॉन भोज मोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	0.05
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	0.05
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	3.80
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	55.28
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	36.82	26.00
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	25.99
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	13.26	–
8	ऋण मुक्त ब्याज/ इक्विटी माने गए	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	26.56	43.41
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	(0.17)	65.79
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	13.86
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	53.00	18.35
		इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	51.44	–
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.89	–
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	6.73	–
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	82.17	–
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियां	36.60	1.40
		इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	–
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	15.60
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	52.00	–
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	64.11	–
8.1	वित्तीय गारंटी संविदा	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां		0.24
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	0.19
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	0.83

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
9	गारंटिड ऋण	इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	8.37	12.30
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	34.48	34.48
10	अग्रिमों की वसूली	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	31.00	45.00
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	526.00
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	589.50
11	अग्रिमों की वसूली	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	615.31	615.30
12	ऋणों का पुनर्भुगतान	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	615.31	615.30
13	प्राप्त अग्रिम	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	13.94
		इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	14.06	–
		इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	50.00	–
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	24.78	–
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.03	1.36
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	104.15	5.00
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	4.63	2.29
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	74.60	–
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	40.00	15.00
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	6,634.84	5,042.37
14	अग्रिमों का पुनर्भुगतान	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	10.17	0.57
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	21.97
		छत्तीसगढ वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	22.47	15.52
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	31.82	9.79
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	2.41	–
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	54.80	–
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	6,318.21	3,909.24
15	नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं				
15.1	वर्ष के दौरान अंशदान	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	4.69	4.72
		इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	41.29	42.76
		इरकॉन चिकित्सा न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	4.64	4.72
		इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	11.49	11.08

नोट :

(i) सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम कंपनियों तथा संयुक्त प्रचालनों के साथ गारंटियों और अन्य प्रतिबद्धताओं हेतु नोट 37 का संदर्भ लें।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) रेल मंत्रालय से खरीद प्रकृति में काल्पनिक है अतः गैर–तथ्यात्मक है। इस लिए प्रकट नहीं किया गया।

ग) संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष निम्नानुसारः

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
1	इक्विटी निवेश (मानी गई इक्विटी सहित)	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	65.00	65.00
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	230.62	230.79
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	150.19	150.19
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	187.69	187.69
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	205.98	179.42
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	71.40	18.40
		इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	51.49	0.05
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.94	0.05
		इरकॉन भोज मोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	6.78	0.05
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	82.22	0.05
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियां	41.80	5.20
		इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	64.15	64.15
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	213.46	213.46
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	193.99	157.17
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	78.00	26.00
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	140.37	63.00
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	76.34	76.34
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	52.00	52.00
2	बांडों में निवेश	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	155.19	205.18
3	प्रदान ऋणों के प्रति वसूलीयोग्य राशि	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	199.24	240.66
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	47.13	38.76
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	68.96	34.48
4	ऋणों से इतर वसूलीयोग्य राशि				
4.1	व्यापार प्राप्य	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.07	1.53
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	15.35	17.51
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	31.87	6.37
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	16.63

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	32.48	92.65
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	41.31	8.37
		इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	43.12	–
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	26.83	–
		इरकॉन भोज मोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	21.76	–
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	3.21	–
		इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	0.05
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	13.74	19.92
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	33.81	3.85
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	6.83	14.08
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		0.00	–
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.00	0.00
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	166.59	77.14
4.2	**संविदा परिसंपत्तियां**				
(a)	**बिलयोग्य राजस्व / प्राप्य जो देय हैं और वसूलीयोग्य मूल्य पर सीडब्ल्यूआईपी**	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.50	4.40
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	0.64
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	13.23	–
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	17.31	–
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	36.67	31.59
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	18.26	37.30
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.97	1.29
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	21.35	22.94
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	7.52
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	162.86	153.86
(b)	**प्रतिधारण राशि एवं आहरित राशि**	इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	19.54	19.42
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	0.04
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	1.85	0.83
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	3.35	–

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
		इरकॉन भोज मोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	1.76	–
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.20	0.62
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	12.33	3.84
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	1.56	–
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	3.18	0.86
4.3	**वसूलीयोग्य अग्रिम और दावे**	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	4.10	3.07
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.43	0.44
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.24	0.03
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.09	0.08
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.01	0.31
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	0.03	0.07
		इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.03	0.05
		इरकॉन भोज मोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.07	0.02
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.07	–
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.07	–
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.04	–
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.29	0.22
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	2.93	1.32
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.07	0.10
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.02	0.02
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.09	1.03
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	–	10.96
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	634.95	1,270.26
4.4	**ऋणों पर संचित ब्याज**	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	3.96	–
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	10.87	10.06
4.5	**अग्रिमों पर संचित ब्याज**	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	59.65	109.77

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
4.6	**बांडों पर संचित ब्याज**	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	सरकार संबंधी निकाय	10.63	19.86
4.7	**न्यासों से वसूलीयोग्य**	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	16.32	7.68
5	**ऋणों**	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	सरकार संबंधी निकाय	615.31	1,230.62
6	**प्रति देय राशि**				
6.1	**व्यापार प्राप्य**	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	3.97	0.38
6.2	**संविदागत दायित्व (अग्रिम एवं अग्रिम संविदा प्राप्तियां)**	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	2,041.03	2,326.90
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	30.84	15.81
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	3.20	13.37
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	–	24.91
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	9.62	5.68
		इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	50.72	–
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.30	–
		इरकॉन भोज मोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	3.04	–
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	24.78	–
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	8.38	30.82
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	125.06	52.72
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	2.29
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	19.80	–
6.3	**ग्राहकों को अन्य देय**	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.65	0.65
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	9.44	4.94
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	571.76	901.38
6.4	**ऋणों पर देय ब्याज**	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	सरकार संबंधी निकाय	51.89	103.81
6.5	**अग्रिमों पर देय ब्याज**	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.94	–
		इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.38	–
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.29	–
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.12	–

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.42	0.35
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	280.36	287.20
6.6	**न्यासों को देय**	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	7.17	7.68

घ) **संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार की शर्तें एवं निबंधन**

(i) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों को आर्म लैंड संव्यवहारा में प्रचलित समतुल्य शर्तों के अनुसार किया गया है।

(ii) वर्ष के अंत में संबंधित वक्षों के बकाया शेष अरक्षित हैं और इन्हें बैंक संव्यवहारों के माध्यम से निपटाया गया है। ऋणों से इतर अन्य शेष और ब्याज धारित अग्रिम ब्याज मुक्त हैं।

(iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को ऋण सभी अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों और निबंधनों के आधार पर हैं।

34. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संयुक्त प्रचालनों में हित

क 27 ''पृथक वित्तीय विवरण'' के रूप में इंड एएस के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

निम्नलिखित सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों और संयुक्त प्रचालनों में निवेश कों लागत पर लेखांकित किया गया है।

सहायक कंपनियों में निवेश

क्र. सं	सहायक कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान और निगमन का देश	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
2	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
3	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
4	इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
6	इरकॉन गुढगांव रिवाडी हाइवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
7	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	भारत	76.00	76.00	76.00	76.00
8	इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
9	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
10	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
11	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

क्र. सं	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान और निगमन का देश	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
1	इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड	महाराष्ट्र, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
2	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	25.31	26.00	27.31	26.00
3	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	उड़ीसा, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	झारखंड, भारत	26.00	26.00	14.82	26.00
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00
7	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	दिल्ली एनसीआर, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00

संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

क्र. सं	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान और निगमन का देश	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
i)	**प्रचालनरत परियोजनाओं के लिए :**					
	एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम	गुजरात और महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
	एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम	महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
ii)	**पूर्ण संयुक्त प्रचालन**					
	इंटरनेशनल मिट्रो सिविल कांट्रेक्ट	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	मेट्रो टनलिंग ग्रुप	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	इरकॉन–एफकॉन	बांग्लादेश	53.00	53.00	53.00	53.00
iii)	**वित्तीय रूप से बंद संयुक्त संचालन**					
	इरकॉन–कोबरा–कोबरा–ईएलओओपी	दिल्ली एनसीआर, भारत	61.22	61.22	61.22	61.22
	इरकॉन– श्री भवानी बिल्डर्स	चेन्नई, भारत	24.21	24.21	24.21	24.21
	इरकॉन–एसएमजे प्रोजेक्ट जेवी	तमिलनाडु, भारत	55.00	55.00	55.00	55.00
	इरकॉन–गैनन डंकरली	उत्तर प्रदेश, भारत	55.70	55.70	55.70	55.70
	इरकॉनःआरसीएसः पिफिल्डर	जम्मू और कश्मीर, भारत	65.08	65.08	65.08	65.08
	इरकॉन–एसपीएससीपीएल	जम्मू और कश्मीर, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
	रिकोन	दिल्ली एनसीआर, भारत	49.00	49.00	49.00	49.00

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संयुक्त प्रचालनों में हित

ख) संयुक्त प्रचालनों में वित्तीय हित (कंपनी के शेयर के स्तर तक) (₹ करोड़ में)

क्र. स	विवरण	समाप्त संयुक्त प्रचालन के नाम									
		इरकॉन एफकॉन		एक्सप्रेस फेट कंसार्टियम		इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर		मेट्रो टनलिंग		कुल	
		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
	वर्ष के अंत में:										
1	परिसंपत्तियां										
	पीपीई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	अन्य परिसंपत्तियां	0.60	0.52	–	–	4.41	4.37	2.04	2.07	7.05	6.96
2	**देयताएं**										
	प्रावधान	–	–	–	–	0.02	0.01	0.11	0.18	0.13	0.19
	अन्य देयताएं	–	–	–	–	0.91	0.91	0.05	0.05	0.96	0.96
	वर्ष के अंत में:										
3	कुल आय	–	0.02	1.37	1.74	0.05	0.05	0.07	0.10	1.50	1.91
4	कुल व्यय	0.11	0.19	0.45	0.78	0.00	0.01	0.01	0.01	0.57	0.99
5	कुल कर	–	–	0.35	0.37	0.01	0.01	0.02	0.03	0.38	0.41
6	कर पूर्व लाभ	(0.11)	(0.17)	0.58	0.59	0.04	0.03	0.04	0.06	0.54	0.51
7	अन्य वृहत आय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	कुल वृहत आय	(0.11)	(0.17)	0.58	0.59	0.04	0.03	0.04	0.06	0.54	0.51

नोट: संयुक्त प्रचालनों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 37 में प्रकट किया गया है।

35. प्रति शेयर आमदनी

इंड एएस 33 ''प्रति शेयर आमदनी'' के अनुसार प्रकटन

मूल ईपीएस की राशि का परिकलन मूल इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के वेटेज द्वारा भाग करके किया जाता है।

विलयित ईपीएस का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के वेटेज औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों के वेटेड औसत संख्या जो सभी विललियत संभावित इक्विटी शेयरों के इकिवटी शेयरों में परिवर्तन पर जारी किया जाएगा, के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात इक्विटी धारकों के प्रति वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके किया जाता है।

(i) मूल एवं विलयित आमदनी प्रति शेयर (रूपए में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
इक्विटी धारकें के प्रति लाभ (रूपए करोड़ में)	(ii)	776.83	544.32
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या (संख्या में)*	(iii)	940,515,740	940,515,740
प्रति शेयर आमदनियां (मूल)		8.26	5.79
प्रति शेयर आमदनियां (विलयित)		8.26	5.79
प्रति शेयर फेस मूल्य		2.00	2.00

*इरकॉन के निदेशक मंडल ने दिनांक 5 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी 268वीं बैठक में 1:1 के अनुपात में 2/– रुपए के 47,02,57,870 पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। (अर्थात शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में दिनांक 21 मई, 2021 के साथ प्रत्येक मौजूदा 1 (एक) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर जारी किया गया। एनएसई और बीएसई से अंतिम लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमोदन दिनांक 31 मई, 2021 को प्राप्त हुआ। बोनस के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी रु.188,10,31,480 है, जिसे प्रत्येक 2/– रुपए के 94,05,15,740 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

(ii) इक्विटी शेयरों के प्रति लाभ (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ	776.83	544.32
ईपीएस के परिकलन हेतु प्रयुक्त कंपनी के शेयरधारकों के प्रति लाभ	776.83	544.32

(iii) इक्विटी शेयरों के वेटिड औसत संख्या (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	940,515,740	470,257,870
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर	–	–
शेयरों के विघटन के कारण शेयरों की संख्या में वृद्वि	–	–
बोनस शेयर	–	470,257,870
मूल ईपीएस के परिकलन के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	**940,515,740**	**940,515,740**
विलयित प्रभावः		
जमा : वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	–	–
विलयित ईपीएस परिकलन हेतु इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	**940,515,740**	**940,515,740**

36. परिसंपत्तियों की हानि

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) के नियम 3 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), संशोधन नियम 2016 के साथ पठित कंपनी अधियिम 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस 36 ''परिसंपत्तियों की हानि'' की शर्तों के अनुसार निवल वसूलीयोग्य मूल्य और वहन लागत के निम्नतर के आधार पर वसूलीयोग्य राशि का परिकलन द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि का मूल्यांकन किया है। तदनुसार शून्य (शून्य) की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

37. प्रावधान, आकस्मिकताएं और प्रतिबंद्वताएं

(i) प्रावधान

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकसमिक परिसंपत्त्यिों के अनुसार वर्ष के दौरान प्रावधानों में संचलन और प्रावधानों की प्रकृति का प्रकटन नोट 19 में किया गया है।

(ii) आकस्मक देयताएं

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपतियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे	31 मार्च 2023 को
क)	**कंपनी के विरूद्व दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है :**					
	विवादित प्रत्यक्ष कर मांग					
	(i) कंपनी के संबंध में	1	199.03	24.44	(183.54)	39.93
	विवादित अप्रत्यक्ष मांग					
	(i) कंपनी के संबंध में	2	263.66	27.47	(49.97)	241.16
	(ii) संयुक्त प्रचालनों में	3	3.33	–	–	3.33
	विधिक मामले					
	(i) कंपनी के संबंध में	4	537.31	173.31	(86.12)	624.50

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे	31 मार्च 2023 को
	(ii) संयुक्त प्रचालनों में	5	0.02		–	0.02
	कर्मचारियों द्वारा दावे	6	–		–	–
ख)	**की ओर से कंपनी द्वारा जारी गारंटी (वित्तीय गारंटियों को छोडकर)**					
	सहायक कंपनियां	7 (i) (ii)	1,067.41	668.32	(260.13)	1,475.60
ग)	**अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है**					
	ग्राहक द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदन के निपटान के लिए लंबित तरलीकृत क्षति		9.27	–	–	9.27
	कुल		2,080.03	893.54	(579.76)	2,393.81

फुट नोट :

1. आयकर प्राधिकरण ने विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के संबंध में विभिन्न आपत्तियों के लिए मांग उत्पन्न की है। इनमें से कई मामले कंपनी के पक्ष में न्यायाधीन हुए हैं कि किन्तु संबंधित विभिन्नों ने उच्चतर प्राधिकरणोां में इन मुद्दों को उठाया है। कंपनी इन मांगों को विरोध कर रही है, जो विभिन्न अपील स्तरों पर लंबित हैं। स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर और इन अपीलों की गतिविधियों के आधार पर, प्रबंधन को विश्वास है कि अपील प्रक्रिया के पूरा होने पर मांग किए गए अतिरिक्त कर को निरस्तर कर दिया जाएगा और तदनुसार, अपील प्राधिकारयों द्वारा लंबित निर्णय लिया जाएगा, एवं इन वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2. उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवाकर, वेट आदि के संबंध में प्राधिकारियों के समक्ष विभिन्न विवाद लंबित हैं। कंपनी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई इन मांगों का विरोध कर रही है और ये मामले विभिन्न अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। उपर्युक्त मामलों के अंतिम निर्णय के लिए लंबित होने पर, वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किए गए हैं. उपर्युक्त विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगों, में **195.82 करोड़ रुपए** रुपए शामिल हैं, जिनकी प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है।

3. इंटरनेशनल मेट्रो टनलिंग ग्रुप, कंपनी के संयुक्त प्रचालन के मामले में, आयकर प्राधिकारियों के पास **3.33 करोड़ रुपए** (3.33 करोड़ रुपए) की राशि के श्रम व्यय के गैर प्रावधानप के कारण विवादित मांग लंबित है। संयुक्त प्रचालन ने उक्त वित्तीय वर्षों के लिए इन मांगों के विरूद्ध उपयुक्त अपील प्राधिकरणों के समक्ष अपीलें दायर की हैं। कंपनी संयुक्त प्रचालन में हित के भाग के अनुसार उक्त मांग के लिए संयुक्त रूप से दायी है। यह निर्णय अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4. कंपनी निर्माण अनुबंध की शर्तों से संबंधित विवादों पर कई कानूनी मुकदमों का पक्ष है, जो भारत में विभिन्न अदालतों और मध्यस्थता की कार्यवाही में लंबित हैं। कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर अनुबंध मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, काम की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजे, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग करते हुए दावे दर्ज किए हैं। कंपनी द्वारा इन दावों का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अवार्ड किए गए अनुबंधों के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं। **701.86 करोड़ रुपए** (638.79 रोड़ रुपए) के कुल दावों के प्रति, **77.35 करोड़ रूपए** (101.48 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है और **624.51 करोड़ रुपए** (537.31 करोड़ रुपए) के शेष को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी ने ठेकेदारों पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार **333.31 करोड़** (238.82 करोड़ रुपए) के स्वीकार्य काउंटर दावे भी किए हैं। अनिश्चित होने के कारण दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया जाता है।

5. ठेकेदारों में से एक, मेसर्स साई इंजीनियर्स ने अनुबंध की शर्तों पर विवाद के लिए **0.02 करोड़** (0.02 करोड़ रुपए) की राशि हेतु इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। । निर्णय अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित है और इसलिए वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6. कर्मचारियों/अन्य से संबंधित कुछ मामले समूह के विरुद्ध न्यायालयों में लंबित हैं जिनके संबंध में दायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

7. (i) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी, ग्राहक को प्रस्तुत की गई निष्पादन गारंटी के लिए **11.39 करोड़** (11.39 करोड़ रुपए) की राशि के लिए इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड की ओर कंफर्ट पत्र दिया है।

(ii) कंपनी ने इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से और अपनी सहायक कंपनियों के लिए सावधि ऋण सुविधा के संबंध में **4565.99 करोड़** (1534.80 करोड़ रुपए) की राशि के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी है। सहायक कंपनियों द्वारा 31.03.2023 को लिया सावधि ऋण (पुनर्भुगतान का शुद्ध) **1464.21 करोड़ रुपए** (1056.02 करोड़ रुपए) है।

(iii) आकस्मिक परिसंपत्तियां

इंड एएस 37–प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटन निम्नानुसार है:

क) समूह द्वारा अपने कुछ ग्राहकों पर दावे प्रस्तुत किए गए हैं और मध्यस्थताओं द्वारा इन्हें कंपनी के पक्ष में प्रदान किया गया है, जिसके प्रति ग्राहक न्यायालय

में चले गए हैं और इन्हें प्राप्य के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **461.17 करोड़ रुपए** (425.76 करोड़ रुपए) जिसमें प्रदान मध्यस्थता के अनुसार 31.03.2022 तक परिकलित ब्याज शामिल है।

ग) समूह द्वारा उप ठेकेदार पर प्रति दावा दायर किया गया और इसे मध्यस्थता द्वारा कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया गया, जिसके विरूद्ध वे न्यायालय में गए और इसे प्राप्यों के रूप में लेखांकिन नहीं किया गया है यथा **22.48 करोड़ रुपए** (25.42 करोड़ रुपए)।

ग) कंपनी के पक्ष में इथोपिया के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक परिकलित ब्याज सहित **0.93 एमएन अमरीकी डॉलर** (0.91 एमएन अमरीकी डॉलर) तथा इथोपियन बिरर 1.28 एमएन (1.22 एमएन बिर) समतुल्य **7.79 करोड़ रुपए** (7.05 करोड़ रुपए) के बीमा दावे का निर्णय कंपनी के पक्ष में दिया है, जो इथोपिया के उच्च न्यायालय द्वारा आदेश निष्पादन स्तर पर लंबित है।

(iv) प्रतिबद्धता

(₹ करोड़ में)

	विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क)	पूंजी प्रतिबद्धताएं			
	पूंजी खाते पर निष्पाादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य (अग्रिम का निवल) और इनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:	1	16.19	16.37
ख)	अन्य प्रतिबद्धताएं			
(i)	सहायक कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से निधियत प्रतिबद्धता	2	640.85	837.95
(ii)	संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से निधियत प्रतिबद्धता	3	177.60	75.42
(iii)	सहायक कंपनियों के लिए काउंटर बैंक गारंटी	4	291.58	258.28
(iv)	सहायक कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गारंटी	5	2807.17	444.30
(v)	संयुक्त उद्यम की ओर से प्रायोजक सहायता समझौता	6 (i) (ii)	1361.36	1,033.76
(vi)	सहायक कंपनियों के लिए ऋण प्रतिबद्धता	7	500.00	500.00
	कुल		**5,794.75**	**3,166.08**

फुटनोटः

(₹ करोड़ में)

1ण

क्र.सं.	पूंजी प्रतिबद्धता	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1	निवेश परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	1.72	–
2	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	–	–
3	निर्माणाधीन वित्तीय परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	14.47	16.37
	कुल	**16.19**	**16.37**

(₹ करोड़ में)

2.

क्र. सं.	सहायक कंपनियों का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	–	–	–	–
2	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	–	–	–	–
3	इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाईवे लिमिटेड	44.05	4.33	44.05	12.70
4	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	–	–	–	26.56
5	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	–	31.83	–	84.83

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

2.

क्र. सं.	सहायक कंपनियों का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
6	इरकॉन अकोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	17.11	102.99	–	144.39
7	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	14.22	127.54	–	129.62
8	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	20.53	178.54	–	183.02
9	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	–	29.68	–	106.15
10	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	–	70.03	–	106.63
	कुल	**95.91**	**544.94**	**44.05**	**793.90**

* कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने 6 अप्रैल, 2023 को तीन सहायक कंपनियों की पूंजी संरचना को संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन में इक्विटी प्रतिबद्धता की प्रकृति को ब्याज मुक्त ऋण से विशुद्ध रूप से इक्विटी शेयर पूंजी में बदलना शामिल था। तदनुसार, प्रतिबद्धता में परिवर्तन का प्रकटन किया गया है।

3.

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम कंपनियों का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड *	–	33.14	–	–
2	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड *	0.01	64.48	36.83	–
3	इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड	–	–	–	–
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड *	–	54.63	–	–
5	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	0.01	25.33	–	25.33
6	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	–	–	13.26	–
	कुल	**0.02**	**177.58**	**50.09**	**25.33**

* कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने 11 मई, 2023 को तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों में ऋण प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, प्रतिबद्धता में परिवर्तन का प्रकटन किया गया है।

4. सहायक कंपनियों को बैंक गारंटी जारी करने के लिए, कंपनी की गैर–निधि आधारित सीमा **रु. 738.61 करोड़** (488.61 करोड़ रुपए) है। उक्त सीमा में से, दिनांक 31.03.2023 तक **447.03 करोड़** (230.33 करोड़ रुपए) की सीमा तक बैंक गारंटी का उपयोग किया गया है। इसलिए, बैंक गारंटी जारी करने की शेष सीमा **291.58 करोड़ रुपए** (258.28 करोड़ रुपए) है।

5. कंपनी ने इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अपनी सहायक कंपनियों के लिए सावधि ऋण सुविधा के संबंध में **4565.99 करोड़ रुपए** (1534.80 करोड़ रुपए) की राशि के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी है। सहायक कंपनियों ने दिनांक 31.03.2023 तक **1758.82 करोड़ रुपए** (1090.50 करोड़ रुपए) का सावधि ऋण लिया है। वर्ष के दौरान, सहायक कंपनियों ने इन सावधि ऋणों के प्रति **294.61 करोड़ रुपए** (34.48 करोड़ रुपए) चुकाए हैं और दिनांक 31.03.2023 को सावधि ऋण **1464.21 करोड़ रुपए** (1056.02 करोड़ रुपए)। शेष हैं।

6. (i) कंपनी ने एसईसीएल (प्रायोजकों) के साथ अपने संयुक्त उद्यम, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) की ओर से प्रायोजक के समर्थन समझौते को निष्पादित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि चूक की घटना के कारण रियायत समझौते को समाप्त करने के मामले में, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की उपलब्धि से पहले उधारकर्ता द्वारा ऋणी की ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए, उधारदाताओं की संतुष्टि के लिए, उधारकर्ता और/या परियोजना का सहारा लिए बिना सावधि ऋण के अनुसार 31 मार्च, 2023 को इरकॉन का हिस्सा **1033.76 करोड़ रुपए** (3976 करोड़ रुपए के कुल ऋण का 26 प्रतिशत) (31 मार्च, 2022 को 1033.76 करोड़ रुपए) है।

(ii) कंपनी ने सीसीएल (प्रायोजक) के साथ मिलकर अपने संयुक्त उद्यम, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) की ओर से प्रायोजक सहयोग करार को निष्पादित किया है, जिसमें उल्लेलख है कि कि किसी घटना के कारण रियायत समझौते की समाप्ति के मामले में, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की प्राप्ति से पूर्व उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में, प्रायोजक उधारकर्ता औरध्या परियोजना का सहयोग लिए बिना, ऋणदाताओं की संतुष्टि हेतु, उधारकर्ता के ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करेगा। दिनांक 31 मार्च 2023 को प्रस्तुत रुपए राशि के सावधि ऋण के अनुसार इरकॉन का भाग 327.60 रुपए (कुल 1259.75 करोड़ रूपए के ऋण का 26 प्रतिशत) है।

7. कंपनी. किसी भी समय एनएचएआई की सड़क/राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक (डब्ल्यूओएस) कंपनियों के रूप में गठित विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) को, पहले से अनुमोदित बीओडी की सीमा के अतिरिक्त, 500 करोड़ रुपए की कुल राशि तक ऋण (असुरक्षित ब्याज मुक्त/असुरक्षित ब्याज वहन) देने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

38. खण्ड रिपोर्टिंग

इंड एएस–108 ''प्रचालन सेगमेंट के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:

क. सामान्य सूचना

प्रचालन सेगमेंटों को उपक्रम के उस घटक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे लिए विशिष्ट वित्तीय सूचना उपलब्ध है जिसकी मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, यह निर्णय लेने के लिए कि संसाधनों का आवंटन और निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाए। कंपनी की निदेशक मंडल मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक है। प्रचालन क्षेत्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वे मुख्य प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप हो।

कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय प्रचालन क्षेत्र का निर्धारण किया है।

ख. वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित राशियों के प्रतिवेदन योग्य खंडों और समाधान के बारे में जानकारी :

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
सेगमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	411.84	480.43	9,509.36	6,429.72	9,921.20	6,910.15
कुल प्रचालन राजस्व	**411.84**	**480.43**	**9,509.36**	**6,429.72**	**9,921.20**	**6,910.15**
ब्याज आय	11.81	1.88	237.34	207.58	249.15	209.46
अन्य आय	6.01	9.64	85.27	51.75	91.28	61.39
अंत:–सेगमेंट	–	–	–	–	–	–
कुल राजस्व	**429.66**	**491.95**	**9,831.97**	**6,689.05**	**10,261.63**	**7,181.00**
सेगमेंट परिणाम						
प्रावधान, मूल्यह्रास, ब्याज, आपवादिक मद और कर से पूर्व लाभ	94.32	68.49	889.14	594.32	983.46	662.81
घटा: प्रावधान और बट्टा खाता	8.41	(14.75)	(69.45)	(10.07)	(61.04)	(24.82)
घटा: मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	(2.32)	(2.71)	(35.41)	(24.78)	(37.73)	(27.49)
घटा: ब्याज	–	–	(1.50)	(0.45)	(1.50)	(0.45)
कर पूर्व लाभ	**100.41**	**51.03**	**782.78**	**559.02**	**883.19**	**610.05**
घटा: कर व्यय	**(26.57)**	**(23.31)**	**(79.79)**	**(42.42)**	**(106.36)**	**(65.73)**
कर पश्चात लाभ	**73.84**	**27.72**	**702.99**	**516.60**	**776.83**	**544.32**

ग. अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कुल परिसंपत्तियां	913.71	731.12	12,762.70	11,996.36	13,676.41	12,727.48
कुल देयताएं	729.76	627.13	7,768.17	7,479.39	8,497.93	8,106.52
इक्विटी विधि द्वारा संयुक्त उद्यमों में निवेश	–	–	–	–	–	–
वित्तीय माध्यमों, आस्थगित कर परिसंपत्तियां, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर गैर–चालू परिसंपत्तियां.	55.45	22.88	782.53	765.26	837.98	788.14

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त संपत्ति, विकासाधीन अमूर्त संपत्ति और उपयोग का अधिकार)	0.23	0.06	25.34	5.22	25.57	5.28

घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचनाः

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, घरेलू क्षेत्र में एकल बाहरी ग्राहक से लगभग **69.46 प्रतिशत** (65.70 प्रतिशत) प्रचालन राजस्व अर्जित किया गया है।

39. राजस्व

I. राजस्व का विचलन

प्रचालन सेगमेंट और उत्पादन या सेवा के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाआकें से समूह के राजस्व का विचलन निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

उत्पादों और सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व मापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ हानि विवरण/सेगमेंट रिर्पोटिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	8,900.72	406.91	**9,307.63**	9,307.63	–	5.84	**9,313.47**
राजमार्ग	583.23	–	**583.23**	583.23	–	–	**583.23**
इलैक्ट्रिकल	–	–	**–**	–	–	–	**–**
भवन	–	–	**–**	–	–	–	**–**
अन्य	4.01	–	**4.01**	4.01	–	20.49	**24.50**
कुल	**9,487.96**	**406.91**	**9,894.87**	**9,894.87**	**–**	**26.33**	**9,921.20**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से **9894.87 करोड़ रूपए** को समयावधि में स्वीकार किया गया और शून्य रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

(₹ in crore)

उत्पादों और सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व मापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ हानि विवरण/सेगमेंट रिर्पोटिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	5,909.63	468.26	**6,377.89**	6,377.89	–	9.83	**6,387.72**
राजमार्ग	494.85	–	**494.85**	494.85	–	2.07	**496.92**
इलैक्ट्रिकल	–	–	**–**	–	–	–	**–**
भवन	–	–	**–**	–	–	–	**–**
अन्य	0.68	–	**0.68**	0.68	–	24.83	**25.51**
कुल	**6,405.16**	**468.26**	**6,873.42**	**6,873.42**	**–**	**36.73**	**6,910.15**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से **6873.42 करोड़ रुपए** को समयावधि में स्वीकार किया गया और शून्य रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

ख) संविदा शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
व्यापार प्राप्य (नोट 12.2)	868.73	709.16
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 8.3 और 12.6)	1,250.49	918.04
संविदा दायित्व (नोट 20 और 22)	3,531.78	3,433.18

(i) व्यापार प्राप्य गैर–ब्याज धारणीय है और ग्राहक प्रोफाइल में शामिल हैं – रेल मंत्रालय, भारत तथा विदेश में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, राज्य स्वामित्व कंपनियां। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिन की ऋण अवधि सीमा के साथ मासिक प्रगति भुगतान शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय विचार करने के लिए कंपनी के अधिकार को प्रकट करने के लिए सेवाएं निष्पादित की जाती हैं। इसमें निर्माण संविदाओं के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष राशियां शामिल हैं, जो उस समय उत्पन्न होती हैं, जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। पूर्व में संविदा परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार की गई किसी राशि को संलग्न शर्तें के संतोष के स्तर पर व्यापार प्राप्यों के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है, जो कि बिलिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संविदा शेषों में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां	918.04	783.26
वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्तियां	1,250.49	918.04
निवल वृद्धि / (कमी)	**332.45**	**134.78**

वर्ष 2022–23 और 2021–22 के लिए – पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः **332.45 करोड़ रुपए** और 134.78 करोड़ रुपए की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की मान्यता के कारण हुई हैए जबकि किए गए कार्य को अनुबंध की शर्त के आधार पर प्रमाणित किया गया है।

दिनांक 1 अप्रैल, 2022 और 1 अप्रैल 2021 तक अनुबंध की संपत्तियों को, क्रमशः लक्ष्यों की समाप्ति पर ग्राहकों को बिन किए जाने पर दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, **807.48 करोड़ रूपए** और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान 272.11 करोड़ को व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

iii. निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदा देयताएं ग्राहकों से शेष राशियों के कारण हैं, यह तब उत्पन्न होती हैं जब विशिष्ट माइलस्टोन भुगतान इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त तिथि का स्वीकार राजस्व से अधिक हो जाता है और अग्रिम दीर्घकालीन निर्माएा संविदाओं में प्राप्त होता है। प्राप्त अग्रिम की राशि को उस समय समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इनवाइस प्राप्त हो जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं	3,433.18	2,303.58
वर्ष के अंत में संविदा देयताएं	3,531.78	3,433.18
निवल वृद्धि / (कमी)	98.60	1,129.60

वर्ष 2022–23 और वर्ष 2021–22 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में **98.60 करोड़ रुपऐ** और 1129.60 करोड़ रुपऐ की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से ग्राहक से प्राप्त अग्रिम के कारण है।

ग) निम्नलिखित से स्वीकृत राजस्वी की राशि का ब्यौराः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष के आरंभ में संविदा दायित्वों में शामिल राशि	2,021.21	1,444.80
पिछले वर्षों में संतुष्ट निष्पादन दायित्व	.	.

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

घ संविदा प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च 2023 को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि शून्य (दिनांक 31 मार्च 2022 को शून्य) है।

वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत परिशोधन की राशि शून्य (वित्तीय वर्ष 2021–22 को शून्य) है।

ड. निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दासित्वों संबंधीसूचना नीचे सारबद्ध है:

दिनांक 31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों को आवंटित संव्यवहार मूल्य ;असंतुष्ट या आंशिक असंतुष्ट, निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
एक वर्ष के भीतर	9,800	7,200
एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष के भीतर	10,200	7,500
दो वर्ष से अधिक	15,195	29,058
कुल	**35,195**	**43,758**

40. पट्टे

क) पट्टाधारी के रूप में कंपनी

पट्टाधारी के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टा संविदाओं में प्रवेश किया है, जिसमें भूमि, कार्यालय स्थान, गेस्ट हाउस तथा वाहनों के पट्टे शामिल हैं। कंपनी के पास 12 महीनों या कमी की अवधि के पट्टों सहित कतिपय कार्यालयों और गेस्टा हाउस के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पकालीन पट्टा' स्वीकृत छूटों के लिए आवेदन करती है।

प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति

वर्ष के दौरान प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों की वहन राशियों की स्वीकृति और संचलना को नोट 7 में प्रकट किया गया है।

पट्टा देयताएं

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की स्वीकृति और संचलनों के वहन मूल्य को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है। (₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2023 को
1 अप्रैल 2022 को आरंभिक शेष	0.16
पट्टा देयता में संवर्धन	0.34
ब्याज को मान्यता	0.02
भुगतान	(0.01)
31 मार्च 2023 को शेष	**0.51**
चालू	**0.09**
गैर चालू	**0.42**

पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण नोट – 31 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता के तहत नीतियों में शामिल है।

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यहास व्यय (संदर्भ नोट 29)	0.38	0.37
पट्टा दायित्वों पर ब्याज व्यय (संदर्भ नोट 28)	0.02	0.01
अल्पकालीन पट्टों संबंधी व्यय (संदर्भ नोट 26 (iii))	5.40	4.60
कुल	5.80	4.98

कंपनी के पास अनेक पट्टा संविदाएं हैं जिनमें विस्तार और समापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं। ये विकल्प प्रबंधन द्वारा वार्तायोग्य हैं और कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। प्रबंधन यह निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण विवेकाधीकार का प्रयोग करता है कि क्या ये विस्तार और समापन विकल्प प्रयोग हेतु युक्तिसंगत हैं।

विस्तार और समापन की प्रयोग तिथि के अनुसरण पर अवधि से संबंधित अरियायती संभावित भावी किराया भुगतान निम्नानुसार हैं, जिन्हें पट्टा अवधि में शामिल नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

	पांच वर्षों के भीतर	पांच वर्षों से अधिक	कुल
विस्तार विकल्प जिनका प्रयोग नहीं किया जाना है	–	–	–
समापन विकल्प जिनका प्रयोग किया जाता है	–	–	–
	–	–	–

ख. पट्टादाता के रूप में कंपनी

(i) कंपनी ने भवनों को प्रचालन पट्टों के अंतर्गत निर्धारित किया है। पट्टा किराया (किराया और सेवा प्रभार) समग्री रूप से **14.18 करोड़ रुपए** हैं (9.10 करोड़ रुपए) जिन्हें पट्टा व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

(ii) कंपनी ने प्रचालन पट्टों के अंतर्गत मशीनरीं को दिया है। पट्टा आय (किराया और सेवा प्रभार) समग्री रूप से **4.55 करोड़ रुपए** हैं (13.54 करोड़ रुपए) जिन्हें पट्टा व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

गैर–रद्दकरणीय प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भावी न्यूनतम किराये निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2023 को
एक वर्ष के भीतर	1.65
एक वर्ष के पश्चात किन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं	35.57
पांच वर्ष से अधिक	30.06
	67.29

41. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची–V द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण :

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के अनुपालन में, आवश्यक जानकारी निम्नानुसार दी गई है:

	कंपनी का नाम	बकाया शेष		समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क	**ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम:**				
	सहायक कंपनियों के लिए				
	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	199.24	240.66	260.00	336.00
	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	–	–	–	526.00
	इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाईवे लिमिटेड	47.13	38.76	47.13	38.76
	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	68.96	34.48	69.71	589.50
	संयुक्त उद्यम कंपनियों के लिए				
	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	–	–	–	–
ख	**कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के शेयरों में ऋणी द्वारा निवेश (जैसा कि ऊपर उल्लिखित है)**	**–**	**–**	**–**	**–**

फुट नोट :

1. अनुषंगी/संयुक्त उद्यमों/सहयक कंपनियों/फर्मों/अन्य को ऋण और अग्रिमों का कोई लेन–देन नहीं है, जिसमें निदेशकों की रुचि है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

42. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–186 के अनुसार प्रकटीकरण :

क्र.सं	लेन–देन की प्रकृति (दिए गए ऋणधनिवेश किए गए/गारंटी दी गई)	जिस प्रयोजन के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण/गारंटी/प्रतिभूति का उपयोग करने का प्रस्ताव है	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(क)	ऋण और अग्रिम			
	सहायक कंपनी			
	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	परियोजना वित्तपोषण	199.24	240.66
	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	परियोजना वित्तपोषण	68.96	34.48
	इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाईवे लिमिटेड	परियोजना वित्तपोषण	47.13	38.76
	कुल		**315.33**	**313.90**
(ख)	गारंटी		संदर्भ नोट 37	
(ग)	पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों और डीम्ड इक्विटी में निवेश		संदर्भ नोट 8.1	

43. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित ब्यौरा निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदेश शेष मूल राशि और उस पर ब्याज:		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देश मूल राशि	1.32	–
	उपर्युक्त पर देय ब्याज	0.10	–
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 16 की शर्तों में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि।	–	–
3	प्रदत्त भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है किन्तु वर्ष की निर्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार ब्याज को शामिल किए बिना।	–	–
4	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में संचित ब्याज की राशि जो भुगतान क लिए शेष है।	–	–
5	अगले वर्ष भी देय और भुगतान योग्य राशि पर और ब्याज की राशि, जबतक कि लघु उपक्रम को वास्तव में किए गए भुगतान की तिथि पर ब्याज देय है, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की गैर–अनुमति के प्रयोजन हेतु है।	–	–

44. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

लोक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित समूह अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार समूह का अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तीन तत्काल पूर्व वित्तीय वर्षों के दौरान समूह को हुए निवल औसत लाभों के कम से कम 2 प्रतिशत की दर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करना अपेक्षित है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि

(₹ in crore)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के दौरान समूह द्वारा व्यय किए जांने हेतु अपेक्षित सकल राशि	10.10	10.50
वर्ष के दौरान खर्च की जानेवाली राशि हेतु बोर्ड का अनुमोदन	10.10	10.50

ख) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		
	नकद में प्रदत्त	भुगतान किया जाना है	कुल	नकद में प्रदत्त	भुगतान किया जाना है	कुल
परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर*	1.99	–	1.99	0.71	–	0.71
उपर्युक्त से इतर प्रयोजनों हेतु	8.13	–	8.13	9.81	–	9.81
कुल	**10.12**	**–**	**10.12**	**10.52**	**–**	**10.52**

*खरीद और संबंधित संगठनों को सुपुर्द की गई परिसंपत्तियां कंपनी द्वारा धारित नहीं हैं

ग) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली शेष राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
कोविड–19 के विरूद्ध लड़ाई के लिए प्रधान मंत्री केयर्स निधि में अंशदान	1.53	8.26
भूख, गरीबी व कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता का संवर्धन तथा सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	4.54	0.87
विशेष रूप से बच्चों में व्यावसायिक कौशल संवर्धन सहित विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा का संवर्धन	2.35	0.32
पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना	0.53	0.19
महिलाओं और अनाथों के लिए होम और होस्टल की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम डे–केयर केन्द्रों और ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना	–	–
खेलकूद	–	0.38
अन्य (अन्य प्रशासनिक लागत सहित)	1.17	0.50
कुल	**10.12**	**10.52**

घ) अव्यय दायित्वों से संबंधित ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
के संबंध में अव्ययित राशि :		
– चालू परियोजना (#)	.	.
– चालू परियोजना से इतर (##)	.	.

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

चालू परियोजना

(₹ करोड़ में)

आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय के लिए अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		समापन शेष	
कंपनी सहित	पृथक सीएसआर अव्ययति खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक सीएसआर अव्ययति खाते से	कंपनी के पास	पृथक सीएसआर अव्ययति खाते से
-	-	-	-	-	-	-

* चालू वर्ष के साथ–साथ पिछले वर्ष के लिए सीएसआर पर खर्च की जाने वाली राशि में कोई कमी नहीं है। हालाँकि, सीएसआर की विशिष्ट चल रही परियोजना के लिए **0.17 करोड़ रुपए** (0.18 करोड़ रुपए) की राशि निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा।

चालू परियोजनाओं से इतर

(₹ करोड़ में)

आरंभिक शेष	छह महीनों के भीतर अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि	वर्ष के दौरान व्यय के लिए अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	समापन शेष
–	–	–	–	–

ड.) व्यय/अव्यय दायित्वों से संबंधित ब्यौराः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक जमा	–	–
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि (उपरोक्त (क) के अनुसार)	10.10	10.50
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि (उपरोक्त (ख) के अनुसार)*	10.12	10.52
कंपनी द्वारा खर्च की गई कमी/(अतिरिक्त) राशि	**(0.02)**	**(0.02)**

* सीएसआर व्यय के संबंध में कोई संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं है।

च) अन्य प्रकटनः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान (1)	लागू नहीं	लागू नहीं
जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, प्रावधान मे संचलन	लागू नहीं	लागू नहीं

45. कोविड –19 प्रकटीकरण

कंपनी ने वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली सहित अपने वित्तीय परिणामों की तैयारी में कोविड –19 से होने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है। वैश्विक आर्थिक में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित मान्यताओं को विकसित करना। कोविड–19 के कारण, कंपनी ने सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और उम्मीद है कि परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की जाएगी। इस वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव उस अनुमान से भिन्न हो सकता है, जो हमारे द्वारा अनुमान लगाया गया है, क्योंकि भारत और विश्व स्तर पर कोविड–19 की स्थिति विकसित हो रही है। हालांकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

46. अन्य विनियामक प्रकटन

क) अनुपातों का प्रकटीकरण

विवरण	न्यूमरेटर	डिनॉमिनेटर	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	प्रतिशत परिवर्तन	25 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	1.49	1.40	5.96%	
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.00	0.00	184.43%	टिप्पणी (i) का संदर्भ लें
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ गैर–नकद परिचालन व्यय	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान प्रदत्त मूलधन 104	1.32	0.93	42.36%	टिप्पणी (ii) का संदर्भ लें
इक्विटी अनुपात पर वापसी	करों के बाद शुद्ध लाभ – वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी	15.85%	12.06%	31.47%	टिप्पणी (ii) का संदर्भ लें
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बिक्री हेतु सामान की लागत	औसत सूची	37.73	32.01	17.86%	
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	शुद्ध ऋण बिक्री = सकल ऋण बिक्री – बिक्री रिटर्न	औसत व्यापार प्राप्य	12.58	11.39	10.45%	
व्यापार देय कारोबार अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद = सकल ऋण खरीद – खरीद वापसी	औसत व्यापार देय	9.43	6.74	39.93%	टिप्पणी (iii) का संदर्भ लें
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री – बिक्री रिटर्न	कार्यशील पूंजी = वर्तमान संपत्ति – वर्तमान देनदारियां	2.93	2.45	19.78%	
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री – बिक्री रिटर्न	7.57%	7.58%	-0.13%	
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य कुल ऋण आस्थगित कर देयता	15.06%	11.82%	27.49%	टिप्पणी (i) का संदर्भ लें
निवेश पर वापसी	ब्याज (वित्त आय)	निवेश	8.04%	5.01%	60.43%	टिप्पणी ;iv), (v) का संदर्भ लें

टिप्पणियां :

(i) रेल भूमि विकास प्राधिकरण से वसूली योग्य राशि के साथ भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण की भरपाई के कारण अनुपात लागू नहीं हैं। लीज देयता के केवल मामूली प्रभाव पर विचार किया गया है।

(ii) संचलन, मुख्य रूप से अनुबंध राजस्व और संयुक्त उद्यमों से लाभांश के माध्यम से उत्पन्न वृद्धिशील आय के कारण है।

(iii) अनुपात में सुधार अपने ऋणदाताओं को समय पर भुगतान के कारण है।

(iv) यह संचलन संयुक्त उद्यमों से लाभांश में वृद्धि के कारण है।

(v) अनुपात गणना के लिए बांड, म्युचुअल फंड और संयुक्त उद्यम में निवेश पर विचार किया गया है।

(ख) बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन–देन नहीं है।

(ग) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं किया गया है।

(घ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुवल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ड.) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) को इस संज्ञान के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थः

(क) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या कंपनी की ओर से (अंतिम लाभार्थी) की ओर से उधार या निवेश करें या (ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।

(च) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थानों) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या वित्तपोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) की ओर से या किसी भी तरह से उधार या निवेश करता है या (ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की प्रदान करें।

(छ) कंपनी का ऐसा कोई भी लेन–देन नहीं है, जो उन खाता बहियों में दर्ज नहीं है जिन्हें बाद में आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, खोज या सर्वेक्षण) या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत चल रहे कर निर्धारण के भाग के रूप में, वर्ष के दौरान, आय के रूप में निष्कासित या प्रकटन किया गया है।

(ज) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

(झ) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वेच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ट) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं की संख्या का अनुपालन किया है।

47. इंड एएस–8 द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण ''लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां''

वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभांश से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और संशोधित लेखांकन नीति नीचे दी गई है और बोल्ड में संशोधनों को हाइलाइट किया गया है।

सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

फ्रीहोल्ड भूमि और स्थायी पट्टे पर अर्जित लीजहोल्ड भूमि को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है। हालांकि, कुछ मामलों में परिसंपत्तियों के वर्ग में, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न उपयोगी जीवन का उपयोग किया जाता है। परिसंपत्ति से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर परिसंपत्तियों के उन वर्गों की प्रकृति, अनुमानित उपयोग को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन का मूल्यांकन किया गया है। तकनीकी मूल्यांकन अर्थात कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन का प्रकटन खातों के नोटों में किया गया है।

48. हाल की गतिविधियां

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) ने 31 मार्च,2023 को, समय–समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित किया है, और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में निम्नानुससार संशोधन किया हैं:

इंड एएस–1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति – इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के स्थाइन पर अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का प्रकटन करने की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

इंड एएस–8 – लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटि – इस संशोधन ने ''लेखा अनुमान'' की परिभाषा प्रस्तुरत की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को अलग करने में मदद करने के लिए इंड एएस 8 में संशोधन किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंड एएस 12 – आयकर – इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि, यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी अंतर को दूर करते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

49. अन्य प्रकटन

क. (i) कंपनी, वर्ष 2000–01 से निर्धारण वर्ष 2019–20 तक, धारा 80 आईए के तहत कटौती का दावा कर रही है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा वर्ष 2013–14 तक धारा 80 आईए के तहत कटौती की अनुमति दी गई है। हालांकि,

आयकर विभाग ने वि.व. 2000–01 के लिए आईटीएटी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है। वर्ष 2019–20 तक कंपनी डीटीएए समझौतों के अनुसार आय को छोड़कर भारत में कर के लिए वैश्विक आय की पेशकश कर रही थी, जहां विदेशों से अर्जित आय को कराधान के लिए दी जाने वाली वैश्विक आय से बाहर रखा गया है। कंपनी को निर्धारण वर्ष 2005–06 तक बहिष्करण पद्धति की अनुमति दी गई थी, उसके बाद विभाग द्वारा वैश्विक आय पर गणना किए गए करों से विदेशों में भुगतान किए गए करों के प्रति क्रेडिट की अनुमति दी गई है। देय कर का भुगतान करने के बाद अपील दायर करके इस मुद्दे को चुनौती दी गई है। आकलन वर्ष 2016–17 तक आईटीएटी द्वारा इरकॉन के पक्ष में निर्णय दी गई है

(ii) पिछले वर्षों के संबंध में आयकर के प्रावधान को वापस लिखा गया है/ आयकर व्यय को उलट दिया गया है। रु. आयकर अधिकारियों से प्राप्त अनुकूल आदेशों के कारण **78.53 करोड़ रुपए** (92.53 करोड़ रुपए) का भुगतान हुआ।

ख. लागत जमा आधार की परियोजनाओं में कुछ ठेकेदारों के दावों के कारण विभिन्न अदालतों और अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष, कंपनी के विरूद्ध कुछ अन्य मामले भी लंबित हैं। ऐसे मामलों में, कंपनी अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ग्राहकों से पूर्ण प्रतिपूर्ति की परिकल्पना करती है और संसाधनों के कोई आर्थिक बहिर्वाह की आशा नहीं करती है। इस संबंध में कुल दावा रु. **1,984.19 करोड़** (1,432.67 करोड़ रुपए) न्याहयाधीन है, जिसके लिए **6.59 करोड़ रुपए** (3.93 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है और ग्राहकों को प्रतिपूर्ति की गई है। कंपनी ने ठेकेदारों पर **340.09 करोड़ रुपए** (615.65 करोड़ रुपए) के लिए प्रति–दावा किया है। अनिश्चित होने के कारण दावों पर ब्याज को लेखांकित नहीं किया गया है।

ग. माननीय उच्च न्यायालय ने यूपी–05, उरई राजमार्ग परियोजना के लिए एनएचएआई को समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर **97.96 करोड़ रु** की राशि का रुपए की राशि का मध्यस्थता अवार्ड जारी करने की अनुमति दी है। कंपनी ने न्यायालय के अंतिम निर्णय तक समतुल्य राशि का दायित्व प्रदान किया है।

घ. कंपनी के पास, बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। जहां तक व्यापार/अन्य भुगतानों और ऋणों एवं अग्रिमों का संबंध है, शेष राशि पुष्टि पत्र, पक्षों को भेज दिए गए थे। कुछ व्यापार प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देय राशियों की शेष राशि पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। मध्यवस्थता की प्रक्रिया, निरंतर आधार पर की जाती है। हालाँकि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टियों/समाधानों से कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

ड. चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनीयता बढ़ाने के लिए, तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण और पुनर्रचना की गई है। इन पुनर्वर्गीकरणों का संचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

च पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से अलग करने के लिए ब्रैकेट () के अंतर्गत दिखाया गया है।

छ प्रबंधन की राय में, व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और गैर–चालू निवेश के अलावा अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर इसे तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
एम. नं. 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई 2023

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डिन–09575213

ह0/–
बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डिन–10092756

ह0/–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड-143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक वं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद–139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद–143 के अंतर्गत लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 24 मई 2023 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद–143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो अधिनियम के अनुच्छेद–143(6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

ह./–
डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी
(साझेदार)
लेखापरीक्षा महानिदेशक,
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 09.08.2023

छज्ज

समेकित
वित्तीय विवरण
2022-23

फार्म एओसी-1

31.03.2023 को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता विवरण कंपनी)(लेखा) नियम, 2014 को नियम 5 के साथ पठित खंड 129 के उपखंड (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में)

भाग– ''क'' : सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	सहायक कंपनी का नाम	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)	इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटड (इरकॉन वीकेईएल)	इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन जीआरएचएल)
1	सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023
2	रिपोर्टिंग मुद्रा	रुपए में	रुपए में	रुपए में	रुपए में	रुपए में	रुपए में
3	शेयर पूंजी (शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन सहित)	150.00	165.00	173.00	65.00	10.00	0.05
4	अन्य इक्विटी/आरक्षित निधि व अतिरेक (जैसा कि लागू हो)	(102.64)	(12.94)	50.29	105.26	278.20	75.02
5	देयताएं	598.09	319.88	394.68	206.21	763.49	83.88
6	कुल इक्विटी और देयताएं	645.45	471.94	617.97	376.47	1,051.70	158.95
7	कुल परिसंपत्तियां	645.45	471.94	617.97	376.47	1,051.70	158.95
8	निवेश	–	–	–	–	–	–
9	टर्नओवर	177.51	54.49	76.58	222.85	279.00	158.08
10	कर पूर्व लाभ	(14.34)	(17.17)	34.71	7.13	29.39	4.91
11	कर के लिए प्रावधान	–	–	8.34	1.80	7.65	1.24
12	कर पश्चात लाभ	(14.34)	(17.17)	26.37	5.33	21.74	3.67
13	अंतरिम लाभांश – इक्विटी	–	–	–	–	–	–
14	अंतरिम लाभांश – प्रेफरेंस	–	–	–	–	–	–
15	प्रस्तावित लाभांश – इक्विटी	–	–	–	–	–	–
16	प्रस्तावित लाभांश – प्रेफरेंस	–	–	–	–	–	–
17	शेयरधारिता का प्रतिशत	100%	100%	100%	100%	100%	100%

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
एम. नं. 084072

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डिन–09575213

ह0/–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डिन–10092756

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई 2023

फॉर्म एओसी-1

31.03.2023 को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता विवरण कंपनी)(लेखा) नियम, 2014 को नियम 5 के साथ पठित खंड 129 के उपखंड (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में)

भाग– ''क'' : सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	सहायक कंपनी का नाम	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (इरकॉन आरपीएल)	इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएकेईएल)	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉन एलआरएचएल)	इरकॉन भोज–मारबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन बीएमईएल)	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉन एचबीएल)
1	सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023
2	रिपोर्टिंग मुद्रा	रुपए में	रुपए में	रुपए में	रुपए में	रुपए में
3	शेयर पूंजी (शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन सहित)	3.80	0.05	0.05	0.05	0.05
4	अन्य इक्विटी/आरक्षित निधि व अतिरेक (जैसा कि लागू हो)	49.71	51.75	0.89	6.72	82.94
5	देयताएं	2.61	75.93	27.85	24.59	4.63
6	कुल इक्विटी और देयताएं	56.12	127.73	28.79	31.36	87.62
7	कुल परिसंपत्तियां	56.12	127.73	28.79	31.36	87.62
8	निवेश	–	–	–	–	–
9	टर्नओवर	0.12	65.85	24.22	26.61	53.08
10	कर पूर्व लाभ	0.03	0.42	–	–	1.03
11	कर के लिए प्रावधान	(0.03)	0.11	–	–	0.26
12	कर पश्चात लाभ	–	0.31	–	–	0.77
13	अंतरिम लाभांश – इक्विटी	–	–	–	–	–
14	अंतरिम लाभांश – प्रेफरेंस	–	–	–	–	–
15	प्रस्तावित लाभांश – इक्विटी	–	–	–	–	–
16	प्रस्तावित लाभांश – प्रेफरेंस	–	–	–	–	–
17	शेयरधारिता का प्रतिशत	76%	100%	100%	100%	100%

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
एम. नं. 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई 2023

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डिन–09575213

ह0/–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डिन–10092756

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

भाग–ख : संयुक्त उपक्रम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	संयुक्त उद्यम का नाम	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड	इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर :	26.00%	26.00%	26.00%	50%	26.00%	26%	26%
	धारित शेयरों की संख्या	76,337,300	197,855,700	193,991,200	63,870,000	26,256,438	26,000,000	51,999,700
	संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (नीचे नोट 2)(रुपए में)	763,373,000	1,978,557,000	1,939,912,000	638,700,000	762,564,380	260,000,000	519,997,000
	शेयरों की कुल संख्या	293,605,000	781,578,074	721,513,000	127,740,000	100,986,300	90,005,000	199,999,400
	शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत)	26.00%	25.31%	26.89%	50%	26.00%	28.89%	26.00%
3	किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है	Refer Note1 (Below)						
4	संयुक्त उद्यम के समेकित नहीं होने का कारण	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल संपत्ति (करोड़ रुपए में)	76.12	190.13	187.21	81.24	141.72	23.05	79.12
6	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (करोड़ रुपए में)	(0.93)	(118.59)	(0.24)	119.66	5.40	(0.43)	3.38
	(i) समेकन में माना जाता है (करोड़ रुपए में)	(0.24)	(30.02)	(0.06)	59.83	1.18	(0.11)	0.88
	(ii) समेकन के रूप में नहीं माना गया (करोड़ रुपए में)	(0.69)	(88.57)	(0.17)	59.83	4.22	(0.32)	2.50

नोट

1 निवेशिती की 20 प्रतिशत या अधिक मतदान शक्ति धारण द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव किया किया है।

2 संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डिन–09575213

ह0/–
बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डिन–10092756

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
एम. नं. 084072

ह0/–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई 2023

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों
के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''धारक कंपनी'' कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियां (धारक कंपनी और सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं (जिसे यहां आगे समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कहा जाएगा)।

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और श्रीलंका (भारत का भाग) में स्थित 3 (तीन) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। तथापि, हमने शाखाओं का दौरा नहीं किया है और लेखापरीक्षा के प्रयोजन से संगत सूचना हमें निगमित कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं जो 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समूह के कार्यों के संदर्भ में कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, (''इंड एस'') के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संगत हैं तथा अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे इस तिथि को समाप्त वर्ष के अनुसार समेकित लाभ और समेकित हानि तथा समेकित कुल वृहत आय, समेकित इक्विटी परिवर्तन तथा समेकित रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं।

मत का आधार

हमने अधिनियम के अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखापरीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमें यह मानना है कि स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखापरीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय पर बल

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से संबंधित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण पर निम्नलिखित नोटों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिस पर हमारे द्वारा जोर देने की आवश्यकता है।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित मौजूदा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में कुछ संशोधनों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण के नोट सं. 47 का संदर्भ लें। जैसा कि प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया है, कंपनी की लाभप्रदता पर ऐसे उपरोक्त संशोधनों के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

ख) समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 9 के फुट नोट सं. (i) का संदर्भ लें, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में से एक, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) के वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किए गए हैं और कंपनी को आईआरएसडीसी में कंपनी द्वारा रखे गए निवेश के मूल्य में किसी हानि की कोई संभावना नहीं है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख मामले वो होते हैं जिनके प्रति चालू अवधि के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में हमारा व्यावसायिक निर्णय निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामले समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संदर्भ में पूर्ण रूप से विचार में लिया गया हैं तथा ऐसे मामलों के बारे में हम अपना मत अलग–अलग नहीं दे पा रहे हैं। नीचे दी गई प्रस्तुति के अनुसार कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का हमने रिपोर्ट के माध्यम से सम्प्रेषण किए जाने के लिए निर्धारण किया है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, हमारी लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया, इसका विवरण उस संदर्भ में दिया गया है। लेखापरीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भौतिकता सहित एक अन्य लेखापरीक्षक के काम का उपयोग पर, प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को स्वतंत्रता लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से धारक कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर पुनःप्रस्तुत किया गया है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
(क) इंड एएस–115 ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' के संदर्भ में राजस्व मान्यता। राजस्व पर लेखा मानक जो पांच चरणों के राजस्व मान्यता मॉडल को निर्धारित करता है। कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन करने के बाद समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करती है। राजस्व की मान्यता के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) और अन्य भुगतानों पर निष्पादन दायित्व के संतुष्टपूर्ण होने पर मूल्यांकन और निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी इनपुट पद्धति को लागू करके निष्पादन दायित्व का आकलन करती है। अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति से नहीं मापा जा सकता है, वहां आउटपुट पद्धति लागू होती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के निष्पादन को सदाशयी रूप से प्रदर्शित करती है। आर्डर को पूर्ण करते समय, संविदात्मक दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन आदेश या रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, कुल अनुमानित परियोजना लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो सकती है और इसलिए, अपेक्षित हानि की तत्काल पहचान की आवश्यकता होती है। इंड एएस–115 में संस्थाओं को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। भावी व्याख्या, कि हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में क्यों मानते हैं, इस प्रकार हैः राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान, पहचाने गए निष्पादन दायित्वों के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, समय पर या समय के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्व लेखांकन मानक में प्रकटीकरण शामिल होता है, जिसमें अलग–अलग राजस्व के संबंध में जानकारी का मिलान शामिल होता है और अवधि जिसके दौरान शेष निष्पादन दायित्वों को तुलनपत्र की तारीख के बाद पूरा किया जाएगा। विवरण के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट–43 को देखें।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी की राजस्व मान्यता लेखा नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखा मानकों के अनुसार नीतियों के अनुपालन का आकलन करना शामिल था। पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित जानकारी की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। अनुबंधों के एक नमूने का चयन किया और विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान और निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है। हमने नमूना आधार पर प्रगतिरत कार्यों के शेष में शामिल लागतों की भी जांच की गई और अनुमानित लागत के साथ अनुबंधों के अनुसार शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों की तुलना करके उनकी वसूली का परीक्षण किया गया है। हमने इस बात पर विशेष ध्यान देने के साथ कि क्या अनुबंध में एकल निष्पादन दायित्व या एकाधिक निष्पादन दायित्व हैं और क्या निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या किसी समय पर संतुष्ट किया जा रहा है, राजस्व मान्यता पर वास्तविक प्रक्रियाओं का पालन किया हैः • इन अनुबंधों में अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को पढ़ा गया, विश्लेषण किया गया और उनकी पहचान की गई। • इन निष्पादन दायित्वों की तुलना कंपनी द्वारा पहचानी गई और दर्ज की गई दायित्वों से की गई। • अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को आवंटित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने हेतु अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया गया। • जाँच की गई कि प्रदर्शन दायित्व समय की अवधि में या एक समय पर संतुष्ट हो रहा है या नहीं। प्रकट किए गए राजस्व के औचित्य के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
आकस्मिक देयताएं **आकस्मिक देयताएं** : कंपनी के प्रति विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियां आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करने में प्रबंधन निर्णय की एक महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। (लेखांकन नीति सं. 2.2.16 के साथ पठित, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का नोट संख्या–40 का संदर्भ लें)।	हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक गतिविधियों की समीक्षा करना। • सक्षम प्राधिकारियों के हाल के आदेशों की जांच करना और/या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त पत्राचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। • चर्चा के माध्यम से कंपनी के मतों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रहण, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित आउटफ्लो का निर्धारण करना।
सिस्टम परिवेश एवं आंतरिक नियंत्रण कंपनी के पास एसएपी प्रणाली विद्यमान है और केवल अएफआई:सीओ माड्युल को ही क्रियान्वित किया गया है और अन्य प्रणालियां जैसे पे–रोल, इन्वेंटरी आदि क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, एकीकरण सहायता के साथ एसएपी परियोजना सिस्टम माड्यूल (पीएस) की आवश्यकता परियोजना बीजकों को तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित है। कम्पनी की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पूर्णतः स्वचालित नहीं है तथा इसमें वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा रिपोर्टिंग के लिए मैनुअल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। आगे की व्याख्या हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में क्यों मानते हैं, इस प्रकार है: हमारी लेखापरीक्षा योजना और प्रक्रियाओं में विभिन्न रिपोर्टें भी शामिल हैं, जिन्हें इस प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया जाता है और जिसके बिना तुलनपत्र के विभिन्न शीर्षों के डेटा एकत्र करना हमारे लिए कठिन है।	हमारे द्वारा अन्य अनेक प्रक्रियाओं के साथ साथ निम्नलिखित प्रक्रियाएं उपयोग में लाई गई हैं:– • प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश एवं प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर यह ज्ञात करने के लिए विचार विमर्श कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया गया है अथवा नहीं। • कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था से सम्बद्ध प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों के डिजाइन का परीक्षण। • हमारे द्वारा सिस्टम इंटरफेस पर कम्पनी के नियंत्रणों तथा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा अंतरण का परीक्षण भी किया गया है। • हमारे द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में संज्ञात्मक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग इस सुनिश्चय के लिए किया गया है कि क्या मैनुअल नियंत्रणों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा रहा है अथवा नहीं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से अलग अन्य सूचना

धारक कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, निगमित संचलन एवं शेयरधारकों की सूचना सहित प्रबंधन चर्चा, एवं विश्लेषणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल सूचना का समावेश किया जाता है परन्तु इसमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें दी गई सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री समेकित वित्तीय विवरणों तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रूप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आशय होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन एवं संचलन करने वाले प्रभारियों के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों, जो

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी (भारतीयस लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित इस अधिनियम के अनुच्छेद–133, समय–समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन, समेकित इक्विटी परिवर्तन तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरणों के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अनुच्छेद–134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

समूह और इसकी संयुक्त नियंत्रित इकाइयों सहित कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और समेकित एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है, जिसका प्रयोग उपर्युक्त अनुसार धारक कंपनी के निदेशाकों द्वारा समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से प्रयोग किया गया है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

समूह और इसकी संयुक्त नियंत्रित निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व, समूह और इसकी संयुक्त नियंत्रित इकाइयों सहित कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल का है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विववरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन नीति (एसए) के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों,जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।
- समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर, संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए। हम समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

संस्थाओं के समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।

वस्तुतः समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरण, अलग–अलग अथवा सामुच्य, की वस्तुपरक जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इन वित्तीय विवरणों का औचित्य ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्य क्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन; तथा (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए दुर्विववरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक मात्रा एवं गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ समेकित वित्तीय विवरण में शामिल मूल कंपनी और ऐसे अन्य निकायों की शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षण के निष्कर्षो और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखा परीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

अन्य मामले

- हमने धारक कंपनी के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल उन 3 (तीन) शाखाओं के समेकित वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में विचारानुसार उस तिथि को समाप्त वर्ष को दिनांक 31 मार्च 2023 को 515.86 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 577.97 करोड़ रुपए) की कुल परिसंपत्तियों तथा कुल राजस्व 393.77 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 444.69 करोड़ रुपए) और कर पूर्व लाभ 74.49 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 41.79 करोड़ रुपए) को प्रदर्शित करता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में दो एकीकृत संयुक्त प्रचालनों (गैर–निगमित) खातों में धारक कंपनी के अंशभाग के 0.08 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.09 करोड़ रुपए) के लाभ/ (हानि) को शामिल किया गया जिनका प्रमाणन सनदी लेखाकारों की अन्य फर्मों ने किया है और प्रबंधन द्वारा मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधन क्षरा प्रमाणित (2) संयुक्त प्रचालन में कंपनी के भाग का निवल लाभ 0.47 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.42 करोड़ रुपए) है।

हमने ग्यारह (11) सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में माना गया है, दिनांक 31 मार्च 2023 तक रुपए की कुल संपत्ति 3655.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3037.61 करोड़ रुपए), कुल राजस्व 488.27 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 404.71 करोड़ रुपए) और नकदी प्रवाह में 118. 13 करोड़ रुपए की शुद्ध वृद्धि/(कमी) (पिछले वर्ष) (40.36 करोड़ रु.) दर्शाए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में पांच (5) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में इक्विटी पद्धति का उपयोग करके 30. 81 करोड़ (पिछले वर्ष 60.28 करोड़ रुपए) लाभ (शुद्ध) के समूह के भाग को भी शामिल किया गया है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट की अन्य फर्म द्वारा किया गया है, और इसमें दो (2) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में इक्विटी पद्धति का उपयोग करके 0.64 करोड़ (पिछले वर्ष (0. 33 करोड़ रुपए)) लाभ (शुद्ध) के समूह का भाग भी शामिल है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का उनके लेखापरीक्षका द्वारा लेखापरीक्षा नहीं किया गया है, लेकिन प्रबंधन द्वारा प्रमाणि त किया गया है और दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।

ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी, जिनका अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है और इन वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं और सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संबंध में संबंधित राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय इन लेखापरीक्षित और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों से संबंधित है, पूरी तरह से 'अन्य लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के आधार' पर लेखापरीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता पर आधारित है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी उपर्युक्त राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट को, निष्पादित कार्यों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचना पर हमारी आश्रितता के संबंध में उपर्युक्त विषयों संबंध संशोधित नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के निबंधनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा–3 (xxi) में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम अनुबंध–क के रूप में दे रहे हैं।
2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और 'अन्य मामलों' पैराग्राफ में उल्लिखित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के लिए, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक हैं।

(ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से संबंधित कानून द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनच्छेद–143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित, धारक कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

(घ) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ–हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समेकित इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(ड.) हमारे मतानुसार, उपयुक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2015 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

(च) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर–463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा–164(2)के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख ''अनुबंध–ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है।

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ई) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के कारण अधिनियम के अनुच्छेद–197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(i) धारक कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर दिनांक 31 मार्च, 2023 को लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है –समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 40 का संदर्भ लें;

(ii) समूह ने दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 21.2 का संदर्भ लें। समूह में काई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें धारक कंपनी, भरत में निगमित उसकी सहायक कंपनी या उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

(iv) क) भारत में निगमित धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनिया और संयुक्त उद्यम कंपनियां, जिनके वित्तीय विवरणों को इस अधिनियम के अंतर्गत प्रबंधन ने उल्लेख दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट संख्या 48 में प्रकटन किया गया है, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से धारक कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (मध्यस्थों) सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या धारक कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (अंतिम लाभार्थी) की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।

ख) धारक कंपनी, भरत में निगमित उसकी सहायक कंपनी या उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंधित प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों में नोट संख्या 46 में प्रकटन किया गया है, धारक कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, धारक कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभाथी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है।

ग) भारत में निगमित उसकी सहायक कंपनी या उसकी संयुक्त रूप की लेखापरीक्षक द्वारा निष्पादित और उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के अंतर्गत की गई है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

(v) जैसा कि स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2.2.15 में उल्लेख किया गया गया है:

क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–123 के अनुसार है और यह लाभांश के भुगतान के स्तर तक लागू होता है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, धारक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश, अधिनियम की धारा–123 के अनुसार है।

ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। घोषित लाभांश, अधिनियम की धारा–123 के अनुसार उस सीमा तक है, जहां तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

(vi) लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3 (1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है, कंपनी और उसकी शाखाओं पर 01 अप्रैल, 2023 से लागू है, और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

3. अधिनियम के अनुच्छेद–143(5) के अनुसार तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र. सं	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
1.	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है। यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	समूह, भारत में स्थित अपनी सभी परियोजनाओं और अपनी विदेशी शाखाओं में भी एसएपी एस/4 हाना प्रणाली का उपयोग कर रही है। विदेशी शाखाओं के मामले में, कंपनी ने दिनांक 30 सितंबर 2021 से टैली सॉफ्टवेयर के स्थान पर एस/4 हाना लागू किया। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय बिलिंग को छोड़कर कोई भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई वित्तीय प्रभाव नहीं देखा गया था।
2.	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	जी, नहीं। समूह के सम्मुख किसी विद्यमान ऋण अथवा उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना का कोई मामला नहीं है। हालांकि, कंपनी ने अपनी एक सहायक कंपनी, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) को ऋण दिया है। सहायक कंपनी के अनुरोध पर, कंपनी चालू वर्ष के लिए ब्याज को माफ कर दिया है। हालांकि, 18.73 करोड़ रुपए की राशि हेतु इंड एएस के अनुसार उचित मूल्यांकन आधार पर ब्याज को बुक किया है।
3.	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है। व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान समूह द्वारा केन्द्र/ राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है/प्राप्य नहीं है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 084072
यूडीआईएनः 23084072BGSJWE8574

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई, 2023

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर समतिथिक स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–क

हमारे द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के संदर्भ में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि:

3(गगप) कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ 2020) के संबंध में, समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल धारक कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट ने निम्नलिखित खंडों में अपनी टिप्पणी दी है:

क्र. सं.	नाम	(सीआईएन)	धारक कंपनी /सहायक/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम।	सीएआरओ रिपोर्ट की खंड संख्या जो योग्य या प्रतिकूल है
1.	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	U45203CT2013GOI000729	संयुक्त उद्यम	खंड सं 3(xvii)
2.	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	U45203CT2013GOI000768	संयुक्त उद्यम	खंड सं 3(ix)(ग), 3(xi)(ग), 3(xvii)
3.	इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	U74999DL2005PTC135055	संयुक्त उद्यम	खंड सं 3(xx)(ख)

समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों में शामिल निम्नलिखित दो (2) सहायक कंपनियों की रिपोर्ट संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा हमारे लेखापरीक्षकों द्वारा इंड–एएस समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट की तारीख तक जारी नहीं की गई है।

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी	निगमित पहचान सं (सीआईएन)
1.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	U74900CT2016PTC007251
2.	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	U45204DL2012GOI234292

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)
सदस्यता संख्या: 084072
यूडीआईएन: 23084072BGSJWE8574

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2023

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर समतिथिक स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का 'अनुबंध–ख'

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड–143 के उप खंड–3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2023 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां अधिकार वाली धारक कंपनी कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियां (जिसे यहां आगे धारक कंपनी और सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जो भारत में निगमित हुई हैं के संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड–143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं–वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण ों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, धारक कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि धारक कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण ों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) धारक कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरक्ति, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और धारक कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, धारक कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपस्थित है और दिनांक 31 मार्च 2023 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं जो भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियिंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की लपेखपरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मपदंड का आधारित है। तथापि, आंतरिक नियंत्रण का हमारी लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.03.2023 को चिह्नित निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में और अधिक सुदृढ बनाने की आवश्यकता है, जैसा कि धारक कंपनी की बहियों और रिकार्डों की हमारी जांच से और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लपेखापरीक्षित निकायों की रिपोर्ट और निकायों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदनों से स्पष्ट होता है।

क. धारक कंपनी मेंएकीकृत ईआरपी प्रणाली विद्यमान है जिसका अपनी पूर्ण क्षमता के साथ प्रयोग नहीं किया गया है। कुछ सहायक कंपनियां और संयुक्त निंयत्रित निकाय एकीकृत ईआरपी प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और वहां मानवीय हस्तक्षेप के साथ टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रही है। इसके अतिरिक्त, ऐप परियोजना प्रणाली मॉड्युल (पीएस) का प्रयोग एकीकृत सहायता सहित परियोजना बीजकों के सृजन के लिए किया जा रहा है।

ख. कुछ इकाइयों में इन्वेटरी रिकार्डों का अनुरक्षण मानवीय रूप में किया जा रहा है और सेप में इन्वेटरी नियमावली पर विचार किया जा रहा है।

उपर्युक्त विषयों के संबंध में हमारा मत परिवर्तनीय नहीं है।

अन्य मुद्दे

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह आठ लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों, सात संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और तीन गैर–लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, उनके अन्य लेखापरीक्षकों और प्रबंधन प्रमाणपत्र की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित हैं (समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य मामलों पर पैराग्राफ भी देखें)।

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और यह सामग्रीगत खामी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मद को प्रभावित नहीं करती है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 084072
यूडीआईएनः 23084072BGSJWE8574

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई, 2023

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
I.	**गैर चालू परिसंपत्तियां**			
1	**गैर चालू परिसंपत्तियां**			
	क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	3	201.00	205.01
	ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	4	8.47	6.02
	ग) निवेश संपत्ति	5	552.31	555.18
	घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां	6	1,067.42	1,080.40
	ड.) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	7	10.40	30.48
	च) प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां	8	4.40	4.43
	छ) इक्विटी विधि के प्रयोग हेतु लेखांकित निवेश	9	824.17	695.57
	ज) वित्तीय परिसंपत्तियां	10		
	(i) निवेश	10.1	125.20	225.18
	(ii) ऋण	10.2	0.52	0.50
	(iii) अन्य	10.3	1,283.31	1,288.23
	ट) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	109.40	72.53
	ठ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	12	133.43	30.03
	कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		**4,320.03**	**4,193.56**
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
	क) दरसूचियां	13	211.83	276.59
	ख) वित्तीय परिसंपत्तियां	14		
	(i) निवेश	14.1	99.99	50.00
	(ii) व्यापार प्राप्य	14.2	863.83	695.19
	(iii) नकद और नकद समतुल्य	14.3	2,338.11	1,257.77
	(iv) अन्य बैंक शेष	14.4	2,784.45	4,255.44
	(v) ऋण	14.5	0.84	0.80
	(vi) अन्य	14.6	1,968.45	1,328.74
	ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	164.87	70.73
	घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	16	2,784.27	2,316.15
			11,216.64	10,251.41
	बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां	17	0.71	1.39
	कुल चालू परिसंपत्तियां		**11,217.35**	**10,252.80**
	कुल परिसंपत्तियां		**15,537.38**	**14,446.36**
II.	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	क) इक्विटी शेयर पूंजी	18	188.10	188.10
	ख) अन्य इक्विटी	19	5,023.39	4,477.52
	मूल के स्वामी की इक्विटी		**5,211.49**	**4,665.62**
	गैर नियंत्रण हित	19A	13.13	1.13
	कुल इक्विटी		**5,224.62**	**4,666.75**

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण			नोट सं.	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
2	**देयताएं**				
(i)	**गैर चालू देयताएं**				
	क)	वित्तीय देयताएं	20		
		(i) ऋण	20.1	1,440.33	1,304.41
		(ii) पट्टा देयताएं	20.2	0.42	0.15
		(iii) व्यापार प्राप्य	20.3		
		– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों के कुल बकाया देय राशियां		-	-
		– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय राशियां		-	-
		(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	681.10	522.30
	ख)	प्रावधान	21	148.57	143.28
	ग)	अन्य गैर चालू देयताएं	22	776.95	533.96
	कुल गैर चालू देयताएं			**3,047.37**	**2,504.10**
(ii)	**चालू देयताएं**				
	क)	वित्तीय देयताएं	23		
		(i) ऋण	23.1	63.88	94.60
		(ii) पट्टा देयताएं	23.2	0.09	0.01
		(iii) व्यापार प्राप्य	23.3		
		– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों के कुल बकाया देय राशियां		13.18	5.36
		– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय राशियां		817.64	1,021.88
		अन्य वित्तीय देयताएं	23.4	2,746.88	2,628.10
	ख)	अन्य चालू देयताएं	24	3,287.58	3,294.89
	ग)	प्रावधन	21	299.19	212.66
	घ)	चालू कर देयता (निवल)	25	36.95	18.01
	कुल चालू देयताएं			**7,265.39**	**7,275.51**
	कुल इक्विटी और देयताएं			**15,537.38**	**14,446.36**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार		2		
IV.	वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट		1 - 50		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डिन–09575213

ह0/–
बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डिन–10092756

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
एम. नं. 084072

ह0/–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई 2023

समेकित लाभ और हानि विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालन से राजस्व	26	10,367.93	7,379.67
II.	अन्य आय	27	381.96	206.04
III.	**कुल आय (I+II)**		**10,749.89**	**7,585.71**
IV.	**व्यय**			
	प्रयुक्त सामग्री और भंडारण	28 (i)	392.29	512.17
	डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि)/कमी	28 (ii)	45.60	(165.26)
	परियोजना व्यय	28 (iii)	8,892.95	6,125.80
	कर्मचारी लाभ व्यय	29	284.12	266.61
	वित्त लागतें	30	118.08	61.72
	मूल्यह्रास परिशोधन एवं घाटा	31	107.46	95.17
	अन्य व्यय	28 (iii)	49.83	60.79
	कुल व्यय (IV)		**9,890.33**	**6,957.00**
V.	आपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)		859.56	628.71
VI.	आपवादिक मदें		–	–
VII.	इक्विटी विधि का प्रयोग करके संयुक्त उपक्रम में लाभ/(हानि) का भाग		31.44	59.94
VIII.	कर पूर्व लाभ (V + VI + VII)		891.00	688.65
IX	कर व्यय			
	(1) चालू कर	11		
	– अवधि हेतु		241.28	186.15
	– पूर्ववती वर्षों हेतु (निवल)		(78.64)	(87.73)
	(2) आस्थगित कर (निवल)		(36.87)	(2.04)
	कुल कर व्यय		**125.77**	**96.38**
X	**वर्ष हेतु लाभ (VIII – IX)**		**765.23**	**592.27**
XI	**अन्य वृहत आय**	32		
	क. मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया			
	(i) परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्माप पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि)		1.92	(0.80)
	परिभाषित लाभ के पुनर्माप पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) से संबंधित आयकर योजनाएं		(0.48)	0.20
	(ii) इक्विटी पद्धति (शुद्ध कर) का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा		(0.03)	(0.01)
	ख. मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया			
	(i) विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के अंतरण में अंतर का आदान–प्रदान		12.90	6.21
	विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के अंतरण में विनिमय अंतर से संबंधित आयकर।		(3.25)	(1.56)
	वर्ष के लिए अन्य वृहत आय/व्यय, आयकार का निवल		**11.06**	**4.04**
XII	**वर्ष के लिए कुल वृहत आय (X+XI) (वर्ष क लिए लाभ और अन्य वृहत आय, कर का निवल)**		**776.29**	**596.31**

समेकित लाभ और हानि विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
XIII	**कुल वृहत आय के प्रति–**			
	मूल के स्वामी		765.23	592.34
	गैर नियंत्रण हित		–	(0.07)
XIV	**निम्न के प्रति अन्य वृहत आय**			
	मूल का स्वामी		11.06	4.04
	गैर–नियंत्रण हित		–	–
XV	**निम्न के प्रति कुल वृहत आय**			
	मूल के स्वामी		776.29	596.38
	गैरा नियंत्रण ब्याज		–	(0.07)
XVI	**मूल के स्वामियों के प्रति इक्विटी शेयर आमदनीः**			
	(1) मूल (रूपए में)	38	8.14	6.30
	(2) विलयित (रूपए में)		8.14	6.30
	प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य		2.00	2.00
XVII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	2		
XVIII	वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट	1 – 50		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
एम. नं. 084072

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई 2023

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डिन–09575213

ह0/–
बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डिन–10092756

ह0/–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		891.00	688.65
समायोजनः			
वित्तीय लिखत के निष्पादन पर ब्याज (निवल)		0.09	(0.01)
वित्तीय लिखत का परिशोधन (निवल)		0.01	–
वित्तीय लागत		112.67	59.75
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति		107.46	95.17
इक्विटी पद्धति के माध्यम से लेखा किए गए निवेश के निपटान पर हानि		–	5.11
परिसंपतियों (निवल) की बिक्री पर लाभ		(2.44)	(0.99)
म्युचुवल फंडों की बिक्री पर लाभ		(0.32)	(1.15)
संयुक्त उपक्रमों के लाभ/(हानि) का भाग		(31.44)	(59.94)
ब्याज आय		(191.48)	(105.32)
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समतुल्य के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		(3.74)	13.89
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**881.81**	**695.16**
समायोजनः			
व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)		(168.64)	(64.43)
दरसूची में कमी/(वृद्धि)		64.75	(155.94)
ऋण, अन्य संपत्तियों व वित्तीय संपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(1,112.21)	(786.27)
व्यापार प्राप्यों में (कमी)/वृद्धि		(196.40)	269.20
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		430.46	1488.96
	(2)	**(982.04)**	**751.52**
प्रचालन से सृजित नकद	**(1+2)**	**(100.23)**	**1,446.68**
प्रदत्त आय कर		**(67.60)**	**(32.62)**
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़	**(क)**	**(167.83)**	**1,414.06**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों की खरीद		(64.79)	(19.77)
अमूर्त परिसम्पत्तिया और विकासाधान अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		(34.97)	(21.11)
निवेश परिसंपत्ति की खरीद/प्रक्रिया		(9.54)	(0.07)
परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री		2.05	0.60
म्युचुवल फंड की बिक्री/ (निवेश)		81.56	1,246.59
म्युचुवल फंड की खरीद		(81.24)	(1,245.44)
प्राप्त ब्याज		172.18	96.73
जेवी कंपनियों से प्राप्त लाभांश		69.00	41.00
जेवी कंपनियों में निवेश		(166.19)	(122.87)
बांडों का रिडम्पशन		50.00	16.31
रोकड एवं रोकड समतुल्यों से इतर बैंक शेष		1,449.80	(1,219.32)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(ख)**	**1467.86**	**1,227.35)**
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
गैर–नियंत्रित ब्याज में/के लिए भुगतान (निवल)		12.00	1.20
गैर–वर्तमान उधारों से आय		165.32	1,124.06
गैर चालू उधारों का पुनर्भुगतान		(60.12)	(55.98)
पट्टा दायित्वों का भुगतान		(0.01)	(0.01)
प्रदत्त अंतिम लाभांश		(61.13)	(159.89)
प्रदत्त अंतरिम लाभांश		(169.29)	(174.00)
प्रदत्त ब्याज		(110.20)	(64.63)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(ग)**	**(223.43)**	**670.75**
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	**(घ)**	**3.74**	**(13.89)**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	**(क+ख+ ग+घ)**	**1,080.34**	**843.57**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक) (नीचे नोट 2, 4 और 5)	**(ड.)**	**1,257.77**	**414.20**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) (नीचे नोट 2, 4 और 5)	**(च)**	**2,338.11**	**1,257.77**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**(च – छ)**	**1,080.34**	**843.57**

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोटः

1 उपर्युक्त रोकड़ प्रवाह को रोकड़ प्रवाह विवरण पर इंड–एएस 7 के भारतीय लेखांकन मानका में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

2 उपर्युक्त समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण में शामिल रोकड और रोकड समतुल्य तथा रोकड औरा रोकड समतुल्य के घटकों का समायोजनः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
उपलब्ध रोकड़	0.09	0.10
उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट	–	–
पारगमन में प्रेषण	13.61	–
बैंकों में शेष	–	–
–चालू खातों में	417.51	874.43
–फ्लैक्सी खाते	282.84	282.35
– 3 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां	1,624.06	100.89
तुलन पत्र और समेकित रोकड प्रवाह विवरण के अनुसार कुल रोकड एव रोकड समतुल्य	**2,338.11**	**1,257.77**

3. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं के लिए तुलन पत्र के आरंभिक और समापन शेष के बीच समायोजनः

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण*	पट्टा देयताएं
1 अप्रैल 2021 को	**333.16**	**0.16**
(क) वर्ष के दौरान रोकड प्रवाह	1,068.08	(0.01)
(ख) निम्न के कारण गैर रोकड परिवर्तन		
पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत	–	0.01
संचित ब्याज (प्रदत्त ब्याज का निवल)	(2.13)	–
31 मार्च 2022 के	**1,399.11**	**0.16**
(क) वर्ष के दौरान रोकड प्रवाह	105.20	(0.01)
(ख) निम्न के कारण गर रोकड परिवर्तन		
पट्टा देयताओं का संवर्धन	–	0.34
पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत	–	0.02
ऋणों पर संचित ब्याज (प्रदत्त ब्याज का निवल)	0.05	–
31 मार्च 2023 के	**1,504.36**	**0.51**

* गैर चालू ऋणों और उन पर संचित ब्याज की चालू परिपक्वता सहित, संदर्भ नोट 20.1, नोट 23.1 और 23.4

4. जहां कहीं आवश्यकता हुई है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहित/पुनःनिर्धारित किया गया है।

5. 14.4 और 14.3 में उल्लिखित निर्धारित और प्रतिबंधित शेष।

6. कोष्ठक में आंकड़े रोकड़ को आउटफ्लो को दर्शाते हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डिन–09575213

ह0/–
बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डिन–10092756

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
एम. नं. 084072

ह0/–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई 2023

समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी (₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल 2021 को शेष	**94.05**
वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	94.05
31 मार्च 2022 को शेष	**188.10**
वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2023 को शेष	**188.10**

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2021 को शेष	**3,284.64**	**1,024.61**	**4.93**	**(5.10)**	**4,309.08**
वर्ष के लिए लाभ	–	592.34	–	–	**592.34**
अन्य वृहत आय					**–**
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	–	(0.60)	–	–	**(0.60)**
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का भाग	–	(0.01)	–	–	**(0.01)**
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी विदेशी मुद्रा अंतरण अंतर	–	–	–	4.65	**4.65**
अवधि के लिए कुल वृहत आय	**–**	**591.73**	**–**	**4.65**	**596.38**
प्रदत्त लाभांश	–	(333.89)	–	–	**(333.89)**
बोनस शेयर जारी करना I49	–	(94.05)	–	–	**(94.05)**
31 मार्च 2022 को शेष	**3,284.64**	**1,188.40**	**4.93**	**(0.45)**	**4,477.52**

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2022 को शेष	**3,284.64**	**1,188.40**	**4.93**	**(0.45)**	**4,477.52**
वर्ष के लिए लाभ	–	765.23	–	–	**765.23**
अन्य वृहत आय					**–**
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	–	1.44	–	–	**1.44**
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का भाग	–	(0.03)	–	–	**(0.03)**
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी विदेशी मद्रा अंतरण अंतर	–	–	–	9.65	**9.65**
अवधि के लिए कुल वृहत आय	**–**	**766.64**	**–**	**9.65**	**776.29**
प्रदत्त लाभांश	–	(230.42)	–	–	**(230.42)**
31 मार्च 2023 को शेष	**3,284.64**	**1,724.62**	**4.93**	**9.20**	**5,023.39**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
एम. नं. 084072
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई 2023

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डिन–09575213

ह0/–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डिन–10092756

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

गौरवमयी 47 वर्ष

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

1 समूह सूचना

समेकित वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (''कंपनी'') तथा इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों (जिन्हें संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) के वित्तीय विवरण शामिल हैं। धारक कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की एक निर्माण समूह है तथा इसका निगमन भारत में लागू कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है। धारक कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वस्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ प्रमाणित समूह तथा अनुसूची क की सार्वजनिक क्षेत्रक कंपनी है एवं मिनी रत्न–श्रेणी–1 कंपनी है। रेल निर्माण समूह ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों (समूह) के रूप में अपना व्यवसाय आरंभ करने के पश्चात, इसने सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन तथा संवितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मैट्रो रेल के क्षेत्रों में शनैः शनैः अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। यह समूह घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सेवाएं प्रदान करती है। समूह का पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है तथा इसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बीएसई में सूचीबद्ध हैं।

समूह द्वारा प्रतिपादन की जाने वाली एवं कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़ों की प्रस्तुति, प्रति शेयर डेटा एवं किए गए अन्यथा उल्लेख के अलावा, दो दशमलव तक राउंड ऑफ करके करोड़ में की गई है।

धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 24 मई 2023 को आयोजित अपनी बैठक में समेकित वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

समूह के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची–III) की अनुसूची–III के भाग–II, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। समूह ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

समेकन का आधार

क) समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च 2023 तक समूह के वित्तीय विवरण शामिल हैं। समूह द्वारा इन्हें प्रस्तुत किए जाने पर नियंत्रण हासिल किया जाता है, या अधिकार होता है, कि निवेश करने वाले के साथ अपनी भागीदारी से प्रतिफल और उन प्रतिफल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। निवेशकर्ता पर इसकी शक्ति, विशेष रूप से, समूह एक निवेशी को नियंत्रित करता है यदि और केवल यदि समूह के पासः

- निवेशक पर अधिकार (अर्थात मौजूदा अधिकार जो इसे निवेश की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की वर्तमान क्षमता देते हैं)
- प्रकटन, या अधिकार, निवेश करने वाले के साथ अपनी भागीदारी से प्रतिफल हेतु, और निवेशी पर अपनी शक्ति का उपयोग करने की क्षमता उसके प्रतिफल को प्रभावित करती है

सामान्यत, अनुमान है कि मतदान के अधिकांश अधिकार समूह के नियंत्रण में होते हैं। इस अनुमान का समर्थन करने के लिए और जब समूह के पास वोटिंग के लिए बहुमत या किसी निवेशकर्ता के समान अधिकार हैं, तो समूह यह आकलन करने के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है कि क्या किसी निवेशकर्ता पर उसका अधिकार है, जिसमें शामिल हैं:

- निवेशी के अन्य वोट धारकों के साथ अनुबंध की व्यवस्था।
- अन्य संविदात्मक व्यवस्था से उत्पन्न अधिकार।
- समूह के मतदान अधिकार और संभावित मतदान अधिकार।
- समूह का आकार मतदान के अधिकार के सापेक्ष और अन्य मतदान अधिकार धारकों की धारिता के फैलाव के सापेक्ष।

ख) समूह पुनः मूल्यांकन करता है कि क्या वह किसी निवेशक को नियंत्रित करता है या नहीं यदि तथ्य और परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि नियंत्रण के तीन तत्वों में से एक या अधिक परिवर्तनशील हैं। सहायक कंपनी का एकीकरण तब आरंभ होता है जब समूह सहायक कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त करता है और जब समूह सहायक कंपनी का नियंत्रण खो देता है। वर्ष के दौरान अधिगृहीत या निपटाए गए किसी सहायक कंपनी की परिसंपत्तियां, देयताएं, आय और व्यय, समूह द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने की तारीख से समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल होते हैं, जब तक कि समूह सहायक कंपनी को नियंत्रित करने के लिए समाप्त नहीं हो जाता है।

ग) समान परिस्थितियों में लेन–देन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। यदि समूह का सदस्य समान परिस्थितियों में लेन–देन और घटनाओं के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में नीतियों के अतिरिक्त लेखांकन नीतियों का उपयोग करता है, तो समूह के लेखांकन के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में उस समूह के सदस्यों के वित्तीय विवरणों के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

घ) समेकन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सभी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को मूल कंपनी के रूप में एक ही रिपोर्टिंग तिथि अर्थात, 31 मार्च को समाप्त तक लेखांकित किए जाते हैं।

ड.) समकन प्रक्रियाः

i) **सहायक कंपनियां**

- अपनी सहायक कंपनियों के साथ अभिभावक संपत्ति, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह की मदों का समायोजन किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए, सहायक कंपनी की आय और व्यय अधिग्रहण की तारीख में समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा पर आधारित हैं।
- प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी के निवेश की वहन राशि और प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी का मूल भाग को ऑफसेट किया गया हैं।
- समूह की संस्थाओं के बीच लेन–देन से संबंधित पूर्ण इंट्रा–समूह परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, खर्चों और नकदी प्रवाह को समाप्त करें (इन्ट्रा–समूह लेनदेन से उत्पन्न लाभ या हानि जो कि परिसंपत्तियों में पहचानी जाती हैं, जैसे दरसूची और अचल संपत्तियां, पूर्ण का रूप से समाप्त होना)। इंट्रा–समूह हानि का संकेत दे सकता है जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। इंड एएस 12 के रूप में आयकर अस्थायी अंतर पर लागू होता है, जो इंट्रा–समूह लेनदेन से होने वाले लाभ और हानि के उन्मूलन से उत्पन्न होता है।
- लाभ या हानि और अन्य वृहत आय (ओसीआई) के प्रत्येक घटक को समूह के प्रमुख और गैर–नियंत्रित हितों के इक्विटी धारकों के लिए उत्तरदायी माना जाता है, भले ही यह गैर–नियंत्रित हितों में घाटे का संतुलन हो। जब आवश्यक हो, तो अपनी लेखा नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप लाने के लिए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है। समूह के सदस्यों के बीच लेन–देन से संबंधित सभी इंट्रा–समूह परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को समेकन के साथ पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है।
- नियंत्रण की हानि के बिना, एक सहायक के स्वामित्व हित में परिवर्तन इक्विटी लेनदेन के रूप में उत्तरदायी है। यदि समूह किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तोः
  - परिसंपत्तियों (सद्भावना सहित) और सहायक कंपनियों की देनदारियों
  - किसी भी गैर–नियंत्रण वाले हितों की वहन राशि का प्रकटन करता है
  - इक्विटी में स्वीकृत की गई संचयी अंतरण विभेद
  - प्राप्त मत का उचित मूल्य का निर्धारण
  - किसी भी निवेश को बनाए रखने के उचित मूल्य का निर्धारण
  - लाभ या हानि में किसी भी अधिशेष या घाटे का निर्धारण
  - पहले से लाभ या हानि के लिए ओसीआई में मान्यता प्राप्त की मूल कंपनी के शेयर या प्रतिधारित आय, उचित रूप में, जैसे कि समूह सीधे संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं का निपटान किया जाए।

ii) **संयुक्त व्यवस्था**

इंड एएस–111 संयुक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत, संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश को संयुक्त प्रचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की विधि संरचना के स्थान पर प्रत्येक निवेशक के संविदागत अधिकार या दायित्व पर निर्भर करता है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के संयुक्त प्रचालन और संयुक्त उद्यम दोनों हैं।

- संयुक्त प्रचालन : समूह संयुक्त प्रचालनों की परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्वों और व्ययों तथा उसके द्वारा धारित या की गई कोई परिसंपत्ति, देयता, राजस्व या व्यय को स्वीकार करता है। इन्हें उपयुक्त शीर्षों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।
- संयुक्त उद्यम : संयुक्त उद्यमों में हितों को इक्विटी विधि का प्रयोग करके लेखांकित किया जाता है, ऐसा आरंभिक स्तर पर समेकित तुलन पत्र में लागत पर स्वीकार करने के पश्चात किया जाता है।

(च) इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी विधि के अंतर्गत, निवेशों को आरंभिक रूप में लागत पर स्वीकार किया जाता है और तत्पश्चात समायोजित किया जाता है ताकि लाभ और हानि में निवेशित के अधिग्रहण पूर्व लाभों या हानियों के समूह के भाग को तथा अन्य वृहत आय में निवेशित की अन्य वृहत आय के समूह के भाग को स्वीकार किया जा सके। संबद्ध और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त और प्राप्य लाभांशों को निवेश की प्रतिधारण राशि में कमी के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

जब इक्विटी–लेखांकित निवेश में समूही की हानियों का भाग किसी अन्य अरक्षित दीर्घकालीन प्राप्यों सहित इक्विटी में इसके हित के समान या अधिक है तो समूह और अधिक हानियों को स्वीकार नहीं करता है बशर्ते इसने अन्य निकायों की ओर से दायित्वों को वहन किया हो या भुगतान किए हों।

समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के बीच संव्यवहारों पर अप्राप्त लाभों को इन निकायों में समूह के हित के स्तर तक समाप्त किया जाता है। अप्राप्त घाटों को भी समाप्त किया जाता है बशर्ते संव्यवहार में अंतरित परिसंपत्ति की हानि के साक्ष्य उपलब्ध हों। समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुरूप बनाए रखने के लिए यथा आवश्यकता इक्विटी लेखांकित निवेशितियों की लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया गया है।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप :

वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप नीचे प्रस्तुत किया गया है। इन लेखांकन नीतियों का उपयोग लेखांकन विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधि के लिए समान रूप से किया गया है।

2.2.1 चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

समूह द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

समूह ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

समूह ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

परिचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। समूह ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल होता है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है। उपयोज्यता काल का मूल्यांकन, तकनीकी मूल्यांकन, संपत्ति के इन वर्गों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, संपत्ति से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर संपत्ति का अनुमानित उपयोग के आधार पर किया गया है। अधिनियम, 2013 की अनुसूची II की तुलना में तकनीकी मूल्यांकन अनुमानित उपयोगी जीवन का प्रकटन खातों की टिप्पणियों में किया गया है।

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रुपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रुपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में किए गए उल्लेख के

अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.2.4 निवेश परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति समूह को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है। निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास

निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है।

अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। समूह निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्यह्रास क्रय/निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

समूह अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.5 अमूर्त परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों,यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन/घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से/निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

स्वीकृति समाप्ति

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समूह द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व–कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो समूह परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.2.7 मालसूचियां

क) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ख) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

ग) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

घ) नो कास्ट प्लस संविदा, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

ङ) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.2.8 सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, जहां युक्ति संगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सहायक कंपनियां सभी संबद्ध शर्तों का अनुपालन करेंगी। आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को उस अवधि पर लाभ या हानि में आस्थगित और स्वीकार किया जाएगा, जो उन्हें लागतों के साथ समायोजित करने के लिए आवश्यक हो, जो संपर्क राजस्व के भीतर क्षतिपूर्ति व प्रस्तुत करने के लिए है।

2.2.9 राजस्व स्वीकृति

समूह अपने परिचालन निर्माण उद्योग में करती है तथा इसके द्वारा अर्जित किया जाने वाला राजस्व मुख्यतः इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति एवं निर्माण कार्यों से प्राप्त होता है। ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदा में रेलवे के निर्माण कार्य, सड़क एवं राजमार्ग के निर्माण, वाणिज्यिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण, विद्युतिकरण कार्य एवं अन्य कार्य हैं। ऐसे संविदा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में जियोटैक्निकल जांच, टोपोग्राफिक्ल सर्वेक्षण, संसाधन योजना, विस्तृत योजना रिपोर्ट का निर्माण, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, सामग्रियों की आपूर्ति, सिस्टम पुनर्विकास, संस्थापन, परियोजना प्रबंधन, परिचालन एवं प्रबंधन इत्यादि ("जिसे एक साथ निर्माण संबंधी सेवाएं" कहा

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

जाता है) कार्य हैं। समूह द्वारा ये निर्माण सेवाएं नियत दर, टर्नकी आधार एवं कास्ट प्लस आधार पर प्रदान की जाती हैं।

ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदा से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब माल एवं सेवाओं का अंतरण को उस राशि के प्रति प्राप्त हो जाता है जिसकी प्राप्ति की प्रत्याशा समूह द्वारा ऐसे माल एवं सेवाओं के विनिमय के प्रति की गई है

क) ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व

राजस्व का संव्यवहार के उस उचित मूल्य पर मापन करके किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के रूप में निर्धारित है तथा जिसमें तृतीय पक्षकारों की ओर से संग्रह की गई राशियां शामिल नहीं हैं तथा जिसका समायोजन परिवर्तनीय प्रतिफल के निमित्त किया जाता है। समूह के संविदा की प्रकृति में मूल्यवर्धन एवं निर्णित हर्जाने सहित अनेक प्रकार के परिवर्तनीय प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। संव्यवहार मूल्य में किसी प्रकार के अनुवर्ती परिवर्तन को तदनुसार संविदा के प्रारंभ से समान आधार पर निष्पादन दायित्वों से संबद्ध कर लिया जाता है। समूह द्वारा परिवर्तनीय प्रतिफल को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ऐसी संभावना हो कि स्वीकृत की गई संचित राशि के राजस्व में व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। समूह यथोचित लेखा विधि के उपयोग से परिवर्तनीय प्रतिफल के प्रति स्वीकृत की जाने वाली राजस्व की राशि के अनुमान निर्धारित करती है। इसके परिणामस्वरूप संव्यवहार मूल्य परिवर्तन की अवधि के संबंध में किसी संतोषजनक निष्पादन के लिए निर्धारित राशियों की पुनःस्वीकृति राजस्व के रूप में की जाती है अथवा राजस्व में कमी की जाती है।

संविदा संशोधनों का लेखांकन तब किया जाता है जब आवर्धन, विलोपन अथवा परिवर्तन के संबंध में संविदा के कार्यक्षेत्र अथवा संविदा मूल्य में अनुमोदन प्रदान किए गए हों। संविदा में संशोधनों का लेखांकन करने की क्रिया में यह मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या इसमें जोड़ी गई सेवाएं पृथक हैं अथवा नहीं हैं तथा क्या मूल्यन समेकित बिक्री मूल्य पर किया गया है अथवा नहीं किया गया है। जोड़ी गई वे सेवाएं, जो पृथक नहीं हैं,का लेखांकन संचयी कैच अप आधार पर किया जाता है जबकि जो पृथक होती हैं, उनका लेखांकन उत्तरव्यापी प्रभाव से या तो संविदा के अंतर्गत किया जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्यन समेकित बिक्री मूल्य के अनुसार है, अथवा यदि मूल्यन समेकित बिक्री मूल्य के अनुसार नहीं है तो विद्यमान संविदा को समाप्त करके तथा नया संविदा करके किया जाता है।

निम्नलिखित मापदंड पूर्ण होने की स्थिति में ही समूह द्वारा किसी निष्पादन दायित्व को पूर्ण कर लिया माना जाता है तथा समयानुकूल राजस्व स्वीकृति की जाती है:

समूह की निष्पादन क्रिया में प्रदान किए गए समूह के निष्पादन ग्राहक को साथ साथ प्राप्त हुए हैं तथा उनके लाभों का उपयोग कर लिया गया है।

- समूह द्वारा किए गए निष्पादन से किसी परिसम्पति (उदाहरणतः, कार्य प्रगति पर) का सृजन अथवा संवर्धन हुआ है तथा परिसम्पति के सृजन अथवा संवर्धन के साथ साथ ग्राहक को नियंत्रण प्राप्त हो गया है अथवा
- समूह के निष्पादन से इकाई द्वारा किसी वैकल्पिक उपयोग के लिए किसी परिसम्पति का सृजन नहीं हुआ है तथा इकाई के पास निष्पादन पूरा किए जाने की तिथि तक के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

समूह द्वारा समान प्रकार के निष्पादन दायित्वों के संबंध में निरंतर उपयोग में लाई जाने वाली राजस्व की स्वीकृति की विधि के लिए अनेक मापदंड स्थापित किए गए हैं। जहां परिणामों के अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाए जा सकते हैं वहां समूह द्वारा इनपुट विधि के उपयोग से कार्य की प्रगति का मापन किया जाता है। इनपुट विधि के अंतर्गत राजस्व की स्वीकृति रिपोर्टिंग अवधि को पूर्णता के चरण के संदर्भ में की जाती है। पूर्णता के चरण का मापन निष्पादन दायित्व से संबद्ध अनुमानित लागत के योग पर तिथि के अनुसार किए गए वास्तविक लागत व्यय के आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

ऐसी संविदाओं के मामले में जहां निष्पादन दायित्व का मापन इनपुट विधि से नहीं हो सकता है वहां आउटपुट विधि का उपयोग किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के संबंध में समूह द्वारा किए कार्य निष्पादन की उचित छवि प्रस्तुत करती है।

ख) संविदा शेष

- संविदा परिसम्पतियां : किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि समूह द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।
- व्यापार प्राप्य : प्राप्य से समूह का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।
- संविदागत दायित्व : संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो समूह को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक समूह द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताों की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि समूह द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ग) टोल–फी

सहायक कंपनी टोल राजस्व को उस समय स्वीकार करती है जब उसे संव्यसहार मूल्य यथा प्रयोग शुल्क पर एक; किया जाता है, जिसमें तीसरे पक्षों की ओर से एकत्र राशि शामिल नहीं होती।

घ) अन्य प्रचालन आय

- प्रचालन पट्टे के अंतर्गत किराए पर दी गई मशीनरी से उत्पन्न किराया आय का लेखांकन पट्टा अवधियों में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है।
- अन्य प्रचालन आय में व्यापार की आनुषंगिक गतिविधियों से अर्जित आय की प्रस्तुति की गई है तथा इसकी स्वीकृति तब की गई है जब निष्पादन पूर्ण कर लिया गया है तथा संविदा शर्त के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो गया है।

ड.) अन्य आय

- लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर की गई है।
- ब्याज आय की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से की गई है।
- विविध आय की स्वीकृति निष्पादन दायित्व पूरे कर लिए जाने तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होने पर की गई है।

2.2.10 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं समूह द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.11 कर

क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है । चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में समूह के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में समूह की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने की है।

ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान

प्राधिकरण से संबंधित हों।

2.2.12 विदेशी मुद्राएं

- **कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा**

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'') करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपए में की गई है जो समूह की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

- **संव्यवहार एवं शेष**

विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

- **विदेश परिचालन**

शाखाओं से संबंधित उन विदेश परिचालनों, जिनमें उपयोग की मुद्रा के प्रति कार्यात्मक मुद्रा में भिन्नता है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के उद्देश्य से उपयोग की मुद्रा का प्रयोग किया गया है। समूह की विदेश स्थित शाखाओं की परिसम्पतियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर–मौद्रिक दोनों) को रिपोर्टिंग तिथि के अंत में लागू विनिमय दर के उपयोग से परिवर्तित किया गया है। यदि विनिमय दरों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं तो आय एवं व्यय की मदों को अवधि के दौरान औसत विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है अन्यथा मामलों के लिए संव्यवहार की तिथि को प्रयुक्त विनिमय दर उपयोग में लाई गई है। उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं, यदि कोई हैं, की स्वीकृति अन्य व्यापक आय एवं इक्विटी इसका संचय विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व के रूप में किया गया है।

विदेशी परिचालनों का निपटान (परियोजना की बहियां बंद करने पर) होने पर परिचालन के संबंध में इक्विटी में संचित विनिमय भिन्नताओं का पुनःवर्गीकरण लाभ एवं हानि विवरण में किया गया है।

2.2.13 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

परिभाषित अंशदायी योजना : परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत समूह नियत राशि का अंशदान एक अलग इकाई में करती है तथा इससे इसके प्रति आगे किसी राशि का भुगतान करने का कोई विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व नहीं होता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान करने से संबंधित योजनाओं के संबंध में, जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, लाभ एवं हानि विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

समूह की एक परिभाषित अंशदायी कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना है जिसका व्यवस्थापन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन डिफाइन्ड कन्ट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन पेंशन स्कीम, 2009) के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रस्ट के लिए किए जाने वाले अंशदान की स्वीकृति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरणों में की गई है जिस अवधि में ट्रस्ट के प्रति अंशदान देय होते हैं।

परिभाषित लाभ योजना : परिभाषित लाभ योजना एक सेवानिवृत्ति के पश्चात की लाभ योजना है जो कि परिभाषित अंशदायी योजनाओ से भिन्न है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसी लाभ के प्रति दायित्व समूह के ही होते हैं। उपदान, भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए समूह की देयताओं की रूपरेखा परिभाषित लाभ योजनाओं में दर्शाई गई है।

समूह द्वारा उपदान का निधियन किया जाता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन एम्प्लाइज ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट) करती है। व्यय के रूप में स्वीकृत की गई अवधियों के लिए उपदान ट्रस्ट में किया जाने वाले अंशदान को लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है। समूह मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन कंट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) को करती है जो निधियों का निवेश अनुमत्त सिक्योरिटिज में करता है। व्यय के रूप में स्वीकृत अवधियों के लिए निधि के अंशदान के व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। समूह का दायित्व ऐसे नियत अंशदान करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि इसके सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर लाभ की प्राप्ति हो सके। समूह की एक सेवानिवृति पष्चात चिकित्सा सुविधा योजना (पीआरएमएफ) भी है जिसका निधियन भी समूह करती है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट) द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा ट्रस्ट में अवधियों के संबंध में स्वीकृत किया जाने वाले अंशदान को व्यय के रूप में लाभ एवं हानि

में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के संबंध में समूह के निवल दायित्वों का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में सरकारी सिक्योरिटिज की परिपक्वता अवधि, जो परिभाषित लाभ दायित्वों के भारित औसत परिपक्वता प्रोफाइल के समान है, में बाजार प्राप्ति पर आधारित डिस्काउंट दर के उपयोग से अनुमानित भावी नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य पर अलग से किया जाता है। निवल आधार पर दायित्वों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत सकल दायित्वों में से योजनागत परिसम्पतियों के उचित मूल्य को कम कर दिया जाता है।

आकलन का निष्पादन एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट के उपयोग से किया जाता है तथा सरकार की अधिसूचित ब्याज दरों पर पर्याप्त लाभ की उत्पति में ट्रस्ट के सक्षम न होने की स्थितियों के संबंध में संकेत दिए जाते हैं।

बीमांकक लाभ एवं हानियों सहित योजनागत परिसम्पतियों के प्राप्यों का पुनःमापन (परिभाषित लाभ देयता अथवा परिसम्पति के निवल पर निवल ब्याज की राशियों के अलावा) करके अन्य व्यापक आय में स्वीकृति की जाती है तथा इसे धारित आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा यह लाभ एवं हानि विवरण में पुनःवर्गीकृत किए जाने के योग्य नहीं होती है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त परिभाषित लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है। परिभाषित लाभ योजना के किसी निपटान पर लाभ अथवा हानियों की स्वीकृति तब की जाती है जब निपटान किया जाता है। पूर्व सेवा लागत को व्यय के रूप में, योजनागत संशोधन अथवा संक्षेपण से पूर्व तथा जब समूह धारित संबंधित अवसरंचना लागतों अथवा सेवा समाप्ति लाभों को स्वीकृति देती है, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

समूह द्वारा बारह माह के पश्चात अग्रेषित किए जाने वाले छुट्टी नकदीकरण एवं छुट्टी यात्रा रियायत को मापन के उद्देश्य से दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ माना गया है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में दायित्व की स्वीकृति का मापन अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से बीमांकन पर आधारित दायित्वों के वर्तमान मूल्य पर किया गया है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है।

2.2.14 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में नकदी, बैंकों में जमा नकदी एवं अल्पकालिक जमा जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो नकदी की ज्ञात राशियों के लिए तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम के अध्याधीन हैं।

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुल्यों में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार अप्रबंधित नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्हें समूह के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

2.2.15 लाभांश

समूह के इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने वाले वार्षिक लाभ वितरण की देयता के रूप में स्वीकृति शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए की गई है । अंतरिम लाभांश के प्रति देयता के रूप में स्वीकृति निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त होने पर की जाती है। देय लाभांश एवं लाभांश वितरण के अनुवर्ती कर की स्वीकृति सीधे इक्विटी में की गई है।

2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

क) प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप समूह का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली, जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

समूह द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रावधानों में अनुरक्षण, विघटन, डिजाइन गारंटी, विधिक मामले, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदा एवं अन्य शामिल हैं।

ख) दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण समूह अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि समूह की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के

लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व समूह किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

ग) **आकस्मिक देयताएं**

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

घ **आकस्मिक परिसम्पतियां**

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.17 सेवा रियायत व्यवस्था

क) सेवा रियायत व्यवस्था के तहत वित्तीय संपत्ति (इंड एएस–115 – ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व, परिशिष्ट–ग)

समूह उस स्तर तक वित्तीय परिसंपत्तियों को स्वीकार करता है जिस स्तर तक निर्माण सेवाओं और प्रचालन व अनुरक्षण सेवाओं के लिए प्रदाता (एनएचएआई) के निदेशक से या पर रोकड या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने का अशर्त संविदागत अधिकार प्राप्त हो। इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभ में उचित मूल्य अर्थात वर्तमान मूल्य और तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। इस पद्धति के तहत, वित्तपोषण तत्व के लिए वित्तीय परिसंपत्ति में वृद्धि की जाती है और अनुदान के रूप में धन प्राप्त किया जाता है। समूह दो या अधिक संविदाओं को एक ही ग्राहक के साथ या एक ही समय में या एक ही संविदा के रूप में संविदाओं के लिए खाते में संयोजित करता है, यदि संविदाओं को एकल वाणिज्यिक उद्देश्य या एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि के पैकेज के रूप में स्वीकार किया जाता है और संविदा में दिए गए अन्य अनुबंध या वस्तुओं या सेवाओं की कीमत या प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है जो एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

ख) सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति (परिशिष्ट–ग के रूप में इंड एएस 115 – ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व)

सार्वजनिक से निजी व्यवस्था (पीपीए) के संबंध में, निर्माण–प्रचालन–अंतरण (बीओटी) आधार पर, अमूर्त संपत्ति अर्थात टोल/टैरिफ एकत्रण करने का अधिकार तब स्वीकार्य है जब समूह को उपयोगकर्ताओं से टोल या टैरिफ शुल्क वसूलने के अधिकार दिए गए हैं। ऐसी सार्वजनिक सेवाओं और इस तरह के अधिकारों को नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए समूह पर बिना शर्त अधिकार नहीं दिया जाता है और जब यह संभावित हो कि कि अधिकारों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे और संपत्ति की लागत को सुदृढता से मापा जा सकता है।

समूह एक सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे (निर्माण या उन्नयन सेवाओं) का निर्माण करता है और उस बुनियादी ढांचे (प्रचालन सेवाओं) को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रचालन और अनुरक्षण करता है। इन व्यवस्थाओं में सार्वजनिक–से–निजी सेवा रियायत व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को अपने संपूर्ण उपयोगी जीवन के लिए शामिल किया जा सकता है।

रियायत समझौतों के तहत, जहां समूह को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभारित करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसे अधिकारों को इंड एएस 115 – सेवा रियायत व्यवस्था के रूप में परिशिष्ट–ग के अनुसार ''अमूर्त परिसंपत्तियों'' के रूप में स्वीकृत और वर्गीकृत किया जाता है।

इस प्रकार का अधिकार मत प्राप्त करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है क्योंकि यह राशि उस स्तर तक आकस्मिक है कि जनता सेवा का उपयोग करती है और इस तरह से इसे अमूर्त संपत्ति के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति को लागत पर समूह द्वारा स्वीकृत किया जाता है (जो प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य का उचित मूल्य है) और पूंजीकृत है जब परियोजना सभी मामलों में पूर्ण होती है और जब समूह पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है।

रियायत व्यवस्था के तहत ली गई संपत्ति के निपटान पर या उसके भविष्य के उपयोग या निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है।

सेवा रियायत व्यवस्था जो एक अमूर्त संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है, उसे संचयी निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है। परियोजना के निर्माण के पूरा होने तक, इस तरह की व्यवस्था को ''विकास के तहत अमूर्त संपत्ति'' के रूप में स्वीकृति प्राप्त है और संचयी निर्माण लागत पर मान्यता प्राप्त है।

सेवा रियायत व्यवस्था में अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल वह अवधि है, जहां से समूह रियायत

अवधि के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए जनता को प्रभारित करने में सक्षम है।

एकत्रण अधिकार समयावधि की समाप्ति के बाद या उस तारीख से प्रो–राटा आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधन किया जाता है, जब अधिकार रियायत अवधि की समाप्ति के लिए सेवा में लाया जाता है।

परिशोधन की कार्यविधि और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख में की जाती है, जिसमें अनुमानित आधार पर इन अनुमानों में परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति के वहन मूल्य की प्रतिवर्ष या उससे अधिक बार हानि के लिए समीक्षा की जाती है यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहन मूल्य पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकता है।

2.2.18 पट्टे

समूह द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

क) पट्टेदार के रूप में समूह

समूह द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। समूह पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

i) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

समूह उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में समूह को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

ii) पट्टा दायित्व

समूह द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ समूह उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए समूह पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

समूह के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

iii) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

समूह द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। समूह द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य

परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

समूह द्वारा पट्टा लेखांकन में किए समायोजन इंड एएस 116 के अनुसार किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण /पुनःसमूहन इंड एएस116 की अपेक्षाओं के प्रभाव से किया गया है।

ख) पट्टाकार के रूप में समूह

वे पट्टे जिनमें समूह मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.2.19 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- **परिशोधन लागत पर नामे उपकरण**

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैं:

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- एफवीटीओसीआइ पर ऋण उपकरण

निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में समूह ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- एफवीटीपीएल पर ऋण उपकरण

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **इक्विटी उपकरण**

इंड एएस 109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरणएफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए समूह द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। समूह द्वारा ऐसे चयन उपकरण – वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि समूह किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, समूह इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

<u>वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता</u>

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो समूह संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस 109 के अनुसरण में समूह द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

समूह द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल एप्रोच' का अनुसरण किया गया है:

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए समूह को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए समूह यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक समूह सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

समूह द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय/व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पतियों का भाग अथवा समान प्रकार की वित्तीय परिसम्पतियों के समूह का भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पतियों से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब वित्तीय परिसम्पतियां एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।

वहन राशि एवं प्रतिफल के रूप में प्राप्त/प्राप्य राशि के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

ख) वित्तीय देयताएं

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

समूह की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देयताएं, ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

समूह के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

समूह द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें समूह को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

समूह वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब समूह या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि समूह वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। समूह स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ङ) वित्तीय अभिलेखों की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है, और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है, यदि परिसंपत्तियों की वसूली और देनदारियों के निपटान का इरादा है, तो मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य संविदात्मक कानूनी अधिकार है और निवल आधार पर निपटान करने की मंशा है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

2.2.20 उचित मूल्य मापन

समूह द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर, परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में।

उत्तम अथवा लाभकारी बाजार समूह की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

समूह द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, समूह द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समूह द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन समूह की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए समूह द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.21 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलब्ध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री/वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस 105 "बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां" के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन (1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से

संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.2.22 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.2.23 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन समूह द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति समूह का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, समूह द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

क. संग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए गुंजाइश

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

ख. परिभाशित लाभ योजनाएं

सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों की लागतों का निर्धारण बीमांकन मूल्यांकनों के उपयोग से किया जाता है। बीमांकक अनुमानों में विभिन्न अनुमान लगाए जाने की आवश्यकता होती है जो भविष्य में वास्तविक अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे निर्धारण में छूट दर, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर एवं भावी पेंशन वृद्धि शामिल होती है। मूल्यांकन की जटिलताओं में बढ़ोतरी तथा इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व ऐसे अनुमानों में परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदी हैं। सभी अनुमानों की समीक्षा रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

ग. आकस्मिताएं

समूह के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, समूह के फसाव वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का समूह की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

घ. वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। समूह अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो समूह के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

ङ. कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। समूह द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं कर योग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण समूह के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे कर योग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो

समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

च. गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

छ. बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलब्ध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो।

ज. पट्टे – आवर्धित ऋण दर के अनुमान

समूह पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, समूह द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो समूह को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में समूह

समूह पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

समूह द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। समूह अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से समूह के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात समूह पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से समूह को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

i. राजस्व स्वीकृति

समूह की एक राजस्व मान्यता नीति है जिसके उपयोग से समूह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए समूह द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदत्ता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	पट्टे वाले भवन	फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट–आवासीय	फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट–गैर आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कम्प्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कारवां, केम्प और अस्थायी शेड	वाहन	कुल
फुट नोट								(i)	(ii)			
सकल वहन मूल्य (लागत पर)												
1 अप्रैल 2021 को	**42.69**	**36.89**	**6.36**	**63.02**	**180.48**	**1.74**	**7.39**	**4.87**	**4.96**	**2.87**	**3.58**	**354.85**
संवर्धन	–	–	–	–	13.39	1.04	0.75	0.38	1.20	0.15	–	**16.91**
निपटान/समायोजन	–	–	–	–	(0.28)	–	(0.42)	(0.10)	(0.11)	–	–	**(0.91)**
बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण /संदर्भ नोट 3	–	(36.89)	–	(19.40)	–	–	–	–	–	–	–	**(56.29)**
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों में स्थानांतरण (नोट–v देखें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**–**
विनिमय लाभ / (हानि) (नोट–iv देखें)	–	–	–	0.19	0.35	–	(0.02)	0.03	0.01	–	0.06	**0.62**
31 मार्च 2022 को	**42.69**	**–**	**6.36**	**43.81**	**193.94**	**2.78**	**7.70**	**5.18**	**6.06**	**3.02**	**3.64**	**315.18**
संवर्धन	–	–	–	0.29	17.15	0.18	1.27	0.75	0.82	0.06	0.32	**20.84**
निपटान /समायोजन	–	–	–	–	1.50	–	(0.46)	(0.15)	(0.10)	–	(0.01)	**0.78**
निवेश संपत्ति में स्थानांतरण (नोट–iii देखें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**–**
बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण (नोट–पअ देखें)	–	–	0.19	–	–	–	–	–	–	–	–	**0.19**
विनिमय (लाभ) /हानि (नोट–v देखें)	–	–	–	–	4.01	0.05	0.03	0.08	0.06	0.05	0.24	**4.52**
1 अप्रैल 2023 को	**42.69**	**–**	**6.55**	**44.10**	**216.60**	**3.01**	**8.54**	**5.86**	**6.84**	**3.13**	**4.19**	**341.51**
मूल्यह्रास एवं हानि												
31 मार्च 2021 को	**–**	**–**	**3.64**	**18.69**	**58.15**	**0.64**	**4.86**	**2.89**	**1.78**	**2.55**	**1.67**	**94.87**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	–	–	0.10	2.99	11.36	0.17	1.09	0.58	0.51	0.12	0.38	**17.30**
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**–**
निपटान/समायोजन	–	–	–	–	(0.10)	–	(0.35)	(0.07)	(0.05)	–	–	**(0.57)**
निवेश संपत्ति में स्थानांतरण (नोट–iii देखें)	–	–	–	(1.85)	–	–	–	–	–	–	–	**(1.85)**
बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण (नोट–पअ देखें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**–**
विनिमय (लाभ) /हानि (नोट–v देखें)	–	–	–	0.09	0.30	–	(0.01)	0.01	–	–	0.03	**0.42**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	पट्टे वाले भवन	फ्रीहोल्ड भवन / फ्लैट–आवासीय	फ्रीहोल्ड भवन / फ्लैट–गैर आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कम्प्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कारवां, केम्प और अस्थायी शेड	वाहन	कुल
31 मार्च 2022 को	**–**	**–**	**3.74**	**19.92**	**69.71**	**0.81**	**5.59**	**3.41**	**2.24**	**2.67**	**2.08**	**110.17**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	–	–	0.77	1.97	20.57	0.25	1.05	0.54	0.61	0.10	0.36	**26.22**
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**–**
निपटान / समायोजन	–	–	–	–	1.50	–	(0.37)	(0.14)	(0.05)	–	–	**0.94**
निवेश संपत्ति में स्थानांतरण (नोट–iii देखें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**–**
बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण (नोट–v देखें)	–	–	0.05	–	–	–	–	–	–	–	–	**0.05**
विनिमय ;लाभद्ध /हानि (नोट–iv देखें)	–	–	–	0.15	2.63	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.16	**3.13**
31 मार्च 2023 को	**–**	**–**	**4.56**	**22.04**	**94.41**	**1.08**	**6.30**	**3.87**	**2.84**	**2.81**	**2.60**	**140.51**
निवल बही मूल्य												
31 मार्च 2023 को	**42.69**	**–**	**1.99**	**22.06**	**122.19**	**1.93**	**2.24**	**1.99**	**4.00**	**0.32**	**1.59**	**201.00**
31 मार्च 2022 को	**42.69**	**–**	**2.62**	**23.89**	**124.23**	**1.97**	**2.11**	**1.77**	**3.82**	**0.35**	**1.56**	**205.01**

फुट नोट –

i) कार्यालय उपकरण में विद्युत उपकरण और एयर कंडीशनर शामिल हैं।

ii) फर्नीचर और फिक्स्चर में फर्निशिंग शामिल है।

iii) नोएडा सेक्टर–1 स्थित संपत्ति को पीपीई से निवेश संपत्ति में स्थानांतरित किया गया है।

iv) वहन राशि में कार्यात्मक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में पीपीई अनुवाद के कारण विदेशी मुद्रा लाभ / (हानि) शामिल है।

v) फ्रीहोल्ड भवन – चेन्नई में आवासीय, बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति से संयंत्र, संपत्ति और उपकरण में स्थानांतरित

vi) व्यवसाय विशिष्ट उपयोग, परिसंपत्तियों के उपभोग पैटर्न और समान परिसंपत्तियों के पिछले प्रदर्शन पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यांकन द्वारा समर्थित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया

परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है :

संपत्ति का वर्ग	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्षों में)	तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अपनाया गया उपयोगी जीवन (वर्षों में)
भवन / फ्लैट आवासीय / गैर आवासीय *	60	8–60
संयंत्र और मशीनरी *	8–15	1–15
सर्वेक्षण उपकरण	10	10
कंप्यूटर	3–6	3–6
कार्यालय उपकरण	5–10	5–10
फनिर्चर व फिक्सचर	10	10
कारवां, शिविर और अस्थायी शेड	3–5	3–5
वाहनों	8–10	8–10

* तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार संपत्ति के उपयोगी जीवन के निर्धारण के लिए संपत्ति के प्रत्येक महत्वपूर्ण घटक पर विचार किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

4. पूंजीगत चालू कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2021 को	**3.17**
जमा (परिणामी व्यय)	8.32
समायोजन	(4.45)
हानि	(0.75)
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	(0.27)
31 मार्च 2022 को	**6.02**
जमा (परिणामी व्यय)	2.45
समायोजन	–
हानि	–
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	–
31 मार्च 2023 को	**8.47**
निवल बही मूल्य	
31 मार्च 2023 को	**8.47**
31 मार्च 2022 को	**6.02**

(i) प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों की आयु

31 मार्च 2023 और मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों की आयुकाल अनुसूची इस प्रकार है। (₹ करोड़ में)

विवरण	अवधि हेतु पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों की राशि				
	1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2023 तक					
परियोजनाएं प्रगति पर हैं – नोट–iv का संदर्भ लें	2.45	6.02	–	–	**8.47**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	**–**
	2.45	**6.02**	**–**	**–**	**8.47**
31 मार्च 2022 तक					
परियोजनाएं प्रगति पर हैं – नोट–iv का संदर्भ लें	6.02	–	–	–	**6.02**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	**–**
	6.02	**–**	**–**	**–**	**6.02**

(ii) ऐसी कोई परियोजना नहीं है जहां गतिविधि को निलंबित कर दिया गया हो।

(iii) 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो अपनी लागत से अधिक हो गई है या पूरा होना अतिदेय है

(iv) निर्माणाधीन 500 मेगावाट का सोलर प्लांट शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

5. निवेश परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरूग्राम			बंगलुरु	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भवन	
31 मार्च 2021 को	**290.31**	**0.57**	**126.81**	**2.23**	**96.31**	**–**	**3.04**	**519.27**
जमा (परिणामी व्यय)*	–	–	–	–	0.07	–	–	**0.07**
वर्ष के दौरान अमान्य	–	–	–	–	–	–	–	**–**
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	–	–	–	–	(96.38)	96.38	–	**–**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को हस्तांतरित (फुट नोट देखें (i))	36.89	–	19.40	–	–	–	–	**56.29**
31 मार्च 2022 तक	**327.20**	**0.57**	**146.21**	**2.23**	**–**	**96.38**	**3.04**	**575.63**
जमा (परिणामी व्यय)'	–	–	10.56	–	–	–	–	**10.56**
वर्ष के दौरान अस्वीकृति	–	–	–	–	–	(1.02)	–	**(1.02)**
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	–	–	–	–	–	–	–	**–**
31 मार्च 2023 तक	**327.20**	**0.57**	**156.77**	**2.23**	**–**	**95.36**	**3.04**	**585.17**
मूल्यह्रास और हानि								
1 अप्रैल 2021 को	**–**	**–**	**7.95**	**–**	**–**	**–**	**0.31**	**8.26**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	–	–	7.01	–	–	3.28	0.04	**10.34**
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण से अंतरित (संदर्भ फुट नोट.i)	–	–	1.85	–	–	–	–	**1.85**
31 मार्च 2022 को	**–**	**–**	**16.81**	**–**	**–**	**3.28**	**0.36**	**20.45**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	–	–	7.92	–	–	3.55	0.94	**12.41**
31 मार्च 2023 को	**–**	**–**	**24.73**	**–**	**–**	**6.83**	**1.30**	**32.86**
निवल ब्लाक								
31 मार्च 2023 को	**327.20**	**0.57**	**132.04**	**2.23**	**–**	**88.53**	**1.74**	**552.31**
31 मार्च 2022 को	**327.20**	**0.57**	**129.40**	**2.23**	**–**	**93.10**	**2.68**	**555.18**

निवेश संपत्ति की आय और व्यय के संबंध में जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त किराया आय	6.46	0.54
वर्ष के दौरान किराया आय को सृजित करने वाली निवेश परिसंपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित)	4.40	0.01
वर्ष के दौरान किराया आय को सृजित न करने वाली निवेश परिसंपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित)	–	–
मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से होने वाला लाभ	**2.06**	**0.53**
घटा: वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	(8.86)	(0.27)
अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से होने वाला लाभ	**(6.80)**	**0.26**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

उचित मूल्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरूग्राम			बंगलुरु	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भवन	
1 अप्रैल 2021 को आरंभिक शेष	**217.32**	**–**	**116.79**	**118.48**	**87.37**	**–**	**7.87**	**547.83**
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	–	–	–	0.07	–	–	**0.07**
वर्ष के दौरान अस्वीकृति	–	–	–	–	–	–	–	**–**
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण से अंतरित (संदर्भ फुट नोट.i)	25.02	–	16.59	–	–	–	–	**41.61**
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	–	–	–	–	(87.44)	87.44	–	**–**
वर्ष के लिए उचित मूल्य अंतर	5.89	–	3.32	3.34	–	2.69	1.49	**16.73**
31 मार्च 2023 को	**248.23**	**–**	**136.70**	**121.82**	**–**	**90.13**	**9.36**	**606.24**
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	–	–	–	–	–	–	**–**
वर्ष के दौरान अस्वीकृति	–	–	–	–	–	–	–	**–**
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण से अंतरित (संदर्भ फुट नोट.i)	–	–	–	–	–	–	–	**–**
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	–	–	–	–	–	–	–	**–**
वर्ष के लिए उचित मूल्य अंतर	14.20	–	(15.26)	3.34	–	(4.91)	0.21	**(2.42)**
31 मार्च 2023 को समापन शेष	**262.43**	**–**	**121.44**	**125.16**	**–**	**85.22**	**9.57**	**603.82**
नोटः								
अधिग्रहित निवेश परिसंपत्ति	–	–	–	–	–	–	–	**–**
स्वनिर्मित निवेश परिसंपत्ति	**262.43**	**–**	**121.44**	**125.16**	**–**	**85.22**	**9.57**	**603.82**
	262.43	**–**	**121.44**	**125.16**	**–**	**85.22**	**9.57**	**603.82**

(i) नोएडा सेक्टर–1 स्थित संपत्ति पीपीई से निवेश संपत्ति में स्थानांतरित

(ii) ये मूल्यांकन कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करते हैं। उचित मूल्य लागत और आय/लागत/बाजार मूल्य दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। मूल्यांकनकर्ता द्वारा बनाई गई धारणा के अनुसार मूल्यांकन, नोएडा भूमि के मामले में ₹66.89 करोड़ के एकमुश्त पट्टा भुगतान पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, मूल्यांकन रिपोर्ट में नोएडा और गुरुग्राम के लिए ₹22.14 करोड़ की जीएसटी राशि पर विचार नहीं किया गया है।

(iii) उचित मूल्य मापन को उचित मूल्य क्रम के तीन स्तरों में श्रेणीबद्ध किया गया है।

(iv) नोएडा में निवेश सम्पत्ति चार स्थानों में है, जिसकी पट्टा अवधि 90 वर्ष है, गुरुग्राम और बंगलुरु में परिसंपत्ति केवल एक स्थल पर है जो फ्रीहोल्ड है।

* संवर्धन का ब्यौरा (आगामी व्यय)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य नोएडा सेक्टर 48	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य गुरूग्राम
– कार्य व्यय	10.56	(0.20)
– परामर्श शुल्क	–	0.22
– वेतन एवं पारिश्रमिक	–	0.02
– बिजली, बिजली और पानी के शुल्क	–	0.03
कुल	**10.56**	**0.07**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां			
	साफ्टवेयर	पट्टा अधिकार	टोल रोड	कुल
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल 2021 को	**2.13**	**72.34**	**1,248.98**	**1,323.45**
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.42	–	–	**0.42**
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	0.01	–	–	**0.01**
31 मार्च 2022 को	**2.56**	**72.34**	**1,248.98**	**1,323.88**
वर्ष के दौरान संवर्धन	9.09	–	45.96	**55.05**
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	–	–	–	**–**
31 मार्च 2023 को	**11.65**	**72.34**	**1,294.94**	**1,378.93**
परिशोधन और हानि				
1 अप्रैल 2021 को	**1.88**	**8.95**	**166.23**	**177.06**
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.23	1.64	64.54	**66.41**
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	–	–	0.01	**0.01**
31 मार्च 2022 को	**2.11**	**10.59**	**230.78**	**243.48**
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.85	1.64	65.54	**68.03**
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	–	–	–	**–**
31 मार्च 2023 को अंतशेष	**2.96**	**12.23**	**296.32**	**311.51**
निवल बही मूल्य				
31 मार्च 2023 को	**8.69**	**60.11**	**998.62**	**1,067.42**
31 मार्च 2022 को	**0.45**	**61.75**	**1,018.20**	**1,080.40**

फुट नोट:

साफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर में एसएपी एस4/एचएएनए ईआरपी सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किया गया पूंजीगत व्यय शामिल है।

अधिकार: इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के निर्माण के लिए आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भूमि रेलवे की है और कंपनी ने उस पर भवनों का निर्माण किया है तथा कंपनी को एमएफसी के आरंभ होने की तिथि से 45 वर्षों का पट्टा अधिकार (वाणिज्यिक अधिकार) प्राप्त है। पट्टा अधिकारों को उस तिथि से पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाएगा जिस तिथि से संबंधित परियोजना प्रोरेटा आधार पर वाणिज्यिक प्रचालन में आई है। वर्ष के दौरान परिशोधित राशि **1.64 करोड़ रुपए** (वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1.64 करोड़ रुपए)।

टोल रोड :– टोल रोड में टोल रोड के लिए आईटी अवसंरचना साफ्टवेयर का मूल्य भी तथा टोल रोड के ईपीसी कार्य भी शामिल हैं। यह अगले से गणनीय नहीं है और परिसंपत्ति का अभिन्न अंग है।

7. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		
	साफ्टवेयर	टोल रोड	कुल
सकल ब्लॉक			
1 अप्रैल 2021 को	**9.79**	**–**	**9.79**
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	20.69	**20.69**
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	–	–	**–**
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	–	–	**–**
31 मार्च 2022 को	**9.79**	**20.69**	**30.48**
वर्ष के दौरान संवर्धन	1.89	33.08	**34.97**
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(9.09)	(45.96)	**(55.05)**
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	–	–	**–**
31 मार्च 2023 को	**2.59**	**7.81**	**10.40**
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल 2021 को आरंभिक शेष	**–**	**–**	**–**
वर्ष के दौरान परिशोधन	–	–	–
हानि	–	–	–
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	–	–	–
31 मार्च 2022 को	**–**	**–**	**–**
वर्ष के दौरान परिशोधन	–	–	–
हानि	–	–	–
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	–	–	–
31 मार्च 2023 को	**–**	**–**	**–**
निवल बही मूल्य			
31 मार्च 2023 को	**2.59**	**7.81**	**10.40**
31 मार्च 2022 को	**9.79**	**20.69**	**30.48**

फुटनोट :

i) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के अंतर्गत एसएपी एस–4/एचएएनए ईआरपी साफ्टवेयर अधिग्रहण हेतु पूंजीगत व्यय को दर्शाता है।

ii) 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की आयु संवर्धन अनुसूची इस प्रकार है। (₹ करोड़ में)

विवरण	एक अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों में राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2023 तक प्रगतिरत परियोजना					
सैप एस–4 हाना सैप/ईआरपी	1.89	–	–	0.70	**2.59**
टोल रोड	7.81	–	–	–	**7.81**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	9.70	**–**	**–**	**0.70**	**10.40**
31 मार्च, 2022 तक प्रगतिरत परियोजनाएं					
सैप एस–4 हाना सैप/ईआरपी	–	–	9.79	–	**9.79**
टोल रोड	20.69	–	–	–	**20.69**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	**–**	**–**	**–**	**–**	
	20.69	**–**	**9.79**	**–**	**30.48**

iii) नीचे दी गई परियोजनाओं के मामले में, पूर्णता अतिदेय है, स्वीकृत कुल लागत 26.16 करोड़ रुपए है और परियोजना के निम्नानुसार पूरा होने की उम्मीद है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एक अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों में राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2023 तक प्रगतिरत परियोजना					
सैप एस–4 हाना सैप/ईआरपी	3.50	5.26	5.70	–	**14.47**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	**–**
	3.50	**5.26**	**5.70**	**–**	**14.47**

8. प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	भूमि (ii)	भवन (i)	वाहन	कुल
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल 2021 को	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	–	–	**–**
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–	**–**
31 मार्च 2022 को	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.35	–	–	**0.35**
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	(0.01)	–	**(0.01)**
31 मार्च 2023 को	**1.60**	**5.20**	**0.04**	**6.84**
मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल 2021 को	**0.11**	**1.55**	**0.04**	**1.70**
वर्ष के दौरान मूल्यहास	0.05	0.32	–	**0.37**
वर्ष के दौरान हानि	–	–	–	**–**
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–	**–**
31 मार्च 2022 को अंतशेष	**0.16**	**1.87**	**0.04**	**2.07**
वर्ष के दौरान मूल्यहास	0.06	0.32	–	**0.38**
वर्ष के दौरान हानि	–	–	–	**–**
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	(0.01)	–	**(0.01)**
31 मार्च 2023 को अंतशेष	**0.22**	**2.18**	**0.04**	**2.44**
निवल बही मूल्य				
31 मार्च 2023 को	**1.38**	**3.02**	**–**	**4.40**
31 मार्च 2022 को	**1.09**	**3.34**	**–**	**4.43**

फुट नोट :

i) इसमें सेन मार्टिन मार्ग, दिल्ली, पाली हिल, मुंबई और मेट्रो रेलवे सेवा भवन, कोलकाता 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

ii) कंपनी द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.76 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

iii) अचल संपत्तियों के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	पट्टा परिसंपत्ति	सकल वहन मूल्य	नाम पर धारित टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण (यह भी बताएं कि क्या विवाद है)
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	पाली हिल, बांद्रा फ्लैट नंबर 401 मुंबई	0.21	पश्चिमी रेल	नहीं	14/08/2002	फ्लैटों का निर्माण, रेलवे भूमि पर किया गया है और इस संबंध में जारी निर्देश के आधार पर संबंधित जोनल रेलवे द्वारा 30 वर्षों की अवधि के लिए इरकॉन को पट्टे पर दिया गया है।
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	सेंट मार्टिन, नई दिल्ली में फ्लैट	2.26	उत्तरी रेल	नहीं	16/09/2004	
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	मेट्रो रेल सेवा भवन, कोलकाता	0.75	मेट्रो रेल, कोलकाता	नहीं	03/03/2000	मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा रेलवे भूमि पर निर्मित कार्यालय आवास और इस संबंध में जारी निर्देश के अनुसार 30 वर्षों की अवधि के लिए इरकॉन को पट्टे पर दिया गया है।

9. इक्विटी विधि के प्रयोग द्वारा लेखांकित निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
संयुक्त उद्यम कंपनियां		
इरकॉन–सोमा टोलवे प्रा. लि. प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 6,38,70,000	81.23	90.40
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड 5,19,99,699 प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 5,19,99,699) (संदर्भ नोट (i)	58.19	57.34
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 7,63,37,300 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 7,63,37,300)	76.12	76.37
झारखंड सेंट्रल रेलवे प्रत्येक 10 रुपए के 2,62,56,438 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 1,30,00,000) (संदर्भ नोट (ii)	142.49	63.94
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 2,60,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 2,60,00,000) (संदर्भ नोट (iii)	77.64	25.76
छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 19,78,55,700 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 : 19,78,55,700) (संदर्भ नोट (iv)	194.90	224.92
छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 19,39,91,200 इक्विटी शेयर(31 मार्च 2022: 15,71,70,000)	193.60	156.84
कुल	**824.17**	**695.57**
कोट न किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	**824.17**	**695.57**
निवेशों के मूल्य में हानि की सकल राशि	-	-

फुट नोटः

(i) रेल मंत्रालय (एमओआर) ने अपने पत्र संख्या 2011/एलएमबी/22/1/39 दिनांक 18.10.2021 के माध्यम से भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) को बंद करने और अपने व्यवसाय का आरएलडीए/रेल मंत्रालय को हस्तांतरण /हैंडओवर के लिए सैद्धांतिक निर्णय के बारे में सूचित किया था। तदनुसार, समापन गतिविधियों के भाग के रूप में, सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों (एसआईटीसीओ और गरुड़ में निवेश को छोड़कर) को पारस्परिक रूप से कटऑफ तिथि के अनुसार बही मूल्य से कम पर मंदी बिक्री के आधार पर आरएलडीए/एमओआर को हस्तांतरित किया जाना है। आईआरएसडीसी की दिनांक 07.11.2022 को आयोजित 59वीं बीओडी बैठक में अनुमोदित के अनुसार सहमति व्यक्त की गई। वित्त वर्ष 2021–22 में शुरू की गई, समापन संबंधी गतिविधियां अभी पूरी नहीं हुई हैं। परिसमापन प्रक्रिया इन गतिविधियों के पूरा होने और संपत्तियों और देनदारियों को आरएलडीए/रेल मंत्रालय को सौंपने पर शुरू होगी। आईआरएसडीसी का वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किया गया है। कंपनी को अपने निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार की हानि की उम्मीद नहीं है क्योंकि आईआरएसडीसी की रिपोर्ट की गई निवल संपत्ति में कंपनी की हिस्सेदारी 58.50 करोड़ रुपए है अर्थात 225 करोड़ रुपए का 26 प्रतिशत।

(ii) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के पक्ष में 50 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अग्रिम को मंजूरी दे दी है। ऋण का भुगतान केवल परियोजना के समापन या रियायती अवधि के अंत, जो भी बाद में हो, पर किया जाएगा।

(iii) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के पक्ष में 52 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अग्रिम को मंजूरी दे दी है। ऋण का भुगतान केवल परियोजना के समापन या रियायती अवधि के अंत, जो भी बाद में हो, पर किया जाएगा। समूह ने वित्त वर्ष 2020–21 तक महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (संयुक्त उद्यम कंपनी) के संबंध में घाटे के 0.22 करोड़ रुपए के भाग को मान्यता नहीं दी है, जिसे महानदी कोल रेलवे लिमिटेड में आगे इक्विटी योगदान के कारण वित्त वर्ष 2021–22 में मान्यता दी गई है।

(iv) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के पक्ष में 15.60 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अग्रिम को मंजूरी दे दी है। ऋण का भुगतान केवल परियोजना के समापन या रियायती अवधि के अंत, जो भी बाद में हो, पर किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

10. गैर–चालू परिसंपत्तियां – गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

10.1 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बांड में निवेश (कोट किए गए, परिशोधन लागत पर)		
8.23 प्रतिशत कर मुक्त इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसीएल) बॉन्ड, 1,000 रुपए की शून्य इकाइयाँ (31 मार्च 2022 को : 5,00,000)	–	50.00
8.35 प्रतिशत कर मुक्त इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसीएल) बॉन्ड, प्रत्येक 10,00,000 रुपए की शून्य इकाइयाँ (31 मार्च 2022 को : 500)	–	49.98
7.15 प्रतिशत कर मुक्त इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसीएल) बॉन्ड, 10,00,000 रुपए की 250 इकाइयाँ (31 मार्च 2022 को : 250	25.00	25.00
7.07 प्रतिशत कर मुक्त इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसीएल) बॉन्ड, 1,000 रुपए की 3,02,000 इकाइयाँ (31 मार्च 2022 को : 3,02,000)	30.20	30.20
7.14 प्रतिशत एनएचएआई कर मुक्त बॉन्ड, 1,000 रुपए की 1,99,989 इकाइयां (31 मार्च 2022 को : 1,99,989)	20.00	20.00
7.02 प्रतिशत एनएचएआई कर मुक्त बॉन्ड, 10,00,000 रुपए की 500 इकाइयां (31 मार्च 2022 को 500)	50.00	50.00
कुल	**125.20**	**225.18**
कोट किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	**125.20**	**225.18**
कोट किए गए निवेशों का सकल बाजार मूल्य	**130.41**	**252.66**
कोट न किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	**–**	**–**
निवेशों के मूल्य में हानि की सकल राशि	**–**	**–**

10.2 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2023 को
क. वसूली योग्य : रक्षित		
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.03	0.07
ख. वसूली योग्य : अरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों से ऋणः	**–**	**–**
(ii) अन्यः		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	0.49	0.43
कुल	**0.52**	**0.50**

फुट नोट :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि'	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत'	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि'	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत'
प्रमोटरों को ऋण	–	–	–	–
निदेशकों को ऋण	–	–	–	–
केएमपी को ऋण	–	–	–	–
संबंधित पक्षों को ऋण	–	–	–	–
कुल	**–**	**–**	**–**	**–**

* ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम का प्रतिनिधित्व करता है।

^ ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

10.3 गैर–चालू परिसंपत्तिया . अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
वसूली योग्य : अरक्षित				
प्रतिभूति जमा राशि				
– सरकारी विभाग		0.01		0.01
– अन्य		0.53		0.53
संविदा परिसंपत्तिः				
–ग्राहकों से प्रतिधारण राशि		3.54		2.61
–ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि		–		–
– एससीए के संदर्भ में निर्माण लागत {देखें फुट नोट (i)}		1,260.68		1,266.92
12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि (संदर्भ फुट नोट (ii)		0.01		0.01
12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि – बैंक गारंटी (संदर्भ फुट नोट (iii)		3.27		2.90
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज {पैरा नोट देखें (iv)}		0.27		0.25
रेल भूमि विकास प्राधिकरण आरएलडीए से वसूली योग्य (संदर्भ फुटनोट (v)	15.00		630.31	
घटाः भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण – संदर्भ फुट नोट 20.1(i)बी	–	15.00	(615.31)	15.00
कुल		**1,283.31**		**1,288.23**

फुट नोट :

(i) निर्माण लागत, हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) के तहत समूह द्वारा बनाए जा रहे राजमार्ग से संबंधित है।

(ii) एफडीआर सहित **0.01 करोड़ रूपए** (31 मार्च 2022 : 0.01 करोड़ रूपए)

(iii) दिनांक 31 मार्च 2023 को **3.27 करोड़ रुपए** (31 मार्च 2022 रुपए 2.90 करोड़), सांविधिक प्राधिकरणों ''म्यांमार सड़क परियोजना के लिए विदेश मंत्रालय को जारी किए गए बीजी के लिए 100 प्रतिशत मार्जिन के प्रति (सांविधिक प्राधिकरणों को एफडीआर गिरवी रखने के मामले में) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड को गिरवी रखी गई सावधि जमा का प्रतिनिधित्व करता है

(iv) निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
स्टाफ ऋण और अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि	–	–
कुल	**–**	**–**

(v) समूह ने भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण प्राप्त किया है (संदर्भ नोट 20.1) और पट्टा करार की शर्तों के अनुसार आगे जिसका भुगतान रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को किया गया है। आरएलडीए तथा कपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार ऋण से संबंधित मूल राशि तथा ब्याज की सभी किश्तें तथा किसी प्रकार की त्रुटि या आतरिक्त ब्याज, तथा अन्य लागतें, व्यय तथा प्रभार (या अन्यथा ऋण करार के अंतर्गत या अनुसरण में देय) का भुगतान आरएलडीए द्वारा कपनी को ऋण करार के अंतर्गत उनकी संबंधित देय तिथि से कम से कम पांच (5) दिन पूर्व ऐसे खाते में किया जाएगा जो कि आईआरएफसी द्वारा निर्धारित किया गया हो। रेल मंत्रालय से आरएलडीए को निधियों का समवर्ती संवितरण करने के लिए आरएलडीए और रेल मंत्रालय को वापसी सहमति से उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी। इस वसूलीयोग्य राशि की निबंधन और शर्तें वहीं होंगी जैसी कि उक्त ऋण के मामले में हैं।

इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, आरएलडीए ने बांद्रा ईस्ट पर परियोजना स्थल के पट्टाधारण अधिकारों सहित वहां वाणिज्यिक विकास कार्य करने के अधिकार कपनी को अंतरित कर दिए हैं। समूह परियोजना स्थल के वाणिज्यिक विकास कार्य को करने के प्रयोजन के लिए तथा कपनी द्वारा चिन्हित विकासकर्ताओं को परियोजना स्थल को आगे उप–ठेके पर देने (सभी संबद्ध विकास अधिकारों सहित) के प्रयोजनों से मुक्त, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बोली प्रकियाओं के माध्यम से उपयुक्त विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) को नियुक्त करने के लिए पात्र है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

11. आस्थिगित कर परिसंपत्तियां और आयकर

आयकर के रूप में इंड एएस 12 के अनुसार प्रकटीकरण

क) 31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आयकर व्यय के प्रमुख घटक : (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1	**लाभ और हानि विवरण खंड**		
	चालू आयकरः		
	चालू आयकर प्रकार	241.28	186.15
	पिछले वर्ष के चालू कर संबंधी समायोजन	(78.64)	(87.73)
	आस्थगित करः		
	अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिक्रम से संबंधित	(36.87)	(2.04)
	लाभ एवं हानि खंड विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	**125.77**	**96.38**
2	**अन्य वृहत आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकरः		
	निर्धारित लाभें योजनाओं के पुनर्निर्धारण पर निवल हानि / (लाभ)	0.50	(0.20)
	विनिमय लाभ लाभ / हानि पर निवल हानि / (लाभ)	3.25	1.56
	ओसीआई **खंड में रिपोर्टिड आयकर व्यय**	**3.75**	**1.36**

ख) 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 के लिए कर व्ययों का पुनर्विनियोजन तथा लेखांकन लाभ गुणा भारतीय घरेल कर दरः

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1	आयकर पूर्व लेखांकन लाभ	905.82	694.06
2	लेखांकन लाभ पर कर	242.10	179.73
3	कर समायोजन पर प्रभाव		
(i)	पिछले वर्ष के चालू आय कर संबंधी समायोजन	(78.64)	(87.60)
(ii)	पूर्ववर्ती अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	–	–
(iii)	दर अंतर का प्रभाव	0.03	–
(iv)	कर से छूटप्राप्त आय पर कर	(37.38)	(20.07)
(v)	कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौतीयोग्य व्यय		
	– अन्य राष्ट्र अतिरिक्त कर	17.11	20.82
	– अन्य गैर कटौतीयोग्य व्यय	7.02	4.86
(vi)	विभिन्न अन्य पदों पर कर प्रभाव	(20.72)	–
4	**लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय**	**129.52**	**97.74**
5	प्रभावी कर दर	14.30%	14.08%

(ग) तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देयताओं) के घटक (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	तुलनपत्र		लाभ एवं हानि विवरण	
		31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(193.98)	(179.41)	14.57	23.50
2	प्रावधान	117.14	88.78	(28.36)	(14.32)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मदें	0.07	0.12	0.05	(0.11)
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	52.53	29.08	(23.45)	(2.75)
5	व्यवसाय घाटे	130.96	129.76	(1.20)	(8.57)
6	प्राथमिक व्यय तथा अंतर	2.68	4.20	1.52	0.21
	निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**109.40**	**72.53**	**(36.87)**	**(2.04)**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(घ) तुलन पत्र में निम्नानुसार प्रदर्शित

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	303.38	251.94
2	आस्थगित कर देयताएं	(193.98)	(179.41)
	आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**109.40**	**72.53**

नोट : आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियों को ऑफसेट कर दिया गया है क्योंकि वे समान शासी कानूनों से संबंधित हैं।

(ड.) निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) का समायोजन

31 मार्च 2023 को

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	1 अप्रैल 2022 को शेष/निवल	लाभ हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकार	31 मार्च 2023 को शेष/निवल
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(179.41)	(14.57)	–	**(193.98)**
2	प्रावधान	88.78	28.36	–	**117.14**
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मदें	0.12	(0.05)	–	**0.07**
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	29.08	23.45	–	**52.53**
5	व्यवसाय घाटे	129.76	1.20	–	**130.96**
6	प्राथमिक व्यय तथा अंतर	4.20	(1.52)	–	**2.68**
	निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**72.53**	**36.87**	**–**	**109.40**

31 मार्च 2022 को

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	1 अप्रैल 2022 को शेष/निवल	लाभ हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकार	31 मार्च 2023 को शेष/निवल
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(155.91)	(23.50)	–	**(179.41)**
2	प्रावधान	74.46	14.32	–	**88.78**
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मदें	0.01	0.11	–	**0.12**
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	26.33	2.75	–	**29.08**
5	व्यवसाय घाटे	121.19	8.57	–	**129.76**
6	प्राथमिक व्यय तथा अंतर	4.41	(0.21)	–	**4.20**
	निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**70.49**	**2.04**	**–**	**72.53**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

12. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वसूलीयोग्य : अरक्षित		
क. पूंजी अग्रिम		
ठेकेदारों को पूंजी अग्रिम	41.49	–
ख). पूंजीगत अग्रिम से इतर अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों का अग्रिम	88.22	–
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	0.60	–
पर संचित ब्याज		
–ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	3.00	30.00
पूर्व प्रदत्त व्यय	–	0.03
उचित मूल्य समायोजन	0.12	–
कुल	**133.43**	**30.03**

13. दरसूचियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कच्चा माल (लागत या एनआरपी पर मूल्यित, जो भी कम हो, या अन्यथा उल्लिखित हो)		
– हाथ में	22.69	22.75
– तीसरे पक्षों के पास	15.61	33.76
– पारगमन में	–	3.31
अन्य (स्क्रैप)	0.31	0.59
प्रगतिरत निर्माण कार्य/लागत पर मूल्यित	173.22	216.18
कुल	**211.83**	**276.59**

14. चालू परिसंपत्तियां – वित्तीय परिसंपत्तियां

14.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बांड में निवेश (उद्धृत, परिशोधन लागत पर)		
7.21% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बांड, प्रत्येक 10,00,000 रुपए की 500 इकाइयाँ (31 मार्च 2022 को शून्य इकाईयां)	–	50.00
8.23% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बांड, 1,000 रुपए की 5,00,000 इकाइयाँ (31 मार्च 2022 को शून्य इकाइयां)	50.00	–
8.35% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बांड, प्रत्येक 10,00,000 रुपए की 500 इकाईयां। (31 मार्च 2022 को शून्य इकाइयां)	49.99	–
कुल	**99.99**	**50.00**
कोट किए गए निवेशों का कुल बही मूल्य	**99.99**	**50.00**
कोट किए गए निवेशों का कुल बाजार मूल्य	**109.93**	**55.23**
कोट न किए गए निवेशों का कुल बही मूल्य	**–**	**–**
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	**–**	**–**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

14.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
रक्षित, वसूली योग्य	–	–
असुरक्षित, वसूली योग्य – (फुट नोट i का संदर्भ लें)	893.72	706.14
व्यापार प्राप्य, जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–
व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	31.27	19.59
हानि भत्ता (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता)		
अरक्षित, वसूली योग्य	(29.89)	(10.95)
व्यापार प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–
व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	(31.27)	(19.59)
कुल	**863.83**	**695.19**

फुट नोटः

(i) *संबंधित पार्टियों से प्राप्तियां **228.43 करोड़ रूपए** (31 मार्च 2022 तक 120.27 करोड़ रुपए) शामिल हैं और नोट 37 (सी) 4.1 में इसका प्रकटन किया गया है

(ii) 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु अनसूची

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	–	395.86	260.67	70.14	115.06	21.43	28.57	**891.73**
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	**–**
अविवादित व्यापार प्राप्य–ऋण हानि	–	–	–	–	–	–	–	**–**
विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूलीयोग्य	–	–	–	–	–	–	1.99	**1.99**
विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	**–**
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	–	–	3.47	2.91	6.12	3.84	14.93	**31.27**
हानि भत्ता	**–**	**395.86**	**264.14**	**73.05**	**121.18**	**25.27**	**45.49**	**924.99 (61.16)**
कुल								**863.83**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	–	296.38	182.62	100.59	39.62	46.45	38.49	**704.15**
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	**–**
अविवादित व्यापार प्राप्य–ऋण हानि	–	–	–	–	–	–	–	**–**
विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूलीयोग्य	–	–	–	–	–	–	1.99	**1.99**
विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	**–**
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	–	–	–	–	–	–	19.59	**19.59**
हानि भत्ता	**–**	**296.38**	**182.62**	**100.59**	**39.62**	**46.45**	**60.07**	**725.73 (30.54)**
कुल								**695.19**

14.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
उपलब्ध रोकड़		0.09	0.10
उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट		–	–
ट्रांजिट में पारगमन		13.61	–
बैंक में शेष :			
–चालू खातों में	(ii), (iii), (iv), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv) और (xv)	417.51	874.43
–फलैक्सी खातों में	(i) (ii) (iii) और (iv)	282.84	282.35
–तीन महीनों से कमी की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(i), (v), (xi) और (xiv)	1,624.06	100.89
कुल		**2,338.11**	**1,257.77**

14.4 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अन्य बैंक शेष			
3 महीनों से अधिक किन्तु 13 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशिया	(i), (v) और (vii)	2,783.87	4,253.35
– 3 महीनों से अधिक किन्तु 13 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशिया – बैंक गारंटी	(vi)	–	–
निर्धारित शेष :			
– सीएसआर बैंक खाता		0.17	0.18
– लाभांश संवितरण खाता	(viii)	0.41	1.91
कुल		**2,784.45**	**4,255.44**

फुट नोट (नोट 14.3 और 14.4) : .

(i) इसमें **3130.67 करोड़ रुपए** (31 मार्च 2022 तक : 3,291.29 करोड़ रुपए) की ग्राहक निधि शामिल है, जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा, व्यापार के बदले देय परियोजना निधि भी शामिल है। **811.42 करोड़** (31 मार्च 2022 : 1,010.33 करोड़ रुपए)

(ii) इसमें **2.78 करोड़ रुपए** (31 मार्च 2022 तक : 1.50 करोड़ रुपए) शामिल हैं और शेष एस्क्रो खाते से संबंधित है, जो इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित धनराशि है।

(iii) इसमें **60.73 करोड़** (31 मार्च 2022 तक : 1.59 करोड़ रुपए) रुपए शामिल हैं और शेष एस्क्रो खाते से संबंधित है जो इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित धनराशि है। इसके अलावा, इसमें

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

एसबीआई के साथ ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार प्रमुख रखरखाव रिजर्व खाते के लिए ग्रहणाधिकार के रूप में 10 करोड़ (31 मार्च 2022 तक : शून्य) की निर्धारित राशि भी शामिल हैं।

(iv) इसमें इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में **19.23 करोड़ रुपए** (31 मार्च 2022 तक : 32.57 करोड़ रुपए) की ग्राहक निधि शामिल है, जिस पर उन्हें ब्याज दिया गया है।

(v) इसमें इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में **58.30 करोड़ रुपए** (31 मार्च 2022 तक : 56.21 करोड़ रुपए) की ग्राहक निधि शामिल है, जिस पर ब्याज उन्हें दिया गया है।

(vi) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड की म्यांमार रोड परियोजना के लिए विदेश मंत्रालय को जारी **शून्य** (31 मार्च 2022 तक : शून्य) की बैंक गारंटी के प्रति रखी गई सावधि जमा का प्रतिनिधित्व करता है।

(vii) इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड के **26.46 करोड़ रुपए** (31 मार्च 2022 तक : 26.46 करोड़ रुपए) की जमा राशि शामिल है। जो पंजाब नेशनल बैंक के ग्रहणाधिकार के अधीन है और **रु. 35.78 करोड़ रुपए** (31 मार्च 2022 तकः शून्य) एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित धनराशि हैं।

(viii) रुपए के अंतरिम लाभांश पर देय टीडीएस शामिल है। **शून्य** (31 मार्च 2022 तक : 1.57 करोड़ रुपए)

(ix) **33.62 करोड़ रुपए** (31 मार्च 2022 तक : 1.14 करोड़ रुपए) शामिल हैं। शेष एस्क्रो खाते से संबंधित है जो इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित धनराशि है।

(x) **0.01 करोड़ रुपए** (31 मार्च 2022 तक 1.11 करोड़ रुपए) शामिल हैं. शेष एस्क्रो खाते से संबंधित है जो इरकॉन गुड़गांव रेवारी हाईवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित धनराशि है।

(xi) इसमें **14.34 करोड़ रूपए** शामिल हैं (31 मार्च 2022 तकः 5.10 करोड़ रुपए) शेष राशि इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित धनराशि है।

(xii) इसमें इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार **0.04 करोड़ रूपए** (31 मार्च 2022 तक : 0.04 करोड़ रुपए) शामिल हैं और शेष राशि निर्धारित की गई है।

(xiii) इसमें इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार **0.05 करोड़ रूपए** (31 मार्च 2022 तक : 0.05 करोड़ रुपए) शेष राशि निर्धारित की गई है।

(xiv) इसमें इरकॉन हरिद्वार बायपास लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार **0.45 करोड़ रूपए** (31 मार्च 2022 तक : 0.04 करोड़ रुपए) की राशि निर्धारित है।

(xv) इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार **0.12 करोड़** (31 मार्च 2022 तक : 0.04 करोड़ रुपए) की राशि निर्धारित है।

14.5 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क. वसूलीयोग्य : रक्षित		
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.05	0.08
ख. वसूलीयोग्य : अरक्षित		
स्टाफ ऋण और अग्रिम (संदर्भ फुट नोट (i))	0.79	0.72
कुल	**0.84**	**0.80**

फुट नोट :

(i) संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिमः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत^	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत^
प्रमोटरों को ऋण	-	-	-	-
निदेशकों को ऋण	-	-	-	-
केएमपी को ऋण	-	-	-	-
संबंधित पक्षों को ऋण	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

* ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम का प्रतिनिधित्व है

^ ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व है

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

14.6 चालू परिसंपत्तियां – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
वसूली योग्य : अरक्षित					
प्रतिभूति जमा राशि					
– सरकारी विभाग			1.74		3.20
– अन्य			141.53		150.05
अनुबंध संपत्तिः					
– बिल योग्य राजस्व / प्राप्य बकाया नहीं	(i) (क) & (ख)		375.31		251.87
– निर्माण कार्य प्रगति पर (वसूली योग्य मूल्य पर)	(i) (ख)		482.03		208.47
– एससीए के संदर्भ में हुई निर्माण लागत	(ii)		278.35		82.86
– ग्राहक के साथ प्रतिधारण राशि	(iii)		185.93		119.24
– ग्राहक द्वारा रोके गए पैसे	(iii)		230.71		319.38
बयाना जमा राशि			0.74		1.66
12 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशियां			25.49		4.30
12 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशियां (बैंक गारंटी)	(iv)		–		0.27
संचित ब्याज					
– स्टाफ को अग्रिम	(v)		0.13		0.22
– संबंधित पक्षों को ऋण			10.87		10.06
– रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम		59.65		109.77	
घट : भरतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण पर संचित ब्याज	(vi)	(51.89)	7.76	(103.81)	5.96
– बैंकों में जमा राशि			60.33		40.19
– बांड			15.55		17.21
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटनः					
''भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड			–		–
301 इक्विटी शेयर–10 रुपए (31 मार्च 2022 : 301)''					
अन्य वसूली योग्य					
(क) संबंधित वर्षों से (संयुक्त उपक्रम)					
– इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर			3.49		3.45
– मेट्रो टनलिंग ग्रुप			1.88		1.84
– भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड			0.09		1.03
– इरकॉन – एफकॉन जे वी			0.60		0.64
– छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड			0.29		0.22
– बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड			0.02		0.02
– महानदी कोयला रेल लिमिटेड			2.93		1.32
–झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड			0.07		0.10
–एक्सप्रेस फ्रेट कंसार्टियम			1.68		1.10
(ख रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य		619.95		639.95	
घटा : भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण	(vi)	(615.31)	4.64	(615.31)	24.64
(ग) ग्राहकों से वसूली योग्य दावा			80.33		43.88
(घ अग्रिम पट्टा किराया			0.12		16.97
(ड.) एससीए के तहत वित्तीय संपत्ति पर वसूली योग्य ब्याज			34.54		17.70
(च) अन्य			21.30		0.89
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित					
प्रतिभूति जमा राशियां					
– सरकारी विभाग			0.01		0.12
– अन्य			0.13		0.17
बयाना जमा राशि			0.16		0.16
संविदा परिसंपत्ति					
– ग्राहकों के पास प्रतिधरण राशि			4.28		4.28
– ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि			2.67		2.67
इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटे से प्राप्य			0.05		0.05
रेल भूमि विकास प्राधिकरण/आरएलडीए से प्राप्य			25.81		5.81
ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावा संदिग्ध			2.25		2.26
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि व्यवस्था			(35.36)		(15.52)
कुल			**1,968.45**		**1,328.74**

फुट नोट

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(i) (क) **184.73 करोड़ रूपए** (31 मार्च 2022 का 188.44 करोड़ रुपए) की राशि के काम का मूल्य हक्लाइंट द्वारा प्रमाणित है, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार बिल नहीं किया गया है।

(ख) **240.11 करोड़ रूपए** (31 मार्च 2022 को 254.50 करोड़ रुपए) संबंधित पार्टियों से प्राप्तियां शामिल हैं और नोट 37 (ग) 4.2 (क) में प्रकटन किया गया है।

(ii) निर्माण लागत हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) के तहत समूह द्वारा बनाए जा रहे राजमार्ग से संबंधित है।

(iii) **17.27 करोड़ रूपए** (31 मार्च 2022 को 5.32 करोड़ रुपए) की संबंधित पार्टियों से प्राप्तियां शामिल हैं और नोट–37 (ग) 4.2 (ख) में प्रकटन खुलासा किया गया है।

(iv) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के मामले में हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी को जारी बैंक गारंटी के प्रति 31 मार्च 2023 को **शून्य रूपए** (31 मार्च 2022 को 0.27 करोड़ रुपए) की सावधि जमा राशि शामिल है।

(v) कंपनी, फर्मों के अधिकारियों द्वारा देय ऋण जिनमें कोई निदेशक एक भागीदार या निजी कंपनी है जिसमें संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों को छोड़कर कोई भी निदेशक सदस्य है, के **शून्य रुपए** (31 मार्च 2022 को शून्य रुपए) शामिल हैं।

निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
स्टाफ ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि पर ब्याज	–	–
कुल	**-**	**-**

(vi) संदर्भ नोट सं. 10.3 (v), 20.1 (i) ख 20.1 (घ) और 23.1

15. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
टीडीएस और अग्रिम कंर सहित प्रदत्त कर (कर हेतु प्रावधान का निवलें)	164.87	70.73
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**164.87**	**70.73**

16. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वसूलीयोग्यः अरक्षित		
पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		
सामग्री और मशीन के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम	176.54	189.13
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को अग्रिम	1,262.61	1,118.59
निम्नलिखित से वसूलीयोग्य अग्रिम		
– बिक्री कर (टीडीएस सहित)	321.92	321.17
घटा : संरक्षणाधीन जमा राशि	(217.05)	(217.05)
– मूल्य संवर्धित कर	80.47	79.41
– वस्तु एवं सेवा कर	1,021.92	736.10
– भवन उपकर	1.53	–
– सेवा कर इनपुट क्रेडिट	0.01	0.01
प्रतिभूति जमा	44.28	41.30
संचित ब्याज		
– ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास जमाराशि	79.64	36.89
पूर्व प्रदत्त व्यय	12.39	10.59
अन्य	0.01	0.01
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को ऋण	16.99	16.99
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	30.00	35.04
मूल्य संवर्धित कर	9.88	9.88
घटाः संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि व्यवस्था	(56.87)	(61.91)
कुल	**2,784.27**	**2,316.15**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

17. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति	(i) और (ii)	0.71	1.39
कुल		**0.71**	**1.39**

फुट नोट :

(i) आर्थिक दृष्टि से मरम्मत के परे और/या निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (वसूलीयोग्य मूल्य और बही मूल्य के निम्नतर पर):–

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान की विधि एवं संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों पर संभावित (हानि) / लाभ	सेगमेंट	31मार्च 2023 को		31मार्च 2022 को	
					सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी								
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (नोएडा वर्कशाप)	एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समय वर्ष 2024 के अंत तक	–	घरेलू : पीएमडी प्रभाग	–	–	0.78	0.04
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (डीएमआरसी सीई 6)	एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समया वर्ष 2024 के अंत तक	–	घरेलू	0.19	0.01	0.19	0.01
मलेशिया क्षेत्र	लोकोमोटिव – 2 नंबर (4 नंबर)	खुली निविदा	2.40	घरेलू	–	–	0.08	0.08
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेउ	संयत्र और मशीनरी	वर्ष 2023 के अंत तक निपटान के अपेक्षित समय के साथ ई–नीलामी द्वारा	–	घरेलू	1.12	0.70	1.12	1.12
कार्यालय उपकरण								
मलेशिया क्षेत्र	कार्यालय उपकरण की 28 (0), वातानुकूलन % 17 (0) और इलैक्ट्रिकल उपकरण : 68 (0)	सीमित निविदा	–	अंतरराष्ट्रीय	–	–	0.03	–
फर्नीचर एंड फिक्सचर								
मलेशिया क्षेत्र संदर्भ नोट (iii)	फर्नीचर की 79 मदें	सीमित निविदा	–	अंतरराष्ट्रीय	–	–	0.01	–
फ्रीहोल्ड भवन – आवासीय								
दक्षिणी क्षेत्र	फ्रीहोल भवन – आवासीय – चेन्नई	खुली निविदा	–	घरेलू	–	–	0.19	0.14
कुल					**1.31**	**0.71**	**2.40**	**1.39**

(ii) **नोटः** परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे उसके वहन राशि और पुन वर्गीकरण पर बिक्री की लागत घटा उचित मूल्य पर मापा गया है। तदनुसार, **0.42 करोड़ रुपए** (मार्च 2022 को शून्य करोड़ रुपए) के लिए हानि का प्रावधान किया गया है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, चेन्नई में फ्रीहोल्ड भवन – आवासीय संयंत्र, संपत्ति और उपकरण को इंडस्ट्रीज एएस 105 द्वारा बताए गए मानदंडों को पूरा नहीं करने पर हस्तांतरित किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

18. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
200,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 2 रुपए		
(20,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 2 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2022 को)	400.00	400.00
	400.00	**400.00**
जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी		
94,05,15,710 इक्विटी शेयर प्रति 2 रुपए/ संदर्भ नोट सं 18(च)		
(94,05,15,710 इक्विटी शेयर प्रत्येक 2 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2022 को) संदर्भ नोट सं 18(च)	188.10	188.10
	188.10	**188.10**

(क) 5 प्रतिशत से अधिक के प्रदत्त इक्विटी शेयर के कपनी के शेयर धारकों का ब्यौरा

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार – संदर्भ नोट सं 18(च)	68,83,01,650	73.18%	68,83,01,650	73.18%

(ख) रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए बोनस के रुप में जारी इक्विटी शेयर, रोकड से इतर समझे जाने के लिए जारी शेयर और वापस लाए गए शेयरों का ब्यौरा :

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रोकड से इतर आवंटित इक्विटी शेयर	–	–	–	–	–	–
बोनस शेयर के रुप में जारी इक्विटी शेयर	–	47,02,57,870	–	–	–	–
इक्विटी शेयर बाय बैक	–	–	–	–	–	49,28,426
कुल	**–**	**47,02,57,870**	**–**	**–**	**–**	**49,28,426**

वर्ष 2017–18 निवेश एवं जन सम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) ने इरकॉन को निदेश दिया है कि वे समग्र प्रदत्त इक्विटी के 5 प्रतिशत तक शेयरों के बायबैक करे। कुल 49,41,818 शेयरों को बायबैक करने का प्रस्ताव है, जो कि इन शेयरों की बुक वैल्यु पर होगा। निदेशक मंडल ने 21.09.2017 की अपनी 236वीं बैठक में प्रति 10 रुपए के अपने पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बायबैक को अनुमोदन प्रदान किया है, जो कि मौजूदा शेयरधाराकों से 49,41,818 शेयरों से अधिक नहीं होंगे। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की समापन तिथि यथा 04.12.2017 को भारत सरकार द्वारा धारित 49,28,426 शेयरों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/अधिकार :

(i) वोटिंग

समूह में केवल 2 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ii) दिवालियापन

समूह के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के वितरण के पश्चात, समूह की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी।

(iii) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के मद्देनजर है।

(घ) वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ में
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**94,05,15,740**	**188.10**	**47,02,57,870**	**94.05**
जमा : बोनस शेयर जारी करने के कारण शेयरों की संख्या में वृद्धि (नोट 18 (च) देखें)	–	–	47,02,57,870	94.05
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**94,05,15,740**	**188.10**	**94,05,15,740**	**188.10**

ड.) प्रमोटरों/प्रमोटर समूह द्वारा धारित शेयरों की संख्या

प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2023 को प्रमोटरों धारा धारित शेयर			31 मार्च 2022 को प्रमोटरों धारा धारित शेयर		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार की ओर से	68,83,01,650	73.18%	–	68,83,01,650	73.18%	–

(च) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 5 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी 268वीं बैठक में 1 :1 के अनुपात में 2/– रुपए के 47,02,57,870 पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। (अर्थात शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में 21 मई, 2021 के साथ प्रत्येक मौजूदा 1 (एक) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर जारी करना। एनएसई और बीएसई से अंतिम लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमोदन किया गया 31 मई, 2021 को प्राप्त हुआ। बोनस के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 188,10,31,480 रुपए है जो 94,05,15,740 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

19. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रतिधारित आमदनी	1,724.62	1,188.40
सामान्य निधि	3,284.64	3,284.64
पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि	4.93	4.93
अन्य वृहत आय	9.20	(0.45)
कुल	**5,023.39**	**4,477.52**

i) निम्नानुसार संचलन

क) प्रतिधारित आमदनी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आरंभिक शेष	**1,188.40**	**1,024.61**
लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक का अंतरण	765.23	592.34
वर्ष के दौरान घोषित और प्रदत्त लाभांश	(61.13)	(159.89)
अंतरिम लाभांश	(169.29)	(174.00)
बोनस शेयर इश्यु	–	(94.05)
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमाप (कर का शुद्ध)	1.44	(0.60)
इक्विटी पद्धति (शुद्ध कर) का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का भाग	(0.03)	(0.01)
समापन शेष	**1,724.62**	**1,188.40**

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आरंभिक शेष और अंतिम शेष	**3,284.64**	**3,284.64**

(ग) पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आरंभिक शेष और अंतिम शेष	**4.93**	**4.93**

(घ) सामान्य आरक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आरंभिक शेष	**(0.45)**	**(5.10)**
वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अनुवाद (कर शुद्ध)	9.65	4.65
अन्तिम शेष	**9.20**	**(0.45)**
कुल जोड़	**5,023.39**	**4,477.52**

(ii) आरक्षित निधि की प्रकृति और प्रयोजन

(क) पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि

प्रतिधारित आमदनियां समूह के आवतरित लाभों को प्रस्तुत करती हैं।

ख) सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधियों को प्रदर्शित करता है, यह निगमित नियमों के अनुसार है, जहां लाभ के एक भाग को सामान्य आरक्षित निधि में नियोजित किया जाता है। कपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सामान्य आरक्षित निधि में किसी राशि को अंतरित करने का विशेषाधिकार समूह का है।

(ग) पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि

धारक कंपनी ने दिनांक 26 दिसंबर 2017 को शेयरों के बायबैक के पश्चात लाभों में से पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि का सृजन किया है।

(घ) अन्य वृहत आय की मदें

अन्य वृहत आय में विदेशी प्रचालनों पर अंतरित विनिमय अंतर के कारण शेष राशि का प्रदर्शित करता है।

iii) लाभांश संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
घोषित / प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश :		
वित्तीय वर्ष 2021–22 को अंतिम लाभांश जिसे वर्ष 2022–23 में भुगतान किया गया 0.65 प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रदत्त 1.70 प्रति शयर)	61.13	159.89
2022–23 के दौरान अंतरिम लाभांश : 1.80 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2021–22: 1.85 रुपए प्रति शेयर)	169.29	174.00
	230.42	**333.89**

iv) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वीकार न किया गया लाभांश :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है:		
31 मार्च 2022 के लिए लाभांश रू 1.20 रुपए प्रति शेयर (31 मार्च 2022 : 0.65 रुपए प्रति शेयर)	112.86	61.13
कुल	**112.86**	**61.13**

19 क. गैर नियंत्रण ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक जमा	**1.13**	**–**
इक्विटी शेयर पूंजी का भाग	–	1.20
घोषित इक्विटी का भाग (ब्याज मुक्त ऋण)	12.00	–
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) का भाग	–	(0.07)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय का भाग	–	–
जमा शेष	**13.13**	**1.13**

20. गैर चालू देयताएं – गैर चालू वित्तीय देयताएं

20.1 गैर चालू वित्तीय देयताएं – ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
बैंकों से ऋण :		
सुरक्षित :		
पंजाब नेशनल बैंक से ऋण {फुट नोट (i) क को देखें}	300.17	325.29
बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण {फुट नोट (i) क को देखें}	651.38	486.06
इंडियन ओवरसीज बैंक से ऋण {फुट नोट (i) क को देखें}	–	–
भारतीय स्टेट बैंक से ऋण {फुट नोट (i) क को देखें}	488.78	493.06
दूसरों से ऋण :		
असुरक्षित :		
भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण {नीचे फुट नोट (i) ख देखें}	–	615.31
घटा : रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य {टिप्पणी 10.3 देखें}	– –	(615.31) –
कुल	**1,440.33**	**1,304.41**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

फुट नोट :

i) **पुनर्भुगतान की शर्तों का विवरण, ब्याज दर और सुरक्षा प्रकटीकरण :**

I **बैंकों से रक्षित ऋण :**

पंजाब नेशनल बैंक से ऋण (इरकॉन दावणगेरे हाईवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृति – 502.76 करोड़

दिनांक 01.4.22 को प्रारंभिक शेष राशि 344.13 करोड़ रुपए थी। दिनांक 31 मार्च 2023 को 325.29 करोड़ रुपए के समापन शेष में से, 25.12 करोड़ रुपए को उधार के तहत ऋण की वर्तमान परिपक्वता के रूप में दिखाया गया है – वर्तमान (नोट 23.1 देखें)

नियम और शर्तें

(i) ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर 0.30 प्रतिशत जमा 1 महीने की एमसीएलआर वर्तमान में समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन है।

(ii) चुकौती अवधि 10 वर्ष और 6 महीने होगी (24.04.2021 से शुरू और 24.07.2031 को अंतिम किस्त)

(iii) सावधि ऋण का पुनर्भुगतान, 24 अप्रैल 2021 से 42 तिमाही किश्तों में की जाएगी।

(iv) ब्याज का भुगतान देय होने पर किया जाएगा।

(v) एनएचएआई या सीओडी से पहली वार्षिकी प्राप्त होने तक 180 दिन, जो भी बाद में हो, धारक कंपनी (रेटेड केयर एएए) की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी द्वारा समर्थित होने के लिए सावधि ऋण।

प्रतिभूति का ब्यौरा :

(क) सहायक कंपनी की सभी अचल संपत्ति/चल संपत्ति (परियोजना परिसंपत्तियों के अलावा, संचालन चरण में कंपनी के मुक्त प्रवाह से प्राप्त की गई संपत्ति को छोड़कर) के हाइपोथिकेशन के माध्यम से पहला शुल्क और समय–समय पर ऋणदाता को सूचित किया जा रहा है

(ख) परियोजना के पुस्तक ऋण पर पहला प्रभार, परिचालन नकदी प्रवाह, प्राप्य, कमीशन, किसी भी प्रकृति के राजस्व और जहां भी उत्पन्न हो, वर्तमान और भविष्य की अमूर्त, सद्भावना और अवांछित पूंजी (वर्तमान और भविष्य) शामिल है।

(ग) परियोजना बैंक खाते पर पहला शुल्क, जिसमें नामित बैंक में खोले गए एस्क्रो खाते तक सीमित नहीं है, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किया जाएगा और आय का उपयोग ऋणदाता द्वारा तय की जाने वाली तरीके और प्राथमिकता में किया जाएगा।

(घ) उधारकर्ता के पक्ष में परियोजना से संबंधित किसी भी अनुबंध के लिए परियोजना से संबंधित सभी समझौते, साख पत्र (यदि कोई हो), और किसी भी पार्टी द्वारा प्रदान की गई गारंटी और प्रदर्शन बांड के तहत सभी समूह के अधिकारों और हितों का असाइनमेंट।

(ड.) सुविधा के लिए ऋणदाता की ओर से प्राधिकरण द्वारा निष्पादित प्रतिस्थापन समझौता।

(च) सभी लागू बीमा पॉलिसियों का समनुदेशन।

वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

अनुषंगी कंपनी को स्वीकृत शर्तों के अनुसार कोई त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है

बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण (इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृत – 724.12 करोड़ रूपए

दिनांक 01.04 22 को प्रारंभिक शेष राशि 499.86 करोड़ रुपए थी। दिनांक 31 मार्च 2023 को 655.16 करोड़ रुपए के समापन शेष में से, 34.48 करोड़ रुपए को उधार के तहत ऋण की वर्तमान परिपक्वता के रूप में दिखाया गया है – वर्तमान (नोट 23.1 देखें)

नियम और शर्तें

(i) ऋण पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर नीतिगत प्रीमियम के बिना 1 वर्ष की एमसीएलआर होगी, अर्थात वर्तमान में मासिक अंतराल पर देय 8.20 प्रतिशत प्रति वर्ष।

(ii) सीओडी की तारीख से 7 महीने की मोरिटोरियम। सहायक कंपनी ने अनन्तिम समापन प्रमाणपत्र अर्थात अनन्तिम सीओडी प्राप्त कर लिया है। सहायक कंपनी के अनुरोध पर, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 01.11.2022 को पुनर्भुगतान अनुसूची में क्रमिक बदलाव किया। अब, अगली पुनर्भुगतान अनुसूची 25.03.2024 से शुरू हो रही है और अंतिम किस्त 25.03.2033 को है।

(iii) सावधि ऋण का पुनर्भुगतान 21 अर्धवार्षिक किश्तों में की जाएगी।

(iv) डेबिट होने पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(v) प्रमोटर अर्थात धारक कंपनी (एएए रेटेड) की कॉर्पोरेट गारंटी एनएचएआई से पहली वार्षिकी प्राप्त होने तक (सीओडी से 180 दिनों तक) उपलब्ध रहेगी।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

प्रतिभूति का ब्यौरा :

(क) ऋणदाताओं के लाभ के लिए ऋणदाताओं/प्रतिभूति एजेंट के पक्ष में पहला बंधक और प्रभार, ऋणदाताओं के लिए संतोषजनक रूप में, उधारकर्ता की सभी अचल संपत्तियों, यदि कोई हो, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना संपत्तियों को छोड़कर और परियोजना संपत्ति को छोड़कर, वर्तमान और भविष्य दोनों, सभी उधारकर्ताओं की चल संपत्तियों के ऋणदाताओं के लाभ के लिए ऋणदाता/प्रतिभूति एजेंट के पक्ष में पहला मॉर्टगेज किया जाएगा।

(ख) चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी कलपुर्जों, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, फिक्स्चर, वाहन, अन्य सभी चल संपत्ति और वर्तमान संपत्ति, वर्तमान और भविष्य दोनों सहित, ऋणी की सभी मूर्त चल संपत्तियों पर पहला शुल्क, केवल परियोजना संपत्ति को छोड़कर।

(ग) नामित बैंक में खोले गए एस्क्रो खाते और सहायक कंपनी द्वारा स्थापित किए जाने वाले डीएसआरए सहित सभी बैंक खातों पर पहला शुल्क, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किए जाएंगे, और उप–खाता (या उसके प्रतिस्थापन में कोई खाता) जो इस समझौते और पूरक एस्क्रो समझौते या किसी अन्य परियोजना समझौते के अनुसार खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसा पहला शुल्क केवल एस्क्रो समझौते और रियायत समझौते के तहत निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार अनुमत सीमा तक होगा।

(घ) इस तरह के राजस्व और प्राप्तियों को एस्क्रो खाते में जमा किए जाने के पश्चात, परियोजना या अन्यथा, परियोजना के बही ऋण, परिचालन नकदी प्रवाह, कमीशन या किसी भी प्रकृति के राजस्व के सभी राजस्व और प्राप्तियों पर पहला शुल्क शामिल होगा, बशर्ते कि इस तरह का शुल्क, जैसा कि यहां बताया गया है, किसी भी ऐसे राजस्व और प्राप्तियों पर प्राप्त राशि और/या वसूली के पश्चात ही एस्क्रो खाते में जमा और दर्ज किया जाएगा और उसके बाद एस्क्रो समझौते के तहत वॉटरफाल प्राथमिकताओं के अनुसार अनुमत सीमा तक ही उपयोग किया जाएगा।

(ड.) सहायक कंपनी और बीमा पॉलिसियों आदि के पक्ष में किसी भी परियोजना समझौते या अनुबंध के तहत किसी भी प्रति पक्ष द्वारा प्रदान की जा सकने वाली ठेकेदार गारंटी, परिसमापन क्षति, क्रेडिट पत्र, गारंटी या प्रदर्शन बांड का असाइनमेंट।

(च) सभी अनुबंधों, बीमाओं, लाइसेंसों से सभी अनुबंधों, बीमाओं, लाइसेंसों से और सभी परियोजना अनुबंध (रियायत समझौते सहित) से संबंधित ऋणदाताओं के सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों पर ऋणदाताओं के पक्ष में असाइनमेंट/समझौते के माध्यम से पहला शुल्क, जिसके लिए ऋणी ठेकेदार गारंटी, परिसमापन क्षति, साख पत्र, निष्पादन बांड, गारंटी और परियोजना से संबंधित अन्य सभी अनुबंधों को शामिल करने का पक्षकार है, बशर्ते कि ऐसा शुल्क प्रतिस्थापन अनुबंध के तहत प्रदान की गई सीमा तक सीमित हों।

(छ) सभी अधिकारों, शीर्षक, हितों, लाभों, दावों, अप्रयुक्त पूंजी के ऋणदाताओं के पक्ष में रियायत समझौते के तहत कंपनी के अधिकारों पर पहला प्रभार/असाइनमेंट /प्रतिभूति ब्याज और किसी भी ऋण पत्र, निष्पादन बांड में कंपनी की मांग जो भी हो, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए किसी भी प्रदान की गई गारंटी है।

(ज) उधारकर्ता की अमूर्त संपत्ति पर पहला शुल्क लेकिन वर्तमान और भविष्य की बचत और परियोजना संपत्तियों को छोड़कर सद्भावना तक सीमित नहीं है, बशर्ते कि किसी भी वसूली को एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा और पूर्वोक्त शुल्क रियायत समझौते और एस्क्रो समझौते की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के तहत अनुमेय सीमा तक सीमित होंगे।

(i) सभी लागू बीमा पॉलिसियों का समनुदेशन।

वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में, कोई चूक नहीं हुई है।

अनुषंगी कंपनी को स्वीकृत शर्तों के अनुसार कोई त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण (इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृति – 686.37 करोड़

सहायक कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए 686.37 करोड़ रुपए की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 30.70 करोड़ रुपए (31 मार्च 2022 : शून्य) का संवितरण किया गया और ऊपर दिखाया गया है। सुरक्षा के नियम एवं शर्तें और विवरण इस प्रकार हैं:

1. नियम और शर्तों का ब्यौरा

(i) ऋण पर प्रभारित होने वाले ब्याज की दर मासिक विराम के साथ जमा 0.09 प्रतिशत नीतिगत प्रीमियम के बिना ओवरनाइट होगी। वर्तमान में, लागू ब्याज दर 7.99 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

(ii) पीसीओडी/सीओडी की तारीख से 6 महीने का मोरिटोरियम।

(iii) सावधि ऋण 6 महीने की समाप्ति (अधिस्थगन) के बाद शुरू होने वाली 26 संरचित अर्ध–वार्षिक किश्तों में चुकाया जाएगा, जिसमें सीओडी/पीसीओडी प्राप्त हुई है।

(iv) ब्याज का भुगतान तक किया जाएगा जब इसे नामे किया जाएगा। एमसीएलआर/स्प्रेड में बदलाव होने पर उसे रीसेट किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(v) होल्डिंग कंपनी की कॉर्पोरेट गारंटी (एएए रेटेड), एनएचएआई से पहली वार्षिकी प्राप्त होने या सीओडी जमा 180 दिन, जो भी बाद में हो, तक उपलब्ध होगी।

2) **प्रतिभूति का ब्यौरा:**

सभी ब्याज, शुल्क, कमीशन और अन्य धनराशि, जो भी निर्धारित हो और ऋणदाता को देय हो, के साथ सुविधा, रियायत समझौते के तहत अनुमत सीमा तक सुरक्षित की जाएगी :

(क) परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर, वर्तमान और भविष्य दोनों, उधारकर्ता की सभी अचल संपत्तियों (यदि कोई हो) पर पहला बंधक और शुल्क :

(ख) चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी कलपुर्जों, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, फिक्स्चर, वाहन, अन्य सभी चल संपत्ति और वर्तमान संपत्ति, वर्तमान और भविष्य दोनों सहित, ऋणी की सभी मूर्त चल संपत्तियों पर पहला शुल्क, केवल परियोजना संपत्ति को छोड़कर।

(ग) नामित बैंक में खोले गए एस्क्रो खाते और सहायक कंपनी द्वारा स्थापित किए जाने वाले डीएसआरए सहित सभी बैंक खातों पर पहला शुल्क, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किए जाएंगे, और उप–खाता (या उसके प्रतिस्थापन में कोई खाता) जो इस समझौते और पूरक एस्क्रो समझौते या किसी अन्य परियोजना समझौते के अनुसार खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसा पहला शुल्क केवल एस्क्रो समझौते और रियायत समझौते के तहत निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार अनुमत सीमा तक होगा।

(घ) इस तरह के राजस्व और प्राप्तियों को एस्क्रो खाते में जमा किए जाने के पश्चात, परियोजना या अन्यथा, परियोजना के बही ऋण, परिचालन नकदी प्रवाह, कमीशन या किसी भी प्रकृति के राजस्व के सभी राजस्व और प्राप्तियों पर पहला शुल्क शामिल होगा, बशर्ते कि इस तरह का शुल्क, जैसा कि यहां बताया गया है, किसी भी ऐसे राजस्व और प्राप्तियों पर प्राप्त राशि और वसूली के पश्चात ही एस्क्रो खाते में जमा और दर्ज किया जाएगा और उसके बाद एस्क्रो समझौते के तहत वॉटरफाल प्राथमिकताओं के अनुसार अनुमत सीमा तक ही उपयोग किया जाएगा।

(ड.) प्रतिभूति के माध्यम से पहला शुल्क या असाइनमेंट :

- परियोजना दस्तावेजों के प्रति और उसके अंतर्गत उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें,
- सभी स्वीकृतियों के लिए और उनके अंतर्गत उधारकर्ता का अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें,
- किसी भी ऋण पत्र, गारंटी में और उसके तहत उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें, परियोजना दस्तावेजों में किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान की गई ठेकेदार गारंटी और परिसमाप्त क्षति और निष्पादन बांड शामिल हैं, और
- सभी बीमा अनुबंधों में और उनके अंतर्गत उधारकर्ता के सभी अधिकार, स्वामित्व, हित, लाभ, दावे और मांगें।

(ज) डीएसआरए : 3 महीने के ब्याज और एक मूल किस्त के लिए डीएसआरए।

संपूर्ण प्रतिभूति (एस्क्रो और प्रतिस्थापन समझौते के निष्पादन सहित), संवितरण से पहले अपफ्रंट तैयार की जाएगी और संवितरण से पहले पूर्ण की जाएगी।

3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

4) सहायक कंपनी ने बैंकों से ऋण उधार का उपयोग, उन उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उन्हें लिया गया था।

इंडियन ओवरसीज बैंक से ऋण (इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृत राशि – परियोजना के लिए स्वीकृत सीमा रु. 309.68 (करोड़ में) इंडियन ओवरसीज बैंक से 12.05.2021 को प्राप्त स्वीकृत पत्र से प्रभावी, लेकिन स्वीकृत राशि में से 0.002 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है।

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार सावधि ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं है। इसके अलावा, सहायक कंपनी ने अनुमोदित ऋण के तहत और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, अपनी संपत्ति पर कंपनी रजिस्ट्रार के पास अपनी परिसंपत्तियों पर प्रभारक दर्ज किया है और साथ ही सहायक कंपनी ने संपत्ति का कोई भी रिटर्न/ स्टेटमेंट दाखिल नहीं किया है, क्यों कि बैंक द्वारा यह अपेक्षित नहीं है।

निबंधन और शर्तें

(i) 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 10.5 वर्षों में 21 निर्धारित अर्धवार्षिक किश्तों में ऋण का पुनर्भुगतान किया जाएगा, जिसकी अंतिम किस्त 30 सितंबर 2034 को निर्धारित है।

(ii) ब्याज दर 1 वर्ष की एमसीएलआर (6.85 प्रतिशत) जमा 0.15 प्रतिशत मैं फैली होगी अर्थात 7.00 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी, जो वर्तमान में समय–समय पर परिवर्तन के अधीन है।

(iii) सावधि ऋण, धारक कंपनी की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी द्वारा समर्थित है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

<u>प्रतिभूति का ब्यौराः</u>

क) सहायक कंपनी की सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/चल संपत्ति के आडमार/हाइपोथिकेशन के माध्यम से विशेष शुल्क के अधीन हैं।

(ख) परियोजना के पुस्तक ऋण पर पहला प्रभार, परिचालन नकदी प्रवाह, प्राप्य, कमीशन, किसी भी प्रकृति के राजस्व और जहां भी उत्पन्न हो, वर्तमान और भविष्य की अमूर्त, सद्भावना और अवांछित पूंजी (वर्तमान और भविष्य) शामिल है।

(ग) परियोजना बैंक खाते पर पहला शुल्क, जिसमें नामित बैंक में खोले गए एस्क्रो खाते तक सीमित नहीं है, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किया जाएगा और आय का उपयोग बैंक/निवेशक द्वारा तय की जाने वाली तरीके और प्राथमिकता में किया जाएगा।

घ) परियोजना से संबंधित सभी समझौतों के तहत सभी सहायक कंपनी के अधिकारों और ब्याज का असाइनमेंट, ऋण पत्र (यदि कोई हो), और ऋणदाता के पक्ष में परियोजना से संबंधित किसी भी अनुबंध के लिए किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान की गई गारंटी और निष्पादन बांड शामिल हैं।

ड.) ऋणी को सावधि जमा / बीजी के रूप में सीओडी पर अग्रिम रूप से सृजित करने के लिए आगामी एक अर्धवार्षिक किस्त और तीन महीने के ब्याज भुगतान के बराबर डीएसआरए बनाए रखा जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक से ऋण (इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड से संबंधित)

सहायक कंपनी ने दिनांक 17 फरवरी 2022 के ऋण समझौते द्वारा मार्च 2022 में भारतीय स्टेट बैंक से 501 करोड़ रुपए का सावधि ऋण लिया है। दिनांक 1.4.22 को प्रारंभिक शेष राशि 499.86 करोड़ रुपए थी। इस राशि में से 6.80 करोड़ रुपए का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया। दिनांक 31 मार्च 2023 को 493.06 करोड़ रुपए के समापन शेष में से, 4.28 करोड़ रुपए को उधारों के अंतर्गत ऋण चालू परिपक्वता–चालू, के रूप में दिखाया गया है (नोट 23.1 देखें)।

<u>निबंधन और शर्तें</u>

(i) सावधि ऋण का पुनर्भुगतान 11.5 वर्षों में दिनांक 30.09.2033 तक, ऋण समझौते में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार तिमाही किश्तों में किया जाएगा।

(ii) लागू ब्याज दर, दिनांक 28.03.2022 से 0.25 प्रतिशत का विस्तार सहित सबीआई की 3 महीने की एमसीएलआर की आधार दर है।

(iii) सुरक्षा ट्रस्टी के पक्ष में प्रमोटर द्वारा, बिना शर्त कॉर्पोरेट गारंटी और प्रमोटर से एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त उपक्रम, ऋण और अन्य शर्तों में किसी भी कमी को कवर करने के लिए जैसा कि दिनांक 17.02.2022 के ऋण समझौते में उल्लिखित है।

<u>प्रतिभूति का ब्यौराः</u>

ऋण समझौते के खंड–12 के अनुसार, विस्तारित ऋण के लिए प्रतिभूतियों का संक्षेप में उल्लेख किया गया हैः

(क) परियोजना से संबंधित सभी उधारकर्ता की मूर्त चल संपत्ति पर पहला प्रभार।

(ख) परियोजना के पुस्तक ऋण पर पहला प्रभार, परिचालन नकदी प्रवाह, प्राप्य, कमीशन, किसी भी प्रकृति के राजस्व और जहां भी उत्पन्न हो, वर्तमान और भविष्य की अमूर्त, सद्भावना और अवांछित पूंजी (वर्तमान और भविष्य) शामिल है।

(ग) परियोजना बैंक खाते पर पहला शुल्क, जिसमें नामित बैंक में खोले गए एस्क्रो खाते तक सीमित नहीं है, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किया जाएगा और आय का उपयोग ऋणदाता द्वारा तय की जाने वाली तरीके और प्राथमिकता में किया जाएगा।

(घ) वर्तमान और भविष्य दोनों में प्रतिभूति के रूप में असाइनमेंट/प्रभार निम्नानुसार हैः

(i) परियोजना दस्तावेजों में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें शामिल हैं

(ii) सभी स्वीकृतियां और उनके अधीन उधारकर्ता का अधिकार, हक और हित।

(iii) किसी भी ऋण पत्र में सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें, ठेकेदार गारंटी सहित गारंटी और परियोजना दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता को किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए निष्पादन बांड।

(iv) परियोजना से संबंधित सभी बीमा अनुबंधों के तहत उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें शामिल हैं।

सहायक कंपनी, तुलन पत्र की तिथि के अनुसार ऋणके पुनर्भुगतान या ऋणों पर ब्याज भुगतान में चूक नहीं कर रही है।

अनुषंगी कंपनी को स्वीकृत शर्तों के अनुसार कोई त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

एसबीआई के साथ ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार प्रमुख रखरखाव आरक्षित खाते के लिए ग्रहणाधिकार के रूप में 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

ख) अन्यों से अरक्षित ऋणः

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क) <u>अरक्षित ऋण के नियम और शर्तें</u>

समूह ने 28 मार्च 2018 को भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) से 3200 करोड़ रुपए का ऋण लिया है, जिसका भुगतान पट्टा समझौते के रूप में रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को कर दिया गया है। आरएलडीए और कंपनी के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, मूलधन और ब्याज की सभी किश्तें, साथ ही कोई डिफॉल्ट या अतिरिक्त ब्याज, और अन्य लागत, खर्च और ऋण से जुड़े शुल्क (या अन्यथा देय या के तहत देय) ऋण समझौते के अनुसार), समूह को आरएलडीए द्वारा भुगतान किया जाएगा। ऋण राशि के मूलधन का पुनर्भुगतान दिनांक 15 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली 5 (पांच) समान किश्तों में की जाएगी। नोट 10.3 (फुट नोट (ii), देखें। ऐसे लेनदेन के लिए कंपनी अधिनियम का पालन किया गया है और लेनदेन हैं किसी भी लागू अधिनियम का उल्लंघन नहीं है।

ख) <u>ब्याज दर :</u>

(i) समूह प्रतिवर्ष 8.77 प्रतिशत की दर पर समय समय पर ऋण अग्रिम और बकाया की मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करेगी (लागू ब्याज दर) (विशिष्ट रुप से ब्याज कर, सेवाकर तथा/या ऐसा कोई अन्य कर/उपकर/ड्यूटी)। लागू ऐसे कर/उपकर/ड्यूटी, यदि कोई हो, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों के आतरिक्त ऋणधारक द्वारा ऋणदाता को देय होगा (उसी रुप व समय में जैसा कि मूल तथा ब्याज के लिए है)।

(ii) लागू कर दर दीर्घकालीन मुद्रा के लिए निर्धारित की जागी।

ग) <u>समझौता ज्ञापन का समाप्त होना :</u>

कतिपय निर्धारित घटनाओं के होने पर, समझौता ज्ञापन समाप्त हो जाएगा, तत्पश्चात इरकॉन को ऐसी निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जैसा कि आईआरएफसी, इरकॉन, आरएलडीए तथा रेल मंत्रालय के बीच सहमति हो। रेल मंत्रालय इस करार के समाप्त होने पर ऋण करार के अंतर्गत सम्पूर्ण बकाया राशि का पूर्व भुगतान के लिए पात्र होगा।

घ) <u>आईआरएफसी से ऋण की भरपाई और आरएलडीए से वसूली योग्य</u>

आरएलडीए और समूह के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (''एमओयू'') के पैरा 2.4 के अनुसार, मूलधन और ब्याज की सभी किश्तें, साथ ही कोई चूक या अतिरिक्त ब्याज, और ऋण से जुड़ी अन्य लागतें, खर्च और शुल्क (या अन्यथा ऋण समझौते के तहत या उसके अनुसार देय), समूह को आरएलडीए द्वारा भुगतान किया जाएगा।

समूह के पास आईआरएफसी के संबंध में ऋण देयता को निर्धारित करने और एमओयू के अनुसार आरएलडीए से वसूल करने का कानूनी रूप से लागू योग्य अधिकार है और साथ ही साथ आरएलडीए से प्राप्त आय के साथ आईआरएफसी से ऋण का निपटान करने की वित्तीय व्यवस्था है। तदनुसार, इंड एएस–32 के प्रावधान के अनुसार आरएलडीए से वसूली योग्य राशि और आईआरएफसी से ऋण की भरपाई की गई है और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है।

ड.) समूह तुलन पत्र की तिथि को ऋण के पुनर्भुगतान या ऋणों पर ब्याज भुगतान में चूक नहीं कर रहा है।

20.2 गैर चालू वित्तीय देयताएं – पट्टा देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
पट्टा देयता	0.42	0.15
कुल	**0.42**	**0.15**

20.3 गैर चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	–	–
(ख) अन्य सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से इतर		
(i) संविदा और आपूर्तिकर्ता	–	–
कुल	**–**	**–**

20.4 गैर चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
जमा राशि व प्रतिधारण राशि	681.10	522.30
ग्राहकों को देय राशि	–	–
कुल	**681.10**	**522.30**

21. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	21.1	119.72	105.92
अन्य प्रावधान	21.2	328.04	250.02
		447.76	**355.94**
चालू		**299.19**	**212.66**
गैर चालू		**148.57**	**143.28**

इंड एएस 37 के प्रावधानों और संचलनों की प्रकृति के संबंध में प्रकटन निम्नानुसार है:

21.1 कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान

(क) अवकाश नकदीकरण, निपटान भत्ते, सेवानिवृत्तिपूर्व लाभ, निष्पादन संबंधी वेतन एवं अवकाश यात्रा रियायत के प्रयोजन हेतु प्रावधान किए गए हैं।

(ख) इंड एएस–19 'कर्मचारी लाभों' के अनुसार प्रकटन हेतु नोट 36 में प्रावधान किए गए हैं।

(ग) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान के वहन मूल्य में संचल के लिए प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान	अवकाश वेतन *	सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	निष्पादन संबंधी वेतन	अवकाश यात्रा रियायत	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अशदान	कुल
1 अप्रैल 2022 को	**0.05**	**69.83**	**1.20**	**4.64**	**27.59**	**0.11**	**2.50**	**105.92**
चालू	–	9.22	0.16	4.64	27.59	0.01	2.50	**44.12**
गैर चालू	0.05	60.61	1.04	–	–	0.10	–	**61.80**
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.04	11.83	0.15	5.26	29.58	0.09	3.46	**50.41**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	(0.01)	(12.47)	(0.04)	(4.64)	(16.96)	–	(1.03)	**(35.15)**
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	–	(0.06)	–	–	–	–	(1.47)	**(1.53)**
(विनिमय लाभ)/हानि	–	0.24	(0.17)	–	–	–	–	**0.07**
31 मार्च 2023 को	**0.08**	**69.37**	**1.14**	**5.26**	**40.21**	**0.20**	**3.46**	**119.72**
चालू	–	7.84	0.15	5.26	40.21	0.02	3.46	**56.94**
गैर चालू	0.08	61.53	0.99	–	–	0.18	–	**62.78**

* विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों के लिए **0.49 करोड़ रुपए** शामिल हैं, जिसमें अवकाश वेतन प्रावधान वास्तविक आधार पर किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

21.2 अन्य प्रावधानः

प्रावधानों और संचलनों की प्रकृति के संबंध में इंड एएस 37 के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार हैः

क) डिमोबिलाइजेशन प्रावधान

समूह ने विदेशी परियोजनाओं के संबंध में श्रमशक्ति और संयत्र एवं उपकरण के डिमोबिलाइजेशन के प्रति व्ययों के पूरा करने के लिए डिमोबिलाइजेशन प्रावधान किए हैं।

ख) अनुरक्षण प्रावधान

लागत जमा संविदा में, अनुरक्षण के लिए प्रावधान किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य है।

मद दर तथा एकमुश्त टर्नकी संविदाओं में संविदागत दायित्वों, उपठेकेदार के दायित्वों, प्रचालनिक टर्नओवर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए समूह के दायित्व को कवर किया जाता है। इसके अलावा, टोल रोड के संचालन के लिए रखरखाव नियमावली के अनुरूप प्रमुख रखरखाव का प्रावधान किया गया है।

ग) विधिक मामले

विधि मामलों के लिए प्रावधान दायित्व को प्रस्तुत करते हैं, जिनकी न्यायालयों, मध्यस्थता और अपील संबंधी मामलों के संबंध में सफल होने की संभावना होती है।

घ) अन्य व्यय के लिए प्रावधान

अन्य व्यय हेतु प्रावधान अप्रत्यक्ष करों और अन्यों के संबंध में संभावित कर देयताओं को प्रदर्शित करते हैं।

ड.) दुर्वह संविदाएं

समूह के अनुबंधों में, कुल अनुबंध लागत, कुल अनुबंध राजस्व से अधिक है। ऐसी स्थिति में इंड एएस–115 और इंड एएस–37 के अनुसार, समूह को इन हानियों के लिए प्रावधान करना होगा।

प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान पर आधारित है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	डीमोबिलाइजेशन	अनुरक्षण	विधिक मामले	अन्य व्यय	दुर्वह संविदाएं	कुल
31 मार्च 2022 को	**13.03**	**96.65**	**59.39**	**79.38**	**1.57**	**250.02**
चालू	11.91	16.29	59.39	79.38	1.57	**168.54**
गैर चालू	1.12	80.36	–	–	–	**81.48**
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.63	69.35	9.83	0.50	35.62	**115.93**
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	(0.02)	(0.36)	–	(17.01)	(10.38)	**(27.77)**
घटाः वर्ष के दौरान बट्टा खाता	–	(1.77)	–	(18.15)	–	**(19.92)**
(विनिमय लाभ)/हानि	1.07	2.41	–	1.02	–	**4.50**
बट्टा खाता	0.02	5.26	–	–	–	**5.28**
31 मार्च 2023 को	**14.73**	**171.54**	**69.22**	**45.74**	**26.81**	**328.04**
चालू	12.77	114.52	69.22	45.74	–	**242.25**
गैर चालू	1.96	57.02	–	–	26.81	**85.79**

22. अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क) संविदागत देयताएं		
ग्राहकों से अग्रिम	746.38	501.69
ख) अन्य		
एमएफसी को उप पट्टे पर देने से अग्रिम राशि	17.70	31.17
पट्टा समकारी दायित्व	12.82	–
अन्य	0.05	1.10
कुल	**776.95**	**533.96**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

23. चालू देयताएं – चालू वित्तीय देयताएं

23.1 ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वता :				
(i) बैंकों से ऋण :				
सुरक्षित :				
(क) पंजाब नेशनल बैंक से ऋण (फुट नोट देखें (ii))		25.12		18.84
(ख) बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण (फुट नोट देखें (ii))		34.48		68.96
(ग) भारतीय स्टेट बैंक से ऋण (फुट नोट देखें (ii))		4.28		6.80
(ii) अन्यों से ऋण :				
असुरक्षित :				
(क) भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण	615.31		615.31	
घटा : रेल भूमि विकास प्राधिकरण से वसूली योग्य (फुट नोट देखें (i)}	(615.31)	–	(615.31)	–
कुल		**63.88**		**94.60**

फुट नोट :

(i) नोट 14.6 और 20.1 (i)ख(घ) देखें

(ii) नोट 20.1 (i)क देखें

23.2 वर्तमान वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पट्टा देयताएं	0.09	0.01
कुल	**0.09**	**0.01**

23.3 चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार देय राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(क) सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम	13.18	5.36
(ख) सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम से इतर		
(i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	817.64	1,021.88
कुल	**830.82**	**1,027.24**

फुट नोटः

क) 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार देय आयु अनुसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल न किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	5.10	2.94	5.14	–	–	–	**13.18**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	127.00	77.11	586.07	10.92	0.88	14.84	**816.82**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	–	–	–	–	–	–	**–**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	–	–	0.05	0.04	0.14	0.59	**0.82**
	132.10	**80.05**	**591.26**	**10.96**	**1.02**	**15.43**	**830.82**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल न किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	2.93	0.24	2.19	–	–	–	**5.36**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	753.67	29.89	215.92	3.22	1.10	15.72	**1,019.52**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	–	–	–	–	–	–	**–**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	0.03	–	0.04	0.14	0.21	1.94	**2.36**
	756.63	**30.13**	**218.15**	**3.36**	**1.31**	**17.66**	**1,027.24**

23.4 अन्य वित्तीय देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बैंक से रक्षित ऋण पर अर्जित ब्याज {(फुट नोट देखें (ii)}	0.15	0.10
भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण पर संचित ब्याज	51.89	103.81
घटा : रेल भूमि विकास प्राधिकरण को दिए गए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज {(फुट नोट (i) देखें)	(51.89) –	(103.81) –
देय उपदान	7.17	4.69
जमाराशि, प्रतिधारण राशिऔर रोकी गई राशि	1,618.61	1,187.18
ग्राहकों को देय राशि	592.04	917.91
ग्राहकों को देय लाभांश	1.12	1.12
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज	330.52	338.31
अन्य देय (कर्मचारी देय राशियों सहित)	197.27	178.79
कुल	**2,746.88**	**2,628.10**

फुट नोट :

(i) संदर्भ नोट 14.6 (ग) और 20.1 (i) ख (घ)

(ii) संदर्भ नोट 20.1 (i) क

24. अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क) संविदागत देयता		
ग्राहकों से अग्रिम	2,828.23	3,071.25
– घटा: संरक्षणाधीन जमा राशियां	(217.05)	(217.05)
अग्रिम संविदा प्राप्तियां	216.93	167.40
ख) अन्य		
सांविधिक देय राशियां : (संदर्भ फुटनोट (i))	451.02	271.90
एमएफसी के उप पट्टे से अपफ्रंट राशि	0.87	1.39
पट्टा समकारी दायित्व	7.58	–
कुल	**3,287.58**	**3,294.89**

फुटनोट :

i) सांविधिक देयों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सांविधिक देय राशियों के लिए देयताएं शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

25. चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर का निवल)	36.95	18.01
कुल	**36.95**	**18.01**

26. प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
संविदा राजस्व	10,006.75	7,019.04
टोल संचालन से राजस्व	142.30	167.93
एकीकृत संयुक्त संचालन में कारोबार का समूह का भाग (अनिगमित)	0.58	0.62
मशीनरी किराया प्रभार	4.55	13.54
एमएफसी लीजिंग	27.87	14.34
परियोजना प्रबंधन परामर्श	165.23	141.98
अन्य परिचालन राजस्व	20.65	22.22
कुल	**10,367.93**	**7,379.67**

27. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
कर मुक्त बांड पर ब्याज		19.53		21.96
आयकर की वापसी पर ब्याज		17.23		0.50
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज		0.08		0.07
एससीए के तहत वित्तीय संपत्ति पर ब्याज		126.93		36.91
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज (नोट (i) देखें)		0.90		0.79
अग्रिम और अन्य पर ब्याज	79.47		69.19	
घटा : ग्राहकों को देय अन्य ब्याज	(56.23)	23.24	(26.67)	42.52
वित्तीय लिखतों को बंद करने पर ब्याज आय		0.01		0.01
बैंक ब्याज सकल	241.55		126.19	
घटा : ग्राहकों को दिया गया ब्याज	(70.50)	171.05	(43.62)	82.57
अन्य :				
संपत्ति की बिक्री पर लाभ		2.49		1.07
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	0.32		2.18	
घटा : ग्राहकों को दिए गए म्युचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	–	0.32	(1.03)	1.15
विविध आय (टिप्पणी देखें (ii))	16.44		18.49	
घटा : बीमा दावा पारित	–	16.44	–	18.49
विनिमय उच्चावचन लाभ	227.51		–	
घटा : विनिमय उच्चावचन घाटा	(223.77)	3.74	–	–
कुल		**381.96**		**206.04**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

फुटनोट :

(i) संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज: (₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों का विवरण	2022–23	2021–22
– छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	0.90	0.79
	0.90	**0.79**

(ii) **0.13 करोड़ रूपए** (वित्त वर्ष 2021–22 में 0.15 करोड़ रुपए) के एकीकृत संयुक्त संचालन (अनिगमित) में अन्य आय के समूह के भाग को शामिल किया गया है।

28. (i) प्रयुक्त सामग्री और भंडारण

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
आरंभिक शेष		56.82		70.13	
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	(i)	373.65		498.86	
		430.47		**568.99**	
समापन शेष		(38.18)	392.29	(56.82)	512.17
कुल			**392.29**		**512.17**

फुटनोट :

(1.04 करोड रुपए) (दिनांक 31 मार्च 2022 : (0.15) करोड़ रुपए) के इंड एएस विनिमय लाभ /हानि सहित

28. (ii) डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि)/कमी

(₹ करोड़ में)

वितरण	फुटनोट	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
आरंभिक शेष		216.18		50.04	
जमा: विनिमय लाभ/(हानि) हेतु वर्ष के दौरान समायोजन		2.64		0.88	
		218.82		**50.92**	
घटा: अंतिम शेष		(173.22)	45.60	(216.18)	(165.26)
कुल			**45.60**		**(165.26)**

28. (iii) परियोजना और अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्यगत व्यय	(i)	8,528.31	5,905.66	–	–
टोल प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय		14.14	18.58	–	–
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		9.54	7.04	–	–
निरीक्षण, भू–तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		30.41	31.13	–	–
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		13.55	9.49	–	–
मशीनरी का किराया प्रभार		12.45	12.55	–	–
विनिमय उच्चावचन हानि		–	–	–	54.52
घटा : विनिमय उच्चावचन लाभ		–	–	–	(40.63)
निवल विनिमय उच्चावचन हानि		–	–	–	13.89

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	फुट नोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
किराया–गैर आवासीय		5.01	4.32	0.66	0.64
दर एवं कर		66.12	20.72	0.61	0.62
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		14.05	12.08	2.80	1.59
मरम्मत और रखरखाव					
– भवन		0.60	0.21	0.54	0.27
– कार्यालय तथा अन्य		5.27	3.94	8.01	5.84
बिजली, विद्युत व जल प्रसार		6.00	5.71	2.05	1.91
बीमा		15.35	9.92	1.24	1.00
यात्रा और वाहन		12.73	7.92	2.55	1.58
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1.45	1.09	0.77	0.68
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		1.24	1.08	0.34	0.33
विधिक और व्यावसायिक प्रसार		28.93	15.59	10.95	9.38
सुरक्षा सेवाएं		1.47	1.53	0.72	0.70
सूचीकरण व्यय		–	–	0.06	0.20
व्यवसाय संर्वधन		0.30	0.15	0.80	0.54
बट्टा खाताः					
– ऋण		0.81	0.43	–	–
– अग्रिम		–	1.70	–	–
– विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		–	–	–	–
– अन्य परिसंपत्तियां		–	–	–	–
परिसंपत्ति / भंडार की बिक्री से हानि		–	–	0.05	0.08
इक्विटी पद्धति के माध्यम से संयुक्त उद्यम में निवेश के निपटान पर हानि		–	–	–	5.11
निदेशकों की फीस		–	–	0.17	0.08
चंदा		–	–	0.01	0.02
लेखापरीक्षकों की फीस	(iii)	–	–	0.83	0.80
विज्ञापन और प्रसार		–	–	2.48	2.02
प्रशिक्षण और भर्ती		–	–	0.31	0.39
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट–46 का संदर्भ लें)		–	–	11.13	10.69
विविध व्यय		4.32	3.40	2.29	1.71
बैंक और अन्य वित्तीय प्रभार		7.09	6.80	0.44	0.30
सांविधिक देय राशि के देरी से भुगतान पर ब्याज		–	–	0.02	0.01
शुल्क और सदस्यता शुल्क		–	–	–	0.05
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में कंपनी के व्यय का आनुपातिक भाग (गैरनिगमित)		0.16	0.26	–	–
प्रावधान जमा –बट्टा खाता (नोट–21 का संदर्भ लें) व फुटनोट-i	(i)	147.28	58.46	–	–
उपयोग किया गया प्रावधान (नोट–21 का संदर्भ लें) व फुटनोट-ii	(ii)	(33.63)	(13.96)	–	–
प्राथमिक व्यय		–	–	–	0.36
कुल		**8,892.95**	**6,125.80**	**49.83**	**60.79**

फुट नोट :

i) संदिग्ध अग्रिम और ऋणों के प्रति अतिरिक्त बट्टा खाता प्रावधान **51.27 करोड़ रूपए** (वित्तीय वर्ष 2021–22: 14.99 करोड़ रूपए)

ii) संदिग्ध अग्रिमों के प्रति **5.85 करोड़ रूपए** (वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 2.31 करोड़ रूपए)

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा फीस – चालू वर्ष	0.41	0.38
(ख) सेप डाटा माइग्रेशन लेखापरीक्षा फीस–चालू वर्ष	–	0.05
(ग) कर लेखापरीक्षा फीस–चालू वर्ष	0.12	0.11
(घ) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.24	0.22
(ड.) प्रमाणन शुल्क	0.03	0.02
(च) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
– यात्रा व्यय	–	0.01
– आउट ऑफ पॉकेट व्यय	0.03	0.01
कुल	**0.83**	**0.80**

29. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		
		परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल	परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस	(i)	169.98	60.65	**230.63**	161.10	54.95	**216.05**
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		10.49	5.57	**16.06**	10.43	9.00	**19.43**
विदेशी सेवा अंशदान		–	2.09	**2.09**	0.87	0.74	**1.61**
सेवानिवृत्ति लाभ		19.45	13.58	**33.03**	17.94	9.38	**27.32**
कर्मचारी कल्याण		1.96	0.35	**2.31**	1.96	0.24	**2.20**
कुल		**201.88**	**82.24**	**284.12**	**192.30**	**74.31**	**266.61**

फुट नोट :

(i) **0.62 करोड़ रुपए** के गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर आयकर शामिल हैं (31 मार्च 2022 को : 0.51 करोड़ रुपए)।

30. वित्त लागतें

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज व्यय	(i)	167.53		164.29	
घटा: रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम पर ब्याज		(56.03)	111.50	(110.02)	54.27
अन्य ऋण लागत					
– बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार			1.17		5.47
वित्तीय प्रलेखों के विभाजन पर ब्याज			0.10		–
पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत			0.02		0.01
वित्तीय प्रलेखों का परिशोधन			0.01		–
प्रावधानों पर छूटों का अप्रयोग			5.28		1.97
कुल			**118.08**		**61.72**

फुट नोट :

(i) **0.30 करोड़ रुपए** के आयकर पर ब्याज शामिल हैं (31 मार्च 2022 को : 0.02 करोड़ रुपए)।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

31. मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	26.22	17.30
प्रयोग अधिकार –पट्टा परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	0.38	0.37
अमूर्त परिसंपत्तियां का परिशोधन	68.03	66.41
निवेश परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	12.41	10.34
परिसंपत्तियों की हानि	0.42	0.75
कुल	**107.46**	**95.17**

32. अन्य वृहत आय (ओसीई) के घटक

इक्विटी में आरक्षित निधि के प्रत्येक प्रकार द्वारा ओसीआई में परिवर्तन से असहमति को निम्नानुसार दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का लाभ/(हानि) का पुनःमापन	1.92	(0.80)
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ/(हानि) से संबंधित आयकर	(0.48)	0.20
इक्विटी विधि (कर का शुद्ध) का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	(0.03)	(0.01)
कुल	**1.41**	**(0.61)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		
विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के अंतरण में विनिमय अंतर	12.90	6.21
विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण में विनिमय अंतर से संबंधित आयकर से संबंधित आयकर	(3.25)	(1.56)
कुल	**9.65**	**4.65**
सकल योग	**11.06**	**4.04**

33. क. उचित मूल्य मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं को इन वित्तीय विवरण में उचित मूल्य पर मापा जाता है और इन्हें उचित मूल्य क्रम में तीन स्तरों पर समूहित किया जाता है। इन तीन स्तरों को मापन के महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोक/योग्यता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो निम्नानुसार है:

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजार में कोट किए गए मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर–1 के भीतर शामिल किए गए कोट किए गए मूल्यों के आतरिक्त इनपुट, जिनका परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के अनुसार) या अप्रत्यक्ष रुप से (यथा मूल्यों से निर्धारित)।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए गैर अवलोकनीय इनपुट

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क) 31 मार्च 2023 को श्रेणीयों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)				
म्युचुवल फंड में निवेश	–	–	–	–
कुल	**–**	**–**	**–**	**–**
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड़ में निवेश	225.19	–	–	225.19
(ii) ऋण	1.36	–	–	1.36
(iii) अन्य – वित्तीय परिसंपत्तियां	3,251.76	–	–	3,251.76
कुल	**3,478.31**	**–**	**–**	**3,478.31**

(₹ करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	1,504.21	–	–	1,504.21
(ii) पट्टा देयता	0.51	–	–	0.51
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	3,427.98	–	–	3,427.98
कुल	**4,932.70**	**–**	**–**	**4,932.70**

ख) दिनांक 31 मार्च 2022 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय मध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)				
म्युचुवल फंड में निवेश	–	–	–	–
कुल	**–**	**–**	**–**	**–**
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड़ में निवेश	275.18	–	–	275.18
(ii) ऋण	1.30	–	–	1.30
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2,616.97	–	–	2,616.97
कुल	**2,893.45**	**–**	**–**	**2,893.45**

(₹ करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	1,399.01	–	–	1,399.01
(ii) पट्टा देयता	0.16	–	–	0.16
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	3,150.40	–	–	3,150.40
कुल	**4,549.57**	**–**	**–**	**4,549.57**

प्रबंधन मूल्यांकन करता है कि रोकड और रोकड समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू वित्तीय देयताएं इन माध्यमों की अल्पकालीन परिपक्वताओं के कारण अपने वहन मूल्यों के समीप बनी रहीं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य को उस मूल्य पर शामिल किया गया है जिस पर माध्यम को इच्छुक पक्षों के बीच चालू संव्यवहार में विनिमय किया जा सकता है।

उचित मूल्यों को अनुमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विधियों और अनुमानों का प्रयोग किया गया था।

(i) म्युचवल फंड इकाइयों में निवेशों का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित है जैसा कि तुलनपत्र तिथि को प्रकाशित विवरणों में इन म्युचवल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है। एत्रनएवी उस मूल्य को दर्शाता है जिस पर जारीकर्ता म्युचवल फंड की भावी इकाइयों को जारी करेगा और मूल्य जिसपर निवेशकों से ऐसी इकाइयों को जारीकरर्ता रिडीम करेगा।

(ii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों मे निवेश को इक्विटी निवेशों के रूप में वर्गीकृत कियाजाता है जिन्हें एतिहासिक लागत पर लेखांकित किया जाता है। चूंकि इनका कार्यक्षेत्र निरीक्षण के प्रयोजन हेतु इंड एएस 109 से बाहर है, इसलिए इन्हें उपर्युक्त तालिका में प्रकट नहीं किया गया है।

* वित्तीय वर्ष 2022–23 तथा 2021–22 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 उचित मूल्य मापनों के बीच कोई अंतरण नहीं था।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह की प्रमुख वित्तीय देयता व्यापार और अन्य देय राशियां हैं। समूह की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल हैं संबंधित पक्षों को ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियों जो प्रत्यक्ष रुप से इसके प्रचालनों से प्राप्त हुई हैं। समूह म्युचुवल फंड और कर मुक्त बांड़ों में भी निवेश करता है। समूह की गतिविधियों के कारण उसे कुछ वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम भी हो सकते हैं।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिमों से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यम हैं व्यापार प्राप्य, बाजार देय तथा अन्य गैर–डैरिवेटिव वित्तीय माध्यम।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करतीं है और उसे व्यापक विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा रहता है (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान सामान्यत समान होते हैं) जो अमरीकी डॉलर, यूरो, येन, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, एमजेडएन, बीटीएन, जेडएआर, एनपीआर तथा एमवाईआर में विदेशी मुद्रा संव्यवहार होते हैं। समूह को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिमों का स्वतः बचाव हो जाता है । दिनांक 31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 5 प्रतिशत की वृद्धि या कमी हमारे कर पूर लाभ पर क्रमशः **5.67 करोड़ रुपए** तथा 16.98 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति समूह का महत्वपूर्ण जोखिम निम्नानुसार हैः

31 मार्च 2023 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेडएआर	एमएमके	जेडएआर	कुल
परिसंपत्तियां										
व्यापार प्राप्य	42.76	40.87	46.67	0.98	–	0.77	12.29	–	–	**144.34**
रोक़ड़ तथा रोक़ड़ समतुल्य रोकड़	46.08	161.30	1.44	2.80	2.37	0.91	113.97	25.88	0.01	**354.76**
ठेकेदारों का अग्रिम	34.96	–	0.19	4.03	–	–	32.91	–	–	**72.09**
अन्य परिसंपत्तियां	4.18	–	179.49	–	1.65	12.36	–	–	0.37	**198.05**
कुल	**127.98**	**202.17**	**227.79**	**7.81**	**4.02**	**14.04**	**159.17**	**25.88**	**0.38**	**769.24**
देयताएं										
व्यापार प्राप्य	13.56	34.46	22.80	9.59	11.34	–	–	2.52	–	**94.27**
ग्राहकों का अग्रिम	74.48	–	–	–	–	–	221.25	–	–	**295.73**
अन्य परिसंपत्तियां	4.82	2.67	252.23	–	2.96	0.63	–	2.50	–	**265.81**
कुल	**92.86**	**37.13**	**275.03**	**9.59**	**14.30**	**0.63**	**221.25**	**5.02**	**–**	**655.81**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2022 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेडएआर	एमएमके	जेडएआर	कुल
परिसंपत्तियां										
व्यापार प्राप्य	29.99	103.50	57.62	–	–	1.88	11.74	–	–	**204.73**
रोक़ड़ तथा रोक़ड़ समतुल्य रोकड़	10.71	93.16	26.51	3.28	21.90	2.34	–	–	0.06	**157.96**
ठेकेदारों का अग्रिम	2.46	–	0.16	4.63	–	–	–	–	–	**7.25**
अन्य परिसंपत्तियां	0.06	–	38.38	–	23.61	21.21	–	–	12.31	**95.57**
कुल	**43.22**	**196.66**	**122.67**	**7.91**	**45.51**	**25.43**	**11.74**	**–**	**12.37**	**465.51**
देयताएं										
व्यापार प्राप्य	6.98	48.53	6.55	7.64	16.58	0.13	–	–	0.74	**87.15**
ग्राहकों का अग्रिम	28.75	–	–	–	–	0.90	–	–	–	**29.65**
अन्य परिसंपत्तियां	3.06	4.35	–	–	0.28	1.35	–	–	–	**9.04**
कुल	**38.78**	**52.88**	**6.55**	**7.64**	**16.86**	**2.38**	**–**	**–**	**0.74**	**125.84**

क (ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज जोखिम बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। समूह अपने ब्याज जोखिमों की व्यवस्था कपनी की नीतियों और जोखिम प्रयोजनों के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यमों में शामिल हैं कर मुक्त बांड तथा बैंक में जमा राशि। इन वित्तीय माध्यमों में ब्याज दर जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि वित्तीय माध्यमों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित होता है। इसके अतिरिक्त, समूह को ऋणों/कर्ज पर किसी प्रकार के ब्याज का जोखम नही है, क्योंकि इनके ब्याज की दर नियत है।

ख) ऋण जोखिम

समूह के ग्राहक प्रोफाइल में भारत तथा विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य स्वामित्व वाली कपनियां शामिल हैं। तदनुसार, समूह का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान तथा परियोजना के अंत में कतिपय प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। कुछ मामलों में प्रतिधारण को बैंक/निगमित गारंटियों के प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह के पास वसूली पर उचित ध्यान केन्द्रित करने के लिए संगठन के भीतर ही विभिन्न स्तरों पर ओवरड्यू ग्राहक प्राप्यों के लिए विस्तृत समीक्षा तंत्र विद्यमान है।

व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां

समूह के ऋण जोखिम का खतरा मुख्य रुप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। व्यक्ति या देश जहां ग्राहक प्रचालन कर रहा है, वहां त्रुटि जोखिम सहित ग्राहक की जनसांख्यिकीय भी ऋण जोखिम को प्रभावित करती है।

ऋण जोखिम की संभावना

(₹ करोड़ में)

विववरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण घाटों के प्रयोग द्वारा भत्ते का मापन किया गया है		
गैर चालू निवेश	125.20	225.18
गैर चालू ऋण	0.52	0.50
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	19.09	18.70
चालू निवेश	99.99	50.00
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	2,338.11	1,257.77
अन्य बैंक शेष	2,784.45	4,255.44
चालू ऋण	0.84	0.80
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	442.28	353.23
वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा भत्ते का मापन किया गया है		
व्यापार प्राप्य	924.99	725.73
संविदा परिसंपतियां	2,823.50	2,258.30

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा घाटे में परिवर्तन का सार

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
आरंभिक भत्ते	**37.49**	**29.63**
वर्ष के दौरान प्रावधान	31.54	17.54
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	(0.81)	(0.43)
राशि बट्टा खाता	(0.11)	(9.25)
समापन भत्ते	**68.11**	**37.49**

वर्ष के दौरान समूह में **31.54 करोड़ रूपए** (31 मार्च, 2022: 17.54 करोड़ रूपए) के घाटा भत्ते को स्वीकार किया है।

जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलीईसीएली) परिदृश्य के प्रयोग द्वारा आंकलित घाटे में परिवर्तन का सार

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
आरंभिक भत्ते	**8.57**	**6.31**
वर्ष के दौरान प्रावधान	20.00	2.26
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	(0.16)	–
राशि बट्टा खाता	–	–
(विनिमय लाभ)/हानि	–	–
समापन भत्ते	**28.41**	**8.57**

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राक्कलन तकनीकों या अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान समूह में **20.00 करोड़ रुपए** (31 मार्च, 2022 : 2.26 करोड़ रुपए) के घाटा भत्ता है।

ग) चल निधि जोखिम

समूह पर्याप्त रोकड़ और बाजारयोग्य प्रतिभुतियों के अनुरक्षण और प्रतिबद्ध ऋण क्रमों की पर्याप्त राशि के माध्यम से निधियों पर पहुंच बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करता है। कोष विभाग नियमित रुप से अनुमानों की तुलना में रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों की स्थिति की मॉनीटरिंग करते हैं। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता स्थितियों का आकलन और तुलन पत्र चल निधि अनुपात के अनुरक्षण पर विचार किया जाता है।

समूह की निवेश नीति और नीति तथा कार्य योजना का मुख्य ध्यान पूंजी का संरक्षण और समूह की चल निधि आवश्यकताओं को सहयोग प्रदान करना है। समूह का वरिष्ठ प्रबंधन समूह की निवेश नीति और इसके निवेश उद्देश्यों की उपलब्धि की निगरानी करती है। समूह विशिष्ट रुप से भारत सरकार के ऋण बांडों और म्युचुवल फंडों में ही निवेश करता है। नीति सामान्य रुप से निवेश ग्रेड की अपेक्षा करता है जिसका प्रमुख उद्देश्य मूल राशि घाटे के संभावित जोखिम को न्यूनतम करना है।

एनएचएआई बांड के ब्याज की दर नियत होती है इस प्रकार इनको बांड उत्पादन दरों में परिवर्तन द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा म्युचुवल फंड उच्च तरलता परिसंपत्तियां हैं, जिसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है तथा इसमें पुनर्निवेश होता है।

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में उपलब्ध है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
उधार	63.88	103.51	1,336.82
व्यापार प्राप्य	0.09	0.42	–
पट्टा देयता	830.82	–	–
अन्य वित्तीय देयताएं	2,746.88	681.10	–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
उधार	94.60	98.36	1,206.05
व्यापार प्राप्य	0.01	0.15	–
पट्टा देयता	1,027.24	–	–
अन्य वित्तीय देयताएं	2,628.10	522.30	–

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

जोखिम संकेन्द्रण तब उत्पन्न होते हैं जब अनेक प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों या समान भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएं ऐसी होती हैं जो आर्थिक, राजनैतिक या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा उनके संविदागत दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। संकेन्द्रण एक विशिष्ट उद्योग को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति समूह के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण से बचने के लिए समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं में विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल किए जाते हैं ताकि विविध पोर्टफोलियो को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित कर सके। ऋण जोखिमों के चिन्हित संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्व के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
शीर्ष पांच परियोजनाओं से राजस्व	6,107.15	4,418.50
	6,107.15	**4,418.50**

ग. पूंजी प्रबंधन

अपनी पूंजी के प्रबंधन का समूह का उद्देश्य निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित और सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को जारी रखना है, ताकि समूह अपने शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य स्टेकधारकों का लाभ दे सके। समूह ने निवेश के जन परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग/डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार लाभांश का भुगतान किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
प्रदत्त लाभांश	230.42	333.89
कुल	**230.42**	**333.89**

निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर 2 रुपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 1..20 रुपए के अंतिम लांभांश की संस्तुति की है, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। यह प्रति इक्विटी शेयर 2 रुपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 1.85 रुपए की दर पर प्रदत्त अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

इसके अतिरिक्त, समूह आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय संविदाओं की अपेक्षाओं के आलोक में समायोजनों के करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है।

समूह आमतौर पर उद्योग और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर पूंजी की निगरानी करता है। समूह ऋण इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करता है जो कुल इक्विटी से विभाजित ऋण है। ऋण में दीर्घकालिक ऋण की गैर–वर्तमान और वर्तमान परिपक्वता शामिल है। समीक्षाधीन अवधि के अंत में ऋण इक्विटी अनुपात इस प्रकार था:

(₹ in crore)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
ऋण (नोट संख्या 20.1)	1,440.33	1,304.41
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (नोट संख्या 23.1)	63.88	94.60
ऋण	**1,504.21**	**1,399.01**
इक्विटी (नोट संख्या 18)	188.10	188.10
अन्य इक्विटी (नोट संख्या 19)	5,023.39	4,477.52
कुल इक्विटी	**5,211.49**	**4,665.62**
ऋण इक्विटी अनुपात	**0.29**	**0.30**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

34. क) समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) की आवश्यकता के अनुसार तैयार किए जाते हैं और दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू नियमों के तहत बनाए जाते हैं। तदनुसार, कंपनी से (धारक कंपनी के रूप मे संदर्भित), इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम (संयुक्त रूप से समूह के रूप में संदर्भित) को समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नानुसार रूप में स्वीकार किया गया है :

क्र.सं	सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम का नाम	मूल राष्ट्र	हिस्सेदारी का प्रतिशत	
			31.03.2023	31.03.2022
	सहायक कंपनी			
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
2	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
3	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
4	इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	भारत	100.00%	100.00%
6	इरकॉन गुढगांव रिवाडी हाइवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
7	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	भारत	76.00%	76.00%
8	इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
9	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
10	इरकॉन भोज मोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
11	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
	संयुक्त उद्यम कंपनियां			
1	इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
2	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
3	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
7	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%

ख) समेकन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में धारक कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि समान होती है।

ग) जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं और उसी तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं जैसे धारक कंपनी के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। धारक कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियों में अंतर, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण नहीं हैं।

35. अन्य सूचना – पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022–23
(पीपीई के अलावा, सीडब्ल्यूआईपी में परिवर्तन, अमूर्त संपत्तियों में वृद्धि, विकासाधीन अमूर्त संपत्ति में परिवर्तन, निवेश संपत्ति में वृद्धि)	
इसकी सहायक कंपनियों सहित इरकॉन द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय	69.17
कुल (क)	**69.17**
संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय में इरकॉन की हिस्सेदारी जो पूंजीकृत की गई /पूंजीकृत की जानी है :	
1. इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	0.18
2. छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	53.42
3. छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे लिमिटेड	179.86
4. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	33.48
5. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	43.88
6. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	–
कुल (ख)	**310.82**
कुल योग (क + ख)	**379.99**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

36. कर्मचारी लाभ

इंड एएस 19 ''कर्मचारी लाभ'' के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है :

(i) निर्धारित अंशदान योजना : सामान्य ब्यौरा

क. पेंशन

कंपनी ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक समूह में 15 वर्ष की सेवा (अन्य सीपीएसई मे सेवा सहित) पूरी करने वाले आईडीए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2009 से इरकॉन सुनिश्चित अंशदायी अधिवर्षिता पेशन योजना, 2009 क्रियान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए **9.17 करोड़ रुपए** (8.93 करोड़ रुपए) समूह के अंशदान भाग का भुगतान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2022–23 के दौरान लेखांकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के समापन के बाद, निदेशक मंडल ने 11 मई, 2023 को आयोजित अपनी 286वीं बैठक में एलआईसी के साथ संचालित इरकॉन परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है।

(ii) निर्धारित लाभ योजना : सामान्य ब्यौरा

भविष्य निधि

कंपनी, एक पृथक ट्रस्ट (इरकॉन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट) में पूर्व–निर्धारित दर पर निश्चित भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान करती है, जो अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है। ट्रस्ट द्वारा, ट्रस्ट के सदस्य के योगदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना होता है। ट्रस्ट को आयकर प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी का दायित्व है कि वह ट्रस्ट के निवेश के प्रतिफल और अधिसूचित ब्याज दर के आधार पर ब्याज भुगतान के बीच, यदि कोई कमी हो, तो उसे पूरा करे।

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने भविष्य निधि के लिए नियोक्ता के योगदान के लिए ट्रस्ट को **13.64 करोड़ रुपए** (13.43 करोड़ रुपए) का अंशदान किया है।

उपदान

कंपनी ने कंपनी के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण उनके नियोजन की समाप्ति पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इरकॉन कर्मचारी समूह उपदान योजना लागू की है। इस उद्देश्य के लिए, इस योजना का प्रबंधन वर्ष 2015–16 में गठित एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और इसे आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। ट्रस्ट की निधि का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक **7.25 करोड़** (4.73 करोड़ रुपए) रुपए की देनदारी, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखा बहियों में लेखांकित की गई है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000–01 के दौरान 12.00 करोड़ रुपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण समूह कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर **5.26 करोड़ रुपए** (4.64 करोड़ रुपए) का भी प्रावधान किया है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – सामान्य विवरण

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल हैं– गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2023 को लाभ हानि विवरण और तुलनपत्र में स्वीकृत विभिन्न कर्मचारी लाभों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:–

i) निम्न के दौरान निर्धारित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अवधि के आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व	**427.10**	**409.24**	**81.42**	**80.16**	**131.23**	**128.73**	**1.20**	**1.28**
चालू सेवा लागत	40.54	43.44	3.66	3.45	3.43	3.51	0.06	0.06
पूर्व सेवा लागत		–	4.97	–	–	–	–	–
ब्याज लागत	33.82	33.96	5.79	5.24	9.33	8.41	0.08	0.08
प्रदत्त लाभ	(47.55)	(60.08)	(3.63)	(8.58)	(4.30)	(5.30)	(0.04)	(0.10)
दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	(0.14)	0.54	(1.95)	1.15	(0.86)	(4.12)	(0.16)	(0.13)
अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**453.76**	**427.10**	**90.26**	**81.42**	**138.83**	**131.23**	**1.15**	**1.20**

ii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**424.56**	**409.82**	**76.68**	**75.39**	**110.29**	**104.47**	**–**	**–**
नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान	40.54	43.44	4.69	4.72	4.64	4.72	–	–
प्रदत्त लाभ	(47.55)	(60.08)	(3.62)	(8.58)	(4.30)	(5.30)	–	–
ब्याज लागत	32.75	31.39	5.57	5.45	6.95	6.40	–	–
ब्याज आय सहित योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	–	–			–	–	–	–
एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार			(0.30)	(0.31)			–	–
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**450.30**	**424.56**	**83.02**	**76.68**	**117.58**	**110.29**	**–**	**–**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

iii) योजना परिसंपत्तियों और निर्धारित लाभ दायित्वों के उचित मूल्य का समायोजन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	450.30	424.56	83.02	76.68	117.58	110.29	–	–
निर्धारित लाभ दायित्व	453.76	427.10	90.26	81.42	138.83	131.23	1.15	1.20
तुलनपत्र में स्वीकृत राशि	**(3.46)**	**(2.54)**	**(7.24)**	**(4.74)**	**(21.25)**	**(20.94)**	**(1.15)**	**(1.20)**

iv) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
चालू सेवा लागत	13.67	12.42	3.66	3.45	3.43	3.52	0.06	0.06
पूर्व सेवा लागत	–	–	4.97		–	–	–	–
निवल ब्याज व्यय	–	–	0.33	0.31	1.49	1.59	0.08	0.08
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि	**13.67**	**12.42**	**8.96**	**3.76**	**4.92**	**5.11**	**0.15**	**0.15**

v) अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशिः

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
भौगोलिक अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन	–	–	–	–	–	–	–	–
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन	0.01	0.06	1.01	2.69	2.52	5.01	(0.02)	(0.05)
संभावित समायोजन	0.14	(0.59)	0.94	(3.85)	(1.66)	(0.89)	(0.14)	(0.09)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियो पर प्रतिफल	(1.06)	(2.58)	(0.18)	0.22	(0.89)	(0.44)	–	
अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि	**(0.92)**	**(3.11)**	**1.77**	**(0.94)**	**(0.03)**	**3.68**	**(0.16)**	**(0.13)**

** पीआरएमबी के संबंध में देयता को बीमांकक मूल्यांकन के रूप में प्रावधान नहीं किया गया है और इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए, बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार पीआरएमबी के संबंध में ओसीआई पर विचार नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

vi) कुल योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य की योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	59.16%	59.67%	–	–	6.74%	9.52%	–	–
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	–	–	–	–	43.96%	30.86%	–	–
केन्द्र राज्य गारंटित बांड	–	–	–	–	5.99%	18.73%	–	–
उच्च गुणवत्ता निगमित बांड	37.09%	38.04%	–	–	14.30%	23.40%	–	–
पीएसयू बांड	–	–	–	–	19.53%	7.35%	–	–
पीएसयू आधारित–III टीयर–I बांड	–	–	–	–	8.51%	8.25%	–	–
ऋण म्युचुवल फंड	0.24%	0.77%	–	–	0.29%	–	–	–
आईटीएफ / इंडैक्स / इक्विटी म्युचूवल फंड	3.25%	1.52%	–	–	0.67%	1.89%	–	–
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.26%	–	100.00%	100.00%	–	–	–	–
कुल	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0.00%**	**0.00%**

vii) समूह की योजना के लिए पीएफ / उपदान / पीआरएमबी / सेवानिृत्ति भत्ता देयता के निर्धारण में प्रयुक्त प्रधान अनुमान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	भविष्य निधि 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	उपदान 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	उपदान 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	पीआरएमबी 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	पीआरएमबी 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	सेवानिवृत्ति भत्ते 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	सेवानिवृत्ति भत्ते 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
रियायत दन	7.32%	7.11%	7.32%	7.11%	7.32%	7.11%	7.32%	7.11%
भावी वेतन वृद्धि	8.15%	8.10%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
मृत्यु दर	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)

viii) उपर दर्शाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों हेतु 31 मार्च को मात्रात्मक संवेदी विश्लेषण निम्नानसुार : (₹ करोड़ में)

उपदान योजना	पीएफ योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		उपदान योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		पीआरएमबी (डीबीओ पर प्रभाव)		सेवानिवृत्ति भत्ते (डीबीओ पर प्रभाव)	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**453.76**	**427.10**	**90.26**	**81.42**	**138.83**	**131.23**	**1.15**	**1.20**
रियायत दयर	7.32%	7.11%	7.32%	7.11%	7.32%	7.11%	7.32%	7.11%
0.50% की वृद्धि	(0.02)	(0.02)	(2.33)	(2.20)	(5.24)	(4.93)	(0.04)	(0.05)
0.50% की कमी	0.02	0.02	2.51	2.36	5.33	5.04	0.05	0.05
भावी वेतन वृद्धि	8.15%	8.10%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
0.50% की वृद्धि	–	–	1.05	0.94		–	0.05	0.08
0.50% की कमी	–	–	(1.09)	(0.97)	–	–	-0.04	-0.05

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण का निर्धारण उस विधि से किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न उपर्युक्त प्रमुख अनुमानों में युक्तिसंगत परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभदायित्वों पर प्रभाव को दर्शाते हैं।

मृत्यु और आहरण के कारण संवेदनशीलता सामग्रीगत नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया जाता है।

मुद्रा स्फीति की दर, भुगतान में पेंशनों की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर तथा जीवन संभाव्यता के प्रति संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति के एकमुश्त लाभ के रूप में लागू नहीं है।

ix) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए निर्धारित लाभ योजना के संभावित अंशदान **23.07 करोड़ रुपए** है।

x) निर्धारित लाभ दायित्वों की परिक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

निर्धारित लाभ दायित्वों की अवधि(वर्ष)	भविष्य निधि	उपदान	सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ योजना	सेवानिवृत्ति भत्ते
1	128.21	26.84	5.32	0.15
2	118.08	9.05	14.58	0.15
3		9.99	7.24	0.15
4		5.68	4.26	0.09
5		5.71	4.05	0.08
6	204.00	4.24	2.92	0.06
6 से आगे		28.75	100.46	0.47
कुल	**450.29**	**90.26**	**138.84**	**1.14**

जोखिम विश्लेषण

कंपनी को अनेक निर्धारित लाभ योजना के जोखिमों की संभावना हैं। निर्धारित लाभ योजनाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिम और इन जोखिमों के प्रभावों के सबंध में प्रबंधन का अनुमान निम्नानुसार है:

(क) ब्याज जोखिम

योजना परिसंपत्ति पर ब्याज दर में कमी, योजना दायित्व में वृद्वि करेगी।

दीर्घायु जोखिम/जीवनकाल संभाव्यता

निर्धारित लाभ योजना दायित्वों का वर्तमान मूल्य का परिकलन नियोजना के दौरान और अंत दोनों में योजना भागीदारों की मृत्युदर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ द्वारा किया जाता है। योजना भागीदारों जीवनकाल संभाव्यता में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

वेतन वृद्धि जोखिम

निर्धारित लाभ योजना दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन योजना भागीदारों के भावी वेतनों के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

37. संबंधित पक्षों सव्यवहार

इंड एएस 24 ''संबंधित पक्ष प्रकटन'' के अनुपालन में प्रकटन निम्नानुसार है:

a) संबंधित पक्षों की सूची

(i) सहायक कंपनी

इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,
इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड
इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड
इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाइवे लिमिटेड
इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियां

इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(iii) गैर नियंत्रित हित

अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड

(iv) गैर निगमित संयुक्त उपक्रम (संयक्त प्रचालन)

संयुक्त प्रचालन	समाप्त संयुक्त प्रचालन	वित्तीय रूप से बंद संयुक्त प्रचालन
एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर	इरकॉन–कोब्रा–ईएलआईओपी
एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसार्टियम	मेट्रो टनलिंग समूह	इरकॉन–श्री भवानी बिल्डर
	इरकॉन एफकॉन	इरकॉन–एसएमजी प्रोजेक्ट जेवी
		इरकॉन–गन्नन डंक्ले
		इरकॉन–आरसीएसःपिलफिडरर
		इरकॉन–एसपीएससीपीएल
		रिकॉन

(v) क. प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक (केएमपी)

पूर्णकालीन निदेशक

नाम	पदनाम
श्री योगेश कुमार मिश्रा 1	सीएमडी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)
श्रीमती रागिनी आडवाणी 2	निदेशक (वित्त)
श्री संदीप जैन	निदेशक (परियोजना)
श्री पराग वर्मा	निदेशक (कार्य) 21.09.2022 से

1. श्री योगेश कुमार मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ, इरकॉन ने दिनांक 29 अप्रैल, 2023 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का पदभार छोड़ दिया, इसलिए वह कंपनी के सीएमडी और सीईओ नहीं रहे।

   श्री बृजेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सदस्य (सीई), रेलवे बोर्ड और सरकारी नामित (अंशकालिक आधिकारिक) निदेशक, इरकॉन ने दिनांक 29 अप्रैल, 2023 को अपने दायित्वों के अलावा, रेल मंत्रालय के अगले आदेश तक के लिए इरकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।
2. श्रीमती रागिनी आडवाणी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त होने पर श्री मोहित सिन्हा दिनांक 19.04.2022 से निदेशक (वित्त) के पद से पदमुक्त हुए।
3. दिनांक 31.12.2022 को (सेवानिवृत्ति के कारण) श्री एस.एल. गुप्ता दिनांक निदेशक (परियोजना) के पद से पदमुक्त हो गए हैं और श्री संदीप जैन, आईआरएसई, कार्यकारी निदेशक योजना (सिविल और पीएसयू) – रेलवे बोर्ड को दिनांक 12.01.2023 से निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

कंपनी सचिव और मुख्य वित्त अधिकारी

नाम	पदनाम
सुश्री रितु अरोड़ा	कंपनी सचिव
श्री बी मंगुंथन	मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) 26.04.2022 से

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ख. अन्य निदेशक

सरकारी नामिति अंशकालीन (सरकारी) निदेशक

नाम	पदनाम
श्री धनंजय सिंह	सरकार द्वारा नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
श्री बृजेश कुमार गुप्ता	दिनांक 29.03.2023 से नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
श्री राजेश अर्गल	दिनांक 31.07.2022 से नामांकित निदेशक के पद से पदमुक्त हुए ।
श्री राम प्रकाश	23.09.2022 से नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और दिनांक 31.01.2023 से नामांकित निदेशक के पद से पदमुक्त हुए।
श्री अजय कुमार चौहान	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक
श्रीमती रंजना उपाध्याय	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक

(v) नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं

इरकॉन उपदान ट्रस्ट
इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
इरकॉन चिकित्सा न्यास
इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास

(vi) सरकार संबंधी न्यास

कंपनी, रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। कंपनी 31 मार्च, 2022 तक भारत के राष्ट्रपति के नाम पर 73.18 प्रतिशत इक्विटी शेयर धारण द्वारा भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियंत्रित है। इंड एएस–24 के पैरा–25 और 26 के अनुसार, ऐसी संस्थाएं जिन पर एक ही सरकार नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, वहां रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। इन पक्षों के साथ लेन–देन बाजार की शर्तों पर आर्म लेंथ के आधार पर किया जाता है। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है।

कंपनी के निम्नलिखित सरकार संबंधी न्यासों के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार हैं:

निकाय का नाम	संबंध
रेल मंत्रालय	नियंत्रण निकाय
रेल भूमि विकास प्राधिकरण	रेल मंत्रालयस के अधीन सांवधिक निकाय
भारतीय रेल वित्त निगम	रेल पीएसयू

ख) कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)/ निदेशकों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
1	अल्पकालीन नियोजन लाभ (i)	2.71	2.93
2	अन्य दीर्घकालीन नियोजन लाभ	0.75	0.66
3	बैठक शुल्क	0.17	0.08
	कुल	**3.62**	**3.67**

नोट:

(i) वित्तीय वर्ष 2022–23 के आंकड़ों में अन्तिम आधार पर पिछले वर्षों के दौरान भुगतान किए गए **0.22 करोड़ रुपए** का पीआरपी शामिल हैं (वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 0.30 करोड़ रुपए के पीआरपी प्रावधान सहित जिसका भुगतान अंतिम आधार पर वित्तीय 2019–20 के दौरान किया गया) शामिल हैं।

(ii) यह अनुमेय निदेशकों से वसूली की गई है, जिन्हें कंपनी के आवास और कार प्रदान की गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

अन्य पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
1	वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री				
1.1	संविदा राजस्व	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	147.93	211.29
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	497.18	298.94
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	92.14	40.00
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	144.02	9.66
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	(1.59)	–
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	6,891.15	4,539.71
1.2	किराया आय	इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.04	0.04
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	0.08	0.08
2	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद			–	–
3	प्रतिनियुक्ति कर्मचारी व्यय, किराया एवं अन्य विविध व्यय (आय) की प्रतिपूर्ति	इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.30	0.11
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.94	0.93
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	1.62	0.51
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.29	0.10
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	–
		इंडियान रेलव स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.30	0.23
		आयार रिन्युवेबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	गैर नियंत्रण हित	–	0.26
4	ब्याज आय				
4.1	ऋण पर ब्याज आय	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.90	0.79
4.2	अग्रिम पर ब्याज आय			–	–
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	56.03	110.02
4.3	बांड पर ब्याज आय	भारतीय रेल वित्त निगम लि	सरकार संबंधी निकाय	14.57	15.14
4.4	लाभांश आय	इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	69.00	41.00
5	लाभांश				
5.1	लाभांश संवितरण	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	168.62	244.34
5.2	पारित ब्याज व्यय	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	–	–
5.3	पारित निवेश की बिक्री पर लाभ	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	–	1.03
6	व्यय				
6.1	पारित ब्याज व्यय	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.07	0.03
6.2	पारित ब्याज व्यय	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	119.89	67.38
6.3	पारित ब्याज व्यय	भारतीय रेल वित्त निगम लि	सरकार संबंधी निकाय	56.03	110.02

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
7	इक्विटी शेयरों में निवेश	इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	–
		छत्तीसगढ वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	55.28
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	36.82	26.00
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	25.99
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	13.26	–
7.1	इक्विटी निवेश/ब्याज मुक्त ऋण/(डीम्ड इक्विटी) – एनसीआई से प्राप्त	अयाना रिन्युवेबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	गैर नियंत्रण हित	12.00	1.20
8	ब्याज मुक्त ऋण/डीम्ड इक्विटी)	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	64.11	–
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	52	–
		छत्तीसगढ वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	15.6
9	ऋण की वसूली	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	–
10	अग्रिमों की वसूली	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	615.31	615.30
11	ऋणों का भुगतान	भारतीय रेल वित्त निगम लि	सरकार संबंधी निकाय	615.31	615.30
12	प्राप्त अग्रिम	छत्तीसगढ वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.03	1.36
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	104.15	5.00
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	4.63	2.29
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	74.60	–
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	40.00	15.00
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	6,634.84	5,042.37
13	अग्रिमों का पुनर्भुगतान	छत्तीसगढ वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	22.47	15.52
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	31.82	9.79
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	2.41	–
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	54.80	–
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	6318.21	3909.24
14	नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं				
14.1	वर्ष के दौरान अंशदान	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	4.69	4.72
		इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	41.29	42.76
		इरकॉन चिकित्सा न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	4.64	4.72
		इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	11.49	11.08
14.2	वर्ष के दौरान की गई प्रतिपूर्ति	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	–	–

नोटः

(i) सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम कंपनियों तथा संयुक्त प्रचालनों के साथ गारंटियों और अन्य प्रतिबद्धताओं हेतु नोट 40 का संदर्भ लें।

(ii) खरीद प्रकृति में काल्पनिक है अतः गैर–तथ्यात्मक है। इस लिए प्रकट नहीं किया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ग) संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष निम्नानुसारः

(₹ in crore)

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
1	इक्विटी निवेश (मानी गई इक्विटी सहित)	इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	64.15	64.15
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	213.46	213.46
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	193.99	157.17
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	78.00	26.00
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	140.37	63.00
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	76.34	76.34
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	52.00	52.00
2	बांडों में निवेश	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	155.19	205.18
3	प्रदान ऋणों के प्रति वसूलीयोग्य राशि			–	–
4	ऋणों से इतर वसूलीयोग्य राशि				
4.1	व्यापार प्राप्य	इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	0.05
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	21.20	25.15
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	33.81	3.85
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	6.83	14.08
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	–
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	166.59	77.14
4.2	संविदा परिसंपत्तियां				
(a)	बिलयोग्य राजस्व/प्राप्य जो देय हैं और वसूलीयोग्य मूल्य पर सीडब्ल्यूआईपी	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	36.67	31.59
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	18.26	37.30
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.97	1.29
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	21.35	22.94
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	7.52
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	162.86	153.86
(b)	प्रतिधारण राशि एवं आहरित राशि	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.20	0.62
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	12.33	3.84
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	1.56	–
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	3.18	0.86
4.3	वसूलीयोग्य अग्रिम और दावे	इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	–
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.29	0.22
		महानदी सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	2.93	1.32
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.07	0.10
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.02	0.02
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.09	1.03
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	–	10.96
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	634.95	1,270.26

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
4.4	ऋणों पर संचित ब्याज	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	10.87	10.06
4.5	अग्रिमों पर संचित ब्याज	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	59.65	109.77
4.6	बांडों पर संचित ब्याज	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	सरकार संबंधी निकाय	10.63	19.86
4.7	न्यासों से वसूलीयोग्य	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	16.32	7.68
5	ऋणों	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	सरकार संबंधी निकाय	615.31	1230.62
6	प्रति देय राशि				
6.1	व्यापार प्राप्य	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	–	–
6.2	संविदागत दायित्व (अग्रिम एवं अग्रिम संविदा प्राप्तियां)	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	2041.03	2326.90
		इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	–
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	8.38	30.82
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	125.06	52.72
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	2.29
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	19.80	–
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	–	–
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	–	–
6.3	ग्राहकों को अन्य देय	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.65	0.65
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	9.44	4.94
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	571.76	901.38
6.4	ऋणों पर देय ब्याज	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	सरकार संबंधी निकाय	51.89	103.81
6.5	अग्रिमों पर देय ब्याज	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.29	–
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.42	0.35
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.12	–
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	–	–
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	280.36	287.20
6.6	न्यासों को देय	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	7.17	7.68
7	इक्विटी निवेश (संभावित इक्विटी सहित) – प्राप्त	आयार रिन्युवेबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	गैर नियंत्रण हित	13.20	1.20

घ) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार की शर्तें एवं निबंधन

(i) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों को आर्म लैंड संव्यवहारा में प्रचलित समतुल्य शर्तों के अनुसार किया गया है।

(ii) वर्ष के अंत में संबंधित वक्षों के बकाया शेष अरक्षित हैं और इन्हें बैंक संव्यवहारों के माध्यम से निपटाया गया है। ऋणों से इतर अन्य शेष और ब्याज धारित अग्रिम ब्याज मुक्त हैं।

(iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को ऋण सभी अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों और निबंधनों के आधार पर हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

38. प्रति शेयर आमदनी

इंड एएस 33 ''प्रति शेयर आमदनी'' के अनुसार प्रकटन

मूल ईपीएस की राशि का परिकलन मूल इक्विटी धारकों को वर्ष के दौरान मिलने वाले लाभ बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के वेटेज द्वारा भाग करके किया जाता है।

विलयित ईपीएस का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के वेटेज औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों के वेटेड औसत संख्या जो सभी विललियत संभावित इक्विटी शेयरों के इकिवटी शेयरों में परिवर्तन पर जारी किया जाएगा, के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात इक्विटी धारकों के प्रति वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके किया जाता है।

(i) मूल एवं विलयित आमदनी प्रति शेयर (रूपए में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
इक्विटी धाराकें के प्रति लाभ (रूपए करोड़ में)	(ii)	765.23	592.34
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या (संख्या में)*	(iii)	940,515,740	940,515,740
प्रति शेयर आमदनियां (मूल)		8.14	6.30
प्रति शेयर आमदनियां (विलयित)		8.14	6.30
प्रति शेयर फेस मूल्य		2.00	2.00

* इरकॉन के निदेशक मंडल ने दिनांक 5 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी 268वीं बैठक में 1:1 के अनुपात में 2/– रुपए के 47,02,57,870 पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। (अर्थात शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में दिनांक 21 मई, 2021 के साथ प्रत्येक मौजूदा 1 (एक) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर जारी किया गया। एनएसई और बीएसई से अंतिम लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमोदन दिनांक 31 मई, 2021 को प्राप्त हुआ। बोनस के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी रु.188,10,31,480 है, जिसे प्रत्येक 2/– रुपए के 94,05,15,740 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

(ii) इक्विटी शेयरों के प्रति लाभ (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ	765.23	592.34
ईपीएस के परिकलन हेतु प्रयुक्त कंपनी के शेयरधारकों के प्रति लाभरू	765.23	592.34

(iii) इक्विटी शेयरों के वेटिड औसत संख्या (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	940,515,740	470,257,870.00
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर	–	–
शेयरों के विघटन के कारण शेयरों की संख्या में वृद्वि	–	–
बोनस शेयर	–	470,257,870.00
मूल ईपीएस के परिकलन के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	**940,515,740.00**	**940,515,740.00**
विलयित प्रभावरू		
जमा : वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	–	–
विलयित ईपीएस परिकलन हेतु इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	**940,515,740**	**940,515,740**

39. परिसंपत्तियों की हानि

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) के नियम 3 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), संशोधन नियम 2016 के साथ पठित कंपनी अधियिम 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस 36 ''परिसंपत्तियों की हानि'' की शर्तों के अनुसार निवल वसूलीयोग्य मूल्य और वहन लागत के निम्नतर के आधार पर वसूलीयोग्य राशि का परिकलन द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि का मूल्यांकन किया है। तदनुसार शून्य (शून्य) की हानि के लिए प्रावधान किया गया है। हालाँकि, सहायक कंपनियों में से एक IISL को 0.42 करोड़ रुपए (0.75 करोड़ रुपए) की हानि प्रदान की गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

40. प्रावधान, आकस्मिकताएं और प्रतिबंद्धताएं

(i) प्रावधान

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकसमिक परिसंपत्तियों के अनुसार वर्ष के दौरान प्रावधानों में संचालन और प्रावधानों की प्रकृति का प्रकटन नोट 21 में किया गया है।

(ii) आकस्मक देयताएं

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे	31 मार्च 2023 को
क)	**कंपनी के विरूद्व दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है :**					
	विवादित प्रत्यक्ष कर मांग					
	(i) धारक कंपनी के संबंध में	1	199.03	24.44	(183.54)	39.93
	विवादित अप्रत्यक्ष मांग					
	(i) धारक कंपनी के संबंध में	2	263.66	27.47	(49.97)	241.16
	(ii) संयुक्त प्रचालनों के संबंध में	3	3.33	–	–	3.33
	विधिक मामले					
	(i) धारक कंपनी के संबंध में	4	537.31	173.31	(86.12)	624.50
	(ii) संयुक्त प्रचालनों के संबंध में	5	0.02	–	–	0.02
ख)	**अन्य राशि जिसके लिए समूह आकस्मिक रूप से दायी है**					
	ग्राहक द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदन के निपटान के लिए लंबित तरलीकृत क्षति		9.27	–	–	9.27
	कुल		**1,012.62**	**225.22**	**(319.63)** –	**918.21**

फुट नोट:

1 आयकर प्राधिकरण ने विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के संबंध में विभिन्न आपत्तियों के लिए मांग उत्पन्न की है। इनमें से कई मामले कंपनी के पक्ष में न्यायाधीन हुए हैं कि किन्तु संबंधित विभिन्नों ने उच्चतर प्राधिकरणों में इन मुद्दों को उठाया है। कंपनी इन मांगों को विरोध कर रही है, जो विभिन्न अपील स्तरों पर लंबित हैं। स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर और इन अपीलों की गतिविधियों के आधार पर, प्रबंधन को विश्वास है कि अपील प्रक्रिया के पूरा होने पर मांग किए गए अतिरिक्त कर को निरस्तर कर दिया जाएगा और तदनुसार, अपील प्राधिकारयों द्वारा लंबित निर्णय लिया जाएगा, एवं इन वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2 उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवाकर, वेट आदि के संबंध में प्राधिकारियों के समक्ष विभिन्न विवाद लंबित हैं। कंपनी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई इन मांगों का विरोध कर रही है और ये मामले विभिन्न अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। उपर्युक्त मामलों के अंतिम निर्णय के लिए लंबित होने पर, वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किए गए हैं. उपर्युक्त विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगों, में **195.82 करोड़ रुपए** शामिल हैं, जिनकी प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है।

3 इंटरनेशनल मेट्रो टनलिंग ग्रुप, कंपनी के संयुक्त प्रचालन के मामले में, आयकर प्राधिकारियों के पास **3.33 करोड़ रुपए** (3.33 करोड़ रुपए) की राशि के श्रम व्यय के गैर प्रावधानप के कारण विवादित मांग लंबित है। संयुक्त प्रचालन ने उक्त वित्तीय वर्षों के लिए इन मांगों के विरूद्ध उपयुक्त अपील प्राधिकरणों के समक्ष अपीलें दायर की हैं। कंपनी संयुक्त प्रचालन में हित के भाग के अनुसार उक्त मांग के लिए संयुक्त रूप से दायी है। यह निर्णय अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4 कंपनी निर्माण अनुबंध की शर्तों से संबंधित विवादों पर कई कानूनी मुकदमों का पक्ष है, जो भारत में विभिन्न अदालतों और मध्यस्थता की कार्यवाही में लंबित हैं। कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर अनुबंध मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, काम की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजे, निष्क्रिय शुल्क

आदि की मांग करते हुए दावे दर्ज किए हैं। कंपनी द्वारा इन दावों का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अवार्ड किए गए अनुबंधों के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं। **701.86 करोड़ रुपए** (638.79 रोड़ रुपए) के कुल दावों के प्रति, **77.35 करोड़ रूपए** (101.48 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है और **624 51 करोड़ रुपए** (537 31 करोड़ रुपए) के शेष को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी ने ठेकेदारों पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार **333.31 करोड़** (238.82 करोड़ रुपए) के स्वीकार्य काउंटर दावे भी किए हैं। अनिश्चित होने के कारण दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया जाता है।

5 ठेकेदारों में से एक, मेसर्स साई इंजीनियर्स ने अनुबंध की शर्तों पर विवाद के लिए **0.02 करोड़** (0.02 करोड़ रुपए) की राशि हेतु इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। निर्णय अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित है और इसलिए वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6 कर्मचारियों/अन्य से संबंधित कुछ मामले समूह के विरुद्ध न्यायालयों में लंबित हैं जिनके संबंध में दायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

7 न्यायालय में लंबित कर्मचारियों/ठेकेदारों से संबंधित मामलों के विरूद्ध इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड की आकस्मिक देनदारी **2.55 करोड़ रुपए** (2.93 करोड़ रुपए) है। उक्त देनदारी पर दावा की गई ब्याज की राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

8 एनएचएआई के स्वतंत्र अभियंता द्वारा जुर्माने के संबंध में **12.55 करोड़ रुपए** के दावे की जानकारी दी गई। इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड इन दावों से निपटने के लिए एनएचएआई के साथ संपर्क में है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि जिस भी देरी के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है, वह कंपनी के कारण नहीं है।

9 देरी, लक्ष्य प्राप्त न कर पाने, ओएंडएम कार्यों में नुकसान आदि से संबंधित एनएचएआई द्वारा उठाए गए कुछ दावों में इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड एक पक्ष है। इन दावों को कंपनी द्वारा संबंधित अनुबंधों के प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य न होने के कारण चुनौती दी जा रही है। कुल **47.42 करोड़ रुपए** (शून्य रुपए) के इन दावों को आकस्मिक देनदारी के रूप में दिखाया गया है। कंपनी ने एनएचएआई पर **338.05 करोड़ रुपए** (शून्य रुपए) के अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रतिदावे को भी स्वीकार्य बनाया है।

10 वित्त वर्ष 2017–18 के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड से 132.63 करोड़ रुपए की आयकर मांग संबंधित है, जिसके प्रति आयकर विभाग में अपील दायर की गई है। कंपनी को आयकर विभाग द्वारा क्रमशः आकलन वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22, और 2022–23 से संबंधित 1.85 करोड़ रुपए, 2.31 करोड़ रुपए, 0.18 करोड़ रुपए और 0.09 करोड़ रुपए के आयकर प्रतिपूर्ति जारी नहीं की गई है। हालाँकि, अपील दायर की जा चुकी है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सुनवाई की तारीख की पुष्टि होना अभी बाकी है।

(iii) आकस्मिक परिसंपत्तियां

इंड एएस 37–प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटन निम्नानुसार हैः

क) समूह द्वारा अपने कुछ ग्राहकों पर दावे प्रस्तुत किए गए हैं और मध्यस्थताओं द्वारा इन्हें कंपनी के पक्ष में प्रदान किया गया है, जिसके प्रति ग्राहक न्यायालय में चले गए हैं और इन्हें प्राप्य के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **461.17 करोड़ रुपए** (425.76 करोड़ रुपए) जिसमें प्रदान मध्यस्थता के अनुसार 31.03.2023 तक परिकलित ब्याज शामिल है।

ख) समूह द्वारा उप ठेकेदार पर प्रति दावा दायर किया गया और इसे मध्यस्थता द्वारा कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया गया, जिसके विरूद्ध वे न्यायालय में गए और इसे प्राप्यों के रूप में लेखांकिन नहीं किया गया है यथा **22.48 करोड़ रुपए** (25.42 करोड़ रुपए)।

ग) कंपनी के पक्ष में इथोपिया के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक परिकलित ब्याज सहित **0.93 एमएन अमरीकी डॉलर** (0.91 एमएन अमरीकी डॉलर) तथा **इथोपियन बिरर 1.28 एमएन** (1.22 एमएन बिर) समतुल्य **7.79 करोड़ रुपए** (7.05 करोड़ रुपए) के बीमा दावे का निर्णय कंपनी के पक्ष में दिया है, जो इथोपिया के उच्च न्यायालय द्वारा आदेश निष्पादन स्तर पर लंबित है।

(iv) प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

	विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क)	**पूंजी प्रतिबद्धताएं**			
	पूंजी खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य (अग्रिम का निवल) और इनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:	1	16.19	16.37
ख)	**अन्य प्रतिबद्धताएं**			
(i)	संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से निधियत प्रतिबद्धता	2	177.60	75.42
(ii)	संयुक्त उद्यम की ओर से प्रायोजक सहायता समझौता	3	1361.36	1033.76
			1555.15	**1,125.55**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

फुटनोटः

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पूंजी प्रतिबद्धता	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1	निवेश परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	1.72	–
2	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	–	–
3	निर्माणाधीन वित्तीय परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	14.47	16.37
	कुल	**16.19**	**16.37**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम कंपनियों का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	–	33.14	–	–
2	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	0.01	64.48	36.83	–
3	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड '	–	54.63	–	–
4	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	0.01	25.33	–	25.33
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	–	–	13.26	–
6	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	–	–	–	–
	कुल	**0.02**	**177.58**	**50.09**	**25.33**

* कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने 11 मई, 2023 को तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों में ऋण प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, प्रतिबद्धता में परिवर्तन का प्रकटन किया गया है।

3 कंपनी ने एसईसीएल (प्रायोजकों) के साथ अपने संयुक्त उद्यम, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) की ओर से प्रायोजक के समर्थन समझौते को निष्पादित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि चूक की घटना के कारण रियायत समझौते को समाप्त करने के मामले में, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की उपलब्धि से पहले उधारकर्ता द्वारा ऋणी की ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए, उधारदाताओं की संतुष्टि के लिए, उधारकर्ता और/या परियोजना का सहारा लिए बिना सावधि ऋण के अनुसार 31 मार्च, 2023 को इरकॉन का हिस्सा **1033.76 करोड़ रुपए** (3976 करोड़ रुपए के कुल ऋण का 26 प्रतिशत) (31 मार्च, 2022 को 1033.76 करोड़ रुपए) है।

(पप) कंपनी ने सीसीएल (प्रायोजक) के साथ मिलकर अपने संयुक्त उद्यम, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) की ओर से प्रायोजक के समर्थन समझौते को निष्पादित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी घटना के कारण रियायत समझौते की समाप्ति के मामले में वाणिज्यिक परिचालन तिथि की उपलब्धि से पहले उधारकर्ता द्वारा डिफॉल्ट के मामले में, प्रायोजक उधारकर्ता औरध्या परियोजना का सहारा लिए बिना, ऋणदाताओं की संतुष्टि के लिए, उधारकर्ता के ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करेगा। सावधि ऋण में निर्धारित राशि के अनुसार 31 मार्च 2023 को इरकॉन का हिस्सा **327.60 करोड़ रुपए** (1259.75 करोड़ रुपए के कुल ऋण का 26 प्रतिशत)।

4 पूंजीगत खातों पर निष्पादित होने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि है, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण और अन्य प्रतिबद्धताएं के लिए **2355.55 करोड़ रुपए**, और इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड से संबंधित सौर परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए 38.02 करोड़ रुपए।

5 इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड की अन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में टोल रोड की रियायती अवधि के अंत तक एनएचएआई को **448.72 करोड़ रुपए** (483.02 करोड़ रुपए) का रियायती शुल्क देय है।

41. खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग

इंड एएस–108 ''प्रचालन सेगमेंट के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार हैः

क. सामान्य सूचना

प्रचालन सेगमेंटों को उपक्रम के उस घटक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए विशिष्ट वित्तीय सूचना उपलब्ध है जिसकी मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, यह निर्णय लेने के लिए कि संसाधनों का आवंटन और निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाए। समूह की निदेशक मंडल मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक है। प्रचालन क्षेत्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वे

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

मुख्य प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप हो। समूह ने भौगोलिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय प्रचालन क्षेत्र का निर्धारण किया है।

ख. वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित राशियों के प्रतिवेदन योग्य खंडों और समाधान के बारे में जानकारी :

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
सेगमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	411.84	480.43	9,956.09	6,899.24	**10,367.93**	**7,379.67**
कुल प्रचालन राजस्व	**411.84**	**480.43**	**9,956.09**	**6,899.24**	**10,367.93**	**7,379.67**
ब्याज आय	11.81	1.88	347.16	183.45	**358.97**	**185.33**
अन्य आय	6.03	9.84	16.96	10.87	**22.99**	**20.71**
अंतः–सेगमेंट	–	–	–	–	**–**	**–**
कुल राजस्व	**429.68**	**492.15**	**10,320.21**	**7,093.56**	**10,749.89**	**7,585.71**
सेगमेंट परिणाम						
प्रावधान, मूल्यह्रास, ब्याज, आपवादिक मद और कर से पूर्व लाभ	95.89	67.15	1,129.93	769.47	**1,225.82**	**836.62**
घटाः प्रावधान और बट्टा खाता	8.41	(14.75)	(155.69)	(43.71)	**(147.28)**	**(58.46)**
घटाःमूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	(2.56)	(2.72)	(104.90)	(92.45)	**(107.46)**	**(95.17)**
घटाः ब्याज	–	–	(111.52)	(54.28)	**(111.52)**	**(54.28)**
जमा : संयुक्त उद्यमों के शुद्ध लाभ का हिस्सा इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है	–	–	31.44	59.94	**31.44**	**59.94**
कर पूर्व लाभ	**101.74**	**49.68**	**789.26**	**638.97**	**891.00**	**688.65**
घटाः कर व्यय	(26.96)	(22.94)	(98.81)	(73.44)	(125.77)	(96.38)
कर पश्चात लाभ	**74.78**	**26.74**	**690.45**	**565.53**	**765.23**	**592.27**

ग) अन्य जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
कुल परिसंपत्तियां	918.76	735.58	14,618.62	13,710.78	**15,537.38**	**14,446.36**
कुल देयताएं	727.90	627.34	9,584.86	9,152.27	**10,312.76**	**9779.61**
इक्विटी विधि द्वारा संयुक्त उद्यमों में निवेश	–	–	824.29	695.57	**824.29**	**695.57**
वित्तीय माध्यमों, आस्थगित कर परिसंपत्तियां, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर गैर–चालू परिसंपत्तियां.	55.45	22.88	1,921.98	1,888.67	**1,977.43**	**1,911.55**
समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त संपत्ति, विकासाधीन अमूर्त संपत्ति और उपयोग का अधिकार)	0.23	0.06	68.94	45.93	**69.17**	**45.99**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचनाः

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, घरेलू क्षेत्र में एकल बाहरी ग्राहक से लगभग **66.47 प्रतिशत** (31 मार्च 2022 को 61.52 प्रतिशत) प्रचालन राजस्व अर्जित किया गया है।

42. अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटीकरण

इंड एएस–112 'अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटीकरण' के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं :

क. संयुक्त प्रचालनों में निवेश

निम्नलिखित संयुक्त प्रचालनों में निवेश लागत पर लेखांकित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त प्रचालनों का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान और निगमन का देश	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
i)	प्रचालनरत परियोजनाओं के लिए :					
	एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम	गुजरात और महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
	एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम	महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
ii)	पूर्ण संयुक्त प्रचालन					
	इंटरनेशनल मिट्रो सिविल कांट्रेक्ट	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	मेट्रो टनलिंग ग्रुप	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	इरकॉन–एफकॉन	बांग्लादेश	53.00	53.00	53.00	53.00
iii)	वित्तीय रूप से बंद संयुक्त संचालन					
	इरकॉन–कोबरा–कोबरा–ईएलओओपी	दिल्ली एनसीआर, भारत	61.22	61.22	61.22	61.22
	इरकॉन– श्री भवानी बिल्डर्स	चेन्नई, भारत	24.21	24.21	24.21	24.21
	इरकॉन–एसएमजे प्रोजेक्ट जेवी	तमिलनाडु, भारत	55.00	55.00	55.00	55.00
	इरकॉन–गैनन डंकरली	उत्तर प्रदेश, भारत	55.70	55.70	55.70	55.70
	इरकॉनःआरसीएसः पिफिल्डर	जम्मू और कश्मीर, भारत	65.08	65.08	65.08	65.08
	इरकॉन–एसपीएससीपीएल	जम्मू और कश्मीर, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
	रिकोन	दिल्ली एनसीआर, भारत	49.00	49.00	49.00	49.00

ख. संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

क्र. सं.	संयुक्त प्रचालनों का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान और निगमन का देश	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को		लेखांकन विधि
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	
1	इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड	महाराष्ट्र, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00	इक्विटी विधि
2	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	25.31	26.00	27.31	26.00	इक्विटी विधि
3	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	उड़ीसा, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	झारखंड, भारत	26.00	26.00	14.82	26.00	इक्विटी विधि
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
7	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	दिल्ली एनसीआर, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ग) संयुक्त प्रचालनों में वित्तीय हित (कंपनी के शेयर के स्तर तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त संयुक्त प्रचालन के नाम									
		इरकॉन एफकॉन		एक्सप्रेस फेट कंसार्टियम		इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर		मेट्रो टनलिंग		कुल	
		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
	वर्ष के अंत में:										
1	**परिसंपत्तियां**										
	पीपीई			–	–					**–**	**–**
	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य			–	–					**–**	**–**
	अन्य परिसंपत्तियां	0.60	0.52	–	–	4.41	4.37	2.04	2.07	**7.05**	**6.96**
	देयताएं										
2	प्रावधान	–	–	–	–	0.02	0.01	0.11	0.18	**0.13**	**0.19**
	अन्य देयताएं	–	–	–	–	0.91	0.91	0.05	0.05	**0.96**	**0.96**
	वर्ष के अंत में:										
3	कुल आय		0.02	1.37	1.74	0.05	0.05	0.07	0.10	**1.50**	**1.91**
4	कुल व्यय	0.11	0.19	0.45	0.78	0.00	0.01	0.01	0.01	**0.57**	**0.99**
5	कुल कर		–	0.35	0.37	0.01	0.01	0.02	0.03	**0.38**	**0.41**
6	कर पूर्व लाभ	(0.11)	(0.17)	0.58	0.59	0.04	0.03	0.04	0.06	**0.54**	**0.51**
7	अन्य वृहत आय	–	–	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
8	कुल वृहत आय	(0.11)	(0.17)	0.58	0.59	0.04	0.03	0.04	0.06	**0.54**	**0.51**

नोट: संयुक्त प्रचालनों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 40 में प्रकट किया गया है।

घ) संयुक्त उद्यम कंपनियों का सारबद्ध तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	
		31-3-2023 को	31-3-2022 को	31-3-2023 को	31-3-2022 को	31-3-2023 को	31-3-2022 को	31-3-2023 को	31-3-2022 को
	गैर तात्कालिक परिसंपत्ति	1.29	1.00	3236.20	3060.56	2107.88	1327.93	–	–
1	वर्तमान संपत्ति	291.82	293.12	199.02	213.98	76.47	199.51	388.19	392.47
2	**कुल संपत्ति (क)**	**293.11**	**294.12**	**3,435.22**	**3,274.54**	**2,184.35**	**1,527.44**	**388.19**	**392.47**
	गैर मौजूदा देनदारियों	-	-	2,559.71	2,287.30	1,410.15	907.61	-	-
3	वर्तमान देनदारियां	0.32	0.40	124.45	126.45	54.17	27.02	83.88	89.87
4	**कुल देयताएं (ख)**	**0.32**	**0.40**	**2,684.17**	**2,413.75**	**1,464.32**	**934.63**	**83.88**	**89.55**
	शुद्ध संपत्ति (क–ख)	**292.79**	**293.71**	**751.05**	**860.79**	**720.03**	**592.81**	**304.31**	**302.60**
5	क) नकद और नकद समकक्ष शामिल	33.44	34.95	172.41	184.08	75.61	197.78	4.16	19.21
	ख) वित्तीय देयताएं शामिल हैं (व्यापार देय और अन्य देय को छोड़कर और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-	2,559.71	2,287.30	1,410.15	907.61	70.03	84.05

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	इरकॉन – सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	
		31.03.2023 को	31.03.2022 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	गैर तात्कालिक परिसंपत्ति	175.23	232.84	512.16	267.06	411.85	251.74
2	वर्तमान संपत्ति	374.33	376.86	159.10	184.41	0.69	4.39
	कुल संपत्ति (क)	**549.57**	**609.70**	**671.26**	**451.48**	**412.54**	**256.12**
3	गैर मौजूदा देनदारियों	253.18	309.11	125.13	–	–	–
4	वर्तमान देनदारियां	133.91	119.79	1.09	2.70	323.90	167.05
	कुल देयताएं (ख)	**387.10**	**428.89**	**126.22**	**2.70**	**323.90**	**167.05**
5	**शुद्ध संपत्ति (क–ख)**	**162.47**	**180.81**	**545.05**	**448.77**	**88.64**	**89.07**
	क) नकद और नकद समकक्ष शामिल	56.43	46.06	129.81	82.42	0.66	4.35
	ख) वित्तीय देयताएं शामिल हैं (व्यापार देय और अन्य देय को छोड़कर और प्रावधानों को छोड़कर)	325.35	370.66	125.53	0.06	323.25	166.81

च) संयुक्त उद्यम कंपनियों का सारबद्ध लाभ और हानि विवरण :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	
		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
1	राजस्व	–	–	62.18	37.59	–	–	13.24	36.54
2	ब्याज आय	1.79	2.18	3.13	0.02	–	–	6.22	8.44
3	अन्य आय	–	–	0.04	–	–	–	1.02	3.34
	कुल आय	**1.79**	**2.18**	**65.35**	**37.61**	**–**	**–**	**20.48**	**48.32**
4	परिचालन पर खर्च	–	–	24.74	17.12	–	–	8.74	31.27
5	कर्मचारी लाभ	–	–	1.04	–	–	–	3.41	5.39
6	मूल्यह्रास और परिशोधन	0.02	0.03	135.09	4.31	–	–	–	1.78
7	वित्तीय लागत	–	–	116.61	23.09	–	–	0.17	1.97
8	अन्य खर्च	3.01	3.34	14.96	6.48	0.24	0.28	5.54	5.38
	कुल खर्च	**3.03**	**3.37**	**292.45**	**51.00**	**0.24**	**0.28**	**17.86**	**45.78**
9	**संयुक्त उद्यम में लाभ और हानि का भाग**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**3.44**	**(1.88)**
10	आयकर	0.31	0.30	108.51	75.72	–	–	(2.61)	(0.96)
11	**वर्ष का लाभ**	**(0.93)**	**(0.89)**	**(118.58)**	**62.33**	**(0.24)**	**(0.28)**	**3.45**	**(0.30)**
12	अन्य वृहत आय	–	–	–	–	–	–	(0.11)	0.24
13	**कुल वृहत आय**	**(0.93)**	**(0.89)**	**(118.58)**	**62.33**	**(0.24)**	**(0.28)**	**3.34**	**(0.06)**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	इरकॉन – सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	
		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
1	राजस्व	280.77	243.24	–	–	–	–
2	ब्याज आय	10.99	8.70	8.26	3.14	0.06	0.06
3	अन्य आय	0.22	0.44	–	–	–	–
	कुल आय	**291.98**	**252.38**	**8.26**	**3.14**	**0.06**	**0.06**
4	परिचालन पर खर्च	45.75	40.43	0.03	0.05	–	–
5	कर्मचारी लाभ	0.60	0.65	–	–	–	–
6	मूल्यह्रास और परिशोधन	36.48	39.30	–	–	–	–
7	वित्तीय लागत	57.98	58.43	0.02	0.00	–	–
8	अन्य खर्च	5.95	11.38	0.09	0.06	0.49	0.08
	कुल खर्च	**146.76**	**150.19**	**0.14**	**0.11**	**0.49**	**0.08**
9	आयकर	25.56	13.36	2.72	1.01	–	–
10	**वर्ष का लाभ**	**119.66**	**88.83**	**5.40**	**2.02**	**(0.43)**	**(0.02)**
11	अन्य वृहत आय	–	(0.02)	–	–	–	–
12	**कुल वृहत आय**	**119.66**	**88.81**	**5.40**	**2.02**	**(0.43)**	**(0.02)**

छ) संयुक्त उद्यम कंपनियों की अग्रणीत राशियों का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	
	31-3-2023 को	31-3-2022 को	31-3-2023 को	31-3-2022 को	31-3-2023 को	31-3-2022 को	31-3-2023 को	31-3-2022 को
शुद्ध संपत्ति प्रकटन	293.71	294.60	860.79	656.03	592.82	503.10	299.74	299.89
अन्य समायोजन (आवेदन राशि लंबित आवंटन)	(0.93)	(0.89)	(118.58)	62.33	(0.24)	(0.28)	3.37	(0.39)
प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि	–	–	8.85	101.26	127.46	90.00	–	–
अन्य व्यापक आय	–	–	–	–	–	–	(0.12)	0.24
प्रदत्त ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य में इक्विटी घटक वित्तीय प्रपत्र	–	–	–	41.17	–	–	–	–
अन्य समायोजन (आवेदन राशि लंबित आवंटन)	–	–	–	–	–	–	1.27	–
शेयर इश्यू खर्च	–	–	–	–	–	–	–	–
समापन निवल परिसंपत्ति	**292.79**	**293.71**	**751.05**	**860.79**	**720.04**	**592.82**	**304.26**	**299.74**
समूह का प्रतिशत भाग								

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	
	31-3-2023 को	31-3-2022 को	31-3-2023 को	31-3-2022 को	31-3-2023 को	31-3-2022 को	31-3-2023 को	31-3-2022 को
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी और लाभ	26.00%	26.00%	25.31%	27.31%	26.00%	26.00%	26.00%	26.00%
(ii) शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह का हिस्सा							–	
(i) चुकता शेयर पूंजी और लाभ में	76.12	76.37	194.89	224.92	193.60	156.84	58.19	57.35
(ii) शेयर आवेदन में धन लंबित आवंटन	–	–	–		–	–	–	–
अन्य समायोजन	–	–	–	–	–	–	–	–
अग्रेषित राशि	**76.12**	**76.37**	**194.89**	**224.92**	**193.60**	**156.84**	**58.19**	**57.35**

(₹ करोड़ में)

विवरण	इरकॉन – सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	
	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
शुद्ध संपत्ति प्रकटन	180.80	174.00	448.78	90.86	89.07	(0.87)
अन्य समायोजन (आवेदन राशि लंबित आवंटन)	119.66	88.84	5.40	2.02	(0.43)	(0.02)
प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि	–	–	13.25	355.90	–	89.96
अन्य व्यापक आय	–	(0.02)	–	–	–	–
प्रदत्त ब्याज	(138.00)	(82.00)	–	–	–	–
अन्य में इक्विटी घटक वित्तीय प्रपत्र	–	–	77.61	–	–	–
अन्य समायोजन (आवेदन राशि लंबित आवंटन)	–	–	–	–	–	–
शेयर इश्यू खर्च	**162.46**	**180.80**	**545.04**	**448.78**	**88.64**	**89.07**
समापन निवल परिसंपत्ति						
समूह का प्रतिशत भाग	50.00%	50.00%	26.00%	14.82%	26.00%	26.00%
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी और लाभ	–	–	–	–	–	–
(ii) शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन						
समूह का हिस्सा	81.24	90.41	78.38	13.94	25.65	25.76
(i) चुकता शेयर पूंजी और लाभ में	–	–	64.11	50.00	52.00	–
(ii) शेयर आवेदन में धन लंबित आवंटन	–	–	–	–	–	–
अन्य समायोजन	**81.24**	**90.41**	**142.49**	**63.94**	**77.65**	**25.76**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

43. राजस्व

क. राजस्व का विचलन

प्रचालन सेगमेंट और उत्पादन या सेवा के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाओं से समूह के राजस्व का विचलन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

उत्पादों और सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व मापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ हानि विवरण/ सेगमेंट रिर्पोटिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	8,900.71	406.91	**9,307.62**	9,307.62	–	5.84	**9,313.46**
राजमार्ग	818.82	–	**818.82**	818.82	–	–	**818.82**
इलैक्ट्रिकल	–	–	**–**	–	–		**–**
भवन	165.23	–	**165.23**	165.23	–		**165.23**
अन्य	22.97	–	**22.97**	22.97	–	47.45	**70.42**
कुल	**9,907.73**	**406.91**	**10,314.64**	**10,314.64**	**–**	**53.29**	**10,367.93**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से 10116.19 करोड़ रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया और 198.45 करोड़ रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

(₹ करोड़ में)

उत्पादों और सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व मापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ हानि विवरण/ सेगमेंट रिर्पोटिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	5,909.63	468.26	**6,377.89**	6,377.89	–	9.83	**6,387.72**
राजमार्ग	796.15	–	**796.15**	796.15	–	2.07	**798.22**
इलैक्ट्रिकल	–	–	**–**	–	–	–	**–**
भवन	141.99	–	**141.99**	141.99	–	–	**141.99**
अन्य	12.57	–	**12.57**	12.57	–	39.17	**51.74**
कुल	**6,860.34**	**468.26**	**7,328.60**	**7,328.60**	**–**	**51.07**	**7,379.67**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से 7160.08 करोड़ रुपए को समयावधि में स्वीकार किया गया और 168.52 करोड़ रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

ख. समूह ने ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व के रूप में इंड एएस–115 के अनुप्रयोग के लिए संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण लागू किया है और दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को निर्धारित आय पर प्रभाव शून्य है।

ग. संविदा शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
व्यापार प्राप्य (नोट 14.2)	863.83	695.19
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 10.3 और 14.6)	2,816.55	2,251.35
संविदा दायित्व (नोट 22 और 24)	3,574.49	3,523.29

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(i) व्यापार प्राप्य गैर–ब्याज धारणीय है और ग्राहक प्रोफाइल में शामिल हैं – रेल मंत्रालय, भारत तथा विदेश में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, राज्य स्वामित्व कंपनियां। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिन की ऋण अवधि सीमा के साथ मासिक प्रगति भुगतान शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय विचार करने के लिए कंपनी के अधिकार को प्रकट करने के लिए सेवाएं निष्पादित की जाती हैं। इसमें निर्माण संविदाओं के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष राशियां शामिल हैं, जो उस समय उत्पन्न होती हैं, जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। पूर्व में संविदा परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार की गई किसी राशि को संलग्न शर्तें के संतोष के स्तर पर व्यापार प्राप्यों के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है, जो कि बिलिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संविदा शेषों में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां	2,251.35	1,869.57
वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्तियां	2,816.55	2,251.35
निवल वृद्धि / (कमी)	**565.20**	**381.78**

वर्ष 2022–23 और 2021–22 के लिए – पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः **565.20 करोड़ रुपए** और 381.78 करोड़ रुपए की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की मान्यता के कारण हुई है, जबकि किए गए कार्य को अनुबंध की शर्त के आधार पर प्रमाणित किया गया है।

दिनांक 1 अप्रैल, 2022 और 1 अप्रैल 2021 तक अनुबंध की संपत्तियों को, क्रमशः लक्ष्यों की समाप्ति पर ग्राहकों को बिन किए जाने पर दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, **1021.14 करोड़ रूपए** और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान 462.04 करोड़ को व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(iii) निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदा देयताएं ग्राहकों से शेष राशियों के कारण हैं, यह तब उत्पन्न होती हैं जब विशिष्ट माइलस्टोन भुगतान इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त तिथि का स्वीकार राजस्व से अधिक हो जाता है और अग्रिम दीर्घकालीन निर्माण संविदाओं में प्राप्त होता है। प्राप्त अग्रिम की राशि को उस समय समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इनवाइस प्राप्त हो जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं	3,523.29	2,413.83
वर्ष के अंत में संविदा देयताएं	3,574.49	3,523.29
निवल वृद्धि / (कमी)	**51.20**	**1,109.46**

वर्ष 2022–23 और वर्ष 2021–22 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में **51.20 करोड़ रुपऐ** और 1109.46 करोड़ रुपऐ की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से ग्राहक से प्राप्त अग्रिम के कारण है।

घ) निम्नलिखित से स्वीकृत राजस्वी की राशि का ब्यौराः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष के आरंभ में संविदा दायित्वों में शामिल राशि	2,124.68	1,533.02
पिछले वर्षों में संतुष्ट निष्पादन दायित्व	.	.

ड.) संविदा प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च 2023 को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि शून्य (दिनांक 31 मार्च 2022 को शून्य) है।

वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत परिशोधन की राशि शून्य (वित्तीय वर्ष 2021–22 को शून्य) है।

च) निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दासित्वों संबंधीसूचना नीचे सारबद्ध हैः

दिनांक 31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों को आवंटित संव्यवहार मूल्य (असंतुष्ट या आंशिक असंतुष्ट, निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
एक वर्ष के भीतर	10,300.00	7,597.10
एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष के भीतर	10,700.00	7802.72
दो वर्ष से अधिक	14,665.00	29,317.00
कुल	**35,665.00**	**44,716.82**

छ. राजस्व मान्यता से संबंधित लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन :–

इरकॉन गुरुग्राम रेवारी हाईवे लिमिटेड ने राजमार्ग सड़क के निर्माण के प्रदर्शन दायित्व को मापने में अनिश्चितता के कारण प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापने के लिए इनपुट के रूप में खर्च की गई लागत का उपयोग किया है और राजस्व को 31.03.2023 तक की गई लागत की सीमा तक मान्यता दी गई थी। परियोजना की पर्याप्त निर्माण प्रगति को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने अब लागत और राजस्व स्थिति का मूल्यांकन किया है और संचयी कैचअप समायोजन का उपयोग करके दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष को राजस्व में लाभ मार्जिन को शामिल किया है। पिछले वर्षों में संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व से मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि 24.80 करोड़ रुपए (0.13 करोड़ रुपए) है। इसके अलावा, अनुबंध परिसंपत्ति के संचलन पर प्रभाव इस प्रकार है:

(i) वर्ष के दौरान अनुबंध संपत्ति शेष में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	संविदागत परिसंपत्तियां
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध संपत्ति शेष	24.80
प्राप्तियों के लिए वर्ष की शुरुआत में मान्यता प्राप्त अनुबंध संपत्ति से स्थानांतरण	(25.66)
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व, चालान किया जाना	72.30
अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न संचयी कैच–अप समायोजन के परिणामस्वरूप परिवर्तन	0.86
वर्ष के अंत में अनुबंधित संपत्ति शेष	72.30

सेवा रियायत व्यवस्थाएं

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत व्यवस्थाओं को परिशिष्ट–ग–सेवा रियायत व्यवस्थाएं (इंड एएस–115) के अनुसार रिकार्ड किया जाता है। परिशिष्ट–ग लागू होता है यदि:

(क) प्रदाता नियंत्रित और विनियमित करता है कि प्रचालक द्वारा उक्त अवसंरचना से क्या सेवाएं प्रदान करेगा और किसे प्रदान करेगा तथा किस मूल्य पर करेगा, और

(ख) प्रदाता व्यवस्था की अवधि के समाप्ति पर अवसंरचना में किसी प्रकार के अवशिष्ट अहित या अन्यथा स्वामित्व, लाभ पात्रताओं के माध्यम से नियंत्रण करेगा।

यदि उपर्युक्त दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है तो, वित्तीय परिसंपत्ति को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है, जहां तक प्रचालक का सेवा हेतु प्रदाता के विशेषाधिकार से या पर रोकड़ या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने का अशर्त संविदागत अधिकार है।

इन वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभिक स्तर पर लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसे प्रचालन के प्रति प्रदान सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात इन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लागत पर परिशोधित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है, जहां प्रचालक जन सेवा के प्रयोक्ता प्रभार का अधिकार प्राप्त कर लेता है, बशर्ते ये प्रभार प्रयेक्त सेवा के स्तर की शर्तें के अधीन होंगे।

इन अमूर्त परिसंपत्तियों आरंभिक स्तर पर लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसे प्रचालन के प्रति प्रदान सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात इन्हें रियायत की अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

समूह संविदा की शर्तों के अनुसार लक्ष्य के समापन पर एनएचएआई से देय प्राप्यों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि तक सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत **846.04 करोड़ रुपए** (1349.78 करोड़ रुपए) की वित्तीय परिसंपत्ति को स्वीकार करता है। समूह ने इंड एएस 115 से संबंधित ''ग्राहकों से राजस्व'' के अनुसार एससीए के अंतर्गत सड़क निर्माण पर 31 मार्च 2023 तक की अवधि हेतु **550.97 करोड़ रुपए** (431.86 करोड़ रुपए) के राजस्व तथा **0.21 करोड़ रुपए** (74.43 करोड़ रुपए) के लाभ को स्वीकार करता है। समूह ने सेवा रियायत करार

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

के अंतर्गत प्राप्य राशि को स्वीकार किया है और इसे अन्य वित्तीय चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया है, जो इसे दिनांक 31 मार्च 2023 को लक्ष्य के समापन के आधार पर संविदा की शर्तों के अनुसार प्राप्त होगा।

समूह सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर **33.07 करोड़ रुपए** (28.55 करोड़ रुपए) को स्वीकार करता है। समूह सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर लाभ के रूप में **शून्य** (शून्य रुपए) को स्वीकार करता है। सेवा रियातय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के संयबंध में स्वीकृत राजस्व, सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य को प्रदर्शित करता है। समूह ने टोल सडकों के प्रचालन से **196.32 करोड़ रुपए** (167.93 करोड़ रुपए) के राजस्व का स्वीकार किया है।

44. पट्टे

क) पट्टाधारी के रूप में कंपनी

पट्टाधारी के रूप में समूह ने विभिन्न पट्टा संविदाओं में प्रवेश किया है, जिसमें भूमि, कार्यालय स्थान, गेस्ट हाउस तथा वाहनों के पट्टे शामिल हैं।

समूह के पास 12 महीनों या कमी की अवधि के पट्टों सहित कतिपय कार्यालयों और गेस्ट हाउस के पट्टे हैं। समूह इन पट्टों के लिए 'अल्पकालीन पट्टा' स्वीकृत छूटों के लिए आवेदन करती है।

प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति

वर्ष के दौरान प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों की वहन राशियों की स्वीकृति और संचलना को नोट 7 में प्रकट किया गया है।

पट्टा देयताएं

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की स्वीकृति और संचलनों के वहन मूल्य को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को
1 अप्रैल 2021 को आरंभिक शेष	**0.16**
संवर्धन	0.34
ब्याज को मान्यता	0.02
भुगतान	(0.01)
31 मार्च 2022 को शेष	**0.51**
चालू	**0.09**
गैर चालू	**0.42**

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि

पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण नोट – 32 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता के तहत नीतियों में शामिल है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यहास व्यय (संदर्भ नोट 31)	0.38	0.37
पट्टा दायित्वों पर ब्याज व्यय (संदर्भ नोट 30)	0.02	0.01
अल्पकालीन पट्टों संबंधी व्यय (संदर्भ नोट 28 (iii))	5.67	4.96
	6.07	**5.34**

समूह के पास अनेक पट्टा संविदाएं हैं जिनमें विस्तार और समापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं। ये विकल्प प्रबंधन द्वारा वार्तायोग्य हैं और समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। प्रबंधन यह निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण विवेकाधिकार का प्रयोग करता है कि क्या ये विस्तार और समापन विकल्प प्रयोग हेतु युक्तिसंगत हैं।

विस्तार और समापन की प्रयोग तिथि के अनुसरण पर अवधि से संबंधित अरियायती संभावित भावी किराया भुगतान निम्नानुसार हैं, जिन्हें पट्टा अवधि में शामिल नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पांच वर्षों के भीतर	पांच वर्षों से अधिक	कुल
विस्तार विकल्प जिनका प्रयोग नहीं किया जाना है	–	–	–
समापन विकल्प जिनका प्रयोग किया जाता है	–	–	–

ख. पट्टादाता के रूप में समूह

समूह ने भवन, संयंत्र और मशीनरी और एमएफसी को परिचालन पट्टे के तहत दिया है, जो संबंधित समझौतों के अनुसार उचित नोटिस देकर रद्द करने योग्य हैं।

(i) एमएफसी के उप–पट्ट व्यवस्था के संबंध में पट्टा– **27.87 करोड़ रुपए** (14.34 करोड़ रुपए)। उप–पट्टेदार से प्राप्त/प्राप्य एकमुश्त डाउन पेमेंट को आनुपातिक आधार पर लीज अवधि में सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

(ii) समूह ने भवनों को प्रचालन पट्टों के अंतर्गत निर्धारित किया है। पट्टा किराया (किराया और सेवा प्रभार) समग्री रूप से **14.18 करोड़ रुपए** हैं (9.10 करोड़ रुपए) जिन्हें पट्टा व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

(iii) समूह ने मशीनरी को प्रचालनिक पट्टे के तहत दिया है। **4.55 करोड़ रुपए** (13.54 करोड़ रुपए) की कुल पट्टा आय को पट्टा व्यवस्था के अनुसार लाभ–हानि विवरण में स्वीकार किया गया है।

(iv) समूह ने टोल रोड से सटे एक सीमांकित क्षेत्र को एनएचएआई के साथ सेवा रियायत व्यवस्था की शर्तों के अंतर्गत, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा संचालित किए जाने वाले पेट्रोल पंप के लिए पट्ट पर तथा पट्टा व संचालन के लिए दिया है। सिनर्जी इंजीनियर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को विश्राम क्षेत्र एचपीसीएल से **0.18 करोड़ रुपए** (0.17 करोड़ रुपए) और सिनर्जी से **0.20 करोड़ रुपए** (0.18 करोड़ रुपए) पट्टा भुगतान के रूप में प्राप्त हुए।

गैर–रद्दकरणीय प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भावी न्यूनतम किराये निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष के भीतर		
विखंडित क्षेत्र	0.41	0.38
मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स	14.16	20.25
भवन	1.65	–
वर्ष से अधिक पांच वर्षों से अधिक नहीं		
विखंडित क्षेत्र	0.91	1.08
मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स	77.98	117.39
भवन	35.57	–
पाँच वर्षों से अधिक		
विखंडित क्षेत्र	2.17	2.40
मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स	389.22	590.76
भवन	30.06	–

45. कोविड –19 प्रकटीकरण

समूह ने वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली सहित अपने वित्तीय परिणामों की तैयारी में कोविड –19 से होने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है। वैश्विक आर्थिक में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित मान्यताओं को विकसित करना। कोविड–19 के कारण, समूह ने सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और उम्मीद है कि परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की जाएगी।

इस वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव उस अनुमान से भिन्न हो सकता है, जो हमारे द्वारा अनुमान लगाया गया है, क्योंकि भारत और विश्व स्तर पर कोविड–19 की स्थिति विकसित हो रही है। हालांकि, समूह, भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

46. अन्य नियामक प्रकटन

क) बंद की गई कंपनियों के साथ समूह का कोई लेन–देन नहीं है।

ख) समूह के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक सांविधिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं है।

ग) समूह ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुवल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया गया है।

घ) समूह ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) को इस संज्ञान के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है।

(क) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या समूह की ओर से (अंतिम लाभार्थी) की ओर से उधार या निवेश करें या

(ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।

ड.) समूह को विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थानों) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि समूह :

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या वित्तपोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) की ओर से या किसी भी तरह से उधार या निवेश करता है या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की प्रदान करें।

च) समूह का ऐसा कोई भी लेन–देन नहीं है, जो उन खाता बहियों में दर्ज नहीं है जिन्हें बाद में आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, खोज या सर्वेक्षण) या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत चल रहे कर निर्धारण के भाग के रूप में, वर्ष के दौरान, आय के रूप में निष्कासित या प्रकटन किया गया है।

छ) समूह के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

ज) समूह को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वेच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(i) समूह ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं की संख्या का अनुपालन किया है।

47. इंड एएस–8 द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां

वर्ष के दौरान धारक कंपनी ने लाभांश से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और संशोधित लेखांकन नीति नीचे दी गई है और बोल्ड में संशोधनों को हाइलाइट किया गया है।

सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

फ्रीहोल्ड भूमि और स्थायी पट्टे पर अर्जित लीजहोल्ड भूमि को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है। हालांकि, कुछ मामलों में परिसंपत्तियों के वर्ग में, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न उपयोगी जीवन का उपयोग किया जाता है। परिसंपत्ति से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर परिसंपत्तियों के उन वर्गों की प्रकृति, अनुमानित उपयोग को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन का मूल्यांकन किया गया है। तकनीकी मूल्यांकन अर्थात कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन का प्रकटन खातों के नोटों में किया गया है।

48. हाल की गतिविधियां

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) ने 31 मार्च,2023 को, समय–समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित किया है, और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में निम्नानुसार संशोधन किया हैं:

इंड एएस–1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति – इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के स्थान पर अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का प्रकटन करने की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

इंड एएस–8 – लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटि – इस संशोधन ने ''लेखा अनुमान'' की परिभाषा प्रस्तुत की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को अलग करने में मदद करने के लिए इंड एएस 8 में संशोधन किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी

ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंड एएस 12 – आयकर – इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि, यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी अंतर को दूर करते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) ने 31 मार्च,2023 को, समय–समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित किया है, और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में निम्नानुससार संशोधन किया हैः

इंड एएस–1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति – इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के स्थान पर अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का प्रकटन करने की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

इंड एएस–8 – लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटि – इस संशोधन ने ''लेखा अनुमान'' की परिभाषा प्रस्तुत की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को अलग करने में मदद करने के लिए इंड एएस 8 में संशोधन किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंड एएस 12 – आयकर – इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि, यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी अंतर को दूर करते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

49. अन्य प्रकटन

क. (i) समूह, वर्ष 2000–01 से निर्धारण वर्ष 2019–20 तक, धारा 80 आईए के तहत कटौती का दावा कर रही है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा वर्ष 2013–14 तक धारा 80 आईए के तहत कटौती की अनुमति दी गई है। हालांकि, आयकर विभाग ने वि.व. 2000–01 के लिए आईटीएटी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है। वर्ष 2019–20 तक धारक कंपनी डीटीएए समझौतों के अनुसार आय को छोड़कर भारत में कर के लिए वैश्विक आय की पेशकश कर रही थी, जहां विदेशों से अर्जित आय को कराधान के लिए दी जाने वाली वैश्विक आय से बाहर रखा गया है। समूह को निर्धारण वर्ष 2005–06 तक बहिष्करण पद्धति की अनुमति दी गई थी, उसके बाद विभाग द्वारा वैश्विक आय पर गणना किए गए करों से विदेशों में भुगतान किए गए करों के प्रति क्रेडिट की अनुमति दी गई है। देय कर का भुगतान करने के बाद अपील दायर करके इस मुद्दे को चुनौती दी गई है। आईटीएटी द्वारा नि.व. 2016–17 तक इस मुद्दे को इरकॉन के पक्ष में अनुमति दी गई है।

(ii) पिछले वर्षों के संबंध में आयकर के प्रावधान को वापस लिखा गया है/आयकर व्यय को उलट दिया गया है। आयकर अधिकारियों से प्राप्त अनुकूल आदेशों के कारण 78.53 करोड़ रुपए (31 मार्च 2022 को 92.53 करोड़ रुपए) का भुगतान हुआ।

ख. लागत जमा आधार की परियोजनाओं में कुछ ठेकेदारों के दावों के कारण विभिन्न अदालतों और अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष, कंपनी के विरूद्ध कुछ अन्य मामले भी लंबित हैं। ऐसे मामलों में, कंपनी अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ग्राहकों से पूर्ण प्रतिपूर्ति की परिकल्पना करती है और संसाधनों के कोई आर्थिक बहिर्वाह की आशा नहीं करती है। इस संबंध में कुल दावा **रु. 1,984.19 करोड़** (1,432.67 करोड़ रुपए) न्यायाधीन है, जिसके लिए **6.59 करोड़ रुपए** (3.93 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है और ग्राहकों को प्रतिपूर्ति की गई है। कंपनी ने ठेकेदारों पर **340.09 करोड़ रुपए** (615.65 करोड़ रुपए) के लिए प्रति–दावा किया है। अनिश्चित होने के कारण दावों पर ब्याज को लेखांकित नहीं किया गया है।

ग. माननीय उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय के अंतर्गत यूपी–05, उरई राजमार्ग परियोजना के लिए एनएचएआई के खिलाफ **97.96 करोड़ रुपए** की बैंक गारंटी जारी करने की अनुमति दी है, कंपनी ने न्यायालय के अंतिम निर्णय तक समान राशि की देयता प्रदान की है।

घ. समूह के पास बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। जहां तक व्यापार/अन्य देय राशियों और ऋणों और अग्रिमों का संबंध है, शेष पुष्टि पत्र, संबंधित पक्षों को भेजे गए थे। कुछ व्यापार प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देनदारियों की शेष राशि पुष्टि/समायोजन और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। निरंतर आधार पर सुलह की जाती है। हालांकि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टि/समाधान के किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव की संभावना नहीं है।

ड. प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और गैर–चालू निवेश के अलावा संपत्ति का मूल्य, व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर ये तुलन पत्र में बताए गए हैं।

च. चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मकता बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण और पुनर्रचना की गई है। इन पुनर्वर्गीकरण का संचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

छ. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से अलग करने के लिए ब्रैकेट () के अंतर्गत दिखाया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

50. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के अनुसार अतिरिक्त जानकारी।

(₹ करोड़ में)

निकाय का नाम	निवल संपत्ति, अर्थात कुल संपत्ति घटा कुल देनदारियां		लाभ में भाग या (हानि)		अन्य वृहत आय में हिस्सेदारी		कुल वृहत आय में भाग	
	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)	समेकित लाभ व हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)	समेकित वृहत आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)	कुल वृहत आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)
कुल कंपनी								
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	62.15%	3,247.01	92.40%	707.09	100.36%	11.10	92.52%	718.19
सहायक कंपनी								
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	0.91%	47.36	(1.87%)	(14.34)	0.00%	-	(1.85%)	(14.34)
इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	2.91%	152.06	(2.24%)	(17.17)	0.00%	-	(2.21%)	(17.17)
इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	4.27%	223.29	3.45%	26.37	0.00%	-	3.40%	26.37
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	3.26%	170.24	0.70%	5.34	(0.09%)	-0.01	0.69%	5.33
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	5.52%	288.21	2.84%	21.74	0.00%	-	2.80%	21.74
इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	1.44%	75.07	0.48%	3.67	0.00%	-	0.47%	3.67
इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	0.80%	41.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	0.99%	51.80	0.04%	0.31	0.00%	-	0.04%	0.31
इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाइवे लिमिटेड	0.02%	0.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
इरकॉन भोज मोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	0.13%	6.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	1.59%	82.99	0.10%	0.78	0.00%	-	0.10%	0.78
सहायक कंपनियों का योग		**4,387.32**		**733.79**		**11.09**		**744.88**
सहायक कंपनियों में गैर नियंत्रण हित	0.25%	13.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

निकाय का नाम	निवल संपत्ति, अर्थात कुल संपत्ति घटा कुल देनदारियां		लाभ में भाग या (हानि)		अन्य वृहत आय में हिस्सेदारी		कुल वृहत आय में भाग	
	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)	समेकित लाभ व हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)	समेकित वृहत आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)	कुल वृहत आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)
सहायक कंपनियों का निवल		**4,400.45**		**733.79**	**0.00%**	**11.09**		**744.88**
संयुक्त उद्यम कंपनियां								
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	1.46%	76.12	(0.03%)	(0.24)	0.00%	-	(0.03%)	(0.24)
छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	3.73%	194.90	(3.93%)	(30.04)	0.00%	-	(3.87%)	(30.04)
छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	3.71%	193.60	(0.01%)	(0.06)	0.00%	-	(0.01%)	(0.06)
इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड	1.55%	81.23	7.82%	59.83	0.00%	-	7.71%	59.83
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	2.73%	142.49	0.15%	1.18	0.00%	-	0.15%	1.18
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	1.49%	77.64	(0.01%)	(0.11)	0.00%	-	(0.01%)	(0.11)
इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.11%	58.19	0.11%	0.88	-0.27%	-0.03	0.11%	0.85
कुल संयुक्त उद्यम		**824.17**		**31.44**		**(0.03)**		**31.41**
निवल योग	**100%**	**5,224.62**	**100%**	**765.23**	**100%**	**11.06**	**100%**	**776.29**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डिन–09575213

ह0/–
बृजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डिन–10092756

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
एम. नं. 084072

ह0/–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई 2023

*****

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड–129 (4) के साथ पठित खंड 143–(6) (ख) के अंर्तगत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद–129(4) के साथ पठित अनुच्छेद–139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद–129(4) के साथ पठित अनुच्छेद–143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 24 मई 2023 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद–129(4) के साथ पठित अनुच्छेद–143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों (अनुबंध–I के अनुसार) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है किन्तु सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों (अनुबंध–II के अनुसार) की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के खंड 139(5) और 143(6)(क), निजी निकाय होने के कारण इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड पर लागू नहीं है, जिसमें उनके सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और अनूपूरक लेखापरीक्षा आयोजन करने का प्रावधान है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ना तो सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई है और ना ही इस कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो अधिनियम के अनुच्छेद–143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–

(डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी)
महानिदेशक, लेखापरीक्षा,
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँकः 09.08.2023

अनुबंध–1

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की सूची जिनके लिए वर्ष 2022–23 हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–139 (4) के साथ पठित धारा–143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी।

सहायक कंपनियां

1. इरकॉन इंन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड
2. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
3. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

संयुक्त उद्यम

1. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)
2. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)
3. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)
4. छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)

ह./–
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (समन्वय)
रेल वाणिज्यिक

अनुबंध–2

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की सूची जिनके लिए वर्ष 2022–23 हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–129 (4) के साथ पठित धारा–143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

सहायक कंपनियां

1. इरकॉन पी बी टोलवे लिमिटेड
2. इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड
3. इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाइवे लिमिटेड
4. इरकॉन रिन्युवेबल पावर लिमिटेड
5. इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड
6. इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड
7. इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाइवे लिमिटेड
8. इरकॉन अकोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड

संयुक्त उद्यम

1. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडीसी)
2. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)

ह./–
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (समन्वय)
रेल वाणिज्यिक

नोट

नोट


ANNUAL DAY
GROUP AWARDS
Professionally handled complex
arbitration/court cases including HR matters
in favour of IRCON
Corporate office = Legal Cell


IRCON V/s MEA
Cricket Match


Best Aatma Nirbhar Bharat Initiative




Vision
Mission




AFCONS
AGIPL
Bekaert
2023
Event Managed By -
revered media



इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
IRCON INTERNATIONAL LIMITED
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय : सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
सीआईएन : L45203DL1976GOI008171, वेबसाईट : www.ircon.org
दूरभाष : +91-11-26530266, फैक्स : +91-11-26522000/26854000

Designed and Printed by LALIT ADVERTISING